

भारत की ऊर्जा क्रान्ति का संकल्प



आरईसी
REC

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

एक महारत्न कंपनी

54वीं वार्षिक रिपोर्ट | 2022-23



विषय सूची

1.	कंपनी का परिचय	2
2.	निदेशक मण्डल	3
3.	निदेशकों का परिचय	4
4.	मिशन / विजन तथा उद्देश्य	8
5.	वरिष्ठ प्रबंधन दल	9
6.	पिछले पांच वर्षों का प्रदर्शन	10
7.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	13
8.	एजीएम की सूचना	18
9.	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	30
10.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	58
11.	कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	66
12.	कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	95
13.	एकीकृत रिपोर्ट	123
14.	सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	126
15.	कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	129
16.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	130
17.	संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	148
18.	डिबेंचर न्यासियों के विवरण	150
19.	तुलन पत्र	158
20.	लाभ एवं हानि का विवरण	159
21.	नकदी प्रवाह का विवरण	160
22.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	162
23.	लेखा संबंधी टिप्पणियां	166
24.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	265
25.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	274
26.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	275
27.	समेकित वित्तीय विवरण	276
28.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	389
29.	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	397
30.	आरईसी के कार्यालयों का विवरण	398



कंपनी का परिचय

निदेशक मण्डल	श्री विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री अजय चौधुरी निदेशक (वित्त)
	श्री वी. के. सिंह निदेशक (परियोजना)	श्री पीयूष सिंह सरकार द्वारा नामित निदेशक
	श्री मनोज शर्मा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक
	डॉ. मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक
	श्री नारायणन तिरुपति स्वतंत्र निदेशक	
मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री वीरेंद्र कुमार अधाना	
कंपनी सचिव	श्री जे.एस. अमिताभ	
कॉर्पोरेट पहचान संख्या	L40101DL1969GOI005095	
पंजीकृत कार्यालय	कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत दूरभाष: +91-11-4309 1500 / 1501	
कॉर्पोरेट कार्यालय	प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, भारत दूरभाष: +91-124-4441300	
कॉर्पोरेट वेबसाइट एवं ईमेल	www.recindia.nic.in contactus@recl.in	
जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बीएसई लिमिटेड	
डिपॉजिटरी	नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड	
सांविधिक लेखापरीक्षक	एस. के. मित्तल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार ओ.पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी., सनदी लेखाकार	
सचिवीय लेखापरीक्षक	हेमंत सिंह एंड एसोशिएट्स, कंपनी सचिव	
बैंकर्स	एक्सिस बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा एचडीएफसी बैंक एचएसबीसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक	इंडसइंड बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक
रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट	इक्विटी शेयरों के लिए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 दूरभाष: 011 - 42541234 ईमेल: complianceofficer@recl.in , rt@alankit.com वेबसाइट: www.alankit.com	
	बॉण्ड्स के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलिनियम टॉवर-बी, प्लॉट संख्या 31-32, गाचीबाँवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 दूरभाष: 1-800-309-4001 ई-मेल: investorcell@recl.in , einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com/	बीटल फाइनेंशियल एवं कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा) लिमिटेड बीटल हाऊस, तीसरा तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली -110062 दूरभाष: +91-11-29961281-83 ई-मेल: recbonds3@gmail.com , spgupta123@gmail.com वेबसाइट: www.beetalfinancial.com



निदेशक मण्डल



श्री विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री अजय चौधुरी
निदेशक (वित्त)



श्री वी. के. सिंह
निदेशक (परियोजना)



श्री पीयूष सिंह
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री मनोज शर्मा
पीएफसी द्वारा नामित निदेशक



डॉ. गंभीर सिंह
स्वतंत्र निदेशक



डॉ. मनोज मनोहर पांडे
स्वतंत्र निदेशक



डॉ. दुर्गेश नंदिनी
स्वतंत्र निदेशक



श्री नारायणन तिरुपति
स्वतंत्र निदेशक



निदेशकों का परिचय



श्री विवेक कुमार देवांगन
(डीआईएन: 01377212)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री विवेक कुमार देवांगन 17 मई 2022 से आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। आप (मणिपुर कैडर :1993 बैच) के आईएएस अधिकारी हैं, आपने एनआईटी, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई और आईआईटी, दिल्ली से ऑटोइलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल कम्यूनिकेशन में पीजी की उपाधि प्राप्त की है। आरईसी में नियुक्ति से पहले आप भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे।

अपने शानदार आईएएस कैरियर के दौरान आपने वित्त, विद्युत एवं ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, चुनाव, विधि और न्याय, वाणिज्य और उद्योग, मंत्री कार्यालय (कॉर्पोरेट, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग), शिक्षा, मानव संसाधन विकास, रेशम उत्पादन, कृषि और सहकारिता, आर्थिक कार्य, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, जिला प्रशासन (छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायपुर, मणिपुर में सेनापति जिलों) तथा राजस्व प्रशासन के क्षेत्रों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। सीएमडी के रूप में, आपने आरईसी को अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीति विज्ञ और समग्र दिशा प्रदान की है।

आप आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी नामतः आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) पदेन अध्यक्ष भी हैं।

श्री विवेक कुमार देवांगन के पास आरईसी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, कंपनी के किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है।



श्री वी.के. सिंह
(डीआईएन: 02772733)
निदेशक (परियोजना)

श्री वी.के. सिंह 15 जुलाई, 2022 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) हैं। अपने पदोन्नति से पूर्व आप कंपनी में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। आपने आईआईटी, रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ली है और आपके पास भारतीय विद्युत क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपने 29 मार्च 2007 को आरईसी में कार्यभार संभाला, इससे पहले आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड में कार्य किया था।

निदेशक (परियोजना) के रूप में, आप आरईसी के सभी तकनीकी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजना और इकाई मूल्यांकन, उत्पादन, संवितरण और वितरण परियोजनाएं, क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला यानी उपकरण निर्माण, कोयला ब्लॉक वित्तपोषण आदि; और बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण अर्थात् बंदरगाह, हवाई अड्डे, मेट्रो, अस्पताल, रिफाइनरी आदि; मंजूरी, संवितरण और परियोजना निगरानी सहित वित्तपोषण गतिविधियां, कारोबार विकास, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों प्रबंधन, विविधीकरण और कंपनी के समग्र कामकाज शामिल हैं। आप आरईसीआईपीएमटी के माध्यम से खरीद, कानूनी मामलों, आईटी प्रणाली और क्षमता निर्माण कारोबार के प्रमुख परिचालनगत क्षेत्रों के लिए भी उत्तरदायी हैं। आप सरकारी कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन प्रभाग का मार्गदर्शन कर रहे हैं

आपके पास पारोषण परियोजना विकास एवं प्रबंधन, टीबीसीबी प्रक्रिया, वस्तु एवं सेवाओं की खरीद, ईएचवी उप-केंद्रों एवं पारोषण लाइनों के निर्माण, जैसे वित्तीय पहलुओं का बॉण्ड जारी करना, वाणिज्यिक पत्र, ईसीबी आदि में व्यापक अनुभव है।

आप आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) के बोर्ड में निदेशक भी हैं।

श्री वी. के. सिंह के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, कंपनी के किसी अन्य निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है।



श्री अजय चौधरी
(डीआईएन: 06629871)
निदेशक (वित्त)

श्री अजय चौधरी 1 जून, 2020 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) हैं। आप, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एसोशिएट सदस्य हैं। आपके पास भारतीय विद्युत क्षेत्र में विभिन्न कार्यों में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपने 16 अप्रैल 2007 को आरईसी में कार्यभार संभाला और विभिन्न पदों पर कार्य किया और आरईसी में इससे पहले, आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड के साथ वित्त अनुशासन में विभिन्न पदों पर कार्य किया था।

निदेशक (वित्त) के रूप में, वे आरईसी के वित्तीय प्रबंधन और परिचालनों के जरूरी निर्देश देते हैं। जिसमें संगठनात्मक और वित्तीय आयोजना, वित्तीय नीतियों का निर्माण, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, ऋण परिचालन, नकदी और निधि प्रबंधन, कॉर्पोरेट खाते, कर नियोजन, संसाधन जुटाव और कैपिटल मार्केट प्लेयर्स एवं वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय का कार्य शामिल हैं। ऋण वसूली दिशानिर्देश तैयार करने, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करने, ग्राहकों को संचार और सेवाओं में सुधार करने और समग्र संसाधनों और ट्रेजरी का कुशल तरीके से प्रबंधन करने सहित आरईसी में विभिन्न प्रणालीगत सुधारों को लागू करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आप आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) के बोर्ड में निदेशक भी हैं।

श्री अजय चौधरी के पास कंपनी में रु. 10/- के 1600 इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, कंपनी के किसी अन्य निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई संबंध नहीं है।



श्री पीयूष सिंह
(डीआईएन: 07492389)
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री पीयूष सिंह 14 सितंबर, 2022 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। आप एक (महाराष्ट्र कैडर : 2000 बैच) आईएएस अधिकारी हैं और आपने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में आपके पास भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (थर्मल और कोयला, वितरण) का दायित्व है।

आपने महाराष्ट्र सरकार में जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और राजस्व विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपने उत्तराखंड के देहरादून में योजना विभाग में भी कार्य किया और आपके पास लोक प्रशासन और योजना क्षेत्र का व्यापक अनुभव है।

श्री पीयूष सिंह के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य निदेशक अथवा कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है।



श्री मनोज शर्मा
(डीआईएन: 06822395)
पीएफसी द्वारा नामित निदेशक

श्री मनोज शर्मा को 11 जुलाई 2023 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप कानून में डिग्री (एलएलबी) के साथ एक सनदी लेखाकार हैं और वर्तमान में पीएफसी में निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत हैं।

आपको विद्युत क्षेत्र में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पीएफसी में, आपने संस्थागत मूल्यांकन और विकास, इकाई मूल्यांकन, कानूनी और दस्तावेजीकरण, कराधान, बजट, लेखा परीक्षा, वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना, वित्तीय विश्लेषण, संसाधन जुटाना, ऋण समूहन और विद्युत क्षेत्र में वित्तीय/वाणिज्यिक पहलुओं पर परामर्श कार्य सहित कई क्षेत्र और डोमेन संभाले हुए हैं। पिछले तीन दशकों के दौरान, आप पीएफसी की ऋण परिसंपत्तियों के पूरे स्पेक्ट्रम से जुड़े रहे हैं, जिसमें उधार नीतियां तैयार करना, वित्तीय विश्लेषण के लिए संरचित प्रारूप के साथ मूल्यांकन का मार्गदर्शन करने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करना, लागू विनियामक और सांविधिक फ्रेमवर्क का अनुपालन, निगरानी की स्थितियों, संवितरण की सुविधा, दबावग्रस्त खातों के लिए समाधान तंत्र शामिल हैं। आप पीएफसी की अनुषंगी पीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए पीएफसी द्वारा उधारदाता समर्थित समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए एक एसपीवी है।

श्री मनोज शर्मा के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई संबंध नहीं है।



डॉ. गंभीर सिंह
(डीआईएन: 02003319)
स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर डॉ. गंभीर सिंह को दिनांक 15 नवंबर, 2021 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल (मध्य प्रदेश) से मेडिकल कॉलेज (एमबीबीएस) और जी.आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से मास्टर ऑफ सर्जरी हैं। आपके पास एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आजीवन सदस्यता भी है।

वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ में रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डीन हैं। आपको 23 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव है, आपने जी. आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर और पंडित जवाहर लाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर में कार्य किया है। आप 2008 से रायपुर में 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। यह हॉस्पिटल चिकित्सा विशेषज्ञता के उच्च मानकों पर कार्य कर रहा है और छत्तीसगढ़ के लोगों को समर्पित है।

आप ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और अपने जरूरतमंदों और आदिवासी लोगों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न हिस्सों खासकर गौरेला, पेंड्रा मरवाही (जीपीएम) जिले में 500 से अधिक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं। आप जीपीएम जिले के गांववासियों को नियमित रूप से औषधीय पौधे लगाने के बारे में शिक्षित कर रहे हैं, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं।

आपने विभिन्न सूचकांक पत्रिकाओं के 10 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पेपर भी प्रकाशित किए हैं और स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के परीक्षक भी रहे हैं।

डॉ. गंभीर सिंह के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा कंपनी के किसी अन्य निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है।



डॉ. मनोज मनोहर पांडे
(डीआईएन: 09388430)
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. मनोज मनोहर पांडे को दिनांक 15 नवंबर, 2021 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप वर्तमान में यवतमाल, महाराष्ट्र, में एक पारिवारिक चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। आपने अमरावती विश्वविद्यालय से चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में स्नातक की पढ़ाई पूरी की, और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राकृतिक चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

आप महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में उपेक्षित और खानाबदोश समुदाय और झुग्गीवासियों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। आपने सुसाइड प्रभावित किसान परिवारों के पुनर्वास में मदद की है, और वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने में अग्रणी रहे हैं। आप पिछले 15 वर्षों से समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित करने वाले दो गैर-सरकारी संगठनों के संचालन में भी शामिल हैं।

आप आयुष काढ़ा के उत्पादन और वितरण की शुरुआत में अग्रणी रहे, जो कोविड-19 वारियर्स, जिन्होंने महामारी के प्रकोप को रोकने में मदद की, के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। आप नवीन कृषि तकनीकों, जिनसे मृदा उर्वरता और कम लागत वाली कृषि पद्धतियों में वृद्धि हुई है, का उपयोग करने वाले एक जैविक कृषक और कृषिविज्ञ भी हैं।

डॉ. मनोज मनोहर पांडेय के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, कंपनी के किसी अन्य निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है।



डॉ. दुर्गेश नंदिनी
(डीआईएन: 09398540)
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. दुर्गेश नंदिनी को 30 दिसंबर 2021 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से शिक्षा में स्नातकोत्तर एवं डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है।

पूर्व में आपने एक प्रतिष्ठित गर्ल्स इंटर-कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में काम किया था और हरियाणा सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों और प्रशिक्षण मॉड्यूल के संपादन में सहयोग करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको राष्ट्रीय स्तर के एक स्वयंसेवी संगठन “जागृति” के साथ प्रमुख सामाजिक मुद्दों के क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

आप स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय योगदान दे रही हैं। वर्तमान में, आप महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक परियोजना पर काम कर रही हैं और सामाजिक न्याय के मुद्दों के लिए अपराजिता फाउंडेशन के साथ सहयोग कर रही हैं।

डॉ. दुर्गेश नंदिनी के पास कम्पनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, किसी अन्य निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ उनका कोई परस्पर संबंध नहीं है।



श्री नारायणन तिरुपति
(डीआईएन: 10063245)
स्वतंत्र निदेशक

श्री नारायणन तिरुपति को 6 मार्च 2023 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और आप तमिलनाडु के एक लोकप्रिय टेलीविजन डिबेटर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप 35 वर्षों से अधिक समय से गरीब, दलित लोगों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।

श्री नारायणन तिरुपति एक सामाजिक मंच “थीरवु” के संस्थापक हैं, जिसका अर्थ है न्याय, जिसके माध्यम से आपने देश की सामाजिक-आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा की है और तमिलनाडु के लोगों के बीच सुशासन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है। शांति, सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय के निर्माण में आपके अथाह योगदान के लिए जाना जाता है।

श्री नारायणन तिरुपति के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अलावा, कंपनी के किसी अन्य निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है।

मिशन/विजन तथा उद्देश्य

मिशन/विजन

- ग्रामीण एवं शहरी आबादी के जीवन स्तर को उन्नत एवं बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाना।
- देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क सहित परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक-अनुकूल और विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

मिशन को आगे बढ़ाने के क्रम में, निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य है:

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, उन्नयन एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर जोर के साथ विद्युत वितरण पर केंद्रित परियोजनाओं का वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन, भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन।
 2. दुर्गम, पर्वतीय, रेगिस्तानी, जन-जातीय, तटवर्ती और अन्य असुगम/सूदूरवर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण जैसे अन्य क्षेत्रों और गतिविधियों का विस्तार करना और इनमें विविधता लाना।
 3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत संस्थाओं, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं के लिए ऋण स्वीकृत करना।
- यों को पूरा करते हुए निगम के प्रचालनों के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिफल की दर की प्राप्ति अर्थात् (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विकास; के लोड का विकास; एवं शहरी क्षेत्रों का तीव्र गति से सामाजिक-आर्थिक विकास; और की उन्नयन।
- निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते हुए संगठन और कारोबार के आपसी विश्वास एवं भरोसे के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और उपभोक्ताओं के हितों की श्वित करना।
- वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में िल राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत संस्थाओं/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी ला अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण लब्ध कराने में सहायता करना।

वरिष्ठ प्रबंधन दल



श्री वीरेंद्र कुमार अधाना
मुख्य सतर्कता अधिकारी



श्री टी. एस. सी. बोष
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)



श्री जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक (विधि)
एवं कंपनी सचिव



श्री फुज़ैल अहमद
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)



श्री संजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)



श्री आर. पी. वैष्णव
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)



श्री राहुल द्विवेदी
कार्यपालक निदेशक
(पीएमडी)



श्रीमती मालती सुंदरराजन
कार्यपालक निदेशक
(वित्त) एवं सीआरओ



श्री संजय कुलश्रेष्ठ
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)



श्रीमती वल्ली नटराजन
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)



श्री दलजीत सिंह खत्री
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)



श्री हर्ष बवेजा
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)



श्री राजेश कुमार
कार्यपालक निदेशक
(वित्त) एवं सीईओ –
आरईसीपीडीसीएल



श्री एन. वेंकटेशन
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)



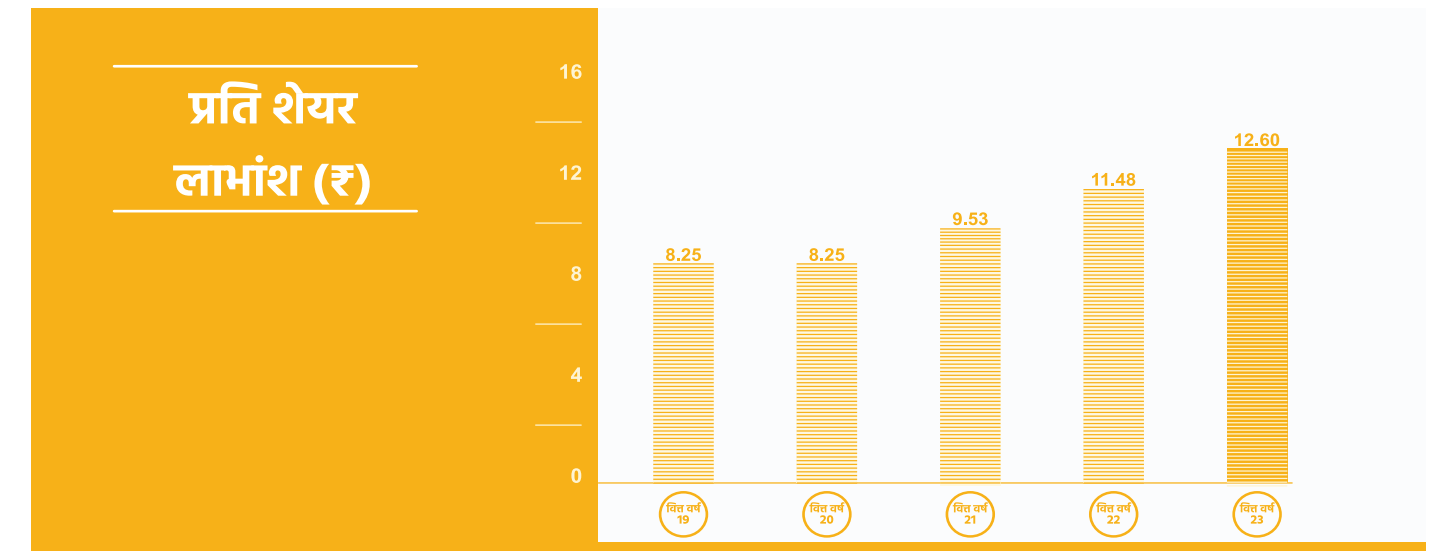
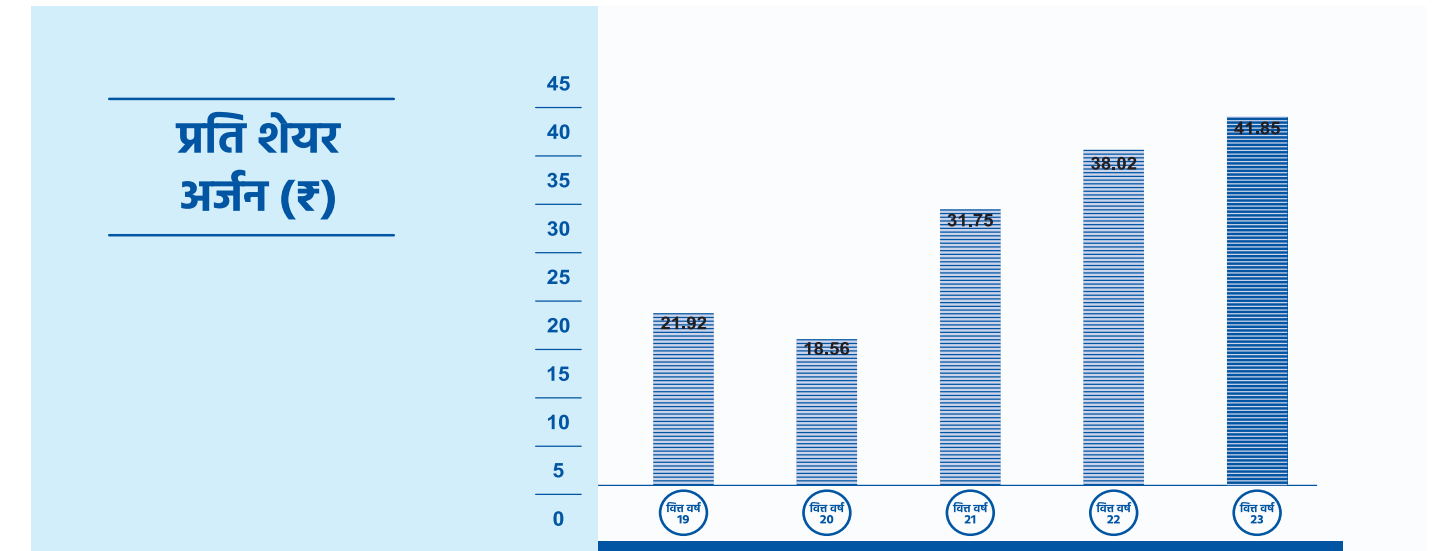
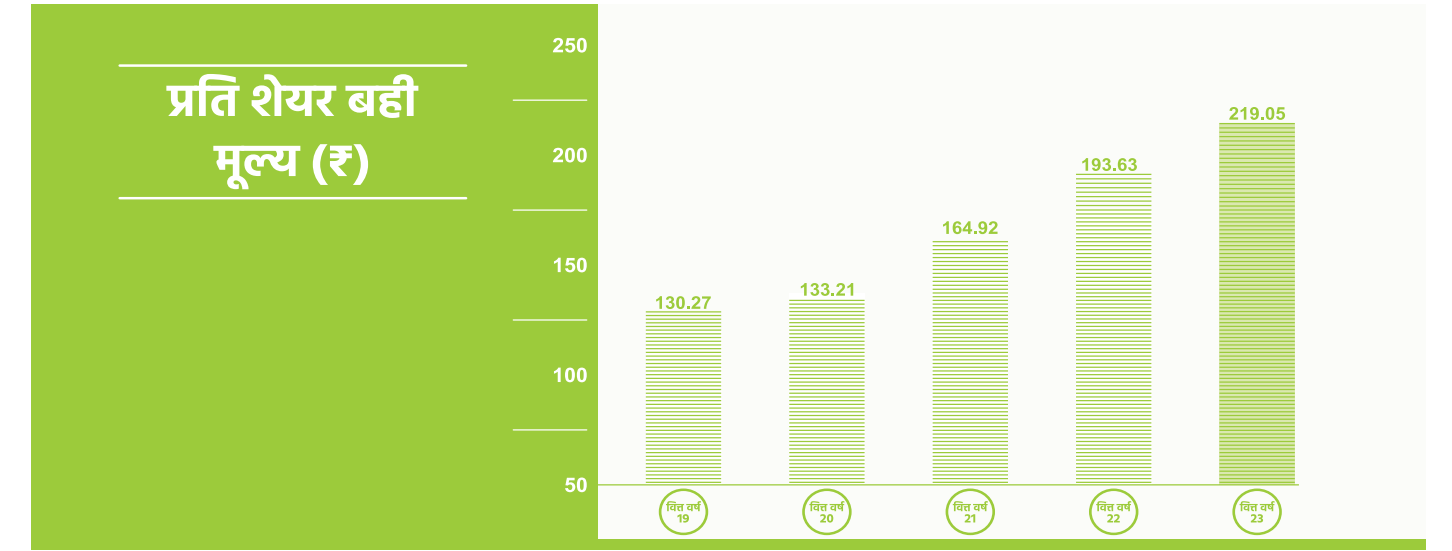
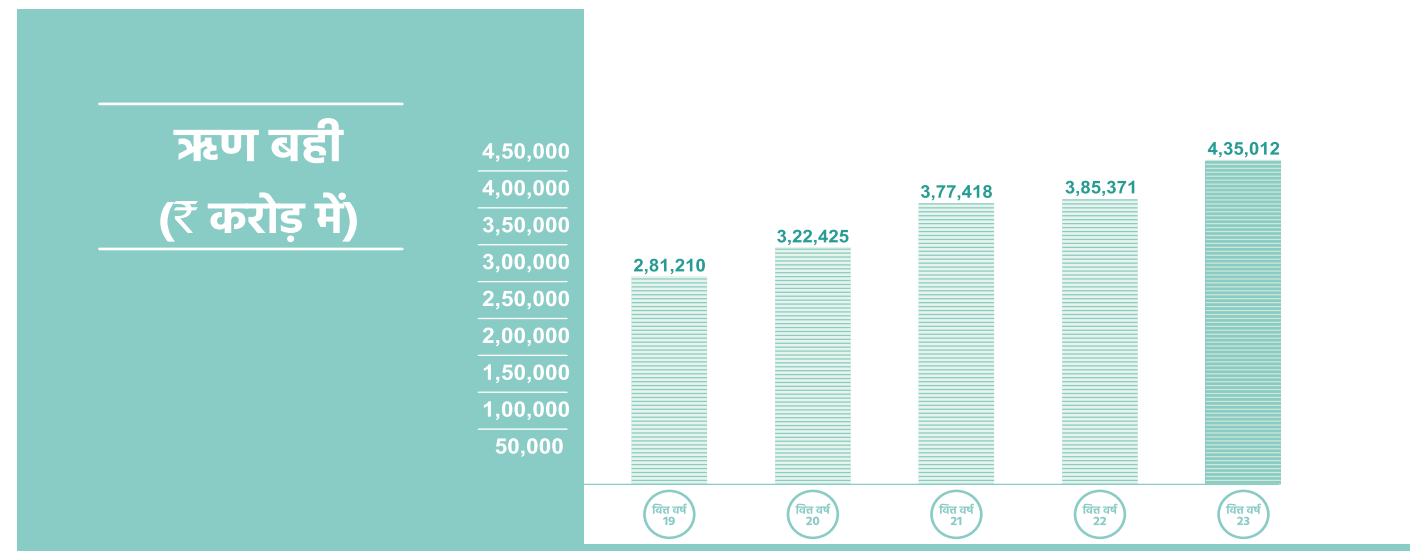
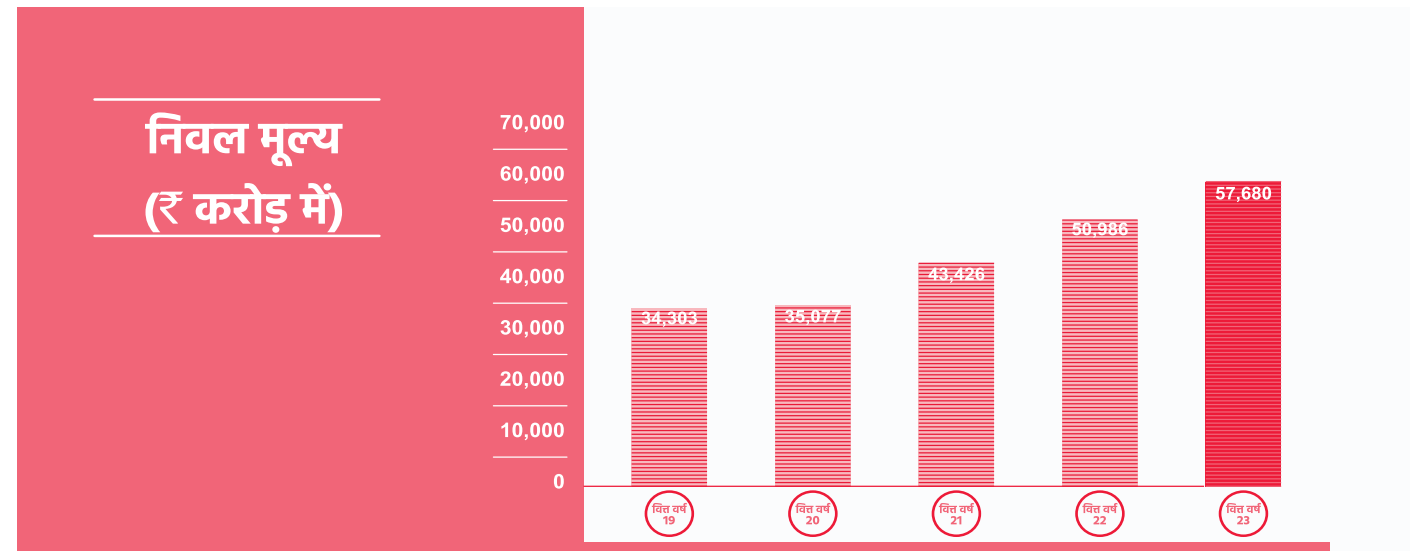
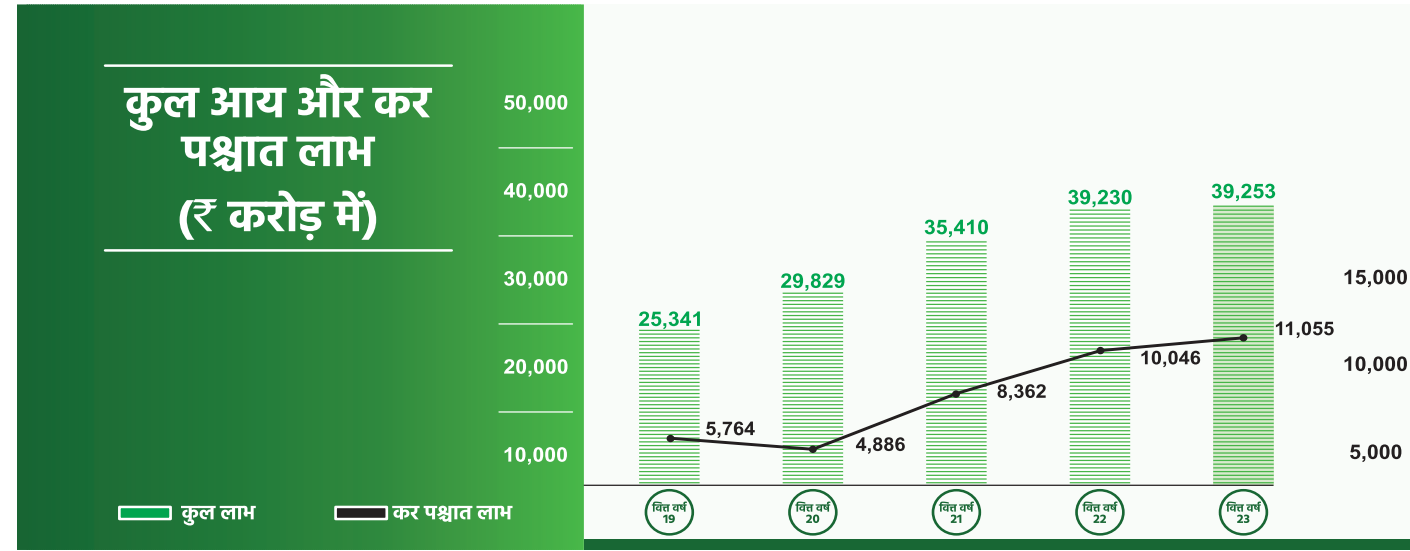
श्री अरुण कुमार त्यागी
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)



श्री कुलदीप राय
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)



पांच वर्षों का प्रदर्शन



टिप्पणी: उपरोक्त ग्राफ में बुक वैल्यू, ईपीएस और डिविडेंड के पिछले वर्षों के आंकड़े वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के आधार पर समायोजित किए गए हैं।



पांच वर्षों का प्रदर्शन

	(₹ करोड़ में)				
विवरण (इंड-एस के अनुसार)	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
शेयरधारकों की निधि (वर्ष के अंत में)					
इक्विटी शेयर पूंजी	2,633.22	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92
लिखत पूरी तरह से इक्विटी स्वरूप के हैं	558.40	558.40	558.40	-	-
अन्य इक्विटी / आरक्षित एवं अधिशेष	54,448.05	48,452.28	40,893.05	33,101.64	32,328.02
निवल मूल्य	57,679.67	50,985.60	43,426.37	35,076.56	34,302.94
उधारियां (वर्ष के अंत में)					
भारत सरकार / एनएसएसएफ से	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
बॉण्ड/डिबेंचर्स	1,98,115.65	1,83,291.97	2,04,119.67	1,88,538.25	1,71,803.83
वित्तीय संस्थानों से	6,000.00	6,800.00	5,800.00	1,000.00	1,200.00
विदेशी मुद्रा उधारियां	78,440.04	65,957.45	47,486.43	44,378.49	31,368.12
बैंकों से आवधिक ऋण	56,298.20	42,878.32	29,938.58	18,899.78	18,550.00
वाणिज्यिक पेपर	-	-	-	2,925.00	7,975.00
अल्पावधि/मांग ऋण/अन्य	25,762.53	17,916.55	25,166.32	14,374.33	3,389.50
कुल	3,74,616.42	3,26,844.29	3,22,511.00	2,80,115.85	2,39,286.45
निधि जुटाना (वर्ष के दौरान)	86,984.00	73,962.93	99,244.53	84,358.12	69,383.22
वित्तीय प्रचालन (वर्ष के दौरान)					
अनुमोदित परियोजनाएं (संख्या में)	562	370	441	727	914
संस्वीकृत वित्तीय सहायता	2,68,460.54	54,421.76	1,54,820.87	1,10,907.99	1,15,957.35
संवितरण*	97,911.86	69,467.87	97,928.11	82,140.83	91,827.56
उधारकर्ताओं द्वारा मूलधन का पुनर्भुगतान	46,294.55	56,197.10	37,994.03	34,454.15	30,405.09
वर्ष के अंत में बकाया	4,35,011.79	3,85,371.26	3,77,418.15	3,22,424.68	2,81,209.68
कार्य परिणाम (वर्ष के दौरान)					
कुल आय	39,252.73	39,230.45	35,410.44	29,829.13	25,341.16
निवल विनिमय हानि, प्रशुल्क एवं कमीशन खर्चों सहित वित्तीय लागत	24,867.99	22,868.69	21,829.29	21,380.39	16,197.11
प्रावधान और वित्तीय लिखतों पर आकस्मिकताएं/ इम्पेयरमेंट	114.91	3,473.31	2,419.62	889.56	240.33
उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	-	-	-	-	348.52
अन्य व्यय	506.97	445.59	395.87	565.89	447.53
मूल्यहास	24.09	17.96	9.53	10.00	7.17
कर-पूर्व लाभ	13,738.77	12,424.90	10,756.13	6,983.29	8,100.50
कराधान/कर संबंधी खर्चों हेतु प्रावधान	2,684.13	2,378.98	2,394.35	2,097.13	2,336.78
कर-पश्चात लाभ	11,054.64	10,045.92	8,361.78	4,886.16	5,763.72
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	(971.04)	(59.07)	456.52	(549.79)	(60.54)
अन्य व्यापक आय	10,083.60	9,986.85	8,818.30	4,336.37	5,703.18
इक्विटी पर लाभांश	3,317.86	3,021.62	2,510.12	2,172.41	2,172.41

* विभिन्न स्कीमों के तहत सरकार से प्राप्त ऋणों के वितरण के साथ-साथ अनुदान / सब्सिडी का वितरण शामिल है



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का संदेश



प्रिय हितधारकगण,

मुझे आपकी कंपनी की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है, जो उल्लेखनीय उपलब्धियों के संबंध में एक शानदार वर्ष रहा है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आपकी कंपनी को सितंबर, 2022 में महारल का दर्जा दिया गया है, जिससे हमें अधिक प्रचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हुई है। यह प्रतिष्ठित दर्जा भारत और विदेशों में संयुक्त उद्यमों, सहायक कंपनियों और विलय एवं अधिग्रहण गतिविधियों के माध्यम से कंपनी को रणनीतिक निवेशों की सुविधा प्रदान करता है, जिससे विकास में तेजी आती है और देश के समग्र विकास के लिए सरकार के विजन को सहयोग मिलता है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ऊर्जा परिवर्तन पहल के अनुरूप कार्य करते हुए, आरईसी वर्ष 2030 तक हरित परियोजनाओं के अपने वर्तमान ऋण पोर्टफोलियो को दस गुना से अधिक बढ़ाकर ₹3 लाख करोड़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरईसी अपने ग्रामीण विद्युतीकरण प्रयासों के लिए जाना जाता है, अब यह अपनी नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) केंद्रित पहल के लिए जाना जाएगा। सौर और पवन परियोजनाओं जैसी पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के अतिरिक्त, आरईसी ने हाइब्रिड परियोजनाओं, ई-मोबिलिटी परियोजनाओं, पंप स्टोरेज परियोजनाओं,

सौर मॉड्यूल के विनिर्माण, परियोजनाओं के समयोचित निष्पादन के लिए परियोजना विशिष्ट वित्तपोषण आदि के वित्तपोषण में कदम रखा है। इसके अतिरिक्त, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं, ताप विद्युत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के बंडलिंग से जुड़ी लगातार चलने वाली परियोजनाएं और इथेनॉल विनिर्माण परियोजनाओं जैसे नवोदित क्षेत्रों के वित्तपोषण में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही, अतिरिक्त लचीलापन (रैंप-अप/रैंप-डाउन) प्रदान करने के लिए आंशिक रूप से उपयोग किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों को समयानुकूल बनाने की आवश्यकता है जो ग्रिड सततता को प्रभावित किए बिना इन परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने में मदद करेगा।

आरईसी पर विश्वास जताते हुए, विद्युत मंत्रालय ने हमारी कंपनी को हमारे देश के त्वरित विकास में योगदान देने के लिए गैर-विद्युत अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को ऋण देने की भी अनुमति दी है और मैं प्रसन्नतापूर्वक यह संसूचित करता हूँ कि पहले वर्ष के दौरान, हमने मेट्रो, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, तेल रिफाइनरियों, राजमार्गों, स्टील इन्फ्रा से लेकर हेल्थकेयर, शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही आईटी इन्फ्रा/फाइबर ऑप्टिक्स आदि के क्षेत्रों में फैली विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹85,700 करोड़ से अधिक की राशि संस्वीकृत



की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा संस्वीकृत की गई कुल राशि का लगभग 32% है।

आरईसी ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य योजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भारत सरकार के गैर-विद्युतीकृत गांवों और सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप देश में सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जैसे-जैसे विद्युत क्षेत्र आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नति और उपभोक्ता-केंद्रित फोकस के चरण में प्रवेश कर रहा है, हम सरकार की ₹3 लाख करोड़ की सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) से जुड़कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जो इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरईसी भारतीय विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के लिए कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए समकक्ष वित्तपोषण भी प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, हम एक *उज्ज्वल* और अधिक समृद्ध भारत को बढ़ावा देने के लिए *उज्ज्वल भारत* की नींव में योगदान देने में बहुत गर्व महसूस करते हैं।

हम देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने वित्तपोषण समाधानों के माध्यम से विद्युत, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं।

आर्थिक दृष्टि से संक्षिप्त परिचय

ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, यूरोपीय संघ में प्राकृतिक गैस की मांग सहित विश्व भर में आम तौर पर प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्य के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वैश्विक विद्युत मांग लगभग 2% बढ़ी, जिसमें विशेष रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान है। वैश्विक विद्युत उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2022 में 29% से बढ़कर वर्ष 2025 तक 35% होने का अनुमान है। इस परिवर्तन से कोयला और गैस आधारित स्टेशनों पर निर्भरता कम हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2025 तक वैश्विक विद्युत उत्पादन उत्सर्जन में स्थिरता आएगी और आने वाले वर्षों में कार्बन डाई ऑक्साइड की तीव्रता में और कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए त्वरित डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने की आवश्यकता है।

महामारी के बाद आर्थिक सुधार और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण भारत में विद्युत की मांग में 8.4% की वृद्धि देखी गई। भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि इसके विविध कारोबारी परिवेश और महत्वपूर्ण उपभोक्ता आधार से प्रेरित है। अपने मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों की सहायता से, भारत सकल घरेलू उत्पाद में विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 6.5% विकास दर का अनुमान दिया गया है। इस बीच, निरंतर आर्थिक विकास, सुधारों और सहायक नीतियों से प्रेरित होकर, भारत का विद्युत क्षेत्र एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में ऊर्जा मांग में 9.5% की रिकॉर्ड वृद्धि अपने आप में इसकी तीव्रता को दर्शाती है। नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी आधी संस्थापित क्षमता को गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्रोतों से बदलना है, जिससे राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड में और अधिक विकास और सतत एकीकरण हो सके।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

भारत सरकार भी वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई सुधार कर रही है। डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य की सफलता के बाद सरकार की हाल ही में शुरू की गई योजना आरडीएसएस का उद्देश्य वित्तीय रूप से सतत और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है।

आरडीएसएस के उद्देश्यों में वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटीएंडसी घाटे में 12-15% की कमी और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना शामिल है, ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि-चरण हैं। इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने पर भी विशेष बल दिया गया है।

विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, आपकी कंपनी ने 'डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग' के लिए एक रूपरेखा विकसित की है। जिसमें डिस्कॉम का मूल्यांकन प्रचालन मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और कमी वाले क्षेत्रों में प्रदर्शन में सुधार करना है। आपकी कंपनी प्रमुख नियामक मापदंडों पर आवधिक रिपोर्ट भी प्रकाशित कर रही है जो विभिन्न संस्थाओं के संकलन, बैचमार्किंग और तुलनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से विद्युत क्षेत्र का मार्गदर्शन करती है और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपायों को उजागर करती है।

वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी प्रदर्शन

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी ने संस्वीकृत ऋणों में असाधारण वृद्धि के साथ सभी मोर्चों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो वित्त वर्ष 2021-22 के ₹54,421 करोड़ से 393% की वृद्धि करते हुए बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹2,68,461 करोड़ हो गया। पारंपरिक उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा और पारेषण एवं वितरण आदि सहित सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हुआ। वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी के प्रमुख प्रदर्शन निम्नानुसार हैं:

- ऋण बही वर्ष दर वर्ष 13% बढ़कर ₹4,35,012 करोड़ हो गई;
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक का सबसे अधिक संवितरण; विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ₹1,066 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी के वितरण के साथ 51% बढ़कर ₹96,846 करोड़;
- ₹11,055 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक निवल लाभ; 10% की वृद्धि के साथ ईपीएस बढ़कर ₹41.85 प्रति शेयर ₹10/- हो गया;
- इक्विटी पर 20.35% प्रतिलाभ के साथ निवल मूल्य 13% बढ़कर ₹57,680 करोड़ हो गया;
- क्रमशः 3.42% और 1.01% की सकल और निवल ऋण इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के साथ ऋण इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का निम्न स्तर (चरण III) और ऋण लागत 0.03% के साथ ₹115 करोड़ रही;
- 15% की न्यूनतम वैधानिक आवश्यकता के सापेक्ष 25.78% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात, भावी विकास में सहयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है;
- चार रेटिंग एजेंसियां नामतः क्रिसिल, आईसीआरए, केयर और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च में से प्रत्येक से घरेलू ऋण लिखतों के लिए "एएए" की उच्चतम घरेलू रेटिंग कायम रही; और
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आरईसी को मूडीज़ और फिच से क्रमशः भारत की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग "बीएए3" और "बीबीबी" के समकक्ष रेटिंग प्राप्त हुई।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विद्युत क्षेत्र के साथ-साथ अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, जिसमें हमने हाल ही में कार्य आरम्भ किया है, में भी विकास में तेजी लाने के निरंतर प्रयासों के साथ, परिसंपत्ति की गुणवत्ता और प्रभावी लागत प्रबंधन में सुधार करते हुए, आपकी कंपनी को पहली तिमाही में अभूतपूर्व सफलता मिली है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी, इसने ₹2,961 करोड़ का अभूतपूर्व लाभ प्राप्त किया। लाभ में वृद्धि के कारण, 30 जून, 2023 तक की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य बढ़कर ₹60,886 करोड़ हो गया है, जो वर्ष-दर-वर्ष 16% की वृद्धि है। पिछले वर्ष की इसी



अवधि में ₹59,895 करोड़ के सापेक्ष 52% की वृद्धि के साथ इस अवधि के लिए संस्वीकृत की गई राशि ₹90,797 करोड़ थी, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा 16% था। संवितरण भी पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹12,442 करोड़ की तुलना में 174% बढ़कर ₹34,133 करोड़ रहा। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी की ऋण बही का अपने विकास पथ कायम रहा है और 30 जून, 2022 की स्थिति के अनुसार ₹3.88 लाख करोड़ के सापेक्ष 17% बढ़कर ₹4.54 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही, निवल एनपीए 1% से भी कम हो गया है। 30 जून, 2023 तक की स्थिति के अनुसार और विगत छह तिमाहियों में कोई नया एनपीए नहीं बढ़ा है।

आपकी कंपनी का लक्ष्य मार्च, 2030 तक ₹10 लाख करोड़ से अधिक की ऋण बही हासिल करना और वर्ष 2025 तक निवल शून्य एनपीए कंपनी बनना है।

ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के खतरे के संबंध में वैश्विक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को तैयार कर रही है कि हरित ऊर्जा में परिवर्तन उसके व्यवसाय विकास के उद्देश्यों के मूल में है। इस दिशा में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹21,370 करोड़ से अधिक के ऋण संस्वीकृत किए और मार्च 2030 तक अपनी ऋण बही में स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी को लगभग 30% तक बढ़ाने का प्रयास किया।

पूंजी संरचना और बोनस जारी करना

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹5,000 करोड़ थी, जिसमें ₹10/- प्रत्येक के 500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे। सीपीएसई द्वारा पूंजी प्रबंधन पुनर्गठन पर व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, कंपनी ने अगस्त 2022 में अपने शेयरधारकों को 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर निर्गत किए, जिसके परिणामस्वरूप ₹10/- प्रत्येक के 65,83,06,000 पूर्ण संदत नए इक्विटी शेयर निर्गत किए गए।

इससे निर्गत और संदत शेयर पूंजी बढ़कर ₹2,633.22 करोड़ हो गई, जिसमें ₹10/- प्रत्येक के 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है, कंपनी की संदत इक्विटी शेयर पूंजी के 52.63% का धारक है; और शेष 47.37% इक्विटी शेयर पूंजी जनता द्वारा धारित है।

निधि जुटाना

आपकी कंपनी अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में लगातार और निपुण जारीकर्ता है और नियमित रूप से ग्रीन बॉन्ड निर्गत करती है। ग्रीन बॉन्ड निर्गमन के 20% से जलवायु कार्य योजना और ऊर्जा परिवर्तन के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया जाता है। अप्रैल 2023 में, आरईसी ने सफलतापूर्वक 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड जुटाए। कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार से बेहद प्रतिस्पर्धी दरों पर निधि जुटा रही है। आरईसी बहुपक्षीय विकास बैंकों जैसे एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू और अन्य से सस्ती निधि जुटाने की भी संभावना तलाश रहा है तथा जीआईएफटी सिटी में एक सहायक कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव भी प्रक्रियाधीन है।

इस वर्ष, आपकी कंपनी ने पूरे उद्योग में 54ईसी पूंजी लाभ बॉन्ड से ₹12,152 करोड़ की अब तक की सबसे अधिक राशि जुटाई है, जो उद्योग की हिस्सेदारी का 70% से अधिक है। 5.25% प्रति वर्ष की ब्याज दर वाले 54ईसी बॉन्ड आरईसी के लिए निधियों का सबसे सस्ता स्रोत हैं, जिससे कुल उधार लागत कम हो जाती है। मुझे यह बताते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि हमने व्हाट्सएप पर निवेशकों के प्रश्नों के त्वरित समाधान को सक्षम करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारम्भ किया है। हमने अपने 54ईसी बांड प्रमाणपत्रों को डिजी-लॉकर्स में सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया है और ऐसे करने के मामले में हम इस उद्योग में प्रथम हैं। अब, ई-बॉन्ड सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के माध्यम से हर किसी की जेब में भी उपलब्ध हैं।

आपकी कंपनी 'ग्राहक संतुष्टि' से 'ग्राहक प्रसन्नता' की ओर बढ़ने के उद्देश्य से विशेष रूप से आरईसी 54ईसी बॉन्ड के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारम्भ करने की प्रक्रिया में है।

लाभांश

आपकी कंपनी ने अपने समकक्षों में से सबसे अधिक लाभांश देने वाली कंपनी बनकर अपने शेयरधारकों को प्रतिफल देने की परंपरा को कायम रखा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, बोर्ड ने ₹4.35 प्रति इक्विटी शेयर (संदत शेयर पूंजी का 43.5%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है और इसे आपके अनुमोदन के लिए रखा गया है। यह वर्ष के दौरान पहले से संदत ₹5.00 प्रति शेयर (संदत शेयर पूंजी का 50%) के पहले अंतरिम लाभांश और ₹3.25 प्रति शेयर (संदत शेयर पूंजी का 32.50%) के दूसरे अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित वर्ष के लिए कुल लाभांश, पिछले वर्ष के लिए ₹11.48 प्रति शेयर (बोनस समायोजित शेयर पूंजी पर 114.8%) के सापेक्ष ₹12.60 प्रति शेयर (126%) है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित कुल लाभांश भुगतान 30% के लाभांश भुगतान अनुपात के साथ ₹3,318 करोड़ होगा।

कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट अभिशासन में सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने और उनका पालन करने और कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड एलओडीआर (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 के तहत इसके दायरे में आने वाली सभी लागू अपेक्षाओं और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिव-विषयक मानकों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरईसी को लंदन में आयोजित एक समारोह में द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ।

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरईसीपीडीसीएल टैरिफ आधारित पतिस्पर्धा बोली (टीबीसीबी) मार्ग के माध्यम से अंतर-राज्य के साथ-साथ अंतःराज्यीय पारेषण परियोजनाओं के विकास के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य कर रही है। आरईसीपीडीसीएल ने ₹68,500 करोड़ से अधिक मूल्य की 52 पारेषण परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके अतिरिक्त, ₹73,900 करोड़ से अधिक मूल्य की 23 पारेषण परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया प्रगति पर है।

आरई-बंडलिंग योजना के तहत, बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में, आरईसीपीडीसीएल ने हाल ही में एनटीपीसी (1,250 मेगावाट) और डीवीसी (500 मेगावाट) के लिए 7,840 करोड़ रुपये की 1,750 मेगावाट की सौर परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया संपन्न की है। आरईसीपीडीसीएल पारंपरिक ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न अन्य उत्पादकों का भी उपयोग कर रहा है, जिससे पृथ्वी को हरित बनाने में योगदान मिल रहा है।

परियोजना कार्यान्वयन के मोर्चे पर, आरईसीपीडीसीएल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5,359 मीटर की ऊंचाई पर 220 केवी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइन (टीएल), जो भारत की सबसे ऊंची पारेषण लाइन है और पीएमडीपी-15 योजना के तहत लद्दाख की नुब्रा और जांस्कर घाटी में इंसुलेटेड सबस्टेशन सहित विभिन्न पारेषण परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। ये परियोजनाएं लद्दाख को निर्बाध ग्रिड विद्युत आपूर्ति



से जोड़ेगी और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद करेंगी और विद्युत आपूर्ति के लिए डीजी सेट की निर्भरता को कम करेंगी, जिसके परिणामस्वरूप पूरे लद्दाख क्षेत्र में समग्र कार्बन फुटप्रिंट और उससे जुड़ी/संबंधित प्रदूषण की समस्या में कमी आएगी।

आरईसीपीडीसीएल, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में देश भर में उन्नत मीटरिंग अवसंरचना परियोजनाओं को भी कार्यान्वित कर रही है। आरईसीपीडीसीएल भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में अग्रणी संस्था है, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस) के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करना, जो देश भर में सभी 33/22/11 केवी आउटगोइंग वितरण फीडर की विद्युत की विश्वसनीयता और गुणवत्ता की निगरानी के लिए क्लाउड आधारित केंद्रीय आईटी प्लेटफॉर्म है, जो वास्तविक समय के आधार पर घाटे, आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता, आवश्यक विद्युत मापदंडों आदि पर महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करने में मदद करेंगी। इस प्रणाली को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रचालनात्मक रूप से प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने ₹307.26 करोड़ की आय दर्ज की और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसका कर पश्चात लाभ ₹139.79 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल की कुल संपत्ति ₹440.93 करोड़ तक पहुंच गई है।

नीतिगत पहल

सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने और अपने सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन में उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक मूल्य बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी नीतिगत ढांचे की लगातार समीक्षा करती है। हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संबंधित पक्षकार लेनदेन नीतियों को संशोधित किया है और ईएसजी नीति को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्तीय सहायता, निवेश कार्यनीतियों, नियामक अनुपालन, क्रेडिट प्रबंधन और आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों में बाजार प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न व्यवसाय-उन्मुख नीतियों की शुरुआत की है और इन्हें अद्यत और परिष्कृत किया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान मानव संसाधन संबंधी नीतियों पर भी पुनः ध्यान दिया गया, ताकि उन्हें अधिक कर्मचारी अनुकूल बनाया जा सके।

आपकी कंपनी के ईएसजी नीति ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ इसके प्रचालन, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने में पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ ऊर्जा के वित्तपोषण को सुनिश्चित करने के लिए, ऋण समझौते/संस्वीकृत में पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक (ईएचएसएस) पहलुओं से संबंधित उपयुक्त शर्तें शामिल की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कार्य आरम्भ करने से, परिसंपत्ति के साथ-साथ उधारकर्ता प्रोफ़ाइल में विविधीकरण सुनिश्चित करते हुए, आरईसी के ऋण पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें ऋण जोखिम, प्रचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम का समाधान किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के जोखिम के कुशलतापूर्वक शमन के लिए व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं हैं। ऋण-जोखिम को कम करने के लिए एक संरचित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जबकि प्रचालन जोखिमों का प्रबंधन सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक जोखिम रजिस्टर के माध्यम से किया जाता है। चलनिधि जोखिम को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जुटाने सहित विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाता है और एक व्यवस्थित परिसंपत्ति देयता

प्रबंधन ढांचे और सुपरिभाषित हेजिंग नीतियों के माध्यम से बाजार जोखिम का शमन किया जाता है।

कंपनी की एक बोर्ड-स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति है जो इस क्षेत्र में विकास की निगरानी करती है और आवश्यकता पड़ने पर, अपनी सिफारिशें करती है। कंपनी में जोखिम को कम करने में सहायता के लिए कार्यपालक निदेशक स्तर का एक मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया और आरबीआई की अपेक्षाओं के अनुरूप जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा भी कार्यान्वित की जाती है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने सीएसआर पहलों के माध्यम से सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी। राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के साथ, आरईसी ने वैधानिक प्रावधानों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता को पार करते हुए विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर ₹210 करोड़ से अधिक का उल्लेखनीय व्यय किया। हमने स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, उद्यमिता कार्यक्रम आदि जैसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया है।

समावेशी विकास को अपनाते हुए, आपकी कंपनी ने ओडिशा में गजपति, मिजोरम में ममित, नागालैंड में किफिरे, बिहार में मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, मणिपुर में चंदेल और सिक्किम में पश्चिम सिक्किम जैसे आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण परियोजनाएं प्रायोजित कीं।

हमने एथलेटिक्स, बैडमिंटन और बॉक्सिंग, जिसमें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) भी शामिल है, को कवर करते हुए तीन वर्ष की अवधि में ₹100 करोड़ की राशि से भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) में भी सहयोग किया है। देश के लिए पदक जीतने के लिए युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका पोषण करना इस योजना के उद्देश्यों में से एक है।

समझौता ज्ञापन रेटिंग एवं पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी को बहुत से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें कंपनी की प्रचालन दक्षता और वित्तीय सामर्थ्य के लिए प्रतिष्ठित “महारत्न” का दर्जा भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए समझौता-ज्ञापन के संदर्भ में कंपनी का प्रदर्शन उत्कृष्ट होने की संभावना है, जो डीपीई द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अधीन है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय सेवा श्रेणी में ‘सर्वश्रेष्ठ पीएसयू’ और इन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा ‘सर्वश्रेष्ठ नवरत्न’ के रूप में भी सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसे ‘कॉर्पोरेट अभिशासन’ में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार गोल्डन पीकॉक, प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में ‘बेस्ट पब्लिक सेक्टर आईटी प्रोजेक्ट’ पुरस्कार और 12वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों में ‘ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस’ सम्मान प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता को ग्रीन रिबन चैंपियंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।

भावी पथ

यूक्रेन में युद्ध के बाद वैश्विक व्यवधान के बीच 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलेपन का प्रदर्शन किया और 7% की वृद्धि दर्ज की, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। वर्ष 2022 की शुरुआत में ओमीक्रॉन की लहर के भय को छोड़कर, वर्ष के अधिकांश भाग में कोविड-19 काफी सीमा तक अवनति पर था, जिससे उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास की बहाली और संपर्क-गहन गतिविधियों में भी मदद मिली। ठोस व्यापक आर्थिक नीतियों, वस्तुओं की अपेक्षाकृत कम कीमतों, एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र, एक मजबूत कॉर्पोरेट क्षेत्र, सरकारी व्यय की गुणवत्ता



पर निरंतर राजकोषीय नीति बल और आपूर्ति श्रृंखलाओं के वैश्विक पुनर्गठन से उत्पन्न नए विकास के अवसरों के परिणामस्वरूप, आरबीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.4% वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान के परिप्रेक्ष्य में, मुद्रास्फीति का दबाव कम होने के परिवेश में भारत की विकास गति वर्ष 2023-24 में उज्ज्वल दिखती है।

भले ही देश की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक हो गई है, लेकिन भविष्य में विकास को गति देने के लिए यहां विश्व में सबसे युवा मानव संसाधन है। ईवाई द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट, “INDIA@100” में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2047 तक, जो “अमृत काल” की अवधि है, भारत की अर्थव्यवस्था 6-6.4% की सीमा में बढ़ती रहेगी, जब तक भारत 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

स्वच्छ और हरित ऊर्जा में ऊर्जा परिवर्तन से देश में विद्युत क्षेत्र में बड़े निवेश की उम्मीद है, जिससे आरईसी के लिए एक आशाजनक भविष्य संभव हो सकेगा। नवंबर 2021 में ग्लासगो, यूके में सीओपी26 में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के बारे में घोषणा की। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2022 में, भारत ने वर्ष 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संस्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाते हुए, पेरिस समझौता (2015) के हिस्से के रूप में, अपने निर्धारित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतन किया है।

सीईए की ऑप्मिल जेनरेशन मिक्स रिपोर्ट के अनुसार, कुल संस्थापित क्षमता वर्ष 2023 के अंत तक 415.50 गीगावॉट के स्तर से बढ़कर वर्ष 2030 तक 819 गीगावॉट तक पहुंचने की उम्मीद है। गैर-जीवाश्म क्षमता 179 गीगावॉट के वर्तमान स्तर से बढ़कर 500 गीगावॉट तक हो जाने की संभावना है। संबंधित पारेषण और वितरण अवसंरचना की क्षमता वृद्धि और आवश्यकताओं से निवेश परिदृश्य में वृद्धि होते रहने की संभावना है।

देश द्वारा निवल-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधि की आवश्यकता के लिए विभिन्न आशाजनक अनुमान लगाए गए हैं। सीईईडब्ल्यू द्वारा भारत के वर्ष 2070 निवल-शून्य लक्ष्य के लिए निवेश आकार निर्धारण रिपोर्ट में, भारत को वर्ष 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 10.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (~ ₹828 लाख करोड़) के संचयी निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें भारत के विद्युत क्षेत्र के कायाकल्प के लिए 8.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश, हरित हाइड्रोजन क्षमता के लिए 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश और ई-मोबिलिटी के लिए शेष निवेश की आवश्यकता होगी। इसी अवधि के लिए, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट “मिशन 2070: ए ग्रीन न्यू डील फॉर ए नेट जीरो इंडिया” में 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (~ ₹1,230 लाख करोड़) के निवेश अवसर का अनुमान लगाया है, जिसमें ऊर्जा परिवर्तन के लिए 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर; डीकार्बोनाइजिंग उद्योग के लिए 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और मोबिलिटी, हरित भवन, कृषि और संबंधित कारकों के लिए शेष 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है।

अगले 10 वर्षों के लिए, नवीनतम राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन विस्तार योजना) ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक संस्थापित क्षमता, 57% गैर-जीवाश्म क्षमता के साथ 610 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी और वित्तीय वर्ष 2031-32 तक इसके 68% गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी के साथ 900 गीगावॉट तक पहुंचने की उम्मीद है। यह अकेले उत्पादन क्षेत्र के लिए वर्ष 2032 तक ₹33.60 लाख करोड़ की निधियों की आवश्यकता को दर्शाता है। इसमें से ₹14.54 लाख करोड़ वित्तीय वर्ष 2022-27 के दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए और शेष ₹19.06 लाख करोड़ उससे अगले पांच वर्षों के लिए अनुमानित है।

एक महारत्न सीपीएसयू और एक अग्रणी एनबीएफसी के रूप में, आरईसी विद्युत क्षेत्र को वित्तपोषित करने के लिए सरकार के सामरिक भागीदार के रूप

में काम करते हुए और साथ ही सरकार द्वारा ऊर्जा परिवर्तन पर दिए गए जोर का लाभ उठाकर और आगामी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं (सौर, पवन, बायोमास, जलविद्युत) का वित्तपोषण; सौर पार्क, सौर एसईजेड, सौर पंप-सेट, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ईवी / चार्जिंग अवसंरचना, आदि का वित्तपोषण करके वर्ष 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में देश की यात्रा में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

व्यापक अधिदेश के आलोक में, आरईसी ने पहले ही हवाई अड्डों, मेट्रो रेल, राजमार्गों, ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कोल्ड चेन, बंदरगाहों, हेल्थकेयर अवसंरचना आदि जैसे उप-क्षेत्रों का पता लगाना/वित्तपोषण करना शुरू कर दिया है। ऋण पोर्टफोलियो के परिणामस्वरूप कंपनी, विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता कम करने और क्षेत्र से जुड़े जोखिमों को कम करने में सक्षम हुई है।

उपरोक्त के बावजूद, आरईसी नवाचार को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने और कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

आभार

अपने शब्दों को विराम देते हुए, मैं माननीय कैबिनेट मंत्री, विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत) और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारीगण को उनके निरंतर समर्थन और दूरदर्शी मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, धारक कंपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों के अधिकारियों का उनके सहयोग के लिए आभारी हूँ।

इसके अतिरिक्त, मैं, कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने प्रयासों में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, रजिस्ट्रार और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों को धन्यवाद देता हूँ।

आरईसी की सफलता मुख्य रूप से हमारे हितधारकों के विश्वास और सद्भावना पर आधारित है और इसके लिए, मैं दूरदर्शी राज्य सरकारों, राज्य विद्युत संस्थाओं और निजी क्षेत्र के ओजस्वी उद्यमियों सहित सभी शेयरधारकों, डिबेंचर-धारकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं और ग्राहकों को धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों का उनकी विलक्षण अंतर्दृष्टि और संपूर्ण आरईसी कार्यबल की अदम्य भावना के लिए बहुत आभारी हूँ। आपके बहुमूल्य योगदान के साथ, हम आरईसी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक रोमांचक सफर की ओर अग्रसर हैं। धन्यवाद और जय हिंद!

शुभकामनाओं सहित,



विवेक कुमार देवांगन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 11 अगस्त, 2023



सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आरईसी लिमिटेड (“आरईसी” अथवा “कंपनी”) (सीआईएन: L40101DL1969GOI005095) की चौवनवीं (54वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) निम्नलिखित कार्य निष्पादन के लिए **दिनांक 6 सितंबर, 2023, बुधवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे** भारतीय समयानुसार (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी:

साधारण कार्य

मद संख्या 1: निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष का कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और अंगीकृत करना।

मद संख्या 2: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहले और दूसरे अंतरिम लाभंश के भुगतान की पुष्टि करना और कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभंश घोषित करना।

मद संख्या 3: श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन: 02772733) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

मद संख्या 4: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 5: गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री नारायणन तिरुपति (डीआईएन: 10063245) की नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 152, 161, 196 और अन्य लागू उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1 ग) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू उपबंधों और/या किसी भी अन्य लागू कानून (तत्समय प्रवृत्त किसी भी सांविधिक संशोधन, आशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद और दिनांक 3 मार्च, 2023 के विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के आदेश के अनुसरण में, श्री नारायणन तिरुपति (डीआईएन: 10063245), जिन्हें 6 मार्च, 2023 से बोर्ड में अपर निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के पद पर नियुक्त किया गया था) और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अधीन निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को एतद्वारा स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर, चक्रानुक्रम (रोटेशन) द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।”

मद संख्या 6: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में श्री मनोज शर्मा (डीआईएन: 06822395) की नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 152, 161 और अन्य लागू उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1 ग) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू उपबंधों और/या किसी भी अन्य लागू कानून (तत्समय प्रवृत्त किसी भी सांविधिक संशोधन, आशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के अंतर्नियम और दिनांक 11 जुलाई, 2023 के विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के आदेश के अनुसरण में, श्री मनोज शर्मा (डीआईएन: 06822395), जिन्हें 11 जुलाई, 2023 से बोर्ड में अपर निदेशक (पीएफसी के नामित निदेशक) के पद पर नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को कंपनी के निदेशक (पीएफसी के नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर, चक्रानुक्रम (रोटेशन) द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।”

मद संख्या 7: कंपनी की समग्र उधार सीमा में बढ़ोतरी करना।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा इसक (इनके) बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने के लिए:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी द्वारा इस संबंध में पारित पूर्ववर्ती संकल्प का अधिक्रमण करते हुए और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (तत्समय प्रवृत्त, किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या इसके पुनः अधिनियमन (नौ) सहित) तथा किसी भी अन्य लागू कानून और कंपनी के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद के उपबंधों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मण्डल (“बोर्ड”) को कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से, कंपनी की समग्र उधार सीमा को भारतीय रुपये में ₹4,50,000 करोड़ से ₹6,00,000 करोड़ तक तथा किसी विदेशी मुद्रा में 16 बिलियन अमरीकी डॉलर से 20 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने और समय-समय पर, अपने विवेक पर, प्रतिभूति के साथ या इसके बिना और ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर ऐसी धनराशि या धनराशियां, जो बोर्ड उचित समझे, उधार लेने के लिए, शेयरधारकों की सहमति इस बात के होते हुए भी प्रदान की जाती है कि कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा) के साथ उधार ली जाने वाली धनराशि कंपनी की कुल संदत्त पूंजी और उसके मुक्त आरक्षितों के योग से अधिक होते हुए भी, बशर्ते कि किसी भी समय किसी भी विदेशी मुद्रा में उधार ली गई और बकाया राशि कुल 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर (बीस बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) के बराबर राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए और भारतीय रुपये में ₹6,00,000 करोड़ (छह लाख करोड़ रुपये मात्र) तक ही होनी चाहिए।”

“इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मण्डल (निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत गठित किसी भी समिति या निदेशक मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित किसी भी प्राधिकरण सहित) को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो उपरोक्त संकल्प को अमल में लाने के लिए आवश्यक हो।”

मद संख्या 8: कंपनी की सभी या किसी भी चल और/या अचल संपत्ति को गिरवी और/या उत्तरदायित्व का सृजन करना ।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:-

“संकल्प किया जाता है कि इस संबंध में कंपनी द्वारा पारित पूर्व संकल्प का अधिक्रमण करते हुए और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014



(तत्समय प्रवृत्त, किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या इसके पुनः अधिनियमन सहित) तथा किसी भी अन्य लागू कानून और कंपनी के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद के उपबंधों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) और किसी अन्य लागू उपबंध, यदि कोई हो, के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मण्डल (“बोर्ड”) को कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 और इस संबंध में पालन की जाने वाली किसी भी अन्य सांविधिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए समय-समय पर निधियां, जो भारतीय में ₹6,00,000 करोड़ (छह लाख करोड़ रुपये मात्र) से और किसी भी विदेशी मुद्रा में 20 बिलियन अमरीकी डॉलर (बीस बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी, उधार लेने के लिए कंपनी की कहीं भी स्थित किसी भी चल और / या अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों, वर्तमान और भावी, दोनों पर और संपूर्ण कंपनी या मूल रूप से कंपनी के सम्पूर्ण उपक्रम या उपक्रमों पर, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड कंपनी के लाभ के लिए उचित समझे, और जिन पर बोर्ड और ऋणदाता सहमत हों, किसी बैंक, वित्तीय संस्थानों, किराया खरीद/पट्टा कंपनियों, कॉर्पोरेट निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में उत्तरदायित्व, दृष्टिबंधक, सृजित करने के लिए शेयरधारकों की सहमति दी जाती है।”

“इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया गया कि कंपनी के निदेशक मण्डल (निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत गठित किसी भी समिति या निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किसी भी प्राधिकरण सहित) को ऐसे सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो उपरोक्त संकल्प को अमल में लाने के लिए आवश्यक हों।

मद संख्या 9: प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:-

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन (नौ) सहित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2021 और उसके किसी भी संशोधन सहित किसी अन्य लागू कानून तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अन्य लागू विनियम और दिशानिर्देश, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र/निदेश/दिशानिर्देश, कंपनी के अंतर्नियम और बहिर्नियम के उपबंधों तथा और यथालागू आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अध्यक्षीन और ऐसे अन्य अनुमोदन, अनुमति और संस्वीकृति, जो आवश्यक हो, जिसमें किसी भी मौजूदा ऋणदाता / डिबेंचर धारकों के न्यासी का अनुमोदन शामिल

है, यदि समझौते/विलेख की शर्तों के तहत आवश्यक हो तथा ऐसी शर्तों और संशोधनों के अध्यक्षीन, जो ऐसे अनुमोदन, अनुमति और संस्वीकृति प्रदान करते समय उनमें से किसी द्वारा निर्दिष्ट की गई हों या अधिरोपित की गई हों, जिन पर कंपनी के निदेशक मण्डल (“बोर्ड”) या बोर्ड की किसी भी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सहमति व्यक्त की गई हो, के अनुसरण में, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), उद्यम पूंजी कोष, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान, कॉर्पोरेट निकाय, कंपनियां, निजी या सार्वजनिक या अन्य संस्थाएँ, प्राधिकरण सहित पात्र निवेशकों (चाहे निवासी और/या अनिवासी और/या संस्थान/निगमित निकाय और/या व्यक्ति और/या न्यासी और/या बैंक या अन्यथा, घरेलू और/या एक या उससे अधिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में) सहित बोर्ड (या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है) द्वारा अपने विवेकानुसार यथाविहित ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो कंपनी के बॉण्ड/डिबेंचर धारक हो भी सकते हैं और नहीं भी, और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, एकल या समूह के रूप में, एक या अधिक किशतों में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से और ग्रीन-शू विकल्प के प्रयोग (यथोक्त, ₹1,05,000 करोड़ की कुल सीमा के भीतर), यदि कोई हो, सहित ऐसे निबंधनों पर, जो लागू दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जाए, अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक या अधिक किशतों में ₹1,05,000 करोड़ तक की धनराशि जुटाने के लिए एतद्वारा शेयरधारकों की सहमति दी जाती है।

“इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया गया कि अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर के किसी भी निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मण्डल (“बोर्ड”) या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण को, निवेशकों के वर्ग, जिन्हें बॉण्ड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक किशत में आवंटित किए जाने वाले बॉण्ड/डिबेंचर की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गम की मात्रा, बॉण्ड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को निर्गम मूल्य पर छूट, सूचीबद्धता, निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक कोई घोषणा/शपथपत्र आदि जारी करने सहित निर्गम की शर्तें निर्धारित करने और ऐसे सभी कृत्य, कार्य और कार्रवाई करने और निष्पादित करने, जो तत्समय लागू किसी भी अन्य नियामक आवश्यकता के तहत आवश्यक हो, के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते आरईसी लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ

कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

दिनांक : 11 अगस्त, 2023

स्थान : आरईसी वैश्विक मुख्यालय

प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम,
हरियाणा – 122001



टिप्पणियां

- कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसरण में, सूचना की मद क्रम सं. 5 से 9 के तहत कारोबार के संबंध में उल्लिखित वास्तविक तथ्यों के लिए स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है। कंपनी के निदेशक मण्डल ने 9 मार्च 2023, 26 जुलाई 2023 और 14 जुलाई 2023 के परिपत्र संकल्प के माध्यम से यह विचार किया कि सूचना के क्रम संख्या 5 से 9 में विशेष/साधारण कारोबार की मदें, स्वरूप में अपरिहार्य होने के कारण, कंपनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक में लेनदेन की जाएंगी।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 8 अप्रैल, 2020 ("एमसीए परिपत्र") और सेबी के दिनांक 05 जनवरी, 2023, 13 मई, 2022, 15 जनवरी 2021 और 12 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए अन्य संबंधित परिपत्र के अनुसरण में तथा अधिनियम के प्रावधानों और सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 "सेबी (एलओडीआर) विनियम", के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए आयोजित की जा रही है एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना। 54वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय समझा जाएगा।
- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फार्म और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट देने, 54वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लिए की जाएगी।
- 54वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के लिए भाग लेने में सदस्यों की भागीदारी की उपस्थिति अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन से गिनी जाएगी।
- संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक ही एजीएम में भाग लेंगे जो नामों के क्रम में ऊपर होगा वह वोट देने का हकदार होगा।
एमसीए एवं सेबी के उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक रिपोर्ट के साथ 54वीं एजीएम की नोटिस ऐसे सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजे जा रहे हैं, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के पास दर्ज हैं। वार्षिक रिपोर्ट के साथ – साथ सूचना भी कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर तथा साथ ही नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
कंपनी ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और कंपनी के अन्य अपडेट्स के लिए अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने / अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए थे।
ऐसे शेयरधारक, जो अभी भी अपने ई-मेल पते अद्यतन नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस सूचना में दिए गए संकल्पों पर ई-मेल पते दर्ज कराने और ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नीचे दी

गई प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा:

- यदि शेयरों को डीमैट फॉर्म में रखा गया है तो कृपया डीपी आईडी क्लाइंट आईडी (16 डिजिटल का डीपी क्लाइंट आईडी अथवा 16 डिजिटल का लामार्थी आईडी), धारक के नाम का उल्लेख करते हुए complianceofficer@recl.in पर ई-मेल भेजें, साथ में क्लाइंट मास्टर लिस्ट/डीमैट एकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति भेजें।
 - यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया है तो कृपया फोलियो नं., नाम का उल्लेख करते हुए शेयर प्रमाण-पत्रों (सामने और पीछे की ओर से), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति complianceofficer@recl.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजें।
- कंपनी के सभी सदस्यों व संस्थागत निवेशकों को एजीएम में भाग लेने और एजीएम में कार्य के लिए मदों पर वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 113 के अनुसरण में एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों/संस्थागत निवेशकों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के संकल्प/प्राधिकार पत्र की एक प्रमाणित प्रति जांचकर्ता को एक प्रति के साथ hemantsinghcs@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।
 - जैसा कि नोटिस में बताया गया है, कंपनी ने 54वीं एजीएम में किए जाने वाले कार्यों की मदों के संबंध वोट देने की पात्रता निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि 30 अगस्त 2023, बुधवार निर्धारित की है।
कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सूचना देकर कंपनी का सदस्य बनता है और निर्धारित तारीख को शेयर धारित करता है, वह EVOTING@NSDL.CO.IN पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत है तो वोट करने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। कोई शेयरधारक, अपनी शेयरधारिता इस प्रकार दर्शाता है कि वह निर्धारित तारीख की स्थिति के अनुसार एक सदस्य नहीं है, तो वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।
 - सीएस हेमंत कुमार सिंह (एफसीएस नंबर 6033), हेमंत सिंह और एसोसिएट्स की ओर से प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, को 54वीं एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा दिए गए वोटों को जांचने के लिए एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वो सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकें। ऐसे शेयरधारक, जो रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना मत नहीं देते, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना मत दे सकते हैं।
एनएसडीएल ई-वोटिंग की सुविधा, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 54वीं एजीएम में भागीदारी और 54वीं एमजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 3 सितंबर, 2023, रविवार (09.00 बजे) को शुरू



होगी और दिनांक 5 सितंबर, 2023, मंगलवार (17.00 बजे) को समाप्त होगी। एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को इसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्य 54वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग ले सकते हैं, जिसे सदस्यों के लिए 6 सितंबर, 2023, को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 10:45 बजे अर्थात् शुरू होने से निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खोला जाएगा और कंपनी द्वारा एजीएम की तिथि को शुरू होने के निर्धारित समय अर्थात् पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद 30 मिनट वीसी/ओएवीएम सुविधा लेने के लिए वीडो को बंद किया जाएगा।

कृपया ई-वोटिंग, 54वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी एसोसिएशन के अनुच्छेद 114 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दो बार अंतरिम लामांश घोषित और भुगतान किया नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:-

क्र. सं.	विवरण	प्रति इक्विटी शेयर राशि (₹)	घोषणा की तिथि	भुगतान की तिथि
1.	प्रथम अंतरिम लामांश	5.00	27 अक्तूबर, 2022	24 नवंबर, 2022
2.	द्वितीय अंतरिम लामांश	3.25	30 जनवरी, 2023	28 फरवरी, 2023

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 24 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹4.35 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लामांश की सिफारिश की थी और इस पर सदस्यों द्वारा उक्त लामांश, यदि अनुमोदित हो, की सिफारिश की गई थी, इस वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा, कंपनी की 54वीं एजीएम की तारीख से तीस दिनों के भीतर सदस्यों को या उनके आदेश के अनुसार भुगतान किया जाएगा। जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि यानी **शुक्रवार, 14 जुलाई, 2023** को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

वित्तीय अधिनियम, 2020 के अनुसार लामांश आय शेयरधारकों के पास अब कर योग्य है और कंपनी को आय कर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर सदस्यों को लामांश से स्रोत पर कटौती ("टीडीएस") अपेक्षित है। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लामांश के संबंध में टीडीएस की आवश्यकता के साथ अनुपालना करने के लिए, सदस्यों को वार्षिक आधार पर 15जी/15एच फॉर्म प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है और पैन, आय कर अधिनियम के अनुसार श्रेणी के विवरण अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के पास अथवा वास्तविक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी/आरएंडटीए के पास अद्यतन करने होंगे ताकि स्रोत पर कर, यदि कोई हो, तो भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लामांश के भुगतानों के संबंध में लागू दरों पर कटौती की जा सके।

- नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की मांग के लिए निदेशक (निदेशकों) का संक्षिप्त बायोडाटा, जैसा कि सेबी के विनियमन 36 के तहत आवश्यक है (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015} इसके साथ संलग्न है और नोटिस का

हिस्सा है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार एक आम बैठक (एजीएम) में अथवा कंपनी द्वारा आम बैठक में या ऐसे तरीके से जिसे कंपनी एक सामान्य बैठक में निर्धारित किया जाएगा

कंपनी की 53वीं एजीएम में, जो दिनांक 16 सितंबर, 2022 को आयोजित की गई थी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर निर्धारित करने और अनुमोदित करने के लिए शेयरधारकों द्वारा निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मण्डल ने 58,00,000 रुपये (अठ्ठावन लाख रुपये मात्र) लागू कर का पारिश्रमिक भुगतान करने का अनुमोदन किया जिसे सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात् मैसर्स ओ. पी. बागला एंड कंपनी, एलएलपी, सनदी लेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बराबर वितरित किया जाना था। बोर्ड ने यह भी अनुमोदित किया कि उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को वास्तविक तर्कसंगत आउटस्टेशन लेखापरीक्षा कार्य के लिए यात्रा भत्ते और आउट ऑफ पॉकेट व्यय का भुगतान किया जाएगा, जो सीएमडी/निदेशक (वित्त) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जानी है। इसके अलावा सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपयुक्त पाए जाने पर कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल को अधिकृत करने का अनुरोध किया गया है।

- सेबी सभी शेयरधारकों को डीमैट स्वरूप में अपने शेयर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे वास्तविक शेयर प्रमाण पत्रों की क्षति/खोने और धोखाधड़ी के मामलों की संभावना समाप्त हो जाती है तथा इससे शेयरों का पेपरलेस व्यापार आसान तथा सुविधाजनक बन जाता है। इसके अतिरिक्त, डीमैट स्वरूप में धारित शेयरों के अंतरण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। इस संबंध में, सेबी ने पहले निर्धारित किया था कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को एक डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, सेबी ने 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के माध्यम से निर्धारित करने के लिए उप-विभाजन/विभाजन/समेकन/ट्रांसमिशन/स्थानांतरण और डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने जैसे निवेशक सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल अभौतिक रूप में प्रतिभूतियों के लिए विस्तृत प्रक्रिया जारी किया। तदनुसार, हमारा आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी शेयरधारिता को भौतिक रूप से डीमैट रूप में यथाशीघ्र परिवर्तित करें। इसके अलावा, 16 मार्च, 2023 के सेबी परिपत्र के संदर्भ में, कंपनी ने 29 मई, 2023 को पत्र के माध्यम से भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाते और नामांकन विवरण प्रस्तुत करने/अपडेट करने के लिए और उक्त सूचना भी प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को भेज दी गई है।

- चूंकि सेबी ने निवेशकों को नकद भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम का उपयोग किया है, इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली



(एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)/ सीधे जमा करने के आदेश अथवा उनमें परिवर्तन प्रस्तुत करें ताकि कंपनी एनईसीएस/एनईएफटी/सीधे जमा करने/वारंट के माध्यम से लाभांश का भुगतान कर सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म आरएंडटीए को **अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, यूनिट: आरईसी लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055** के पते पर भेज सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, वे एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म सीधे उनके जमाकर्ता भागीदार (डीपी) को भेज सकते हैं जिन्होंने पहले ही एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म पूरे ब्यौरों के साथ कंपनी/आरएंडटीए/डीपी को भेज दिए हैं।

16. ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट इसकी वैधता अवधि के भीतर प्राप्त हुए हैं / नकदीकरण नहीं कराया है, वे कंपनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में अथवा कंपनी के आरएंडटीए को वारंट को पुनः वैध कराने अथवा ऐसे वारंट के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करने के लिए लिख सकते हैं।
17. कंपनी अधिनियम, 2013 और निदेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन लेखापरीक्षा, अंतरण एवं अदायगी) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार में, कंपनी के पास पड़ी बिना भुगतान की और अदावाकृत राशि के अपेक्षित ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा, धनराशि एवं शेयरों के निवेशक-वार ब्यौरे, जो पहले ही कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं, कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अदावाकृत अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः अक्तूबर, 2023 और मार्च, 2024 में आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय होंगे।

18. कंपनी में अपनी शेयर धारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अधीन था अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से

अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 में यथा निर्धारित प्रपत्र एसएच-13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को लिखें। खाली नामांकन प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-no-SH-13.pdf> पर उपलब्ध है।

यदि शेयरों को डिमैटीरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है तो नामांकन प्रपत्र को संबंधित डीपी को सीधे भेजा जा सकता है।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सांविधिक रजिस्टर और नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज, सदस्यों द्वारा इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात् 6 सितंबर 2023 तक बिना किसी शुल्क के, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे निरीक्षण करें complianceofficer@recl.in पर कंपनी को एक ई-मेल भेजें।
20. इस बैठक की कार्यवाही की किसी मद के संबंध में कोई भी सूचना चाहने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए ई-मेल एजीएम की तारीख से कम से कम सात दिनों पहले complianceofficer@recl.in पर भेजें और इसका कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।
21. संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग समाप्त होने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक में दिए गए वोटों का आकलन करेंगे और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग के जरिए दिए गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और एक समेकित संवीक्षा की रिपोर्ट तैयार करके उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।
22. वोटिंग का परिणाम, जिसमें संकल्प के पक्ष में या विपक्ष में डाले गए वोटों की संख्या, अमान्य वोटों की संख्या और संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ यह बताया जाएगा कि क्या संकल्प पारित हुए अथवा नहीं, उन्हें कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) पर और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर अपलोड किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर आरईसी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी निर्धारित समय के भीतर भेजा जाएगा। इसके अलावा, यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए हैं तो उन्हें 54वीं एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

निम्नलिखित विवरण में नोटिस में निर्धारित विशेष कारोबार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

मद संख्या 5

आरईसी, एक सरकारी कंपनी है और इसके अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से कंपनी के अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ ही उपाध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार है।

तथापि, 17 जनवरी, 2023 से, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम के विनियम 17(1ग) के अनुसार, प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी निदेशक मण्डल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन सुनिश्चित करेगी।

विद्युत मंत्रालय ने 3 मार्च, 2023 के अपने आदेश के तहत श्री नारायणन तिरुपति (डीआईएन: 10063245), को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आरईसी के अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, सांविधिक उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मण्डल ने, शेयरधारकों की मंजूरी के अध्यक्षीन, 6 मार्च, 2023 से श्री नारायणन तिरुपति को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन दिया है। इसके अतिरिक्त, उनका कार्यकाल 2 मार्च, 2026 (अर्थात् उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष) तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सचिव-विषयक मानक-2 के संदर्भ में श्री नारायणन तिरुपति का संक्षिप्त विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) और लागू सांविधिक उपबंधों के अनुसार, श्री नारायणन तिरुपति चक्रानुक्रम (रोटेशन) द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, विद्युत मंत्रालय के आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगे।

श्री नारायणन तिरुपति, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और श्री तिरुपती प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और उन्होंने घोषणा की है कि उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से वंचित नहीं किया गया है; और यह कि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, वह कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है। अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए कंपनी को एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है।

इस सूचना के परिचालित होने की तारीख से वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस व्यवसाय प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मण्डल ने 9 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस नोटिस की मद संख्या 5 पर विशेष प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की है।

श्री नारायणन तिरुपति को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा के अलावा, यदि कोई हो, उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री नारायणन तिरुपति को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त करने के लिए इस नोटिस के मद संख्या 5 में निहित विशेष संकल्प को पारित करते हुए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 6

आरईसी, एक सरकारी कंपनी है और इसके अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से कंपनी के अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ ही उपाध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार है। तथापि, 17 जनवरी, 2023 से, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम के विनियम 17(1ग) के अनुसार, प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी निदेशक मण्डल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन सुनिश्चित करेगी।

विद्युत मंत्रालय ने 11 जुलाई, 2023 के अपने आदेश के तहत श्रीमती परमिंदर चोपड़ा के स्थान पर श्री मनोज शर्मा (डीआईएन: 06822395) को नियुक्त किया है। श्री मनोज शर्मा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक (वाणिज्य) के रूप में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 11 जुलाई, 2023 से कंपनी के अपर निदेशक (पीएफसी के नामांकित निदेशक) के रूप में श्री मनोज शर्मा की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सचिव-विषयक मानक-2 के संदर्भ में श्री मनोज शर्मा का संक्षिप्त विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, श्री मनोज शर्मा, चक्रानुक्रम (रोटेशन) द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, विद्युत मंत्रालय के आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगे।

श्री मनोज शर्मा, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और उन्होंने घोषणा की है कि उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से वंचित नहीं किया गया है; और यह कि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, वह कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है। अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए कंपनी को एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है।

इस सूचना के परिचालित होने की तारीख से वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस व्यवसाय प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मण्डल ने दिनांक 11 जुलाई, 2023 से श्री मनोज शर्मा की नियुक्ति के प्रस्ताव को परिचालन के माध्यम से अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस नोटिस की मद संख्या 5 पर साधारण प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की है।

श्री मनोज शर्मा को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा के अलावा, यदि कोई हो, उक्त साधारण संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री मनोज शर्मा को कंपनी के निदेशक (पीएफसी के नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त करने के लिए इस नोटिस के मद संख्या 6 में निहित साधारण संकल्प को पारित करते हुए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 7

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसरण में, कंपनी का निदेशक मण्डल, कंपनी की सहमति से एक विशेष संकल्प पारित करके, कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि के साथ कंपनी की संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षितों से अधिक धनराशियां उधार ले सकेगा।

इस संबंध में, कंपनी के सदस्यों ने 16 सितंबर, 2022 को आयोजित 53वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करके, कंपनी के निदेशक मण्डल को भारतीय रुपए में कुल ₹4,50,000 करोड़ तक की कंपनी की समग्र उधार सीमा को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया था और किसी भी विदेशी मुद्रा में धनराशि उधार लेने की सीमा को 12 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 16 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया था।

उपरोक्त में से, 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, उधार लेने की उपलब्ध सीमा भारतीय रुपये में ₹1,69,248 करोड़ और विदेश मुद्रा में 4.58 बिलियन अमरीकी डॉलर थी, जो कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। इसलिए, भारतीय रुपये में उधार सीमा के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में उधार सीमा में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह देखते हुए कि भारतीय रुपये में और विदेशी मुद्रा में अनुमानित उधारों के साथ वर्तमान बकाया उधार, भारतीय रुपये में ₹4,50,000 करोड़ और विदेशी मुद्रा में 16 बिलियन अमरीकी डॉलर की पूर्व अनुमोदित सीमा से अधिक होने की संभावना है, कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से उधार लेने की सीमा को भारतीय रुपये में ₹4,50,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹6,00,000 करोड़ करने और किसी भी समतुल्य विदेशी मुद्रा में 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 20 बिलियन

अमेरिकी डॉलर करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत सदस्यों की सहमति मांगी गई है।

इस व्यवसाय प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कंपनी के निदेशक मण्डल ने 26 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और इस नोटिस की मद संख्या 7 निहित विशेष संकल्प को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पारित किए जाने की सिफारिश की है।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का, कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी धारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में, कोई वित्तीय या अन्यथा, सरोकार अथवा हित नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस नोटिस की मद संख्या 7 में निहित विशेष संकल्प पारित करके, उधार सीमा में बढ़ोत्तरी के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 8

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित धारा 180(1)(क) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कोई कंपनी, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के बिना पोस्टल बैलेट के माध्यम से एक विशेष संकल्प के जरिए पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से पूरे उपक्रम या उपक्रमों की बिंद्री नहीं कर सकती हैं, पट्टे पर नहीं दे सकती है या अन्यथा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से निपटान नहीं कर सकती है। हालांकि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 9 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के अनुसार, पोस्टल बैलेट के माध्यम से सम्पादित किए जाने के लिए आवश्यक व्यवसाय की कोई भी मद, कंपनी द्वारा एक आम बैठक में सम्पादित की जा सकती है, जिसमें सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान की सुविधा प्रदान किया जाना अपेक्षित होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार, आरईसी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आम बैठक में संकल्पों पर मतदान करने में सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान कर रहा है। तदनुसार, कंपनी की सभी या किसी चल और/अथवा अचल परिसंपत्तियों पर रेहन और/या उत्तरदायित्व के सृजन के लिए विशेष संकल्प को इस वार्षिक आम बैठक में पारित किए जाने का प्रस्ताव है।

कंपनी के प्रचालन में काफी वृद्धि हुई है और कंपनी की बढ़ती निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी की अचल/चल परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति के सृजन द्वारा अतिरिक्त निधियां जुटाने की आवश्यकता है। चूंकि उत्तरदायित्व/रेहन का सृजन कंपनी के उपक्रमों के अन्यथा निपटान के समान है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के तहत एक विशेष संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है ।

इसलिए, कंपनी के निदेशक मण्डल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क), उसके तहत बनाए गए नियमों और इस संबंध में पालन की जाने वाली किसी भी अन्य सांविधिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुसार, कंपनी के व्यवसाय अथवा अन्यथा के उद्देश्य के लिए, भारतीय में ₹6,00,000 करोड़ और किसी भी विदेशी मुद्रा में 20 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर राशि का उधार लेने के लिए कंपनी की किसी भी चल और / या अचल परिसंपत्तियों, वर्तमान और भावी, दोनों पर उत्तरदायित्व/रेहन सृजित करने के लिए प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

इस व्यवसाय प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का, कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी धारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में, कोई वित्तीय

दिनांक: 11 अगस्त, 2023

स्थान: आरईसी वैश्विक मुख्यालय

प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001

या अन्यथा, सरोकार अथवा हित नहीं है।

कंपनी के निदेशक मण्डल ने 26 जुलाई, 2023 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस नोटिस की मद संख्या 8 पर विशेष संकल्प पारित करने की सिफारिश की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस नोटिस की मद संख्या 8 में निहित विशेष संकल्प पारित करके, सभी या किसी चल और / या अचल परिसंपत्तियों, पर उत्तरदायित्व/रेहन सृजित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 9

कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 18 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के उपबंधों के अनुसार, कोई कंपनी तब तक अपनी प्रतिभूतियों का निजी प्लेसमेंट नहीं करेगी, जब तक कि प्रतिभूतियों की प्रस्तावित प्रस्थापना या प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पहले ही प्रत्येक प्रस्थापना या निमंत्रण के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो। हालांकि, “असंपरिवर्तनीय डिबेंचर” के लिए प्रस्थापना या निमंत्रण के मामले में, यह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों की सभी प्रस्थापना (प्रस्थापनाओं) अथवा निमंत्रण (निमंत्रणों) के लिए किसी वर्ष में केवल एक बार पहले ही विशेष संकल्प पारित करती है।

अतः, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात् 5 सितम्बर, 2024 तक, एक या अधिक बार में, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनी के बॉण्ड / डिबेंचर धारक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, जैसा कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाए, ₹1,05,000 करोड़ तक के अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कंपनी को निधियां जुटाने में सक्षम बनाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, ₹1,05,000 करोड़ की उक्त सीमा इस वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित समग्र संशोधित उधार सीमा के भीतर होगी।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मण्डल (“बोर्ड”) या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित कोई समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण को निवेशकों, जिन्हें बॉण्ड/ डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, के वर्ग, प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले बॉण्ड/डिबेंचर की संख्या, निर्गमन मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गमन की राशि, बॉण्ड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को निर्गम मूल्य पर छूट, सूचीबद्धता, निजी प्लेसमेंट के प्रस्थापना पत्र में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक कोई घोषणा/शपथ आदि जारी करने सहित निर्गमन की शर्तों को निर्धारित करने और किसी भी अन्य विनियामक आवश्यकता के तहत ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

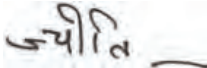
इस व्यवसाय प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का, कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी धारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में, कोई वित्तीय या अन्यथा, सरोकार अथवा हित नहीं है।

कंपनी के निदेशक मण्डल ने 26 जुलाई, 2023 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस नोटिस की मद संख्या 9 पर विशेष संकल्प पारित करने की सिफारिश की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस नोटिस की मद संख्या 9 में निहित विशेष संकल्प पारित करके, प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

निदेशक मण्डल के आदेश से कृते आरईसी लिमिटेड



जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव



सेबी एलओडीआर विनियम 2015 और सचिवीय मानक -2 के संदर्भ में, इस नोटिस में निर्धारित नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक (निदेशकों) का संक्षिप्त प्रोफाइल।

निदेशकों के नाम	श्री विजय कुमार सिंह	श्री नारायणन तिरुपति	श्री मनोज शर्मा
डीआईएन	02772733	10063245	06822395
जन्मतिथि	03 जून, 1965	01 जून, 1968	10 मार्च, 1966
उम्र	58 वर्ष	55 वर्ष	57 वर्ष
नियुक्ति की तारीख	15 जुलाई, 2022	06 मार्च, 2023	11 जुलाई, 2023
योग्यता	आईआईटी, रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।	मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री।	विधि की डिग्री (एलएलबी) के साथ सनदी लेखाकार
कौशल और क्षमताओं सहित विस्तृत प्रोफ़ाइल	श्री वी. के. सिंह 15 जुलाई 2022 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) हैं। पदोन्नति से पूर्व आप कंपनी में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। आपने आईआईटी, रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ली है और आपको भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपने 29 मार्च 2007 को आरईसी में कार्यभार ग्रहण किया, इससे पहले आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के साथ कार्य किया था। इसके अलावा, एमओपी ने अपने 10 अगस्त 2023 के पत्र के माध्यम से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के मौजूदा पद को निदेशक (परियोजना) के रूप में पुनर्गठित किया है। निदेशक (परियोजना) के रूप में, आप आरईसी के सभी तकनीकी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजना और इक्विटी अप्रेंजल, उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाएं, विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला अर्थात् उपकरण निर्माण, कोयला ब्लॉक वित्तपोषण आदि शामिल हैं, बंदरगाह, हवाई अड्डा, मेट्रो, अस्पताल, रिफाइनरी आदि जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण तथा संस्वीकृति, संवितरण एवं परियोजना निगरानी, कारोबार विकास, दबावग्रस्त परिसंपत्तियां प्रबंधन, कंपनी के विविधीकरण एवं समग्र कार्यप्रणाली सहित वित्तीय गतिविधियां संचालित करना। आप आरईसीआईपीएमटी के माध्यम से खरीद, कानूनी मामलों, आईटी प्रणाली और क्षमता निर्माण व्यवसाय के प्रमुख परिचालनगत क्षेत्रों के लिए भी उत्तरदायी हैं। आप सरकारी कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन प्रभाग का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको ट्रांसमिशन परियोजना विकास एवं प्रबंधन, टीबीसीबी प्रक्रिया, माल एवं सेवाओं की खरीद, ईएचवी सब-स्टेशन एवं ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण, वित्तीय पहलुओं जैसे बॉण्ड जारी करना, कमर्शियल पेपर, ईसीबी आदि में व्यापक अनुभव है।	नारायणन तिरुपति 35 वर्षों से अधिक समय से गरीब, दलित लोगों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और आप तमिलनाडु के एक लोकप्रिय टेलीविजन डिबेटर एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। श्री नारायणन तिरुपति एक सामाजिक मंच “थीरवु” के संस्थापक हैं, जिसका अर्थ है न्याय, जिसके माध्यम से आपने देश की सामाजिक-आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा की है और तमिलनाडु के लोगों के बीच सुशासन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है। आपको शांति, सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय के निर्माण में आपके अथाह योगदान के लिए जाना जाता है।	श्री मनोज शर्मा एक सनदी लेखाकार हैं और आपने कानून(एलएलबी) में डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में आप पीएफसी में निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत हैं। आपको विद्युत क्षेत्र में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पीएफसी में, उन्होंने संस्थागत मूल्यांकन और विकास, एंटीटी अप्रेंजल, कानूनी और दस्तावेज़ीकरण, कराधान, बजट, लेखापरीक्षा, वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तैयारी, वित्तीय विश्लेषण, संसाधन जुटाना, ऋण सिंडिकेशन और वित्तीय पर / विद्युत क्षेत्र में कारोबारिक पहलू परामर्श कार्य सहित कई क्षेत्रों और डोमेन को संभाला है। पिछले तीन दशकों के दौरान, आप पीएफसी की ऋण आस्तियों के पूरे स्पेक्ट्रम से जुड़े रहे हैं, जिसमें उधार नीतियां तैयार करना, मूल्यांकन का मार्गदर्शन करने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करना, वित्तीय विश्लेषण के लिए एक संरचित फार्मेट के साथ, लागू विनियामक और सांविधिक फ्रेमवर्क का अनुपालन, निगरानी स्थितियों, संवितरण की सुविधा, दबावग्रस्त खातों के लिए समाधान प्रणाली शामिल है। आप पीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं जो पीएफसी की अनुषंगी है,
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	श्री वी. के. सिंह को वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र की विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, कॉर्पोरेट आयोजना एवं कार्यनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, निदेशक मण्डल की प्रथाएं एवं अभिशासन, व्यवसाय विकास, पर्यावरण एवं सामाजिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है।	श्री नारायणन तिरुपति वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, कॉर्पोरेट योजना और रणनीति, नेतृत्व, बोर्ड प्रथाओं और शासन, कारोबार विकास, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त हैं।	श्री मनोज शर्मा वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, कॉर्पोरेट योजना और रणनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, बोर्ड प्रथाओं और शासन, कारोबार विकास, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त हैं।

नियुक्ति के नियम और शर्तें और भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक	श्री वी.के. सिंह को 180,000-340,000 (आईडीए) के वेतनमान में निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया है, उनके पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (15 जुलाई, 2022), उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्थात 30 जून, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 15 जुलाई, 2022 के एमओपी आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य आदेश (आदेशों) आदि द्वारा शासित होंगी।	उनकी नियुक्ति की नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी एमओपी आदेश दिनांक 3 मार्च 2022 और/अथवा किसी अन्य आदेश (ओं) आदि द्वारा शासित होंगी। वे निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार निदेशक मण्डल या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार है। इसके अलावा, हवाई टिकटों, होटलों में ठहरने, किराए पर सामान लेने, जेब से बाहर होने वाले खर्च, स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले खर्च के लिए भुगतान/प्रतिपूर्ति, निदेशक मण्डल या समिति की ऐसी बैठकों में भाग लेने के संबंध में हस्तांतरण इत्यादि का वहन आरईसी द्वारा किया जाएगा।	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2023 के पत्र द्वारा नामांकित। वह निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार निदेशक मण्डल या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार है। इसके अलावा, हवाई टिकटों, होटलों में ठहरने, किराए पर सामान लेने, जेब से बाहर होने वाले खर्च, स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले खर्च के लिए भुगतान/प्रतिपूर्ति, निदेशक मण्डल या समिति की ऐसी बैठकों में भाग लेने के संबंध में हस्तांतरण इत्यादि का वहन आरईसी द्वारा किया जाएगा।
लाभप्रद स्वामित्व सहित कंपनी में शेयरधारिता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उपस्थित निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या	15 जुलाई, 2022 से शुरू होने वाले उनके कार्यकाल के दौरान 8 में से 8 बोर्ड बैठक में भाग लिया ।	6 मार्च, 2023 से शुरू होने वाले उनके कार्यकाल के दौरान 2 में से 2 बोर्ड बैठकों में भाग लिया ।	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यथा नियुक्ति लागू नहीं
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की बैठकों में भाग लेने की संख्या	15 जुलाई, 2022 से शुरू होने वाले उनके कार्यकाल के दौरान 11 में से 11 समिति की बैठक में भाग लिया।	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य कंपनियों / सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक पद	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	लागू नहीं	- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड - पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड - झारखण्ड इन्फ्रापावर लिमिटेड - पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड - बिहार मेगा पावर लिमिटेड - देवघर मेगा पावर लिमिटेड
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं से त्यागपत्र दिया गया है, उनका विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आरईसी के अलावा अन्य सभी सार्वजनिक कंपनियों के लिए समिति की सदस्यता/अध्यक्षता	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड सीएसआर समिति (अध्यक्ष)	लागू नहीं	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड - जोखिम प्रबंधन समिति (सदस्य) - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सदस्य) - मानव संसाधन समिति (सदस्य) - निदेशक की निवेश समिति (सदस्य)
निदेशकों और केएमपी के मध्य संबंध	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।

सूचना का अनुबंध

सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 54वीं एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के निर्देश

क. 54वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के लिए अनुदेश

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 3 सितंबर 2023 (0900 बजे) से शुरू होकर मंगलवार, 5 सितंबर 2023 (1700 बजे) को समाप्त होगी। बाद में वोटिंग के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे सदस्य, जिनके नाम सदस्यों/लाभार्थियों के रजिस्टर में अभिलेख तारीख (कट-ऑफ) अर्थात् 30 अगस्त 2023 को दर्ज हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिकल रूप से वोट करने के लिए, दो चरण की प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है, जो इस प्रकार है:

चरण-1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुँच

क) डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि:-

सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मत देने की अनुमति है। शेयरधारकों को यह सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

(i) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन पद्धति
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- मौजूदा आईडीईएस उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर या तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर “लॉगिन” के तहत “बेनिफिशियल ओनर” आइकन पर क्लिक करें, जो ‘आईडीईएस’ सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्यवर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत “एक्सेस टू ई-वोटिंग” पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम अर्थात आरईसी लिमिटेड अथवा ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। - यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “आईडीएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें” चुनें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। - एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज शुरू होने के बाद, “लॉगिन” आइकन पर क्लिक करें जो ‘शेयरधारक / सदस्य’ सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम अर्थात आरईसी लिमिटेड अथवा ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। - निर्बाध मतदान अनुभव के लिए शेयरधारक / सदस्य नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप “एनएसडीएल स्पीड” सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्ट लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा माईईजी उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। - ईजी/ईजीस्ट के सफल लॉगिन के बाद, उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प भी देख सकेगा जहां ई-वोटिंग चल रही है। वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। - यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। - वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता होम पेज पर उपलब्ध लिंक https://www.cdslindia.com से डीमैट खाता नंबर और पैन संख्या प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जो कि डीमैट खाते में दर्ज है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई- वोटिंग सेवा प्रदाता) अर्थात एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, कृपया देखें कि क्या ई-वोटिंग का विकल्प उपलब्ध है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम अर्थात आरईसी लिमिटेड अथवा ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा।

टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क के ब्यौरे
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या आए, वे सदस्य EVOTING@NSDL.CO.IN पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या आए, वे सदस्य HELPDESK.EVOTING@CDSLINDIA.COM पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

ii) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले और वास्तविक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों (व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर) के लिए ई-वोटिंग और वरचुअल बैठक में शामिल होने हेतु लॉगिन पद्धति

- एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें: <https://www.evoting.nsdl.com>
- जब ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज शुरू हो जाए तो “लॉगिन” आइकन पर क्लिक करें जो ‘शेयरधारक/ सदस्य’ खंड में उपलब्ध है।

- एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड / ओटीपी और एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा, जैसाकि स्क्रीन पर दर्शाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज अर्थात आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने विद्यमान आईडीईएस लॉग-इन के साथ [HTTPS://ESERVICES.NSDL.COM/](https://eservices.nsdl.com/) पर लॉग-इन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉग-इन प्रमाणों का प्रयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन कर लेते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण-2 में जा सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत दें।

- एनएसडीएल ई-वोटिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का ब्यौरा। यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे दिए गए हैं:

शेयर धारण करने का ढंग, अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीएसडीएल) अथवा वास्तविक	यूजर आईडी
क) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास एनएसडीएल में डीमैट खाता है	8 अक्षरों की डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों के ब्यौरा की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए यदि आपके डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो फिर आपका यूजर आईडी आईएन300***12***** है।
ख) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास सीडीएसएल में डीमैट खाता है	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपका लाभार्थी आईडी 12***** है तो फिर आपका यूजर आईडी 12***** है।
ग) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास वास्तविक रूप में शेयर हैं	ईवीईएन संख्या के बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियो नं. 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो फिर यूजर आईडी 101456001*** है।

- व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:**
 - यदि आपका ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, निम्नलिखित का अनुसरण करें।

- यदि आप पहले से ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो फिर आप लॉग-इन करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।
- यदि आप अपनी “आरंभिक पासवर्ड” लेने में अक्षम हैं अथवा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
- यदि आपके एनएसडीएल अथवा सीएसडीएल में आपके डीमैट खाते में शेयर हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर “यूजर ब्यौरा/पासवर्ड भूल गए” विकल्प पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास शेयर भौतिक रूप में हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “फिजिकल यूजर रिसेट पासवर्ड” विकल्प पर क्लिक करें।
- यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड लेने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नं., पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉग-इन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
- अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके “निबंधन एवं शर्तों” से सहमत हूँ, पर निशान लगाएं।
- अब, आपको “लॉगिन” बटन पर क्लिक करना होगा।
- “लॉगिन” बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।



चरण-2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों

- चरण 1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को “ईवीईएन” देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र एवं सामान्य बैठक सक्रिय स्तर पर है।
- जिस कंपनी के लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं, उसका “ईवीईएन” चुनें। वरचुअल बैठक में शामिल होने के लिए, आपको “जॉइन जनरल मीटिंग” के तहत दिए गए “वीसी/ओएवीएम” लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आप मतदान पृष्ठ खुलने पर ई-वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।
- उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेंट का चयन कर अपना मतदान करें, शेयरों की संख्या सत्यापित करें/संशोधित करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहते हैं और “सबमिट” पर क्लिक करें तथा संकेत मिलने पर “कन्फर्म” भी करें।
- पुष्टि होने पर, “सफलतापूर्वक मतदान” का संदेश दिखाई देगा।
- आप संपुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए मतों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
- जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर दें, तो आपको अपने मत में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

ख. **54वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं:**

- सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य उसे रिमोट ई-वोटिंग प्रमाणों का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉगिन के तहत <http://www.evoting.nsdl.com> पर प्राप्त कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने “मीटिंग में शामिल हों” मेनू के अंतर्गत रखा गया “वीसी/ओएवीएम” का लिंक देख सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप “ज्वाइन मीटिंग” मेनू में उपलब्ध “वीसी/ओएवीएम” का लिंक कंपनी के नाम से देख सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- सदस्यों को कैमरे की भी अनुमति होगी और बैठक के दौरान किसी भी रुकावट से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने की अनुमति होगी।
- कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए मोबाइल उपकरणों अथवा टेबलेट अथवा लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागी को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। अतः सिफारिश की जाती है कि किसी भी प्रकार की रुकावट में कमी करने के लिए स्थिर वाईफाई अथवा एलएएन कनेक्शन का उपयोग करें।
- ऐसे शेयरधारक, जो बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे “स्पीकर” के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें और अपना नाम, डीमैट खाता नं./फोलियो नं., ई-मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले complianceofficer@recl.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने स्वयं को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

ग. **54वीं एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश**

- एक बार नोटिस की सभी मदों पर बैठक में चर्चा पूरी हो जाने पर, प्रत्येक संकल्प को एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए रखा जाएगा। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे संवीक्षक को ई-मेल hemantsing-hcs@gmail.com पर बोर्ड के संकल्प/प्राधिकारी पत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।
- एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार ही होगी।
- केवल ऐसे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपने मत नहीं दिए

हैं और जो ऐसा करने के लिए अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए पात्र होंगे।

- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम के दौरान मतदान देने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे, जिनसे एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सुविधा से जुड़ी किसी शिकायत के लिए सम्पर्क कर सकते हैं, वह वही व्यक्ति होगा, जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित किया गया है।

घ. **उन शेयरधारकों के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निहित संकल्पों के संबंध में ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया, जिनकी ईमेल आईडी निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में पंजीकृत नहीं हैं:**

- यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (अग्र एवं पश्च, दोनों भाग), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) को complianceofficer@recl.in पर उपलब्ध कराएं।
- यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) को complianceofficer@recl.in पर भेजें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि चरण 1 (क) में उल्लिखित लॉग-इन विधि अर्थात् डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वरचुअल मीटिंग में भाग लेने के लिए लॉग-इन विधि देखें।
- वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उचित तरीके से अपडेट करना आवश्यक है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) द्वारा वोट करने के लिए विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) hemantsinghcs@gmail.com पर संवीक्षक को ई-मेल के साथ-साथ एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भेजा जाना अपेक्षित है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) लॉग-इन में अपने “ई-वोटिंग” टैब के अंतर्गत प्रदर्शित “Upload Board Resolution / Authority Letter” पर क्लिक करके अपने बोर्ड संकल्प / पावर ऑफ अटॉर्नी (मुख्तारनामा) / प्राधिकार पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।

यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password ” या “Physical User Reset Password” विकल्प की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध “शेयरधारकों के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)” और “शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल” देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या निर्दिष्ट ईमेल आईडी पर: evoting@nsdl.co.in या amitv@nsdl.co.in या pallavi@nsdl.co.in पर श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक या सुश्री पल्लवी ह्यात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, डेड वर्ल्ड, ‘ए’ विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400013 से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य, कंपनी के ईमेल पते complianceofficer@recl.in पर कंपनी सचिव को भी समस्या लिख सकते हैं।



निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

सेवा में,

प्रिय शेयरधारकगण,

आपके निदेशकों को आपकी कंपनी के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ चौवनवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

1.1 कार्य-निष्पादन का सारांश

पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थीं:

(₹ करोड़ में)

प्राचल	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021- 22
संस्वीकृत ऋण	2,68,460.54	54,421.76
संवितरण	96,846.30	64,150.21
वसूली (ब्याज सहित)	82,910.87	91,681.72
कुल प्रचालन आय	39,208.06	39,132.49
कर पूर्व लाभ	13,738.77	12,424.90
कर पश्चात लाभ	11,054.64	10,045.92
कुल व्यापक आय	10,083.60	9,986.85

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 39,132.49 करोड़ रुपये की तुलना में 39,208.06 करोड़ रुपये थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर पश्चात लाभ और कुल व्यापक आय पिछले वित्तीय वर्ष के 10,045.92 करोड़ रुपये और 9,986.85 करोड़ रुपये की तुलना में क्रमशः 11,054.64 करोड़ रुपये और 10,083.60 करोड़ रुपये थी।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष के 38.02 रुपये प्रति शेयर के ईपीएस की तुलना में 10/- रुपये प्रति शेयर पर 41.85 रुपये थी। 31 मार्च, 2023 तक कंपनी का निवल मूल्य बढ़कर 57,679.67 करोड़ हो गया, अर्थात् यह 31 मार्च, 2022 को 50,985.60 करोड़ रुपये के निवल मूल्य से 13.13% अधिक था।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही 31 मार्च, 2022 की 3,85,371.26 करोड़ रुपये की तुलना में 4,35,011.79 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 तक बकाया उधारियां 3,74,616.42 करोड़ रुपये थीं।

1.3 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपये थी, जिसमें 10/- रुपये के 500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे;

वित्तीय वर्ष के दौरान, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीआईएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सीपीएसई द्वारा पूंजी पुनर्गठन पर व्यापक दिशा-निर्देशों के अनुसार और पिछले वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यक्षीन, कंपनी ने अगस्त, 2022 माह में अपने शेयरधारकों को 1:3 के अनुपात में अर्थात् अपने 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक तीन (3) मौजूदा इक्विटी शेयरों के लिए 10/- रुपये प्रत्येक का पूर्णतः प्रदत्त एक (1) बोनस इक्विटी शेयर के हिसाब से बोनस शेयर जारी किए थे और परिणामस्वरूप, अपने प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा राशि में से 658,30,60,000 रुपये से अनधिक की राशि का पूंजीकरण करते हुए, 10/- रुपये प्रत्येक के 65,83,06,000 (पैंसठ करोड़ तिरासी लाख छह हजार मात्र) नए

इक्विट शेयर जारी किए। उक्त बोनस शेयर कंपनी के मौजूदा पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

तदुसार, उपरोक्त बोनस निर्गम के पश्चात्, कंपनी की निर्गत और प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर 2,633.22 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें 10/- रुपये प्रत्येक के 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 52.63% हिस्सा था, जिसमें ₹10/- प्रत्येक के 1,38,59,93,662 इक्विटी शेयर शामिल थे और शेष 47.37% प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास थी।

1.4 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने 10/- रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक पर 4.35/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश (प्रदत्त शेयर पूंजी का 43.5%) की सिफारिश की है, जो आगामी 54वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यक्षीन है। उपरोक्त लाभांश 24 नवंबर, 2022 को प्रदत्त 5.00/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी का 50%) के प्रथम अंतरिम लाभांश और 28 फरवरी, 2023 को प्रदत्त 3.25/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी का 32.5%) के दूसरे अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

कंपनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदत्त 10/- के अंकित मूल्य के शेयर पर 11.48 रुपये प्रति शेयर, जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 114.8% था, के लाभांश की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल लाभांश, जिसमें 10/- रुपये के अंकित मूल्य के प्रति शेयर पर 12.60 रुपये का प्रस्तावित अंतिम लाभांश भी शामिल है, जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 126% (बोनस के बाद) है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित कुल लाभांश भुगतान 3,317.86 करोड़ रुपये होगा। लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार किया जाता है, जो https://recindia.nic.in/uploads/files/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

1.5 नीतिगत पहलें

कंपनी के नीतिगत ढांचे की लगातार समीक्षा की जाती है, उसे अद्यतन



किया जाता है और सुदृढ़ बनाया जाता है, ताकि व्यावसायिक मूल्य बढ़ाया जा सके और वैधानिक आवश्यकताओं और संशोधनों की पूर्ति की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने 'संबंधित पक्षकारों से संव्यवहार की भौतिकता', 'संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को निपटाने की नीति' में संशोधन और 'पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) नीति' को अपनाने के साथ अपने कारपोरेट प्रशासन ढांचे को मजबूत बनाया।

बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को संवर्धित करने के लिए, कंपनी ने 'विलंबित भुगतान अधिभार नीति के तहत बकाया राशि की चुकौती के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता', 'दीर्घकालिक निवेश नीति', 'पैमाने

2. वित्तीय समीक्षा

2.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
प्रचालन से राजस्व	39,208.06	39,132.49	39,478.26	39,269.05
अन्य आय	44.67	97.96	41.90	70.15
कुल आय	39,252.73	39,230.45	39,520.16	39,339.20
वित्त लागत	23,737.66	22,052.91	23,733.33	22,050.96
निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि	1,114.04	799.05	1,114.04	799.05
शुल्क और कमीशन व्यय	16.29	16.73	16.29	16.73
उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	-	-	-	-
वित्तीय लिखितों पर हानि	114.91	3,473.31	142.17	3,470.02
अन्य व्यय	531.06	463.55	616.66	560.10
कुल व्यय	25,513.96	26,805.55	25,622.49	26,896.86
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यम के लाभ/ हानि का अंश	-	-	-	(11.81)
कर पूर्व लाभ	13,738.77	12,424.90	13,897.67	12,430.53
कर व्यय	(2,684.13)	(2,378.98)	(2,730.69)	(2,394.83)
कर पश्चात लाभ	11,054.64	10,045.92	11,166.98	10,035.70
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	(971.04)	(59.07)	(971.04)	(57.90)
कुल व्यापक आय	10,083.60	9,986.85	10,195.94	9,977.80
जोड़ें: प्रतिधारित आय का प्रारंभिक शेष और अन्य व्यापक आय	6,675.66	4,225.00	6,946.34	4,504.73
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	16,759.26	14,211.85	17,142.28	14,482.53
घटाएं : विनियोग				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित	(2,674.96)	(3,080.70)	(2,674.96)	(3,080.70)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiA) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित	-	-	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि	(2,211.15)	(2,010.00)	(2,211.15)	(2,010.00)
डिबेंचर मोचन आरक्षित	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित	-	-	-	-
क्षति आरक्षित	-	-	-	-
स्थायी ऋण लिखतों पर निर्गम व्यय (करों का निवल)	-	-	-	-
लिखितों पर कूपन भुगतान, प्रकृति में पूर्णतः इक्विटी (स्थायी ऋण लिखत) (करों का निवल)	(33.30)	(34.12)	(33.30)	(34.12)
उप -जोड़ :विनियोग	(4,919.41)	(5,124.82)	(4,919.41)	(5,124.82)
घटाएं : स्वामियों को लाभांश भुगतान	(3,120.37)	(2,411.37)	(3,120.37)	(2,411.37)
प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का अंतिम शेष	8,719.48	6,675.66	9,102.50	6,946.34

2.2 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने राष्ट्रीय राजकोष में 2,805.76 करोड़ रुपये की राशि का योगदान दिया, जिसमें प्रत्यक्ष करों के लिए 2,734.75 करोड़ रुपये और जीएसटी के लिए 71.01 करोड़ रुपये शामिल थे।

2.3 अनुपात विश्लेषण

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
प्रति शेयर आय (₹)	41.85	38.02^
औसत निवल मूल्य पर लाभ (%)	20.35	21.28
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	219.05	193.63^
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)*	6.49	6.41
मूल्य आय अनुपात (गुना)#	2.75	2.42
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.58	1.56

*निवल ऋण मूलधन बकाया, घटा उपलब्ध नकदी और नकदी समतुल्य को दर्शाता है।

#पीई अनुपात की गणना क्रमशः 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को एनएसई में आरईसी के इक्विटी शेयर के समापन मूल्य के आधार पर की जाती है।

^1:3 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के कारण आंकड़े समायोजित किए गए हैं।

2.4 संसाधन जुटाना

2.4.1 वर्ष के दौरान जुटाए गए कुल संसाधन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने बाजार से 86,984 करोड़ रुपये की राशि जुटाई। इसमें बाहरी वाणिज्यिक उधारों से विभिन्न मुद्राओं में 10,036 करोड़ रुपये, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से क्रमशः 22,911 करोड़ रुपये और 1,250 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 1 वर्ष के लिए चुकोती के स्थगन के साथ 100 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण सहित) के दीर्घकालिक और अल्पावधि ऋण, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्डों से 12,154 करोड़ रुपये, संस्थागत बॉण्डों से 25,545 करोड़ रुपये (छूट समायोजन के बाद), एफसीएनआर (बी) ऋणों से 1,800.00 मिलियन अमरीकी डालर और 69.77 मिलियन ईयूआर के बराबर 15,088 करोड़ रुपये शामिल हैं।

2.4.2 विमोचन और पूर्व-भुगतान

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने 46,520.32 करोड़ रुपये की राशि का पुनर्भुगतान किया। इसमें संस्थागत बॉन्ड के लिए 21,405.40 करोड़ रुपये, कर-मुक्त बॉन्ड्स के लिए 1,501.66 करोड़ रुपये, पूंजी लाभ कर छूट बॉन्ड के लिए 3.36 करोड़ रुपये, यूएसडी बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए 350.00 मिलियन के बराबर 2,789.95 करोड़ रुपये, 1300.00 मिलियन यूएसडी के बराबर एफसीएनआर ऋणों के लिए 10,383.72 करोड़ रुपये, 12.00 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर 146.23 करोड़ रुपये का आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) ऋण, यूरो 5.26 मिलियन और जेपीवाई 188.58 मिलियन का पुनर्भुगतान शामिल है। कंपनी ने विभिन्न बैंकों को 10,290 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण का पुनर्भुगतान भी किया।

2.4.3 उधारी लागत

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार बकाया उधारी के लिए समग्र भारत औसत वार्षिक निधि लागत 7.28% थी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जुटाई गई निधियों के लिए 6.94% थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने सूचीबद्ध बॉन्ड के माध्यम से 7.63% प्रति वर्ष की लागत पर 25,291.30 करोड़ रुपये की निधियां

जुटाई, जो अन्य सीपीएसई/संस्थाओं (रायटर पर मार्जिन) द्वारा जारी किए गए समान रेटेड लिखतों की दरों से 16 बीपीएस कम है।

2.4.4 नकद ऋण सुविधाएं

कंपनी के पास अपने दैनिक कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों से 10,657.65 करोड़ रुपये की अनुमोदित नकद ऋण/कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओवरड्राफ्ट सीमा है, जिसमें से 31 मार्च, 2023 तक 3,679.75 करोड़ प्राप्त किए गए थे।

2.4.5 स्थायी ऋण लिखत

आपकी कंपनी ने 10 लाख रुपये के अंकित मूल्य के 5,584 स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) (श्रृंखला 206) जारी करके 558.40 करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी, जिनकी कूपन दर 7.97% थी। 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, उक्त लिखत कंपनी की टियर-I पूंजी का 1.00% हैं। इन पीडीआई की कोई परिपक्वता नहीं है और यह केवल 10 वर्षों के बाद ही कंपनी के विकल्प पर कॉलयोग्य है और पीडीआई पर संगत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखाओं के लिए टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 25 में प्रदर्शित किया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

2.4.6 आरईसी द्वारा जारी ग्रीन बॉण्ड

कार्बन उत्सर्जन और कार्बन तीव्रता को कम करने के मूल उद्देश्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए भारत की जलवायु कार्य योजना के अनुरूप, आरईसी ने अप्रैल 2023 में यूएसडी ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। ये बॉन्ड विशेष रूप से जीआईएफटी सिटी, गांधीनगर, गुजरात में आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी में सूचीबद्ध हैं। बॉन्ड का निर्गम भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के बाद किसी भारतीय कंपनी द्वारा पहला ग्रीन बॉण्ड निर्गम था तथा यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई जारीकर्ता द्वारा अब तक का सबसे बड़ी ग्रीन बॉण्ड किशत थी। इन बॉण्डों से प्राप्त आय का उपयोग आरईसी के हरित वित्त कार्यवाहों के अनुसार पात्र हरित परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

ग्रीन बॉण्ड के लिए वार्षिक प्रभाव रिपोर्टिंग

आरईसी ने जुलाई 2017 में दस वर्षों के कार्यकाल के लिए 450 मिलियन अमरीकी डालर का ग्रीन बॉण्ड जुटाया, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) खंड में सूचीबद्ध हैं।

आय का प्रयोग: आय का उपयोग सौर, पवन और नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) के वित्त-पोषण के लिए किया गया है, जिसमें आरईसी के ग्रीन बॉण्ड ढांचे में परिभाषित योग्य परियोजनाओं के पुनर्वित्त, सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान और जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है।

केपीएमजी इंडिया ने आरईसी के ग्रीन बॉण्ड ढांचे के आधार पर अपनी पोस्ट-वेरिफिकेशन इंडिपेंडेंट एश्योरेंस रिपोर्ट प्रदान की है और इसे 17 जुलाई, 2018 को क्लाइमेट बॉन्ड्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव द्वारा भी प्रमाणित किया गया है।

ग्रीन बॉण्ड ढांचे के अनुसार, आरईसी ने एक सुव्यवस्थित आंतरिक टैकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित एक 'हरित पोर्टफोलियो' तैयार किया है, जिसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है, ताकि ऐसे ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए आय के आवंटन की निगरानी, स्थापना की जा सके और और उन्हें हिसाब में लिया जा सके।

आय का प्रबंधन: 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, 450

मिलियन अमरीकी डॉलर के बॉण्डों से 2,894 करोड़ रुपये की राशि की निवल आय निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई थे:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	ऋण संस्वीकृति की तिथि	वार्षिक ऊर्जा उत्पादन – मेगावाट घंटा में	संस्वीकृत ऋण	बकाया राशि
क.	सौर					
1	करीमनगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	26,554.53	89.84	59.20
2	तेलंगाना	30	21.09.2016	54,073.69	179.62	124.12
3	तेलंगाना	30	21.09.2016	57,251.93	179.62	124.39
4	वारंगल, तेलंगाना	15	11.11.2016	24,110.55	89.84	59.37
5	आंध्र प्रदेश	500	24.02.2016	6,55,195.74	2,480.00	1,486.80
6	करीमनगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	29,023.23	89.84	59.18
7	रंगा रेड्डी, तेलंगाना	5	27.01.2016	6,181.16	26.90	17.93
8	मेडक, तेलंगाना	7	26.11.2015	12,018.33	39.90	25.93
9	करीमनगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	29,404.49	89.84	59.19
10	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	30	17.04.2017	28,477.90	150.39	105.48
11	मनसा और संगरूर, पंजाब	50	21.05.2016	78,675.84	169.69	112.16
12	कुडलीगी, कर्नाटक	20	31.12.2018	42,662.45	84.00	65.45
13	बेलगाम, कर्नाटक	15	31.12.2018	32,079.46	63.86	49.87
14	बागलकोट, कर्नाटक	15	31.12.2018	32,141.35	64.08	50.05
15	बागलकोट, कर्नाटक	15	31.12.2018	32,521.15	66.41	52.17
16	थूथुकुडी, तमिल नाडु	252	29.12.2017	5,28,272.25	520.00	467.54
	उप- जोड़ (क)			16,68,644.05	4,383.83	2,918.81
ख.	पवन					
1	मंदसौर, मध्य प्रदेश	20	28.01.2016	20,444.16	86.63	47.02
	उप- जोड़ (ख)			20,444.16	86.63	47.02
ग.	नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व					
1	महाराष्ट्र	आरपीओ	24.07.2017		500.00	62.50
	उप- जोड़ (ग)				500.00	62.50
	कुल जोड़ (क+ख+ग)			16,89,088.20	4,970.46	3,028.33

आरईसी अपने अनवरत दायित्वों के अनुसार अपने ग्रीन बॉण्ड ढांचे की अपेक्षाओं के अनुरूप है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि बॉन्ड की अवधि के दौरान ग्रीन बॉण्ड ढांचे के अनुसार पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहे।

2.4.7 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आपकी कंपनी के पास केएफडब्ल्यू जर्मनी के साथ ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) क्रेडिट की पांच लाइनें हैं, उनमें से चार 31 मार्च, 2023 तक पूरी तरह से तैयार की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, आरईसी ने 169.50 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता के लिए केएफडब्ल्यू के साथ पांचवां ऋण समझौता किया। उपरोक्त के अलावा, आरईसी के पास जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए क्रेडिट की दो लाइनें हैं। उन दोनों का भी पूरी तरह से लाभ उठाया गया है और चुका दिया गया है।

2.5 घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों की "एएए" रेटिंग बरकरार रही, जो कि क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है।

इसके अलावा, आरईसी को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी-" की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी को दी गई रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

2.6 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए निवेश

उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के संबंध में

आरबीआई के परिपत्र के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने राज्य विकास ऋणों और स्थायी बॉन्ड में निवेश किया है।

इसके अलावा, एनएचपीसी लिमिटेड में धारित 24,91,604 इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से मौजूदा बाजार मूल्य पर इसके खरीद मूल्य से अधिक पर बेचा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.70 करोड़ का संचयी लाभ हुआ।

कंपनी द्वारा किए गए निवेश के अन्य विवरण एकल वित्तीय विवरणों के लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दर्शाए गए हैं।

2.7 वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन 4,64,877.13 करोड़ रुपये थे।

इसमें से, इक्विटी शेयर पूंजी ने 2,633.22 करोड़ रुपये का योगदान दिया, प्रकृति में पूर्णतः इक्विटी वाले लिखत 558.40 करोड़ थे, रिजर्व और अधिशेष सहित अन्य इक्विटी 54,488.05 करोड़ थी, उधारियां और अन्य वित्तीय देयताओं सहित वित्तीय देयताओं का योगदान 4,06,987.95 करोड़ था और प्रावधानों सहित गैर-वित्तीय देनदारियां 209.51 करोड़ रुपये थीं।

इन निधियों को 4,60,591.12 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण, निवेश आदि सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में तैनात किया गया था तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कर संपत्ति आदि सहित गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां 4,285.67 करोड़ रुपये की थीं, इनके अलावा बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां 0.34 करोड़ रुपये की राशि की थीं।



3. ऋण संस्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने 2,68,460.54 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संस्वीकृत ऋणों में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 34,529.33 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 21,371.11 करोड़ रुपये, परिक्रामी बिल भुगतान सुविधा और विलंबित भुगतान अधिभार सहित टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 1,22,050.50 करोड़ रुपये, अवसंरचना और लॉजिस्टिक परियोजनाओं के लिए 85,734.60 करोड़ रुपये और अन्य ऋणों जैसे अल्पावधि, मध्यम अवधि के ऋण आदि के लिए 4,775.00 करोड़ रुपये शामिल हैं। वर्ष के दौरान स्वीकृत श्रेणी-वार स्वीकृतियों का विवरण इस रिपोर्ट में आगे दर्शाया गया है।

4. संवितरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के 64,150.21 करोड़ रुपये की तुलना में कुल 96,846.30 करोड़ रुपये का संवितरण किया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के संवितरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 25,049.27 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 12,984.89 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 27,502.84 करोड़ रुपये, विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1,453.29 करोड़ रुपये तथा अल्पावधि आरबीपीएफ आदि सहित अन्य ऋणों के लिए 29,621.37 करोड़ रुपये शामिल हैं। संवितरण में डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी घटक सहित) और भारत सरकार की सौभाग्य योजनाओं के तहत सहयोगी वित्त-पोषण के 234.64 करोड़ रुपये भी शामिल थे।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, डीडीयूजीजेवाई योजना (डीडीजी घटक) और भारत सरकार की सौभाग्य योजना के तहत भारत सरकार से प्राप्त कुल 1,065.56 करोड़ रुपये की राजसहायता भी संवितरित की।

5. वसूलियां

5.1 वर्ष के दौरान वसूलियां

आपकी कंपनी मूलधन, ब्याज आदि से उत्पन्न होने वाली अपनी बकाया राशि की समय पर वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 92,696.37 करोड़ रुपये की तुलना में 83,138.84 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 91,681.72 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष के दौरान मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए कुल 82,910.87 करोड़ रुपये की वसूली की। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 99.73% की वसूली दर हासिल की। 31 मार्च, 2023 तक मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) से संबंधित व्यतिक्रमी उधारकर्ताओं से मूल बकाया राशि 167.74 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रेडिट प्रभावित संपत्तियों (चरण III) से 1,786.72 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 265.33 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी।

5.2 ऋण बाधित परिसंपत्तियां

आपकी कंपनी की क्रेडिट बाधित परिसंपत्तियां (चरण III) निरंतर निम्न स्तर पर बनी हुई हैं। कंपनी ने अपने लाभ में से “हानि रिजर्व” बनाया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के अधीन निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

31 मार्च, 2023 तक सकल ऋण बाधित परिसंपत्तियां (चरण III) 14,892.08 करोड़ रुपये थी, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 3.42% है; और निवल ऋण प्रभावित परिसंपत्तियां (चरण III) 4,372.57 करोड़ रुपये थी, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 1.01% है।

5.3 दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन

आरईसी, आरबीआई ढांचे तथा दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत प्रस्तावों सहित विभिन्न ढांचे के माध्यम से

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की दिशा में निरंतर काम करता है। आरईसी अपने एनपीए को न्यूनतम स्तर पर रखने में सक्षम है, अर्थात् यह विद्युत क्षेत्र में सहयोगी संगठनों में निम्नतम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी ने 6 दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं का सफलतापूर्वक समाधान और उन्नयन किया, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ऋण लेने वाले और परियोजना का नाम	आरईसी द्वारा प्रदान की गई राशि	टिप्पणी
1	साउथ-ईस्ट यूपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पारेषण परियोजना)	922.09	आईबीसी के अंतर्गत समाधान किया गया।
2	झाबुआ पावर लिमिटेड (मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र)	321.04	आईबीसी के अंतर्गत समाधान किया गया।
3	इंड बराथ एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड (ओडिशा में 700 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र)	777.00	आईबीसी के अंतर्गत समाधान किया गया।
4	(ओडिशा में 700 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र) गति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	178.26	कंपनी द्वारा पूर्ण अतिदेय का भुगतान किया गया।
5	एटीएस इंटरनेशनल लिमिटेड	9.45	आईबीसी से इतर एटीएस के माध्यम से समाधान किया गया।
6	सिलिकॉन वैली इंफोटेक लिमिटेड	2.91	आईबीसी से इतर एटीएस के माध्यम से समाधान किया गया।
कुल		2,210.75	

6. मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली

6.1 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आपकी कंपनी के अपने दिशा-निर्देश हैं। प्रवर्तक या इकाई का मूल्यांकन वित्तीय कार्य-निष्पादन, ऋण-योग्यता, प्रबंधन दक्षता और प्रवर्तकों संस्थाओं के क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर किया जाता है। परियोजना मूल्यांकन विभिन्न तकनीकी मानकों जैसे वैधानिक मंजूरी, पीपीए, अवसंरचना आदि के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, परियोजना की 'एकीकृत रेटिंग' इकाई और परियोजना की संयुक्त रेटिंग के आधार पर निकाली जाती है। आरईसी की ब्याज दरें और सुरक्षा संरचना निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रदान किए गए ग्रेड या एकीकृत रेटिंग से जुड़ी हुई हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए इकाई मूल्यांकन दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है और सर्वोत्तम बाजार परिपाटियों के अनुसार उनमें संशोधन किया गया था।

6.2 राज्य विद्युत यूटिलिटीज, संयुक्त उद्यमों, कंपनियों, संस्थाओं आदि की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी के पास राज्य विद्युत यूटिलिटीज (राज्य डिस्कॉम, एकीकृत प्रचालनों वाले राज्य विद्युत बोर्ड / यूटिलिटीज और विद्युत विभागों को छोड़कर) की ग्रेडिंग के लिए एक सुपरिभाषित नीति और दिशा-निर्देश हैं। राज्य बिजली यूटिलिटीज (उत्पादन, पारेषण, व्यापार, धारक कंपनी आदि) की ग्रेडिंग एक वर्ष के दौरान दो बार की जाती है, जो विशिष्ट मापदंडों, प्रचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन, विनियामक अनुपालन, वार्षिक वित्तीय परिणाम आदि के लिए यूटिलिटी के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटीज (एकीकृत प्रचालन वाले राज्य विद्युत बोर्ड/यूटिलिटीज और विद्युत विभागों सहित) के संबंध में, आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत



सरकार द्वारा ढांचे और रेटिंग के अनुमोदन के बाद, स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई अंतिम वार्षिक एकीकृत रेटिंग को अपनाती है। डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग के लिए रेटिंग ढांचे की समीक्षा की गई है और बाहरी सलाहकार द्वारा उसे संशोधित किया गया है।

वित्त पोषण के उद्देश्य से, आपकी कंपनी ने यूटिलिटीज/संस्थाओं को 'ए++', 'ए+', 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने 143 यूटिलिटीज (राज्य सरकार को छोड़कर) के संबंध में ग्रेडिंग पूरी कर ली है, जिनमें से 20 यूटिलिटीज को ए++, 38 को ए+, 30 को ए, 19 को बी और 32 यूटिलिटीज को सी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, 3 यूटिलिटीएं गैर-अनुक्रियाशील थीं, अतः उनकी ग्रेडिंग नहीं की गई।

6.3 परियोजना निगरानी

एक अग्रणी वित्तीय संस्थान होने के नाते, आरईसी ने एक विस्तृत और व्यापक परियोजना-निगरानी ढांचा विकसित किया है, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना, जोखिमों को कम करना और परियोजनाओं में लागत वृद्धि को कम करना है। कंपनी का प्रयास अंतिम उपभोक्ता के लिए बिजली की लागत को कम करना,



विजयवाड़ा में आरईसी द्वारा वित्तपोषित 800 मेगावाट की डॉ. नारला टाटा राव ताप विद्युत संयंत्र चरण-V परियोजना

7.1 उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने उत्पादन परियोजनाओं के लिए 76 ऋण स्वीकृत किए जिनमें जलविद्युत परियोजनाएं, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का कार्यान्वयन, नवीकरण और आधुनिकीकरण योजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं आदि शामिल थीं तथा जारी की गई कुल ऋण सहायता की राशि 34,529.33 करोड़ रुपये थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि
राज्य क्षेत्र	74	29,839.53
नए ऋण	69	25,684.10
अतिरिक्त ऋण	5	4,155.43
निजी क्षेत्र	2	4,689.80
नए ऋण	2	4,689.80
अतिरिक्त ऋण	0	-
कुल	76	34,529.33

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने 21,371.11 करोड़ रु की कुल ऋण सहायता के साथ 6,488 मेगावाट कुल संस्थापित

औद्योगिक विकास और प्रति व्यक्ति बिजली खपत में वृद्धि के मामले में देश को लाम पहुंचाना भी है।

कंपनी द्वारा अपनाए गए परियोजना निगरानी दिशानिर्देशों में परियोजनाओं की समग्र सख्त निगरानी के लिए सभी चरणों को कवर किया जाता है। निगरानी की आवृत्ति को ऋण क्षेत्र, परियोजना के प्रकार, निर्माण चरण और संवितरण के आकार आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की कुशल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, ऋणदाता के इंजीनियर और ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार, जो स्वतंत्र संगठन होते हैं, भी नियुक्त किये जाते हैं।

7. वर्ष के दौरान वित्तीय क्रियाकलाप

आपकी कंपनी, गांवों के विद्युतीकरण और भारत सरकारी की विभिन्न स्कीमों के तहत सहित विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा सहित), पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्त-पोषण सहायता प्रदान कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रमुख वित्तीय क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार था:

उत्पादन वाली 35 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और कुछ अवसंरचना परियोजनाएं संस्वीकृत कीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि
राज्य क्षेत्र	4	2,394.03
नए ऋण	4	2,394.03
निजी क्षेत्र	31	18,977.08
नए ऋण	14	14,508.53
टेकआउट वित्त-पोषण	17	4,468.55
कुल	35	21,371.11

उपरोक्त ऋणों में, 3,099 मेगावाट की संचयी क्षमता वाली 16 सौर ऊर्जा परियोजनाएं, 449 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 9 पवन ऊर्जा परियोजनाएं, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 300 मेगावाट क्षमता की 1 सौर पवन हाइब्रिड परियोजना, 1,440 की संचयी क्षमता वाली 1 पम्प स्टोरेज परियोजना (पीएसपी), 1,200 मेगावाट की संचयी क्षमता वाली 2 सौर पार्क अवसंरचना परियोजनाएं और विमानपत्तन अवसंरचना का 1 बिजली घटक, 1 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र, 2,350 इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए 4 ई-मोबिलिटी परियोजनाएं शामिल हैं।



7.3 पारेषण और वितरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने 408 पारेषण और वितरण (टीएंडडी) योजनाएं/परियोजनाएं संस्वीकृत कीं जिनमें कुल

1,22,050 करोड़ रुपये की ऋण सहायता शामिल है, जिसमें भारत सरकार की आरडीएसएस, एलपीएस और आरबीपीएफ योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएं शामिल हैं।



राजस्थान में आरईसी द्वारा वित्तपोषित 100 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान टीएंडडी श्रेणी के तहत स्वीकृत ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि
राज्य क्षेत्र	408	1,22,050.50
- पारेषण ऋण	221	8,463.75
- वितरण ऋण	135	15,943.44
- एलपीएस के तहत ऋण (ऋण) निजी क्षेत्र	21	57,190.31
- आरबीपीएफ	31	40,453.00
कुल	408	1,22,050.50

7.4 अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स

प्रमुख सरकारी कार्यक्रम के तहत पूरे देश के विद्युतीकरण के विशाल कार्य को पूरा करने के बाद, अब आपकी कंपनी के महारत्न कंपनी बनने के बाद, इसे भारत सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के अलावा अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के वित्तपोषण में कार्य करने का अधिदेश दिया गया है। 'महारत्न' दर्जे के साथ आने वाली वित्तीय शक्ति के साथ, आपकी कंपनी ने राजमार्ग, मेट्रो रेल प्रणाली, हवाई अड्डों, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह आदि के विकास जैसे क्षेत्रों में कई बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹85,734.60 करोड़ संस्वीकृत किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संस्वीकृत अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स ऋण का विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि
राज्य क्षेत्र	28	82,734.60
- रिफाइनरी	1	7,500.00
- अस्पताल	1	2,785.00
- शिक्षा संस्थान	2	675.51
- मेट्रो		
• ई एंड एम	9	14,434.00
• गैर-ई एंड एम	9	21,428.00
- संचार	2	2,810.57
- राजमार्ग	1	17,500.00
- पेय जल	1	10,331.9
- बंदरगाह शिपिंग, जलमार्ग	1	4,098.45
- विमानपत्तन	1	1,171.17
निजी क्षेत्र	1	3,000.00
- इस्पात	1	3,000.00
कुल	29	85,734.60



आरईसी द्वारा वित्तपोषित मुंबई मेट्रो परियोजना

इसके अलावा, भारतमाला योजना, सागरमाला योजना जैसे भारत सरकार के अनेक प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास में भारी संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत, ऊर्जा, सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह और रेलवे आदि जैसे क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लगभग ~ ₹111 लाख करोड़ के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय में लगभग 70% योगदान देंगे।

आपकी कंपनी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत भारत सरकार के बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने परिचालन को इसके और अनुरूप बनाएगी।

7.5 अल्पकालिक/मध्यम ऋण और अन्य ऋण सहायता

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न विद्युत यूटिलिटीज को उनकी अल्पकालिक या मध्यम अवधि की निधि की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता आदि के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि, विशेष ऋण और अन्य ऋणों के रूप में 14 ऋण भी स्वीकृत किए हैं जिनकी कुल राशि 4,775 करोड़ रुपये है।

7.6 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्त-पोषण क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता में पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 751 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए संवितरण, पूर्व के वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं सहित 250.56 करोड़ रुपये था।

8. वर्तमान टी एंड डी परिदृश्य और सुधार

चूंकि देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 415.50 गीगावाट (31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार) से अधिक के उच्च स्तर पर है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नियोजित बड़ी क्षमता के साथ पारेषण और वितरण (टीएंडडी) क्षेत्र में वृद्धि देखे जाने की आशा है। तकनीकी रूप से प्राचीन और पुराने होते वितरण ढांचे को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। समय की मांग है कि एक अत्याधुनिक

मजबूत और विश्वसनीय पारेषण और वितरण प्रणाली स्थापित की जाए, जो अधिक भार को संभालने में सक्षम हो। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, जैसे नवीकृत वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत बहुत-से डिस्कॉम स्तरीय सुधारों के साथ विद्युत क्षेत्र में वितरण सर्वाधिक बल प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र है। इसलिए, टीएंडडी खंड इस क्षेत्र को विश्वसनीय, किफायती और भविष्य के विकास को अवशोषित करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आपकी कंपनी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की वित्त व्यवस्था एजेंसी के रूप में, नई अवसंरचना के निर्माण और मौजूदा नेटवर्क को बढ़ाने/मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी व्यापक रूप से सिस्टम सुधार और संवर्धन, हानि में कमी के उपायों, आईटी आधारित प्रणाली कार्यान्वयन, उपभोक्ता संतुष्टि आदि के उद्देश्यों के साथ पारेषण और वितरण परियोजनाओं के सभी पहलुओं को वित्त-पोषित करती है, और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के विकास और स्थिरता तथा देश की समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

8.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय और प्रचालन कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। वितरण क्षेत्र का सहयोग करने के लिए सरकार के नीतिगत ढांचे में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ), द्रव्यता अंतर्वेशन योजना (एलआईएस), विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) आदि जैसी पहलें शामिल हैं।

हालांकि इसके परिणामस्वरूप प्रमुख अवसंरचना का निर्माण हुआ है और वितरण क्षेत्र में आपूर्ति पक्ष के अंतर में कमी आई है, लेकिन प्रबंधन और शासन से संबंधित मुद्दे जो डिस्कॉम के प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन में प्रकट होते हैं, अभी भी विद्यमान हैं। सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि और आपूर्ति की औसत



लागत-औसत राजस्व प्राप्त (एसीएस-एआरआर) अंतर निरंतर उच्च बना हुआ है। डिस्कॉम को वांछित उपभोक्ता सेवा मानकों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए अपनी प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए, घाटे को कम करने और डिस्कॉम की कार्यक्षमता में सुधार करने के साथ-साथ बड़े पैमाने के सुधारों की आवश्यकता है।

इसी उद्देश्य और 24x7 निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और किफायती विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के साथ, सुधारों की शुरुआत करने और समयबद्ध तरीके से प्रदर्शन में सुधार करने के लिए डिस्कॉम का समर्थन करने के लिए सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध नवीकृत वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई है।

आपकी कंपनी डिस्कॉम को सुधारों में तेजी लाने तथा प्रणाली और स्मार्ट ग्रिड के आधुनिकीकरण और स्वचालन, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए आईटी-सक्षम प्रणाली और वितरण क्षेत्र के अन्य तकनीकी हस्तक्षेप सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपकी कंपनी भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं, डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के लिए आपकी कंपनी नोडल एजेंसी है, जिन्हें पिछले वर्ष में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और अब, आपकी कंपनी अन्य के साथ-साथ आरडीएसएस से संबद्ध है।

8.2 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

8.2.1 सिंहावलोकन

आपकी कंपनी, 20 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सुधार-आधारित और परिणाम-सम्बद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी है, जिसमें 5 वर्ष अर्थात् वित्त 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 3,03,758 करोड़ रुपये का परिव्यय और केंद्र सरकार की ओर से 97,631 करोड़ रुपये का अनुमानित सकल बजटीय समर्थन शामिल है। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी को 19 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र नामतः असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा सौंपे गए हैं।

निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को छोड़कर सभी डिस्कॉम और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के विद्युत विभाग इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह योजना डिस्कॉम के लिए वैकल्पिक है और निजी डिस्कॉम को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जानी है। यह योजना राज्यों को भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित सुधार उपायों और योजना अवसरचना के कार्यों को अपनाने में सक्षम बनाती है।

8.2.2 उद्देश्य

वित्तीय रूप से संधारणीय और प्रचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना; 2024-25 तक एटीएंडसी घाटे को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना; तथा 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना।

प्रत्येक वर्ष एटीएंडसी हानियों/एसीएस-एआरआर राजस्व अंतर

को कम करने के लिए राज्य-वार लक्ष्य एटीएंडसी हानियों के उनके वर्तमान स्तरों और एसीएस-एआरआर अंतर पर निर्भर करेगा।

8.2.3 घटक

भाग-क: मीटरिंग और वितरण अवसरचना कार्य:

घटक-I: स्मार्ट मीटरिंग

घटक-II: वितरण अवसरचना कार्य

घटक-III: परियोजना प्रबंधन

भाग-ख: प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अन्य सक्षम और सहायक क्रियाकलाप:

जिनमें मानव कौशल का उन्नयन, प्रक्रिया में सुधार, नोडल एजेंसी शुल्क, विद्युत मंत्रालय के सक्षमकर्ता घटक (संचार योजना, प्रचार, उपभोक्ता सर्वेक्षण, उपभोक्ता जागरूकता और अन्य संबंधित उपाय जैसे तृतीय-पक्ष मूल्यांकन आदि), स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का संवर्धन (फील्ड स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में शामिल कर्मियों के लिए एआई, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित), पुरस्कार और मान्यताएं आदि शामिल हैं।

जारी अनुमोदित परियोजनाएं: पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में पीएमडीपी 2015 के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं को आरडीएसएस में समामेलित कर दिया गया है।

8.2.4 वित्तपोषण पैटर्न

मूल्यांकन ढांचे के अंतर्गत निर्धारित परिणामों और सुधारों की उपलब्धि से जुड़ी योजना के अधीन निम्नानुसार निधि जारी की जाएगी:

भाग क – मीटरिंग और वितरण अवसरचना कार्य

घटक-I: मौजूदा अवसरचना के एकीकरण सहित उपभोक्ता, डीटी और फीडर स्तर पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग समाधान, जीबीएस के माध्यम से निम्नानुसार वित्त-पोषित किए जाएंगे:

- “विशेष श्रेणी के अधिसूचित राज्यों को छोड़कर” डिस्कॉम के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर 900 रुपये की एक निश्चित राशि, या पूरी परियोजना के लिए आकलित प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 15%, जो भी कम हो।
- “विशेष श्रेणी के अधिसूचित राज्यों” में डिस्कॉम के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर 1350 रुपये की एक निश्चित राशि, या पूरी परियोजना के लिए आकलित प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 22.5%, जो भी कम हो।

दिसंबर 2023 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की संस्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, स्कीम के तहत निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

- “विशेष श्रेणी के अधिसूचित राज्यों को छोड़कर” डिस्कॉम के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर 450 रुपये की एक निश्चित राशि, या पूरी परियोजना के लिए आकलित प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 7.5%, जो भी कम हो।
- “विशेष श्रेणी के अधिसूचित राज्यों” में डिस्कॉम के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर 675 रुपये की एक निश्चित राशि, या पूरी परियोजना के लिए आकलित प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 11.25%, जो भी कम हो।

घटक-II: एससीएडीए, डीएमएस, एबी केबलों, फीडर पृथक्करण सहित वितरण अवसरचना कार्य जीबीएस के माध्यम वित्त-पोषित की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता इस प्रकार होगी:

- “विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा” डिस्कॉम के लिए,

अनुमोदित परियोजना लागत का 60% तक, और

- “विशेष श्रेणी के राज्यों” में डिस्कॉम के लिए, अनुमोदित परियोजना लागत का 90% तक।

भाग-ख : प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षमकारी और समर्थकारी क्रियाकलाप:

- अनुमानित परियोजना लागत का 100% जीबीएस के माध्यम से वित्त-पोषण के लिए पात्र होगा।

जारी अनुमोदित परियोजनाएं: आरडीएसएस में समामेलित पीएमडीपी 2015 के तहत संस्वीकृत परियोजनाएं संस्वीकृति के मौजूदा दिशानिर्देशों और निबंधनों एवं शर्तों के संदर्भ में आरडीएसएस के तहत निधियों का अनुदान प्राप्त करने की पात्र होंगी।

8.2.5 विद्युत वितरण क्षेत्र में प्रगत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को प्रवर्तित करना

आरडीएसएस प्रणाली मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/प्रचालन प्रौद्योगिकी (ओटी) उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रगत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर विशेष बल प्रदान करता है, ताकि साझेदारी और परामर्श का लाभ उठाकर विद्युत वितरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/ मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी प्रगत प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करते हुए परिकल्पित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।

माननीय केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा “पावरथॉन” नामक प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता (टीएसपी), स्टार्ट-अप, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं, उपकरण निर्माताओं, राज्य विद्युत यूटिलिटीज तथा अन्य राज्य और केंद्रीय विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं को जटिल समस्याओं को हल करने के लिए उन्नत उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे एआई/एमएल, ब्लॉकचैन इत्यादि के आधार पर अपने प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का प्रदर्शन करने के लिए भागीदारी हेतु एक मंच सृजित करना है।

आरईसी ने प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्रों की पहचान करने, प्रतिस्पर्धी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से टीएसपी का चयन करने, प्रायोगिक परियोजना और इसके प्रवर्धन हेतु अभिशासन तंत्र स्थापित करने के लिए पावरथॉन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए नोडल इनक्यूबेटर के रूप में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (एसआईएनई आईआईटी-बॉम्बे) के साथ साझेदारी की है।

इस साझेदारी के तहत, टीएसपी से कुल 275 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो डिस्कॉम द्वारा अभिचिह्नित 9 प्रमुख समस्या/चुनौती वाले क्षेत्रों जैसे मांग/लोड पूर्वानुमान, एटी एंड सी हानि में कमी, बिजली खरीद लागत अनुकूलन, ऊर्जा चोरी का पता लगाना, डीटी विफलता दर का पूर्वानुमान परिसंपत्ति निरीक्षण, वनस्पति प्रबंधन, उपभोक्ता अनुभव संवर्धन और आरई एकीकरण जैसे समाधान पेश करते थे। सम्यक प्रक्रिया के बाद, चयनित डिस्कॉम परीक्षण के आधार क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 17 टीएसपी का चयन किया गया था। पायलट परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

8.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है, जो एक ब्याज सब्सिडी योजना है जिसमें 8,466 करोड़ रुपये (ब्याज सब्सिडी और अन्य आकस्मिक व्ययों के प्रति) का प्रावधान है, जिसे दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 के दौरान संस्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए 23,973 करोड़ रुपये के ऋण संवितरण पर प्रदत्त ब्याज के लिए 14 वर्षों में प्रदान किया जाना है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार वितरण क्षेत्र में अवसरचना के सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटीज और वितरण कंपनियों

द्वारा लिए गए ऋण के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। इस सुधार से जुड़ी योजना में, एनईएफ दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुधार-आधारित मापदंडों की उपलब्धि पर, डिस्कॉम को 3% से 7% की सीमा में ब्याज सब्सिडी देय है।

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की यूटिलिटीएं पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक 2,030.33 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है।

8.4 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, डीडीयूजीजेवाई, जिसके लिए आरईसी नोडल एजेंसी है, अपने समापक वित्तीय वर्ष 2021-22 में, अर्थात् 31 मार्च, 2022 को पूर्ण हो गई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/बस्तियों को, उनकी जनसंख्या संबंधी मानदंड पर ध्यान दिए बिना, विद्युतीकरण के लिए कवर किया गया है। सभी पूर्ववर्ती चल रही ग्राम विद्युतीकरण (आरई) स्कीमों को डीडीयूजीजेवाई में समामेलित कर दिया गया था। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, देश के सभी शेष गैर-विद्युतीकृत जनगणना वाले गांव 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत कर दिए गए।

डीडीयूजीजेवाई ने निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सभी के लिए 24x7 बिजली’ की उपलब्धि की दिशा में सुविधा प्रदान की है:

- गैर-कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि और गैर-कृषि फीडरों को पृथक् करना;
- उप-पारेषण और वितरण अवसरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन;
- माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;
- वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; और
- ग्रामीण विद्युतीकरण घटक (पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं सहित)।

योजना के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया गया था; और निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि होने पर 15% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5%) तक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया था। इस योजना में 43,033 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय था, जिसमें भारत सरकार से 33,453 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शामिल थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डीडीयूजीजेवाई के लिए 48,185.67 करोड़ रुपये (30,668.11 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 33,801.79 करोड़ रुपये (25,748.90 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) की राशि को योजना के तहत 31 मार्च, 2023 तक जारी की गई थी। समापन के समय, योजना के तहत कुल निष्पादित लागत 45,942.74 करोड़ रुपये रही।

8.4.1 पूर्ववर्ती आरई परियोजनाएं, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विलयित

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों सहित 29 राज्यों में डीडीयूजीजेवाई के तहत पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं (अर्थात्, दसवीं योजना, ग्यारहवीं योजना और बारहवीं योजना) के अधीन 66,367.13 करोड़ रुपये (शामिल अनुदान: 59,730.42 करोड़ रुपये) (डीडीजी परियोजनाओं सहित) की राशि को मंजूरी दी है जिसमें से 31



मार्च, 2023 तक 59,651.89 करोड़ रुपये (54,496.44 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं। समापन के समय, पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं के तहत कुल निष्पादित लागत 62,066.19 करोड़ रुपये रही।

8.5 सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना), जिसके लिए आरईसी नोडल एजेंसी है, पिछले वर्ष पूर्ण कर लिया गया है। योजना परिव्यय 16,320 करोड़ रुपये था, जिसमें 12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता शामिल है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता और बिजली कनेक्शन;
- शहरी क्षेत्रों में सभी शेष आर्थिक रूप से निर्धन गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता और बिजली कनेक्शन। गैर-निर्धन शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है;
- दूरदराज के और दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटो-वोल्टेइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली, जहां ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या किफायती नहीं है।

इस योजना के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय द्वारा 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 14,082.43 करोड़ रुपये (9,078.84 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) मंजूर किए गए थे, जिसमें से 8,815.12 करोड़ रुपये (भारत सरकार के 6,305.07 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सौभाग्य के आरम्भ के बाद से, सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आरई, पीएमडीपी और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। समापन के समय, परियोजनाओं की कुल निष्पादित लागत 9,246.22 करोड़ रुपये रही।

8.5.1 सौभाग्य घरों के विद्युतीकरण को सुकर बनाने के लिए डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त अवसंरचना

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने डीडीयूजीजेवाई के तहत सौभाग्य योजना के लिए अतिरिक्त अवसंरचना के निर्माण के लिए 14,178.89 करोड़ रुपये (शामिल अनुदान: 9,399 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त निधि को मंजूरी दी थी, जिसमें से 7,809.15 करोड़ रुपये (7,555.17 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं। समापन के समय, अतिरिक्त अवसंरचना परियोजनाओं के तहत कुल निष्पादित लागत 11,334.01 करोड़ रुपये रही।

8.6 प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी-2015)

तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य, अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण सुदृढीकरण कार्यों के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी-2015) की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 नवंबर, 2015 को की गई थी, जिसकी अनुमोदित परियोजना लागत 2,570.14 करोड़ रुपये (भारत सरकार से 90% अनुदान अर्थात 2,301.62 करोड़ रुपये) थी। इस योजना के तहत शामिल किए गए प्रमुख कार्यों में प्रणाली को मजबूत करना, अलग-थलग पड़े घरों को जोड़ना, कंटीले तारों की बाड़ और पुराने खंभों को बदलना, पर्यटन स्थलों पर भूमिगत केबल बिछाना, उपभोक्ता मीटरिंग करना, औद्योगिक क्षेत्रों में 33/11 केवी सब-स्टेशनों का निर्माण और धार्मिक तीर्थ-स्थलों पर विद्युत अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है।

उपरोक्त में से 1,029.70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत (भारत सरकार का अनुदान: 926.73 करोड़ रुपये और पीएमए अनुदान 5.15

करोड़ रुपये) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सुदृढीकरण कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय द्वारा पीएमडीपी-2015 के तहत 527.55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजना लागत और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सुदृढीकरण परियोजनाओं के लिए 2.65 करोड़ रुपये का पीएमए शुल्क और 28.44 करोड़ रुपये का पीआईए शुल्क स्वीकृत किया गया है। निधियों के आरईसी के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत, 31 मार्च, 2023 तक 750.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में पीएमडीपी-2015 के अंतर्गत परियोजनाओं को मौजूदा दिशानिर्देशों और निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार आरडीएसएस में समामेलित कर दिया गया है और ये परियोजनाएं आरडीएसएस के तहत निधियों के अनुदान के लिए पात्र हैं।

8.7 डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग

आरईसी द्वारा उपभोक्ता केंद्रित सेवा और प्रचालन पैरामीटर के संदर्भ में देश भर में डिस्कॉमों (सरकारी/निजी) की ग्रेडिंग के लिए एक कवायद शुरू की गई थी। इसके लिए अंक देने की प्रक्रिया 4 (चार) व्यापक मानकों में विस्तारित है, अर्थात (1) प्रचालन विश्वसनीयता (2) कनेक्शन और अन्य सेवाएं (3) मीटरिंग, बिलिंग और संग्रह (4) दोष सुधार और शिकायत निवारण। डिस्कॉम की उपरोक्त सेवा रेटिंग रिपोर्ट का दूसरा संस्करण (वित्तीय वर्ष 2021-22) आरईसी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/consumer-service-rating-of-dis-coms> पर देखा जा सकता है।

8.8 विनियामक मापदंड रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरईसी ने विद्युत क्षेत्र में समूचे उत्पादन, पारेषण और वितरण खंड के भीतर विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए और नीति निर्माण में सहायता के रूप में आवधिक रिपोर्टें प्रकाशित की हैं जिनमें विभिन्न विद्युत क्षेत्र में प्रमुख विनियामक मापदंडों को शामिल किया गया है। प्रकाशित रिपोर्ट को आरईसी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/RegulatoryParameters> पर देखा जा सकता है।

8.9 “डिस्कॉम की संगठनात्मक संरचना और भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन” के संबंध में रिपोर्ट

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने समय-समय पर शुरू किए गए विभिन्न सुधार उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम में कुशल संगठन संरचना और उचित जनशक्ति योजना की भूमिका पर प्रमुख जोर देने के साथ मौजूदा विभिन्न संगठनात्मक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए अपर सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में 11 अगस्त, 2021 को एक टास्क फोर्स का गठन किया। विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, आरईसी ने अभिशासन और मानव संसाधन प्रबंधन पहलुओं पर प्रमुख ध्यान देने के साथ मौजूदा संगठनात्मक संरचना, प्रक्रियाओं और भर्ती चक्र और विभिन्न डिस्कॉम के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर एक विस्तृत अध्ययन किया था और सर्वोत्तम प्रथाओं और सुझाए गए मानक का एक सार-संग्रह विकसित किया और पुरानी संरचनात्मक और जनशक्ति चुनौतियों का समाधान करने के लिए मानक मार्गदर्शी रूपरेखा का सुझाव दिया। “डिस्कॉम की संगठनात्मक संरचना और भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन” के संबंध में रिपोर्ट विद्युत द्वारा 20 मार्च, 2023 को सभी राज्यों को वितरित की गई थी ताकि राज्य डिस्कॉम में रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जा सके ताकि उन्हें संगठनात्मक रूप से मजबूत किया जा सके और बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य को अग्रसक्रिय रूप से संभाला जा सके।

8.10 ऊर्जा मित्र

ऊर्जा मित्र आपकी कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (“आरईसीपीडीसीएल”) की विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन के अंतर्गत वितरण क्षेत्र की एक पहल है और यह अपने ही प्रकार का प्रथम अनुप्रयोग है जिसे उसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

ऊर्जा मित्र राज्य बिजली वितरण यूरिलिटीज के लिए एक केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना मंच प्रदान करता है, जो पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस, ई-मेल या पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से बिजली आउटेज की जानकारी प्रसारित करता है। पूरे देश में उपभोक्ताओं को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पावर आउटेज अपडेट मिलता है। ऊर्जा मित्र, देश के किसी भी हिस्से में वास्तविक समय में बिजली कटौती को देखने और बिजली कटौती की शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। देश में 53 डिस्कॉम के लगभग 23.24 करोड़ उपभोक्ताओं का डेटा ऊर्जामित्र ऐप पर अपलोड किया गया है और अब तक उपभोक्ताओं को लगभग 705 करोड़ एसएमएस भेजे गए हैं।

8.11 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना

11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य “सभी के लिए 24x7 बिजली” की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए फीडर स्तर पर ग्रामीण बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मानकों की निगरानी करना है। यह योजना देश भर में ग्रामीण, कृषि और मिश्रित (कृषि ग्रामीण) फीडरों के लिए मॉडम/डीसीयू स्थापित करके एक आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, वेब आधारित स्वचालित प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रखती है। सभी आउटगोइंग 11 केवी ग्रामीण फीडरों और ऐसे 66/33 केवी इनकमिंग फीडरों के विभिन्न आवश्यक मापदंडों पर डेटा प्राप्त किया जाता है, जहां से 11 केवी ग्रामीण फीडर निकल रहे हैं और सभी हितधारकों के लिए जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह के डेटा का विश्लेषण विभिन्न हितधारकों जैसे डिस्कॉम और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को उपयोगी एमआईएस प्रदान करता है।

8.11 राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस)

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरईसीपीडीसीएल, राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएफएमएस) के लिए नोडल एजेंसी है जो देश भर में सभी 33/22/11 केवी प्रेषक वितरण फीडरों की बिजली की विश्वसनीयता और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक क्लाउड आधारित केंद्रीय आईटी प्लेटफॉर्म है। डिस्कॉम (डिस्कॉमों) के पुराने फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम को एनएफएमएस के साथ एकीकृत किया जाएगा। प्लेटफॉर्म घाटे, आवश्यक विद्युत मापदंडों, आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करेगा और वास्तविक समय के आधार पर डिस्कॉम सहित सभी हितधारकों को जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल लाइव प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी के लिए रिपोर्ट और अंतर्दृष्टि देखने के लिए डिस्कॉम अधिकारियों के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर भी कार्य कर रहा है और वितरण क्षेत्र में और सुधार लाने के लिए केंद्रित कार्रवाई के लिए विद्युत क्षेत्र के हितधारकों को व्यक्तिगत फीडर स्तर पर डिस्कॉम के संचालन में एक एकीकृत अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

एनएफएमएस पोर्टल का एक पायलट प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिस्टम का प्रचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.13 तरंग

तरंग (रियल-टाइम अनुश्रवण एवं विकास के लिए पारेषण ऐप) पारेषण क्षेत्र की एक पहल है, जो आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आरईसीपीडीसीएल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में क्रियान्वित की जा रही है। तरंग ऐप देश भर में पारेषण प्रणाली की एक वास्तविक समय रिपोर्टिंग है। यह पारेषण प्रणाली की अखिल भारतीय प्रगति के बारे में एक सूचनात्मक माध्यम प्रदान करता है, जिसे महीने-वार, एजेंसी-वार, राज्य-वार जानकारी आदि के विश्लेषण के लिए ड्रिल डाउन किया

जा सकता है। तरंग टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के साथ-साथ विनियमित टैरिफ तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही अंतर-राज्य और अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है।

9 सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत निष्पादन और उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान और 31 मार्च, 2023 तक संचयी रूप से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों अर्थात आरडीएसएस, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और पीएमडीपी-2015 के तहत निष्पादन और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

9.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरडीएसएस, डीडीयूजीजेवाई और पीएमडीपी-2015 के तहत प्रदर्शन और उपलब्धियां

- संस्वीकृति और रिलीज:** वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी-नोडल एजेंसी को सौंपे गए राज्यों में पीएमए सहित स्मार्ट मीटरिंग और हानि में कमी के लिए किए गए कार्यों हेतु आरडीएसएस के तहत 47,242.38 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

भारत सरकार की आर्थिक सहायता को आरईसी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान या अपने स्वयं के स्रोतों से ऋण के माध्यम से उसके समान योगदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्यों को 1,828.48 करोड़ रुपये [जिसमें आरडीएसएस: 622.54 करोड़ रुपये, डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा सहित): 916.46 करोड़ रुपये, डीडीयूजीजेवाई- डीडीजी: 5.05 करोड़ रुपये, पीएमडीपी-2015: 284.43 करोड़ रुपये और सौभाग्य: शून्य शामिल हैं] की कुल जीबीएस निधियां जारी की गई हैं।

- आरडीएसएस के तहत भौतिक प्रगति:** आरडीएसएस के तहत 8,99,291 स्मार्ट मीटर संस्थापित किए गए।

9.2 31 मार्च, 2023 तक संचयी कार्य-निष्पादन

- संस्वीकृति और रिलीज:** आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटरिंग और हानि में कमी के लिए आरईसी (नोडल एजेंसी) को आवंटित राज्यों को 1,37,522.27 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी। आरई परियोजनाओं और सौभाग्य योजनाओं सहित डीडीयूजीजेवाई के अधीन, कुल 1,43,285.38 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई और परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल निष्पादित लागत 31 मार्च, 2022 तक 1,26,544.32 करोड़ रुपये थी। पीएमडीपी (ग्रामीण) के तहत 1,687.98 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी।

योजनाओं के शुभारंभ के बाद से, 31 मार्च, 2023 तक कार्यान्वयन एजेंसियों को नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी द्वारा भारत सरकार के 95,567.12 करोड़ रुपये [जिसमें आरडीएसएस: 622.54 करोड़; डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना सहित): 86,851.50 करोड़ रुपये, डीडीजी: 850.92 करोड़ रुपये, पीएमडीपी-2015: 937.09 करोड़ रुपये और सौभाग्य: 6,305.07 करोड़ रुपये शामिल हैं] के अनुदान राशि वितरित की गई है।

- भौतिक प्रगति:**

- डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त अवसंरचना सहित)**
डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त अवसंरचना सहित) स्कीम के आरम्भ से समापन तक, निम्नलिखित कार्यों को संचयी रूप से पूरा किया गया है:



- संवर्धन सहित सब-स्टेशनों को चालू करना : 7,231
- वितरण ट्रांसफार्मर को चालू करना (संवर्धन सहित) : 16,57,999
- 11 केवी लाइन (फीडर पृथक्करण): 8,02,484 सीकेएम
- एलटी लाइनें: 13,66,881 सीकेएम
- 33 केवी/66 केवी लाइनें: 41,138 सीकेएम
- उपभोक्ता मीटरिंग की संस्थापना: 1,87,97,312
- डीटीआर और फीडर की मीटरिंग: 2,54,307

II) आरडीएसएस

आरडीएसएस की स्थापना के बाद से, 31 मार्च, 2023 तक आरडीएसएस के तहत संचयी रूप से 15,13,349 स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए।

III) पीएमडीपी (ग्रामीण)

पीएमडीपी (ग्रामीण) के तहत स्थापना के बाद से 31 मार्च 2023 तक संचयी रूप से निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए हैं-

- संवर्द्धन सहित सब-स्टेशनों को चालू करना: 126
- वितरण ट्रांसफार्मरों को चालू करना (संवर्द्धन सहित): 2946
- 11 केवी लाइनें (फीडर पृथक्करण सहित): 3181 सीकेएम
- एलटी लाइनें: 9240 सीकेएम
- 33 केवी/66 केवी लाइनें: 213 सीकेएम

ग. **सौभाग्य:** सौभाग्य के शुभारम्भ से विभिन्न स्कीमों नामतः सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आरई, पीएमडीपी और राज्यों की अन्य नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं के तहत 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

10 मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुवीक्षण

आपकी कंपनी ने सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटीज को वितरण प्रणाली में नियमित रूप से सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देश, आश्रस्त तकनीकी विवरण (जीटीपी), लेआउट ड्राइंग, डेटा शीट और निर्माण मानकों का उपयोग राज्य बिजली यूटिलिटीज द्वारा उनके राज्य द्वारा अपनाई प्रथाओं के साथ किया जा रहा है।

कंपनी वितरण क्षेत्र में नई उभरती प्रौद्योगिकियों को अपना रही है, जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर सहित प्रीपेड स्मार्ट मीटर, उपभोक्ता और सिस्टम मीटरिंग, एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई, हेड-एंड सिस्टम, मीटरिंग डाटा मैनेजमेंट, बिलिंग सॉफ्टवेयर/सिस्टम और संचार प्रौद्योगिकी), पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अभिग्रहण (स्काडा), वास्तविक समय डाटा अभिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएस), वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), सूचना प्रौद्योगिकी / प्रचालनात्मक प्रौद्योगिकी (आईटी/ओटी) संबंधित कार्य। राज्य विद्युत यूटिलिटीज अपनी प्रचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए इन नई तकनीकों का लाभ उठा रही हैं।

सरकारी कार्यक्रमों के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान साइट और फील्ड कार्यों के लिए आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामग्री और फील्ड कार्य निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर (आरक्यूएम) नियुक्त किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकारी योजनाओं के तहत स्थापित ग्राम विद्युत अवसंरचनाओं में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आरक्यूएम ने 1,478 गांवों और मैसर्स

ईआरडीए एवं मैसर्स एनटीएच लैबोरेट्रीज में 266 सामग्री निरीक्षण संचालित किए। ग्रामीण भारत की सामान्य आजीविका और विकास पर योजना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के आकलन के लिए पहले से लागू योजनाओं अर्थात् सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई योजनाओं का तृतीय पक्ष की एजेंसियों नामतः क्रमशः मैसर्स आरटीआई-यूसीएलए और मैसर्स ईएंडवाई द्वारा प्रभाव मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

11. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें क्रेडिट जोखिम, प्रचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम सहित विभिन्न जोखिम शामिल हैं। कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान की है और उन्हें कम करने के लिए लगातार उचित कदम उठा रही है।

प्रमुख जोखिमों और उनके शमनीकरण उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

(i) **क्रेडिट जोखिम:** क्रेडिट जोखिम वित्त-पोषण उद्योग में निहित जोखिम है और इसमें हानि होने का जोखिम शामिल है, जो उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होता है और वह जोखिम कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान पर चूक करेगा।

इसे कम करने के लिए, कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम कम करने के उपाय शामिल होते हैं। इसके अलावा, नियमित आधार पर आरईसी ऋण पुस्तिका को ईसीएल पद्धति के आधार पर परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) **प्रचालन जोखिम:** प्रचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है।

कंपनी ने एक व्यापक जोखिम रजिस्टर लागू किया है, जिसके माध्यम से सभी प्रचालन जोखिमों को मापा जाता है और उन्हें उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के प्रचालन जोखिमों का अध्ययन व्यवसाय, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, साइबर सुरक्षा, कानूनी, प्रचालन और सामरिक जैसे सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, समयबद्ध और सतत तरीके से पूर्ण रूप से विनियामक/पर्यवेक्षी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) नियुक्त किया है।

(iii) **चलनिधि जोखिम:** चलनिधि जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़ी परिपक्वता के बेमेल के कारण उत्पन्न होता है। देनदारियों को पूरा करने में संभावित अक्षमता का जोखिम शामिल होता है क्योंकि वे देय हो जाते हैं। चलनिधि जोखिम में कंपनी की परिसंपत्तियों में वृद्धि को धन प्रदान करने, वित्त-पोषण स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता शामिल है। कंपनी को चलनिधि जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए प्रतिकूल शर्तों पर धन जुटाने या परिसंपत्तियों को समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

चलनिधि जोखिम को कम करने के लिए, परियोजना संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर भविष्योन्मुखी संसाधन

जुटाने सहित रणनीतियों का मिश्रण शामिल होता है।

(iv) **बाजार जोखिम:** कंपनी के बाजार जोखिम को कंपनी की आय और पूंजी के लिए जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है, जो बाजार की गतिशीलता में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है, जैसे ब्याज दर या प्रतिभूतियों की कीमतें, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव।

कंपनी ने बाजार जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न जोखिम सीमाएं लागू की हैं। कंपनी ने ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम सहित बाजार जोखिम के घटकों की निगरानी के लिए एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का भी गठन किया है।

(v) **ब्याज दर जोखिम:** ब्याज दर जोखिम बाजार ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है।

ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, आपकी कंपनी समय-समय पर प्रचलित बाजार दरों के आधार पर अपनी उधार दरों और उधार की भारित औसत लागत की समीक्षा करती है।

(vi) **विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) जोखिम:** विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार-चढ़ाव शामिल होता है जो विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्ग की परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्था के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कंपनी उचित हेजिंग रणनीतियों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है।

(vii) **पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन संबंधी जोखिम:** ईएसजी संबंधी जोखिम पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन कारकों से उत्पन्न होते हैं जिनका कंपनी के प्रचालन, वित्तीय प्रदर्शन और प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है। विश्व भर में संबंधित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती जलवायु चिंताओं और सरकारों के प्रोत्साहन के कारण, ईएसजी संबंधी जोखिमों पर बहुत महत्व दिया गया।

आरईसी अपने प्रचालन, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने में पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी विचारों को शामिल करता है। इस संबंध में, कंपनी ने फोकस क्षेत्रों को कवर करते हुए एक ईएसजी नीति तैयार और कार्यान्वित की है।

11.1 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के एकीकृत जोखिमों की निगरानी के लिए कंपनी के निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है। समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक (सीएमडी), एक स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना) शामिल हैं। संगठन के विभिन्न प्रमुख प्रभागों के कार्यपालक निदेशक आरएमसी की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं।

आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की निगरानी करना और कंपनी के संचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई को सुझाना है। इसके अलावा, जैसा कि आरबीआई के मानदंडों के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है, जो आरएमसी के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

11.2 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति

बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसमें निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजना), कार्यपालक निदेशक और वित्त और प्रचालन प्रभागों के मुख्य महाप्रबंधक सदस्य के रूप में शामिल हैं। एएलसीओ ब्याज दरों, नकदी और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करता है।

12. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

आपकी कंपनी में अप्रैल, 2022 से बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) नीति / मैनुअल है जो संगठन के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोड़ता है और निदेशक मण्डल, लेखा परीक्षा समिति और वरिष्ठ प्रबंधन को संगठन के आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन और शासन संबंधी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करता है। यह ₹5,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमा स्वीकार न करने वाली सभी एनबीएफसी के लिए आरबीआईए कार्यवाही हेतु आरबीआई के अधिदेश के अनुरूप है। आरबीआईए संगठन को जोखिमों की पहचान करने और बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जोखिम प्राथमिकता और दिशा के आधार पर उन पर ध्यान देने में सहायता करेगा। आरबीआईए ढांचे के तहत गतिविधियों में संचालन/गतिविधियों का स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन, लेखापरीक्षा के समग्र क्षेत्र की पहचान, जोखिम मैट्रिक्स का विकास, वार्षिक आरबीआईए योजना तैयार करना और आरबीआईए नीति में परिभाषित आवृत्ति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन शामिल है।

13. पसंदीदा ग्राहक नीति

व्यापार संवर्धन रणनीति के एक भाग के रूप में, कंपनी के ग्राहकों को सेवाओं के उन्नत स्तर की पेशकश करने और उनके साथ दीर्घकालिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाए रखने के मूल उद्देश्य के साथ 2008 में एक पसंदीदा ग्राहक नीति तैयार की गई थी। नीति पसंदीदा ग्राहकों को निर्धारित करने तथा उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों, साथ ही आरईसीआईपीएमटी हैदराबाद द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण संबंधी घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित करने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करती है जो बकाया ऋण की राशि, ऋण संबंध की अवधि, उधारकर्ता का पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

14. सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

आपकी कंपनी ने अपनी व्यवसाय ईआरपी को संशोधित किया है, जो जीएसटी और इंड-एएस को समर्थन करती है, इसमें उन्नत विशेषताएं हैं, जिससे कंपनी के व्यवसाय संचालन के और स्वचालन की सुविधा हुई है। आवश्यकता के अनुसार ईआरपी प्रणाली में लगातार सुधार किया जाता है। आरईसी ने स्वचालित वर्कफ्लो और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन सुविधाओं के साथ एनआईसी ई-ऑफिस समाधान भी लागू किया है। एनआईसी ई-ऑफिस ने कागज के उपयोग को कम करने के अलावा दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करके कंपनी के कार्य करने के तरीके में बड़ा बदलाव लाया है।

संचालन की मांग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च उपलब्धता के साथ, नवीनतम नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों सहित आपकी सम्पूर्ण कंपनी में एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क अवसंरचना सुविधा को नया रूप दिया गया है। सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क ने उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ स्थानों से आरईसी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा प्रदान की है ताकि व्यावसायिक अनुप्रयोगों, जैसे ईआरपी और एनआईसी ई-ऑफिस, तक पहुंच प्राप्त की जा सके और इस प्रकार बिना किसी व्यवधान के निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो सके।

आरईसी का प्राथमिक डाटा केंद्र और आपदा रिकवरी केंद्र आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित है और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुपालन करते हैं। आरईसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आईटी ढांचे के मास्टर निर्देश के आईटी सुरक्षा निर्देशों को लागू किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा पर प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करती है, तथा इसमें आरईसी के परिवेश में विसंगत क्रियाकलापों की पहचान करने के लिए वास्तविक-समय अभिलेख और सुरक्षा घटना विश्लेषण के लिए तंत्र सहित साइबर सुरक्षा समाधान भी हैं।



कंपनी ने बेहतर ई-गवर्नेंस की प्राप्ति के लिए आईटी पहल के हिस्से के रूप में सिंगल-साइन-ऑन समाधान, केंद्रीकृत स्कैनिंग समाधान, भौतिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण आदि प्रणाली परिनियोजित की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी दैनिक गतिविधियों में डिजिटल और हरित पहल को बढ़ावा देती है।

आरईसी की वेबसाइट उपयोगकर्ता के अनुकूल, गतिशील, संवादात्मक और आसानी से सुलभ है, एसटीक्यूसी प्रमाणित है और भारत सरकार द्वारा जारी वेबसाइट (जीआईडीडी) के लिए दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

15. आरईसी विद्युत प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान

आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) आरईसी के तत्वावधान में एक प्रमुख विद्युत क्षेत्रक प्रशिक्षण संस्थान है। हैदराबाद में 1979 में स्थापित, संस्थान विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

पिछले चार दशकों के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने 3,114 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों, विद्युत विभागों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, विद्युत नियामक आयोगों आदि सहित विद्युत यूटिलिटीज से 68,525 इंजीनियरों/प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया है।

15.1 राष्ट्रीय नियमित कार्यक्रम (एनआरपी)

एनआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत, आरईसीआईपीएमटी ने विभिन्न विषयों जैसे ओपन एक्सेस पावर एक्सचेंज और ट्रेडिंग, स्मार्ट मीटर एएमआई और प्रौद्योगिकियों, वितरण हानि में कमी, बिजली की चोरी, चुनौतियों और सुधारोपाय, ईएचवी उप-स्टेशनों और लाइनों में सुरक्षा प्रणालियाँ, वितरण प्रणाली में अर्थिंग परिपाटियाँ और संरक्षण, सौर ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने की अवधारणा, गुणवत्ता आश्वासन सहित ईएचवी उप-स्टेशनों और लाइनों का ओ एंड एम, न्यायालय मामलों से निपटने में श्रम कानून और प्रक्रिया, ईएचवी सबस्टेशन और लाइनों का डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण, टैरिफ नीति, एआरआर और नियामक अनुपालन, विफलता को कम करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर - प्रचालन और अनुरक्षण पर वेबिनार के माध्यम से 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम और कक्षा मोड में 7 कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में कुल 137 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

15.2 भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी अंतरराष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र के संगठनों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार के साथ एक भागीदार प्रशिक्षण संस्थान भी है। वर्ष 2005 से अब तक, आरईसीआईपीएमटी ने 109 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और 98 देशों के 1,839 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 22 अधिकारियों की भागीदारी के साथ 3 सप्ताह की अवधि का 1 वेबिनार आयोजित किया गया और 4 सप्ताह की अवधि के 4 कक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, भूटान, कैमरून, कोटे डी आइवर, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, इराक, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, नाइजर, ओमान, पेरू, सेशेल्स, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, सूडान, ताजिकिस्तान, तंजानिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, जिम्बाब्वे जैसे देशों ने भाग लिया।

15.3 आरईसी प्रायोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विद्युत यूटिलिटीज के अधिकारियों के मध्य जागरूकता लाने के लिए, आरईसीआईपीएमटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अखिल भारतीय प्रतिभागिता के साथ निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क आयोजित किए गए:

क. विद्युत सुरक्षा पर आरईसी प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुरक्षा देश में विद्युत यूटिलिटीज की प्रमुख चिंता है, आरईसी ने “विद्युत सुरक्षा” पर 60 बैचों को प्रायोजित किया, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न यूटिलिटीज के 1,511 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

ख. डिस्कॉम के तकनीकी-वाणिज्यिक सुधार पर आरईसी प्रायोजित वेबिनार

आरईसीआईपीएमटी ने “डिस्कॉम के निष्पादन के तकनीकी-वाणिज्यिक सुधार” पर 2-दिवसीय वेबिनार के 60 बैचों का आयोजन किया, जिसमें एटीएंडसी हानि में कमी की तकनीकों, ओ एंड एम मुद्दे – चुनौतियाँ, विद्युत अधिनियम संशोधन, एसीआर-एआरआर पहलुओं आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया। उक्त के तहत ही, आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत क्षेत्र की कंपनियों अर्थात जेनकोस, ट्रांसको और डिस्कॉम के 1,520 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

ग. विद्युत यूटिलिटीज में सर्वोत्तम परिपाटियों पर आरईसी प्रायोजित कार्यक्रम

आरईसी ने “विद्युत यूटिलिटीज में सर्वोत्तम परिपाटियों” पर 3-दिवसीय कक्षा कार्यक्रम के 60 बैचों को प्रायोजित किया है तथा जेनकोस, ट्रांसको और डिस्कॉम सहित विद्युत क्षेत्र के 1,202 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

15.4 आरईसी अधिकारी (इन-हाउस) प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने आरईसी के कर्मचारियों के लिए 5 ऑनलाइन वेबिनार और 6 कक्षा सत्र भी आयोजित किए, जिसमें 134 कर्मचारियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए विषयों में विद्युत क्षेत्र की स्थिरता, विद्युत अधिनियम संशोधन और इसके प्रभाव; डिस्कॉम के तकनीकी वाणिज्यिक सुधार, माल एवं सेवा कर (जीएसटी), जीईएम के माध्यम से प्रापण प्रक्रिया और ई-प्रापण, प्रदर्शन मूल्यांकन, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के प्रबंधन के लिए संगठन व्यवहार कौशल, आरडीएसएस योजना और स्मार्ट मीटरिंग प्रौद्योगिकियाँ और ऐप्लीकेशन, ऋण प्रलेखन, उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी), एमएस एक्सेल और पावर प्वाइंट, नेतृत्व और संचार कौशल शामिल थे।

15.5 अनुकूलित कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने पावर ट्रांसफार्मर-परीक्षण, कमीशनिंग, संरक्षण; 33/11 केवी सबस्टेशन और 33 केवी लाइनों का प्रचालन, अनुरक्षण और संरक्षण; वितरण ट्रांसफार्मर और विफलता न्यूनीकरण के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण परिपाटी; वितरण ट्रांसफार्मर का ओ एंड एम; जम्मू-कश्मीर, लेह और लद्दाख के लिए एटी एंड सी हानि में कमी तथा विनियामक ढांचा एवं सीआरएम जैसे विभिन्न विषयों पर 13 अनुकूलित कक्षाकक्ष मोड कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, एसईसीआई, नई दिल्ली के परियोजना स्थल पर सुरक्षा प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया था। इन कार्यक्रमों के जरिए कुल 258 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

15.6 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने कुल 224 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 15,371 प्रशिक्षण-दिनों की उपलब्धि के साथ 4,854 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

रोजगार सृजन और युवाओं को सार्थक नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए “मिशन रिक्रूटमेंट” के तहत, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न प्रक्षेत्रों में 38 अधिकारियों की भर्ती की है। 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या 419,

जिसमें 379 कार्यपालक और 40 गैर-कार्यपालक शामिल हैं। भविष्य के लिए निगम की महत्वाकांक्षी वृद्धि और विविधीकरण योजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी पेशेवर क्षमता को बढ़ाने के लिए, कंपनी ने अब तक 2023-24 के दौरान विभिन्न विषयों में 111 अधिकारियों की भर्ती की है।

16.1 रोजगार में आरक्षण

विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कुल संख्या के प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समूह-वार विवरण निम्नानुसार था:

कर्मचारियों की संख्या				
वर्ष	श्रेणी	समूह क	समूह ख	कुल
2022-23	अनुसूचित जाति	41	3	12
	अनुसूचित जनजाति	20	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	87	1	3
	सामान्य / अन्य	231	8	13
	कुल कर्मचारी	379	12	28
	कुल महिला कर्मचारी	59	0	5

16.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कर्मचारियों के कौशल सेट के उन्नयन और निष्पादन की उच्च डिलीवरी को सुनिश्चित करने सहित प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के साथ क्षमता निर्माण के उपाय को प्राथमिकता दिया जाना जारी रखा गया।



इंटर-सीपीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट में आरईसी की विजेता टीम

कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य वर्तमान दृष्टिकोण और भविष्य की अपेक्षाओं, संसाधनों की आवश्यकता, कंपनी से संबंधित उभरते अवसरों और जोखिमों पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना है। बेहतर कर्मचारी प्रदर्शन के लिए आवश्यक व्यावसायिक कौशल और दक्षताओं में सुधार के लिए, सभी कर्मचारियों को सभी संभावित अवसर और कौशल विकास

प्रशिक्षण प्रदान किए गए। व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के साथ-साथ कर्मचारियों को उस सामाजिक-आर्थिक वातावरण के बारे में जागरूक करने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें कंपनी का व्यवसाय संचालित होता है। स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण की वृद्धि और व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया के विषयों पर प्रशिक्षण भी दिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 315 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया, जिससे कंपनी 1,136 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त करने में सफल रही।

16.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों को प्रसन्न, स्वस्थ और लाभप्रद बनाए रखना आपकी कंपनी का मूल लक्ष्य है। कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाओं को ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया था। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए क्रेच/डे केयर सुविधा का भी विस्तार किया है। मनोरंजन और स्वस्थ जीवन की सुविधा के लिए, परिसर में कर्मचारियों के लिए व्यायामशाला भी उपलब्ध है। कंपनी द्वारा कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से विभिन्न योग कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।

16.4 खेल गतिविधियां

खेल गतिविधियों में कर्मचारियों की भागीदारी - एकता, सद्भाव और सहिष्णुता की भावना उत्पन्न करते हुए लोगों और देशों को एक साथ लाती है। एक आदर्श परिदृश्य में, व्यक्ति अक्सर एक आदर्श कार्यस्थल की तलाश में रहता है। एक ऐसा स्थान जो सहायक व्यवस्थाएं प्रदान



तत्वावधान में विद्युत क्षेत्र की विभिन्न सीपीएसयू द्वारा आयोजित टेबल टेनिस, क्रिकेट, वालीबॉल, शतरंज आदि जैसे विभिन्न अंतर-सीपीएसयू खेल टूर्नामेंटों के लिए अपने कर्मचारियों को प्रायोजित भी किया। इसके

अतिरिक्त, कर्मचारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न क्विज़, पेपर प्रस्तुतियों और सिमुलेशन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।



महिला कर्मचारियों के लिए आउटबाउंड प्रशिक्षण कार्यक्रम

16.5 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी हमारी महिला कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है और इस दिशा में आपकी कंपनी को एक्सचेंज 4मीडिया द्वारा वीमन अचीवर्स अवार्ड्स, 2022 में 'महिला सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन' से सम्मानित किया गया। 31 मार्च, 2023 तक, कंपनी में 64 स्थायी महिला कर्मचारी थीं, जो कुल कार्यबल का 15.27% प्रतिनिधित्व करती थीं। लिंग के आधार पर कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कंपनी के पास महिला कर्मचारियों के कल्याण और सर्वांगीण विकास की देखरेख के लिए एक महिला प्रकोष्ठ है। आरईसी के महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उत्सव को चिह्नित करने के लिए आरईसी ने गोवा में अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक "आउटबाउंड प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित किया है जिसमें उन्होंने विभिन्न टीम-निर्माण गतिविधियों, रुचिकर खेलों और संवादात्मक सत्रों में भाग लिया। कंपनी लैंगिक समानता में भी विश्वास करती है और अपनी सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्यस्थल प्रदान करती है।

16.6 औद्योगिक संबंध

नियोक्ता और कर्मचारी संबंध सभी संगठनों की नींव होते हैं और आपकी कंपनी में सौहार्दपूर्ण संबंध वर्षों तक कायम रहते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। औद्योगिक अशांति के कारण मानव-दिवस का कोई नुकसान नहीं हुआ। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी संघ और आरईसी अधिकारी संघ के साथ नियमित चर्चा की गई। इससे विश्वास और सहयोग का माहौल बनाने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रेरित कार्यबल और निष्पादन में निरंतर सुधार हुआ है।

16.7 शिकायत निवारण

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए स्पष्ट और पारदर्शी कार्यवाही सुनिश्चित करने एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के पास व्यापक रूप से जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी को लोक शिकायत समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

17. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल का उद्देश्य सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं का समर्थन करना है, ताकि लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से अधिकतम पहुंच बनाई जा सके और एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में राष्ट्रीय चिंता के विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सुकर बनाने के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई, स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं को बढ़ावा देने, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण ढांचागत विकास के क्षेत्र में सीएसआर पहल की गई है।

कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए यथासंशोधित नियमों के अनुरूप है; और <https://recindia.nic.in/csr-sustainability-policy> पर उपलब्ध है।

वर्ष 2022-23 के लिए डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को अपने सीएसआर बजट का 60% अधिमानतः आकांक्षी जिलों में "स्वास्थ्य और पोषण विषय पर खर्च करना अपेक्षित था।

कंपनी ने भारत भर में फैले विभिन्न आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और संबंधित विषयगत क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण गतिविधियों का समर्थन करने के अपने प्रयासों में तेजी लाई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने पर लक्षित कंपनी की सीएसआर परियोजनाएं गजपति (ओडिशा), ममित (मिजोरम), किफिर (नागालैंड), मुजफ्फरपुर (बिहार), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), चंदेल (मणिपुर) और पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) जिलों में कार्यान्वित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू उपबंधों के अनुरूप 202.65 करोड़ रुपये, अर्थात् पिछले तीन वित्तीय वर्षों के निवल लाभ के औसत का 2% प्रतिशत के सीएसआर बजट को मंजूरी दी। उक्त के प्रति, कंपनी ने वर्ष के दौरान 210.357 करोड़ रुपये खर्च किए हैं (पिछले वर्ष से 0.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को अग्रेनीत करने सहित)। कुल खर्च में पीएम केयर्स फंड में 50 करोड़ रुपये का अंशदान और विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में विभिन्न अन्य परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष दिव्यांगों को 16,000 सहयोगी और सहायक उपकरणों का वितरण।
- गुरुग्राम, हरियाणा एवं हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्रवासी निर्माण

श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल स्कूल का संचालन।

- एथलेटिक्स बैडमिंटन और मुक्केबाजी पर बल देते हुए, खेलों का व्यापक आधार बनाना और पूरे भारत में खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।
- पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर जिलों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों के कार्यस्थल पर 500 शौचालय ब्लॉक का निर्माण।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के परिचारकों के लिए जिला अस्पताल, उज्जैन में 100 बेड वाले 'आरईसी विश्राम सदन' (जी+3) का निर्माण।
- आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के दो गांवों में दो बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल और मणिपुर के सेनापति जिले के असुफी पुनानामेई माओ में एक बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल का निर्माण।
- हरियाणा के गुडगांव में 50 स्कूलों में 1,000 स्कूल बैच और राजस्थान में सरकारी बाल देखभाल संस्थानों में 1,000 स्कूल बैच, 1,250 बंक बेड, पुनर्वसन योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट से बनी 5,000 आरपीईटी (पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर) टी-शर्ट प्रदान करना।



आरईसी सीएसआर परियोजना के तहत मेघालय और नागालैंड में स्कूल जाने वाले छात्रों को किचन गार्डन प्रशिक्षण प्रदान करना

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन के विवरण शामिल हैं, इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

18. सतर्कता क्रियाकलाप

आपकी कंपनी लगातार कर्मचारियों के मध्य शुचिता और अखंडता को इष्टतम करने और सभी प्रचालन क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आरईसी के सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर रहने वाले कर्मचारियों का रोडेशन और स्थानांतरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं की समीक्षा, दी गई निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) की समीक्षा, आदि करके 'निवारक सतर्कता' को मूर्त रूप देना है।

इस संबंध में, निम्नलिखित प्रमुख क्रियाकलाप किए गए हैं:

- सीवीसी/विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में चिन्हित संवेदनशील पदों से रोडेशनल स्थानांतरण के मामले की लगातार निगरानी की जा रही है।
- सीवीसी और विद्युत मंत्रालय को समय पर विहित आवधिक सांख्यिकीय विवरणी भेजना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टें अर्थात् आंतरिक, सांविधिक और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की नियमित समीक्षा।
- परियोजनाओं, प्रदान की गई निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा। जहां-कहीं भी विचलन पाया गया, मामले को संबंधित प्रभागों के साथ उठाया गया, जिससे मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालयों, आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का क्षेत्र निरीक्षण और कार्यपालकों की एपीआर की संवीक्षा।
- ऋण, योजनाओं, निविदाओं, तीसरे पक्ष के बिल आदि के लिए आईटी प्रणालियों और ऐप्लीकेशन के उपयोग पर बल।



- यह सुनिश्चित किया जाता है कि निगम की प्रमुख नीतियां और जानकारी नीतियां आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

18.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शिकायतें

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं (सीवीसी के माध्यम से 2 शिकायतें) और सभी 10 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, कोई भी शिकायत जांच के लिए लंबित नहीं थी।

18.2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

आरईसी ने “विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत” विषय पर 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 मनाया। सप्ताह के दौरान, कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न रोचक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में पैरा लेखन, क्विज़, पोस्टर/कोलाज मेकिंग और कविता लेखन शामिल थे।

आपकी कंपनी के सभी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2022 को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। पूरे भारत में आरईसी के कार्यालयों में विभिन्न स्थानों पर बैनर और स्टैंडर्ड भी प्रदर्शित किए गए। भ्रष्टाचार से लड़ने और एक विकसित राष्ट्र पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

सभी गतिविधियों में कर्मचारियों की जबरदस्त भागीदारी प्राप्त हुई। आपकी कंपनी के सीएमडी और सीवीओ कर्मचारियों से सप्ताह की सीख को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करने और हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान करते हैं।

19. राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के संदर्भ में अधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कारपोरेट कार्यालय में 14-28 सितंबर, 2022 तक ‘हिंदी पखवाड़ा’ आयोजित किया गया, जिसमें राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिंदी नारा लेखन, हिंदी अनुवाद, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता और अन्य सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस तरह के आयोजनों और प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की भागीदारी उत्साहजनक थी। कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। आरईसीआईपीएमटी सहित कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में भी ‘हिंदी पखवाड़े’ का आयोजन किया गया, ताकि प्रतिभागियों को उनके आधिकारिक कार्यों को हिंदी में करने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सके। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् पंचकुला, आरईसीआईपीएमटी, त्रिवेन्द्रम, भोपाल, रायपुर, रांची और जयपुर का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों ने कर्मचारियों में अपने नेमी कार्य में हिंदी को अपनाने के लिए जागरूकता की भावना उत्पन्न की है।

आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव को विह्वित करने के लिए 5 मई, 2022 को कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा “राष्ट्रीय चेतना के विकास में हिंदी की भूमिका” विषय पर एक राजभाषा सम्मेलन-सह-हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग के बारे में जानकारी देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आरईसी कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

12 मई 2022 को आयोजित विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आरईसी को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2020-21 के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

इसके अतिरिक्त, श्री अजय कुमार मिश्रा, माननीय राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय) ने 3 मार्च, 2023 को रायपुर में राजभाषा विभाग के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में आरईसी मुंबई कार्यालय को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया।

इसके अतिरिक्त, आरईसी को 19 अक्टूबर, 2022 को गुवाहाटी में अंतरराष्ट्रीय हिंदी परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी द्वारा राजभाषा शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था।

आरईसी एक हिंदी पत्रिका ‘उर्जयान’ प्रकाशित कर रहा है, जिसमें दिलचस्प और उपयोगी लेख और साथ ही इसके कर्मचारियों के साहित्यिक लेख शामिल हैं। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, कंपनी ने वृत्तांत, लेख, कविता आदि के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है।

20. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन के संबंध में विवरण

20.1 ऊर्जा का संरक्षण

आपकी कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है, जहां सभी सिविल, विद्युत स्थापना और रखरखाव स्कोप (सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन) द्वारा किया जाता है।

गुरुग्राम में स्थित आरईसी का कारपोरेट कार्यालय, ऊर्जा संरक्षण के लिए भवन में लगभग 30 प्रतिशत एचवीएस लोड आवश्यकता को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल फलक और रेडिएंट कूलिंग स्लैब का उपयोग करके डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसके अलावा, ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करके आरईसी कार्यालय की लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए भवन के शीर्ष पर (सौर पैनल संरचना द्वारा समर्थित) एक 979 केंडब्ल्यूपी सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। अत्यधिक कुशल सौर पैनल (दक्षता = 21.2%) स्थापित किए गए हैं और सौर संयंत्र जुलाई 2021 से प्रचालन में है। सौर संयंत्र कार्याशील है और ग्रिड से जुड़ा है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इसने 13.19 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन किया है, जिसने कारपोरेट कार्यालय भवन की कुल लोड आवश्यकता के लगभग 50 प्रतिशत की पूर्ति की है।

20.2 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं थी। इसके अलावा, ब्याज, मूलधन चुकौती, वित्त प्रभार और अन्य खर्चों के कारण वर्ष के दौरान कुल 16,531.22 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा बहिर्वाह किया गया।

21. सहायक कंपनियां

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (“आरईसीपीडीसीएल”) (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के नाम से विख्यात) [सीआईएन U40101DL2007GOI165779], विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्श सेवाओं के कारोबार में रत है जिसमें वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों का कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ-ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, तृतीय पक्ष निरीक्षण, पूर्व प्रेषण सामग्री निरीक्षण और सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं जैसे डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस आदि की कुछ परियोजनाओं के तहत परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल, क्रमशः विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए स्वतंत्र अंतर-राज्यीय

और अंतरा-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए “बोली प्रक्रिया समन्वयक” के रूप में भी कार्य करता है।

प्रत्येक आर्बटि स्वतंत्र अंतर-राज्य/अंतरा-राज्य पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक परियोजना-विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को अधिनिगमित करता है, जो



कारगिल, लद्दाख में डबल सर्किट टॉवर पर ट्रांस से पदुम तक आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही 220केवी सिंगल सर्किट पारेषण लाइन

क्रम सं.	एसपीवी का नाम	एसपीवी के हस्तांतरण की तिथि
1	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	30-मई-2022
2	नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड	24-अगस्त-2022
3	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	10-अक्टूबर-2022
4	गडग II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड	18-नवम्बर-2022
5	डब्ल्यूआरएसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17-जनवरी-2023
6	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड	21-जनवरी-2023
7	ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-2023
8	केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-2023
9	केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-2023
10	खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-2023
11	खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-2023
12	खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-2023
13	खावड़ा II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड	28-मार्च-2023

आरईसी की सहायक कंपनी भी बन जाती है। टीबीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी सहायक कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने 13 परियोजना विशिष्ट एसपीवी को सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किया, अर्थात्:

31 मार्च, 2023 तक, आरईसीपीडीसीएल के पास विभिन्न अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित परियोजना-विशिष्ट एसपीवी थे: -

- (1) चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (2) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (3) मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (4) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (5) बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (6) रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (7) सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (8) ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (9) लूहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (10) केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड*
- (11) मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (12) एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (13) खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड#

नोट: क्रम सं. 6 से 13 पर दिए गए एसपीवी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगमित किया गया था।

* केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को 20 अप्रैल, 2023 को स्थानांतरित कर दिया गया।

परियोजना विशिष्ट एसपीवी, अर्थात् खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि संबंधित अंतर-राज्य ट्रांसमिशन परियोजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय द्वारा विधिपूर्वक है।



इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पश्चात, इन नए एसपीवी को आरईसीपीडीसीएल और आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में अधिनिगमित किया गया है, अर्थात्:

- (1) जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (2) राजस्थान पार्ट-1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (3) धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (4) ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (5) करेरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (6) शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (7) पचोरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

21.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने पिछले वित्तीय वर्ष में 177.20 करोड़ रुपये की आय की तुलना में 307.26 करोड़ रुपये की आय दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर पश्चात लाभ 139.79 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 53.03 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 को आरईसीपीडीसीएल की निवल संपत्ति 440.93 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च, 2022 को इसकी निवल संपत्ति 328.59 करोड़ रुपये थी।

21.2 स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरईसीपीडीसीएल, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में देश भर में एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। कंपनी ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों में लगभग 1.24 लाख स्मार्ट मीटर और चंडीगढ़ में लगभग 25 हजार स्मार्ट मीटर की संस्थापना की परियोजनाएं पहले ही पूरी कर ली हैं।

इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर में लगभग 5.5 लाख और लद्दाख में 60 हजार मीटर की संस्थापना की परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 2,33,000 स्मार्ट मीटर पहले ही संस्थापित किए जा चुके हैं। आरडीएसएस योजना के तहत, आरईसीपीडीसीएल गुजरात में 42 लाख स्मार्ट मीटर और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में 14.95 लाख स्मार्ट मीटर के कार्यान्वयन के लिए पीआईए के रूप में भी काम कर रहा है।

21.3 पारेषण परियोजनाओं का कार्यान्वयन:

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरईसीपीडीसीएल, परियोजना कार्यान्वयन और परियोजना प्रबंधन के संदर्भ में सेवाएं प्रदान करके देश भर में विभिन्न पारेषण यूटिलिटीज में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए)/परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य कर रही है। वर्तमान में, आरईसीपीडीसीएल लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5,359 मीटर की ऊंचाई पर 220 केवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) ट्रांसमिशन लाइन्स (टीएल) परियोजना, जो भारत की सबसे ऊंची पारेषण लाइन है, सहित विभिन्न पारेषण परियोजनाओं के साथ ही लद्दाख पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (एलपीडीडी) की ओर से पीएमडीपी-15 के तहत लद्दाख की नुब्रा और ज़ांस्कर घाटी में आधुनिक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन को कार्यान्वित कर रहा है। ये परियोजनाएं लद्दाख को निर्बाध ग्रिड बिजली आपूर्ति से जोड़ेगी और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद करेंगी और बिजली आपूर्ति के लिए डीजी सेट की निर्भरता को कम करेंगी, जिसके परिणामस्वरूप समूचे लद्दाख क्षेत्र में कार्बन पदचिह्न और संबंधित प्रदूषण की समस्या में कमी आएगी।

आरईसीपीडीसीएल क्रमशः कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों में 220/33 केवी

के 2 सबस्टेशन (जीआईएस और एआईएस) के निर्माण के लिए एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रही है। कश्मीर क्षेत्र के लस्सीपोरा में जीआईएस सबस्टेशन का काम पूरा हो चुका है, जो इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला सबस्टेशन है। यह वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने और पूरे क्षेत्र को 24x7 गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली प्रदान करने में बेहद उपयोगी है।

21.4 अन्य कार्य:

क. आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरईसीपीडीसीएल ने आर-एपीडीआरपी (भाग-क) प्रणाली और प्रबंधन के लिए सुविधा प्रबंधन सेवाओं (एफएमएस) के साथ आईटी सहायता सेवाएं और एसएपी समर्थन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, नेटवर्क विश्लेषण समर्थन, राजस्व आश्वासन और एएमआर समर्थन आदि को कवर करने वाली वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है। इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल ने आरडीएसएस योजना के तहत कार्य योजना और डीपीआर तैयार की है और 34 पैकेजों में लगभग ₹1,000 करोड़ की परियोजना लागत वाले आर-एपीडीआरपी भाग-ख के तहत पीएमसी के कार्य भी निष्पादित कर रहा है।

ख. आरई-बंडलिंग योजना के तहत अधिदेश के संदर्भ में, बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में, आरईसीपीडीसीएल ने हाल ही में ₹7,840 करोड़ की राशि की एनटीपीसी (1,250 मेगावाट) और डीवीसी (500 मेगावाट) की 1,750 मेगावाट की सौर परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया समाप्त की है।

22. संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनी

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी के पास निवेश के अलावा कोई संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी नहीं है, जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट में निहित वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार, ईईएसएल इंड-एएस ढांचे के तहत एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई नहीं रह गई है।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समेकित इंड एस वित्तीय विवरण तैयार किया है, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात् आरईसीपीडीसीएल के लेखे शामिल हैं। इसे कंपनी के एकल वित्तीय विवरण के साथ आगामी 54वीं वार्षिक आम बैठक के समक्ष भी रखा जाएगा।

अधिनियम की धारा 129(3) के अनुपालन में, फॉर्म एओसी-1 में सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनियों के वित्तीय विवरण, जो आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, आरईसी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियों में निवेश/हित बिक्री के लिए धारित किया जाता है और इसलिए, ऐसे एसपीवी में हित कंपनियों का लेखांकन इंड-एएस 105 के अनुसार है।

कंपनी की सहायक कंपनियों के समेकित इंड-एएस वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षित लेखाओं सहित लेखापरीक्षित इंड-एएस वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात् <https://recindia.nic.in/recpdcl-annual-accounts> पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, इन दस्तावेजों को किसी भी सदस्य या डिबेंचर धारकों के लिए किसी ट्रस्टी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा। कंपनी के किसी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर कंपनी ई-मेल के माध्यम से इसकी प्रति भी उपलब्ध कराएगी।

24. निदेशक, केएमपी और तत्संबंधी नीतिगत ढांचे से संबंधित

कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के अनुसार, आरईसी के बोर्ड के सभी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए नामनिर्दिष्ट/नियुक्त/ पुनर्नियुक्त किया जाता है।

निदेशकों का नामानिर्देशन/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और उनके पात्रता मानदंड, योग्यता, अनुभव और चयन प्रक्रिया आदि भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) आदि, के समय-समय पर यथा लागू निर्धारित मानदंडों के अधीन हैं, जिसका अनुपालन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एक सीपीएसई होने के चलते, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों सहित कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक, वेतन, अनुलाभ, भत्ते आदि का निर्धारण समय-समय पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और/या भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। गैर-कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार है। सरकारी नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी का नामित निदेशक आरईसी की बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार है, जिसका भुगतान पीएफसी को किया जाता है। हालांकि, पीएफसी से नामित निदेशक, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा ने सूचित किया है कि आरईसी की बोर्ड या समितियों की बैठकों, जिनमें उन्होंने भाग लिया है, के संबंध में कोई बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

कंपनी ने बोर्ड की विविधता और कौशल, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति के लिए मानदंड और निदेशकों, केएमपी और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में एक नीति अपनाई है, जिसे <https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Board-Diversity--Other-matters-dt-150722.pdf> पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, एक एनबीएफसी होने के नाते, अन्य बातों के साथ-साथ, आरईसी में निदेशकों की नियुक्ति भी नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा उचित विचार के अधीन है, जो कंपनी की नीति के अनुसार निदेशकों की उपयुक्तता और उचित मानदंड के अनुसार है, जिसे <https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf> पर देखा जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मण्डल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजना) और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधन

कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है।

एक सरकार कंपनी होने के चलते कंपनी के सीईओ की भूमिका सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा अदा की जाती है।

कंपनी के निदेशकों और केएमपी तथा वर्ष के दौरान और बाद में इनमें परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है:

24.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक

- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परवर्ती आदेश के साथ पठित मंत्रिमण्डल नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा 13 मई, 2022 को जारी एक संप्रेषण के अनुसार,, श्री विवेक कुमार देवांगन, आईएएस (डीआईएन 01377212) को 17 मई, 2022 से भारत सरकार के अपर सचिव के दर्जे और वेतन पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

- श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे, आईएएस (डीआईएन 05254178) की सचिव, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के रूप में नियुक्ति के कारण, वे 10 मई, 2022 से कंपनी के सीएमडी नहीं रहे। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 मई, 2022 के आदेश के माध्यम से तीन माह की अवधि या अगले आदेश तक के लिए, श्री रविंदर सिंह ढिल्लों (डीआईएन 00278074), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी को सीएमडी-आरईसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। श्री ढिल्लों ने 10 से 16 मई, 2022 के दौरान अर्थात् श्री विवेक कुमार देवांगन नामक नियमित पदधारी की नियुक्ति तक सीएमडी-आरईसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली।

- इसके अलावा, दिनांक 15 जुलाई 2022 के आदेश के माध्यम से विद्युत मंत्रालय ने निदेशक (तकनीकी) के अतिरिक्त प्रभार को श्री अजाय चौधरी, निदेशक (वित्त) को 1 फरवरी, 2022 से नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 14 जुलाई, 2022 तक के लिए सौंपने की मंजूरी दी थी।

- दिनांक 15 जुलाई 2022 के आदेश के अनुसार, विद्युत मंत्रालय ने श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन 02772733), जो पहले कंपनी में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे, को 1,80,000-3,40,000 (आईडीए) के वेतनमान में आरईसी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अर्थात् 30 जून, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। श्री वी.के. सिंह ने 15 जुलाई 2022 को निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10 अगस्त, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के मौजूदा पद निदेशक (परियोजना) के रूप में पुनर्नामित किया।

24.2 नामित निदेशक

- विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 14 सितंबर, 2022 के कार्यालय आदेश के माध्यम से श्री पीयूष सिंह (डीआईएन 07492389), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को आरईसी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया था, जो आरईसी के बोर्ड में पहले सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री विशाल कपूर (डीआईएन 08700132) का स्थान लेंगे।

- श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन 08530587) की, जो आरईसी के बोर्ड में पहले पीएफसी की नामित निदेशक थीं, के स्थान पर



विद्युत मंत्रालय ने 11 जुलाई, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक (वाणिज्यिक) श्री मनोज शर्मा (डीआईएन 06822395) को 11 जुलाई, 2023 से आरईसी के बोर्ड में पीएफसी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। तदनुसार, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा 11 जुलाई, 2023 से पीएफसी नामित निदेशक नहीं रही।

24.3 स्वतंत्र निदेशक

- विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 3 मार्च, 2023 के आदेश के माध्यम से श्री नारायणन तिरुपति (डीआईएन 10063245) को 6 मार्च, 2023 से अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, आरईसी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।

24.4 आगामी एजीएम में सेवानिवृत्त हो रहे और नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करने वाले निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 91 (iv) के अनुसार, श्री विजय कुमार सिंह, निदेशक (परियोजना) कंपनी की आगामी 54वीं एजीएम में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के चलते, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(ग) के अनुसार, श्री नारायणन तिरुपति की स्वतंत्र निदेशक और श्री मनोज शर्मा की पीएफसी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति को भी शेयरधारकों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बोर्ड उनकी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करता है।

श्री वी.के.सिंह, श्री नारायणन तिरुपति और श्री मनोज शर्मा का संक्षिप्त जीवन-वृत्त और अन्य ब्यौरे इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एजीएम की सूचना के साथ संलग्न है।

24.5 कंपनी सचिव

कंपनी के कंपनी सचिव श्री जे.एस. अमिताभ है।

25. निदेशक मण्डल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, एक सूचीबद्ध कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में एक विवरण प्रकट करना होता है जिसमें बोर्ड, उसकी समितियों और पृथक निदेशकों के निष्पादन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की रीति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा यथा निर्धारित इसके स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन के मानदंड दिए गए हों।

तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, अन्य बातों के साथ, सरकारी कंपनियों को उपरोक्त आवश्यकता से छूट दी है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक रूप से प्रभारी केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है तो। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा यह भी निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

तदनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, उपरोक्त अधिसूचनाओं के संदर्भ में आरईसी को अन्य बातों के साथ-साथ छूट दी गई है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक

मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय और/या लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जा रहा है। यह ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी के गैर-कार्यपालक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

इसके अलावा, आपकी कंपनी डीपीई द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों में निर्धारित ढांचे के तहत अपनी धारक कंपनी, पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी करती है। एमओयू विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिए गए कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मापदंडों को निर्धारित करता है और कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के अनुसार किया जाता है।

26. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में यह पुष्टि की जाती है कि :

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उसे कोई महत्वपूर्ण विपथन नहीं किया गया है;
- ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत रूप में लागू किया गया (सिवाय वित्तीय विवरणों की लेखे की टिप्पणियों में यथा प्रकट नए प्रभावी भारतीय लेखांकन मानक के अंगीकरण के) तथा ऐसे निर्णय लिए गए व अनुमान तैयार किए गए हैं, जो कि उचित और विवेकसम्मत थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का और उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत किया जा सके;
- कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया;
- चालू प्रतिष्ठानों के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं;
- कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था विकसित की है और यह व्यवस्था पर्याप्त है एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

27. एमओयू रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2023 के लिए डीपीई, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत हस्ताक्षरित एमओयू के संदर्भ में कंपनी का प्रदर्शन उत्कृष्ट होने की संभावना है, जो डीपीई द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अधीन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, मुख्य रूप से स्टॉक मूल्य प्रदर्शन के नए शुरू किए गए पैरामीटर के परिणामस्वरूप, आरईसी की एमओयू रेटिंग "बहुत अच्छी" रही है। वित्तीय वर्ष के दौरान, आरईसी को:

- कंपनी की प्रचालन दक्षता और वित्तीय ताकत के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा "महारत्न" का दर्जा दिया गया;
- वित्तीय सेवा श्रेणी में 'सर्वश्रेष्ठ पीएसयू' के रूप में और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ नवरत्न' के रूप में भी सम्मानित किया गया;



माननीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर.के. सिंह ने पर्यावरण सततता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए आरईसी के सीएमडी श्री विवेक कुमार देवांगन को ग्रीन रिबन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया

- इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा वर्ष 2022 के लिए 'कॉर्पोरेट अभिशासन' में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया;
- प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में 'सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र आईटी परियोजना' पुरस्कार से सम्मानित किया गया;
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीईएम से खरीद को प्रोत्साहित करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) द्वारा गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया;
- 12वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों में 'प्रचालनात्मक प्रदर्शन उत्कृष्टता' श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया; और
- पर्यावरणीय सततता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए ग्रीन रिबन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री विवेक कुमार देवांगन को विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में प्रचालन व्यवसाय के मामलों के संवर्धन, पथ-प्रदर्शक ऊर्जा परिवर्तन पहल, उल्लेखनीय उपलब्धि और अर्थव्यवस्था के समग्र कल्याण में योगदान के लिए उनके शानदार नेतृत्व हेतु इकोनॉमिक टाइम्स एशियन बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव 2022-23 के 7वें संस्करण में प्रतिष्ठित 'द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

28. 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों को अपने सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक आम बैठक की

सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज भेजने की अनुमति देता है। एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की 'हरित पहल' के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन किया है और ईमेल आईडी पंजीकृत होने वाले शेयरधारकों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को प्रभावी किया है। ऐसे शेयरधारकों को लाभान्श (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा रही है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को ई-मतदान सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्धारित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। कंपनी इस वर्ष एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से भी आयोजित करेगी। सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार एजीएम में ई-मतदान और इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी के लिए विस्तृत निर्देशों को देख सकते हैं।

जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) या अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के साथ पंजीकृत करें और हरित पहल में भाग लें

29. स्वच्छता के प्रति वचनबद्धता

आरईसी ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, स्वच्छता कार्यवाई योजना के तहत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान स्थापित करना, कार्यालय परिसर के आसपास वृक्षारोपण अभियान, कर्मचारियों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता पर संवादात्मक सत्र, क्षेत्रीय कार्यालय/राज्य कार्यालयों द्वारा सार्वजनिक



यूटिलिटीज में विशेष सफाई अभियान और कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर के निकट झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान और धूम्रपान तथा स्कूल में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिताएं आयोजित करना

जैसी गतिविधियां शुरू की हैं।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



कर्मचारियों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता पर संवादात्मक सत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ('आरटीआई अधिनियम') का उद्देश्य नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने और उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए कंपनी में एक आरटीआई प्रकोष्ठ मौजूद है। कंपनी ने आरटीआई आवेदनों का उत्तर देने के लिए एक मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरटीआई प्रथम अपील पर निर्णय करने के लिए एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) को नामित किया है। आरटीआई प्रकोष्ठ में एक सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है। आरटीआई प्रकोष्ठ के पूरे कामकाज और आरईसी में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी पारदर्शिता अधिकारी द्वारा की जाती है।

आरईसी भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (<https://rtionline.gov.in>) से भी जुड़ा है, जो भारत के नागरिकों को भुगतान गेटवे के साथ आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन फाइल करने में सक्षम बनाता है। 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त आवेदनों और अपीलों की संख्या से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :

क्रम सं.	आरटीआई का विवरण	संख्या
1.	प्राप्त हुए आवेदन	328
2.	निपटान किए गए आवेदन	303
3.	मार्च, 2023 में प्राप्त आवेदन, जिनका निपटान बाद में किया गया*	25
4.	अपीलीय अधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलें	27
5.	अपीलीय अधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गई प्रथम अपीलें	27
6.	बाद में निपटाई गई अपीलें	-
7.	केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त दूसरी अपील	1
8.	केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटान की गई दूसरी अपील	1

* लंबित आवेदनों और अपीलों का समय-सीमा के भीतर निपटान किया गया था।

इसके अलावा, आरईसी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन में अपेक्षित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर रखा है। इसके अलावा, उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में, जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा स्व-प्रेरणा प्रकटीकरण की

वार्षिक लेखापरीक्षा का प्रावधान करते हैं, आरटीआई प्रकटीकरण का तृतीय-पक्ष ऑडिट किया गया है और रिपोर्ट आरईसी की वेबसाइट पर रखी गई है।

31. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए लोक खरीद नीति के तहत रिपोर्टिंग।

खरीद प्रक्रिया में यथा परिभाषित, एमएसएमई के लिए दिशा-निर्देशों का कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पहल के संवर्धन के प्रयास के रूप में और नवंबर 2018 से संशोधित निर्धारित सार्वजनिक खरीद मानदंडों को पूरा करने के लिए, आरईसी ने पहले ही 10 लाख रुपये तक के मूल्य वाली कुछ सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद को एमएसई विक्रेताओं से अनिवार्य कर दिया है, और उन सभी मामलों के लिए जहां एल1 विक्रेता, एमएसई विक्रेताओं से इतर हैं, यदि एमएसई बोलीदाताओं ने एल1+15% के बैड के भीतर कीमत उद्धृत की है, तो एमएसई विक्रेताओं को एल1 के बराबर मूल्य करने की अनुमति देते हुए, एमएसई को निविदत मूल्य के 25% तक की खरीद वरीयता की सुविधा प्रदान की है जिसमें से, जहां विभाजन संभव हो, 4% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई और 3% महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त, आरईसी भारत सरकार (जीओआई) के जीईएम (गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस), संबंध, समाधान और टीआरआईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल्स पर पंजीकृत है और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित आरईसी के सभी कार्यालय प्रभावी रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी द्वारा की गई कुल खरीद 56.13 करोड़ रुपये थी और आरईसी ने केवल सरकार द्वारा निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया बल्कि उससे अधिक हासिल की उपलब्धि प्राप्त की थी। जीईएम पोर्टल से खरीद 50.10 करोड़ रुपये (25% के लक्ष्य के मुकाबले अधिक की प्राप्ति) और एमएसएमई से खरीद 30.87 करोड़ रुपये (25% के लक्ष्य के मुकाबले अधिक की प्राप्ति) थी, जिसमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से खरीद 0.33 करोड़ रुपये और महिला उद्यमियों से खरीद 1.31 करोड़ रुपये थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों से खरीद, विक्रेताओं द्वारा दर्ज किए गए दावों पर निर्भर करता है, जिस पर आरईसी का कोई नियंत्रण नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान भारत सरकार के समाधान पोर्टल पर किसी भी एमएसएमई विक्रेता द्वारा भुगतान में देरी या किसी अन्य शिकायत के संबंध में आरईसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी।

आपकी कंपनी ने अपने सभी अखिल भारतीय कार्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि जीईएम पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद अनिवार्य रूप से केवल जीईएम के माध्यम से की जानी चाहिए; और अपने कर्मचारियों के लिए एक व्यापक जीईएम खरीद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें जीईएम के संकाय सदस्यों द्वारा विशेष रूप से आयोजित किए गए सत्र शामिल हैं। प्रतिभागियों द्वारा उक्त में भाग लिया गया और उनकी अत्यधिक सराहना की गई। आरईसी ने ऑनलाइन सत्र के माध्यम से अपना वार्षिक विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) भी आयोजित किया है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं ने भाग लिया था।

आरईसी की सभी निविदाएं भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' के यथा लागू निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, इस तरह के अनुपालन की निगरानी निदेशक मण्डल द्वारा त्रैमासिक रूप से की जा रही है; और ₹ 250 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की निविदाओं के लिए उप-समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर 'मेक इन इंडिया' पर भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।

एमएसई और मेक इन इंडिया के लिए आरईसी की लोक खरीद नीति कंपनी की वेबसाइट और सीपीपीपी (केन्द्रीय लोक खरीद पोर्टल) पर विधिवत प्रकाशित सभी निविदाओं में शामिल है। सीवीसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) द्वारा तिमाही और वार्षिक आधार पर इसकी जांच और निगरानी भी की जा रही है। आईईएम ने पाया है कि सभी खरीद गतिविधियां व्यवस्था के अनुरूप हैं और इसके लिए आरईसी के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की है।

32. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पीओएसए अधिनियम) के उपबंधों के अनुरूप, कंपनी में महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया गया है। समिति का लक्ष्य महिला कर्मचारियों को जागरूक बनाना और उन्हें कार्य के लिए एक स्वास्थ्यकर और सौहार्दपूर्ण परिवेश प्रदान करना है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती हैं और इसमें सदस्य के रूप में से एक किसी एनजीओ का प्रतिनिधि शामिल होता है। कंपनी के लैंगिक उत्पीड़न-रोधी रुख को आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमों में भी रेखांकित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी को लैंगिक उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली।

34. वार्षिक विवरणी

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की वार्षिक विवरणी कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ दाखिल की गई; और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रारूप वार्षिक विवरणी, कंपनी की वेबसाइट <https://www.recindia.nic.in/annual-returns> पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमसीए के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के बाद, उक्त को उसी वेबलॉक पर वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा।

34. संबंधित पक्षकों के साथ संविदाओं या समझौतों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म एओसी-2 में प्रकट किए जाने हेतु अपेक्षित वाले संबंधित पक्ष संव्यवहार के विवरण, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

35. लेखापरीक्षक

35.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एस.के. मित्तल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 001135एन) और मेसर्स ओ.पी.बागला एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 000018एन/एन500091) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और बिना किसी आपत्ति, निग्रह, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण के अपनी रिपोर्ट दी है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभी की जानी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मण्डल को अधिकृत करने हेतु आगामी एजीएम में सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।



35.2 सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, दिल्ली (वृत्ति का प्रमाण-पत्र संख्या 6370), को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

35.3 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्टों) पर प्रबंधन की टिप्पणियां

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निम्नानुसार है:

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1. कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 (1) के का अनुपालन नहीं कर रही थी, क्योंकि 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार बोर्ड में पांच स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के सापेक्ष बोर्ड में कुल चार स्वतंत्र निदेशक थे।	आरईसी एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के पास है और इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है। कंपनी अपने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध और अनुवर्ती संपर्क करती रही है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार से आरईसी के बोर्ड में एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति में तेजी लाने का भी अनुरोध किया है। आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति पर कंपनी सेबी (एलओडीआर) 2015 के लागू प्रावधानों का उचित अनुपालन करेगी।

36. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने 31 जुलाई, 2023 के पत्र (पत्रों) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणी दी है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सी एण्ड एजी की टिप्पणियों को इस वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ रखा गया है।

37. डिबेंचर ट्रस्टी

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, समय-समय पर जारी किए गए अपने बॉण्डों / डिबेंचर की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण वाली एक सूची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

38. सांविधिक प्रकटीकरण

- क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। कंपनी के मतपत्र के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा 27 अक्टूबर, 2022 को पारित एक विशेष संकल्प के माध्यम से कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन किया गया है। संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी को लॉजिस्टिक और अवसंरचना क्षेत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमत सीमा तक उधार देने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था।
- ख) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है और कंपनी के निदेशक मण्डल ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया है।
- ग) नियामकों या अदालतों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था जिससे भविष्य में कंपनी की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और कंपनी के संचालन प्रभावित होते

हों।

घ) कंपनी विभिन्न लेनदेन की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, संचालन की दक्षता और वैधानिक कानूनों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली बनाए रखती है। विवरण के लिए, कृपया इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

ड) वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और इसकी समितियों की संरचना, संदर्भ की शर्तों और बैठकों की संख्या, सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना और निदेशकों के परिचयात्मक कार्यक्रमों के लिए वेब-लिंक, संबंधित पक्ष संव्यवहार की भौतिकता तथा संबंधित पक्ष लेनदेन संबंधी नीति, भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक, निदेशकों को बैठक शुल्क और आईईपीएफ आदि के बारे में विवरण समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कारपोरेट शासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार 'कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट' में प्रदान किया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार, दिए गए ऋण, दी गई गारंटी, प्रदान की गई प्रतिभूतियां या कंपनियों के वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी कंपनी द्वारा किया गया निवेश या अपने व्यवसाय के सामान्य चालन में ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना, कंपनी पर लागू नहीं है, अतः कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, निवेश का विवरण एकल वित्तीय विवरणों के लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दर्शाया गया है।

छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के उपबंध और प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित उसके तहत बनाए गए



नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, इसलिए कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

- ज) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च, 2023 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।
- झ) कंपनी ने कंपनी के निदेशकों या किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।
- ञ) संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यथा लागू सतर्कता मामलों, लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर और आरटीआई मामलों आदि से संबंधित विवरण, इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए गए हैं।
- ट) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा विहित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा लागत खातों और रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
- ठ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों/सचिवालय लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी मामले की सूचना नहीं दी है।
- ड) कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।
- ढ) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित/नियुक्त किया जाता है। तदनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी नामित/नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करता है। बोर्ड की राय में, वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक, सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हैं और कंपनी में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता, दक्षता और अनुभव रखते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से यथा-अपेक्षित आवश्यक घोषणा भी प्राप्त कर ली गई थी।
- ण) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं।
- त) आरईसी के विरुद्ध न तो कोई आईबीसी (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता) लंबित है, और न ही हमें कंपनी के विरुद्ध किसी भी आईबीसी कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सूचना प्राप्त हुई है।
- थ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर के संबंध में विवरण की रिपोर्टिंग को उत्पन्न करे।

39. बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के उपबंधों के संदर्भ में, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कारपोरेट शासन संबंधी रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट समाविष्ट होने वाले पृथक खंड इस बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। सेबी के दिनांक 6 फरवरी, 2017 के परिपत्र अनुसार, कंपनी ने स्वैच्छिक आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक एकीकृत रिपोर्ट तैयार की है।

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, सीपीएसई के लिए कारपोरेट शासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और अन्य लागू वैधानिक उपबंधों के संदर्भ में विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट, सूचना, प्रमाण पत्र आदि बोर्ड की रिपोर्ट में निम्नानुसार संलग्न हैं:

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	I
कारपोरेट शासन संबंधी रिपोर्ट	II
व्यापार उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट	III
एकीकृत रिपोर्ट	IV
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
कारपोरेट शासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र	VI
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	VII
संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या समझौतों का विवरण	VIII
बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण	IX

40. आभार

निदेशक विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कंपनी को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक, धारक कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड का भी उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक कंपनी में विश्वास बनाए रखने के लिए सभी शेयरधारकों, निवेशकों, ऋणदाताओं और प्रतिभूति धारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक, राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटीज और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों सहित सभी ग्राहकों और ऋण लेने वालों को उनका विश्वास जताने और कंपनी के साथ अपने सहयोग को जारी रखने के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों के प्रबंधन को दिए गए उनके निरंतर समर्थन के लिए आभारी हैं। अंत में किंतु कम महत्वपूर्ण नहीं, निदेशक कर्मचारियों और स्टाफ को उत्कृष्टता की तलाश में लगातार कार्य करते रहने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त हैं।

कृते निदेशक मण्डल और उनकी ओर से



विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 01377212)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 11 अगस्त, 2023



निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक -I

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कारोबार परिवेश और उद्योग परिदृश्य, उद्योग जोखिमों, अवसरों और कंपनी के वित्तीय और प्रचलानात्मक कार्य-निष्पादन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है।

कारोबार परिवेश

वैश्विक कारोबार परिवेश

विषमतापूर्ण मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरों और बढ़ती अनिश्चितताओं के मध्य वैश्विक आर्थिक सुधार की प्रक्रिया मंद बनी हुई है। इसके स्थान पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक अल्प वृद्धि के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोविड-19 महामारी के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन के निरंतर बिगड़ते प्रभाव और व्यापक आर्थिक संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान नहीं किया जा रहा है। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार, अगले साल मामूली वृद्धि से पहले 2023 में वैश्विक वृद्धि 2.8 प्रतिशत पर आ जाएगी। इसके अलावा, इस वर्ष विकास दर के वर्ष 2022 (तिमाही-दर-तिमाही) में 2.8% से बढ़कर 4.5% होने के फलस्वरूप उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही अनेक क्षेत्रों में वृद्धि हासिल कर चुकी हैं। ऐसी आशा की जा रही है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विकास में उल्लेखनीय मंदी का अनुभव करेंगी, जो वर्ष 2022 की तुलना में 2.7% से गिरकर वर्ष 2023 में 1.3% हो जाएगी। विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि के वर्ष 2022 की तुलना में 5.1% से घटकर वर्ष 2023 में 2.4% होने की आशा है, जो वैश्विक मांग में आई मंदी का द्योतक है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, विश्व अर्थव्यवस्था ने श्रम बाजारों के लचीलेपन, मजबूत घरेलू खपत, व्यापारिक परिवेश आदि से प्रेरित विकास का प्रदर्शन किया। तथापि, दुनिया भर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व और केंद्रीय बैंकों ने महामारी के वर्ष के दौरान लागू किए गए परिमाणान्तरक सहजता उपायों को प्रतिलोमित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप लगभग शून्य ब्याज दरों का युग समाप्त हो गया। फेडरल रिजर्व ने अमेरिका में महामारी-युग की नीतियों को वापस ले लिया और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वर्ष के दौरान दरों में अभूतपूर्व वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2022 में ब्याज दर 0.25% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 के अंत तक 5% हो गई। अमेरिका में मुद्रास्फीति मार्च 2022 में 8.54% से घटकर वित्तीय वर्ष 2023 के अंत तक 4.98% हो गई।

आगे कदम बढ़ाते हुए, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कुछ मध्यम आकार के बैंकों की हुई अकस्मात विफलता के बाद निवेशकों ने वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि होने की अपनी उम्मीदें कम कर दी हैं। इन देशों के बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास अभी तक पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है और वैश्विक वित्तीय प्रणाली को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

धीमी वैश्विक वृद्धि के कारण, वर्ष 2022 के मध्य से अधिकांश वस्तुओं के मूल्य अलग-अलग परिमाण तक कम हो गई हैं। मांग के बारे में चिंताएं उभरने के कारण तेल के मूल्यों में वर्ष 2022 के मध्य से गिरावट आई तथा पूरे वर्ष ब्रेट कच्चे तेल का मूल्य औसतन \$100/बीबीएल था। यूरोपीय प्राकृतिक गैस का मूल्य अगस्त 2022 में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन तब से इसमें गिरावट आई है। इसी प्रकार, कैलेंडर वर्ष 2022 के अंत तक नरम होने से पहले उसी समय के दौरान कोयले के मूल्य रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। हालांकि, ऊर्जा के मूल्य 2023 में कम होने की आशा की जा रही है, लेकिन उन्हें पहले के पूर्वानुमान से अधिक ही रहने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से कोयले की कीमतों के लिए ऊपर की ओर संशोधन को दर्शाता है।

वर्ष 2022 में, वैश्विक विद्युत की मांग लगभग 2% वृद्धि हुई है तथा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विद्युत की इस मांग में विशेष रूप से योगदान दिया है,

हालांकि कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के कारण चीन की वृद्धि प्रभावित हुई है। इसके अलावा, भारत ने 2022 में विद्युत की मांग में 8.4% की महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया, जो कि महामारी के बाद हुए मजबूत आर्थिक सुधारों और चरम मौसम की स्थिति के संयोजन से प्रेरित है। वैश्विक विद्युत उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2022 में 29% से बढ़कर 2025 में 35% होने का अनुमान लगाया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से कोयले और गैस से चलने वाले स्टेशनों की हिस्सेदारी में गिरावट आएगी। जिसके फलस्वरूप, वर्ष 2025 तक वैश्विक विद्युत उत्पादन का उत्सर्जन स्थिर होने की आशा है और आने वाले वर्षों में इसकी CO₂ तीव्रता में और गिरावट आएगी।

ऐसी दुनिया में जहां बिजली की मांग और आपूर्ति दोनों मौसम पर निर्भर होते जा रहे हैं, विद्युत सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजली उत्पादन की उच्च लागत के साथ-साथ विश्व की विद्युत प्रणालियों को भारत में लू चलने, यूरोप में सूखा पड़ने, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्दी के मौसम की आंधी आदि जैसी गंभीर मौसमी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए तेजी से डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के त्वरित अभिनियोजन की आवश्यकता है। तदनुसार, जनरेशन मिक्स में मौसम पर निर्भर नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ना जारी रहेगा। ऐसी दुनिया में, आपूर्ति और आघात-सहनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना सर्वोच्च महत्व का होगा।

भारतीय कारोबार परिवेश

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, जो अपने विविधतापूर्ण व्यवसायी परिवेश और विशाल उपभोक्ता आधार से लाभान्वित हो रहा है तथा आईएमएफ के अनुसार, वर्ष 2027 तक इसके 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित स्तर से बढ़कर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। देश इसके बड़े पैमाने पर विनिर्माण, आईटी सेवाओं और कृषि क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू करके एक अनुकूल व्यावसायिक परिवेश का सृजन करने की सुविधा के लिए सुधारों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। सुदृढ़ वृहद आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों, मजबूत घरेलू मांग, राजकोषीय अनुशासन, उच्च बचत दरों और जनसांख्यिकीय रुझानों द्वारा समर्थित होकर भारत विश्व स्तर पर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।

आर्थिक सर्वेक्षण के पूर्वानुमान और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, भारत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6.5% की विकास दर हासिल करने की आशा है। यह अनुमान बताता है कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज होगी। इसलिए, आने वाले वर्षों में, घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से बढ़ती खपत और निवेश देश के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और संभावित रूप से विश्व जीडीपी रैंकिंग में भारत की स्थिति को ऊपर उठाएंगे।

सड़क, रेलवे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहों, जलमार्ग, शिपिंग, ऊर्जा परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा आदि सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों में सरकार की नीतियों और निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से उम्मीद की जाती है कि भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में बना रहेगा। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत निवेश परिव्यय में 33.4% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को "सहस्ररूपि" (सात) प्राथमिकताओं में से एक के रूप में शामिल किया गया था, जिसकी राशि ₹10 लाख करोड़ थी।

हाल के वर्षों में, मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय रही है। हालांकि, मौद्रिक नीति संबंधी कार्यवाहियों और आपूर्ति पक्ष के उपायों के प्रत्युत्तर में, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में 7.8% के



अपने चरम से धीरे-धीरे घटकर मार्च 2023 में 5.7% हो गई है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इसके 5.2% तक कम होने का अनुमान है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सुधार लागू कर रही है, जिसमें विदेशी निवेश नीतियों को उदार बनाना और भारत में व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। पिछले दो दशकों में, भारत ने वार्षिक एफडीआई प्रवाह में उल्लेखनीय 20 गुना वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे यह स्वयं को एक पसंदीदा निवेश विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है।

औद्योगिक संरचना और विकास

उद्योग अवलोकन

वैश्विक महामारी के बाद के सुधार चरण में, बढ़ती मांग और ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान केंद्रित किए जाने के परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र में उछाल आया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल विद्युत उत्पादन 1624 बीयू तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.87% की वृद्धि दर्शाता है। चरम विद्युत मांग पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ती रही और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 215.9 गीगावॉट तक पहुंच गई। वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (जल-विद्युत को छोड़कर) में पिछले वर्ष की तुलना में 18.72% अर्थात् 203 बीयू की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। कुल मिलाकर गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पादन 418 बीयू रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.9% की वृद्धि दर को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप, गैर-जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी 26% थी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान संस्थापित विद्युत क्षमता में 17 गीगावॉट की वृद्धि हुई, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल संस्थापित क्षमता 415.50 गीगावॉट हो गई। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त क्षमता में 90% हिस्सेदारी नवीकरणीय ऊर्जा की है। गैर-जीवाश्म क्षमता की हिस्सेदारी भी पिछले वर्ष की तुलना में 41% से बढ़कर 43% हो गई। विद्युत की अधिकतम मांग 215.9 गीगावॉट की सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष यह 203 गीगावॉट थी। इसके अलावा, समग्र प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पिछले वर्ष के 58.9% के मुकाबले बढ़कर 64.15% हो गया।

उद्योग-संरचना

उत्पादन

31 मार्च, 2023 तक, देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 415.50 गीगावाट थी, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र में 100 गीगावाट; राज्य क्षेत्र में 105.5 गीगावाट, निजी क्षेत्र में 210 गीगावाट शामिल था। निश्चित प्रकार के अनुसार उत्पादन क्षमता के संदर्भ में, पारंपरिक कोयला और लिग्नाइट क्षमता 211.9 गीगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 172 गीगावाट, परमाणु क्षमता 6.8 गीगावाट और गैस आधारित क्षमता 24.8 गीगावाट थी। देश भर के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पिछले वर्ष के 58.9% की तुलना में बढ़कर 64.15% हो गया। केंद्रीय क्षेत्र के ताप-विद्युत स्टेशनों ने 74.67% का पीएलएफ हासिल किया, जबकि राज्य क्षेत्र और आईपीपी क्षेत्र ने क्रमशः 61.85% और 56.63% का पीएलएफ हासिल किया।

इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा संचालित उत्पादन विस्तार योजना अध्ययन के अनुसार, भारत में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता की भागीदारी में पर्याप्त वृद्धि देखने की आशा की जा रही है। वर्ष 2029-30 तक, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता की भागीदारी मौजूदा 43% से बढ़कर 64% से अधिक होने की संभावना है, जिससे देश के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को पार किया जा सकेगा।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

विश्व स्तर पर, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता (बड़ी जलविद्युत सहित) के मामले में भारत चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर और

सौर ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, भारत की संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (वृहद पनविद्युत सहित) 172 गीगावाट थी। जिसमें से, सौर ऊर्जा ने 66.78 गीगावाट का योगदान दिया, इसके बाद पवन ऊर्जा से 42.63 गीगावाट, पनविद्युत से 42.1 गीगावाट और जैव-ऊर्जा, अपशिष्ट, लघु पनविद्युत आदि से 20.49 गीगावाट का योगदान था। वर्ष में नवीकरणीय क्षमता वृद्धि के संदर्भ में, कुल मिलाकर 15.3 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई, जिसमें से सौर ऊर्जा 12.8 गीगावाट, पवन 2.3 गीगावाट, जैव-ऊर्जा और लघु जलविद्युत 0.2 गीगावाट थी।

पारेषण और वितरण

पारेषण

पारेषण विद्युत वितरण मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण तत्व है तथा यह अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य दोनों में उत्पादन स्टेशनों से लोड केंद्रों तक विद्युत के निर्गम की सुविधा प्रदान करता है। घाटे वाले क्षेत्रों में विद्युत के कुशल वितरण के लिए अंतरा-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) नेटवर्क को आनुपातिक रूप से सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है; जिसके लिए अंतर-राज्य विद्युत पारेषण प्रणाली का आगे विकास और राष्ट्रीय ग्रिड में वृद्धि का संवर्धन किया जाना शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 75,902 एमवीए रूपांतरण (सबस्टेशन) क्षमता के साथ कुल 14,625 सीकेएम पारेषण लाइनें जोड़ी गईं। मार्च 2023 तक, हमारे देश में विश्व के विशालतम सिंक्रोनेस इंटरकनेक्टेड विद्युत ग्रिडों में एक है जिसमें 4,71,341 सीकेएम पारेषण लाइनें और 11,80,352 एमवीए रूपांतरण क्षमता है।

वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की नियोजित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सफलतापूर्वक हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, सीईए ने वर्ष 2030 तक 537 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विश्वसनीय एकीकरण के लिए व्यापक पारेषण प्रणाली रोडमैप तैयार किया। पारेषण लाइनों की लंबाई तथा वर्ष 2030 तक अतिरिक्त पवन और सौर क्षमता के एकीकरण के लिए आईएसटीएस के अंतर्गत नियोजित सब-स्टेशन क्षमता का अनुमान क्रमशः 50,890 सीकेएम और 4,33,575 एमवीए लगाया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 2,44,200 करोड़ रुपये है। पारेषण स्कीमों की योजना ऊर्जा भंडारण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि चौबीसों घंटे (आरटीसी) विद्युत की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। बड़े नवीकरणीय ऊर्जा संभावित क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए अनेक एचवीडीसी ट्रांसमिशन कॉरिडोर स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है।

वितरण

विद्युत क्षेत्र के मूल्य में वितरण एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो उपयोगिताओं और उपभोक्ता के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ संयोजनता के रूप में कार्य करता है। पूरे इतिहास में, विद्युत वितरण का क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी स्वामित्व वाली राज्य उपयोगिताओं के एकाधिकार के रूप में रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र केवल एक सीमित भूमिका निभाता है। हाल ही में इस स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि बढ़ती संख्या में निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में शामिल हो रही हैं।

विद्युत क्षेत्र घाटे की समस्या से जूझ रहा है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए राज्य डिस्कॉम/उपयोगिताओं को व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न उपाय करना महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में, टैरिफ में संशोधन, राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) का गठन और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) आदि जैसी मजबूत सुधार पहलों के कारण, डिस्कॉम के समग्र कामकाज में प्रगति हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) नामक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। वितरण प्रणाली में जो भी कमियां रह गई थीं, उन्हें सौभाग्य के तहत दूर किया गया है। इसके



परिणामस्वरूप 100% गाँव का विद्युतीकरण और देश के अंतिम छोर तक महत्वपूर्ण और सुदृढ़ विद्युत संयोजनता के साथ घरेलू विद्युतीकरण किया गया है। इन योजनाओं ने डिस्कॉम को अपने परिचालन दक्षता मापदंडों जैसे बिलिंग दक्षता, संग्रह दक्षता, एटीएंडसी घाटे और कुछ हद तक वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने में भी सक्षम बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कॉम का एसीएस-एआरआर अंतर वित्तीय वर्ष 2015 में 0.58 रुपये/किलोवाट से घटकर वित्तीय वर्ष 2022 में 0.22 रुपये/किलोवाट हो गया है। इसी अवधि के दौरान एटीएंडसी घाटा भी 25.72% से घटकर 17% हो गया है।

चूंकि इन सभी सुधार उपायों का उद्देश्य बड़े पैमाने पर डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करना था, इससे अंततः पावर जेनरेशन कंपनियों (जेनकोस) पर बकाया राशि में कमी आई। पिछले एक साल में वितरण कंपनियों का जेनको पर बकाया काफी कम हो गया है, जिससे विद्युत क्षेत्र की समग्र सेहत में सुधार होने की आशा है।

विद्युत क्षेत्र नीतिगत परिवेश

भारत ने सीओपी-26 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित महत्वाकांक्षी ऊर्जा रूपांतरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इन लक्ष्यों में 2030 तक 500 गीगावाट संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य और 2030 तक आवश्यक कुल ऊर्जा में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी में 50% तक वृद्धि किया जाना शामिल है। सरकार ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने का भी वादा किया है, जो सतत विकास को बढ़ावा देने और देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के इसके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हाइड्रोजन और यहां तक कि स्मार्ट मीटरिंग तक - उभरती ऊर्जा संक्रमण प्रवृत्तियों का लाभ उठाने की ओर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था।

भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए 'अमृत काल' की अवधारणा पेश वर्ष की, जो 2047 में स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक 'नए भारत' के लिए उनका दृष्टिकोण है। अमृत काल का पहला बजट, केंद्रीय बजट 2023-24, हरित और भविष्यवादी (प्रौद्योगिकी संचालित) तरीकों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के आगामी 25 वर्षों के लिए आधारशिला रखना और प्रमुख नीतियों को 7 सह-निर्भर विभागों में विभाजित करना है - जिन्हें "सप्तऋषि" या सात ऋषि कहा जाता है, जिनमें से हरित विकास भी एक है। केंद्रीय बजट 2023 ने निम्नानुसार विभिन्न उपायों की घोषणा करके विद्युत क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ाया है:

- देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, 35,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के माध्यम से हरित विकास हासिल करने के लिए अनेक उपाय किए गए जिनका लक्ष्य ऊर्जा रूपांतरण और नेट-जीरो उद्देश्यों को प्राप्त करना है;
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसके द्वारा भारत को 2030 तक हरित हाइड्रोजन के 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की आशा की जा रही है;
- ग्रीनहाइड्रोजन बनाने में उपयोग किए जाने वाले सौर मॉड्यूल, इलेक्ट्रोलाइजर सहित महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की गई है;
- लद्दाख में उत्पन्न होने वाली 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निर्गम और ग्रिड एकीकरण के लिए एक अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना का निर्माण 20,700 करोड़ रुपये के निवेश से किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार का 8,300 करोड़ रुपये का समर्थन भी शामिल है;

- 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को पूंजी समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण तंत्र; और
- पीपीपी के माध्यम से हरित विकास में सहायता के लिए समर्थन, जिसमें पुराने वाहनों को हटाने और बदलने के लिए समर्थन, बैटरी भंडारण प्रणालियों का संवर्धन, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करना और परिवहन के किफायती तरीकों को प्रोत्साहन देने के लिए तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना शामिल है।

सरकार द्वारा घोषित अन्य उपायों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति; जून, 2025 तक चालू होने वाली सौर और पवन परियोजनाओं से विद्युत की बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण शुल्क की छूट; 2029-30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व के लिए प्रक्षेपपथ की घोषणा; अल्ट्रा-मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना; पीएम-कुसुम; सौर छत चरण-II; सीपीएसयू योजना चरण-II जैसी योजनाएं; हरित ऊर्जा गलियारा योजना के तहत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना और सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण; फोटोवोल्टिक और पवन परियोजनाओं के लिए मानक टीबीसीबी दिशानिर्देश तथा एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ करना आदि शामिल हैं।

राज्य विद्युत उपयोगिताओं के बढ़ते बकाया की समस्या का समाधान करने की दिशा में एक कदम के रूप में, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) ने विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 जारी किए हैं। यह पहल इस एकमात्र उद्देश्य के साथ काम करती है कि विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाया जाए और विद्युत क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन स्थापित किया जाए। इसके अलावा, ये नियम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम उपभोक्ता को न केवल विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत मिल सके, बल्कि इनसे राज्य उपयोगिताओं द्वारा विद्युत खरीद बकाया के ढेर से भुगतान के कारण ब्याज का बोझ को भी कम होगा। विद्युत मंत्रालय द्वारा आरईसी को नए एलपीएस नियमों के तहत उनके बकाए के समय पर भुगतान के लिए डिस्कॉम को अपना समर्थन देने की सलाह दी गई थी। वर्ष के दौरान, आरईसी ने बकाया राशि के भुगतान के लिए सभी राज्यों की डिस्कॉम को लगभग 16,177 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता वितरित की है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे - भारत को विश्व में हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना; ग्रीन हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात के अवसर पैदा करना; आयातित जीवाश्म ईंधन और फीडस्टॉक पर निर्भरता में कमी करना; स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना; उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना; रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना; और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 8,00,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ, देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़कर प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता के विकास में मदद करेगा और वर्ष 2030 तक 6,00,000 से अधिक रोजगारों का निर्माण करेगा। इसके अलावा, यह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के संचयी जीवाश्म ईंधन आयात को कम करने में सक्षम होगा और वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 एमएमटी की कमी लाने में सहायता करेगा।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम)

पीएम-कुसुम योजना 3.5 मिलियन से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों को सौरीकृत बनाते हुए उन्हें स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए विश्व की एक विशालतम पहलों में से एक है।



पीएम-कुसुम एक मांग-आधारित योजना है और इसके अंतर्गत राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर मात्रा/क्षमता आवंटित की जाती है। 30 जून, 2023 की स्थिति के अनुसार, 113.08 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं और योजना के तहत 2.44 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस संस्थापित क्षमता से CO2 उत्सर्जन में 0.67 मिलियन टन की कमी आई है और प्रति वर्ष 143 मिलियन लीटर डीजल की खपत कम हुई है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें किए गए हालिया संशोधन भी शामिल हैं। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, योजना का विस्तार 31 मार्च, 2026 तक हो गया है, छोटे किसानों को सहायता प्रदान देने के लिए योजना के घटक-ग के अंतर्गत फीडर स्तर का सौर ऊर्जाकरण शुरू किया गया है, 500 किलोवाट से छोटी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राज्यों द्वारा अनुमति दी जा सकती है, घटक-क के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन में कमी के लिए सौर ऊर्जा उत्पादक पर जुमनि को समाप्त किया जा सकता है, आदि।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

केंद्र सरकार ने जुलाई, 2021 में सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध नवीकृत वितरण क्षेत्र योजना (आरडीडीएस) को अधिसूचित किया है जिसका वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए 3,03,758 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से संधारणीय और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को छोड़कर, सभी डिस्कॉम/विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करते हुए एटी एंड सी की हानि को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर पर लाना और एसीएस-एआरआर के अंतर को 2024-25 तक शून्य करना है। डिस्कॉम/विद्युत विभाग, हानि में कमी लाने और आधुनिकीकरण के लिए प्री-पेड स्मार्ट मीटरिंग, सिस्टम मीटरिंग और वितरण इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए योजना के अंतर्गत निधि प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

यह योजना पूर्व-निर्धारित और सहमत प्रदर्शन प्रक्षेप पथ के प्रति डिस्कॉम प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन प्रदान करती है जिसमें एटीएंडसी घाटे, एसीएस-एआरआर खामियों, अवसंरचना के उन्नयन प्रदर्शन, उपभोक्ता सेवाओं, आपूर्ति के घंटे, कॉंपैरेट प्रशासन आदि भी शामिल हैं। डिस्कॉम को न्यूनतम 60% अंक स्कोर करना होता है उस वर्ष योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र होने के लिए और कुछ मापदंडों के संबंध में न्यूनतम मानक की पूर्ति करनी होती है। योजना के कार्यान्वयन से प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ता सशक्तीकरण होगा, जिसे सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोड में लागू किया जाएगा और आईटी/ओटी (सूचना प्रौद्योगिकी और परिचालन प्रौद्योगिकी) उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाया जाएगा जिसमें सिस्टम मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी शामिल हैं जिससे कि डिस्कॉम को नुकसान में कमी, मांग पूर्वानुमान, दिन के समय (टीओडी) टैरिफ, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और अन्य पूर्वानुमानित विश्लेषण पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके ताकि हर माह प्रणाली जनित ऊर्जा लेखांकन रिपोर्ट तैयार की जा सके।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के साथ-साथ तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी-2015) की योजनाओं को उनके मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार और उनके मौजूदा नियमों और शर्तों के अधीन आरडीएसएस में शामिल किया गया है।

आरडीएसएस सिस्टम मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित आईटी/ओटी (सूचना प्रौद्योगिकी और परिचालन प्रौद्योगिकी) उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर विशेष जोर

देता है, ताकि विद्युत वितरण में भागीदारी और परामर्श का लाभ उठाकर। एआई/एमएल (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को लागू किया जा सके।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), जिसके लिए आरईसी नोडल एजेंसी है, को उसके समापन वर्ष 2021-22 में अर्थात 31 मार्च, 2022 को पूरा कर लिया गया है। विद्युत मंत्रालय ने डीडीयूजीजेवाई को ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक एकीकृत योजना के रूप में 2014 में अधिसूचित किया था। इस योजना में 43,033 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय था, जिसमें भारत सरकार से 33,453 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शामिल थी। सभी पूर्ववर्ती आरई योजनाओं (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अर्थात आरजीजीवीवाई सहित) को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया था। 31 मार्च 2022 के बाद से डीडीयूजीजेवाई योजना को आरडीएसएस में समाहित कर दिया गया है। इसकी समाप्ति पर, योजना के तहत कुल निष्पादित लागत 45,942.74 करोड़ रुपये आ गई है।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) योजना शुरू की। आरईसी सौभाग्य स्कीम के लिए नोडल एजेंसी थी।

सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और उसका अनुवीक्षण करने के लिए, देश भर में विद्युतीकरण की निगरानी के प्रयोजनार्थ एक वेब पोर्टल शुरू किया गया था। आम जनता को अपने प्रश्नों को उठाने और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ बातचीत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पोर्टल में संवाद नाम की एक सुविधा प्रदान की गई थी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित हो सके। गांवों/कस्बों में एक विशेष वाहन, 'सौभाग्य रथ' तैनात किया गया था ताकि योजना के तहत विद्युत कनेक्शन लेने के लिए जनता उनसे संपर्क कर सके। सौभाग्य योजना सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है।

सौर पार्क योजना

बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए, मार्च, 2024 तक 40 गीगावॉट क्षमता की लक्ष्य क्षमता के साथ "सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास" की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। सौर पार्क प्लग एंड प्ले मॉडल के साथ सौर ऊर्जा डेवलपर्स प्रदान करते हैं जिसमें सभी सांविधिक मंजूरीयों के साथ-साथ आवश्यक अवसंरचना जैसे भूमि, विद्युत निकासी सुविधाएं, सड़क सम्पर्क, पानी की सुविधा आदि की सुविधा प्रदान करते हुए 28 फरवरी, 2023 तक, 39.28 गीगावॉट की संचयी क्षमता के साथ 57 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। इन 57 सौर पार्कों में से, 9 पार्क पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और अतिरिक्त 8 पार्क आंशिक रूप से तैयार हैं तथा इन पार्कों में 10.11 गीगावॉट सौर परियोजनाओं की संचयी क्षमता चालू की गई है।

रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II

देश में 40 गीगावॉट रूफटॉप सोलर (आरटीएस) क्षमता हासिल करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 8 मार्च, 2019 को रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II की शुरुआत की है। कार्यक्रम में आवासीय क्षेत्र में 4,000 मेगावाट आरटीएस क्षमता की स्थापना की परिकल्पना की गई है। पिछले वर्ष की स्थापित क्षमता से अधिक एक वर्ष में अतिरिक्त आरटीएस क्षमता की उपलब्धि के लिए डिस्कॉम को केंद्रीय वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत, कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क सहित 11,814



करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रारंभ में 2022 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन बाद में कार्यक्रम को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

28 फरवरी, 2023 तक, रुफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र के लिए 4000 मेगावाट की लक्ष्य क्षमता की तुलना में लगभग 3,377 मेगावाट क्षमता विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को उनसे प्राप्त मांग के आधार पर आवंटित की गई है और कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 2,917.59 रुपये की राशि आबंटित की गई है। रुफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के तहत 4.3 लाख लाभार्थियों को लाभ हुआ है। 28 फरवरी, 2023 तक देश में कुल 8.03 गीगावाट रुफटॉप सौर क्षमता संस्थापित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ) को वित्तीय वर्ष 2012-13 में 8,466 करोड़ रुपये के ब्याज सब्सिडी परिव्यय के साथ आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त करते हुए देश में वितरण घाटे को कम करने के लिए वितरण अवसंरचना में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना था। 31 मार्च, 2023 तक, एनईएफ के तहत 1,475 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है।

अवसंरचना क्षेत्र

मजबूत अवसंरचना किसी भी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में वृद्धि से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी होती है। अवसंरचना के विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए, वित्त मंत्रालय ने 11 अक्टूबर, 2022 को कुछ बड़े उभरते क्षेत्रों को जोड़कर और उन्हें मोटे तौर पर 5 खंडों में वर्गीकृत करके “अवसंरचनागत उप-क्षेत्रों की अद्यतन सामंजस्यपूर्ण मास्टर लिस्ट” की घोषणा की:

- परिवहन और लोजिस्टिक – सड़कें और पुल, बंदरगाह, शिपयार्ड, अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई अड्डे, रेलवे, शहरी सार्वजनिक परिवहन, संभार-तंत्र एवं अवसंरचना, थोक सामग्री परिवहन पाइपलाइन;
- ऊर्जा – विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण, विद्युत वितरण, तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा, ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस);
- जल और स्वच्छता – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल उपचार संयंत्र, मलजल संग्रह, परिशोधन और निपटान प्रणाली, सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध, आदि), तूफान जल निकासी प्रणाली;
- संचार – दूरसंचार, दूरसंचार टावर, दूरसंचार एवं दूरसंचार सेवाएँ, डेटा केंद्र; और
- सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना – शिक्षा संस्थान, खेल अवसंरचना, अस्पताल, औद्योगिक पार्कों के लिए सामान्य अवसंरचना और औद्योगिक क्रियाकलाप वाले अन्य पार्क जैसे फूड पार्क, कपड़ा पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधाएं और कृषि बाजार, टर्मिनल बाजार, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, कोल्ड चेन, किफायती आवास आदि।

सहायक व्यापक आर्थिक कारक और नीतिगत पहलें जैसे राष्ट्रीय संभार-तंत्र नीति, पीएम गति शक्ति, मेक-इन-इंडिया और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अवसंरचना में निवेश के लिए पर्याप्त स्थान का सृजन कर रही हैं। आरईसी ने अवसंरचना और संभार-तंत्र क्षेत्र को वित्त-पोषित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कीं जो दीर्घावधि में आरईसी के लिए एक महत्वपूर्ण वित्त-पोषण अवसर प्रस्तुत करता है।

अवसर और सवल पक्ष

अवसर

- आरईसी भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन और भारत के विद्युत क्षेत्र के वित्त-पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है;

- तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की बढ़ती मांग भविष्य की व्यावसायिक वृद्धि के लिए एक शुभ संकेत है;
- सीईए की उत्पादन क्षमता विस्तार आयोजना रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2027 के अंत तक संस्थापित उत्पादन क्षमता 610 गीगावाट होने का अनुमान है जिसके लिए 14.54 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। पांच वर्षों से आगे की अवधि में, अर्थात वित्तीय वर्ष 2032 तक उत्पादन क्षमता 900 गीगावाट होने की आशा है जो 19.06 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि आवश्यकता के अनुरूप है;
- आरडीएसएस जैसी योजनाओं जैसी योजनाओं में प्रतिरूपी वित्त-पोषण (~2 लाख करोड़ रुपये);
- विद्युत मंत्रालय ने आरईसी को अवसंरचना और संभार-तंत्र क्षेत्र को भी कुछ सीमाओं के अध्यधीन ऋण देने की अनुमति दी है। इससे आरईसी के लिए वित्त-पोषण के एक और विस्तृत मार्ग खुल गया है।

सवल पक्ष

- विद्युत क्षेत्र के वित्त-पोषण तथा भारत सरकार की नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने में आरईसी की भूमिका को देखते हुए, आरईसी की अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति है;
- आरईसी जिसने एक सुदृढ़ वित्तीय स्थिति बनाए रखी है, भविष्य के व्यावसायिक विकास की पूर्ति करने के लिए उच्च परिसंपत्ति गुणवत्ता के साथ बेहतर ढंग से पूंजीकृत है;
- आरईसी के पास एक वैविध्यपूर्ण आस्ति पोर्टफोलियो है जिसमें कोई भी उधारकर्ता 10% से अधिक आस्ति पोर्टफोलियो वाला नहीं है; और
- केंद्र और राज्य सरकार के हितधारकों के साथ मजबूत संबंध और व्यापक नेटवर्क आरईसी को नई रणनीतिक पहलों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है।
- विद्युत, अवसंरचना और संभार-तंत्र क्षेत्र में अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा के लिए उचित दरों पर ऋण देने की आवश्यकता हो सकती है; और
- वितरण उपयोगिताओं का वित्तीय और परिचालन स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है।

क्षेत्र-वार अथवा उत्पादन-वार प्रदर्शन

आरईसी एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसे आरबीआई द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला की वित्त-पोषण आवश्यकताओं को पूरा करती है।

आरईसी के प्रमुख उत्पाद राज्य उपयोगिताओं, निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं आदि को ब्याज पर दिए जाने वाले ऋण हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, आरईसी ने अवसंरचना और संभार-तंत्र क्षेत्र के लिए भी सक्रिय रूप से वित्त-पोषण/अन्वेषण आरंभ कर दिया है। कंपनी के पास अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने 2,68,460.54 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत ऋणों में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 34,529.33 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 21,371.11 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 1,22,050.50 करोड़ रुपये का ऋण तथा रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा और विलंब से भुगतान



अधिभार के अंतर्गत ऋण के साथ-साथ अवसंरचना और संभार-तंत्र परियोजनाओं के लिए 85,734.60 करोड़ रुपये और अन्य ऋणों जैसे अल्पकालिक, मध्यम अवधि के ऋण आदि के लिए 4,775 करोड़ रुपये शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने 96,846.30 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है, जिसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 25,049.27 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 12,984.89 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 27,502.84 करोड़ रुपये, विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1,453.29 करोड़ रुपये और अल्पावधि, आरबीपीएफ आदि सहित अन्य ऋणों के लिए 29,621.37 करोड़ रुपये शामिल हैं। संवितरण में डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी घटक सहित) और भारत सरकार की सौभाग्य योजनाओं के तहत 234.64 करोड़ का प्रतिरूपी आंशिक वित्त-पोषण भी शामिल है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने डीडीयूजीजेवाई योजना (डीडीजी घटक सहित) और भारत सरकार की सौभाग्य योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त 1,065.56 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी भी वितरित की।

दृष्टिकोण

भारत में विद्युत क्षेत्र एक दीर्घावधि से उच्च विकास और रुपांतरण की ओर अग्रसर है, जो स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ते उपयोग में दिखाई देता है। नवीकरणीय-समृद्ध क्षेत्रों से देश के शेष भागों तक विद्युत पहुंचाने के लिए व्यापक पारेषण योजना और उसका क्रियान्वयन अच्छी तरह से प्रगति पर है। उपयोगिता-पैमाने पर ऊर्जा भंडारण और पंप भंडारण परियोजनाएं प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भारत सरकार द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करने और उसका अनुसरण करने के साथ ही, ऊर्जा रुपांतरण से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश में वृद्धि होने की आशा की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के प्रति वैश्विक रुझान और भारत में इसके तेजी से अपनाए जाने से विद्युत की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन, जिसका उद्देश्य देश के पावर ग्रिड को आधुनिक बनाना है, से ग्रिड स्थिरता में सुधार और विद्युत हानि में कमी आने की उम्मीद है। सरकार वितरण नेटवर्क की दक्षता में सुधार के लिए स्मार्ट मीटर और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार वितरण कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए लागत-संबद्ध टैरिफ, बेहतर संग्रह दक्षता और एटीएंड घाटों में कमी जैसे उपायों को बढ़ावा दे रही है। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है, बढ़ती जनसंख्या और प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के वर्तमान निम्न स्तर के साथ, लंबी अवधि में विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए भविष्य का दृष्टिकोण काफी आशाजनक है।

समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी को विभिन्न पुरस्कार और मान्यताएं प्राप्त हुई हैं जिनमें निर्गमकर्ता की परिचालन दक्षता और वित्तीय मजबूती के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा “महारत्न” का दर्जा प्रदान किया जाना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए डीपीई, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में कंपनी का प्रदर्शन उत्कृष्ट होने की संभावना है, जो डीपीई द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अध्यधीन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आरईसी की एमओयू रेटिंग मुख्य रूप से स्टॉक मूल्य प्रदर्शन के नए आरंभ किए गए मापदंड के कारण “बहुत अच्छी” रही है।

उपरोक्त के अलावा, आरईसी के सीएमडी श्री विवेक कुमार देवांगन को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व तथा विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में परिचालन कारोबार मामलों के संवर्धन, पथप्रदर्शक ऊर्जा परिवर्तन पहल संचालित करने, उल्लेखनीय उपलब्धि और अर्थव्यवस्था के समग्र कल्याण में उनके द्वारा दिए गए योगदान

के लिए इकोनॉमिक टाइम्स एशियन बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव 2022-23 के 7वें संस्करण में प्रतिष्ठित ‘द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन संबंधी जोखिम

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी का पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीतिगत ढांचा आरईसी द्वारा की गई सभी ईएसजी पहलों और संचालित क्रियाकलापों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। यह अपने परिचालन, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने में पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी विचारों को शामिल करते हुए ईएसजी के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा के वित्त-पोषण को सुनिश्चित करने के लिए ऋण समझौते/मंजूरी में पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक (ईएसएसएस) पहलुओं से संबंधित उपयुक्त शर्तें भी शामिल की जा रही हैं।

इसके साथ, आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण भी सुनिश्चित किया जाता है जिसमें ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक, विनियामक, व्यापार भागीदार और समुदाय के सदस्य भी शामिल होते हैं।

पर्यावरण:

आरईसी देश के हरित ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के वित्त-पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आशय रखता है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक नवीकरणीय क्षमता की हिस्सेदारी 50% करने का लक्ष्य है। आरईसी ने पिछले वर्ष की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा में उच्च कारोबार दर्ज किया है। नवीकरणीय स्वीकृतियों में 45% से अधिक वृद्धि हो गई जबकि संवितरण कई गुना बढ़ गया। आगे चलकर नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी के तेजी से बढ़ने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप आरईसी के कुल ऋण पोर्टफोलियो में नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी में सुधार होगा। इसके अलावा, गुरुग्राम में आरईसी का कॉर्पोरेट कार्यालय भवन जिसका नाम “आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर” है, एक गृह-5 रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है जिसमें 964 केडब्ल्यूपी की सौर रुफटॉप क्षमता और अनेक ऊर्जा दक्षता विशेषताएं हैं। भवन को “एकीकृत जल और ऊर्जा प्रबंधन” श्रेणी के तहत 9वें गृह शिखर-सम्मेलन (एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग) में पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा, आरईसी ने कार्यालय को एकल-उपयोग प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पर्यावरण के मुद्दों के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने की एक पहल के रूप में, हरित ऊर्जा पर जागरूकता व्याख्यान और “पर्यावरण और मिशन जीवन” पर आरईसी कर्मचारियों के बीच ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई।

सामाजिक:

आरईसी कर्मचारियों के मध्य गैर-भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार, कैरियर प्रगति और कर्मचारी हितलाभ, कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण, महिला सुरक्षा आदि हासिल करने के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करता है और उन्हें अद्यतन बनाता है। आरईसी सभी कर्मचारियों के मध्य सत्यनिष्ठा, नैतिकता और उचित आचरण के गुणों को बढ़ावा देने के लिए “कर्मचारी नैतिकता और आचार संहिता” मैनुअल अनुरक्षित करता है। यदि कर्मचारियों की कोई चिंता हो, तो उसका समाधान करने के लिए एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। आरईसी सेवा वितरण में ग्राहक अनुभव के प्रति सचेत है और इसे संवर्धित करने की दृष्टि से नियमित रूप से अपने सभी उधारकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करता है। ऋण प्रदान करने के अलावा, आरईसी ने डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य जैसी सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने 100% गांव विद्युतीकरण और देश के अंतिम छोर तक संयोजनता सुनिश्चित की है जिसके परिणामस्वरूप हर ग्रामीण घर में रोशनी हुई है। फीडबैक रिपोर्ट से पता चलता है कि इन योजनाओं ने, अन्य बातों के अलावा, ग्रामीण समृद्धि और समावेशन में भी सुधार किया है। इसके अलावा, आरईसी को संशोधित



वितरण क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य घाटे में कमी लाना और डिस्कॉम की परिचालन दक्षता में सुधार करना है। सामाजिक रूप से उत्तरदायी कॉर्पोरेट के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आरईसी के पास एक सुपरिभाषित “कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व” नीति विद्यमान है।

अभिशासन:

आरईसी का मानना है कि नैतिक और पारदर्शी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानक अधिक प्रभावशीलता और दक्षता और बेहतर व्यावसायिक परिणामों की ओर ले जाते हैं। आरईसी विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करता है और सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार स्वेच्छा से डेटा का प्रकटीकरण भी करता है। इस दिशा में आरईसी के प्रयासों को मान्यता प्रदान करते हुए इसे 10 नवंबर, 2022 को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ‘कॉर्पोरेट गवर्नेंस’ में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। आरईसी ने एक “सूचना प्रदाता नीति” भी लागू की है जो हितधारकों को अपने कर्मचारी आचार संहिता/नैतिकता, भ्रष्टाचार आदि के उल्लंघन से जुड़े किसी भी मुद्दे की रिपोर्ट इसे करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आरईसी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सूचना सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी विभिन्न लेनदेन की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, संचालन की दक्षता और वैधानिक कानूनों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली बनाए रखती है। समान अनुपालन के लिए लेखांकन हेतु शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ आईटी आधारित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आरईसी ने अपनी ईआरपी संचालन और ई-ऑफिस प्रणाली भी स्थापित की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन मौजूद है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व्यवस्थित है, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग या बाहरी पेशेवर लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा विभिन्न प्रभागों और कार्यालयों की नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है।

इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों की समीक्षा लेखापरीक्षा भी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा उन कार्यालयों के लिए आयोजित की जाती है जहां आंतरिक लेखापरीक्षा लगातार तीन वर्षों से आउटसोर्स की जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा में वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पहचाने गए महत्वपूर्ण/जोखिम वाले क्षेत्रों सहित कंपनी के संचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग)) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 में निर्धारित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) ढांचा है और इस ढांचे में संचालन/क्रियाकलापों का स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन, ऑडिट यूनिवर्स की पहचान, जोखिम मैट्रिक्स का विकास, वार्षिक आरबीआईए योजना तैयार करना और आरबीआईए नीति में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन शामिल है।

वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने प्रभावशाली निष्पादन प्राप्त किया है। एकल आधार पर कंपनी की परिचालन आय 39,208.06 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष की आय (39,132.49 करोड़ रुपये) से 0.19 प्रतिशत अधिक थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 13,738.77 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष के पीबीटी (12,424.90 करोड़ रुपये) से 10.57 प्रतिशत अधिक था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निवल लाभ 11,054.64 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के निवल लाभ (10,045.92 करोड़ रुपये) की तुलना में 10.04 प्रतिशत अधिक था। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य 57,679.67 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष (50,986.60 करोड़ रुपये) की तुलना में 13.13 प्रतिशत अधिक था।

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के लिए अपने बकाया की समय पर वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने 83,138.84 करोड़ रुपये की वसूली के लिए बकाया कुल राशि की तुलना में 82,910.87 करोड़ रुपये की वसूली की, जिसमें मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए ब्याज शामिल है, जिससे 99.73% की वसूली दर प्राप्त हुई है।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

कंपनी के लिए लागू और विशिष्ट प्रमुख वित्तीय अनुपातों में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है:-

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.58	1.56
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	6.49	6.41
प्रचालन लाभ मार्जिन (%)	34.93	31.50
निवल लाभ मार्जिन (%)	28.16	25.61
निवल मूल्य पर प्रतिफल (पीएटी/औसत निवल मूल्य) (%)	20.35	21.28
सकल ऋण बाधित आस्तियां (चरण-III) (%)	3.42	4.45
निवल ऋण बाधित आस्तियां (चरण-III) (%)	1.01	1.45

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में प्रमुख वित्तीय अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी की कुल जनशक्ति 419 कर्मचारी थी, जिसमें 379 कार्यपालक और 40 गैर-कार्यपालक शामिल थे। औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान औद्योगिक अशांति के कारण मानव दिवस का कोई नुकसान नहीं हुआ।

कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास पर मुख्य ध्यान दिया जाना जारी रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के कुल 315 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, वेबिनार आदि में भाग लिया, जिससे कुल 1,136 मानव दिवस प्रशिक्षण प्राप्त हुए।

कर्मचारियों को पेशेवर रूप से लैस करने के लिए 19 कार्यकारियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।

सीएसआर पहले

आरईसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास पहल का क्रियान्वयन समुदायआधारित, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिए जाने के साथ किया जाता है। कंपनी अपने सीएसआर क्रियाकलापों का संचालन ‘आरईसी फाउंडेशन’ के माध्यम से करती है, जो एक गैर-लाभकारी सोसायटी है और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता



सुविधाओं, रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों, शिक्षा, पर्यावरणीय संधारणीयता, ग्रामीण विकास परियोजनाओं आदि के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर पहलों के लिए कुल 190.20 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की। सीएसआर परियोजनाएं बेसलाइन सर्वेक्षण, विशिष्ट परियोजना अवधि, पहचाने गए लक्ष्यों, आवधिक निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के साथ परियोजना मोड में क्रियान्वित की जाती हैं।

सीएसआर परियोजनाओं के प्रति संवितरण पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों और व्युत्पन्न की उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने कुल 210.35 करोड़ रुपये का व्यय किया (जिसमें चालू परियोजनाओं में संवितरण, अन्य व्यय और पिछले वर्ष से 0.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को आगे ले जाया जाना शामिल है)।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी निगरानी करना और उनके प्रशमन के लिए कार्रवाई का सुझाव देना है। इसके अलावा, कंपनी ने आरबीआई के मानदंडों की आवश्यकता के अनुसार एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) नियुक्त किया है।

आरईसी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों को व्यवस्थित रूप से श्रेणीबद्ध किया गया है और इनकी निगरानी की जाती है। क्रेडिट जोखिम वित्तपोषण उद्योग का एक अंतर्निहित जोखिम है। इसमें उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी और ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान पर उधारकर्ता की चूक से उत्पन्न होने वाले नुकसान का जोखिम शामिल है। दूसरी ओर, प्रचालनात्मक जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। नकदी जोखिम देनदारियों के देय हो जाने पर उन्हें पूरा करने में संभावित अक्षमता; और परिसंपत्तियों में वृद्धि को निधि देने में असमर्थता, वित्त-पोषण स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता का जोखिम है। बाजार जोखिम को ब्याज दरों या प्रतिभूतियों के मूल्यों में बदलाव, विदेशी मुद्रा परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण कंपनी की आय और पूंजी के लिए जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। ईएसजी जोखिम कंपनी के प्रचालनों, वित्तीय निष्पादन और प्रबंधन पर पर्यावरणीय, सामाजिक और मूल्यांकन कारकों के कारण होने वाला जोखिम है।

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी संस्थागत मूल्यांकन और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रियाओं का पालन करती है, जिसमें विस्तृत मूल्यांकन

पद्धति, जोखिमों की पहचान, उपयुक्त संरचना और शमन शामिल है। परिचालन जोखिमों को कारोबार, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, प्रचालन और रणनीति जैसे सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करने वाले एक व्यापक जोखिम रजिस्टर के माध्यम से ‘उच्च’, ‘मध्यम’ या ‘निम्न’ के रूप में मापा और वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी अनुमानित संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर भविष्योन्मुखी संसाधन जुटाने सहित रणनीतियों के मिश्रण के माध्यम से अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके अलावा, बाजार जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी के पास सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली एक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) है, जो नियमित रूप से समीक्षा के लिए बैठक करती है। कंपनी के पास इसकी व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति के एक भाग के रूप में एक परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन नीति और हेजिंग नीति भी है। संगत ईएसजी जोखिमों के प्रशमन के लिए, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन रणनीति, कारपोरेट अभिशासन आदि सहित फोकस क्षेत्रों को कवर करने वाली एक ईएसजी नीति बनाई है और उसे कार्यान्वित किया है।

रणनीति

उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र की अपेक्षाओं को वित्त-पोषित करते हुए, आरईसी ऊर्जा रूपांतरण पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए बल का लाभ उठाने और सौर, पवन, बायोमास, हाइड्रो ईवी/चार्जिंग अवसंरचना, ईवीएस के निर्माताओं; स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए उपकरण निर्माण का वित्तपोषण, सौर पार्कों, सौर एसईजेड, सौर पंप-सेट, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों आदि का वित्त-पोषण जैसी आगामी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने आरईसी को गैर-विद्युत अवसंरचना और संभार-तंत्र क्षेत्र को ऋण देने की अनुमति प्रदान की है, बशर्ते कि अवसंरचना में वार्षिक मंजूरी विद्युत अवसंरचना और हरित ऊर्जा परियोजनाओं सहित कुल स्वीकृतियों के एक-तिहाई से अधिक न हो और ऋण-बही में बकाया राशि की 30% की सीमा के अध्यक्षीन हो। इसके परिणामस्वरूप, आरईसी ने हवाई अड्डों, मेट्रो रेल, सड़कों और राजमार्गों, ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया, सिंचाई/जल संसाधनों, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कोल्ड चेन, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, बंदरगाहों, हेल्थकेयर अवसंरचना आदि जैसे क्षेत्रों को सक्रिय रूप से वित्तपोषण उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया है। इस संबंध में आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गई हैं और वर्ष के दौरान कुल 85,735 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान प्रदान की गई स्वीकृतियों के परिणामस्वरूप वर्ष के शेष भाग में मजबूत संवितरण किया जाएगा।

कृते निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से



विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 01377212)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 11 अगस्त, 2023

सचेतक टिप्पणी :

“प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण” खंड में कुछ कथन अग्रदर्शी हो सकते हैं और लागू विधियों और विनियमों द्वारा अपेक्षानुसार बताए गए हैं। कई कारक वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, जो भविष्य के निष्पादन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।



निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक -II

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

आरईसी लिमिटेड पिछले पांच दशकों से अधिक समय से देश के विद्युत क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करने में अग्रणी रहा है। यह दीर्घकालिक और निरंतर सफलता कई प्रमुख कारकों का परिणाम है, जिसमें मजबूत कारपोरेट अभिशासन प्रथाएं, सक्रिय हितधारक भागीदारी तथा वृद्धि और विकास के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी ने बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के वित्तपोषण के नए क्षेत्र में प्रवेश किया है। आरईसी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसकी प्रथाएं और नीतियां समाज के हितों के अनुरूप हों और वृहत्तर कल्याण को बढ़ावा दें। यह दृष्टिकोण जिम्मेदार संसाधन उपयोग, पर्यावरणीय धारणीयता और सामुदायिक सहभागिता पर कंपनी के फोकस में स्पष्ट है। आरईसी विद्युत क्षेत्र और समाज में अपनी भूमिका को गंभीरता से लेता है, और मजबूत कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं, हितधारक जुड़ाव तथा वृद्धि और विकास के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करता है।

आरईसी शेयरधारकों, अपरिवर्तनीय प्रतिभूतिधारकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, कर्मचारियों, समुदायों और आम जनता सहित अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन का प्रयास करता है। इस कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी के सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम"), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश ("डीपीई दिशानिर्देश") और भारतीय कंपनी सचिवों संस्थान के सचिवीय मानक ("सचिवीय मानक") द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आरईसी इन न्यूनतम आवश्यकताओं से आगे जाता है और सेबी द्वारा निर्धारित अधिकांश गैर-अधिदेशित दिशानिर्देशों को पूरा करता है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है, जिसके बाद कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कारपोरेट अभिशासन पर एक प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है।

1. कॉर्पोरेट अभिशासन पर कंपनी की दृष्टि

आरईसी में कारपोरेट अभिशासन विद्यमान विनियामक ढांचे के भीतर हितधारकों के लिए सतत मूल्य सृजन के लिए नैतिक और जिम्मेदार रीति में व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है। कंपनी, पूरे विश्व में कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने में विश्वास करती है। कंपनी में उचित, पारदर्शी और नैतिक सुशासन परिपाटियों की एक अतिप्रभावी परम्परा मौजूद है। स्वतंत्रता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, सततता और समुचित एवं समयबद्ध प्रकटीकरण आदि के मूलभूत सिद्धांत कंपनी की कारपोरेट अभिशासन की धारणा को पूर्ण रूप से लागू करने के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। परिवर्तनशील व्यावसायिक परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और फ्रेमवर्क की नियमित रूप से समीक्षा और उन्नयन किया जाता है।

आरईसी का कारपोरेट अभिशासन फ्रेमवर्क निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों आधारित है:

- कानून, नियमों और विनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन;
- अपने सभी हितधारकों के हितों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रणाली और परिपाटियां; तथा
- सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध प्रकटीकरण के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे के परिवेश का सृजन करना।

उपरोक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं:

- शेयरधारकों के मूल्य का संरक्षण और वृद्धि करने में;
- अन्य सभी हितधारकों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज के हितों की रक्षा करने में;



आरईसी को कारपोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता के लिए 'गोल्डन पीकोक अवार्ड 2022' से सम्मानित किया गया



- संचार में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने में;
- प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में; और
- अन्यो के लिए अनुकरणीय उच्चतम स्तर का कॉर्पोरेट नेतृत्व प्रदान करने में।

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपने स्वयं के "कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी आंतरिक दिशानिर्देश" स्थापित किए हैं। ये दिशानिर्देश कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रति कंपनी के दृष्टिकोण को संहिताबद्ध करते हुए, इसके दर्शन, संरचना और रूपरेखा को रेखांकित करते हैं। कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी आंतरिक दिशानिर्देशों का अवलोकन <https://recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf> पर किया जा सकता है।

2. निदेशक मण्डल

आरईसी के संगम-अनुच्छेदों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 (तीन) से कम और 15 (पंद्रह) से अधिक नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, आरईसी के निदेशक मण्डल में 9 (नौ) निदेशक हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी); निदेशक (वित्त); निदेशक (तकनीकी); प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से एक सरकार द्वारा नामित निदेशक; पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा नामित निदेशक, जो कंपनी की अधिकांश इक्विटी का धारक है; और एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित 4 (चार) अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत के

(क) बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार बोर्ड की संरचना के ब्यौरे और अन्य प्रासंगिक विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में पद	भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित अन्य निदेशक पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक पद, निदेशक पद की श्रेणी	अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या ^क	
						अध्यक्ष	सदस्य
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक)							
1	श्री विवेक कुमार देवांगन	01377212	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (17 मई, 2022 से)	1	-	-	-
2	श्री अजय चौधुरी	06629871	निदेशक (वित्त)	1			
3	श्री विजय कुमार सिंह	02772733	निदेशक (तकनीकी) (15 जुलाई, 2022 से)	2	-	-	-
अंशकालिक निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)							
4	श्री पीयूष सिंह	07492389	सरकार द्वारा नामित निदेशक (14 सितम्बर, 2022 से)	2	एनटीपीसी लिमिटेड (नामित निदेशक)	-	-
5	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	08530587	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्णकालिक निदेशक) पीटीसी इंडिया लिमिटेड (नामित निदेशक)	शून्य	2 ^ख
6	डॉ. गंभीर सिंह	02003319	स्वतंत्र निदेशक	1	-	-	-
7	डॉ मनोज मनोहर पांडे	09388430	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
8	डॉ. दुर्गेश नंदिनी	09398540	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
9	श्री नारायणन तिरुपति	10063245	स्वतंत्र निदेशक (6 मार्च, 2023 से)	-	-	-	-

क. सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 26 के अनुसार, भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (आरईसी के अलावा) में केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारी संबंध समिति में अध्यक्षता/सदस्यता को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा, कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक ऐसी समितियों का सदस्य नहीं है और न ही ऐसी 5 (पांच) से अधिक समितियों के अध्यक्ष है।

ख. श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति की हितधारक संबंध और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की सदस्य हैं।



(ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

- विद्युत मंत्रालय ने बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के साथ पठित अपने दिनांक 10 मई, 2022 के आदेश के माध्यम से श्री रविन्दर सिंह ढिल्लों (डीआईएन: 00278074), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को 10 मई, 2022 (पूर्वाह्न) से, तीन महीने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए उनके वर्तमान पद के उत्तरदायित्व के अलावा सीएमडी, आरईसी लिमिटेड का कार्य देखने के लिए नियुक्त किया था। तदनुसार, श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे (डीआईएन: 05254178) 10 मई, 2022 से कंपनी के सीएमडी नहीं रहे।
- इसके अलावा, 18 मई, 2022 के विद्युत मंत्रालय के आदेश और बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के साथ पठित मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति (एसीसी), कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार के दिनांक 13 मई, 2022 के संचार के संदर्भ में, श्री विवेक कुमार देवांगन (डीआईएन: 01377212) ने 17 मई, 2022 से आरईसी के सीएमडी का पदभार ग्रहण किया था।
- बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के साथ पठित विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 2022 के आदेश के अनुसार, श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन: 02772733) को 15 जुलाई, 2022 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात्, 30 जून, 2025, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, 15 जुलाई, 2022 के आदेश के तहत, विद्युत मंत्रालय ने 1 फरवरी, 2022 से नियमित पदधारी के पद ग्रहण करने अर्थात् 15 जुलाई, 2022 तक श्री अजय चौधुरी, निदेशक (वित्त) को निदेशक (तकनीकी) के पद के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपने की कार्योत्तर मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने 10 अगस्त, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के मौजूदा पद को निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में पुनर्नामित किया था।
- श्री पीयूष सिंह, (डीआईएन: 07492389) संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, को बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के साथ पठित सम तिथि के विद्युत मंत्रालय के कार्यालय आदेश के अनुसार 14 सितंबर, 2022 से श्री विशाल कपूर (डीआईएन 08700132) के स्थान पर आरईसी के बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- श्री नारायणन तिरुपति (डीआईएन: 10063245) को बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के साथ पठित विद्युत मंत्रालय के दिनांक 3 मार्च, 2023 के आदेश के अनुसार, 6 मार्च, 2023 से विद्युत मंत्रालय आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

(ग) 31 मार्च 2023 के बाद बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के साथ पठित विद्युत मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई, 2023 के पत्र के अनुसार, पीएफसी के निदेशक (वाणिज्य) श्री मनोज शर्मा को 11 जुलाई 2023 से श्रीमती परमिंदर चोपड़ा के स्थान पर आरईसी के बोर्ड में पीएफसी के नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(घ) बोर्ड और उसकी समितियों के संबंध में अन्य प्रावधान

(i) बोर्ड प्रक्रियाएं

कंपनी अधिकतम भागीदारी, कागज रहित वातावरण को बढ़ावा देने और वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

बोर्ड और समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का पालन करती है। कंपनी बोर्ड और समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ कार्य करती है। सभी निदेशकों की पूर्ण भागीदारी और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, सभी निदेशकों के साथ परामर्श के माध्यम से बैठक की तारीखों पर पहले ही सहमति बना ली जाती है। निदेशक की प्राथमिकता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक तरीकों का उपयोग करके, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निदेशकों को कार्यसूची टिप्पण भेजे जाते हैं। अतिरिक्त सुविधा के लिए और कागज रहित वातावरण को बढ़ावा देने हेतु, कंपनी निदेशकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्यसूची टिप्पण भेजने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त, मूल्य-संवेदनशील समझी जाने वाली कोई भी सूचना लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार बैठक से पहले अलग से वितरित की जाती है।

यदि आवश्यक हो, तो व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तावों को संचलन के माध्यम से पारित किया जा रहा है, और अगली बोर्ड बैठक में दर्ज किया जाता है। अत्यावश्यक व्यावसायिक आवश्यकताओं के मामलों में, निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अल्प सूचना पर बैठकें बुलाई जा सकती हैं।

बोर्ड या समिति की बैठकों की कार्यसूची में किसी भी मद को शामिल करना एक स्थापित आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, और इसे सीएमडी द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्यसूची टिप्पण में अनुमोदित किए जाने वाले मसौदा प्रस्ताव के साथ एक मानक प्रारूप में एक कार्यपालक सारांश, साथ ही प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होती है।

बोर्ड और समिति की बैठकें आमतौर पर दिल्ली/गुरुग्राम में पंजीकृत/ कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जब भी आवश्यक हो, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को उपस्थित होने और प्रस्तुतीकरण देने या किसी कार्यसूची मद पर अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक बैठक के बाद कृत कार्यवाई रिपोर्ट (एटीआर) के रूप में अनुवर्ती कार्यवाई की एक व्यापक प्रणाली कार्यान्वित की जाती है, जो बोर्ड या समितियों द्वारा पहले के निर्णयों और चर्चाओं के आधार पर उठाए गए कदमों का विवरण देती है। कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का कड़ाई से पालन करती है।

(ii) वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मण्डल की कुल 12 (बारह) बैठकें आयोजित की गईं:

पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
27 अप्रैल - 2022	4 अगस्त- 2022	27 अक्टूबर- 2022	30 जनवरी - 2023
13 मई - 2022	15 सितंबर- 2022	5 दिसम्बर - 2022	9 मार्च - 2023
28 मई - 2022	-	30 दिसंबर - 2022	30 मार्च - 2023
30 जून - 2022	-	-	-

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 14 (चौदह) दिन और 41 (इकतालीस) दिन था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंतिम बोर्ड बैठक से वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली बोर्ड बैठक के बीच 36 (छत्तीस) दिनों का अंतराल था।

(iii) निदेशक मण्डल के समक्ष रखी गई सूचना

सेबी एलओडीआर नियमों में उल्लिखित न्यूनतम सूचना आवश्यकताओं को लांघते हुए, निदेशक मण्डल के पास कंपनी के भीतर सभी जानकारी तक पूर्ण और अप्रतिबंधित पहुंच है। कंपनी यह सुनिश्चित करने में हर संभव प्रयास करती है कि बोर्ड को प्रदान की गई सूचना की व्यापक और गहन समझ हो।

बोर्ड को उपलब्ध कराई गई सूचना में अन्य सूचनाओं के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

- वार्षिक प्रचालन योजनाएँ और बजट तथा कोई भी अद्यतन सूचना।
- पूँजीगत बजट और कोई अद्यतन सूचना।
- निधियां जुटाने से संबंधित प्रस्ताव।
- वित्तीय सहायता की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव।
- कंपनी के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- बोर्ड की रिपोर्ट के साथ-साथ इसके अनुलग्नक।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- सहायक कंपनियों के बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव, यदि लागू हो, की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और वेतन के संबंध में जानकारी।
- महत्वपूर्ण कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और शास्ति नोटिस, यदि कोई हो।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी महत्वपूर्ण अपशिष्ट या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।
- कंपनी के प्रति और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए अधिक मात्रा में न किया गया भुगतान, यदि कोई हो।
- ऐसा मुद्दा, जिसमें सारवान् प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व दावे शामिल हैं, जिनमें ऐसा कोई भी निर्णय या आदेश शामिल हो, जो कंपनी के संचालन की निंदा का कारण बन सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकता है, जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव, यदि कोई हो, पड़ सकता है।
- किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार, सहायक कंपनियों का गठन, सामरिक गठबंधन आदि, यदि कोई हो, का विवरण।

- ऐसे लेन-देन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा, यदि कोई हो, के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है।
- महत्वपूर्ण श्रम संबंधी समस्याएं, यदि कोई हों और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन करार पर हस्ताक्षर, स्वीच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि, यदि कोई हो।
- निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों, जो महत्वपूर्ण प्रकृति की हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, की बिक्री।
- विदेशी मुद्रा एक्सपोजर और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण हों, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों का तिमाही विवरण।
- किसी भी विनियामक, सांविधिक या सूचीबद्धता अपेक्षाओं का गैर-अनुपालन और शेयरधारकों की सेवा जैसे लाभान्श का गैर-भुगतान आदि, यदि लागू हों।
- विभिन्न लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
- शेयर पूंजी लेखा परीक्षा के समाधान, कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
- उधारियों और ऋण-मोचन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
- अल्पावधि अधिशेष निधियों के परिनियोजन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
- ऋण पोर्टफोलियो गुणवत्ता और विविधता के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
- निधियों की लागत के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
- ऋण बही के इसीएल आधारित क्रेडिट जोखिम वर्गीकरण के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
- दीर्घावधि निवेशों के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
- सूचना-प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अनुपालन के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
- उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
- शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवधिक रिपोर्ट।
- बोर्ड के पूर्व के विचार-विमर्श/निर्णयों पर की गई कार्यवाई संबंधी रिपोर्ट।
- बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए यथा-अपेक्षित, कोई अन्य जानकारी।



(iv) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति					
		27-अप्रैल - 2022	13-मई - 2022	28-मई - 2022	30-जून - 2022	4-अगस्त - 2022	15-सितम्बर - 2022
1	श्री विवेक कुमार देवांगन <i>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (17 मई, 2022 से)</i>	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤
2	श्री रविन्दर सिंह डिल्लो <i>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 10 मई 2022 से 16 मई, 2022 से)</i>	लागू नहीं	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे <i>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (9 मई, 2022 तक)</i>	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	श्री अजय चौधरी <i>निदेशक (वित्त)</i>	👤	👤	👤	👤	👤	👤
5	श्री विजय कुमार सिंह <i>निदेशक (तकनीकी) (15 जुलाई, 2022 से)*</i>	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	📺	👤
6	श्री पीयूष सिंह <i>सरकार द्वारा नामित निदेशक (14 सितम्बर, 2022 से)</i>	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	📺
7	श्री विशाल कपूर <i>सरकार द्वारा नामित निदेशक (14 सितम्बर 2022 से निदेशक नहीं रहे)</i>	📺	📺	📺	👤	📺	लागू नहीं
8	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा <i>पीएफसी द्वारा नामित निदेशक</i>	📺	📺	अनुपस्थिति की अनुमति	👤	👤	अनुपस्थिति की अनुमति
9	डॉ. गंभीर सिंह <i>स्वतंत्र निदेशक</i>	👤	👤	👤	👤	👤	👤
10	डॉ मनोज मनोहर पांडे <i>स्वतंत्र निदेशक</i>	👤	👤	📺	👤	📺	👤
11	डॉ. दुर्गेश नंदिनी <i>स्वतंत्र निदेशक</i>	👤	👤	👤	👤	👤	👤
12	श्री नारायणन तिरुपति <i>स्वतंत्र निदेशक (6 मार्च, 2023 से)</i>	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



व्यक्तिगत रूप से उपस्थित



वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

* विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10 अगस्त, 2023 के पत्र के माध्यम से निदेशक (तकनीकी) के विद्यमान पद को निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में पुनर्नामांकित किया है।

(v) आगामी 54वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 91 (iv) के अनुसार, श्री विजय कुमार सिंह, (डीआईएन : 02772733), निदेशक (परियोजनाएं) कंपनी की आगामी 54वीं एजीएम में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, उन्होंने स्वयं की पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव किया है। श्री विजय कुमार सिंह की विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी सहित उनका संक्षिप्त विवरण 54वीं एजीएम के नोटिस में प्रदर्शित किया जा रहा है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

(vi) निदेशकों का जीवनवृत्त

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव करने वाले

निदेशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त वार्षिक आम बैठक आहूत करने वाली सूचना के साथ संलग्न है।

(vii) निदेशकों को बीच परस्पर संबंध

कंपनी के निदेशकों को बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

(viii) गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय लिखत

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, कोई भी गैर-कार्यपालक निदेशक कंपनी में किसी शेयर या परिवर्तनीय लिखत का धारक नहीं है।

(ix) स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित जानकारी

वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कंपनी अधिनियम,

बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति						बैठकों की कुल संख्या			16 सितम्बर 2022 को हुई 53वीं एजीएम में उपस्थिति
27- अक्टूबर - 2022	5-दिसम्बर - 2022	30-दिसम्बर - 2022	30-जनवरी - 2023	9-मार्च - 2023	30-मार्च - 2023	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा भाग ली गई	उपस्थिति का प्रतिशत	
👤	👤	👤	👤	👤	📺	10	10	100	👤
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100	लागू नहीं
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100	लागू नहीं
👤	👤	👤	👤	📺	👤	12	12	100	👤
👤	👤	👤	👤	👤	👤	8	8	100	👤
📺	अनुपस्थिति की अनुमति	📺	📺	अनुपस्थिति की अनुमति	👤	7	5	71.40	👤
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	5	100	लागू नहीं
👤	👤	👤	📺	👤	📺	12	10	83.33	👤
👤	👤	👤	👤	👤	👤	12	12	100	👤
👤	👤	👤	👤	👤	📺	12	12	100	👤
👤	👤	👤	👤	👤	👤	12	12	100	👤
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	2	2	100	लागू नहीं

2013 के तहत निर्धारित विनियमों के अनुपालन में था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

आरईसी के सभी स्वतंत्र निदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशक के डाटाबेक में पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत की हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 16(1)(ख) के तहत निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

बोर्ड के विचार में, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के पास मजबूत नैतिक चरित्र और कंपनी में मूल्यवान योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव है, और वे प्रबंधन के साथ किसी भी संबंध या जुड़ाव से मुक्त हैं।

(x) स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

सेबी एलओडीआर विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2022 को आरईसी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

(xi) बोर्ड के प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षताएं और विशेषताएं

आरईसी के निदेशक मण्डल में अत्यधिक अर्हक व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास कंपनी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और बोर्ड और इसकी समितियों में मूल्यवान योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल, विशेषज्ञता और क्षमता है। बोर्ड के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि आरईसी कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों का पालन करता है। आरईसी के व्यवसाय और वृहत्तर विद्युत क्षेत्र की जटिलताओं के मद्देनजर, बोर्ड ने प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षताओं और विशेषताओं की पहचान की है जो इसके प्रभावी कार्यकरण के

लिए महत्वपूर्ण हैं :

कौशल या विशेषज्ञता का क्षेत्र	विवरण
वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण, जिसमें निधि जुटाना और उनका उपयोग, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय योजना, चलनिधि और निधि प्रबंधन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, कोषागार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन, कर योजना और वित्तीय संस्थानों के साथ संबंधि आदि शामिल हैं।
विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	प्रौद्योगिकी में प्रचुर पृष्ठभूमि और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तथा भारत और विदेशों में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों / पहलुओं / बारीकियों के विभिन्न तत्वों में गहन अंतर्दृष्टि, तकनीकी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने का ज्ञान, विदारी नवाचार उत्पन्न करना और नए व्यवसाय मॉडल का विस्तार या निर्माण करना।
परियोजना मूल्यांकन	किसी परियोजना के तकनीकी मानकों, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और अन्य ऐसे पहलुओं की व्यवस्थित और व्यापक समीक्षा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह अपने उद्देश्यों को पूरा करती है।
कॉर्पोरेट योजना और कार्यनीति	प्रबंधन गतिविधियाँ, जिनका अनुप्रयोग प्राथमिकताएँ निर्धारित करने, ऊर्जा और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने, प्रचालन को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कर्मचारी और अन्य हितधारी आशयित परिणामों / नतीजों पर सहमति बनाकर, मूल लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं, के लिए किया जाता है; और परिवर्तनशील परिवेश के प्रति संगठन के निर्देशों का मूल्यांकन और समायोजन करना।
जोखिम प्रबंधन	परिचालन जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और अन्य वित्तीय जोखिमों के पूर्वानुमान और मूल्यांकन के साथ-साथ उनके प्रभाव से बचने या कम करने के लिए प्रक्रियाओं की पहचान करना। निवेश/वित्तपोषण प्रक्रिया के दौरान हो सकने वाले किसी भी संभावित खतरों की पहचान करना और उनका शमन करना। साइबर सुरक्षा और आईटी परिवेश से संबंधित जोखिमों का शमन।
नेतृत्व	संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने तथा ऐसे लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए कार्रवाई करने सहित स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने, उस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मार्गदर्शन, ज्ञान और तरीके प्रदान करने के लिए विस्तृत नेतृत्व अनुभव।
बोर्ड परिपाटियां और सुशासन	किसी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सेवा या केंद्र / राज्य सरकार के विभागों, बैंकों या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में जिम्मेदार पदों पर कार्य करना। कंपनी बोर्ड को बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही बनाए रखने, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने और उचित सुशासन परिपाटियों का पालन करने के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करनी है।
कारोबार विकास	ऋणकर्ताओं/निवेशकों, बाजारों और अन्य सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करके कारोबार और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, ब्रांड जागरूकता बनाने और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने का अनुभव।
पर्यावरण और समाज	जलवायु संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट में कमी, पारिस्थितिक संवेदनशीलता, कृषि, सततता, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, लोक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक प्रभाव और सामाजिक विकास परियोजनाओं आदि के क्षेत्र में अनुभव।

निम्न सारणी में, दिनांक 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड के अलग-अलग सदस्यों और इसके बाद नियुक्त किए गए बोर्ड के सदस्यों के विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर किया गया है:

निदेशक का नाम	बोर्ड की प्रमुख योग्यताएं								
	वित्तीय प्रबंधन	विद्युत क्षेत्र की प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	परियोजना मूल्यांकन	कॉर्पोरेट योजना और कार्यनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	बोर्ड परिपाटियां और अभिशासन	कारोबार विकास	पर्यावरण और समाज
श्री विवेक कुमार देवांगन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री अजय चौधुरी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विजय कुमार सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री पीयूष सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री मनोज शर्मा *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. गंभीर सिंह	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. मनोज मनोहर पांडे	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. दुर्गेश नंदिनी	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
श्री नारायणन तिरुपति	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓

* 11 जुलाई, 2023 से श्रीमती परमिंदर चोपड़ा के स्थान पर नियुक्त।

किसी सदस्य के नाम के आगे टिक मार्क न होने का अर्थ यह नहीं है कि उक्त सदस्य के पास तदनुरूपी कौशल या विशेषज्ञता नहीं है।

3. निदेशक मण्डल की समितियां

निदेशक मण्डल या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में या व्यवसाय और अभिशासन के विशिष्ट क्षेत्रों की निगरानी के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक समिति, बोर्ड, जो इनकी संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियां निर्धारित करता है, द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है। समिति को प्रत्यायोजित प्राधिकारों के भीतर उन्हें सौंपे गए कार्य क्षेत्रों के तहत सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए इनकी बैठकें नियमित रूप से और आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाती हैं।

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड में निम्नलिखित समितियां थीं:-

- लेखापरीक्षा समिति
- नामांकन और पारिश्रमिक समिति
- हितधारी संबंध समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति

- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
- अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति
- परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति
- आईटी कार्यनीति समिति
- ‘मेक इन इंडिया’ के संबध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-समिति

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 105 और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के संदर्भ में, सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को सूचना और टिप्पणियों के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय, इनकी बैठकों, उपस्थिति आदि के ब्यौरे अनुवर्ती पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 18 और कारपोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक लेखापरीक्षा समिति की गठन किया है। लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014,

समय-समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित, में यथा परिकल्पित लेखापरीक्षा समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन;

ग) डीपीई द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों, 2010, समय-समय पर यथासंशोधित, का अनुपालन; तथा

घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित किन्हीं अन्य लागू प्रावधानों, समय-समय पर संशोधित, का अनुपालन।

लेखापरीक्षा समिति अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन करती है और लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन निर्दिष्ट जानकारी की समीक्षा करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 6 (छह) बैठकें हुई। 31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षा समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति							बैठकों की कुल संख्या		
			13-मई-2022	30-जून-2022	4 अगस्त 2022	26-अक्टूबर - 2022	27 अक्तूबर 2022 (स्थगित)	30 जनवरी 2023	9 मार्च 2023	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा भाग लिया गया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	6	6	100
2	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य 29-दिसंबर-2022 तक	☒	☒	☒	☒	☒	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
3	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	6	6	100
4	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	6	6	100

☒ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

☒ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

लेखापरीक्षा समिति की किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम), दो सदस्य या कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों सहित सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्यों के प्रमुख और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी लेखापरीक्षा की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

लेखा परीक्षा समिति के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्य वित्तीय रूप से सुविज्ञ हैं और लेखा परीक्षा समिति के कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता थी। इसके अलावा, दिनांक 16 सितंबर, 2022 पर आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखा परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष उपस्थित रहे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के

राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संप्रेषित किया जाता है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उपबंधों, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 19 और कारपोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय, आरईसी पर लागू सीमा तक, निम्नानुसार है:

क. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित, में परिकल्पित नामांकन और पारिश्रमिक समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन; और

ग. पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन का परिमाण और ईएसओपी स्कीम, पेंशन स्कीम के लिए नीति आदि सहित डीपीई द्वारा यथाअधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों, 2010 का अनुपालन।



समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 10 (दस) बैठक हुई। 31 मार्च, 2023 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और वर्ष के दौरान हुई इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति										बैठकों की कुल संख्या		
			27- अप्रैल- 2022	13 - मई - 2022	28- मई - 2022	30- जून- 2022	4- अगस्त- 2022	15- सित- 2022	26- अक्तू- 2022	05- दिस- 2022	30- जनवरी- 2023	9- मार्च - 2023	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा भाग ली गई	उपस्थिति का प्रतिशत
1	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष										10	10	100	
2	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य										10	10	100	
3	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य										10	10	100	
4	श्री नारायणन तिरुपति स्वतंत्र निदेशक	सदस्य 9 मार्च 2023 से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	



व्यक्तिगत रूप से उपस्थित



वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यपालक निदेशक (एचआर) / संभाग प्रमुख (एचआर) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता और निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने की आवश्यकता से छुट दी थी। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों और मूल्यांकन तंत्र के प्रदर्शन की समीक्षा से संबंधित प्रावधान भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। कंपनी के गैर-कायपालक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी, पीएफसी के साथ वित्तीय वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करती है, जिसके प्रमुख मापदंडों को विद्युत मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, डीपीई द्वारा जारी समझौता-ज्ञापन संबंधी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित रूरेखा के अनुसार, समझौता-ज्ञापन मानकों की तुलना में किया जाता है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों सहित कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक, समय-समय पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और/या भारत सरकार द्वारा जारी वेतन, अनुलाभ, भत्ते आदि संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। गैर-कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों सहित), बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथानिर्धारित सीमा के भीतर बैठक शुल्क प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की विविधता और कौशल, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति के लिए मानदण्ड तथा निदेशकों, मुख्य प्रबंधन कार्मिकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर एक नीति अपनाई है, जो <https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Board-Diversity--Other-matters-dt-150722.pdf> पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	निष्पादन संबंध प्रोत्साहन	अनुलाभ	फॉर्म-16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभ	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ में अंशदान	पेंशन निधि में अंशदान	कुल
1	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे ¹ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 9 मई 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्री रविन्दर कुमार ढिल्लौ ² अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 16 मई 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्री विवेक कुमार देवांगन ³ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 17 मई 2022 से	29,19,661	-	-	56,338	-	-	-	29,75,999
4	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	55,88,585	29,93,799	87,382	58,767	-	4,60,564	2,68,664	94,57,761
5	श्री वी के सिंह निदेशक (तकनीकी) 15 जुलाई 2022 से	40,24,283	13,35,448	90,332	41,428	-	3,32,657	1,94,051	60,18,199
6	श्री जे एस अमिताभ कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव	56,25,627	20,88,208	1,572	2,643	-	4,59,030	2,67,771	84,44,851

टिप्पणियाँ:

1. श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्य करते हुए, 22 फरवरी, 2022 से 9 मई, 2022 के दौरान सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। आरईसी द्वारा उन्हें किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया था।
2. श्री रविन्दर सिंह ढिल्लों, पीएफसी लिमिटेड के सीएमडी को 10 मई, 2022 से 16 मई, 2022 तक उनके वर्तमान दायित्व के अतिरिक्त आरईसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था। आरईसी द्वारा उन्हें किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया था।
3. श्री विवेक कुमार देवांगन को दिनांक 17 मई, 2022 (पूर्वाह्न) से आरईसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। तदनुसार, उनका वेतन विवरण 17 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक का है।
4. श्री वी.के. सिंह को 15 जुलाई 2022 से आरईसी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था। तदनुसार, उनका वेतन विवरण 15 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक का है।

5. निष्पादन संबंध प्रोत्साहन का भुगतान डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
6. फॉर्म-16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभों में वर्दी, मनोरंजन, बिजली, पानी और परिचर प्रभार और चिकित्सा व्यय / प्रतिपूर्ति में छूट को शामिल नहीं किया गया है।
7. वित्तीय वर्ष 2022-23 में, पेंशन अंशदान को एनपीएस खाते में जमा किया गया था। अतः, नियोजित के पेंशन अंशदान, फॉर्म-16 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन का भाग है।
8. कुल पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत छूटप्राप्त भत्तों को शामिल किया गया है तथा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, आरईसी के उपदान कोष (ग्रेज्युटी फंड) में नियोजित के अंशदान को शामिल नहीं किया गया है।
9. कंपनी ने कोई भी स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।
10. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक, नोटिस अवधि, पृथकीकरण शुल्क आदि सहित नियुक्ति की शर्तें, यदि कोई हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹40,000/- और इसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए 30,000/- के बैठक शुल्क का

भुगतान किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) के रूप में संदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार थे:-

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
1	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	4,80,000	8,40,000	13,20,000
2	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	4,80,000	9,00,000	13,80,000
3	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	4,80,000	5,70,000	10,50,000
4	श्री नारायणन तिरुपति स्वतंत्र निदेशक	80,000	-	80,000
	कुल	15,20,000	23,10,000	38,30,000

टिप्पणियाँ: पीएफसी के नामित निदेशक आरईसी के बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार है, जिसका भुगतान पीएफसी को किया जाता है। तथापि, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, पीएफसी की नामित निदेशक ने एक पत्र भेजा है कि आरईसी के बोर्ड या समितियों की बैठकों, जिनमें उन्होंने भाग लिया है, के संबंध में कोई बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड या इसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के संबंध में एयर टिकट, होटल आवास, वाहन किराए पर लेना, फुटकर व्यय, स्थानीय परिवहन आदि, यदि लागू हों, को छोड़कर, गैर-कार्यपालक निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या संव्यवहार नहीं है।

समिति विशेष रूप से शेयरधारकों, ऋणपत्रधारकों (डिबेंचरहोल्डर) आदि जैसे विभिन्न प्रतिभूति धारकों से प्राप्त अनुरोधों, शिकायतों या परिवादों जैसे लाभांश क्रेडिट / वारंट का प्राप्त न होना, ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर ब्याज का प्राप्त न होना से संबंधित मामलों के निवारण पर ध्यान देती है।

3.3 हितधारक संबंध समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 20 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के संदर्भ में एक हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। हितधारक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हितधारी संबंध समिति समिति की 2 (दो) बैठकें हुई। 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, हितधारक संबंध समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			13-मई-2022	26-अक्तूबर-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा भाग ली गई	उपस्थिति का प्रतिशत
1.	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष			2	2	100
2.	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य 29 दिसम्बर 2022 तक			2	2	100
3.	श्री अजय चौधुरी निदेशक (वित्त)	सदस्य			2	2	100
4.	श्री विवेक कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य 15 जुलाई 2022 से	लागू नहीं		1	1	100



व्यक्तिगत रूप से उपस्थित



श्री जे एस अमिताभ, कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। वह सेबी एलओडीआर विनियमों के संदर्भ में कंपनी के अनुपालन अधिकारी भी हैं।

हितधारक संबंध समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा शेयरों, ऋणपत्रों (डिबेंचर), बंधपत्रों (बॉण्ड) आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता हितधारी संबंध समिति की बैठकों में स्थायी तौर पर आमंत्रित होते हैं। समिति के तत्कालीन अध्यक्ष, प्रतिभूति धारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 16 सितंबर, 2022 को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थित थे।

शेयरधारकों/ऋणपत्र-धारकों (डिबेंचर होल्डर) के अनुरोध और शिकायतें

शेयरधारकों और ऋणपत्र-धारकों के अनुरोधों या शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए, कंपनी ने त्रिस्तरीय तंत्र अर्थात्, संबंधित पंजीयक से सहायता सेवा, अंतःपरिसर निवेशक प्रकोष्ठ और हितधारक संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी की स्थापना की है, जिसके परिणामस्वरूप सभी शिकायतों को समयबद्ध निवारण सुनिश्चित हुआ।

एनएसई और बीएसई की एक वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है और सेबी का स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) नाम एक पृथक प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से निवेशक अपनी शिकायतों के लिए किसी कंपनी के विरुद्ध शिकायत कर सकते है। प्रत्येक शिकायत की स्थिति और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को ऑनलाइन देखा जा सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो निवेशक शिकायतों के लिए अनुस्मारक भेज सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से, निवेशक शिकायतों की स्थिति की जांच करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि किसके पास शिकायत लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और शिकायत कितने समय से लंबित है। कोई निवेशक जो स्कोर्स या एनएसई और बीएसई वेब आधारित प्रणाली से परिचित नहीं है या जिसकी स्कोर्स पर एक्सेस नहीं है, भौतिक रूप में शिकायत कर सकता है या वैकल्पिक रूप से कंपनी के आरएण्डटीए तथा कंपनी को शिकायत के निवारण के लिए ई-मेल भेज सकता है।

कंपनी और इसका आरएण्डटीए सभी निवेशकों के अनुरोधों और शिकायतों पर निवेशकों की संतुष्टि तक तुरंत और शीघ्रता के आधार पर कार्रवाई करता है। निवेशकों के अनुरोधों और शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रूप से अद्यतन जानकारी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज की जाती है और बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 13

(3) के अनुसरण में शेयरधारकों / निवेशकों से प्राप्त शिकायतों और अनुरोधों की स्थिति निम्नानुसार थी:

अनुरोध/ शिकायत का विवरण	इक्विटी शेयर	सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति	कुल
1 अप्रैल, 2022 तक की स्थिति के अनुसार लंबित	3	0	3
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	2,464	1,217	3,681
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2,461	1,217	3,678
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निपटाई न गई शेष शिकायतें	6*	0	6*

** उक्त 6 अनुरोध/शिकायतों का 31 मार्च, 2023 तक समाधान नहीं किया गया था, जिनका समाधान अब किया जा चुका है।*

जोखिम प्रबंधन समिति

संगठन के समेकित जोखिम के प्रबंधन के लिए, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क. समेकित जोखिम का प्रबंधन करना;

ख. विभिन्न संभावित जोखिमों की पहचान करना, चलनिधि जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करना, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबंधन योजना, नीतियों और प्रथाओं की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा करना;

ग. विभिन्न जोखिमों के शमन की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन संबंधी अन्य सभी प्रकार्यों, जिसमें साइबर सुरक्षा भी शामिल हो, का निष्पादन करना; तथा

घ. समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, और/या किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किए गए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए यथाअपेक्षित किसी भी अन्य प्रकार्य का निष्पादन करना।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 3 (तीन) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र म सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति			बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति		
			28-जून-2022	16-दिस.-2022	28-मार्च-2023	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 5 दिसम्बर 2022 से	लागू नहीं			2	2	100
2	डॉ गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष 4 दिसम्बर 2022 तक सदस्य 29 दिसम्बर 2022 तक			लागू नहीं	2	2	100
3	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य 29 दिसम्बर 2022 तक				3	3	100
4	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य				3	3	100
5	श्री विवेक कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य 15 जुलाई 2022 से	लागू नहीं			2	2	100

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित



कंपनी ने आरबीआई द्वारा निर्धारित एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है। सीआरओ आरएमसी के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम समिति में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते है। इसके अलावा, कार्यपालक निदेशक (वित्त-संसाधन), कार्यपालक निदेशक (निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन), कार्यपालक निदेशक (राज्य संचालन) और मुख्य महाप्रबंधक / कार्यपालक निदेशक (परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) विभाग आरएमसी की बैठकों में आमंत्रित हैं।

3.5 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मण्डल ने एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति’ (सीएसआर समिति) का गठन किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाने वाली कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना;

ख) कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना;

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति										बैठकों की कुल संख्या		
			27-अप्रै-22	13-मई-22	4-अग-22	15-सितं-22	26-अक्टू-22	5-दिसं-22	30-दिसं-22	30-जन-23	9-मार्च-23	28-मार्च-23	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष											10	10	100
2	डॉ गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य 29 दिसम्बर 2022 तक								लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7	7	100
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य											10	10	100
4	श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य 15 जुलाई 2022 से	लागू नहीं	लागू नहीं									8	8	100

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

सीएसआर समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम), अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता नीति <https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf> पर उपलब्ध है।

3.6 अधिशेष निधियों के निवेश / उपयोग के लिए समिति

अधिशेष निधियों के निवेश / उपयोग के लिए समिति का गठन जमा प्रमाणपत्रों में एक बार में ₹1000 करोड़ और उससे अधिक या म्यूचुअल फंडों एवं सावधि जमाओं में एक बार में ₹2000 करोड़ और उससे अधिक की अल्पावधि अधिशेष निधियों के निवेश / उपयोग को अनुमोदित करने के उद्देश्य से किया गया है। समिति में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सदस्यों के रूप में निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) शामिल हैं। उक्त समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

ग) खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि की अनुशंसा करना;

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / प्रस्तावों की अनुशंसा / समीक्षा करना ;

ङ) कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना ;

च) कंपनी की सीएसआर पहलों पर कार्यनीति तैयार करने के लिए निदेशक मण्डल की सहायता करना;

छ) अन्य बातों के साथ-साथ यह जिम्मेदारी विवरण, कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुरूप है, सहित नियमों में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री को अनुमोदित करना;

ज) निदेशक मण्डल की जानकारी, विचार और आवश्यक निर्देशों के लिए उनके समक्ष समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

झ) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के संबंध में समय-समय पर संशोधित अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की 10 (दस) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2023 को सीएसआर समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

3.7 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एलसीओ)

एनबीएफसी के लिए परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एलएएम) प्रणाली के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी ने एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है। एलसीओ, एलएएम सहायता समूह - जो चलनिधि अंतर विश्लेषण, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण और विदेशी मुद्रा संचलन आदि पर विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करता है - की मदद से चलनिधि, ब्याज दरों और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है। उपरोक्त जोखिमों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एलसीओ की प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जाती है। एलसीओ की अध्यक्षता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है तथा सदस्यों में निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएं) और कंपनी के वित्त और प्रचालन प्रभागों के कार्यपालक निदेशक (ईडी) या मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एलसीओ की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2023 को एलसीओ की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:



क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम/पद	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			9-जून-2022	13-सित-2022	16-दिस.-2022	21- मार्च-2023	कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लेने वाले निदेशक	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 17 मई 2022 से	☹	☹	☹	☹	4	4	100
2	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	☹	☹	☹	☹	4	4	100
3	श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य 15 जुलाई 2022 से	लागू नहीं	☹	☹	☹	3	3	100
4	ईडी (संसाधन)	सदस्य	☹	☹	☹	☹	4	4	100
5	ईडी/ सीजीएम (पीएसपीएम/ राज्य प्रचालन)	सदस्य	☹	☹	☹	☹	4	4	100
6	ईडी/ सीजीएम (एलएम)	सदस्य	☹	☹	☹	☹	4	4	100

☹ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

एएलसीओ की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) सहित तीन सदस्य है। कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक (एएलएम) एएलसीओ के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी आवश्यकता के अनुसार एएलसीओ की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अपनी अनुपस्थिति में किसी पूर्णकालिक निदेशक को एएलसीओ की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवश्यकता पड़ने पर, प्रत्येक सदस्य और एएलसीओ के संयोजक के लिए किसी बैकअप कार्यपालक को भी प्राधिकृत कर सकते हैं।

3.8 आईटी कार्यनीति समिति

एनबीएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश के

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम/पद	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति	बैठकों की कुल संख्या		
			16-सितम्बर-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा भाग ली गई	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री नारायणन तिरुपति स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष 9 मार्च 2023 से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष 8 मार्च 2023 तक; सदस्य 9 मार्च 2023 से	☹	1	1	100
3	कार्यपालक निदेशक (आईटी) (सीआईओ)	सदस्य	☹	1	1	100
4	विभागाध्यक्ष (आईटी) (सीआईओ)	सदस्य	☹	1	1	100
5	बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य	☹	1	1	100

☹ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

3.9 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-समिति

आरईसी के बोर्ड ने, अन्य बातों के साथ, आरईसी या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा जब कभी भी ₹250 करोड़ या उससे अधिक मूल्य के जारी किए जाने पर निविदा नोटिस की संवीक्षा / समीक्षा के लिए 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-समिति का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा इसके सदस्यों के रूप में निदेशक (वित्त) और पीएफसी द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उक्त उप-समिति की 1 (एक) बैठक 8 सितम्बर, 2022 को आयोजित की गई थी।

4. अन्य समितियां

उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त, विशिष्ट मामलों की निगरानी के लिए

अनुपालन में, आरईसी के निदेशक मण्डल ने एक आईटी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया है। आईटीएससी की संरचना में एक स्वतंत्र निदेशक, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) /आईएसएमएस अधिकारी और एक बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। आईटीएससी की भूमिका में कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के तरीकों की निगरानी करना, आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय निदेश प्रदान करना और कंपनी की आईटीएससी और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना शामिल है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईटीएससी की 1 (एक) बैठक आयोजित की गई। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, आईटीएससी की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम/पद	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति	बैठकों की कुल संख्या		
			16-सितम्बर-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा भाग ली गई	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री नारायणन तिरुपति स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष 9 मार्च 2023 से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष 8 मार्च 2023 तक; सदस्य 9 मार्च 2023 से	☹	1	1	100
3	कार्यपालक निदेशक (आईटी) (सीआईओ)	सदस्य	☹	1	1	100
4	विभागाध्यक्ष (आईटी) (सीआईओ)	सदस्य	☹	1	1	100
5	बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य	☹	1	1	100

☹ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

निदेशक मण्डल द्वारा कुछ अतिरिक्त समितियों का भी गठन किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

4.1 स्थायी ऋण लिखत समिति

बोर्ड द्वारा अनुमोदित “स्थायी ऋण लिखत नीति” के अनुरूप, कंपनी ने जनवरी, 2021 में ₹ 558.40 करोड़ के स्थायी ऋण लिखत जुटाए हैं, जो अप्रतिभूत, अधीनस्थ, असंपरिवर्तनीय लिखत हैं। उक्त नीति के अनुपालन में, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थायी ऋण लिखत पर कूपन के भुगतान/गैर-भुगतान पर निर्णय लेने के लिए सीएमडी, निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजनाएं) की एक समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम दो सदस्य है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 6 दिसम्बर, 2022 को स्थायी ऋण लिखत समिति की एक (1) बैठक हुई, जिसमें सीएमडी, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) ने भाग लिया।



4.2 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति, भौतिक खंड के तहत प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के संप्रेषण, प्रतिस्थापन, विखंडन और समेकन के अनुरोधों और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोधों पर विचार करती है। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, शेयर अंतरण समिति में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, नामतः श्री जेएस अमिताभ (कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव) और श्री दलजीत सिंह खत्री (मुख्य महाप्रबंधक - वित्त) सदस्य के रूप में शामिल थे। तथापि, वित्तीय वर्ष, 2022-23 के दौरान शेयर अंतरण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम/पद	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति	बैठकों की कुल संख्या		
			20-अगस्त-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा भाग ली गई	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	☹	1	1	100
2	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	☹	1	1	100
3	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	☹	1	1	100

☹ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है।

स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार के लिए सफल आवंटन और प्रवेश पर बोनस समिति को सौंपा गया कार्य पूरा हो गया था। इसके बाद, बोर्ड ने 30 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में बोनस समिति को भंग कर दिया।

5. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी नामतः आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) है। आरईसीपीडीसीएल, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए “बोली प्रक्रिया समन्वयक” के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्यीय / अंतरा-राज्य पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल, परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में शामिल करता है।

ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां (परियोजना विशिष्ट एसपीवी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसरण में आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां भी होती हैं। प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी अनुषंगी कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और दायताओं के साथ सफल बोलीदाता को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल के निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी /पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां थी, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां भी थीं:

- चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
- दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
- मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
- बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड
- सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड
- ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

4.3 बोनस निर्गम समिति

बोर्ड ने 30 जून, 2022 को हुई अपनी बैठक में बोनस शेयरों के आवंटन पर निर्णय/अनुमोदन और उससे संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक बोनस निर्गम समिति का गठन किया था। बोनस शेयर 20 अगस्त, 2022 को शेयरधारकों को आवंटित किए गए और 26 अगस्त, 2022 को स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार के लिए स्वीकार किए गए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोनस समिति की 1 (एक) बैठक हुई। बोनस समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नवत था:

क्रम सं.	निदेशक / सदस्य का नाम/पद	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति	बैठकों की कुल संख्या		
			20-अगस्त-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा भाग ली गई	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	☹	1	1	100
2	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	☹	1	1	100
3	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	☹	1	1	100

☹ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

- लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड *
- मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- एनईआरएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड **

* परियोजना विशिष्ट एसपीवी अर्थात खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि संबंधित अंतर-राज्य ट्रांसमिशन परियोजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय द्वारा वि-अधिसूचित की गई है।

** केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को 20 अप्रैल, 2023 को अंतरित कर दिया गया।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक आरईसीपीडीसीएल ने निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को अधिनिगमित किया है:

- जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- राजस्थान पार्ट-1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- करेरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- शेन्टोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- पचोरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

सभी अनुषंगी कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। आरईसी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा गैर-सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों, की समीक्षा की गई थी। आरईसीपीडीसीएल और अन्य अनुषंगी कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/recpdcl-annual-accounts> पर उपलब्ध हैं।

जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत परिभाषित किया गया है, आरईसी की कोई “महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी” नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने उक्त विनियमों के तहत यथाअपेक्षित अनुषंगी कंपनियों के महत्व पर एक नीति तैयार की है। उक्त नीति <https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-determining-material-sub-sidiaries-dt230719.pdf> पर उपलब्ध है।

6. आम सभा बैठकों

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) और उनमें पारित संकल्पों का विवरण इसके पश्चात दिया गया है:-

वार्षिक आम बैठक की संख्या	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित किया गया विशेष संकल्प
51वीं	2019-20	25 सितंबर, 2020	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों से	1. कंपनी की समग्र उधार सीमा बढ़ाने के लिए। 2. कंपनी की सभी या किसी चल और/या अचल संपत्तियों पर रेहन और/या प्रभार सृजित करना। 3. प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।
52वीं	2020-21	24 सितंबर, 2021	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों से	1. प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन। 2. कंपनी के संगम अनुच्छेद के उद्देश्य खंड में संशोधन।
53वीं	2021-22	16 सितंबर, 2022	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों से	1. कंपनी की समग्र उधार सीमा बढ़ाने के लिए। 2. कंपनी की सभी या किसी चल और/या अचल संपत्तियों पर रेहन और/या प्रभार सृजित करना। 3. प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।

टिप्पणी : कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 एवं सामान्य परिपत्र सं. 02/22 दिनांक 5 मई, 2022 के अनुसार, कोविड-19 वैश्विक महामारी के आलोक में, आरईसी की 51वीं, 52वीं और 53वीं एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई और बैठक का मानद स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय था।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अन्य प्रासंगिक परिपत्र(त्रों) के साथ पठित परिपत्र सं. 10/22 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के अनुसार आरईसी की आगामी 54वीं एजीएम बुधवार, 6 सितंबर, 2023 को वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी शेयरधारकों को उक्त एजीएम के लिए इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी और ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी, जिसका प्रासंगिक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होने वाली 54वीं एजीएम की सूचना में दिया गया है।

इसके अलावा, 5 जनवरी, 2023 के सेबी के परिपत्र के साथ पठित उक्त एमसीए सामान्य परिपत्र के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतिधारकों को सॉफ्ट कॉपी में भेजी जा रही है। कंपनी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/ रजिस्ट्रार/ डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ दर्ज हैं।

6.1 पोस्टल बैलेट

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संचालित पोस्टल बैलेट का ब्यौरा निम्नवत है :

वित्तीय वर्ष	संकल्प का संक्षिप्त विवरण	संकल्प का प्रकार	का पक्ष डाले गए मत (%)	विरोध में डाले गए मत (%)	डाक मतदान के लिए प्रक्रिया				डाक मतदान कार्यवाही को संचालित करने वाले व्यक्ति का नाम	
					डाक का मतदान सूचना की तारीख	अंतिम तारीख	समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ	रिपोर्ट ई-वोटिंग अवधि और ई-वोटिंग एजेंसी	परिणाम की तारीख	
2021-22 (मार्च - अप्रैल, 2022)	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) की पीएफसी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त	साधारण	85.95%	14.05%	25 मार्च, 2022	23 मार्च, 2022	बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) में सोमवार 28 मार्च 2022 को	मंगलवार, मार्च 29, 2022 (0900 बजे) भारतीय मानक समय (आईएसटी) को बुधवार, अप्रैल 27, 2022 (1700 बजे) (आईएसटी) ई-वोटिंग एजेंसी: एनएसडीएल	शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022	सीएस हेमन्त कुमार सिंह (एफसीएस सं. 6033, प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 6370), मैसर्स हेमन्त सिंह एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव
	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे (डीआईएन: 05254178) की सीएमडी के रूप में की नियुक्ति	साधारण	93.70%	6.30%						
2022-23 (जुलाई - अगस्त, 2022)	श्री विवेक कुमार देवांगन (डीआईएन: 01377212) की सीएमडी के रूप में की नियुक्ति	साधारण	93.68%	6.32%	8 जुलाई, 2022	5 जुलाई, 2022	बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) शनिवार, जुलाई 9, 2022 को	सोमवार , 11 जुलाई , 2022 (0900 बजे) भारतीय समयानुसार (आईएसटी) मंगलवार, अगस्त 9, 2022 (0900 बजे), दोनों दिन शामिल	मं ग ल व ा र , अगस्त 9, 2022	
	आरक्षितों के पूंजीकरण और कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करना	साधारण	98.39%	1.61%				ई-वोटिंग एजेंसी: एनएसडीएल		
2022-23 (सितम्बर - अक्टूबर, 2022)	कंपनी के संगम ज्ञापन के उद्देश्य खंड में बदलाव करपा	विशेष	99.99%	0.01%	26 सितम्बर, 2022	20 सितम्बर, 2022	बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) मंगलवार, सितम्बर, 2022 को	बुधवार, सितम्बर 28, 2022 (0900 बजे) भारतीय समयानुसार (आईएसटी) गुरुवार तक, अक्टूबर 27, 2022 (1700 बजे) (आईएसटी) ई-वोटिंग एजेंसी: एनएसडीएल	गु र व ा र , अक्टूबर 27, 2022	
	श्री पीयूष सिंह (डीआईएन: 07492389) की सरकारी नामिति निदेशक के रूप में की नियुक्ति	साधारण	85.77%	14.23%						

पोस्टल बैलेट के परिणाम वेबसाइट और कंपनी के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय (कार्यालयों) पर प्रदर्शित किए गए थे; और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं को सूचित किया गया। इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संबंध में अधिक विवरण <https://recindia.nic.in/postalballot> पर दिया गया है।



7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों की प्रदायगी

आरईसी अब एक दशक से अधिक से ऐसे शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कर रहा है, जिनकी ईमेल आईडी संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों (डीपी) या पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता (आर एंड टीए) के साथ पंजीकृत हैं। ऐसे शेयरधारकों, जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश (अंतरिम या अंतिम) की सूचना भी भेजी जा रही है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

कंपनी ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित किए हुए शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, उन्हें ईमेल आईडी पंजीकृत करने या अपडेट करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों को ई-मेल आईडी को अपडेट करने के लिए एसएमएस भी भेजे हैं, जिनके मोबाइल नंबर संबंधित निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में पंजीकृत थे। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद, ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अभी तक अपनी ई-मेल आईडी को पंजीकृत या अद्यतन नहीं किया है, वे ई-मेल आईडी के पंजीकरण और आगामी एजीएम में मतदान के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त के अधिप्रापण के लिए 54वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

8. सचिवीय लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा मेसर्स हेमन्त सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, दिल्ली द्वारा की गई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपनी को सौंप दी है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति हितधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है। इसके अलावा, सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर, इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जा रहा है।

9. संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) और संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को संभालने के महत्व के संबंध में एक नीति तैयार की है। उक्त नीति के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ सभी संव्यवहार (लेन-देन) लेखा परीक्षा समिति और / या निदेशक मण्डल या शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया गया है। संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) पर लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मण्डल की जानकारी के लिए एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यह नीति <https://recindia.nic.in/uploads/files/RPT-Policy-of-REC-dated-150722.pdf> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न एओसी-2 में दिया गया है।

10. प्रकटीकरण

- पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित ऐसा कोई भी मामला नहीं था जिसमें अनुपालन न किया गया हो। 31 मार्च, 2023

को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलावा, सेबी एलओडीआर विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों और समय-समय पर यथासंशोधित, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कारपोरेट अभिशासन कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, सिवाय बोर्ड की संरचना के संबंध में कम से कम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 17(1) के क्योंकि 31 मार्च 2023 को कंपनी के निदेशक मण्डल की संरचना में एक स्वतंत्र निदेशक कम था।

ऐसे गैर-अनुपालनों के कारण, एनएसई और बीएसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी चार तिमाहियों के लिए जीएसटी सहित ₹43,07,000/- (प्रत्येक द्वारा जीएसटी सहित ₹21,53,500/-) का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इससे पूर्व में, दिनांक 31 मार्च, 2020 से 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाहियों के लिए जीएसटी सहित कुल ₹1,82,14,480/- (जीएसटी सहित ₹97,07,240/- प्रत्येक द्वारा) का जुर्माना अधिरोपित किया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। कंपनी अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् विद्युत मंत्रालय से अनुरोध कर रही है और कंपनी का निदेशकों की नियुक्ति या उसके बोर्ड की संरचना को बनाए रखने में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है। उक्त के मद्देनजर, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है। बीएसई ने सितंबर और दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाहियों के लिए कंपनी पर लगाया गया जुर्माना पहले ही माफ कर दिया है।

- सांविधिक प्रावधानों के तहत यथाअपेक्षित, सभी विवरणियां, रिपोर्ट और प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्राधिकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर दर्ज कराए गए थे।
- कंपनी ने, उपरोक्त बिंदु 1 में यथावर्णित, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 से 27 की बोर्ड, समितियों और कारपोरेट अभिशासन से संबंधित अपेक्षाओं, समय-समय पर यथासंशोधित,; और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 के तहत कंपनी की वेबसाइट को बनाए रखने और अद्यतन करने से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के भाग ग के अनुसार कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है।

इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी वेबसाइट <https://recindia.nic.in/disclosures-under-regulation-46-of-sebi> पर प्रासंगिक जानकारी का प्रकटीकरण किया है।

- कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें हेजिंग नीति, जो मुद्राओं में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव - जो विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्थाओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं - सहित विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है, को कवर किया जाता है। लेखाओं के लिए टिप्पणियों में विदेशी मुद्रा



जोखिमों के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण किए जाते हैं, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का भाग होते हैं। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति ऐसी नहीं है, जो किसी भी वस्तु की कीमत के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

5. कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन और शमन के बारे में बोर्ड को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मण्डल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि समेकित जोखिमों को एक उचित निर्धारित फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी मौजूद है।
6. निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, कंपनी ने एक 'निदेशक और अधिकारी (डी एंड ओ) देयता बीमा पॉलिसी' प्राप्त की है, जो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के प्रति उत्पन्न होने वाली देयताओं को व्यापक रूप से कवर करती है। बीमा पॉलिसी में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, कंपनी सचिव, अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा सभी प्रबंधक और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी सहित आरईसी के निदेशक मण्डल को कवर किया जाता है।
7. संबंधित पक्षकारों अर्थात् प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।
8. कंपनी ने निदेशक (निदेशकों) या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण, वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार (लेन-देन) नहीं किया है, जिसमें उन्हें या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदारों के रूप में लाभ मिला हो।
9. वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों ने बोर्ड के समक्ष सभी महत्वपूर्ण, वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहारों (लेन-देन) से संबंधित प्रकटीकरण किया है, जिनमें उनके व्यक्तिगत हित हैं जो संभवतः बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के विरोधाभासी (उदाहरण के लिए, कंपनी के शेयरों में संव्यवहार करना, प्रबंधन और उनके रिश्तेदारों आदि की शेयरधारिता वाले निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार) हो सकते हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विरोधाभास का ऐसा कोई मामला नहीं था।
10. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने उन फर्मों और कंपनियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया, जिनमें निदेशकों के हित हैं।
11. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रशासनिक और कार्यालय व्यय पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹115.31 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹122.69 करोड़ हो गया है, जो कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में सामान्य वृद्धि के अनुरूप मामूली परिवर्तन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 0.48% (पिछले वर्ष 0.43%) थे; और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में 0.52% (पिछले वर्ष 0.52%) थे।
12. कंपनी ने ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया है जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है। इसके अलावा, कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया जो प्रकृति में व्यक्तिगत था और निदेशक मण्डल

और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया था।

13. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ("इंड एस"), यथासंशोधित, और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
14. वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई लेखा परीक्षा आपत्ति नहीं की गई है। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधान के अनुरूप, बिना संशोधित राय के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
15. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प/ईएसओपी जारी नहीं किया है।
16. कारपोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीई के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान डीपीई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विवरण निम्नानुसार था:

निम्नलिखित तिथि को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि
30 जून, 2022	13 जुलाई, 2022
30 सितंबर, 2022	11 अक्टूबर 2022
31 दिसंबर, 2022	5 जनवरी 2023
31 मार्च 2023	12 अप्रैल, 2023

इसके अलावा, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) वाली रिपोर्ट 16 मई, 2023 को निर्धारित समय सीमा के भीतर लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी तिमाहियों के लिए निर्धारित समय के भीतर सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 27(2)(क) के तहत कारपोरेट अभिशासन संबंधी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत की है।

17. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत शिकायतों के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

18. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान और पिछले तीन वर्षों में, कंपनी को राष्ट्रपति का कोई निर्देश नहीं मिला है।
19. कंपनी अपने स्वतंत्र निदेशकों को समय-समय पर व्यवसाय और प्रचालन की प्रकृति, कंपनी की कार्यनीति और प्रदर्शन, स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों

और अन्य प्रासंगिक विषयों से अवगत कराती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसे 4 (चार) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा, कंपनी ने उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं और परिपाटियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्ट, आंतरिक नीतियां आदि भी उपलब्ध कराईं।

इसके अलावा, बोर्ड और समिति की बैठकों में प्रस्तुतीकरणों की सहायता से, निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों और कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ नियमित संवाद, स्वतंत्र निदेशकों को सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रमों का विवरण <https://recindia.nic.in/uploads/files/Familiarization-progrm-for-ind-pndt-director-dt300423.pdf> पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, कारपोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति तैयार की है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लेते हैं।

20. कंपनी ने सभी अनिवार्य मदों (बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर) को अपनाया है; और कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित कारपोरेट अभिशासन पर कुछ गैर-अनिवार्य मदों को भी अपनाया है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है:

क) बोर्ड: कंपनी के प्रमुख, एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं;

ख) शेयरधारक के अधिकार: कंपनी शेयरधारकों / निवेशकों को सभी प्रासंगिक जानकारी यथासमय उपलब्ध करा रही है, ताकि उन्हें कंपनी के प्रमुख निर्णयों के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके;

ग) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय: वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित कोई लेखा परीक्षा आपत्ति / संशोधित राय नहीं है और कंपनी सदैव आपत्तिरहित वित्तीय विवरणों को बनाए रखने का प्रयास करती है;

घ) अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकार (सीईओ) के अलग-अलग पद : एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की भूमिका का निर्वहन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है और मुख्य वित्त अधिकारी, सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जाती है। तदनुसार, अध्यक्ष और सीईओ के अलग-अलग पद नहीं हैं;

ड) आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग : कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकाय के प्रमुख, सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

21. सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 32(7क) और विनियम 52(7) के तहत निर्दिष्ट अधिमानी आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के

उपयोग का विवरण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बॉण्डों के निजी प्लेसमेंट के निर्गम आय के उपयोग में कोई भिन्नता नहीं थी।

22. आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों के लिए "एएए" रेटिंग जारी रही। जो कि क्रिसिल, सीएआरई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में दी गई उच्चतम रेटिंग है। कंपनी को सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी-" की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरईसी को प्रदान की गई रेटिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

23. वार्षिक आधार पर, कंपनी प्रत्येक निदेशक से अन्य कंपनियों में उनके द्वारा बोर्ड और समिति में धारित पदों और उनमें परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरण प्राप्त करती है। इसके अलावा, मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, ने यह पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-क पर दी गई है।

24. विशिष्ट प्रचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने विभिन्न बोर्ड-स्तरीय समितियों का गठन किया है और इन समितियों को कुछ प्रकार्य सौंपे हैं। संबंधित समिति (समितियां) अपने नियत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और सुविज्ञ निर्णय लेती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर, निदेशक मण्डल द्वारा आगे विचार किए हेतु सिफारिशें करती हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी की किसी बोर्ड-स्तरीय समिति की ओर से की गई सिफारिश को स्वीकार न किए जाने का कोई मामला नहीं था।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

लागू कानूनों और इनसे संबंधित सांविधिक, नीतिगत एवं प्रक्रियात्मक अनुपालनों के अनुपालन की निगरानी के लिए कंपनी में एक सुदृढ़ प्रणाली मौजूद है। कंपनी का निदेशक मण्डल, कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सांविधिक, नीतिगत और संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।

12. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार एवं नीति संहिता

कंपनी में "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार और नीति संहिता" मौजूद है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है। उक्त संहिता कंपनी के मिशन/विजन और उद्देश्यों के अनुरूप है और इसका लक्ष्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। यह संहिता https://recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त संहिता के अनुपालन के संबंध में की गई घोषणा निम्नानुसार है:



बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नीति संहिता के तहत घोषणा

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने “बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार और नीति संहिता” के अनुपालन की पुष्टि की है।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 8 जून, 2023

ह./-
विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

13. नामित व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा कारोबार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता

कंपनी में “नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा कारोबार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता” मौजूद है, जो इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि नामित व्यक्ति और उनके निकट संबंधियों रिश्तेदार, जैसा कि उक्त संहिता में परिभाषित किया गया है, कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई), जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार आंतरिक जानकारी का भाग है, तक पहुंच और उसके परिग्रह के जरिए कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। कंपनी सचिव को कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है; और वह उक्त संहिता के पालन के लिए उत्तरदायी है। उक्त संहिता कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf> पर उपलब्ध है।

उक्त संहिता में यूपीएसआई के प्रकटीकरण की रोकथाम के उद्देश्य के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण के पर्याप्त तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें यूपीएसआई के उचित प्रकटीकरण और वैध उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली परिपाटियों, प्रक्रियाओं और मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है, जिसके अधीन यूपीएसआई को आरईसी के किसी भी हितधारी या व्यवसाय भागीदार के साथ साझा किया जा सकता है। संहिता में कंपनी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में संयवहार करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और किए जाने वाले प्रकटीकरण तथा गैर-अनुपालन के परिणामों को निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप, जब भी किसी यूपीएसआई को तिमाही परिणामों पर विचार सहित विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी जाती है और ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की सूचना नामित कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को अग्रिम रूप से जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, जब ट्रेडिंग विंडो बंद की जाती है, तो उन्हें और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में कारोबार करने से रोकते हुए, कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उचित घोषणाएं की जाती हैं।

14. धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति

कंपनी ने “धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति” तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी का पता और रोकथाम, धोखाधड़ी

कंपनी की सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के संदर्भ में वार्षिक अभिकथन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच बनाने से नहीं रोका गया है और जहां आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई है।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 15 अप्रैल, 2023

ह./-
विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

उपरोक्त के अतिरिक्त, आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के तहत जारी किए गए सूचना प्रदाता नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है; और इसे कंपनी की “सतर्कता नियम-पुस्तिका” में सम्मिलित किया गया है।

से संबंधित मामलों की पहचान या संदिग्ध और उचित व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली प्रदान की गयी है। उक्त नीति <https://recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-Prevention-Policy-310122.pdf> पर उपलब्ध है।

इस नीति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए तथा धोखाधड़ी के मामले में इसे रोकने और/या धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है।
- कर्मचारियों और आरईसी के साथ संयवहार करने वाले अन्य लोगों को किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल होने से रोकने और किसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि का संशय होने पर उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना।
- नोडल अधिकारी को धोखाधड़ी का पता चलने या संदेह होने पर रिपोर्ट करने के लिए समय-सीमा और विवरण प्रदान करना।
- धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की जांच करना।
- यह आश्वस्त करना कि किसी भी और सभी संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि (गतिविधियों) की पूरी तरह से जांच की जाएगी।
- आरईसी के विरुद्ध किसी भी रूप में धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

15. व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी की एक “व्हिसल ब्लोअर नीति” है। सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति, आरईसी और/या उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों/कर्मचारियों को किसी भी कथित कदाचार या दुराचार, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है, के बारे में चिंता व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। शिकायत करने का तरीका और सक्षम प्राधिकारी नीति के तहत निर्दिष्ट हैं। यह नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अनुसार, विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एक घोषणा, कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है और, जहां आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई है, निम्नानुसार है:

16. लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क

आरईसी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा आरईसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसके सांविधिक लेखापरीक्षक एक भाग हैं, में सभी संस्थाओं को सभी सेवाओं के

लिए, समेकित आधार पर, भुगतान किए गए कुल शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)			
क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
क.	सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान किया गया शुल्क:		
(i)	लेखापरीक्षक के रूप में	0.58	0.58
(ii)	कराधान मामलों के लिए	0.15	0.15
(iii)	कंपनी विधि के मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.35	0.33
(iv)	अन्य सेवाओं के लिए:	0.25	0.32
(v)	खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.11	0.03
	उप जोड़	1.44	1.41
ख.	लेखापरीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर क्रेडिट	0.11	0.12
	कुल - लेखापरीक्षक शुल्क और व्यय	1.55	1.53

17. संचार के साधन

कंपनी, सभी हितधारकों के साथ प्रासंगिक सूचनाओं के सम्योचित संचार को कंपनी के समग्र कारपोरेट अभिशासन फ्रेमवर्क के प्रमुख घटकों के रूप में मान्यता देती है। कंपनी अपनी वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंजों पर की गई फाइलिंग, मीडिया में प्रकाशित विज्ञापन, सोशल मीडिया अपडेट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन सहित विभिन्न माध्यमों से अपने शेयरधारकों, बॉन्डधारकों और अन्य हितधारकों के साथ संचार करती है। कंपनी समय-समय पर विश्लेषक बैठकों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से अपने संस्थागत निवेशकों के साथ संवाद भी करती है।

नवीनतम अपडेट और समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों में किए गए प्रासंगिक कॉर्पोरेट प्रकटीकरण, तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम, शेयरधारिता पैटर्न, वार्षिक रिपोर्ट और आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति और

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023--24	
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023		1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	4-अगस्त-2022	पहली तिमाही	तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर
	दूसरी तिमाही	27-अक्टूबर-2022	दूसरी तिमाही	
	तीसरी तिमाही	20-जनवरी-2023	तीसरी तिमाही	
	चौथी तिमाही और वार्षिक	17-मई-2023	चौथी तिमाही और वार्षिक	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिन के भीतर
वार्षिक आम बैठक की तिथि	बुधवार, 6-सितंबर-2023		अगस्त/सितंबर, 2024	

iii. लाभान्श

(क) लाभान्श वितरण नीति

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 43क के अनुपालन में एक लाभान्श वितरण नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन वित्तीय मानकों सहित ऐसे बाहरी और आंतरिक कारकों को निर्दिष्ट किया गया है, जिन पर लाभान्श की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और जिन परिस्थितियों में कंपनी के शेयरधारकों लाभान्श की उम्मीद कर सकती है या नहीं सकते हैं। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभान्श

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 और समय-समय पर संशोधित कंपनी (लाभान्श की घोषणा और भुगतान) नियम, 2014 के साथ पठित

संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को किए गए परिणाम प्रस्तुतीकरण सहित अन्य प्रासंगिक जानकारी आरईसी की वेबसाइट अर्थात् <https://recindia.nic.in/disclosures-under-regulation-46-of-sebi> पर निवेशक खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), मिंट (अंग्रेजी), हिंदुस्तान (हिंदी) आदि में प्रकाशित किए जाते हैं।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(8) के अनुसार, बोर्ड के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण के संबंध में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को दिनांक 13 मई, 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था। उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-ख पर संलग्न है।

19. शेयरधारकों के संबंध में सामान्य जानकारी

i. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक आम बैठक

शेयरधारकों की आगामी 54वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित दिन, दिनांक और समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों से आयोजित की जाएगी:-

दिन, दिनांक	बुधवार, 6 सितंबर, 2023
समय	11:00 बजे पूर्वाह्न

उक्त बैठक में भाग लेने से संबंधित विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी कंपनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, में दर्शायी गई है।

ii. वित्तीय कैलेंडर (वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए)

पिछले / पूर्ण वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23) की तुलना में अगले / आगामी वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए वित्तीय कैलेंडर निम्नानुसार है:-

विवरण	लाभान्श भुगतान की तारीख	लाभान्श प्रति इक्विटी शेयर (रुपये में)
पहला अंतरिम लाभान्श	24-नवम्बर-2022	5.00
दूसरा अंतरिम लाभान्श	28-फरवरी-2023	3.25
अंतिम लाभान्श *	घोषणा की तिथि से 30 दिवस	4.35
कुल		12.60

कंपनी के संगम अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद 114 के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निम्नानुसार अंतरिम लाभान्श का भुगतान किया और अंतिम लाभान्श की सिफारिश की है:

विवरण	लाभान्श भुगतान की तारीख	लाभान्श प्रति इक्विटी शेयर (रुपये में)
पहला अंतरिम लाभान्श	24-नवम्बर-2022	5.00
दूसरा अंतरिम लाभान्श	28-फरवरी-2023	3.25
अंतिम लाभान्श *	घोषणा की तिथि से 30 दिवस	4.35
कुल		12.60

*54वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यक्षीन

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए लाभांश का विवरण

वित्तीय वर्ष	रिकार्ड तिथि को कुल संदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तिथि	लाभांश प्रति 10/- रुपये वाले इक्विटी शेयर
2017-18	1,974.92	1,807.05	91.50	27 फरवरी, 2018	अंतरिम लाभांश (₹7.40)
				15 अक्टूबर, 2018	अंतिम लाभांश (₹1.75)
2018-19	1,974.92	2,172.41	110.00	19 मार्च, 2019	अंतरिम लाभांश (₹11.00)
2019-20	1,974.92	2,172.41	110.00	24 फरवरी, 2020	अंतरिम लाभांश (₹11.00)
2020-21	1,974.92	2,510.12	127.10	3 दिसम्बर, 2020	पहला अंतरिम लाभांश (₹6.00)
				30 मार्च, 2021	दूसरा अंतरिम लाभांश (₹5.00)
				21 अक्टूबर, 2021	अंतिम लाभांश (₹1.71)
2021-22	1,974.92	3,021.63	153.00	2 सितम्बर, 2021	पहला अंतरिम लाभांश (₹2.00)
				25 नवम्बर, 2021	दूसरा अंतरिम लाभांश (₹2.50)
				3 मार्च, 2022	तीसरा अंतरिम लाभांश (₹6.00)
				13 अक्टूबर, 2022	अंतिम लाभांश (₹4.80)

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सीपीएसई द्वारा पूंजी प्रबंधन पुनर्संरचना संबंधी व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के आधार पर, कंपनी अपने प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा राशि में से अधिकतम ₹658,30,60,000 की राशि का पूंजीकरण करते हुए, अपने शेयरधारकों को 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर, अर्थात्, प्रत्येक ₹10/- के तीन (3) मौजूदा पूर्ण संदत्त इक्विटी शेयरों के लिए प्रत्येक ₹10/- का एक (1) पूर्ण संदत्त बोनस इक्विटी शेयर किए। बोनस शेयरों के आवंटन के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी को बढ़ाकर ₹2,633.22 करोड़ कर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक ₹10/- के 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयरों शामिल हैं।

(ग) **अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश के संबंध में इक्विटी शेयरों और अप्रदत्त/दावा न किए गए मूलधन/ब्याज के संबंध में डिबेंचर आदि और इक्विटी शेयरों और डिबेंचर के मूलधन और ब्याज को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।**

आईईपीएफ में अंतरित राशि

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(5) के अनुसार में, ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में लाभांश राशि और मूलधन और ब्याज की राशि, जो सात वर्षों की अवधि के लिए प्रदत्त/अदावाकृत हैं, को केंद्रीय सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आईईपीएफ में अंतरण के लिए लाभांश की निम्नलिखित राशियां देय हो गईं, जिन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा किया गया था:

विवरण	आईईपीएफ अंतरण की तिथि	राशि (₹)
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2014-15	10 नवम्बर, 2022	8,82,001.00
अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2015-16	24 मार्च, 2023	50,67,000.00
कुल		59,49,001.00

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125

के अनुसार, सभी परिपक्व डिबेंचरों को डिबेंचर पर अर्जित ब्याज के साथ, जो भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और प्रदत्त रहे हैं, आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में डिबेंचर पर अदावाकृत मूलधन/ ब्याज के संबंध में निम्नलिखित राशि आईईपीएफ में अंतरित कर दी गई है:

विवरण	आईईपीएफ में अंतरण की तिथि	राशि (₹)
54 ईसी बॉण्ड का मूलधन और ब्याज	20-अप्रैल-2022	95,64,193.00
54 ईसी बॉण्ड का ब्याज	13-मई-2022	3,00,000.00
54 ईसी बॉण्ड का मूलधन और ब्याज	13-जून-2022	1,53,686.00
54 ईसी बॉण्ड का ब्याज	18-अगस्त-2022	8,59,874.00
54 ईसी बॉण्ड का ब्याज	14-सित-2022	1,38,000.00
54 ईसी बॉण्ड का ब्याज	19-अक्तू-2022	39,965.00
54 ईसी बॉण्ड का मूलधन और ब्याज	28-नव-2022	57,02,760.00
54 ईसी बॉण्ड का मूलधन और ब्याज	14-फरवरी-2023	48,98,302.00
54 ईसी बॉण्ड का ब्याज	10-मार्च-2023	7,13,425.00
कुल		2,23,70,205.00

प्रदत्त/अदावाकृत लाभांश के लिए दावों को प्रस्तुत करने के लिए शेयरधारकों का ध्यान आकर्षित करने हेतु, कंपनी समय-समय पर समाचार पत्रों में नोटिस जारी करती रही है। सभी शेयरधारकों को फिर से सलाह दी जाती है कि वे लाभांश से संबंधित अपने वारंटों को तुरंत भुना लें या पुराने वारंटों के स्थान पर पुनर्वैधीकरण या डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए कंपनी के आर एंड टीए को लिखें।

आईईपीएफ में अंतरित इक्विटी शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे सभी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया, को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने दिसम्बर,



2022 में ₹10/- प्रत्येक वाले 13,558 इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित किया है, जिसमें फ्रैक्शनल बोनस शेयर शामिल है। 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या 1,87,928 थी। इसके बाद, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, अप्रैल, 2023 में ₹10/- वाले 2,927 इक्विटी शेयरों को भी आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया।

जिन सदस्यों का उपरोक्त लाभांश और/या शेयरों या ब्याज और/या डिबेंचर के मूलधन पर दावा है, वे एक पात्रता पत्र जारी करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए complianceofficer@reclin.virender@alankit.com, पर एक ई-मेल भेज सकते हैं। पात्रता पत्र में 7 वर्ष पूरे होने पर कंपनी द्वारा आईईपीएफ को हस्तांतरित राशि/लाभांश राशि और/या शेयर की जानकारी होगी। पात्रता पत्र जारी होने के बाद, वेबसाइट WWW.IEPF.GOV.IN पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म संख्या आईईपीएफ-5 में एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और फॉर्म, चालान, क्षतिपूर्ति बांड और अन्य सभी की स्व-सत्यापित भौतिक प्रति दी जाएगी। फॉर्म संख्या आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज़, शेयरों और/या लाभांश के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में कंपनी सचिव और डिबेंचर के लिए ब्याज और/या मूलधन के लिए मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) - संसाधन को “आईईपीएफ प्राधिकरण से धनवापसी के लिए दावा” अंकित किए हुए एक लिफाफे में भेजे जाएंगे।

सभी पहलुओं में पूर्ण दावा प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा और कंपनी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दावेदारों के आधार से जुड़े बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण और डीमैट खाते में शेयरों के क्रेडिट के माध्यम से धनवापसी (रिफंड) जारी की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कंपनी के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जाएगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमों के नियम 7(2क) के अनुपालन में, निम्नलिखित व्यक्तियों को आईईपीएफ मामलों के संबंध में कंपनी के नोडल अधिकारी/ उप नोडल अधिकारी हैं:

विवरण	एनएसई	बीएसई
स्क्रिप कोड	आरईसीएलटीडी	532955
पता	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	बीएसई लिमिटेड फ़िरोज़ जीजीभाय टावर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई -400001
दूरभाष	+91-22-2659 8100/8114	+91-22-2272 1233/34
ईमेल	cm1ist@nse.co.in	corp.comm@bseindia.com
वेबसाइट	www.nseindia.com	www.bseindia.com

इसके अलावा, कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिनका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिया गया है।

v. **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)**

आरईसी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE020B01018 है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के आईएसआईएन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

पदनाम	नाम और पदनाम
नोडल अधिकारी	श्री जे. एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव
डिबेंचर/बॉण्ड के लिए उप नोडल अधिकारी	श्री दलजीत सिंह खत्री कार्यपालक निदेशक (वित्त) श्री कौशल पुरी वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)
इक्विटी शेयरों के लिए उप नोडल अधिकारी	श्री एम. एल. कुमावत वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त) एवं विभागाध्यक्ष-सीएस

कंपनी, वार्षिक आम बैठक के 60 दिन के भीतर अपनी वेबसाइट पर नाम, पता, आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ में राशि के अंतरण की नियत तारीख जैसी जानकारी के साथ कंपनी के शेयरधारकों/बॉन्डधारकों से संबंधित अदावाकृत/प्रदत्त राशियों का विवरण अपनी वेबसाइट <https://recindianic.in/unpaid-dividend> पर अपलोड करेगी। कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ में अंतरित की जा चुकी राशियों और शेयरों का शेयरधारक-वार विवरण भी आरईसी की वेबसाइट अर्थात् <https://recindia.nic.in/iepf-details> पर भी उपलब्ध है।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर नाम, पता, आईईपीएफ को अंतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ को राशि के हस्तांतरण की देय तिथि जैसी जानकारी वाली कंपनी के शेयरधारकों/बॉन्डधारकों से संबंधित दावा न की गई/ अवैतनिक राशियों का विवरण अपनी वेबसाइट <https://recindia.nic.in/iepf-details> पर अपलोड किया है। कंपनी द्वारा आईईपीएफ को पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी राशियों और शेयरों का निवेशक-वार विवरण आरईसी की वेबसाइट यानी [https://recindia.nic.in/iepf-de-tails](https://recindia.nic.in/iepf-details) पर भी उपलब्ध है।

iv. **इक्विटी शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग)**

आरईसी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

vi. **रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) का संपर्क विवरण**

1 अप्रैल, 2023 से, कंपनी ने इक्विटी शेयरों के लिए अपने आर एंड टीए को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से बदल कर अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड कर दिया है। इसके अलावा, इस संबंध में आवश्यक सूचनाएं संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी गईं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गईं। आर एंड टीए का अद्यतन संपर्क विवरण इस प्रकार है:



इक्विटी शेयर के लिए आरएंडटीए		
पता	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 205-208, अनारकली काम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली - 110055	
टेलीफोन	011 – 42541234	
ई-मेल	rta@alankit.com ; virender@alankit.com	
वेबसाइट	www.alankit.com	
विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के लिए आरएंडटीए		
पता	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32 गाचीबाँवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा हैदराबाद-500 032, भारत	बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड बीटल हाउस, तीसरा तल 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास नई दिल्ली-110062, भारत +91-11-2996 1281-83
टेलीफ़ोन	1-800-309-4001	
ईमेल	einward.ris@kfintech.com gopalakrishna.kvs@kfintech.com	recbonds3@gmail.com , spgupta123@gmail.com
वेबसाइट	https://www.kfintech.com/	www.beetalfinancial.com

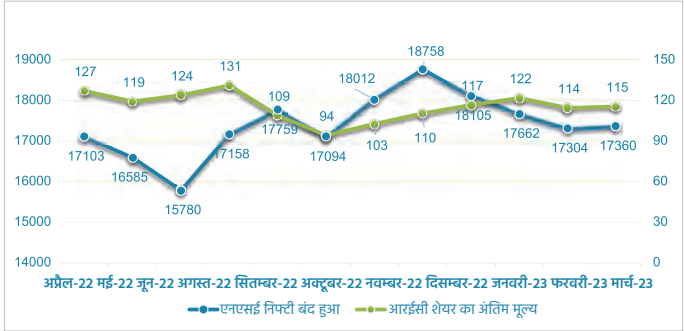
vii. **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बाजार मूल्य डाटा**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एनएसई निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स के संचलन की तुलना में आरईसी के इक्विटी शेयर का मासिक प्रदर्शन निम्नानुसार था :

माह	एनएसई पर आरईसी शेयर का मूल्य (₹)			एनएसई निफ्टी का संचलन		
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल 2022	135.80	122.90	127.00	18,114.65	16,824.70	17,102.55
मई 2022	127.65	113.25	119.15	17,132.85	15,735.75	16,584.55
जून 2022	124.00	109.65	123.75	16,793.85	15,183.40	15,780.25
जुलाई 2022	131.55	120.10	131.00	17,172.80	15,511.05	17,158.25
अगस्त 2022	138.55	102.50	108.75	17,992.20	17,154.80	17,759.30
सितंबर 2022	109.25	92.85	94.00	18,096.15	16,747.70	17,094.35
अक्टूबर 2022	103.10	91.05	102.55	17,112.35	16,855.55	18,012.20
नवंबर 2022	113.80	99.00	110.35	18,816.05	18,616.55	18,758.35
दिसंबर 2022	118.50	108.00	116.50	18,887.60	17,774.25	18,105.30
जनवरी 2023	126.25	112.05	121.75	18,251.95	17,405.55	17,662.15
फरवरी 2023	123.35	110.45	114.30	18,134.75	17,255.20	17,303.95
मार्च 2023	128.45	113.20	115.45	17,799.95	16,828.35	17,359.75

माह	बीएसई पर आरईसी शेयर का मूल्य (₹)			बीएसई सेंसेक्स का संचलन		
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल 2022	135.80	123.00	127.05	60,845.10	56,009.07	57,060.87
मई 2022	127.65	113.40	119.20	57,184.21	52,632.48	55,566.41
जून 2022	123.95	109.70	123.75	56,432.65	50,921.22	53,018.94
जुलाई 2022	131.50	120.10	130.95	57,619.27	52,094.25	57,570.25
अगस्त 2022	139.00	99.20	108.70	60,411.20	57,367.47	59,537.07
सितंबर 2022	109.20	92.80	94.00	60,676.12	56,147.23	57,426.92
अक्टूबर 2022	103.05	91.00	102.50	60,786.70	56,683.40	60,746.59
नवंबर 2022	113.70	98.10	110.25	63,303.01	60,425.47	63,099.65
दिसंबर 2022	118.50	108.05	116.55	63,583.07	59,754.10	60,840.74
जनवरी 2023	126.30	112.00	121.70	61,343.96	58,699.20	59,549.90
फरवरी 2023	123.30	110.50	114.25	61,682.25	58,795.97	58,962.12
मार्च 2023	128.40	113.15	115.45	60,498.48	57,084.91	58,991.52

एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन



viii. **शेयर अंतरण प्रणाली**

सेबी ने दिनांक 3 दिसंबर, 2018 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निर्धारित किया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से, प्रतिभूतियों के अंतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को किसी डिपोजिट्री में डिमैटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, प्रतिभूतियों का संचरण या अंतरण, चाहे भौतिक रूप में हो या अभौतिक रूप में, भी केवल डिमैटेरियलाइज्ड रूप में ही किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, डीमैटरियलाइजेशन का लाभ उठाने के लिए सभी शेयरधारकों से अपनी शेयरधारिता को यथाशीघ्र भौतिक रूप से डीमैट रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध किया जाता है जिससे वे डीमैटरियलाइजेशन का लाभ उठा सके और यह भी तथ्य है कि सेबी के अनुदेश के अनुसार भौतिक शेयर का अंतरण/ट्रांसमिशन रोक दिया गया है।

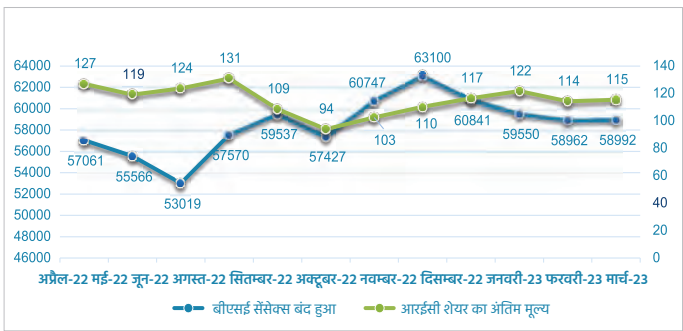
सेबी ने 3 नवंबर, 2022 के परिपत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए अपने पैन को आधार से

फार्म	विवरण	डाउनलोड के लिए वेब-लिंक
प्रपत्र आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण या उसके परिवर्तन/ अद्यतन के पंजीकरण के लिए अनुरोध	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-ISR-1.pdf
प्रपत्र आईएसआर-2	बैंकर द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि (हस्ताक्षर में उल्लेखनीय बेमेल के मामले में)	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-ISR-2.pdf
प्रपत्र आईएसआर-3	भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा प्रपत्र	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-ISR-3.pdf
प्रपत्र एसएच-13	नामांकन प्रपत्र	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-no-SH-13.pdf
प्रपत्र एसएच-14	नामांकन रद्द करना या उसमें बदलाव करना	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-No-SH-14.pdf

हस्ताक्षरित दस्तावेजों / विवरणों (तारीख के साथ स्व-सत्यापित) के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म आर एंड टीए को आर एंड टीए द्वारा ‘इन पर्सन वेरिफिकेशन’ (आईपीवी) के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से या ई-साइन के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ई-हस्ताक्षरित दस्तावेजों को आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी से VIRENDER@ALANKIT.COM पर भेजने की आवश्यकता है, जिसमें एक प्रति COMPLIANCEOFFICER@RECLIN को चिह्नित की जानी है। इसके अलावा, बॉण्ड के संबंध में विवरण/प्रश्नों के लिए, कृपया [HTTPS://RECINDIA.NIC.IN/FORMS](https://recindia.nic.in/Forms) पर जाएं।

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 40(9) और (10) के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की

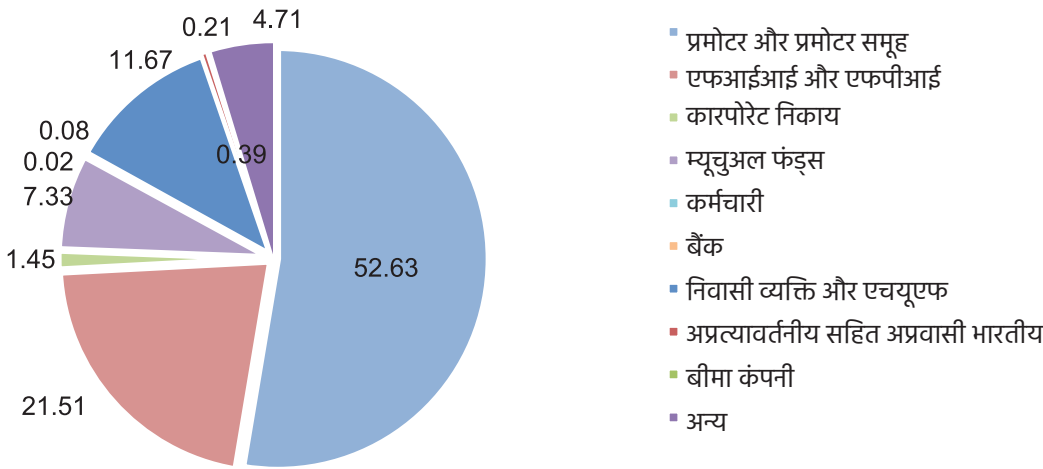
बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन



जोड़ने के अलावा पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना/अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सेबी ने दिनांक 16 मार्च, 2023 के परिपत्र में यह भी प्रावधान किया है कि जिन फोलियो में 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद उपरोक्त में से कोई एक या अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा और निवेशक शिकायत दर्ज करने या आर एंड टीए से सेवा अनुरोध प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे और भौतिक रूप में लाभांश की प्राप्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी / आर एंड टीए को तुरंत निर्धारित प्रपत्र (जैसा कि नीचे दिया गया है) में पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके फोलियो 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद से फ्रोजन नहीं हो और यदि फोलियो 31 दिसम्बर, 2025 तक फ्रोजन रहते हैं तो उन्हें बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सूचित किया जाएगा।



विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %
प्रमोटर और प्रमोटर समूह	1,38,59,93,662	52.63	1,03,94,95,247	52.63
एफपीआई, एफपीसी और एफआईआई	56,65,14,684	21.51	47,93,18,179	24.27
म्यूचुअल फंड्स	19,30,01,898	7.33	18,24,09,568	9.24
निवासी व्यक्ति	29,07,67,284	11.04	15,56,83,646	7.88
बीमा कंपनी	56,52,957	0.21	24,53,392	0.12
कारपोरेट निकाय	3,80,56,997	1.45	1,87,36,424	0.95
समाशोधन सदस्य	3,39,652	0.01	20,02,781	0.10
बैंक	19,97,782	0.08	14,39,838	0.07
एचयूएफ	1,65,76,501	0.63	87,73,935	0.45
न्यास	18,88,592	0.07	8,93,577	0.05
अप्रवासी भारतीय	1,03,91,386	0.39	53,46,627	0.27
भारतीय वित्तीय संस्थान/क्यूआईबी	11,13,75,000	4.24	7,55,52,364	3.83
एनआरआई-अप्रत्यावर्तनीय	94,19,528	0.36	22,34,359	0.11
कर्मचारी	5,87,291	0.03	4,44,669	0.02
अन्य (आईपीएफ, एआईएफ)	6,47,778	0.02	1,29,038	0.01
एनबीएफसी	13,008	नगण्य	4,356	नगण्य
कुल	2,63,32,24,000	100	1,97,49,18,000	100



(ख) 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2023 को धारित शेयरों की संख्या के आधार पर शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार था:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1-5000	5,10,488	84.23	6,27,30,263	2.38
5001 -10000	45,696	7.54	3,33,67,244	1.27
10001-20000	26,478	4.36	3,82,41,475	1.45
20001-30000	7,865	1.30	1,99,72,607	0.76
30001-40000	3,993	0.66	1,42,97,296	0.54
40001-50000	2,251	0.38	1,04,35,809	0.41
50001-100000	5,079	0.84	3,66,45,824	1.39
100001 तथा उससे अधिक	4,157	0.69	2,41,75,33,482	91.80
कुल	6,06,007	100.00	2,63,32,24,000	100.00



ix. चलनिधि

कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमैटरियलाइज्ड खंड के अधीन हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की प्रणाली के अंतर्गत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के पत्राचार विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	एनएसडीएल	सीडीएसएल
पता	ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड लोअर परेल, मुंबई 400013	मैराथन फ्यूचरएक्स, ए-विंग, 25वां तल, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013
दूरभाष	+91-22-2499 7000 +91-22-4886 7000	+91-22-2305 8640/24/39/42/63 1-800-22-5533
ईमेल	relations@nsdl.co.in info@nsdl.co.in	helpdesk@cdslindia.com complaints@cdslindia.com
वेबसाइट	https://nsdl.co.in/	www.cdslindia.com

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, डीमैटरियलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या और ई-मेल पंजीकृत होने/ पंजीकृत न होने का विवरण निम्नानुसार था:

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या			धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
	ई-मेल पंजीकृत	ई-मेल पंजीकृत नहीं	कुल		
भौतिक	88	12,188	12,276	24,549	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	2,32,254	13,148	2,45,402	2,48,40,12,974	94.33
सीडीएसएल (डीमैट)	3,24,683	23,646	3,48,329	14,91,86,477	5.67
कुल	5,57,025	48,982	6,06,007	2,63,32,24,000	100.00

x. शेयरपूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मिलान

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) विनियम, 2018 के विनियम 76 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रत्येक तिमाही के लिए, मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, कार्यशील कंपनी सेक्रेटरी, सिकंदराबाद, ने कंपनी की एनएसडीएल और सीडीएसएल में कुल स्वीकृत, निर्गत और सूचीबद्ध शेयर पूंजी के समाधान के लिए लेखापरीक्षा करने के बाद, शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया था। रिपोर्टों में पुष्टि की गई कि कुल निर्गत / प्रदत्त शेयर पूंजी, भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। उक्त रिपोर्ट कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की गई थी।

xi डीमैट उचित खाते का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों की एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की, जिसमें कंपनी द्वारा 7,80,60,000 रुपये के प्रत्येक ₹10/- वाले इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इक्विटी शेयरों की एक और समान संख्या की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव शामिल था। इसके अलावा, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों की अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) की, जिसमें कंपनी द्वारा 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4,29,33,000 इक्विटी शेयर की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 34(3) और अनुसूची V के भाग च की अपेक्षाओं के अनुसार, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान डीमैट उचित खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों का विवरण निम्नानुसार था:

विवरण	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों और उचित खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की संख्या।	32	4,988
वित्तीय वर्ष के दौरान उचित खाते से अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या।	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें उचित सस्पेंस खाते से अदावाकृत शेयर अंतरित किए गए थे।	शून्य	शून्य
दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों और उचित खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	32*	6,644*

* डीमैट उचित खाते में मामलों और शेयरों की संख्या में बोनस शेयर शामिल है।
टिप्पणियाँ:
1. 31 मार्च, 2023 को उचित खाते में बकाया शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेंगे, जब तक ऐसे शेयरों के असली स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते।
2. उपरोक्त सभी मामले आईपीओ से संबंधित हैं; एफपीओ से संबंधित अदावाकृत शेयरों का कोई मामला नहीं है।

xii. बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तनीय तिथियां और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।



अनुलग्नक-क

निदेशकों को अयोग्य न ठहराने का प्रमाण-पत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण
आरईसी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

हमने कंपनी द्वारा बनाए गए प्रासंगिक रजिस्ट्रारों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और आरईसी लिमिटेड, जिसका सीआईएन : L40101DL1969GOI005095 है और पंजीकृत कार्यालय कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003 में है (एतदपश्चात 'कंपनी' के रूप में संदर्भित), के निदेशकों से प्राप्त हमारे सम्मुख प्रस्तुत प्रकटीकरणों की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-सी खंड 10(i) के साथ पठित विनियमन 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से की गई है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापनों [पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित] और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम इष्टतमद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 की यथास्थिति को कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका नहीं गया है या अनर्हक नहीं ठहराया गया है।

31 मार्च, 2023 के अनुसार आरईसी लिमिटेड के निदेशकों का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तिथि *
1.	श्री विवेक कुमार देवांगन	01377212	17 मई, 2022
2.	श्री अजय चौधरी	06629871	1 जून, 2020
3.	श्री विजय कुमार सिंह	02772733	15 जुलाई, 2022
4.	श्री पीयूष सिंह	07492389	14 सितम्बर, 2022
5.	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	08530587	4 फरवरी, 2022
6.	डॉ. गंभीर सिंह	02003319	15 नवम्बर, 2021
7.	डॉ. मनोज मनोहर पांडे	09388430	15 नवम्बर, 2021
8.	डॉ. (श्रीमती) दुर्गा नंदिनी	09398540	30 दिसम्बर, 2021
9.	श्री नारायणन तिरुपति	10063245	6 मार्च, 2023

*एमसीए पोर्टल से सत्यापित विवरण के अनुसार।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपने सत्यापन के आधार पर उस पर राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते हेमन्त सिंह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./-
हेमन्त कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्या : F6033
सीपी संख्या : 6370
यूडीआईएन : F006033E000392496

दिनांक : 26 मई 2023
स्थान : नई दिल्ली

xiii. स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xiv. निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xv. संयंत्रों की अवस्थिति

कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) है जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका कोई संयंत्र स्थान नहीं है।

तथापि, नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय और गुरुग्राम, हरियाणा में कॉर्पोरेट कार्यालय के अलावा, कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य कार्यालय और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) है, जिनका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

xvi. कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) L40101DL-1969GOI005095 है।

xvii. विधिक निकाय पहचानकर्ता

कंपनी की विधिक निकाय पहचानकर्ता संख्या 335800B4YRY-WAMIJZ374 है।

xviii. कॉर्पोरेट वेबसाइट

कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.recindia.nic.in है।

xix. पत्र व्यवहार हेतु पता

कंपनी के साथ पत्राचार के लिए पते और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

xx.

पंजीकृत कार्यालय

पता	कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
टेलीफोन	+91-11-4309 1500 +91-11-4309 1501
ईमेल	contactus@recl.in
कॉर्पोरेट कार्यालय	
पता	आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा -122001
टेलीफोन	+91-124-271 1000 +91-124-444 1300
ईमेल	contactus@recl.in

अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता

कंपनी के अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता का नाम और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता

नाम	श्री जे. एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव
पता	आरईसी लिमिटेड आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा -122001
दूरभाष	+91-124-444 1331
ई-मेल	complianceofficer@recl.in jsamitabh@recl.in

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 11 अगस्त, 2023



अनुलग्नक-ख

प्रमाण-पत्र

सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत

17 मई, 2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- क. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:
- i. इन विवरणों में ऐसा कोई मिथ्या विवरण निहित नहीं है अथवा किसी वास्तविक कारक को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसा कोई विवरण निहित नहीं है, जो कि भ्रामक हो; और
- ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का एक सच्चा और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों की अनुपालना करते हैं।
- ख. हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण हो, गैर-कानूनी हो अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करते हों।
- ग. हम वित्तीय संसूचना के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और यह कि वित्तीय संसूचना के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

घ.

की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के प्रकार अथवा प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, को प्रकट किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और हमने इन कमियों को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों अथवा प्रस्तावित कदमों को भी प्रकट किया है।

हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इस बात का उल्लेख किया है:

- i. वर्ष के दौरान वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; और
- iii. ऐसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनकी हमें जानकारी है और प्रबंधन की उसमें भागीदारी, यदि कोई हो, अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी जानकारी है।

ह./-
(अजय चौधुरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06629871

ह./-
(विवेक कुमार देवांगन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212



निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

खंड क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध कंपनी का विवरण

1.	सूचीबद्ध कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1969GOI005095
2.	सूचीबद्ध कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	1969
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5.	कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	आरईसी विश्व मुख्यालय, प्लॉट नं. आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम-122001
6.	ई-मेल	complianceofficer@recl.in
7.	टेलीफोन	+91-124-444 1300
8.	वेबसाइट	www.recindia.nic.in
9.	वित्त वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	वित्त वर्ष 2022-23
10.	स्टॉक एक्सचेंज (ओं) का नाम जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बीएसई लिमिटेड
11.	प्रदत्त पूंजी	₹2,633.22 करोड़ (31 मार्च, 2023 के अनुसार)
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ई-मेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट संबंधी किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री वी. के. सिंह डीआईएन: 02772733 निदेशक (तकनीकी) 91-124-271 5517 dtsectt@recl.in
13.	रिपोर्टिंग बाउंड्री- क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण एकल आधार पर (अर्थात केवल कंपनी के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात एंटिटियों और सभी एंटिटियों के लिए जो इसके समेकित वित्त विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)।	इस रिपोर्ट में एक एकल आधार पर प्रकटीकरण किए गए हैं।

II. उत्पाद/सेवाएं

14. कारोबार संबंधी गतिविधियों का विवरण (90% टर्नओवर के लिए लेखांकन):

क्रम संख्या	मुख्य गतिविधि का विवरण	कारोबार संबंधी गतिविधि का विवरण	कंपनी के टर्नओवर का%
1.	वित्त और बीमा सेवा	वित्त और ऋण पट्टे पर देने की गतिविधियां	99.89%

15. कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (एंटिटी के 90% टर्नओवर के लिए लेखांकन):

क्रम संख्या	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का% योगदान
1	अन्य वित्त सेवाएं और गतिविधियां - अन्य ऋण अनुदान	64920	99.57%

III. प्रचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहाँ एंटिटी के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	-	24	24
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-

टिप्पणी: इस वार्षिक रिपोर्ट में आरईसी कार्यालयों के पते अलग से प्रदर्शित हो रहे हैं।

17. एंटिटी द्वारा सेवित बाजार

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	0



ख. एंटिटी के कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के कारोबार में निर्यात का योगदान शून्य था।

ग. ग्राहकों के प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी

आरईसी के प्रमुख उत्पादक राज्य यूटिलिटीयों, निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं आदि को ब्याजी ऋण है। कंपनी की कारोबारी संबंधी गतिविधियों में विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ई-मोबिलिटी, विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तपोषण उपकरण निर्माण और विद्युत परियोजनाओं के साथ लीकिंग आगे / पीछे की गतिविधियों के लिए संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में वित्तपोषण परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने आरईसी को इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी उधार देने की अनुमति दी है। इसके परिणामस्वरूप, आरईसी ने हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, सड़क और राजमार्ग, ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया, सिंचाई/जल संसाधन, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कोल्ड चेन, रेलवे स्टेशन पुनर्विकास, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि जैसे उप-क्षेत्रों का वित्तपोषण/संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ₹ 85,735 करोड़ की विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

कंपनी के प्रमुख उत्पादों में संपूर्ण विद्युत और इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला के लिए दीर्घावधि ऋण, मध्यावधि ऋण, अल्पावधि ऋण, ऋण पुनर्वित्त, रिवाँल्विंग बिल भुगतान आदि शामिल हैं। कंपनी के ग्राहकों में राज्य सरकारें, केंद्रीय/राज्य यूटिलिटीज, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां, संयुक्त उद्यम, निजी क्षेत्र के उधारकर्ता आदि शामिल हैं।

IV कार्मिक

18. वित्त वर्ष के अंत में विवरण:

क. कार्मिक और कामगार (दिव्यांगजनों सहित):

क्रम संख्या	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
कार्मिक						
1.	स्थायी (घ)	417	353	84.65%	64	15.35%
2.	स्थायी के अलावा (ड)	2	2	100%	-	-
3.	कुल कर्मचारी (घ+ड)	419	355	84.73%	64	15.27%
कामगार						
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा (छ)					
6.	कुल कामगार (च + छ)					

ख. दिव्यांगजन कार्मिक और कामगार:

क्रम संख्या	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
दिव्यांग कार्मिक						
1.	स्थायी (घ)	13	12	92.30%	1	7.70%
2.	स्थायी के अलावा (ड)	लागू नहीं				
3.	कुल दिव्यांग कार्मिक (घ+ड)	13	12	92.30%	1	7.70%
दिव्यांग कामगार						
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा (छ)					
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च + छ)					

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व:

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मण्डल	9	2	22.22%
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	4	0	0

20. स्थायी कार्मिकों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों के रुझानों का प्रकटीकरण करें)

	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2020-21		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कार्मिक	9.32	1.86	11.18*	8.25	7.00	15.25*	9.70	12.00	21.70*
स्थायी कामगार	लागू नहीं								

* सेवानिवृत्ति सहित



V. धारक, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (क) धारक / अनुषंगी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रम संख्या	धारक / अनुषंगी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (ए)	इंगित करें कि क्या धारक / अनुषंगी /सहयोगी/संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में इंगित इकाई सूचीबद्ध कंपनी की कारोबार संबंधी उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड(पीएफसी)	धारक कंपनी	52.63%	हाँ
2	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड(आरईसीपीडीसीएल)	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
3	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
4	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
5	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
6	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
7	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
8	रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
9	सीकर खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
10	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
11	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
12	खावड़ा III-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड*	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
13	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
14	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ
15	केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड**	अनुषंगी कंपनी	100%	हाँ

*परियोजना विशिष्ट एसपीवी अर्थात खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि संबंधित अंतर-राज्य ट्रांसमिशन परियोजना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय द्वारा गैर-अधिसूचित कर दिया गया है।

**केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को 20 अप्रैल 2023 को स्थानांतरित कर दिया गया।

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है (हाँ/नहीं) : हाँ
- (ii) टर्नओवर (₹ में): ₹39,208.06 करोड़
- (iii) निवल मूल्य (₹ में): ₹57,679.67 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. उत्तरदायी कारोबार आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर परिवाद/शिकायत:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हाँ https://recindia.nic.in/grievances	59	1	-	98	1	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ https://recindia.nic.in/bonds-grievances	1,217	0	-	18,042	0	-
शेयरधारकों	हाँ https://recindia.nic.in/investors-contact	2,464	6	तब से लंबित मामलों का समाधान किया गया है	4,670	3	-
कार्मिक और कामगार	हाँ ईट्रानेट पर उपलब्ध	-	-	-	-	-	-

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
ग्राहक	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/co-cs-contact-griev-redresl-officr-undr-fair-practice-code-dt020523.pdf	-	-	-	-	-	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ https://recindia.nic.in/independent-external-monitor-iem-for-rural-electrification-corporation-ltd	-	-	-	-	-	-
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-

24. कंपनी के महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारोबार आचरण के मुद्दों का अवलोकन

निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित आवश्यक उत्तरदायी कारोबार आचरण और संधारणीयता के वो मुद्दों जो आपके कारोबार के लिए जोखिम या अवसर होते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्त प्रभावों को इंगित करें

क्रम संख्या	महत्वपूर्ण मुद्दे की पहचान की गई	इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्त निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का इंगित करें)
1.	पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में क्रमिक बदलाव	अवसर	स्वच्छ ऊर्जा पर जोर देना कारपोरेशन के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के अवसर प्रदान करेगा।	-	स्वच्छ ऊर्जा के लिए वित्तपोषण से अतिरिक्त राजस्व के कारण आरईसी सकारात्मक वित्त प्रभाव का अनुभव करेगा।
2.	संधारणीयता को आगे बढ़ाने के लिए कागज रहित वातावरण में बदलाव	अवसर	संचार और रिकॉर्ड प्रबंधन के डिजिटल साधनों में बदलाव से गति, सटीकता, दक्षता, लागत बचत, जवाबदेही और रिकॉर्ड के संरक्षण में वृद्धि होगी।	-	लागत बचत और संचालन की तेजी में वृद्धि के कारण आरईसी सकारात्मक वित्त प्रभाव का अनुभव करेगा।
3.	संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए जलवायु सचेतन के उपाय	जोखिम	बढ़ती जलवायु चिंताएं कंपनी के संचालन के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।	आरईसी ने जलवायु संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक "अनुकूलन" दृष्टिकोण अपनाया है। आरईसी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए एक जलवायु जागरूक "ग्रीन" भवन का निर्माण किया है। इसके अलावा, आरईसी ने स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित किया है।	लागत बचत और अतिरिक्त राजस्व के कारण आरईसी सकारात्मक वित्त प्रभाव का अनुभव करेगा।

खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कारोबार को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित अवसंरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न		पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं										
1.	क. क्या आपकी एंटीटी की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या कंपनी ने नीति का प्रक्रियाओं बदलाव किया है। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक फैली हुई हैं? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम (उदाहरण के लिए वन प्रबंधन परिषद, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानक (जैसे एसए 8000, ओएचएसएस, आईएसओ, बीआईएस) जो आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैच किए गए।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	विशिष्ट समय-सीमा के साथ कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।	एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरईसी के लिए परिचालन और वित्तीय लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार के समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किए गए हैं। समझौता ज्ञापन फ्रेमवर्क में प्रत्येक को अधिकतम 100 अंक आबंटित करते हुए 12 मानदंड शामिल हैं। समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में कई अनुपालनों को भी दर्शाया गया है, जिन पर अनुपालन नहीं करने के लिए ऋणात्मक अंक हैं। 90 से अधिक अंक प्राप्त करने पर उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त होती है। समझौता ज्ञापन संबंधित दस्तावेज निम्नलिखित लिंक https://recindia.nic.in/mou पर उपलब्ध है।								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ-साथ उन कारणों को पूरा नहीं करने की स्थिति में कंपनी का प्रदर्शन।	आरईसी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में निर्धारित फ्रेमवर्क के तहत अपनी धारक कंपनी, पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। समझौता ज्ञापन में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिए गए कंपनी के प्रमुख कार्यनिष्पादन मानदंडों का सीमांकन किया गया है तथा कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन समझौता ज्ञापन मानदंडों की तुलना में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए डीपीई, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी का प्रदर्शन डीपीई द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अंतर्गत उत्कृष्ट होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आरईसी की एमओयू रेटिंग 'बहुत अच्छी' है, जो मुख्य रूप से स्टॉक मूल्य प्रदर्शन के नए शुरु किए गए मानदंड के कारण है।								

सुशासन, नेतृत्व और निरीक्षण	
7.	ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कारोबार उत्तरदायी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य (सूचीबद्ध कंपनी के पास इस प्रकटीकरण की नियुक्ति के संबंध में लचीलापन है) आरईसी अपने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ईएसजी कारकों का प्रभावी रूप से आकलन करने और उन्हें एकीकृत करने के लिए फ्रेमवर्क और कार्यप्रणाली विकसित करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति को पहले ही अपना चुका है। आरईसी ने ईएसजी पहलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जो संधारणीयता और जिम्मेदार कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता में योगदान देने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण गतिविधियां की हैं। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय की छत पर 979 केडब्ल्यूपी का सोलर प्लांट लगाया है, जो अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है और इस प्रकार कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। विद्युत वाहनों (ईवी) की खरीद और ईवी चार्जिंग केंद्रों की संस्थापना कंपनी के स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को दर्शाती है। ये उपलब्धियां ईएसजी सिद्धांतों को अपने परिचालन में एकीकृत करने और एक अधिक संधारणीय भविष्य को बढ़ावा देने के लिए आरईसी लिमिटेड के समर्पण को दर्शाती हैं। आरईसी बड़ी ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक प्रमुख उधारदाता बनने की इच्छा व्यक्त करता है, इस प्रकार हरित ऊर्जा की ओर देश के ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाएगा। ऋणों के लिए आरईसी मूल्यांकन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि इसके उधारकर्ताओं द्वारा अपेक्षित प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी संस्वीकृति प्राप्त की जाती है। आरईसी यह सुनिश्चित करता है कि वह सभी सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और इस संबंध में उचित रिपोर्टिंग/फाइलिंग बिना किसी चूक के समय पर की जाती है। आरईसी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक सुपरिभाषित खरीद नीति का पालन करता है। सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली अच्छी तरह से तैयार है जिसमें आपदा से उबरना भी शामिल है। निगम की मानव संसाधन नीतियां महिला कर्मचारियों के समग्र कल्याण एवं लाभ, करियर विकास, पर्याप्त प्रशिक्षण, सुरक्षा एवं प्रोत्साहन तथा सुपरिभाषित शिकायत निवारण प्रणाली सुनिश्चित करती हैं जिससे समुचित सुशासन सुनिश्चित होता है।
8.	कारोबार उत्तरदायी नीति के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए उत्तरदायी उच्चतम प्राधिकरण का विवरण। निदेशक मण्डल

9.	क्या कंपनी के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो संधारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है? (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण दें। हाँ।	हाँ. श्री वी.के. सिंह (डीआईएन: 02772733) निदेशक (परियोजनाएं) +91-124-271 5517 dtsectt@recl.in																
10.	कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:																	
समीक्षा का विषय		इंगित करें कि क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी								आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
		पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी 8
उपरोक्त नीतियों के लिए प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	तिमाही और वार्षिक आधार पर							
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	तिमाही और वार्षिक आधार पर							
11.	क्या एंटिटी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र निर्धारण/मूल्यांकन किया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं।	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9								
		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ								

टिप्पणी: प्रासंगिक स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक इस रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित हैं।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर “नहीं” है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएं।
- लागू नहीं।

खंड ग: सिद्धांत-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कंपनियों को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को “आवश्यक” और “नेतृत्व” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक कंपनी द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा करने की उम्मीद की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन कंपनियों द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने के नाते अपने अनुसंधान की उच्चस्तरीय प्रगति में रुचि रखते हैं।

सिद्धांत 1: कारोबार का व्यवहार एवं प्रचालन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ स्वयं किया जाना चाहिए।

आवश्यक संकेतक			
1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का प्रतिशत:			
खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मण्डल	4	निदेशकों को कंपनी के कारोबार और संचालन, उद्योग अवसंरचना, दी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति से परिचित कराने के लिए स्वतंत्र निदेशकों का परिचितिकरण कार्यक्रम।	33.33%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	3	प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम, सौर ऊर्जा सम्मेलन और सार्वजनिक खरीद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	53.85%
निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	19	विभिन्न तकनीकी और वित्त विषय जिनमें अनुभवात्मक शिक्षा और व्यक्तिगत प्रभावशीलता शामिल हैं जो दिन-प्रतिदिन के काम के लिए प्रासंगिक हैं	50.91%
कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. वित्त वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माना /दंड/सज़ा/अवाई/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (एंटिटी या निदेशकों/केएमपी द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में (टिप्पणी: एंटिटी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बतायी गयी आवश्यकता के अनुसार के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

राजकोषीय					
एनजीआरबीसी सिद्धांत		नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (आईएनआर में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/ नहीं)
दंड/ जुर्माना	सिद्धांत 1	सेबी (एलओडीआर) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड बीएसई	₹43,07,000/- जीएसटी सहित (₹21,53,500/- प्रत्येक जीएसटी सहित)।	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने सेबी के एलओडीआर विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों और कंपनी के निदेशक मण्डल के संगठन से संबंधित अनुपालन को छोड़कर समय-समय पर यथा संशोधित कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इस प्रकार के गैर-अनुपालन के कारण एनएसई और बीएसई ने वित्त वर्ष 2022-23 की सभी चारों तिमाहियों के लिए प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जीएसटी (प्रत्येक द्वारा ₹21,53,500/-) सहित कुल ₹43,07,000/- का जुर्माना लगाया है।	हाँ।
निपटान	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग शुल्क	-	-	-	-	-
गैर-राजकोषीय					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण		क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/ नहीं)
बंदीकरण	-	-	-	-	
सज़ा	-	-	-	-	

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहाँ भौद्रिक या गैर-भौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के लिए एनएसई और बीएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने के संबंध में, जैसा कि पिछले प्रश्न में कहा गया है, चूंकि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो इसके माध्यम से कार्य करते हैं। प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार, इसलिए कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात एमओपी से अनुरोध कर रही है। तदनुसार निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है। इसे देखते हुए, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से उक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया था/अनुरोध कर रही है। यह उल्लेख करना उचित है, कि बीएसई ने सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 को समाप्त हुई पिछली तिमाहियों के लिए कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को पहले ही माफ कर दिया है। कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ शेष राशि के जुर्माने को भी माफ करने के लिए अनुरोध कर रही है।	1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) 2. बीएसई लिमिटेड (बीएसई)

4. क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्तत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

आरईसी भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्ततखोरी के संबंध में सीवीसी की प्रक्रियाओं और मानदंडों का पालन करता है और पीआईडीपीआई संकल्प (जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प) भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए शिकायतों से संबंधित है जिसमें सीवीसी नामित एजेंसी है। उपरोक्त के अलावा, आरईसी ने व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनाई।

इसके अलावा, कंपनी के आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को परिभाषित करते हैं और रिश्ततखोरी, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कदाचार के रूप में मान्यता देते हैं।

कंपनी की धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक नीति भी है , जो धोखाधड़ी, रिश्ततखोरी या भ्रष्टाचार किसी भी कार्य की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी की ओर से दायित्व निर्धारित करती है।

5. निदेशकों/केएमपी/कार्मिकों /कामगारों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्तत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2021-22	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-	-	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-	-	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत शामिल किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आयु % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार)
2	आरईसी के सतर्कता विभाग ने निम्नलिखित विषयों पर क्षेत्रीय कार्यालयों, अनुषंगी और प्रशिक्षण केंद्र सहित आरईसी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित की: - खरीद और संविदा प्रबंधन - निवारक सतर्कता	शून्य

2. क्या बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए एंटीटी के पास प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ , तो उसका विवरण दें।

कंपनी के पास बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हितों के टकराव से निपटने की प्रक्रिया शामिल है। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/code_business_conduct_ethics.pdf पर उपलब्ध है।

सिद्धांत 2 कारोबार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता करवायी जानी चाहिए जो संधारणीय और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

1. एंटीटी द्वारा किए गए कुल आरएंडडी और कैपेक्स निवेश के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में आरएंडडी और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः

	वर्तमान वित्त वर्ष	पिछला वित्त वर्ष	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी	-	-	-
कैपेक्स	-	₹ 12.22 करोड़	आरईसी ने अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में 979 केडब्ल्यूपी का रूफ टॉप सोलर प्लांट संस्थापित किया है। यह सौर संयंत्र कार्य कर रहा है और ग्रिड से जुड़ा हुआ है तथा इसने 13.19 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जो कॉर्पोरेट कार्यालय की कुल लोड संबंधी आवश्यकताओं का लगभग 50% है। भवन में ऊर्जा की बचत के लिए स्लैब के लिए रेडियंट कूलिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), स्वचालित संवेदक नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, बायो-क्लाइमेट कांच का अग्रभाग, मोटर ब्लाइंड्स आदि भी है।

2. क. क्या संधारणीय सोर्सिंग के लिए कंपनी के पास प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)

कंपनी की कारोबारिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न की सीमित प्रयोज्यता है। एक एनबीएफसी के रूप में, आरईसी के संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत, कार्यालय आपूर्ति और संचार या आईटी उपकरण तक सीमित है।

एक एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी भौतिक आवश्यकताओं के मामले में कम संसाधन-गहन है। सीमित दायरे के बावजूद, आरईसी अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं की उत्तरदायी सोर्सिंग सुनिश्चित करता है। कंपनी अपनी खरीद में जीईएम पोर्टल (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) को बढ़ावा देती है और एमएसई विक्रेताओं से सोर्सिंग को भी बढ़ावा देती है। सामग्री और सेवाओं की सभी खरीद/सोर्सिंग कंपनी के खरीद दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

इसके अलावा, आरईसी ने अपने ऋण वितरण की शर्तों के एक भाग के रूप में, पारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के अपने उधारकर्ताओं से सभी लागू पर्यावरण मानदंडों का पालन करने की अपेक्षा की है। पर्यावरण की सुरक्षा और हानिकारक ऑक्साइडों के उत्सर्जन को कम करने के समग्र उद्देश्य से आरईसी पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की संस्थापना के लिए भी वित्तपोषण करता है।

4. क्या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पोंसिबिलिटी (ईपीआर) कंपनी की गतिविधियों पर लागू होता है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पोंसिबिलिटी (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

लागू नहीं, क्योंकि आरईसी एक एनबीएफसी है और किसी भी प्रकार के उत्पाद के निर्माण में शामिल नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या एंटीटी ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

आईएफसी के रूप में वर्गीकृत एक एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी द्वारा पेश किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में संपूर्ण विद्युत और इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए उधारकर्ताओं को रुपया अवधि ऋण, अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, आरईसी विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देता है।

ऋण उत्पादों को बाजार के मानदंडों, उधारकर्ता की आवश्यकताओं और आरबीआई और/या किसी अन्य नियामकों के लागू वैधानिक और नियामक प्रावधानों के अनुरूप विकसित किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रस्तावित ऋण उत्पादों का विवरण वेबसाइट <https://recindia.nic.in/financial-products> पर उपलब्ध है।

आरईसी ने आधिकारिक विकास सहायता-केएफडब्ल्यू-III के अंतर्गत पर्यावरण सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (ईएसआईए) रिपोर्ट तैयार की है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लागू होती है। यह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों का समाधान करने के लिए आरईसी के लिए रोडमैप के रूप में कार्य करता है।

कारोबार और प्रचालन की प्रकृति को देखते हुए, कंपनी के पास

2. यदि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाने गए आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें- को कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ।

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम / चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
अन्य वित्त सेवाएं और गतिविधियां - अन्य ऋण अनुदान	कंपनी के उत्पादों / सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता / जोखिम की परिकल्पना नहीं की गई है।	आरईसी कोई विनिर्माण कंपनी नहीं है। हालांकि, आरईसी द्वारा वित्तपोषित सभी विद्युत परियोजनाओं के लिए अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, आरईसी परियोजनाओं के संभावित पर्यावरण जोखिमों की पहचान और आकलन करता है। पर्यावरण संबंधी मुद्दे, यदि कोई हो, की पहचान समुचित सावधानी, साइट विजिट और लागू शिकायतों की समीक्षा आदि के माध्यम से की जाती है। सरकार के निर्देशों के अनुरूप, आरईसी ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए भी वित्तपोषण कर रही है। इसमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपेटर्स (ईएसपी) की संस्थापना शामिल है, जो हानिकारक उत्सर्जन और विषेदक पदार्थ को रोकने में योगदान करते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, आरईसी ने ₹1,647.08 करोड़ की कुल ऋण राशि के साथ प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की संस्थापना के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।



8. कार्मिकों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2021-22				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/ क)	नहीं (ग)	% ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/ घ)
कार्मिक										
पुरुष	255	8	3.14	247	96.86	188	25	13.30	163	86.70
महिला	60	1	1.67	59	98.33	36	02	5.56	34	94.44
कुल	315	9	2.86	306	97.14	224	27	12.05	197	87.95
कामगार										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
कुल										

9. कार्मिकों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:

	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या(घ)	% (घ/ग)
कार्मिक						
पुरुष	100	76	76.00%	71	27	38.03%
महिला	21	16	76.19%	13	10	76.92%
कुल	121	92	76.03%	84	37	44.05%
कामगार						
पुरुष						
महिला						
कुल						

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

- क. क्या कंपनी द्वारा कारोबारिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का दायरा बताएं?
- जी हाँ, कवरेज प्रणाली में कार्य नियोजन, प्रक्रिया और निष्पादन में रसायन, मशीन और सफाई उपकरण संभालते समय सुरक्षा प्रबंधन शामिल है।
- कार्य से संबंधित जोखिमों का पता लगाने के लिए, कार्य से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए स्टाफ सदस्यों के लिए नियमित एवं रोजाना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- इसके अलावा, किसी भी नए कार्य के प्रारंभ से पहले सुरक्षा अधिकारी, कार्य स्थल की सुरक्षा लेखा परीक्षा करते हैं, टूलप्स और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हैं ताकि कार्य को सुरक्षित किया जा सके।
- साथ ही, चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं जहां सभी कामगारों को मुफ्त चिकित्सा शिविर का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। सभी कर्मचारियों की सूची में शामिल एंटीटी द्वारा हर वर्ष स्वास्थ्य जांच की जाती है।
- ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और एंटीटी द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?
- लागू नहीं
- ग. क्या आपके पास कार्य से संबंधित खतरों को रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने हेतु श्रमिकों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हाँ/ नहीं)
- लागू नहीं
- घ. क्या संस्था के कार्मिकों/कामगारों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हाँ/ नहीं)
- हाँ, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाओं को ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगाया गया था। मनोरंजन और स्वस्थ जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए परिसर में कर्मचारियों के लिए जिम उपलब्ध है। कंपनी द्वारा कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से विभिन्न योग कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
लॉस्ट टाइम इंजरी फ़्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति घंटे काम किया)	कार्मिक		
	कामगार		
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कार्मिक		
	कामगार		
मरने वालों की संख्या	कार्मिक		
	कामगार		
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कार्मिक		
	कामगार		



12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

जी हाँ, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाएं ली

गई थीं। मनोरंजन और स्वस्थ जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए परिसर में कर्मचारियों के लिए जिम उपलब्ध है। कंपनी द्वारा कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से विभिन्न योग कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।

13. कार्मिकों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य और सुरक्षा	-	-	-	-	-	-

14. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया है (एंटीटी या सांविधिक प्राधिकारियों या अन्य पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय	-
कार्य की स्थितियाँ	-

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों एवं काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं, सुरक्षा संबंधी घटनाओं के संबंध में आरईसी के कॉर्पोरेट भवन में कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या एंटीटी (क) कार्मिकों (हाँ/नहीं) (ख) कामगारों (हाँ/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।

	प्रभावित कार्मिकों/कामगारों की कुल संख्या		ऐसे कार्मिकों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्स्थापित कर उपयुक्त रोजगार दिया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है।	
	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
कार्मिक	-	-	-	-
कामगार	-	-	-	-

4. क्या कंपनी निरंतर रोजगार योग्यता और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन की सुविधा के लिए ट्रांज़िशन असिस्टेंस प्रोग्राम्स प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

कंपनी एक सीपीएसई है, जो सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के मामलों में डीपीई के रोजगार मानदंडों का पालन करती है। कंपनी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और अन्य कल्याणकारी उपाय भी प्रदान करती है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य द्वारा) जिनका मूल्यांकन किया गया।
स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय	-
कार्य की स्थितियाँ	-

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यप्रणाली और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं



सिद्धांत 4: कारोबार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा प्रत्येक हितधारकों को कार्य के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

हाँ। कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को मैप किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कार्मिक और कामगार शामिल हैं; और बाहरी हितधारकों में इक्विटी शेयरधारक, बॉन्डधारक, लेनदार, बैंकर, उधारकर्ता और सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के ग्राहक, सरकारी निकाय और नियामक प्राधिकरण सहित राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज आदि शामिल हैं।

2. अपनी कंपनी के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ कारोबार की आवृत्ति की सूची बनाएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हाँ/नहीं)	संचार के प्रकार (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कारोबार की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारकों	नहीं	ईमेल/एसएमएस/ वेबसाइट/ पत्र/टेलीफोन/ समाचार पत्र आदि।	त्रैमासिक आधार पर एजीएम के माध्यम से, पोस्टल बैलेट और जब भी आवश्यक हो।	वित्त परिणामों का संचार, वित्त विवरण को अपनाना और समय-समय पर सामान्य और विशेष व्यवसाय का लेन-देन करना। शेयरधारकों के अनुरोधों/शिकायतों का समय-समय पर समाधान करना।
बॉन्डधारक	नहीं	ईमेल/एसएमएस/ वेबसाइट/ पत्र/टेलीफोन/समाचार पत्र आदि।	जब भी आवश्यक हो।	आवंटन, ब्याज सर्विसिंग, मोचन भुगतान, बॉन्ड प्रमाणपत्र/ डीमैट क्रेडिट। बॉन्डधारकों के अनुरोधों/शिकायतों का समय-समय पर समाधान करना।
विक्रेताओं	नहीं	ईमेल/एसएमएस/ वेबसाइट/ पत्र/टेलीफोन /जीईएम, टेंडर विजाई और सरकार के अन्य पोर्टल।	जब भी आवश्यक हो।	विक्रेता विकास कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहकों	नहीं	ईमेल/एसएमएस/ वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन	नियमित आधार पर।	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2022 आयोजित किया गया।

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।

अपने कारोबार से संबंधित आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों को संबोधित करने के लिए पहले से ही विभिन्न बोर्ड-अनुमोदित नीतियां हैं। उक्त नीतियों को प्रासंगिक हितधारकों के इनपुट के आधार पर समय-समय पर विस्तार किया जाता है।

इसके अलावा, आरईसी द्वारा की गई सभी ईएसजी पहलों और गतिविधियों के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज के रूप में कार्य करने के लिए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 30 जनवरी, 2023 को आयोजित अपनी 498वीं बोर्ड बैठक में आरईसी की पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) नीति को अनुमोदित किया है।

2. क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का सहयोग करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को एंटीटी की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी ने समाज में योगदान करने के लिए अपनी पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन नीति को अनुमोदित किया था। कंपनी के ईएसजी नीतिगत फ्रेमवर्क में अन्य बातों के साथ-साथ परिचालन, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन से जुड़े निर्णयों में पर्यावरण प्रभाव पर विचार शामिल है। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा का वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए, ऋण करार/मंजूरी में पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक (ईएसएस) पहलुओं से संबंधित उपयुक्त शर्तों को जोड़ा जा रहा है।

3. कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम और उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

आरईसी को भारत सरकार के जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस), संपर्क, समाधान और टीआरडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों



सहित आरईसी के सभी कार्यालय इसका प्रभावी उपयोग कर रहे हैं और कंपनी एमएसई और महिला उद्यमियों से खरीद को बढ़ावा भी देती है और अपनी खरीद प्रक्रियाओं में पंजीकृत एमएसई तक कुछ सुविधाएं प्रदान करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान भारत सरकार के समाधान पोर्टल पर किसी भी एमएसई वेंडर द्वारा भुगतान में देरी या किसी अन्य शिकायत के बारे में आरईसी के

खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। कंपनी उन इक्विटी शेयरधारकों और बॉन्डधारकों तक नियमित रूप से पहुंचने के लिए भी प्रयास करती है, जिनके पास अदावाकृत/अदत्त लामांश राशि/शेयर या कंपनी के पास अदावाकृत मोचन राशि होती है, ताकि ऐसे निवेशक अपनी सही देयताएं प्राप्त करने से न चूकें।

सिद्धांत 5 कारोबार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कार्मिक और कामगार जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों के मुद्दों और एंटीटी की नीति पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	कुल (क)	कर्मचारियों की संख्या / कवर किए गए कामगार (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कर्मचारियों की संख्या / कवर किये गये कामगार (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
स्थायी कर्मचारी	-	-	-	-	-	-
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल कर्मचारी	-	-	-	-	-	-
कामगार						
स्थायी कामगार	लागू नहीं					
स्थायी कामगारों के अलावा अन्य						
कुल कामगार						

2. कार्मिकों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का निम्न प्रारूप में विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2021-22				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से भी अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से भी अधिक	
		संख्या (ख)	%(ख/क)	संख्या (ग)	%(ग/क)		संख्या (ङ)	%(ङ/घ)	संख्या (च)	%(च/घ)
कार्मिक*										
स्थायी										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
स्थायी कार्मिकों के अलावा अन्य										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
कामगार										
स्थायी										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
स्थायी कामगारों के अलावा										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										

* सभी स्थायी कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो न्यूनतम मजदूरी से अधिक है।



3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण:

	संख्या	पुरुष औसत पारिश्रमिक/वेतन/ संबंधित श्रेणी का वेतन	संख्या	महिला औसत पारिश्रमिक/वेतन/ संबंधित श्रेणी का वेतन
निदेशक मण्डल (बीओडी)	1	89,97,197	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1	79,85,821	-	-
निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	332	27,43,211	63	28,59,602
कामगार	-	-	-	-

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त अनुसूची में केवल स्थायी कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 12 महीने की पूरी अवधि के लिए कार्य किया है।
- पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के तहत भत्तों में छूट और पेंशन योजना के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल है। इसके अलावा, यह आरईसी उपदान निधि में नियोक्ता के योगदान, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी नकदीकरण प्रावधान, कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रतिपूर्ति जैसे वर्दी, मनोरंजन, वाहन, बिजली, पानी और परिचर शुल्क और छूट चिकित्सा खर्चों को बाहर रखता है।
- उपरोक्त पारिश्रमिक का भुगतान इस संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।

4. क्या आपके पास कारोबार द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति / समिति) है? (हाँ/नहीं)

हाँ।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।

कंपनी के पास विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। कोई भी पीड़ित कर्मचारी उक्त तंत्र के माध्यम से राहत की मांग कर सकता है। उक्त नीति कर्मचारियों के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध है।

6. कार्मिकों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न						
कार्यस्थल पर भेदभाव						
बाल श्रम						
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम						
वेतन						
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे						

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसरण में, जहाँ कहीं आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

आरईसी का मानना है कि एक स्थायी संगठन नैतिकता और मानवाधिकारों के सम्मान की नींव पर टिका होता है। कंपनी कार्यस्थल

9. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया है (एंटीटी या सांविधिक प्राधिकारियों या अन्य पक्षों द्वारा)
बाल मजदूरी	लागू नहीं
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
मजदूरी	
अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें	

में विविधता और समान अवसर सुनिश्चित करती है और यह मानती है कि करियर की उन्नति प्रतिभा और प्रदर्शन पर आधारित है।

8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके कारोबारिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

कारोबारिक समझौते और अनुबंध मुख्य रूप से ऋण दस्तावेज़ीकरण की प्रकृति के होते हैं, जो उधारकर्ताओं को स्वीकृत विशिष्ट शर्तों के आधार पर निष्पादित किए जाते हैं। मानवाधिकार आवश्यकताएं उक्त ऋण दस्तावेजों का हिस्सा नहीं हैं। कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, आरईसी ने सामान्य कानूनों और ठोस नैतिक कार्यप्रणाली के अनुरूप कर्मचारी-उन्मुख नीतियों को अपनाया है।



10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार प्रतिवेदनाओं/शिकायतों का समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रारम्भ की जा रही कारोबारिक प्रक्रिया का विवरण।

लागू नहीं।

2. किए गए किसी भी मानवाधिकार के बारे में उचित सावधानी बरतने के दायरे और कवरेज का विवरण।

लागू नहीं।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का% (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य द्वारा) जिनका मूल्यांकन किया गया।
बाल मजदूरी	-
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
मजदूरी	
अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें	

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

आरईसी एक एनबीएफसी है और इसके पास उत्पादन/विनिर्माण की सुविधा नहीं है, इसलिए इसकी ऊर्जा तीव्रता सीमित है।

तथापि, आरईसी ने अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में 979 केडब्ल्यूपी का रूफ टॉप सोलर प्लांट संस्थापित किया है। यह सौर संयंत्र कार्य कर रहा है और ग्रिड से जुड़ा हुआ है तथा इसने 13.19 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जो कॉर्पोरेट कार्यालय की कुल लोड संबंधी आवश्यकताओं का लगभग 50% है। भवन में ऊर्जा की बचत के लिए स्लेब के लिए रेडियंट कूलिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), स्वचालित संवेदक नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, बायो-क्लाइमेट कांच का अग्रभाग, मोटर ब्लाइंड्स आदि भी है।

2. क्या एंटीटी के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचान की गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, तो बताएं।

लागू नहीं।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित

3. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

हाँ, विभिन्न बिंदुओं पर ब्रेल में दिशा के संकेत के साथ लिफ्ट और रैंप, व्हील चेयर सुलभ टॉयलेट और परिसर में दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुंच योग्य है।

इसके अलावा, आरईसी की कॉर्पोरेट वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3सी) वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइड लाइन्स (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 स्तर एए का अनुपालन करती है। इससे दृष्टिबाधितों को सहायक प्रौद्योगिकी जैसे स्क्रीन रीडर का उपयोग करते हुए वेबसाइट तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वेबसाइट की जानकारी विभिन्न स्क्रीन रीडरों जैसे कि जेएडब्ल्यूएस, एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आइज के साथ उपलब्ध है। इस बारे में अधिक जानकारी <https://recindianic.in/screen-reader-access> पर देखी जा सकती है।

प्रारूप में प्रदान करें:

आरईसी एक एनबीएफसी है और इसके पास उत्पादन/निर्माण की सुविधा नहीं है, इसलिए इसकी पानी की तीव्रता नगण्य है।

4. क्या एंटीटी ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें।

चूंकि आरईसी कोई विनिर्माण कंपनी या उत्पादन कंपनी नहीं है। हालांकि, गुरुग्राम में स्थित आरईसी की कॉर्पोरेट कार्यालय बिल्डिंग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बिल्डिंग है, जिसे एचवीएसी/चिलर्स में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ), सोलर क्लीनिंग, टॉयलेट और फ्लोर वाशिंग और जल निकासों आदि के बाद बहाए गए गंदे पानी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, बिल्डिंग को बागवानी के उद्देश्य से एसटीपी के माध्यम से उपचारित जल के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।

5. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में एंटीटी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

आरईसी कोई विनिर्माण या उत्पादन कंपनी नहीं है, इसलिए वायु उत्सर्जन नगण्य है। इसके अलावा, आरईसी द्वारा वित्तपोषित सभी विद्युत परियोजनाओं के लिए अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, आरईसी परियोजनाओं के संभावित पर्यावरण जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करता है। पर्यावरण संबंधी मुद्दे, यदि कोई हो, की पहचान समुचित सावधानी, साइट विजिट और लागू अनुपालनों की समीक्षा आदि के माध्यम से की जाती है।



6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं।

7. क्या एंटीटी के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

लागू नहीं।

आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, आरईसी नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धत्मक वित्तपोषण को बढ़ावा दे रहा है। आरईसी ने सौर, पवन, बायोमास परियोजनाओं और ई-मोबिलिटी सहित देश भर में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण के लिए विभिन्न नीतियां प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 21,371.11 करोड़ की कुल मंजूरी 35 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए थी, जिसमें कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 6,488 मेगावाट थी।

8. एंटीटी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	प्रति माह 180 कि.ग्रा.	-
ई-अपशिष्ट (ख)	पिछले वर्ष चिन्हित की गई 140 यूनिट्स का निपटान किया गया।	140 यूनिटों को ई-कचरे के रूप में निपटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	-	-
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ)	-	-
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	-	-
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ)	-	-
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (ज)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना के आधार पर ब्रेक-अप अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा)	-	-
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	प्रति माह 180 किलोग्राम और पिछले वर्ष की पहचान के अनुसार 140 यूनिट्स का निपटान किया गया।	140 यूनिटों को ई-कचरे के रूप में निपटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से प्राप्त कुल प्राप्त अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रण	-	-
(ii) पुनः उपयोग किया गया	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों	-	-
कुल		
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) लैंडफिलिंग	-	-
(iii) अन्य निपटान प्रचालन	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण /मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

*निपटान के लिए पिछले वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 में पहचान की गई आईटी यूनिट्स की संख्या सुरक्षित रूप से निपटान की गई।

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

ई-कचरे के रूप में पहचाने जाने वाले पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित

कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि इस गतिशील क्षेत्र की निरंतर उभरती जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब तक, आरईसी ने लगभग 18.1 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है, ताकि देश के हरित भविष्य की दिशा में देश के अभियान को सहयोग दिया जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरईसी के वित्तपोषण मानदंडों को कॉर्पोरेट वेबसाइट <https://recindia.nic.in/renewables> पर देखा जा सकता है।

आरईसी 10 वर्ष की अवधि के साथ वर्ष 2017 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार खंड में सूचीबद्ध ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों से धन जुटाने वाला पहला भारतीय सार्वजनिक उपक्रम भी है, जिसकी आय को जलवायु बॉन्ड मानकों के अनुसार पात्र ग्रीन परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्तीयन के लिए उपयोग किया जाता है।



जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में संचालन / कार्यालय हैं, जहाँ पर्यावरण अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	परिचालन/ कार्यालयों का स्थान	परिचालनों के प्रकार	क्या पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी संबंधी शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो.
-	-	-	-

कंपनी अखिल भारतीय परिचालन वाली के साथ एक एनबीएफसी है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है और कॉर्पोरेट कार्यालय गुरुग्राम में है। कंपनी के क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय पूरे भारत में हैं, जो राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। कंपनी के कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित नहीं हैं।

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर एंटीटी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

आरईसी एक एनबीएफसी होने के नाते, बिजली परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है लेकिन किसी भी परियोजना का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वयन नहीं करता है।

आरईसी द्वारा वित्त पोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को उधारकर्ताओं को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) जमा करने की आवश्यकता होती है।

12. क्या एंटीटी भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हाँ / नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

आरईसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। इसलिए, दिए गए प्रश्न की सीमित प्रासंगिकता है। हालांकि, कंपनी अपने परिसर और संचालन के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है। कंपनी अपने द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के उचित परिश्रम में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी शामिल करती है।

नेतृत्व संकेतक

1. नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

आरईसी ने अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में 979 केडब्ल्यूपी का रुफ टॉप सोलर प्लांट संस्थापित किया है। यह सौर संयंत्र कार्य कर रहा है और ग्रिड से जुड़ा हुआ है तथा इसने 13.19 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जो कांपोरेट कार्यालय की कुल लोड संबंधी आवश्यकताओं का लगभग 50% है। भवन में ऊर्जा की बचत के लिए स्लैब के लिए रेडियंट कूलिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), स्वचालित संवेदक नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, बायो-क्लाइमेट कांच का अग्रभाग, मोटर ब्लाइंड्स आदि भी है।

2. डिस्चार्ज किए गए जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं।

3. जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

लागू नहीं।

4. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं।

5. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर एंटीटी के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

6. यदि एंटीटी ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / अपशिष्ट से उत्पन्न वाले प्रभाव को कम किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही इस तरह की पहल के परिणाम निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें:

चूंकि आपकी कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, अतः इस प्रश्न का महत्व कम है। हालांकि, गुरुग्राम में स्थित आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन को ऊर्जा कुशल फेस एड और रेडियंट कूलिंग स्लैब का उपयोग करके डिजाइन और निर्मित किया गया है ताकि ऊर्जा संरक्षण के लिए भवन में लगभग 30% एचवीएससी लोड आवश्यकता को कम किया जा सके। इसके अलावा, भवन के शीर्ष पर 979 केडब्ल्यूपी सौर संयंत्र (सौर परगोला संरचना द्वारा समर्थित) स्थापित किया गया है ताकि ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करके आरईसी कार्यालय लोड की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। सोलर प्लांट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 13.19 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जो कॉर्पोरेट कार्यालय की कुल लोड आवश्यकता का लगभग 50% है।

कागज की खपत को कम करने के लिए, आरईसी देश भर में अपने सभी कार्यालयों में 'ई-ऑफिस' प्रणाली का प्रयोग करता है। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतते हुए कारोबारिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से महामारी की शुरुआत के बाद, सुरक्षित आईटी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से दूरस्थ कार्य विधियों का सक्रिय रूप से उपयोग किया है।

7. क्या एंटीटी के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।

हाँ, आरईसी ने अपने डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस के लिए कारोबार निरंतरता और आपदा रिकवरी योजना लागू की है और यह आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित भी है। आरईसी के प्राथमिक डाटा सेंटर (पीडीसी) और आपदा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) आईएसओ/आईसीसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुपालन करते हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क के बाहर गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने से रोकने के लिए आरईसी ने डीसी और डीआरसी में डेटा लीकेज एंड प्रिवेंशन (डीएलपी) सिस्टम भी लागू किया है। इसके अलावा, आरईसी ने एनबीएफसी के लिए आईटी ढांचे के आरबीआई के मास्टर निर्देश के आईटी सुरक्षा निर्देशों को लागू किया है।

किसी भी संकट में प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहने वाली टीमों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपदा अभ्यास और टेबल टॉप अभ्यास नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि क्या सेट प्रक्रियाएं पूर्ण-परिभाषित आरटीओ और आरपीओ के भीतर परिभाषित के अनुसार काम कर रही हैं और लोग इसे समझते हैं और उचित रूप से उनका पालन करते हैं। इस प्रकार के अभ्यास की लेखा परीक्षा बाह्य सीईआरटी-इन (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षकों के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार की लेखा-परीक्षा से प्राप्त टिप्पणियों को निरंतर सुधार का एक भाग माना जाता है। इन योजना की आवधिक अंतरालों पर समीक्षा की जाती है और प्रबंधन तथा बोर्ड को बीसीपी की किसी भी गतिविधि अथवा परिवर्तन से अवगत कराया जाता है।



8. एंटिटी की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में एंटिटी द्वारा क्या शमन या अनुकूलन संबंधी उपाय किए गए हैं।

आरईसी सरकार के निर्देशों के अनुरूप ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना का वित्तपोषण भी कर रही है। इसमें फ़्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (एफजीडीएस), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी) की संस्थापना शामिल है, जो हानिकारक उत्सर्जन और पार्टिकुलेट मैटर को रोकने में योगदान करते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान आरईसी ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना के लिए 7 परियोजनाओं को

सिद्धांत 7: कारोबारों, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदारी पूर्ण रूप से और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **क. व्यापार और उद्योग मण्डलों/संघ के साथ संबंधता की संख्या।**

4 (चार)

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मण्डलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जो एंटिटी का सदस्य / संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मण्डलों/संघ का नाम	व्यापार और उद्योग मण्डलों/संघ की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)	राष्ट्रीय
2.	विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी), भारत	राष्ट्रीय
3.	स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ़ पब्लिक इंटरप्राइजेज (एससीओपीई)	राष्ट्रीय
4.	भारतीय प्रेस क्लब	राष्ट्रीय

2. **नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर एंटिटी द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

नियामक अधिकारियों से कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया था।

नेतृत्व संकेतक

1. **एंटिटी द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:**

आरईसी विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) का सदस्य है, जो ऊर्जा मंत्रालयों और ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी संगठनों के समर्थन से एमओपी के संरक्षण में कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय के सचिव, कोयला, एमएनआरई, विदेश मंत्रालय और सीईए, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवों द्वारा की जाती है जो निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों के हिस्से के रूप में आरईसी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों के निर्माण में योगदान करते हैं।

कंपनी ने समय-समय पर विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की वकालत की है।

सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर एंटिटी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**
लागू नहीं।

मंजूरी दी है, जिसमें कुल ऋण राशि ₹1,647.08 करोड़ है।

9. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था।**

एक एनबीएफसी होने के नाते आरईसी परियोजना का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वयन नहीं करता है। आरईसी द्वारा वित्त पोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को अपने उधारकर्ताओं को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) प्राप्त करने की आवश्यकता है।



2. **आपकी एंटिटी द्वारा चल रही परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें जिसके लिए पुनर्वास और पुनःस्थापन (आर एंड आर) किया जा रहा है:**

लागू नहीं।

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।**

कंपनी के पास व्यापक रूप से जनता की शिकायतों से निपटने के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी को अध्यक्ष, लोक शिकायत समिति के रूप में नियुक्त किया है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट):**

	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त	55.01%	36.60%
सीधे जिले और पड़ोसी जिलों के भीतर से प्राप्त	-	-

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):**

लागू नहीं।

2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी एंटिटी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (करोड़ में)
1	बिहार	मुजफ्फरपुर	0.89
2	बिहार	पूर्णिया	0.30
3	बिहार	खगड़िया	0.34
4	मणिपुर	चंदेल	0.54
5	मिजोरम	ममित	8.25
6	नागालैंड	किफिरे	2.56
7	उत्तराखंड	श्रावस्ती	0.15
8	सिक्किम	पश्चिम सिक्किम	5.00
9	हिमाचल प्रदेश	चंबा	0.63
10	कर्नाटक	यादगीर	0.43
कुल			19.09

3. **(क) क्या आपके पास अधिमान्य खरीद नीति है जहाँ आप सीमांत / कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)**

हाँ, एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद का समर्थन करने के लिए आरईसी की नीति है। पॉलिसी <https://recindia.nic.in/uploads/files/RECPolicy-forMSME-11022022.pdf> पर उपलब्ध है।

(ख) आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

आरईसी ने एमएसई विक्रेताओं से ₹10 लाख तक के मूल्य के 100% तक के कतिपय सामान्य उपयोग के वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अनिवार्य बना दिया है और एमएसई को निविदा किए गए मूल्य के 25% तक की खरीद को प्राथमिकता देने की भी अनुमति दी है, जिसमें से 4% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए आरक्षित है और 3% महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले आरक्षित एमएसई के लिए आरक्षित है, उन सभी मामलों के लिए जहां एल₁ विक्रेता एमएसई विक्रेताओं से भिन्न है, यदि एमएसई बोली लगाने वालों ने एल₁ + 15%, जहां भी विभाजन संभव हो, एल₁ के साथ एमएसई वेंडरों को कीमत मिलाने की अनुमति देकर, के दायरे के भीतर कीमत उद्धृत की है। कंपनी अपनी खरीद प्रक्रियाओं में पंजीकृत एमएसई को विभिन्न सुविधाएं जैसे कि निशुल्क टेंडर सेट की आपूर्ति, बयाना राशि के भुगतान से छूट आदि प्रदान करती है

(ग) कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) का यह कितना प्रतिशत है?।

सरकार का आदेश एमएसएमई से न्यूनतम 25% के लिए है, जिसमें से 4% एससी/एसटी विक्रेताओं से और 3% महिला विक्रेताओं से होना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, आरईसी ने जीईएम से खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपना एमओयू लक्ष्य (25% के लक्ष्य के मुकाबले 89.28% हासिल किया) और एमएसएमई के लिए (25% के लक्ष्य के मुकाबले 55.01% हासिल किया) हासिल कर लिया है। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों से खरीद का विभाजन, विक्रेताओं द्वारा दर्ज किए गए दावों पर निर्भर करता है, जिस पर आरईसी का कोई नियंत्रण नहीं है।

4. **परम्परागत ज्ञान के आधार पर आपकी एंटिटी (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:**

लागू नहीं।

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण जिसमें परम्परागत ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है



6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण :

क्रम सं.	सीएसआर अनुदान का प्रयोजन	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लाभार्थियों का %
1	तीन राज्यों के 15 गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना।	10,000	100%
2	संस्थान को 'विकृति सुधार के लिए आरईसी उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में स्थापित करने के लिए एसवीएनआईआरटीएआर में भवन का निर्माण।	2,000	100%
3	सिविल अस्पताल के ओपीडी भवन एवं स्त्री रोग भवन में एलिवेटर रूम का निर्माण एवं एलिवेटर की स्थापना।	2,000	100%
4	कुछ अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और प्रसूति ब्लॉक का निर्माण और सुसज्जित करके कुछ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।	50,000	100%
5	श्रावस्ती जिले में 275 हैण्डपम्पों को लगाया जाना।	2,750	100%
6	इलाहाबाद जिले में 250 हैण्डपम्पों को लगाया जाना।	2,500	100%
7	रीवा में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल (एक सरकारी अस्पताल) का निर्माण और नवीनीकरण (खर्च नहीं की गई राशि वापस की गई)।	1,00,000	100%
8	कुंभ मेला स्थल और भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 जल एटीएम मशीनों को लगाए जाने के लिए सहायता।	10,000	100%
9	मणिपुर के उखरुल जिले में थिंगांगपोकपी से लाइकोइचिंग तक 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण।	10,000	100%
10	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत झुग्गी-झोपड़ी की सफाई-पेयजल, स्वच्छता, शौचालय, आईसीसी अभियान आदि सुनिश्चित करने के लिए एक झुग्गी बस्ती को गोद लेना।	500	100%
11	किफायती सैनिटरी नैपकिन के निर्माण के लिए प्रशिक्षण और ग्रामीण लड़कियों/किशोरियों/महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता उत्पन्न करना।	1,000	100%
12	नर्सिंग प्रशिक्षण, जिला अस्पताल में बुनियादी ढांचे के लिए सहायता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को सशक्त बनाना, जनरेटर की खरीद, बुनियादी ढांचे का विकास आदि द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना।	10,000	100%
13	चिकित्सा विभाग के लिए स्टाफ क्वार्टर और शिक्षकों के लिए मॉड्यूलर पूर्वनिर्मित आवास (क्वार्टर) का निर्माण/विस्तार।	10,000	100%
14	200 आंगनवाड़ी केंद्रों/प्राथमिक विद्यालयों में ओवरहेड स्टोरेज टैंक और इलेक्ट्रिकल पंप के साथ 200 रिवर्स ऑस्मोसिस जल उपचार संयंत्रों की स्थापना करना।	9,000	100%
15	एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी), टाटा मेमोरियल सेंटर में सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण।	10,000	100%
16	वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों/निर्माण/सब स्टेशनों पर लगे उनके परिवार के सदस्यों, गरीब लोगों, दिहाड़ी मजदूरों आदि को भोजन उपलब्ध कराना।	लागू नहीं	लागू नहीं
17	देश भर में विशेष रूप से दिव्यांगजनों को 3400 इमदादों और उपकरणों का वितरण करना।	3,400	100%
18	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) में ब्लड बैंक उपकरण/वस्तुओं की खरीद, स्थापना और चालू किया जाना।	5,000	100%
19	देश के विभिन्न जिलों में 25 स्थानों पर शिविर आयोजित करके दिव्यांगजनों को लगभग 9,000 इमदाद और सहायक उपकरणों का वितरण।	9,000	100%



क्रम सं.	सीएसआर अनुदान का प्रयोजन	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लाभार्थियों का %
20	विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा उपकरण, एम्बुलेंस, एयर कंडीशनर, आरओ वॉटर प्लांट, जनरेटर सेट, लैपटॉप, प्रोजेक्टर और कार्यालय कुर्सियाँ प्रदान करके स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना।	1,000	100%
21	बिहार के 14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करना।	1,00,000	100%
22	आरईसी सीएसआर सहायता के तहत सरकारी स्कूलों में निर्मित 132 शौचालयों की मरम्मत।	4,000	100%
23	140 बिस्तरों वाले घर का निर्माण (आनंदम का ब्लॉक-बी और पार्ट ब्लॉक-सी) - बेघर बीमार, निराश्रित, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए एक घर।	140	100%
24	50 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की मरम्मत और 1,125 एडब्ल्यूसी में खाद्यान्न भंडारण के लिए कंटेनर, एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना और प्रसवपूर्व देखभाल कार्नर की स्थापना करना।	18,000	100%
25	डिजिटल सब्सक्रिप्शन एंजियोग्राफी मशीन की खरीद, स्थापना और चालू किया जाना।	100	100%
26	सिविल अस्पताल, डलहौजी में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और डीजी सेट की स्थापना।	200	100%
27	न्यूरो नेविगेशन (क्रैनियल + स्पाइनल) मशीन की खरीद, स्थापना और चालू किया जाना।	200	100%
28	2 विद्युत सह गैस संचालित (हाइब्रिड) शवदाह गृह की स्थापना।	200	100%
29	चिकित्सा उपकरणों की खरीद से जिला अस्पताल, मोन का उन्नयन।	2,000	100%
30	सरकारी चरक हॉस्पिटल, उज्जैन में ऑक्सीजन वेंटिलेटर, एएलएस एम्बुलेंस और आईसीयू रोगियों के बेडों की स्थापना।	2,000	100%
31	जिला अस्पताल में बाल चिकित्सा एवं नवजात शिशु खंड के लिए 10 बिस्तरों वाले आईसीयू की स्थापना, 20 बिस्तरों वाली सेवा के लिए चिकित्सा उपकरण।	2,000	100%
32	नये जिला अस्पताल में 32 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की खरीद, स्थापना और चालू किया जाना।	500	100%
33	सरदार पटेल (एसपी) मेडिकल कॉलेज, प्रिंस बिजय सिंह मेमोरियल (पीबीएम) अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए यूरो साइंस सेंटर का उन्नयन।	200	100%
34	समुदायों को सशक्त बनाकर सर्वाइकल कैंसर की जांच में सुधार।	4,000	100%
35	आरईसी द्वारा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के तहत 2014-15 के दौरान निर्मित 12,347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत।	4,00,000	100%
36	मैसूर (कर्नाटक) और बरेली (उत्तर प्रदेश) की शहरी स्लम बस्तियों में लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) की व्यापकता को कम करना।	200	100%
37	बी.के. सिविल अस्पताल, फ़रीदाबाद में स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना।	5,000	100%
38	मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के आदिवासी इलाकों में चलाई जाने वाली 15 एंबुलेंस की खरीद।	5,000	100%
39	7 छठ घाटों और उसके आसपास साफ-सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार और कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित करना।	100	100%
40	जिला अस्पताल में 20 बिस्तरों वाली आईसीयू सुविधा एवं जिला अस्पताल में मल्टी गैस पाइपलाइन सुविधा की स्थापना।	200	100%
41	कैम्पटी कैट बोर्ड अस्पताल में विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की स्थापना।	500	100%
42	अलवर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।	2,000	100%
43	मनोरोग पुनर्वास सेवाओं का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण।	1,000	100%



क्रम सं.	सीएसआर अनुदान का प्रयोजन	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लाभार्थियों का %
44	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिकों की खरीद, संचालन और रखरखाव।	5,000	100%
45	भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में 17-18 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन।	1,400	100%
46	गुरदासपुर, अमृतसर, फ़िरोज़पुर और अमोर में बीएसएफ सैनिकों के कार्यस्थल पर 500 शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	5,000	N/A
47	दिव्यांगजनों को 4300 इमदाद और सहायक उपकरण प्रदान करना।	4,300	100%
48	जिला अस्पताल में 100 बिस्तरों वाले 'आरईसी विश्राम सदन' (जी+3) का निर्माण।	100	100%
49	पीएम केयर्स फंड में योगदान।	लागू नहीं	लागू नहीं
50	एसएसएमआई स्कूल के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार।	550	100%
51	24 सरकारी स्कूलों में परिसर की चाहरदीवारों का निर्माण और गेट उपलब्ध कराना।	1,200	100%
52	1,800 छात्रों और 150 शिक्षकों को वैचारिक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से युवा नवप्रवर्तकों को तैयार करना।	1,800	100%
53	प्रोजेक्टर, पानी की सुविधा, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड और मार्कर, स्कूलों और छात्रावासों में बुनियादी ढांचे को सहायता, विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार आदि प्रदान करके स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना।	3,000	100%
54	सरकारी स्कूलों में उपकरण प्रदान करके, शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर, महिला साक्षरता बढ़ा कर, पीने का पानी उपलब्ध कराने आदि द्वारा स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना।	5,000	100%
55	15 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, 1 सरकारी माध्यमिक विद्यालय और 1 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत, कक्षाओं का नवीनीकरण, रसोई, चाहरदीवारी को फिर से डिजाइन करना, बिजली के तार लगा/इंटरनेट प्रदान करके, वाटर कूलर, अलमारियाँ, कटलरी की खरीद कक्षा को स्मार्ट क्लास रूम में बदल कर, खेल उपकरण, स्कूल पुस्तकालय, विज्ञान/गणित प्रयोगशाला आदि प्रदान करते हुए बुनियादी ढांचे को उन्नत करके स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना।	3,000	100%
56	प्रयोगशाला उपकरण प्रदान करके विज्ञान और कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना, 7 सरकारी स्कूलों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण प्रदान करना और बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण, 60 सरकारी स्कूलों में 60 क्लास रूम को डिजिटल क्लास रूम में बदल कर उनका रूपांतरण करना, और 43 सरकारी स्कूलों में 50 एलपीएच रिवर्स ऑस्मोसिस जल शोधन प्रणाली की स्थापना करना।	2,200	100%
57	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस/वंचित वर्ग के 1,100 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण।	1,100	100%
58	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1,000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण।	1,000	100%
59	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु उपकरण किट का वितरण।	500	100%
60	स्कूल पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला को सुदृढ़ करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेले का आयोजन, गणित शिक्षकों की भर्ती, स्मार्ट क्लास प्रदान करना, छात्रावास का नवीनीकरण, फर्नीचर प्रदान करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण और शिक्षकों और छात्रों के संपर्क भ्रमण आदि के माध्यम से पश्चिम सिक्किम में स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना।	5,000	100%
61	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभागार का निर्माण।	250	100%



क्रम सं.	सीएसआर अनुदान का प्रयोजन	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लाभार्थियों का %
62	विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस से संबंधित 2,500 लोगों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	2,500	100%
63	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित 360 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	360	100%
64	प्रदर्शन वैन और स्मार्ट शिक्षण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।	3,000	100%
65	मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक भवन में अग्रिशमन उपकरण उपलब्ध कराना।	500	100%
66	गुरुग्राम, हरियाणा एवं हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्रवासी निर्माण श्रमिकों के 462 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल स्कूल का संचालन।	462	100%
67	पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए फर्नीचर, फिक्स्चर, लैंडस्केपिंग, बाहरी प्रकाश व्यवस्था और पहुंच मार्ग के साथ 2 हॉस्टल टावर (जी+8) का निर्माण और स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के तहत ग्रिड से जुड़ी 100 किलोवाट रूफ टॉप सौर पीवी पैनल की स्थापना।	लागू नहीं	लागू नहीं
68	केलवाड़ा (कुंभलगढ़) गांव में अनुसूचित जनजाति/समाज के कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास भवन का निर्माण।	100	100%
69	संबलपुर विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर 0.25 मेगावाट एसपीवी प्रणाली और एलईडी लाइट की स्थापना।	200	100%
70	स्मार्टग्राम परियोजना के तहत सोलर रूफ-टॉप पावर पैनल और माइक्रो ग्रिड की स्थापना।	5,000	100%
71	भारतीय जनजातियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईटीआईआई) में 50केडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े सौर पीवी की स्थापना।	50	100%
72	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 1 मेगावाटपी एसएसपी प्रणाली की स्थापना।	800	100%
73	ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 1650 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करना।	10,000	100%
74	जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	500	60%
75	रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) के साथ 12 वाट की 500 सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली की स्थापना।	3,000	100%
76	स्वच्छ गंगा कोष में योगदान।	लागू नहीं	लागू नहीं
77	कुओं को गहरा करने, चेक डैम के नवीनीकरण एवं निर्माण तथा चिकित्सा शिविरों के आयोजन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास।	500	100%
78	उखरुल जिले के सोमदल गांव में बहुउद्देशीय हॉल सह इनडोर स्टेडियम का निर्माण।	100	100%
79	ग्रामीण विकास कार्य जैसे सामुदायिक भवन, पीसीसी सड़क, नाली, यात्री शेड का निर्माण, एलईडी लाइट, आरओ प्लांट आदि की स्थापना।	10,000	100%
80	3 गांवों में शौचालय परिसर सहित 3 सामुदायिक केंद्र का निर्माण।	300	100%
81	बूंदी के पाटन एवं नैनवा ब्लॉक के 4 गांवों में 4 सामुदायिक भवन/केन्द्र का निर्माण।	400	100%
82	असुफी पुनानामेई माओ में सामुदायिक हॉल का निर्माण।	100	100%
83	बुजुर्गों की देखभाल के लिए वेलनेस सुविधा (60 सीटर) के साथ आश्रय गृह का निर्माण एवं संचालन।	60	100%
84	आरईसी मोटरस्पोर्ट्स रेस ट्रैक और खेल परिसर का निर्माण।	100	100%
85	भारत में खेलों का व्यापक आधार बनाना और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।	2,500	100%



सिद्धांत 9: कारोबारों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें एहमियत देनी चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता की शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें।**
2. **उन सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनके बारे में जानकारी है:**

	कुल टर्नओवर प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार परिपाटी	100%
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

कंपनी के उत्पाद मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र के लिए ऋण हैं और इसलिए, प्रत्येक मामले में ऋण दस्तावेज में आवश्यक नियम और शर्तें और अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी खंड आदि शामिल हैं।

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	वित्त वर्ष 2022-23		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 2021-22		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा निजता	-	-		-	-	-
विज्ञापन देना	-	-		-	-	-
साइबर सुरक्षा	-	-		-	-	-
आवश्यक सेवाओं का वितरण	-	-		-	-	-
प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार	-	-		-	-	-
अनुचित व्यापार व्यवहार	-	-		-	-	-
अन्य: उपभोक्ता मामले	1	0	उपभोक्ता द्वारा इसे वापस ले लिए जाने का कारण उक्त मामला निस्तारित दिया गया	4	3	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4 उपभोक्ता मामले प्राप्त हुए, जिनमें से निवेशकों द्वारा दायर 3 मामले समाधान के लिए लंबित हैं

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:**

लागू नहीं।

	संख्या	रिकॉल के कारण
स्वैच्छिक रिकॉल	-	-
फ़ोर्स रिकॉल	-	-

5. **क्या एंटीटी के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।**

कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जो अनिवार्य रूप से साइबर सुरक्षा और संबंधित पहलुओं को शामिल करती है। पॉलिसी कंपनी का आंतरिक दस्तावेज है जो इसके इंटरनेट पर उपलब्ध है।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण**

प्रदान करें; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई अर्थदंड /कार्रवाई।

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफॉर्म जहाँ एंटीटी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

आरईसी राज्य बिजली उपयोगिताओं, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बिजली डेवलपर्स को वित्त पोषण करके, उत्पादन, पारेषण और वितरण में बिजली के बुनियादी ढांचे की स्थापना, परिचालन दक्षता को बढ़ाने और नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों को लागू करने के लिए संपूर्ण बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ग्राहकों के लिए उत्पाद पोर्टफोलियो, ब्याज दरें और संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/financial-products> पर उपलब्ध है।

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ आरईसी की संपूर्ण भारत में उपस्थिति है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में, मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक (सीपीएम) राज्य में सभी उधारकर्ताओं के लिए और कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं पर किसी भी समस्या के लिए एकमात्र संपर्क बिंदु है। क्षेत्रीय कार्यालयों/सीपीएम के संपर्क विवरण <https://recindia.nic.in/contact> पर उपलब्ध हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट <https://recindia.nic.in/financial-products> पर उपभोक्ता जागरूकता साहित्य को भी प्रदर्शित किया है।

आरईसी ने चार प्रमुख आयामों (परिचालन विश्वसनीयता; कनेक्शन और अन्य सेवाएं; मीटरिंग, बिलिंग, संग्रह से जुड़ी सेवाएं; खराबी को ठीक करना और शिकायत निवारण) के आधार पर डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग विकसित की थी जो उपभोक्ता सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए केंद्र में हैं। यह डिस्कॉम को विभिन्न सेवा मापदंडों में अपने प्रदर्शन का आत्मनिरीक्षण करने, साथी डिस्कॉम के साथ तुलनात्मक प्रदर्शन मूल्यांकन करने और सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम करेगा। उपभोक्ता सेवा सूचकांक के मुख्य उद्देश्य हैं:

- विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से संबंधित मानदंडों का न्यूनतम सेट तैयार करना
- कुछ समय में इन पहलुओं में डिस्कॉम का कार्यनिष्पादन ट्रैक करना
- उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए डिस्कॉम के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना
- डिस्कॉम को अंतराल क्षेत्रों का आकलन करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और परस्पर शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना।

इसके अलावा, आरईसी के पास एक आंतरिक प्रशिक्षण संस्था आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), है जो देश भर में और उसके बाहर बिजली क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और विकास की जरूरतों को पूरा करता है। आरईसीआईपीएमटी विद्युत सुरक्षा, डिस्कॉम के प्रदर्शन में तकनीकी वाणिज्यिक सुधार, बिजली उपयोगिताओं की स्थिरता आदि सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है।

वितरण क्षेत्र में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, आरईसी ने ऊर्जा वितरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग के उपयोग को सक्षम करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। प्रायोगिक परियोजनाओं को आईआईटी और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

3. **उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं के बाधित/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए क्या कोई तंत्र मौजूद है।**

आरईसी ने अपने डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस के लिए बिजनेस निरंतरता और आपदा रिकवरी योजना लागू की है और जो आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित भी है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") ने ऊर्जा मित्र ऐप को लागू किया है, जो राज्य बिजली वितरण उपयोगिताओं के लिए एक केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना मंच प्रदान करता है। एसएमएस, ईमेल या पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की जानकारी प्रसारित करता है।

4. **क्या एंटीटी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के बारे में उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हाँ/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण दें। क्या आपकी एंटीटी ने एंटीटी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, एंटीटी के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से एंटीटी से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हाँ/नहीं)**

कंपनी वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने वाली एक एनबीएफसी है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऋण समझौतों और दस्तावेज़ीकरण; और कॉर्पोरेट वेबसाइट <https://recindia.nic.in/financial-products> के माध्यम से अपने उधारकर्ताओं को पर्याप्त प्रकटीकरण किया जाता है।

एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी आरबीआई द्वारा अनिवार्य उचित व्यवहार संहिता का भी पालन करती है, जो ऋण के लिए आवेदन और उनके प्रसंस्करण, ऋण स्वीकृति, संवितरण, वितरण के बाद पर्यवेक्षण और शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित मामलों में उधारकर्ताओं के साथ पालन की जाने वाली उचित उधार कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है। उचित व्यवहार संहिता <https://recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf> पर उपलब्ध है।

निगम, ऋण संव्यवहार के विभिन्न चरणों जैसे कि ऋण आवेदन, अनुमोदन, संवितरण और समापन के समय अपने उधारकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए निरंतर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करता है। इस फीडबैक का उपयोग प्रणालियों, प्रक्रियाओं में सुधार लाने और स्टाफ के प्रशिक्षण और विकास पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। आरईसी ने भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय, हैदराबाद के माध्यम से देश भर में अपने सम्मानित ग्राहकों का ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2022 किया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की विद्युत संस्थाएं और पावर स्पेस में निजी खिलाड़ी शामिल हैं। सर्वेक्षण का समग्र ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) स्कोर 80% था, जो आरईसी द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रदान की जा रही ग्राहक अनुकूल सेवाओं में विश्वास और भरोसे को दर्शाता है।

5. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क. प्रभाव के साथ-साथ डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऐसे मामले शून्य थे।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से


विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 11 अगस्त, 2023

कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट का अनुलग्नक

पी1	कारोबार का व्यवहार एवं प्रचालन, नैतिकता, पारदर्शिता एवं दायित्व के साथ स्वयं किया जाना चाहिए। आरईसी अपनी कारोबारिक गतिविधियों को नैतिकता, पारदर्शिता और दायित्व के लिए अत्यधिक महत्व के साथ संचालित करता है। इस संबंध में बनाई गई विभिन्न नीतियों, संहिताओं और नियमों में शामिल हैं:- <table> <tr> <th>नीति का नाम</th><th>वेबलंक</th></tr> <tr> <td>निगमित सुशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश</td><td>https://recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf</td></tr> <tr> <td>धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति</td><td>https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC-13082020.pdf</td></tr> <tr> <td>व्हिसल ब्लोअर नीति</td><td>https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf</td></tr> <tr> <td>कारोबार आचार संहिता और नीतिशास्त्र</td><td>https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf</td></tr> <tr> <td>उचित व्यवहार संहिता</td><td>https://recindia.nic.in/uploads/files/co-cs-fair-practic-code-dt020523.pdf</td></tr> <tr> <td>संबंधित पक्षकार लेनदेन की वास्तविकता और संबंधित पक्षकार लेनदेन से निपटने पर नीति।</td><td>https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-on-related-party-transactions-dealing-with-rpt-dt230719.pdf</td></tr> <tr> <td>आचार संहिता का विनियमन, मॉनिटरिंग तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके तत्काल निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए रिपोर्टिंग</td><td>https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf</td></tr> <tr> <td>निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड से संबंधित नीति</td><td>https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf</td></tr> </table> उपरोक्त के अलावा, अन्य नीतियां और नियम हैं, जो कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं और कंपनी के इंटरनेट पर कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।	नीति का नाम	वेबलंक	निगमित सुशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश	https://recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf	धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC-13082020.pdf	व्हिसल ब्लोअर नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf	कारोबार आचार संहिता और नीतिशास्त्र	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf	उचित व्यवहार संहिता	https://recindia.nic.in/uploads/files/co-cs-fair-practic-code-dt020523.pdf	संबंधित पक्षकार लेनदेन की वास्तविकता और संबंधित पक्षकार लेनदेन से निपटने पर नीति।	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-on-related-party-transactions-dealing-with-rpt-dt230719.pdf	आचार संहिता का विनियमन, मॉनिटरिंग तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके तत्काल निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए रिपोर्टिंग	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf	निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड से संबंधित नीति	https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf
नीति का नाम	वेबलंक																		
निगमित सुशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश	https://recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf																		
धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC-13082020.pdf																		
व्हिसल ब्लोअर नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf																		
कारोबार आचार संहिता और नीतिशास्त्र	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf																		
उचित व्यवहार संहिता	https://recindia.nic.in/uploads/files/co-cs-fair-practic-code-dt020523.pdf																		
संबंधित पक्षकार लेनदेन की वास्तविकता और संबंधित पक्षकार लेनदेन से निपटने पर नीति।	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-on-related-party-transactions-dealing-with-rpt-dt230719.pdf																		
आचार संहिता का विनियमन, मॉनिटरिंग तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके तत्काल निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए रिपोर्टिंग	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf																		
निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड से संबंधित नीति	https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf																		
पी2	कारोबार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कारवाई जानी चाहिए, जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके उपयोग्यता क्रम में संधारणीयता को योगदान प्राप्त हो। कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति करती है, जिसमें पर्यावरणीय, संधारणीयता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण शामिल हैं। कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का विवरण https://www.recindia.nic.in/financial-products पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कंपनी की सीएसआर नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।																		
पी3	कारोबार के सभी कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कंपनी ने सामान्य कानूनों और विनियमों तथा सशक्त नैतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप विभिन्न कर्मचारी अभिमुखी नीतियां अपनाई हैं। ऐसी नीतियां सामान्यतः निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की जाती हैं और इंटरनेट पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए आसान हैं।																		
पी4	कारोबार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक हितधारक, विशेषतः वे जो सुविधाहीन, अतिसर्वेदनशील एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए। कंपनी अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करती है, जिसमें वंचित, अतिसर्वेदनशील और सीमांत तबका शामिल हैं। कंपनी निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में काम करती है। सीएसआर नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।																		
पी5	कारोबार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आरईसी हर तरह से मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करता है। कंपनी के पास निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक कारोबारिक आचरण और आचार संहिता (कोड) है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इससे बचाव के लिए भी किसी भी आधार पर भेदभाव की रोकथाम के लिए प्रबंधन सदस्यों पर नैतिक अनिवार्यता है। यह संहिता (कोड) https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है।																		
पी6	कारोबार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुनः बहाली के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। विद्युत क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग बढ़ा रही है। आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा हेतु वित्तपोषण मानक https://www.recindia.nic.in/renewables पर उपलब्ध हैं।																		
पी7	कारोबार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायित्व स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। विद्युत क्षेत्र का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान होने के नाते, आरईसी सार्वजनिक और नियामक नीति से संबंधित मामलों में एक सक्रिय और जिम्मेदार पूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापक रूप से आरईसी की जनता के साथ होने वाली चर्चा को आरईसी के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से देखा जा सकता है।																		
पी8	कारोबार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं समान विकास में सहायता दी जानी चाहिए। आरईसी के पास अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और समान विकास में सहायता के लिए विभिन्न नीतियां हैं जिसमें एमएसएमई सार्वजनिक खरीद की नीति (https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Public_Procurement_Policy.pdf), अपने कर्मचारियों के लिए समान अवसर की नीति (आरईसी इंटरनेट पर उपलब्ध), हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षण ऋण की दरें (https://www.recindia.nic.in/renewables) और सीएसआर नीति भी (https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf) उपलब्ध है।																		
पी9	कारोबार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायित्व स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। आरईसी के पास उपभोक्ता मूल्य बोर्ड से अनुमोदित एक "उचित व्यवहार संहिता" है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी द्वारा अपने ऋण प्रचालनों में ग्राहकों के साथ संपर्क करते समय उचित और पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। यह कोड https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf पर उपलब्ध है।																		

सभी नीतियों और प्रक्रियाओं की समय-समय पर निदेशक मण्डल/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है।



निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-IV

एकीकृत रिपोर्ट

एकीकृत रिपोर्ट, बाह्य परिवेश, जिससे अल्पावधि, मध्यम-अवधि और दीर्घावधि में मूल्य सृजन होता है, के संदर्भ में किसी संगठन की कार्यनीति, सुशासन, प्रदर्शन और अपेक्षाओं के संबंध में एक संक्षिप्त संचार है। यह किसी संगठन द्वारा प्रयुक्त और प्रभावित संसाधनों और संबंधों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और इसमें किसी संगठन द्वारा समय के साथ मूल्यों के सृजन के तरीकों की व्याख्या भी होती है। एकीकृत रिपोर्ट, वित्तीय पूंजी से परे किसी संस्था द्वारा सृजित मूल्य के समग्र दृष्टिकोण को उजागर करते हुए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणाली में योगदान करके पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करती है। आरईसी ने कारोबारों में दीर्घकालिक निर्णय लेने और योजना बनाने में मार्गदर्शन करने वाली छह पूंजियों के माध्यम से कारोबार प्रकटनों पर निर्भर करते हुए, स्वेच्छा से, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल (आईआईआरसी) के फ्रेमवर्क के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है।

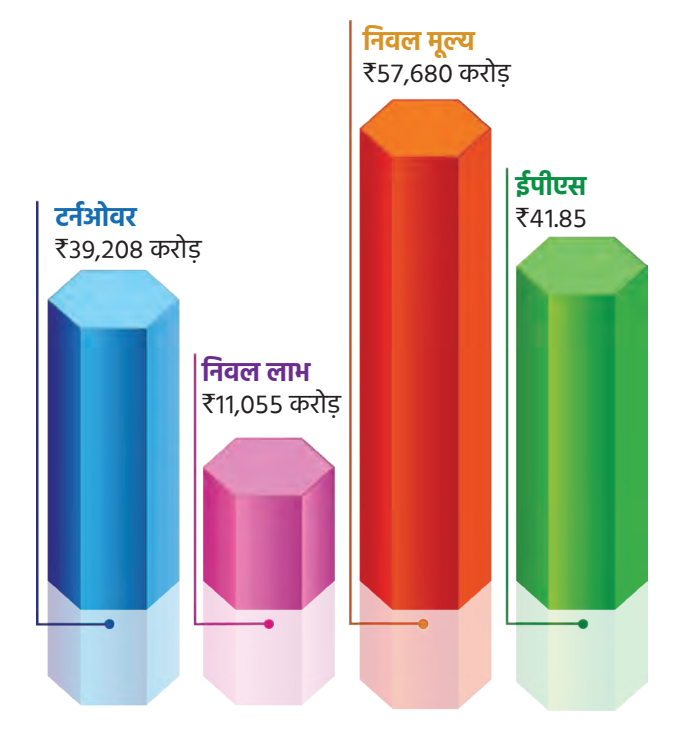


यह कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो नवीकरणीय और साथ ही ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित ऊर्जा क्षेत्र की सरकारी और साथ ही निजी क्षेत्र में भी विभिन्न गतिविधियों के लिए उधार देती है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेरधारकों के अनुमोदन से कंपनी के अधिदेश को विस्तार दिया गया है ताकि हमारे राष्ट्र के त्वरित विकास में योगदान करने के लिए गैर-विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सहायता दी जा सके। आरईसी राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी, परियोजना कार्यान्वयन/प्रबंधन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के नियंत्रण में है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से, कंपनी की अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के पास है। आरईसी के वार्षिक लक्ष्य पीएफसी (पहले विद्युत मंत्रालय के साथ) के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं, जिनका

मूल्यांकन सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्थापित एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए डीपीई, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी का प्रदर्शन डीपीई द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अधीन उत्कृष्ट होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आरईसी की एमओयू रेटिंग 'बहुत अच्छी' रही है, जो मुख्य रूप से स्टॉक मूल्य प्रदर्शन के नए शुरु किए गए मानदंड के कारण है।

आरईसी का अभिशासन फ्रेमवर्क स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कमी को छोड़कर, लागू कानूनों और विनियमों की सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करता है, जिसे कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है। एनबीएफसी होने के नाते कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के विभिन्न दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करती है। कारपोरेट अभिशासन पर आरईसी के आंतरिक दिशानिर्देश, जो इसके गवर्नंस फिलॉसोफी और फ्रेमवर्क को संहिताबद्ध करते हैं, को <https://recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelineson-Corporate-Governance.pdf> पर देखा जा सकता है। आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

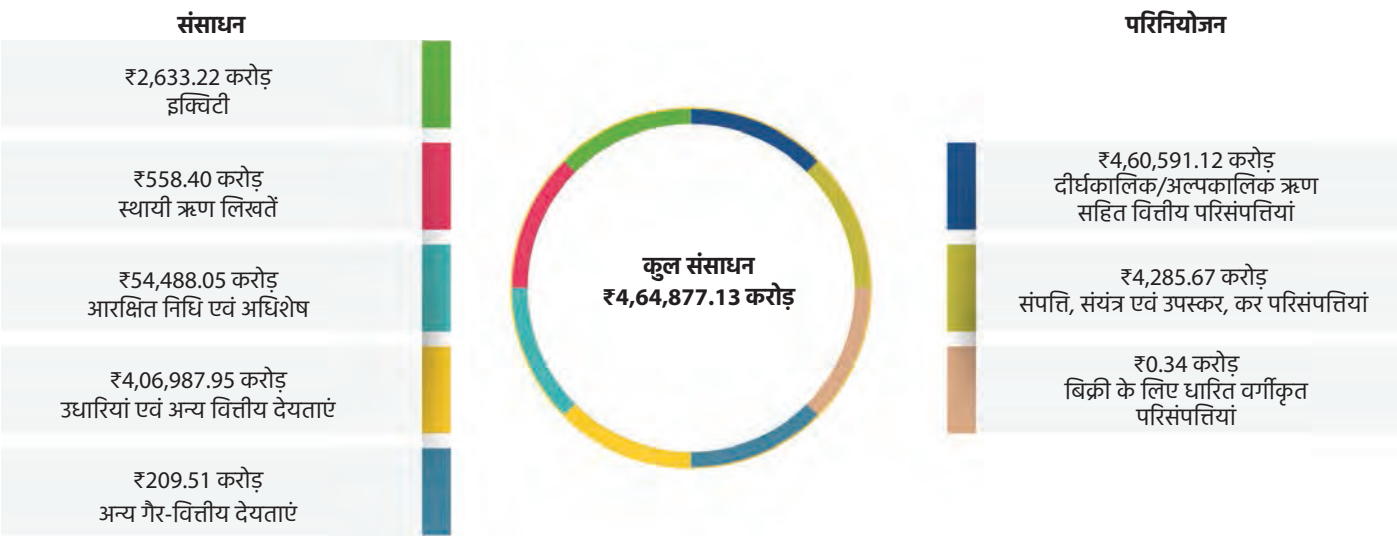


आरईसी का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो के हिस्से को मार्च 2020 तक बढ़ाकर अपनी ऋण बही का लगभग 30% करना है और इसे छह पूंजियों, नामतः वित्तीय पूंजी, विनिर्मित पूंजी, बौद्धिक पूंजी, सामाजिक और संबंध पूंजी, मानव पूंजी और प्राकृतिक पूंजी में निवेश के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिसे आगे वर्णित किया गया है।

वित्तीय पूंजी

आरईसी के संबंध में वित्तीय पूंजी का संबंध इसकी सेवाओं के प्रावधान में उपयोग के लिए उपलब्ध निधियों के भाग से है, अर्थात्, विद्युत तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को ऋण देना।

31 मार्च, 2023 को कंपनी के कुल संसाधन ₹ 4,64,877.13 करोड़ के थे और इनका अलग-अलग विवरण निम्नानुसार है:



कंपनी के कारोबार की प्रकृति को देखते हुए संस्थागत बॉण्ड, विदेशी मुद्रा उधार, एफसीएनआर (बी) ऋण, पूंजीगत लाभ बॉण्ड, कर मुक्त बॉण्ड, इन्फ्रा बॉण्ड, कमरिशियल पेपर तथा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय एजेंसियों से लिए गए ऋण सहित उधार निधि का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाना, कारोबार के वित्तपोषण में लाभप्रदता का आधार होता है। आरईसी लगातार प्रतिस्पर्धी दरों पर निधि जुटा रही है। 31 मार्च 2023 को बकाया उधार के लिए समग्र भारत औसत वार्षिक निधि लागत 7.28% थी। आरईसी को अपने घरेलू ऋण लिखतों के लिए क्रिसिल, सीएआरई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए से 'एएए' रेटिंग और मूडीज और एफआईटीसीएच से क्रमशः 'बीएएउ' और 'बीबीबी'- की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग भी प्राप्त है, जो भारत की सरकारी रेटिंग के समतुल्य है। इन संसाधनों का अभिनियोजन मुख्य रूप से कंपनी द्वारा स्वीकृत ऋणों के रूप में ऊर्जा और इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया जाता है। 31 मार्च 2023 तक, आरईसी के ऋण पोर्टफोलियो को उत्पादन परियोजनाओं में 39%, पारेषण परियोजनाओं में 11%, वितरण परियोजनाओं में 37%, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 7% और एसटीएल/आरबीपीएफ में 6% के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

इसके अलावा, आरईसी के ऋण पोर्टफोलियो का 90% राज्य क्षेत्र की योजनाओं/परियोजनाओं में और 10% निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में है। आरईसी की गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियां (एनपीए) उद्योग में सबसे कम हैं। अपनी वित्तीय पूंजी के माध्यम से, आरईसी न केवल अपने शेयरधारकों और निवेशकों के लिए मूल्य सृजन करने में बल्कि देश के समग्र विकास के लिए भी सक्षम रहा है। आरईसी ने अपनी लाभप्रदता को बनाए रखा है और अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है।

विनिर्मित पूंजी

एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है। तथापि, कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है। इसके अलावा, इसने इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी वित्तपोषण करना शुरू कर दिया था और पहले वर्ष के दौरान ही कंपनी ने विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए ₹ 85,700 करोड़ से अधिक की राशि संस्वीकृत की है। औद्योगिक गतिविधि, सेवा क्षेत्र के साथ-साथ आम आदमी के दैनिक जीवन में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण इनपुट होने के कारण, आरईसी का योगदान देश भर में विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण निर्माण में निहित है।

इसकी प्रकृति के कारण, आरईसी की परिसंपत्तियों का उपयोग आईटी और संचार इन्फ्रास्ट्रक्चर और कार्यालय आपूर्ति तक सीमित है। इसके अलावा, सभी भौतिक आवश्यकताएं कंपनी के खरीद दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त की जाती हैं, जिसमें जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल भी शामिल है।

कंपनी उन्नत विशेषताओं वाले उन्नत कारोबारी ईआरपी का उपयोग करती है और ईआरपी प्रणाली को कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार लगातार बेहतर किया जाता है। ईआरपी हार्डवेयर को आरईसी डेटासेंटर में निजी क्लाउड वातावरण में माइग्रेट किया गया है। कंपनी ने परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों को नया रूप दिया है। सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क के निर्बाध परिचालन के लिए महत्वपूर्ण कारोबारी एप्लिकेशनों के लिए रिमोट लोकेशन एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। आरईसी का प्राइमरी डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर आईएसओ/आईईसी 27001: 2013 प्रमाणित है और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन करता है। आरईसी ने एनबीएफसी के लिए निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक के आईटी सुरक्षा निर्देशों को भी लागू किया है। कंपनी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के बीच 'ई-ऑफिस' प्रणाली अपनाने वाली कंपनियों में से एक थी, जो पेपरलेस कार्य की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा, कंपनी की वेबसाइट उपयोगकर्ता के अनुकूल, गतिशील, संवादपूर्ण, एसटीक्यूसी प्रमाणित है और भारतीय सरकारी वेबसाइट के लिए दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) का अनुपालन करती है।

बौद्धिक पूंजी

कंपनी ने बेहतर ई-गवर्नेंस प्राप्त करने के लिए अपनी आईटी पहलों के हिस्से के रूप में कई आंतरिक विकसित प्रणालियों का उपयोग किया हैं। इसके अलावा, कंपनी ने कॉर्पोरेट नेटवर्क के बाहर गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से रोकने के लिए डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर में डेटा लीकेज एंड प्रिवेंशन (डीएलपी) सिस्टम लागू किया है। 1979 से, आरईसी का अपना एक प्रशिक्षण संस्थान है, अर्थात आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), जो तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में ऊर्जा क्षेत्र के मानव संसाधनों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विद्युत मंत्रालय और विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र संगठनों द्वारा आरईसीआईपीएमटी की सेवाएं ली गई हैं। आरईसीआईपीएमटी, विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।



वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी क्लासरूम और वेबिनार (ऑनलाइन) मोड के माध्यम से 4,854 कार्मिकों के लिए 15,371 मानव दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

मानव पूंजी

आरईसी के पास अनुकूल संस्कृति और सहायक परिवेश के साथ पेशेवर रूप से योग्य, अनुभवी और कुशल कार्यबल है, जो न केवल इसकी मानव पूंजी को प्रेरित करता है बल्कि इसे कंपनी के साथ बनाए रखने में मदद करता है। मानव संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंपनी में एक मजबूत प्रणाली है। मानव संसाधन को शुरू से ही संगठन के मिशन और नीतिगत ढांचे के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है। कार्य के दौरान भी, विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल और कारोबारिक कुशाग्रता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आरईसी के मानव संसाधन का भंडार, विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधित्व के साथ विविधरूपी है। आरईसी विभिन्न पहलों और नीतियों के माध्यम से अपनी महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाता है; और एक लाभकारी कार्य परिवेश, जो इसे अपने कर्मचारियों को पेशेवरों और विशिष्ट-व्यक्तियों के रूप में विकसित होने के लिए अनुकूल बनाता है, को बढ़ावा देते हुए, लैंगिक समानता की दिशा में प्रयास करता है। कल्याण उन्मुख नीतियों के माध्यम से कार्य जीवन संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, निवारक स्वास्थ्य मुद्दों पर समय-समय पर वार्ता आयोजित की जाती है। कंपनी के कर्मचारियों के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक सुसज्जित व्यायामशाला है। कंपनी हमेशा कर्मचारियों को विभिन्न खेल, सांस्कृतिक और साहित्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे उनका समग्र विकास होता है।

सामाजिक और संबंध पूंजी

आरईसी न केवल एक वित्तीय संस्था है, बल्कि एक संगठन है जो भारतीय ऊर्जा क्षेत्र और देश के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है और अब इसने इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी कदम रखा है। भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) तथा अन्य योजनाओं की नोडल एजेंसी होने के नाते कंपनी ने सरकार के सामूहिक विकास कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है।

आरईसी अपनी सीएसआर इकाई, सीएसआर फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी सहायता कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं पर ₹210 करोड़ से अधिक व्यय किया, जिसमें शामिल है - पीएम केयर्स फंड में ₹50 करोड़ का अंशदान, विभिन्न आकांक्षी जिलों का विकास, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, वंचित विद्यार्थियों के लिए अध्ययन और मूलभूत आवश्यकताओं में सहयोग प्रदान करना और बहुउद्देश्यीय सामुदायिक हॉल, विश्वराम सदन और टॉयलेट का निर्माण करना। आरईसी ने पूरे भारत में खेल सुविधाओं के विकास में भी सहयोग किया है, जिसमें बैडमिंटन, मुक्केबाजी और एथलेटिक्स पर जोर दिया गया है।



स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 11 अगस्त, 2023

प्राकृतिक पूंजी

आरईसी हमेशा प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग को कम करके और उसकी बर्बादी को कम करके पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करता है। विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी वित्तपोषण संगठन के रूप में, आरईसी अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में लगातार सुधार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ 6,488 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाली 35 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल ₹ 21,371.11 करोड़ के ऋण मंजूर किए। आज की तारीख तक, आरईसी ने देश के हरित भविष्य में सहायक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के तहत लगभग 18.1 गीगावॉट क्षमता का वित्तपोषण किया है।

आरईसी ने आधिकारिक विकास सहायता-केएफडब्ल्यू-III के अंतर्गत पर्यावरण सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (ईएसआईए) रिपोर्ट तैयार की है जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लागू होती है। यह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों का समाधान करने के लिए आरईसी के लिए रोडमैप के रूप में कार्य करता है।

सरकार के निर्देशों के अनुरूप, आरईसी ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए भी वित्तपोषण कर रही है। इसमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की संस्थापना (एफजीडी), सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपेटर्स (ईएसपी) की संस्थापना शामिल है, जो हानिकारक उत्सर्जन और विभेदक पदार्थ को रोकने में योगदान करते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, आरईसी ने 7 ताप विद्युत परियोजनाओं में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए कुल ₹ 1,647.08 करोड़ की ऋण राशि संस्वीकृत की है।

कंपनी के ईएसजी नीतिगत फ्रेमवर्क में अन्य बातों के साथ-साथ परिचालन, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन से जुड़े निर्णयों में पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार भी शामिल है। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा का वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए, ऋण करार/मंजूरी में पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक (ईएचएसएस) पहलुओं से संबंधित उपयुक्त शर्तों को जोड़ा जा रहा है।

आरईसी ने अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय भवन की छत पर 979 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) का सौर संयंत्र स्थापित किया है। भवन में ऊर्जा की बचत करने वाली विशेषताएं भी हैं जैसे कि एयर कंडीशनिंग के लिए बिजली की खपत को 30% तक कम करने के लिए स्लैब के लिए रेडियंट कूलिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), स्वचालित संवेदक नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था और मोटर ब्लाइंडों के साथ जैव-जलवायु कांच का अग्रभाग। इस संयंत्र ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 13.19 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जो भवन की कुल लोड आवश्यकता का लगभग 50% है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से



विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)



निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-V

प्रपत्र संख्या एमआर-3 सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सदस्य गण,
आरईसी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय
कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने **आरईसी लिमिटेड जिसका सीआईएन: L40101DL1969GOI005095** (इसके बाद “कंपनी” कहा जाएगा) द्वारा अपनाई जा रही अच्छी कारपोरेट पद्धतियों और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इससे हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमें अपनी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार मिला।

लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, व्याख्या और स्पष्टीकरण, प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व अधिपत्रित पर आधारित अपने सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी उल्लिखित करते हैं कि कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र कार्यरत है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने लेखा बही, पेपर्स, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है;

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (“एससीआरए”) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपविधि;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;
- भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (‘सेबी अधिनियम’) के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011;
 - भारत की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 2015;
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कार्मिक हितलाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**
- भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और प्रतिभूतियों के निर्गमन तक क्लाइंट के साथ सम्मान के साथ व्यवहार संबंधी;
- भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2021: **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**
- भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);** तथा
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021।

यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और यह कंपनी विद्युत, लाजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्त प्रदान करने के कारोबार में लगी हुई है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है और प्रमाणित किया गया है, क्षेत्रों/कारोबारों के आधार पर कंपनी के लिए निम्नलिखित कानून विशेष रूप से लागू हैं :

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियम, विनियम एवं अनुदेश।
- लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश।

हमने निम्नलिखित के लिए लागू खंडों/विनियमों की अनुपालना की भी जांच की है :

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।
- सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर)] ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे दिए गए विवरणों को छोड़कर उपर्युक्त अधिनियम, नियमों,

विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है , उपरोक्त उल्लिखित को छोड़कर *कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के संबंध में सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 (1) का अनुपालन नहीं कर रही थी, क्योंकि 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार बोर्ड में पांच स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के सापेक्ष कुल चार स्वतंत्र निदेशक थे।*

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के अनुसार, आरईसी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के



माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी और कंपनी की अपने निदेशक मण्डल में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी का निदेशक मण्डल कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों, जिसमें महिला निदेशक भी शामिल हैं, के समुचित संतुलन के साथ गठित किया गया है, सिवाय इसके कि 31 मार्च, 2023 को कंपनी में उपरोक्त उल्लिखित स्थिति के अनुसार केवल एक स्वतंत्र निदेशक की कमी रह रही थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की संरचना में हुए परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को समुचित रूप से सूचना दी गयी थी। कम से कम सात दिन पूर्व कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी भेजी गई थी (आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा) और बैठक से पूर्व कार्यसूची मद्दों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया मौजूद है।

बोर्ड और/अथवा समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठकों में कार्यवृत्त में बोर्ड की बैठकों और संबंधित समिति की बैठकों के सर्वसम्मति से लिए गए सभी निर्णयों को दर्ज किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा और विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर निदेशक मण्डल की बैठकों में रिकॉर्ड के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों से मुख्य रूप से संबंधित कंपनी में निम्नलिखित विशिष्ट गतिविधियां हुई :

- जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण

तिथि: 5 जून, 2023
स्थान: दिल्ली

के लिए विभिन्न ऋण लिखतें जारी करके दीर्घावधिक/ अल्पावधिक निधि जुटाई है :

क्रम सं.	ऋण लिखतों के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
(क) दीर्घकालिक उधारियां		
1.	54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड्स	12,154.00
2.	संस्थागत बॉण्ड्स/अधीनस्थ बॉण्ड्स	25,545.00
3.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ आवधिक ऋण	22,911.00
4.	विदेशी मुद्रा उधारियां	10,036.00
(ख) अल्पकालिक उधारियां		
5.	एफसीएनआर (बी) ऋण	15,088.00
6.	बैंकों से ऋण (6 महीने की अवधि से अधिक)	1,150.00
	अवधि के दौरान जुटाई गई कुल निधियां	86,884 .00

- कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2018 के प्रावधानों के अनुसरण में और 9 अगस्त 2022 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुरूप प्रत्येक ₹10/- के अनुपात में 65,83,06,000 (पैंसठ करोड़ तिहत्तर लाख) इक्विटी शेयर बोनस शेयर के रूप में आबंटित किए, 3 अर्थात प्रत्येक ₹ 10/- के तीन (3) इक्विटी शेयरों पर प्रत्येक ₹ 10/- का एक नया इक्विटी शेयर।
- आवश्यक अनुमोदनों के बाद, आरईसी लिमिटेड के सहयोग ज्ञापन के उद्देश्य खंड [खंड III (ए)] में एक नया उप-खंड (9) जोड़ा गया है, अर्थात - भारत सरकार द्वारा अनुमत सीमा तक लॉजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना।

कृते हेमंत सिंह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: F6033
प्रेक्टिस प्रमाण पत्र संख्या: 6370
यूडीआईएन: F006033E000457231

इस रिपोर्ट को अनुलग्नक ए के साथ पढ़ा जाए, जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।



अनुलग्नक-क

सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

लेखापरीक्षा के आधार पर हमारा उत्तरदायित्व निम्नलिखित पर अभिमत व्यक्त करना है: कंपनी द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन और अभिलेखों का अनुरक्षण करना। हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएसआई द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों सीएसएस-1 से सीएसएस-4 (सीएसएस) के अनुसार की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि ऑडिटर वैधानिक और का अनुपालन करे विनियामक आवश्यकताओं और योजनाओं को प्राप्त करने के लिए ऑडिट करता है लागू कानूनों के अनुपालन के बारे में उचित आश्वासन और अभिलेखों का रखरखाव करना है।

आंतरिक, वित्तीय सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण और परिचालन नियंत्रण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत बयानी या महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा की योजना ठीक से बनाई गई हो और वह सीएसएस के अनुसार की गई हो।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवालयी रिपोर्ट का रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिपोर्ट पर राय व्यक्त करने की है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयी रिपोर्ट की सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत

आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांच के आधार पर किया गया था किसचिवालयी रिपोर्ट में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखाबहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच यादृच्छिक जांच के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो कोई आश्वासन है और न ही इसकी सक्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./-
हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: F6033
प्रेक्टिस प्रमाण पत्र संख्या: 6370
यूडीआईएन: F006033E000457231

तिथि: 5 जून, 2023
स्थान: दिल्ली



निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक -VI

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 ("सूचीकरण विनियम") (यथा संशोधित) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधक वर्ग का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजी. संख्या: 001135एन

ह/-
नाम - गौरव मित्तल
पदनाम: भागीदार
सदस्यता संख्या: 099387
यूडीआईएन: 23099387BGWDLQ9832

दिनांक: 11 अगस्त, 2023
स्थान: नई दिल्ली

हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 तक, सीपीएसई, 2010 के लिए, स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति को छोड़कर, कंपनी निगमित सुशासन की आवश्यकता के अनुपालन में थी जैसा कि सूचीबद्ध विनियमों और दिशानिर्देशों में निर्धारित है। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी में, सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो प्रशासनिक मंत्रालय, यानी विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और यह कंपनी के नियंत्रण के अधीन नहीं है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभावकारिता का, जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजी. संख्या:
000018एन /एन 500091

ह/-
नाम - अतुल अग्रवाल
पदनाम: भागीदार
सदस्यता संख्या: 092656
यूडीआईएन: 23092656BGVFQD1300



सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाई गई नियमावली के अनुरूप कंपनी की अपनी "निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति" है। कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियमों के अनुपालन में आरईसी सीएसआर नीति में समय-समय पर संशोधन किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा। कंपनी सुनिश्चित करती है कि सीएसआर परियोजनाओं को उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप पूरा किया जाए।

कंपनी यथासंभव संकेंद्रित तरीके से क्रियाकलापों की एक श्रृंखला शुरू करके समुदाय, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करती है। सीएसआर परियोजनाओं का चयन समाज के समावेशी विकास से संबंधित गतिविधियों में किया जाता है, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ('सीएसआर समिति') का गठन किया जाएगा जिसमें तीन अथवा उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें कम से कम एक निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक होगा। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूची VII में निर्धारित क्षेत्रों अथवा विषयों में कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, निगमित उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना और किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना, निदेशक बोर्ड की रिपोर्टें

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-VII

आवधिक रूप से प्रस्तुत करना शामिल है।

आरईसी लिमिटेड एक पंजीकृत सोसायटी 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से अपने सीएसआर क्रियाकलाप करता है। यह फाउंडेशन शासी निकाय द्वारा शासित होता है जिसमें आरईसी लिमिटेड के अधिकारियों को नामित किया जाता है।

सीएसआर परियोजनाएं:

वर्ष के दौरान, सीएसआर परियोजनाओं पर कुल ₹ 190.20 करोड़ की सहायता के साथ 24 सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और ₹ 210.35 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष से ₹ 0.40 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को अग्रेषित करने सहित) अनुमोदित की गई। सहायता को मुख्य तौर पर निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं के लिए निर्देशित किया गया है:

- गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 2 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की खरीद, परिचालन और रखरखाव।
- बिहार के भोजपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक की खरीद, परिचालन और रखरखाव।
- पंजाब के गुरुदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर जिलों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 500 कार्य स्थल पर टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण।
- जिला अस्पताल, उज्जैन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 100 बेड वाले 'आरईसी विश्रम सदन' का निर्माण।
- असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दिव्यांग व्यक्तियों को 4,300 संख्या में सहायता और उपकरण वितरित किए गए।



- विराट हॉस्पिटल, जबलपुर, मध्य प्रदेश में भाभाट्रॉन मल्टी लीफ कोलिमिटर (एमएलसी) रेडियोथेरेपी उपकरण की खरीद और स्थापना।
- 27 सरकारी स्कूलों में पुनर्वर्कित प्लास्टिक कचरे से बने 1000 स्कूल बैचों को उपलब्ध कराना और गुरुग्राम, हरियाणा में जलवायु परिवर्तन और संवहनीयता के लिए 50 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- राजस्थान के सरकारी चाइल्ड केयर संस्थानों में 1000 स्कूल बैच, 1250 बंक बैड, रिसाइकिल्ड (रिसाइकिल्ड) प्लास्टिक कचरे से बनी 5,000 टी-शर्ट उपलब्ध कराना।

- हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) के साथ 500 सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम स्थापित करना।
- आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के दो गांवों में दो बहुउद्देश्यीय सामुदायिक हॉल और मणिपुर के सेनापति जिले के असुफी पुननामी माओ में एक बहुउद्देश्यीय सामुदायिक हॉल का निर्माण।
- कोहिमा विज्ञान महाविद्यालय, जोत्सोमा, नागालैंड में "आरईसी गर्ल्स हॉस्टल" का निर्माण।
- मणिपुर में आठ जिला अस्पताल में द्विन व्यू के साथ 8 अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मशीनों की खरीद और स्थापना।



आरईसी की सीएसआर परियोजना के अंतर्गत स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए जी + 2 स्कूल भवन के निर्माण हेतु ₹2.50 करोड़ की सीएसआर सहायता प्रदान की

2. सीएसआर समिति का गठन:

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसरण में, कंपनी की सीएसआर समिति का गठन किया गया और 31 मार्च 2023 को इसकी संरचना इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	अवधि के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	निदेशक द्वारा भाग ली गई सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	डॉ. मनोज एम. पांडे (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष	10	10
2	श्री अजय चौधुरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	10	10
3	डॉ. गंभीर सिंह (स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य (29 दिसंबर, 2022 तक)	7	7
4	श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (7 जुलाई, 2022 से प्रभावी)	8	8



व्यापक आधार वाले खेलों जैसे बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स और भारत में खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आरईसी ने ₹100 करोड़ की सीएसआर सहायता प्रदान की



आरईसी की सीएसआर परियोजना के अंतर्गत विशेष रूप से सक्षम लोगों को सहायता और उपकरण प्रदान किए गए

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का विवरण दर्शाने वाला वेब-लिंक:

<https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives>

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के आकलन के वेब-लिंक के साथ कार्यपालक सारांश:

22 जनवरी 2021 से प्रभावी सीएसआर संशोधन नियमों के अनुसार, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया गया था, और जो प्रभावी अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरा कर लिया गया है ।

मैसर्स जेनेसिस मैनेजमेंट एंड मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया। नीचे दी गई तालिका में परियोजनाओं के नाम, परियोजनाओं के प्रभाव के प्रमुख परिणाम दिए गए हैं।

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
1	पुणे नगर निगम (पीएमसी) द्वारा दालवी अस्पताल, पुणे, महाराष्ट्र में 1,700 एलपीएम ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट और जनरेटर प्लांट की स्थापना के लिए ₹2.48 करोड़ की मंजूरी दी गई।	क. अस्पताल में निर्बाध रूप से ऑक्सिजन की आपूर्ति की। ख. कोविड के दौरान अस्पताल में लगभग 15,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ग. इस अस्पताल में 170 बेड की क्षमता है। घ. संयंत्र अच्छी तरह से अनुरक्षित है और कार्य करने की स्थिति में है। इस अस्पताल में आक्सीजन की आपूर्ति सीमित नहीं है बल्कि पुणे शहर के अन्य अस्पताल भी इसमें शामिल हैं।
2	इंडियन एसोसिएशन ऑफ मसक्यूलर डिस्ट्रॉफी (आईएमडी) द्वारा हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंटीग्रेटेड मसक्यूलर डिस्ट्रॉफी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर 'मानव मंदिर' (तीसरी मंजिल) के निर्माण के लिए ₹1.10 करोड़ की राशि मंजूर की गई।	क. पेशीय अपविकास (मसक्यूलर डिस्ट्रॉफी) के साथ रह रहे व्यक्तियों के लिए एक ही छत के नीचे केंद्र की स्थापना। ख. भारत में केवल पेशी अपविकास का केंद्र। ग. बोसिया-पैरालिंपिक खेल केंद्र की तीसरी मंजिल पर आयोजित किया जाता है।
3	पश्चिम सिक्किम, सिक्किम में जिला अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम (डीएम, डब्ल्यूएस) द्वारा ₹1.61 करोड़ की राशि प्रदान की गई।	क. जिला अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। ख. सभी उपकरण कार्य करने की स्थिति में थे और जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं प्रदान की गई थीं।

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
4	आंध्र प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एनआरईडीसीएपी) द्वारा गुंटूर, आंध्र प्रदेश में स्थित आचार्य नागार्जुना विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 एमडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की स्थापना के लिए ₹13.24 करोड़ की राशि मंजूर की गई।	क. परिसर में कार्बन फुटप्रिंट में कमी और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता। ख. पूर्व में कई बार विद्युत कटौती हुई जिसके कारण प्रयोग करते समय, परियोजनाओं पर कार्य करते समय व्यवधान आया।
5	चेतन हिमाचल प्रदेश (सीएचपी) द्वारा विजयापुर गांव, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के लिए अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र (तीसरी मंजिल), द्वार के साथ बाउंड्री वॉल और अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र में खेल के मैदान की स्थापना के लिए ₹1.99 करोड़ की राशि मंजूर की गई।	क. बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चिकित्सा और व्यावसायिक पुनर्वास तथा आवासीय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ख. बच्चों को राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संदर्भित किया जाता है। ग. दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड (सीएमओ) द्वारा बेस अस्पताल, पिथौरागढ़, उत्तराखंड में 1000 एलपीएम ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट की स्थापना, 22 ऑक्सिजन कनसेंट्रेटर्स और 200 सेमी फॉलर बेड्स की खरीद के लिए ₹1.75 करोड़ की मंजूरी दी गई।	क. अस्पताल में निर्बाध रूप से ऑक्सिजन की आपूर्ति की। ख. कोविड के दौरान लगभग 1,500 लोगों को भर्ती किया गया और लगभग 250 को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता थी। ग. यह जिले के सबसे बड़े अस्पताल में से एक है। घ. इस अस्पताल में 280 बेड की क्षमता है।
7	आरईसीएफ (सीसीई, एन और डब्ल्यूबी) द्वारा दादरा और नगर हवेली, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन इक्विपमेंट (सीसीई, डी एंड एनएच) की खरीद के लिए ₹1.40 करोड़ की मंजूरी दी गई।	पूरे देश में कोविड के प्रकोप के दौरान कोविड-19 वैक्सीन को संरक्षित रखने के लिए डीएनएच, नागालैंड और पश्चिम बंगाल को कोल्ड चेन उपकरण प्रदान किए गए हैं।
8	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले के पिछड़े जिलों में रक्त बैंक सह प्रशासनिक ब्लॉक के निर्माण और रक्त बैंक उपकरणों के उन्नयन के लिए ₹1.53 करोड़ की राशि मंजूर की गई।	क. घटकों को अलग करने की सुविधाओं के साथ एक पूर्ण विकसित रक्त बैंक स्थापित किया गया है। ख. जरूरतमंद आबादी को सुरक्षित और टिकाऊ रक्त आपूर्ति प्रदान की गई है। ग. शहर में 24 घंटे रक्त बैंक, संक्रमण मुक्त रक्त इकाइयों की उपलब्धता, पैक किए गए आरबीसी, फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स जैसे रक्त घटक। घ. गरीब वर्ग और थेलेसीमिया एवं हीमोफिलिया को निःशुल्क रक्त यूनिट की आपूर्ति।
9	जबलपुर, मध्य प्रदेश में गंभीर रूप से बीमार लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए ब्रह्मर्षि मिशन समिति, जबलपुर द्वारा चलाए जा रहे विराट अस्पताल में रेडियेशन थेरेपी यूनिट के निर्माण के लिए ₹3.10 करोड़ की राशि मंजूर की गई।	क. ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव केयर के एकीकरण के माध्यम से कैंसरग्रस्त और गंभीर रूप से बीमार लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ख. यह संस्था गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करती है। ग. इस अस्पताल में 18 बेड की क्षमता है।
10	नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एंड एग्रोबायोडाइवर्सिटी सोसाइटी (एनईएसएफएस) द्वारा मेघालय और नागालैंड में समुदायों के आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन और ऊर्जा के अंतिम उपयोग के लिए सामुदायिक विकास जागरूकता कार्यक्रम के लिए ₹9.21 करोड़ ।	क. स्वदेशी समुदायों के पोषण और टिकाऊ आजीविका में सुधार लाने के लिए स्वदेशी खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा दिया। ख. परियोजना के बाद इस क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर निर्मित किए जाते हैं। ग. पारंपरिक खेती में समुदाय को वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल प्रदान किया गया और किसानों को केंद्र बिंदु बनाया गया। घ. परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की आय में वृद्धि हुई है।
11	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलआईएमसीओ) द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों को 9,000 सहायक उपकरण वितरित करने के लिए ₹9.83 करोड़ की मंजूरी दी गई।	क. विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों को उनका आत्मविश्वास बहाल करने के लिए सहायता और सहायक उपकरण प्रदान किए गए। ख. विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाकर सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।
12	हरित रोजगार हेतु कौशल परिषद (एससीजीजे) द्वारा हरियाणा के 45 गांवों में राष्ट्रपति भवन की स्मार्ट ग्राम पहल के लिए संवहनीय ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए ₹1.35 करोड़ की मंजूरी दी गई।	क. स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी प्रदान की गई, जो स्व-संवहनीय और कुशल हैं। ख. अधिकांश लाभार्थी खेतिहर मजदूर हैं या वंचित श्रेणियों से संबंधित छोटे-मोटे काम करते हैं।



क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
13	हरियाणा सीएसआर सलाहकार बोर्ड (एचसीएसआरएबी) द्वारा हरियाणा के 5 जिलों-अम्बाला, झज्जर, जींद, कैथल और यमुनानगर में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए 10,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ₹1.19 करोड़ की राशि मंजूर की गई।	क. रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए 10,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना। ख. ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना और उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना। ग. बेहतर तैयारी और स्व-परीक्षण के लिए मॉक टेस्ट तक पहुंच।

विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट <https://recindia.nic.in/impact-assessment-reports> पर उपलब्ध है।

नीचे दी गई तालिका 13 परियोजनाओं के लिए विभिन्न मानदंडों अर्थात् (i) समावेशिता (ii) प्रासंगिकता, (iii) प्रभावशीलता, (iv) अभिसरण और (v) संधारणीयता पर रेटिंग प्रदान करती है। प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन उपरोक्त प्रमुख मापदंडों पर किया गया है और इसके बाद उत्पन्न प्रभाव को उच्च/मध्यम/निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है:

उच्च	यह श्रेणी इस बात पर प्रकाश डालती है कि परियोजना उक्त आईआरईसीएस ढांचे के भीतर प्रभाव के प्रमुख मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने में सक्षम रही है।
मध्यम	यह श्रेणी इस बात पर प्रकाश डालती है कि परियोजना कथित आईआरईसीएस ढांचे के भीतर प्रभाव के प्रमुख मूल्यांकन मानदंडों को आंशिक रूप से पूरा करने में सक्षम रही है।
कम	यह श्रेणी इस बात पर प्रकाश डालती है कि परियोजना ने अभी तक उक्त आईआरईसीएस ढांचे के भीतर प्रभाव के प्रमुख मूल्यांकन मानदंडों को पूरा नहीं किया है।

क्रम सं.	परियोजना / आईआरईसीएस मानदंड	समावेशिता	प्रासंगिकता	प्रभावकारिता	अभिसरण	संधारणीयता
1	पीएमसी	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	मध्यम
2	आईएमडी	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
3	डीएम, डब्ल्यूएस	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम
4	एनआरईडीसीएपी	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
5	सीएचपी	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	उच्च
6	सीएमओ	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम
7	सीसीई, डी एंड एनएच सीसीई, एन एंड डब्ल्यूबी	मध्यम उच्च	मध्यम उच्च	मध्यम उच्च	मध्यम उच्च	मध्यम मध्यम
8	आईआरसीएस	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
9	बीएमएस	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
10	एनईएसएफएस	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	मध्यम
11	एलआईएमसीओ	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम
12	एससीजीजे	उच्च	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम
13	एचसीएसआरएबी	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	मध्यम

5. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : (₹ करोड़ में) 10,132.36
- (ख) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : 202.65
- (ग) पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों अथवा कार्यकालाओं से उत्पन्न अधिशेष : शून्य
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली अपेक्षित राशि : 0.40
- (च) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)] : 202.25



- (₹ करोड़ में)
6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (संलग्नक-ए में दिए गए विवरण के अनुसार चालू परियोजना और चालू परियोजना को छोड़कर) : 204.31
- (ख) प्रशासनिक ओवरहेड में खर्च की गई राशि : 5.30
- (ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई, यदि लागू हो : 0.34
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि [(क)+(ख)-(ग)] : 209.95
- (च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अथवा खर्च न की गई सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ करोड़ में)	खर्च न की गई राशि (₹ करोड़ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तारीख
209.95	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	₹202.65
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (पिछले वर्ष से ₹0.40 करोड़ के व्यय अधिशेष को अग्रेषित करते हुए)	₹210.35
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	₹7.70
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं अथवा पूर्व वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	₹0.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	₹7.70

7. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्यय न की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण

क्र. म सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो (₹ करोड़ में)			आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तारीख	
1	वित्तीय वर्ष 2019-20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वित्तीय वर्ष 2020-21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वित्तीय वर्ष 2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई या अर्जित की गई है: शून्य
9. उन कारणों का उल्लेख करें, जिनके कारण यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही: कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना सीएसआर बजट पूरी तरह से खर्च किया है।

ह./-
(अजय चौधुरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06629871

ह./-
(डॉ. मनोज मनोहर पांडे)
स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर
समिति के अध्यक्ष
डीआईएन : 09388430

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 11 अगस्त, 2023



अनुलग्नक-क: वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल जिला
1	2	3	4	5क
1	तीन राज्यों के 15 गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	जयपुर, पठानकोट, संगरूर, नलगोंडा, वाईएसआर कडप्पा
2	संस्थान को 'विकृति सुधार के लिए आरईसी उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में स्थापित करने के लिए एसवीएनआईआरटीएआर में भवन का निर्माण।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	कटक
3	सिविल अस्पताल के ओपीडी भवन एवं स्त्री रोग भवन में एलिवेटर रूम का निर्माण एवं एलिवेटर की स्थापना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	आइजोल
4	कुछ अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और प्रसूति ब्लॉक का निर्माण और सुसज्जित करके कुछ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	चंपा, फैजाबाद, वडाथोरासलूर
5	जनपद श्रावस्ती में 275 हैण्डपम्पों को लगाया जाना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	श्रावस्ती
6	जनपद इलाहाबाद में 250 हैण्डपम्पों को लगाया जाना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	इलाहाबाद
7	रीवा में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल (एक सरकारी अस्पताल) का निर्माण और नवीनीकरण (खर्च नहीं की गई राशि वापस की गई)।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	रीवा
8	कुंभ मेला स्थल और भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 जल एटीएम मशीनों को लगाए जाने के लिए सहायता।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकोट, हरिद्वार, देवघर, दिल्ली
9	मणिपुर के उखरुल जिले में यिंगांगपोकपी से लाइकोइचिंग तक 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	उखरुल
10	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत झुग्गी-झोपड़ी की सफाई-पेयजल, स्वच्छता, शौचालय, आईसीसी अभियान आदि सुनिश्चित करने के लिए एक झुग्गी बस्ती को गोद लेना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में
11	किफायती सैनिटरी नैपकिन के निर्माण के लिए प्रशिक्षण और ग्रामीण लड़कियों/किशोरियों/महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता उत्पन्न करना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पलवल
12	नर्सिंग प्रशिक्षण, जिला अस्पताल में बुनियादी ढांचे के लिए सहायता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को सशक्त बनाना, जनरेटर की खरीद, बुनियादी ढांचे का विकास आदि द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	किफिरे
13	चिकित्सा विभाग के लिए स्टाफ क्वार्टर और शिक्षकों के लिए मॉड्यूलर पूर्वनिर्मित आवास (क्वार्टर) का निर्माण/विस्तार।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	किफिरे
14	200 आंगनवाड़ी केंद्रों/प्राथमिक विद्यालयों में ओवरहेड स्टोरेज टैंक और इलेक्ट्रिकल पंप के साथ 200 रिवर्स ऑस्मोसिस जल उपचार संयंत्रों की स्थापना करना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूर्णिया
15	एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी), टाटा मेमोरियल सेंटर में सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	नवी मुंबई

परियोजना का स्थल राज्य	परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर संख्या	पंजीकरण
5ख	6	7	8		
तेलंगाना, राजस्थान और पंजाब	0.10	नहीं	नंदी फाउंडेशन, हैदराबाद	लागू नहीं	
ओडिशा	2.98	नहीं	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, ओडिशा।	लागू नहीं	
मिजोरम	0.32	नहीं	चिकित्सा अधीक्षक, सिविल अस्पताल, आइजोल	लागू नहीं	
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़	1.16	नहीं	द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली	सीएसआर00001796	
उत्तर प्रदेश	0.14	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती	लागू नहीं	
उत्तर प्रदेश	0.03	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद	लागू नहीं	
मध्य प्रदेश	(0.42)	नहीं	श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा	लागू नहीं	
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड	0.19	नहीं	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान	सीएसआर00001405	
मणिपुर	5.74	नहीं	पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी (एनईआरसीआरएमएस)	सीएसआर00040556	
पूरे भारत में	0.10	हाँ	संबंधित सीपीएम, आरओ एवं प्रशासन प्रभाग, आरईसी लि.	सीएसआर00005016	
हरियाणा	0.02	नहीं	सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास (एसपीवाईएम)	लागू नहीं	
नागालैंड	1.06	नहीं	उपायुक्त, किफिरे	लागू नहीं	
नागालैंड	1.50	नहीं	उपायुक्त, किफिरे	लागू नहीं	
बिहार	0.30	नहीं	सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ विलेजर्स एम्पावरमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑल (एसएवीआरए)	सीएसआर00022145	
महाराष्ट्र	2.32	नहीं	टाटा मेमोरियल सेंटर	सीएसआर00001287	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल जिला
1	2	3	4	5क
16	वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों/निर्माण/सब स्टेशनों पर लगे उनके परिवार के सदस्यों, गरीब लोगों, दिहाड़ी मजदूरों आदि को भोजन उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में
17	देश भर में विशेष रूप से दिव्यांगजनों को 3400 इमदादों और उपकरणों का वितरण करना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बेंगलुरु, पटना, रांची, नोएडा और हैदराबाद
18	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) में ब्लड बैंक उपकरण/वस्तुओं की खरीद, स्थापना और चालू किया जाना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	वारंगल
19	देश के विभिन्न जिलों में 25 स्थानों पर शिविर आयोजित करके दिव्यांगजनों को लगभग 9,000 इमदाद और सहायक उपकरणों का वितरण।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में
20	विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा उपकरण, एम्बुलेंस, एयर कंडीशनर, आरओ वॉटर प्लांट, जनरेटर सेट, लैपटॉप, प्रोजेक्टर और कार्यालय कुर्सियाँ प्रदान करके स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बाड़मेर
21	बिहार के 14 जिलों में कैसर जांच और बुनियादी कैसर देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पटना, गया, भोजपुर, नालन्दा, औरंगाबाद, बेगुसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, भागलपुर
22	आरईसी सीएसआर सहायता के तहत सरकारी स्कूलों में निर्मित 132 शौचालयों की मरम्मत।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पठानकोट, गुरदासपुर
23	140 बिस्तरों वाले घर का निर्माण (आनंदम का ब्लॉक-बी और पार्ट ब्लॉक-सी) - बेघर बीमार, निराश्रित, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए एक घर।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	अलवर
24	50 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की मरम्मत और 1,125 एडब्ल्यूसी में खाद्यान्न भंडारण के लिए कंटेनर, एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना और प्रसवपूर्व देखभाल कार्नर की स्थापना करना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मुजफ्फरपुर
25	डिजिटल सबट्रेक्शन एंजियोग्राफी मशीन की खरीद, स्थापना और चालू किया जाना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	जयपुर
26	सिविल अस्पताल, डलहौजी में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और डीजी सेट की स्थापना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	चंबा
27	न्यूरो नेविगेशन (क्रैनियल + स्पाइनल) मशीन की खरीद, स्थापना और चालू किया जाना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	जयपुर
28	2 विद्युत सह गैस संचालित (हाइड्रिड) शवदाह गृह की स्थापना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	झांसी
29	चिकित्सा उपकरणों की खरीद से जिला अस्पताल, मोन का उन्नयन।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मोन
30	सरकारी चरक हॉस्पिटल, उज्जैन में ऑक्सीजन वेंटिलेटर, एएलएस एम्बुलेंस और आईसीयू रोगियों के बेडों की स्थापना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	उज्जैन

परियोजना का स्थल राज्य	परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर संख्या	पंजीकरण
5ख	6	7	8		
पूरे भारत में	0.01	हाँ	आरईसी वॉलंटियर्स/पावर यूटिलिटीज़/स्थानीय प्रशासन/ पुलिस	सीएसआर00005016	
कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश	1.02	नहीं	श्री भगवान महावीर विकास सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर, राजस्थान	सीएसआर00004300	
तेलंगाना	0.54	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), वारंगल, तेलंगाना	सीएसआर00014677	
पूरे भारत में	7.87	नहीं	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ)	सीएसआर00000532	
राजस्थान	0.12	नहीं	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर	लागू नहीं	
बिहार	0.35	नहीं	टाटा मेमोरियल कैसर अस्पताल	सीएसआर00001287	
पंजाब	0.04	नहीं	स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब सरकार	लागू नहीं	
राजस्थान	0.79	नहीं	एसएपीलागू नहीं	सीएसआर00000235	
बिहार	0.89	नहीं	डीसी मुजफ्फरपुर/पीएमए	लागू नहीं	
राजस्थान	0.11	नहीं	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	लागू नहीं	
हिमाचल प्रदेश	0.03	नहीं	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंबा, हिमाचल प्रदेश	सीएसआर00005997	
राजस्थान	2.46	नहीं	एसएमएस अस्पताल	लागू नहीं	
उत्तर प्रदेश	0.38	नहीं	नगर निगम, झांसी	सीएसआर00012233	
नागालैंड	0.90	नहीं	उपायुक्त मोन	सीएसआर00006825	
मध्य प्रदेश	0.10	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी	सीएसआर00008070	



क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल जिला
1	2	3	4	5क
31	जिला अस्पताल में बाल चिकित्सा एवं नवजात शिशु खंड के लिए 10 बिस्तरों वाले आईसीयू की स्थापना, 20 बिस्तरों वाली सेवा के लिए चिकित्सा उपकरण।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	चाईबासा
32	नये जिला अस्पताल में 32 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की खरीद, स्थापना और चालू किया जाना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	यादगीर
33	सरदार पटेल (एसपी) मेडिकल कॉलेज, प्रिंस बिजय सिंह मेमोरियल (पीबीएम) अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए यूरो साइंस सेंटर का उन्नयन।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बीकानेर
34	समुदायों को सशक्त बनाकर सर्वाइकल कैंसर की जांच में सुधार।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बाराबंकी
35	आरईसी द्वारा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के तहत 2014-15 के दौरान निर्मित 12,347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	गाज़ीपुर, बलिया, जालौन, धार रतलाम, विदिशा, झाबुआ, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, रंगरेड्डी, खम्मम, महबूबनगर, नलगोंडा, वारंगल, आदिलाबाद, खगड़िया, बेगुसराय, नालन्दा, मुंगेर, गोपालगंज, गया, मधेपुरा, शेखपुरा, नवादा, जमुई, किशनगंज, पटना, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, भागलपुर
36	मैसूर (कर्नाटक) और बरेली (उत्तर प्रदेश) की शहरी स्लम बस्तियों में लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) की व्यापकता को कम करना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मैसूर और बरेली
37	बी.के. सिविल अस्पताल, फ़रीदाबाद में स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	फरीदाबाद
38	मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के आदिवासी इलाकों में चलाई जाने वाली 15 एंबुलेंस की खरीद।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	अनुपपुर, बड़वानी, बैतूल, धार, हरदा, खंडवा, खरगौन, सिवनी, शहडोल, सिद्धि, विदिशा
39	7 छठ घाटों और उसके आसपास साफ-सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार और कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित करना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	भोजपुर
40	जिला अस्पताल में 20 बिस्तरों वाली आईसीयू सुविधा एवं जिला अस्पताल में मल्टी गैस पाइपलाइन सुविधा की स्थापना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	खगड़िया
41	काम्पटी कैट बोर्ड अस्पताल में विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की स्थापना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	कैम्पटी
42	अलवर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	अलवर
43	मनोरोग पुनर्वास सेवाओं का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बेंगलुरु



परियोजना का स्थल राज्य	परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर संख्या पंजीकरण
5ख	6	7	8	
झारखंड	0.31	नहीं	जिला सीएसआर निधि, चाइबासा, झारखंड।	सीएसआर00006981
कर्नाटक	0.43	नहीं	आरोग्य रक्षा समिति जिला अस्पताल (एआरएसडीएच), यादगिर, कर्नाटक।	सीएसआर00012195
राजस्थान	5.00	नहीं	राजस्थान मेडीकेयर राहत सोसाइटी, बीकानेर	सीएसआर00012285
उत्तर प्रदेश	0.28	नहीं	प्रगतिशील फाउंडेशन	सीएसआर00013216
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश	21.87	नहीं	भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस)	सीएसआर00000812
कर्नाटक और उत्तर प्रदेश	0.61	नहीं	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (पीएचआरआईआई), मैसूर और आरईसी फाउंडेशन	सीएसआर00011722
हरियाणा	1.23	नहीं	जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति, फरीदाबाद	सीएसआर00018609
मध्य प्रदेश	1.06	नहीं	परिवार शिक्षा समिति (पीईएस)	सीएसआर0000052
बिहार	0.09	हां	आरईसी फाउंडेशन	लागू नहीं
बिहार	0.33	नहीं	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), खगड़िया	सीएसआर00012540
महाराष्ट्र	1.81	नहीं	कैट बोर्ड कामठी (कैट बोर्ड), नागपुर, महाराष्ट्र	सीएसआर00018641
राजस्थान	0.51	नहीं	राजस्थान मेडीकेयर राहत समिति	सीएसआर00008981
कर्नाटक	0.13	नहीं	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस)	सीएसआर00006218



क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल जिला
1	2	3	4	5क
44	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों की खरीद, संचालन और रखरखाव।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	भोजपुर
45	भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में 17-18 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	भोजपुर
46	गुरदासपुर, अमृतसर, फ़िरोज़पुर और अमोर में बीएसएफ सैनिकों के कार्यस्थल पर 500 शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	गुरदासपुर, अमृतसर, फ़िरोज़पुर और अबोहर
47	दिव्यांगजनों को 4300 इमदाद और सहायक उपकरण प्रदान करना।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	सोनितपुर, वैशाली, बिलासपुर, बोकारो, चंद्रपुर, दौसा, एटा, थूथुकुड़ी
48	जिला अस्पताल में 100 बिस्तरों वाले 'आरईसी विश्राम सदन' (जी+3) का निर्माण।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	उज्जैन
49	पीएम केयर्स फंड में योगदान।	पीएम केयर्स	लागू नहीं	पूरे भारत में
50	एसएसएमआई स्कूल के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार।	शिक्षा	लागू नहीं	पंजाबी बाग
51	24 सरकारी स्कूलों में परिसर की चाहरदीवारों का निर्माण और गेट उपलब्ध करना।	शिक्षा	लागू नहीं	महबूबनगर
52	1,800 छात्रों और 150 शिक्षकों को वैचारिक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से युवा नवप्रवर्तकों को तैयार करना।	शिक्षा	लागू नहीं	कानपुर
53	प्रोजेक्टर, पानी की सुविधा, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड और मार्कर, स्कूलों और छात्रावासों में बुनियादी ढांचे को सहायता, विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार आदि प्रदान करके स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना।	शिक्षा	लागू नहीं	चंदेल
54	सरकारी स्कूलों में उपकरण प्रदान करके, शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर, महिला साक्षरता बढ़ा कर, पीने का पानी उपलब्ध कराने आदि द्वारा स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना।	शिक्षा	लागू नहीं	ममित
55	15 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, 1 सरकारी माध्यमिक विद्यालय और 1 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत, कक्षाओं का नवीनीकरण, रसोई, चाहरदीवारी को फिर से डिजाइन करना, बिजली के तार लगा/इंटरनेट प्रदान करके, वाटर कूलर, अलमारियाँ, कटलरी की खरीद कक्षा को स्मार्ट क्लास रूम में बदल कर, खेल उपकरण, स्कूल पुस्तकालय, विज्ञान/गणित प्रयोगशाला आदि प्रदान करते हुए बुनियादी ढांचे को उन्नत करके स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना।	शिक्षा	लागू नहीं	कांगड़ा
56	प्रयोगशाला उपकरण प्रदान करके विज्ञान और कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना, 7 सरकारी स्कूलों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण प्रदान करना और बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण, 60 सरकारी स्कूलों में 60 क्लास रूम को डिजिटल क्लास रूम में बदल कर उनका रूपांतरण करना, और 43 सरकारी स्कूलों में 50 एलपीएच रिवर्स ऑस्मोसिस जल शोधन प्रणाली की स्थापना करना।	शिक्षा	लागू नहीं	सिकंदराबाद
57	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस/वंचित वर्ग के 1,100 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण।	शिक्षा	लागू नहीं	पूरे भारत में



परियोजना का स्थल राज्य	परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर संख्या पंजीकरण
5ख	6	7	8	
बिहार	4.00	नहीं	डॉक्टर्स आपके द्वार	सीएसआर00000608
बिहार	0.32	हां	आरईसीएफ	लागू नहीं
पंजाब	2.35	नहीं	सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), पंजाब	सीएसआर00048288
असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु	0.60	नहीं	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस)	सीएसआर00004300
मध्य प्रदेश	1.51	नहीं	उज्जैन जिला अस्पताल रोग कल्याण समिति (यूजेएआरकेएस)	सीएसआर00043963
पूरे भारत में	50.00	नहीं	भारत सरकार	लागू नहीं
दिल्ली	0.85	नहीं	स्वामी शिवानंद मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स (एसएसएमआई)	लागू नहीं
आंध्र प्रदेश	1.24	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, महबूबनगर	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	0.35	नहीं	आईआईटी कानपुर	सीएसआर00004774
मणिपुर	0.54	नहीं	उपायुक्त, चंदेल	लागू नहीं
मिजोरम	2.75	नहीं	उपायुक्त, ममित	लागू नहीं
हिमाचल प्रदेश	0.48	नहीं	उपायुक्त, कांगड़ा	लागू नहीं
तेलंगाना	0.78	नहीं	जिला कलेक्टर, हैदराबाद	लागू नहीं
पूरे भारत में	0.26	नहीं	परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र	सीएसआर00000938



क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल जिला
1	2	3	4	5क
58	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1,000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण।	शिक्षा	लागू नहीं	मिर्जापुर
59	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु उपकरण किट का वितरण।	शिक्षा	लागू नहीं	औरंगाबाद
60	स्कूल पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला को सुदृढ़ करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेले का आयोजन, गणित शिक्षकों की भर्ती, स्मार्ट क्लास प्रदान करना, छात्रावास का नवीनीकरण, फर्नीचर प्रदान करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण और शिक्षकों और छात्रों के संपर्क भ्रमण आदि के माध्यम से पश्चिम सिक्किम में स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना।	शिक्षा	लागू नहीं	पश्चिमी सिक्किम
61	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभागार का निर्माण।	शिक्षा	लागू नहीं	कन्नूर
62	विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस से संबंधित 2,500 लोगों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	शिक्षा	लागू नहीं	पूरे भारत में
63	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित 360 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	शिक्षा	लागू नहीं	छतरपुर
64	प्रदर्शन वैन और स्मार्ट शिक्षण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।	शिक्षा	लागू नहीं	चंबा
65	मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक भवन में अग्रिमन उपकरण उपलब्ध कराना।	शिक्षा	लागू नहीं	गुरुग्राम
66	गुरुग्राम, हरियाणा एवं हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्रवासी निर्माण श्रमिकों के 462 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल स्कूल का संचालन।	शिक्षा	लागू नहीं	गुरुग्राम और हरदोई
67	पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए फर्नीचर, फिक्स्चर, लैंडस्केपिंग, बाहरी प्रकाश व्यवस्था और पहुँच मार्ग के साथ 2 हॉस्टल टावर (जी+8) का निर्माण और स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के तहत ग्रीड से जुड़ी 100 किलोवाट रूफ टॉप सौर पीवी पैनल की स्थापना।	शिक्षा	लागू नहीं	कानपुर
68	केलवाड़ा (कुंभलगढ़) गांव में अनुसूचित जनजाति/समाज के कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास भवन का निर्माण।	शिक्षा	लागू नहीं	राजसमंद
69	संबलपुर विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर 0.25 मेगावाट एसपीवी प्रणाली और एलईडी लाइट की स्थापना।	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	संबलपुर
70	स्मार्टग्राम परियोजना के तहत सोलर रूफ-टॉप पावर पैनल और माइक्रो ग्रीड की स्थापना।	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	गुरुग्राम और मेवात
71	भारतीय जनजातियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईटीआईआई) में 50 केडब्ल्यूपी ग्रीड से जुड़े सौर पीवी की स्थापना।	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	देहरादून
72	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 1 एमडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की स्थापना।	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	मदुरै
73	ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 1650 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करना।	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	नासिक



परियोजना का स्थल राज्य	परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर संख्या	पंजीकरण
5ख	6	7	8		
उत्तर प्रदेश	0.15	नहीं	मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस (एमएसएस)	सीएसआर00000323	
महाराष्ट्र	0.68	नहीं	राजुरेश्वर गणेश बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था (आरजीबीएसआई)	सीएसआर00001405	
सिक्किम	5.00	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम	लागू नहीं	
केरल	0.80	नहीं	जिला पंचायत, कन्नूर	लागू नहीं	
पूरे भारत में	0.93	नहीं	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	सीएसआर00001013	
मध्य प्रदेश	0.26	नहीं	इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट (आईआईएचआईआरटी)	सीएसआर00003571	
हिमाचल प्रदेश	0.60	नहीं	उपायुक्त, चंबा	लागू नहीं	
हरियाणा	0.14	नहीं	आरके मिशन	सीएसआर00006101	
हरियाणा और उत्तर प्रदेश	0.13	नहीं	प्रगति और विकास के लिए अखिल भारतीय नागरिक गठबंधन (एआईसीएपीडी),	सीएसआर00002627	
उत्तर प्रदेश	6.44	नहीं	आईआईटी कानपुर	सीएसआर00004774	
राजस्थान	0.74	नहीं	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद (आरवीकेपी)	सीएसआर00008067	
ओडिशा	0.32	नहीं	संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा	लागू नहीं	
हरियाणा	0.29	नहीं	स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स	सीएसआर00001359	
उत्तराखंड	0.09	नहीं	स्वतंत्र सेनानी लोकबंधु राममूर्ति पावसे सेवा न्यास, देहरादून	लागू नहीं	
तमिलनाडु	0.29	नहीं	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय (एमकेयू), मदुरै	सीएसआर00039862	
महाराष्ट्र	1.58	नहीं	डीसी नासिक और आरईआईएल	लागू नहीं	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल जिला
1	2	3	4	5क
74	जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	श्रीनगर और लद्दाख
75	रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) के साथ 12 वाट की 500 सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली की स्थापना।	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	बिलासपुर
76	स्वच्छ गंगा कोष में योगदान।	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	पूरे भारत में
77	कुओं को गहरा करने, चेक डैम के नवीनीकरण एवं निर्माण तथा चिकित्सा शिविरों के आयोजन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास।	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़
78	उखरुल जिले के सोमदल गांव में बहुउद्देशीय हॉल सह इनडोर स्टेडियम का निर्माण।	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	उखरुल
79	ग्रामीण विकास कार्य जैसे सामुदायिक भवन, पीसीसी सड़क, नाली, यात्री शेड का निर्माण, एलईडी लाइट, आरओ प्लांट आदि की स्थापना।	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	भोजपुर
80	3 गांवों में शौचालय परिसर सहित 3 सामुदायिक केंद्र का निर्माण।	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	मयूरभंज
81	बूंदी के पाटन एवं नैनवा ब्लॉक के 4 गांवों में 4 सामुदायिक भवन/केन्द्र का निर्माण।	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	बूंदी
82	असुफी पुनानामेई माओ में सामुदायिक हॉल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	सेनापति
83	बुजुर्गों की देखभाल के लिए वेलनेस सुविधा (60 सीटर) के साथ आश्रय गृह का निर्माण एवं संचालन।	वृद्धाश्रमों की स्थापना	लागू नहीं	लेह
84	आरईसी मोटरस्पोर्ट्स रेस ट्रैक और खेल परिसर का निर्माण।	खेल	लागू नहीं	ममित
85	भारत में खेलों का व्यापक आधार बनाना और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।	खेल	लागू नहीं	पूरे भारत में
	सीएसआर परियोजनाओं में कुल संवितरण			
	प्रभाव मूल्यांकन लागत			
	प्रशासनिक व्यय			
	वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल सीएसआर व्यय			

परियोजना का स्थल राज्य	परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर संख्या पंजीकरण
5ख	6	7	8	
कश्मीर, श्रीनगर और लद्दाख	0.72	नहीं	अटल इनक्यूबेशन सेंटर - सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (एआईसी-सीसीएमबी), हैदराबाद	सीएसआर00014767
हिमाचल प्रदेश	0.50	नहीं	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी (एचआईएमयूआरजेए)	सीएसआर00020953
पूरे भारत में	20.00	नहीं	स्वच्छ गंगा निधि, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार	लागू नहीं
राजस्थान	0.15	नहीं	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद (आरवीकेपी), उदयपुर	सीएसआर00008067
मणिपुर	0.99	नहीं	पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी (एनईआरसीआरएमएस)	सीएसआर00040556
बिहार	0.08	नहीं	एनएचपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली	लागू नहीं
ओडिशा	0.11	नहीं	जिला कलेक्टर, मयूरभंज	लागू नहीं
नहीं	0.42	नहीं	राजस्थान मेडीकेयर राहत सोसाइटी, बूंदी	सीएसआर00019253
मणिपुर	0.69	नहीं	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, मणिपुर।	सीएसआर00031715
लद्दाख	0.86	नहीं	हेलपेज इंडिया, नई दिल्ली	सीएसआर00000901
मिज़ोरम	5.50	नहीं	मिज़ोरम राज्य खेल परिषद (एमएसएससी)	सीएसआर00017572
पूरे भारत में	25.00	नहीं	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएस), भारत सरकार	सीएसआर00016457
	204.31			
	0.34			
	5.30			
	209.95			



निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-VIII

प्रपत्र सं. एओसी - 2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेन-देन शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण आर्म लेंथ के आधार पर नहीं।

संगत पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेन-देन की अवधि	अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन, जिनमें कीमत शामिल है, की मुख्य शर्तें, यदि कोई हों
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी)	आरईसीपीडीसीएल के माध्यम से नियोजित मौजूदा मानव शक्ति का पुनर्नियोजन	17 माह या पहले	संविदागत मानव शक्ति, जिन्हें पहले सौभाग्य योजना के अंतर्गत नियोजित किया गया था, उन्हें आरडीएसएस योजना के तहत और आरईसी कारोबार के उद्देश्य से लागत और ₹ 6.69 करोड़ तक की राशि के लिए पुनः नियोजित किया गया है।
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी)	जेवीवीएनएल, राजस्थान राज्य में डीडीयूजीजेवाई नई योजना के तहत गांवों के गुणवत्ता निरीक्षण के कार्य के लिए मैसर्स आरईसीपीडीसीएल की नियुक्ति	-	राजस्थान राज्य के जेवीवीएनएल में डीडीयूजीजेवाई नई योजना के तहत किए गए अतिरिक्त घरेलू कार्यों के तहत गांवों के गुणवत्ता निरीक्षण के लिए मैसर्स आरईसीपीडीसीएल की नियुक्ति, जिसमें करों को छोड़कर लगभग ₹2.55 लाख का वित्तीय निहितार्थ है।
पीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड (पीपीएल) [पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी]	पीएफसी के पक्ष में पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) को प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) जारी करने की आवश्यकता के लिए बैंक को सांत्वना पत्र जारी करना	--	तकनीकी - सह - इंक्विटी भागीदार के रूप में डीवीसी और एसजेवीएनएल के साथ पीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड और आरईसी की संकल्प योजना के संबंध में पीएफसी के पक्ष में पीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड (पीपीएल) को पीबीजी जारी करने की आवश्यकता के लिए आरईसी लिमिटेड द्वारा बैंक को ₹100 करोड़ का आश्वासन पत्र जारी करना।

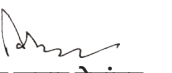
2. वास्तविक संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेनों का विवरण आर्म लेंथ आधार पर: समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी संबंधित पक्षकार के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार नहीं किया गया है।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 11 अगस्त, 2023



ऐसी संविदाएं या व्यवस्थाएं या लेनदेन करने के लिए औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	दिनांक जिस पर धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक सामान्य बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया।
मौजूदा मानव शक्ति अच्छी तरह से परिचित थी और नई जनशक्ति की भर्ती पर विचार करने के लिए आरईसीपीडीसीएल के माध्यम से नियोजित मौजूदा जनशक्ति को आरडीएसएस के तहत और विभिन्न राज्यों में आरईसी के कारोबार के लिए फिर से तैनात किया गया था।	4 अगस्त, 2022	शून्य	अपेक्षित नहीं
तत्कालीन एजेंसी द्वारा कार्य पूरा करने की अनिच्छा और गांवों के प्रति निरीक्षण की कम दर पर विचार करने के कारण, कार्य आरईसीपीडीसीएल को आबंटित किया गया था।	30 जनवरी, 2023	शून्य	अपेक्षित नहीं
पीपीएल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है और बोली लगाने वाले संघ का प्रमुख सदस्य होने के नाते, हितों के टकराव के कारण पीएफसी के लिए पीपीएल को आवश्यक सुविधा प्रदान करना संभव नहीं था।	9 मार्च, 2023	शून्य	अपेक्षित नहीं

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से


विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)



क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या
			आईएनई020बी08डीजी4	204ए
			आईएनई020बी08डीएच2	204बी
			आईएनई020बी08डीके6	205बी
			आईएनई020बी08डीएल4	206-पीडीआई
			आईएनई020बी08डीएम2	207
			आईएनई020बी08डीओ8	208
			आईएनई020बी08डीपी5	209
			आईएनई020बी08डीआर1	210
			आईएनई020बी08डीटी7	211
			आईएनई020बी08डीयू5	212
			आईएनई020बी08डीवी3	213
			आईएनई020बी08डीडब्ल्यू1	214-ए
			आईएनई020बी08डीएक्स9	214-बी
			आईएनई020बी08डीएक्स9	214-बी (पुनर्निर्गम)
			आईएनई020बी08डीजेड4	215
			आईएनई020बी08ईए5	216 ए
			आईएनई020बी08ईबी3	216 बी
			आईएनई020बी08ईसी1	217
			आईएनई020बी08ईडी9	218-ए
			आईएनई020बी08ईई7	218-बी
			आईएनई020बी08ईएफ4	219
			आईएनई020बी08ईएच0	220 ए
			आईएनई020बी08बीसी7	जीओआई-IV
			आईएनई020बी08ईजी2	220 बी
			आईएनई020बी08बीई3	जीओआई-V
			आईएनई020बी08बीजे2	जीओआई-VI
			आईएनई020बी08बीएल8	जीओआई-VII
			आईएनई020बी08बीओ2	जीओआई-VIII
			आईएनई020बी08सीओ0	जीओआई-IX
			आईएनई020बी08सीआर3	जीओआई-X
			आईएनई020बी08सीएस1	जीओआई-XI
			आईएनई020बी08डीआई0	जीओआई-XII
			आईएनई020बी08डीएन0	जीओआई-XIII
			आईएनई020बी08डीक्यू3	जीओआई-XIV
3	विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड द आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर जी ब्लॉक, प्लॉट सी-22, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	आईटीसीएल अनुपालन अधिकारी फोन: + 91-22-26593535 ई-मेल: itclcomplianceofficer@vistra.com वेबसाइट: www.vistraitcl.com	आईएनई020बी08724	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला-II (2011-12)
			आईएनई020बी08732	
			आईएनई020बी0जीएच7z	2011-12 पब्लिक इश्यू भाग-1

प्रतिभूतित/ अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
			एनएसई	बीएसई	
अप्रतिभूतित	31-दिसंबर-2025	5.81%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31 जनवरी-2024	4.99%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-जनवरी-2026	5.94%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	लागू नहीं *	7.97%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-जनवरी-2036	7.02%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	15-मार्च-2036	7.40%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	20 मार्च 2024	5.79%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	20 जून-2024	5.74%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2031	6.23%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2024	फ्लोटिंग (7.07%)	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	20 मार्च-2032	6.92%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28 फरवरी-2026	7.32%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28 फरवरी-2033	7.50%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28 फरवरी-2033	7.50%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-नवंबर-2037	7.65%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2028	7.55%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-नवंबर-2037	7.67%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2033	7.53%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30 जून-2026	7.56%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31 जनवरी-2033	7.69%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28 फरवरी-2026	7.60%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2028	7.77%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28-सितंबर-2028	8.70%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2033	7.69%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	15-नवंबर-2028	8.54%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	22-जनवरी-2029	8.80%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	8-मार्च-2029	8.60%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	25-मार्च-2029	8.30%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	2-मार्च-2030	7.14%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	26-मार्च-2030	8.25%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2030	7.20%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	7-जनवरी-2031	6.45%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28 जनवरी-2031	6.63%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	26-मार्च-2031	6.50%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	15 फरवरी-2027	9.15%	हाँ	नहीं	
प्रतिभूतित	29-मार्च-2027	8.12%	नहीं	हाँ	बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल, 99 मदनगौर, एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली-110062 संपर्क व्यक्ति: श्री संजय रस्तोगी फोन: +91- 11-2996 1281-83 ई-मेल: recbonds3@gmail.com , वेबसाइट: www.beetalfinancial.com
		8.32%			
					केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मण्डल, हैदराबाद-500032 संपर्क व्यक्ति: श्री गोपाल कृष्ण फोन: 1-800-309-4001 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com , gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या
4	एसबीआईसीएपी ट्रस्टीशिप कंपनी लिमिटेड, मिस्त्री भवन, चतुर्थ तल, 122 दिनशॉ वाघा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020	श्री प्रशांत ए. जोशी फोन: + 91-22-4302 5555 ई-मेल: corporate@sbicaptrustee.com वेबसाइट: sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07जीयू0	2012-13 प्राइवेट प्लेसमेंट
			आईएनई020बी07जीवी8	2012-13 प्राइवेट प्लेसमेंट
			आईएनई020बी07जीडब्ल्यू6	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07जीएक्स4	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07जीजेड9	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचएम5	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07एचएन3	
			आईएनई020बी07एचओ1	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-1
			आईएनई020बी07एचआर4	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-1
			आईएनई020बी07एचपी8	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचएस2	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचक्यू6	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचटी0	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचयू8	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचवी6	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07आईसी4	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-2
			आईएनई020बी07आईएफ7	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-2
			आईएनई020बी07आईडी2	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07आईजी5	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07आईई0	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07आईएच3	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07जेओ7	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07जेपी4	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2
			आईएनई020बी07जेक्यू2	2015-16 प्राइवेट प्लेसमेंट
			आईएनई020बी07जेआर0	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07जेएस8	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07जेटी6	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07जेयू4	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07केयू2	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07केवी0	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07केडब्ल्यू8	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07केएक्स6	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07केवाई4	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07केजेड1	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलए2	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलबी0	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलसी8	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलडी6	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलई4	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलएफ1	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलजी9	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलएच7	54ईसी श्रृंखला XII (2018-19)
			आईएनई020बी07एलआई5	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलजे3	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलके1	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएल9	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएम7	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएन5	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलओ3	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलपी0	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलक्यू8	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलआर6	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएस4	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)

प्रतिभूतित/ अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
			एनएसई	बीएसई	
प्रतिभूतित	21-नवंबर-2022	7.21%	हाँ	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31 एवं 32, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मण्डल, हैदराबाद-500032 संपर्क व्यक्ति: श्री गोपाल कृष्ण फोन: 1-800-309-4001 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com
प्रतिभूतित	22-नवंबर-2027	7.38%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	19-दिसंबर-2022	7.22%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	20-दिसंबर-2027	7.38%	हाँ	हाँ	
		7.88%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	27-मार्च-2028	7.04%	हाँ	हाँ	
		7.54%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	29-अगस्त-2023	8.01%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	29-अगस्त-2028	8.46%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	25-सितंबर 2023	8.01%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	25-सितंबर 2023	8.26%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	25-सितंबर-2028	8.46%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	25-सितंबर-2028	8.71%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	26-सितंबर-2033	8.37%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	26-सितंबर-2033	8.62%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	11-अक्टूबर-2023	8.18%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	11-अक्टूबर-2028	8.54%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	22-मार्च-2024	8.19%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	22-मार्च-2024	8.44%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	23-मार्च-2029	8.63%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	23-मार्च-2029	8.88%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-मार्च-2034	8.61%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-मार्च-2034	8.86%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	23 जुलाई 2025	7.17%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2025	6.89%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2025	7.14%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2030	7.09%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2030	7.34%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर 2035	7.18%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर 2035	7.43%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	30 अप्रैल 2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-जून 2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर 2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर 2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर 2023	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31 जनवरी-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	28 फरवरी 2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30 अप्रैल-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30 जून-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर 2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर 2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31 जनवरी-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	28 फरवरी-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30 अप्रैल-2025	5.75%	नहीं	नहीं	

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या
		श्री प्रशांत ए. जोशी फोन: +91-22-4302 5576, +91-22-2204 0465 ई-मेल: corporate@sbicaptrustee.com , tor.cell@sbicaptrustee.com वेबसाइट: www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07एलटी2	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलयू0	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलवी8	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलडब्ल्यू6	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलएक्स4	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलवाई2	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलजेड9	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमए0	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमबी8	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमसी6	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमडी4	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमई2	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमएफ9	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमजी7	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएच5	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमआई3	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमजे1	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमके9	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएल7	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएम5	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएन3	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमओ1	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमपी8	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई02020 बी07एमक्यू6	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमआर4	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई02020 बी07एमएस2	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमटी0	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमयू8	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमवी6	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमडब्ल्यू4	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमएक्स2	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमवाई0	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई02020 बी07एमजेड7	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एनए8	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एनबी6	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी08930	133
			आईएनई020बी08963	136
			आईएनई020बी08एए3	140
			आईएनई020बी08एसी9	142
			आईएनई020बी08एएच8	147
			आईएनई020बी08एक्यू9	156
			आईएनई020बी08एएक्स5	जीओआई-I
			आईएनई020बी08एवाई3	जीओआई-II
			आईएनई020बी08एजेड0	जीओआई-III

प्रतिभूतित/ अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
			एनएसई	बीएसई	
प्रतिभूतित	31-मई-2025	5.75%	नहीं	नहीं	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मण्डल, हैदराबाद-500032 संपर्क व्यक्ति: श्री गोपाल कृष्ण फोन: 1-800-309-4001 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com , gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com
प्रतिभूतित	30 जून-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर 2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जनवरी-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	28 फरवरी-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-अप्रैल-2020	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31 मई-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30 जून-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31 जुलाई-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30 नवंबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31 जनवरी-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	28 फरवरी-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30 अप्रैल-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30 जून-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31 जुलाई-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जनवरी-2028	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	29 फरवरी-2028	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2028	5.00%	नहीं	नहीं	
अप्रतिभूतित	10-अप्रैल-2025	8.30%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	7-अक्टूबर-2025	8.11%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	7-नवंबर 2026	7.52%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-दिसंबर-2026	7.54%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	12 मार्च-2027	7.95%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	10-दिसंबर-2027	7.70%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	21-मार्च-2028	8.09%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	24-मार्च-2028	8.01%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	27-मार्च-2028	8.06%	हाँ	हाँ	

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से



विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)

31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)				
क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
	परिसंपत्तियां			
(1)	वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	39.00	126.40
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य बैंक शेष	7	1,948.34	2,295.30
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	8	8,981.61	5,510.17
(घ)	ऋण	9	422,083.91	371,930.54
(च)	निवेश	10	3,137.98	2,157.97
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	24,400.28	24,396.94
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		460,591.12	406,417.32
(2)	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	295.78	179.64
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	3,276.99	3,134.74
(ग)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	14	638.91	623.67
(घ)	पूंजीगत चालू कार्य	14	2.72	6.07
(च)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	14	1.62	4.25
(छ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	15	69.65	46.06
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		4,285.67	3,994.43
(3)	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति	16	0.34	0.86
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		464,877.13	410,412.61
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	वित्तीय देयताएं			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	8	976.95	553.14
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	17	236,948.99	219,633.57
(ग)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	18	137,114.13	106,651.59
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	19	6,773.30	6,816.47
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	20	25,174.58	25,575.84
	कुल-वित्तीय देयताएं (1)		406,987.95	359,230.61
(2)	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	21	-	10.25
(ख)	प्रावधान	22	110.94	104.51
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	23	98.57	81.64
	कुल-गैर-वित्तीय देयताएं (2)		209.51	196.40
(3)	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	24	2,633.22	1,974.92
(ख)	लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है	25	558.40	558.40
(ग)	अन्य इक्विटी	26	54,488.05	48,452.28
	कुल - इक्विटी (3)		57,679.67	50,985.60
	कुल - देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		464,877.13	410,412.61
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

1 से 67

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

एस.मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)				
क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	27	38,836.24	38,186.46
(ii)	लाभांश आय	28	39.34	26.64
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	29	287.17	572.82
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	34	45.31	346.57
I.	प्रचालनों से कुल राजस्व (i से iii)		39,208.06	39,132.49
II.	अन्य आय	30	44.67	97.96
III.	कुल आय (I+II)		39,252.73	39,230.45
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	31	23,737.66	22,052.91
(ii)	निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय हानि	32	1,114.04	799.05
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	33	16.29	16.73
(iv)	वित्तीय लिखत संबंधी हानि	35	114.91	3,473.31
(v)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	36	181.63	159.61
(vi)	मूल्यहास एवं परिशोधन	37	24.09	17.96
(vii)	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	38	202.65	170.67
(viii)	अन्य व्यय	39	122.69	115.31
IV.	कुल व्यय (i से viii)		25,513.96	26,805.55
V.	कर पूर्व लाभ (III-IV)		13,738.77	12,424.90
VI.	कर व्यय	40		
(i)	वर्तमान कर			
	-चालू वर्ष		2,668.58	3,051.33
	-पूर्व वर्ष		(147.29)	(3.96)
(ii)	आस्थगित कर		162.84	(668.39)
	कुल कर व्यय (i+ii)		2,684.13	2,378.98
VII.	अवधि के लिए लाभ		11,054.64	10,045.92
	अन्य व्यापक आय/(हानि)			
(i)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनः मापन लाभ/(हानि)		(5.99)	(8.33)
	-उपरोक्त पर कर प्रभाव		1.51	2.10
(ख)	अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन		(58.16)	22.19
	-उपरोक्त पर कर प्रभाव		(0.32)	2.55
	उप-जोड़ (i)		(62.96)	18.51
(ii)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा			
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज में हेजिंग लिखतों पर लाभ और हानि का प्रभावी हिस्सा		542.33	480.84
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		(136.49)	(121.02)
(ख)	हेजिंग रिजर्व की लागत		(1,755.82)	(584.51)
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		441.90	147.11
	उप-जोड़ (ii)		(908.08)	(77.58)
VIII.	अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)		(971.04)	(59.07)
XI.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)		10,083.60	9,986.85
X.	प्रत्येक 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन (रुपये में)	41		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		41.85	38.02
(2)	बंद प्रचालनों के लिए		-	-
(3)	जारी और बंद प्रचालनों के लिए		41.85	38.02
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

1 से 67

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

एस.मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:		
कर पूर्व निवल लाभ	13,738.77	12,424.90
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/ (लाभ)	6.64	0.97
2. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	(4.08)	(30.19)
3. संयुक्त उद्यम (ईईएसएल) में महत्वपूर्ण प्रभाव की समाप्ति पर हानि/(लाभ)	-	(29.01)
4. मूल्यह्रास एवं परिशोधन	24.09	17.96
5. वित्तीय लिखतों पर हानि से संबंधित क्षति	114.91	3,473.31
6. उचित मूल्य परिवर्तन (निवल) पर हानि/(लाभ)	(43.76)	(338.58)
7. ऋण परिसंपत्तियों और उधारियों के मामले में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)	(15.58)	(88.22)
8. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	-	14.76
9. अवास्तविक विदेशी मुद्रा अंतरण हानि/ (लाभ)	963.93	943.16
10. निवेश पर ब्याज	(39.53)	(51.88)
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ / (हानि)	14,745.39	16,337.18
निम्नलिखित के कारण अंतरप्रवाह/(बहिर्प्रवाह) :		
1. ऋण परिसंपत्तियां	(50,424.82)	(9,877.12)
2. व्युत्पन्न	790.33	(2,510.91)
3. अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियां	193.95	(580.37)
4. अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देनदारियां और प्रावधान	(151.53)	(1,186.90)
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	(34,846.68)	2,181.88
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(2,734.77)	(3,076.64)
2. आयकर वापसी	99.79	23.26
प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(37,481.66)	(871.50)
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.02	0.10
2. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों की बिक्री	4.60	31.24
3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(17.62)	(47.84)
4. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास और पूंजीगत अग्रिम के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(0.01)	(0.25)
5. पूंजीकृत वित्त लागतें	(0.03)	(5.10)
6. इक्विटी शेयरों में बिक्री/(निवेश)	10.13	431.17
7. उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) (निवल) में विमोचन / (निवेश)	(457.82)	(716.17)
8. एचक्यूएलए (निवल) के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों में विमोचन/ (निवेश)	(343.14)	96.53
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(803.87)	(210.32)
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1. रुपये ऋण प्रतिभूतियां (निवल) का निर्गम / (विमोचन)	14,823.67	(20,827.69)
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/ (विमोचन)	-	(14.76)
3. बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रुपये आवधिक ऋण / डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना / (चुकोतियां)	14,808.94	2,164.16
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधारियां (निवल) प्राप्त करना / (चुकोतियां)	11,643.52	21,203.01
5. बोनस इक्विटी शेयर जारी करने पर व्यय	(0.71)	-
6. प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी मियादी ऋण लिखत का कूपन भुगतान	(44.50)	(45.60)
7. इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(3,120.37)	(2,411.37)
8. पट्टा देयता के संबंध में पुनर्भुगतान	(0.01)	(0.02)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	38,110.54	67.73
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (कमी)	(174.99)	(1,014.09)
इस अवधि के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	126.40	1,140.49
इस अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	(48.59)	126.40

वर्ष के दौरान, कंपनी को ₹ 39.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 26.64 करोड़) का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ₹209.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 167.61 करोड़) की राशि का भुगतान किया।

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
- हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	-	0.02
- बैंकों में शेष	31.31	124.01
-अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	7.69	2.37
-बैंक ओवरड्राफ्ट्स	(87.59)	-
कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य	(48.59)	126.40

वित्त संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्रावाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	अन्य समायोजन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	इंड-एसस समायोजन	
31-03-2023 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	189,606.42	14,823.67	(33.08)	-	(138.56)	204,258.45
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	-	-
रुपे आवधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल / ओवरड्राफ्ट्स	61,460.56	14,896.53	65.87	-	-	76,422.96
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	75,218.18	11,643.52	199.88	6,328.39	(8.26)	93,381.71
अधीनस्थ देयताएं	6,816.47	-	(0.01)	-	(43.16)	6,773.30
कुल	333,101.63	41,363.72	232.66	6,328.39	(189.98)	380,836.42
31-03-2022 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	211,267.66	(20,827.69)	(859.84)	-	26.29	189,606.42
कमर्शियल पेपर	-	(14.76)	-	-	14.76	-
रुपे आवधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल / ओवरड्राफ्ट्स	59,281.36	2,164.16	15.04	-	-	61,460.56
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	52,286.40	21,203.01	44.68	1,770.70	(86.61)	75,218.18
अधीनस्थ देयताएं	6,946.89	-	(2.54)	-	(127.88)	6,816.47
कुल	329,782.31	2,524.72	(802.66)	1,770.70	(173.44)	333,101.63

* उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में “प्रचालन संबंधी देयताओं” में विचारा गया है।

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से		
जे.एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	अजय चौधरी निदेशक (वित्त) डीआईएन-06629871	विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन-01377212
हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार		
कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 001135एन	कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी. सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. :000018एन/ एन500091	
एस.मूर्ति भागीदार सदस्यता सं. : 072290	अतुल अग्रवाल भागीदार सदस्यता सं. : 092656	

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

31 मार्च,2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क	इक्विटी शेयर पूंजी
विवरण	
वर्ष के प्रारंभ में शेष	
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन*	
वर्ष के अंत में शेष	
विवरण के लिए टिप्पणी 24 देखें	
*इस वर्ष के दौरान कंपनी ने 18 अगस्त 2022 को बकाया प्रत्येक 3 (तीन) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर के अनुपात में पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में प्रत्येक 10 के 65,83,06,000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं।	

ख	लिखत पूरी तरह से इक्विटी स्वरूप के हैं.
विवरण	
वर्ष के प्रारंभ में शेष	
वर्ष के दौरान लिखतों के स्वरूप में पूरी तरह से इक्विटी परिवर्तन	
वर्ष के अंत में शेष	
विवरण के लिए टिप्पणी 25 देखें	

ग अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष			
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता
31 मार्च 2021 के अनुसार शेष	19,222.23	2,128.41	3,804.00	2,236.54
वर्ष के लिए लाभ				
परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमापन				
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता				
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	3,080.70	-	2,010.00	
सामान्य रिजर्व में अंतरण		(1,931.59)		
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/ उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण				
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ /(हानि)				
वर्ष के दौरान ऋणशोधन				
प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी लिखत पर निर्गम व्यय (मियादी ऋण लिखत) (करों का निवल)				
उप -जोड़	3,080.70	(1,931.59)	2,010.00	-
लाभांश				
उप-जोड़ -स्वामियों के साथ लेन-देन	-	-	-	-
31 मार्च 2022 के अनुसार शेष	22,302.93	196.82	5,814.00	2,236.54

		(₹ करोड़ में)
31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	
1,974.92	1,974.92	
658.30	-	
2,633.22	1,974.92	

		(₹ करोड़ में)
31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	
558.40	558.40	
-	-	
558.40	558.40	

				(₹ करोड़ में)		
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाता	रिजर्व एवं अधिशेष			हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी हिस्सा	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	एफवीओसीआई-इक्विटी लिखतें			
(573.16)	9,850.03	4,325.09	24.07	(165.61)	41.45	40,893.05
		10,045.92				10,045.92
		(6.23)				(6.23)
			24.74	359.82	(437.40)	(52.84)
-	-	10,039.69	24.74	359.82	(437.40)	9,986.85
	-	(5,090.70)				-
	1,931.59	-				-
		86.79	(86.79)			-
(216.94)						(216.94)
234.81						234.81
		(34.12)				(34.12)
17.87	1,931.59	(5,038.03)	(86.79)	-	-	(16.25)
		(2,411.37)				(2,411.37)
-	-	(2,411.37)	-	-	-	(2,411.37)
(555.29)	11,781.62	6,915.38	(37.98)	194.21	(395.95)	48,452.28

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष			
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता
31 मार्च 2022 के अनुसार शेष	22,302.93	196.82	5,814.00	2,236.54
वर्ष के लिए लाभ				
परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनः मापन				
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता				
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	2,674.96	-	2,211.15	
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	(196.82)		
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/ उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण				
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद लाभ/(हानि)				
वर्ष के दौरान ऋणशोधन				
प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी लिखत पर कूपन भुगतान (स्थायी ऋण लिखत) (करों का निवल)				
उप-जोड़	2,674.96	(196.82)	2,211.15	-
बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रयुक्त				(658.30)
बोनस इक्विटी शेयर जारी करने पर हुआ व्यय				(0.71)
लाभांश				
उप-जोड़ -स्वामियों के साथ लेन-देन	-	-	-	(659.01)
31 मार्च 2023 के अनुसार शेष	24,977.89	-	8,025.15	1,577.53

रिजर्व से आहरण/अंतरण से संबंधित विस्तृत ब्यौरों के लिए टिप्पणी संख्या 26.1 देखें /

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां 1 से 67

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001132एन

कृते ओ.पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

एस.मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

रिजर्व एवं अधिशेष				हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी हिस्सा	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाता	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	एफवीओसीआई-इक्विटी लिखतें			
(555.29)	11,781.62	6,915.38	(37.98)	194.21	(395.95)	48,452.28
		11,054.64				11,054.64
		(4.48)				(4.48)
			(58.48)	405.84	(1,313.92)	(966.56)
-	-	11,050.16	(58.48)	405.84	(1,313.92)	10,083.60
	-	(4,886.11)				-
	196.82	-				-
		5.01	(5.01)			-
(487.03)						(487.03)
251.88						251.88
		(33.30)				(33.30)
(235.15)	196.82	(4,914.40)	(5.01)	-	-	(268.45)
		-				(658.30)
						(0.71)
		(3,120.37)				(3,120.37)
-	-	(3,120.37)	-	-	-	(3,779.38)
(790.44)	11,978.44	9,930.77	(101.47)	600.05	(1,709.87)	54,488.05

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधुरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212



लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड (“आरईसी” या “कंपनी”) की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय से किया जाता है। कंपनी के कार्यालय देश भर में, मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों में और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है।

यह कंपनी भारत सरकार का उद्यम है जो विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है और यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (नॉन-डिपॉजिट एक्सेसिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है। एनबीएफसी होने के नाते कंपनी का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

कंपनी को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग द्वारा ‘महारल’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है।

आरईसी, भारत में एक अग्रणी अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटीयों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और आरबीआई द्वारा जारी किए गए अन्य लागू / दिशानिर्देशों के तहत अधिसूचित इंड एस का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों को निदेशक मण्डल द्वारा 17 मई 2023 को अपनाया गया।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं:

3.1 तैयारी और मापन का आधार

वित्तीय विवरणों में कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को छोड़कर को ऐतिहासिक लागत के आधार पर लेखांकन की प्रोद्घवन प्रणाली के बाद गोडंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है। जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत् रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों (‘आईएनआर’), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.2 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है : (i) आरईसी की लागत और खर्चें (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतान; क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूलियों को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं, के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्ति का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है।

क्रेडिट-इम्पेयर्ड लोन एसेट्स पर ब्याज आय, जब तक कि वसूल नहीं की जाती है, दवाबग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के परिणाम लंबित होने तक, विवेकपूर्ण मामले के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुसारी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो कॉर्पोरेट निकायों और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के शेयरों पर लाभांश से आय को प्रोद्घवन के आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को ‘लाभांश आय’ शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।



लेखा संबंधी टिप्पणियां

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

3.3 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें कंपनी निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियां अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियां वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त अवधि लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.4 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन की गणना, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाईल्यूटेड अर्जन की गणना करने के लिए, वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.5 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को “विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते” में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनःअंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.6 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी

जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए संबंधित वहन की राशि को परिशोधित नहीं किया जाता है।

भूमि में पूर्व में वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत पट्टा समझौते के तहत उपयोग के अधिकार के रूप में मानी जाने वाली भूमि भी शामिल है, जिसका पट्टे की अवधि में परिशोधित होता है।

अन्य मूर्त परिसंपत्ति

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यहास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यहास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यहास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग ‘ग’ के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को परिसंपत्ति के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास 5,000 / - रुपए तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यहास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को ‘पूंजीगत कार्य में प्रगति’ के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे



लेखा संबंधी टिप्पणियां

एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.7 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों का आकलन प्रारंभ में लागत पर किया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

उत्तरवर्ती मापन प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्ति को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में, रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं 'उन्हें अग्रिम पूंजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्ति को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.8 पट्टा लेखांकन:

सभी पूर्व परिचालनगत पट्टों के संबंध में उपयोग योग्य परिसंपत्ति और संबंधित पट्टों देयता को अल्पावधि या कम मूल्य के पट्टे के रूप में पहचाने गए लीज को छोड़कर निर्धारित किया जाता है

संविदा के प्रारंभ में इसका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या संविदा पट्टा है या नहीं। किसी पट्टे को 'एक ऐसी संविदा, या एक संविदा के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिसंपत्तियों (अंतर्निहित परिसंपत्तियों) को विचारण राशि के बदले में अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।'

इस परिभाषा को लागू करने के लिए संविदा का मूल्यांकन तीन प्रमुख मूल्यांकनों के लिए किया जाता है जो निम्नानुसार हैं:

- संविदा में एक निर्धारित परिसंपत्ति शामिल है, जिसे या तो संविदा में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है या जिसे परिसंपत्ति उपलब्ध कराए जाने के समय परीक्षा रूप से निर्धारित किया गया है।

- संविदा के निर्धारित सीमा के अंदर अपने अधिकारों पर विचार करते हुए निर्धारित परिसंपत्ति के उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान सभी आर्थिक लाभों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का अधिकार है।
- उपयोग की पूरी अवधि के दौरान निर्धारित परिसंपत्ति के उपयोग का निर्देश देने का अधिकार और 'कैसे और किस उद्देश्य' के लिए परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है।

पट्टा प्रारंभ होने की तारीख पर तुलन-पत्र में उपयोग योग्य परिसंपत्ति और पट्टा देयता का निर्धारण किया जाता है। उपयोग योग्य परिसंपत्ति को उस लागत पर मापा जाता है, जो पट्टे की देयता के प्रारंभिक मापन, समूह द्वारा की गई किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों, पट्टा कीवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों को डिसमेंटल करने और हटाने के लिए किसी भी लागत अनुमान और पट्टा प्रारंभ तिथि (प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) के अग्रिम तौर पर किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान से मिलकर बनती है।

उपयोग योग्य परिसंपत्ति का मूल्यह्रास पट्टा प्रारंभ होने की तारीख से उपयोग योग्य परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन-काल की समाप्ति या पट्टा अवधि की समाप्ति तक स्ट्रेट-लाइन आधार पर किया जाता है। जब ऐसे संकेतक मौजूद हों तो उपयोग योग्य परिसंपत्तियों का मूल्यांकन क्षति के लिए भी किया जाता है।

प्रारंभिक तिथि को, पट्टा देयता की गणना उस तिथि को भुगतान किए गए पट्टा भुगतानों के मौजूदा मूल्य पर की जाती है, इसमें पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर या बशर्ते कि वह दर आसानी से उपलब्ध दर हो या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर हो।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान स्थिर भुगतानों (यथार्थ रूप में स्थिर को शामिल करते हुए), किसी सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्ती भुगतानों, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि और ऐसे अपेक्षित विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना निश्चित है, से उत्पन्न भुगतानों को मिलाकर बनते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, किए गए और ब्याज के लिए बढ़ाए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी। किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए या यदि इन-यथार्थ रूप से निश्चित भुगतानों में कोई परिवर्तन होते हैं, तो इसे फिर से मापा जाता है।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो संबंधित समायोजन को उपयोग योग्य परिसंपत्तियों में और यदि उपयोग योग्य परिसंपत्तियों पहले से ही शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है।

3.9 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को कंपनी द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है; अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी परिसंपत्तियां को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।



लेखा संबंधी टिप्पणियां

बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से इतर दर्शायी जाती है। परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.10 वित्तीय लिखतें

वित्तीय लिखतें एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटीटी की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य एंटीटी की वित्तीय देयता या इक्विटी दस्तावेज को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय दस्तावेज के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं हैं जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण-परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)
- अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयर में निवेश (भारतीय लेखाकरण मानक 27 के अनुरूप लागत पर किया गया)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

- क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा
- ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

मूल्यह्रास भत्ता (अपेक्षित ऋण हानि) परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर निर्धारित किया जाता है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्ति के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की, पुनर्निर्धारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी लिखत हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग दस्तावेज के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड लिखत का एक घटक है जिसमें एक गैर-व्युत्पन्न मेजबान अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त लिखत के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड-अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर-वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी मेजबान अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग-अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएं और जोखिम मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर मेजबान अनुबंध व्यापार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं। इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, बशर्ते प्रभावी हेजिंग लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं हो।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की



लेखा संबंधी टिप्पणियां

गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्ति एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है)। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्य कृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है। सभी मेजबान अनुबंध जो एक वित्तीय देयता की प्रकृति में हैं और अंतर्निहित व्युत्पन्न से अलग हैं उन्हें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है :

- हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच कोई आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम

नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

- हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए आईएम की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में कंपनी हेज संबंधों को कंपनी के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

उचित मूल्य हेजेज

लाभ और हानि के विवरण में हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की मान्यता के अनुरूप, हेज की गई वस्तु के उचित मूल्य में परिवर्तन को जोखिम बचाव के कारण लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। इस तरह के परिवर्तन हेज किए गए आइटम की अग्रणीत राशि में किए जाते हैं और जब हेजिंग लिखत बाहर निकलना रुक जाता है तो प्रभावी ब्याज दर में उस अवधि में समायोजित किए जाते हैं। यदि हेज किए गए मद की मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में बिना परिशोधित उचित मूल्य को तुरंत मान्यता दी जाती है।

3.11 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियां

यह कंपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के रूप में क्रेडिट के लिए एक 'तीन-चरण' मॉडल का अनुसरण करता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- चरण -1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- चरण -2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक



लेखा संबंधी टिप्पणियां

मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

- चरण -3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह ईसीएल और चरण-2 के लिए जीवनपर्यंत ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या लिखत के शेष जीवनपर्यंत (लाईफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) - एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वाभाविक हानि की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जो बशर्ते डिफॉल्ट होता है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

एक्सपोज़र एट डिफॉल्ट (ईएडी) - ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र शामिल होते हैं, जो कंपनी को चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं जीवनपर्यंत पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

ऋण के अलावा वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, कंपनी यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो कंपनी 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा जीवनपर्यंत क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन-पत्र की तिथि से करता है। कंपनी उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। कंपनी मानता है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्ति तुलन-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब कंपनी ने वसूली करना बंद कर दिया हो या न्यायिक प्राधिकरण ने आदेश के अनुसार निर्देशित किया गया हो।

3.12 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.13 इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को लाभांश और अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। लिखत धारकों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब कंपनी द्वारा ऐसे भुगतानों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.14 महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनःप्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है तो, प्रारंभिक अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुनःप्रस्तुत किया जाता है।

3.15 पूर्व प्रदत्त व्यय

1,00,000/- रुपए तक के पूर्व प्रदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.16 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुसारी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।



लेखा संबंधी टिप्पणियां

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

3.17 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। कंपनी पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष कंपनी द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

कंपनी के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हो।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति कंपनी के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक

मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लाभ के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी लाभ को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

कंपनी के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि कंपनी से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी



लेखा संबंधी टिप्पणियां

दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए कंपनी को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्ति संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्ति को प्रकट किया जाता है।

3.19 उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय लिखतों, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्ति को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या

- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

कंपनी द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्ति या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्ति को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्ति का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

कंपनी ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- चरण 1 – समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य

- चरण 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का

इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य है

- चरण 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.20 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निबल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निबल राशि तुलन पत्र में रिपोर्ट की जाती है।

3.21 सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार कॉम्बिनेशन

एक कारोबार कॉम्बिनेशन, यदि कोई है, जिसमें सामान्य नियंत्रण में संस्थाएं या कारोबार शामिल हैं, एक कारोबार कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी कॉम्बिनेशन संस्थाओं या कारोबार को अंततः एक ही पार्टी या पार्टियों द्वारा कारोबार कॉम्बिनेशन से पहले और बाद में नियंत्रित किया जाता है और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं है।

सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या कारोबारों को शामिल करने वाले कारोबार कॉम्बिनेशन को निम्नानुसार ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है:

- संयुक्त संस्थाओं की परिसंपत्ति और देनदारियां उनकी अग्रणीत राशियों में परिलक्षित होती हैं।

- उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने, या नई परिसंपत्तियों या देनदारियों को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। कॉम्बिनेशन केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए जाते हैं।

- पूर्व अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय जानकारी को इस प्रकार पुनर्कीर्तित किया जाता है जैसे कि वित्तीय विवरणों में कारोबार कॉम्बिनेशन पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत से हुआ हो, भले ही कॉम्बिनेशन की वास्तविक तिथि कुछ भी हो।

हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली प्रतिधारित आय की शेष राशि को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली संगत शेष राशि के साथ जोड़ दिया जाता है। रिज़र्व की पहचान संरक्षित है और अंतरणकर्ता के भंडार अंतरिती के रिज़र्व बन जाते हैं।

यदि कोई अंतर हो, जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज की गई राशि के साथ-साथ नकद या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में कोई अतिरिक्त प्रतिफल और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अन्य पूंजी रिज़र्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।



लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.22 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

4. नए / संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड-एएस में संशोधन जारी किए हैं। कंपनी ने इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है, कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, एमसीए ने कंपनी पर लागू होने वाला कोई नया इंड-एएस जारी नहीं किया है।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। अनुमान और अंतर्निहित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित हैं और इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता की मान्यता - आस्थगित कर परिसंपत्ति को किस सीमा तक मान्यता दी जा सकती है, यह भावी कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके समक्ष आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, कंपनी के प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित विपरीत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, कंपनी ने उक्त आरक्षित पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - क्रेडिट-प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि - प्रबंधन परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि

के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन - वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों दस्तावेजों की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, कंपनी बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') - परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए कंपनी निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	-	0.02
बैंकों में शेष राशि		
चालू खातों में	31.31	124.01
3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	7.69	2.37
कुल जोड़ (नकदी एवं नकदी समतुल्य)	39.00	126.40

7 बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
बैंकों में चिन्हित शेष		
अप्रदत्त लाभार्श के लिए	6.79	6.39
अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	24.22	771.18
चिन्हित आवधिक जमा राशि		
न्यायालय आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.62	0.59
बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	-	0.27
डिबेंचर विमोचन रिजर्व- आवधिक जमा राशि	196.35	225.33
54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड के आवंटन के प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	1,720.36	1,291.54
कुल	1,948.34	2,295.30
-12 वर्षों से अधिक के लिए बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	-	0.27

7.1 31 मार्च 2023 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) नकदी और नकदी समतुल्य एवं बैंकों में शेष के संबंध में (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा) कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है।

8 व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए व्युत्पन्न में ऐसे उपाय (हेजेज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

जो मितव्ययी हेजेज

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 47 देखें।

भाग I

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार			31-03-2022 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य-देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य-देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
- मुद्रा विनिमय	3,083.13	47.50	58.13	2,850.13	1.39	48.37
- अन्य						
- कॉल स्प्रेड	2,055.42	208.14	-	1,895.18	76.73	-
- सीगुल विकल्प	80,362.47	8,007.42	87.89	54,727.54	4,868.28	-
उप-जोड़ (i)	85,501.02	8,263.06	146.02	59,472.85	4,946.40	48.37
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्न						
-अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	46,278.27	718.55	300.82	33,239.41	563.77	173.52
उप-जोड़ (ii)	46,278.27	718.55	300.82	33,239.41	563.77	173.52
(iii) अन्य व्युत्पन्न						
-रिवर्स क्रॉस मुद्रा विनिमय	4,947.00	-	530.11	4,747.00	-	331.25
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii + iii)	136,726.29	8,981.61	976.95	97,459.26	5,510.17	553.14

लेखा संबंधी टिप्पणियां

भाग I
भाग- I में शामिल व्युत्पन्न ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं :

		31-03-2023 के अनुसार			31-03-2022 के अनुसार		
विवरण		कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य-देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य-देयताएं
(i)	उचित मूल्य हेजिंग						
	-ब्याज दर व्युत्पन्न						
	-अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	15,950.70	10.32	289.34	11,850.70	19.76	112.00
	उप-जोड़ (i)	15,950.70	10.32	289.34	11,850.70	19.76	112.00
(ii)	नकदी प्रवाह हेजिंग						
	मुद्रा व्युत्पन्न						
	मुद्रा विनिमय	3,083.13	38.85	-	2,842.77	-	48.37
	- अन्य						
	- कॉल स्प्रेड	2,055.42	208.14	-	1,895.18	76.73	-
	सीगुल विकल्प	80,362.47	7,979.02	85.76	54,727.54	4,868.28	-
	ब्याज दर व्युत्पन्न						
	- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	23,627.57	337.69	11.48	13,313.21	115.10	45.27
	उप -जोड़ (ii)	109,128.59	8,563.70	97.24	72,778.70	5,060.11	93.64
(iii)	गैर- नामोदिष्ट व्युत्पन्न	11,647.00	407.59	590.37	12,829.86	430.30	347.50
	कुल - व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i+ii+iii)	136,726.29	8,981.61	976.95	97,459.26	5,510.17	553.14

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। उचित मूल्य बचाव के मामले में, हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ-साथ बचाव की गई वस्तुओं की अग्रणीत राशि में उचित मूल्य परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। गैर-नामित व्युत्पन्न लिखत के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

9. ऋण
कंपनी ने भारतीय- लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

		31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
विवरण		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	ऋण				
(i)	आवधिक ऋण	408,463.40	409,638.42	383,310.40	384,566.08
(ii)	कार्यशील पूंजीगत ऋण	26,548.39	26,709.24	2,060.86	2,069.12
	कुल (क)- सकल ऋण	435,011.79	436,347.66	385,371.26	386,635.20
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(14,263.75)	(14,263.75)	(14,704.66)	(14,704.66)
	कुल (क)- निवल ऋण	420,748.04	422,083.91	370,666.60	371,930.54
(ख)	प्रतिभूति विवरण				
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	242,310.94	242,633.17	223,793.64	224,420.98
(ii)	बैंक / सरकारी गारंटी के अंतर्गत	172,069.58	173,004.21	130,973.50	131,510.35
(iii)	अप्रतिभूत	20,631.27	20,710.28	30,604.12	30,703.87
	कुल (ख)- सकल ऋण	435,011.79	436,347.66	385,371.26	386,635.20
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(14,263.75)	(14,263.75)	(14,704.66)	(14,704.66)
	कुल (ख) - निवल ऋण	420,748.04	422,083.91	370,666.60	371,930.54
(ग) (I)	भारत में ऋण				
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	393,225.23	394,571.78	350,455.72	351,732.04
(ii)	निजी क्षेत्र	41,786.56	41,775.88	34,915.54	34,903.16
	कुल (ग) (I) - सकल ऋण	435,011.79	436,347.66	385,371.26	386,635.20
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(14,263.75)	(14,263.75)	(14,704.66)	(14,704.66)
	कुल (ग) (I) - निवल ऋण	420,748.04	422,083.91	370,666.60	371,930.54
(ग)(II)	भारत से बाहर ऋण	-	-	-	-
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-	-	-
	कुल (ग) (II) - निवल ऋण	-	-	-	-
	कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	420,748.04	422,083.91	370,666.60	371,930.54

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.1 भारतीय-लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्य: (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
निवल ऋण	422,083.91	371,930.54
घटाएं : भारतीय-लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(60.23)	(423.59)
घटाएं : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(1,436.81)	(957.96)
जोड़ें : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	14,263.75	14,704.66
जोड़ें : प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	161.17	117.61
सकल ऋण	435,011.79	385,371.26

9.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	14,704.66	13,206.11
जोड़े : वर्ष के दौरान इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 35 के संदर्भ में)*	110.17	3,422.56
घटाएं : ऋणों के राइट ऑफ प्रयुक्त भत्ते	(551.08)	(1,924.01)
वर्ष समाप्ति पर शेष	14,263.75	14,704.66

* वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हानि भत्ते में स्टेज 1 और 2 ऋण परिसंपत्तियों पर 0.40% के न्यूनतम स्तर तक भत्ते में वृद्धि और 838.06 करोड़ की राशि और अग्रणी उधारदाता के साथ संरेखित करने के लिए सृजित अतिरिक्त भत्ते को प्रबंधन ओवरले ₹ 1,408.74 करोड़ शामिल है।

9.3 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही / एकबारगी समाधान (ओटीएस) / पुनर्संरचना के तहत समाधान के संदर्भ में, कंपनी ने ₹ 551.08 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1,924.01 करोड़) के ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है। चालू वर्ष के लिए बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

- (i) चालू वर्ष के दौरान
- (क) झाबुआ पावर लिमिटेड के संबंध में दिनांक 5 सितंबर 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में कंपनी ने ₹ 310.63 करोड़ की वसूली (₹ 77.41 करोड़ की नकदी, ₹ 51.48 करोड़ की सावधि ऋण और ₹ 181.74 करोड़ की इक्विटी) के बाद ₹ 10.41 करोड़ की राशि को बट्टे खाते डाला है।
- (ख) पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के संबंध में 16 सितंबर 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 1,055.00 करोड़ की नकद वसूली के बाद ₹ 922.09 करोड़ के संपूर्ण बकाया ऋण और ₹ 132.91 करोड़ अतिदेय ब्याज की वसूली की है।
- (ग) इंड भारत एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड के संबंध में 27 दिसंबर 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत पारित परिसमापन आदेश के अनुसरण में, कंपनी ने कुल ₹ 240.84 करोड़ की इक्विटी और नकद वसूली का समायोजन करने के बाद ₹ 536.16 करोड़ की राशि को बट्टे खाते डाला है।
- (घ) एटीएन इंटरनेशनल लिमिटेड के संबंध में 2 दिसंबर 2022 को निष्पादित किए गए एकबारगी समझौते के अनुसार, कंपनी ने ₹6.00 करोड़ की कुल वसूली को समायोजित करने के बाद ₹3.45 करोड़ की राशि को बट्टे खाते डाला है, जिसमें से ₹4.15 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त होने हैं।
- (ङ) सिलिकॉन वैली इंफोटेक लिमिटेड के संबंध में 2 दिसंबर 2022 को निष्पादित एकबारगी निपटान के अनुसरण में, कंपनी ने ₹1.85 करोड़ की कुल वसूली को समायोजित करने के बाद ₹1.06 करोड़ की राशि को बट्टे खाते डाला है, जिसमें से ₹1.35 करोड़ की वसूली वित्त वर्ष 2023-24 में की जानी है।
- (ii) पिछले वर्ष के दौरान
- (क) वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 13 मई 2021 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 14.79 करोड़ (₹ 1.30 करोड़ की नकदी और ₹ 13.49 करोड़ के सावधि ऋण) की वसूली के बाद ₹ 39.45 करोड़ की राशि को बट्टे खाते डाला है।
- (ख) लैंको बाबांध पावर लिमिटेड के संबंध में 30 दिसंबर 2021 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत परिसमापन आदेश के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 40.39 करोड़ की नकद वसूली का समायोजन करने के बाद ₹ 1160.16 करोड़ की राशि को बट्टे खाते डाला है।
- (ग) एस्सार पावर (एमपी) लिमिटेड (ईपीएमपीएल) के संबंध में 16 मार्च 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 620.60 करोड़ की वसूली का समायोजन करने के बाद ₹ 724.40 करोड़ की राशि को बट्टे खाते डाला है (₹ 148.94 करोड़ की नकदी तथा ₹ 471.66 करोड़ का मीयादी ऋण)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(घ) 23 मार्च 2022 को निष्पादित अमृत जल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 4.63 करोड़ की नकद वसूली को समायोजित करने के बाद ₹ 4.35 करोड़ के संपूर्ण बकाया ऋण और ₹ 0.28 करोड़ अतिदेय ब्याज की वसूली की है।

9.4 कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उनसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
सकल ऋण बही		435,011.79		385,371.26
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है।	93%	406,179.64	93%	356,923.45
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है।	7%	28,832.15	7%	28,447.81
जिसमें से				
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूति ऋण	54%	15,630.88	45%	12,813.68
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण / सरकार को दिए गए ऋण।	25%	7,065.14	33%	9,295.96
अप्रतिभूति ऋण	21%	6,136.12	22%	6,338.17

9.5 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यवर्तियों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित पक्षकार को ऋण देगा या में निवेश करेगा, किसी भी निधि का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है। कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (चिंतीय पोषक पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या इनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

10. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्ट			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7=5+6)
31 मार्च, 2023 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,431.74	-	-	-	1,431.74	-	1,431.74
ऋण प्रतिभूतियां	734.78	-	562.34	-	1,297.12	-	1,297.12
इक्विटी लिखतें	-	381.71	27.31		409.02	0.10	409.12
वरीयता शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
अन्य	-	-	-		-	-	-
कुल – सकल (क)	2,195.24	381.71	589.65	-	3,166.60	0.10	3,166.70
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	2,195.24	381.71	589.65	-	3,166.60	0.10	3,166.70
कुल – सकल (ख)	2,195.24	381.71	589.65	-	3,166.60	0.10	3,166.70
कुल निवेश	2,195.24	381.71	589.65	-	3,166.60	0.10	3,166.70
घटाएं: इमपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(28.72)	-	-	-	(28.72)	-	(28.72)
कुल – निवल (घ=क-ग))	2,166.52	381.71	589.65	-	3,137.88	0.10	3,137.98
31 मार्च, 2022 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,374.51	-	-	-	1,374.51	-	1,374.51
ऋण प्रतिभूतियां	333.03	-	132.55	-	465.58	-	465.58
इक्विटी लिखतें	-	268.26	49.52		317.78	0.10	317.88
वरीयता शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल – सकल (क)	1,736.26	268.26	182.07	-	2,186.59	0.10	2,186.69

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्ट			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7=5+6)
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	1,736.26	268.26	182.07	-	2,186.59	0.10	2,186.69
कुल – सकल (ख)	1,736.26	268.26	182.07	-	2,186.59	0.10	2,186.69
कुल निवेश	1,736.26	268.26	182.07	-	2,186.59	0.10	2,186.69
घटाएं: इमपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(28.72)	-	-	-	(28.72)	-	(28.72)
कुल – निवल (घ=क-ग))	1,707.54	268.26	182.07	-	2,157.87	0.10	2,157.97

10.1 निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क) कुल केंद्रीय / राज्यीय सरकारी प्रतिभूतियां (एचक्यूएलएएस)*	परिशोधित लागत	137,932,800	1,431.74	133,932,800	1,374.51
ऋण प्रतिभूतियां					
(i) कारपोरेट बॉण्ड (एचक्यूएलएएस)*			629.04		226.82
- 9.95% उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) 2032	परिशोधित लागत	3,000	300.00	-	-
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) 2032 के 8% बॉण्ड	परिशोधित लागत	1,000	102.97	-	-
-महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 7.05% बॉण्ड	परिशोधित लागत	850	88.12	850	88.15
-भारतीय खाद्य निगम के 6.65% बॉण्ड	परिशोधित लागत	200	20.61	200	20.61
-टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 7.19% बॉण्ड	परिशोधित लागत	250	26.31	250	26.32
-दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के 8.69% बॉण्ड	परिशोधित लागत	200	21.35	200	21.62
-पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 7.30% बॉण्ड	परिशोधित लागत	200	22.22	200	22.44
-चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5.78% बॉण्ड	परिशोधित लागत	150	15.62	150	15.63
-भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 6.11% बॉण्ड	परिशोधित लागत	100	10.49	100	10.51
- 7.30% एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के बॉण्ड	परिशोधित लागत	200	21.35	200	21.54
(ii) ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलए के अलावा)					
- केनरा बैंक के 7.99% स्थायी बॉण्ड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	200	208.47	-	-
- यूको बैंक के 9.50% स्थायी बॉण्ड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	228	228.79	-	-
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ए।	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	165,403,256	86.85	178,543,530	92.03
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की सीरीज बी।	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	72,821,001	38.23	78,606,161	40.52
- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की सीरीज सी **	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,635,162	-	18,635,162	-
- फेरो अलॉय कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)।	परिशोधित लागत	25,519,173	56.40	25,495,144	106.21
- झारखंडा पावर लिमिटेड के 8.50% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)।	परिशोधित लागत	4,933,536	49.34	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)					
विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला ए। **	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	213,803,170	-	213,803,170	-
- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला बी। **	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	6,303,032	-	6,303,032	-
- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला एआई। **	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10,474,150	-	10,474,150	-
(ख) कुल – ऋण प्रतिभूतिया (i+ii)			1,297.12		465.58
इक्विटी दस्तावेज					
(i) अनुषंगी कंपनी (संदर्भ नोट 10.2)	अन्य (लागत पर)				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) “कुल-अनुषंगी कंपनी		85,500	0.10	85,500	0.10
(ii) अन्य			0.10		0.10
-एनएचपीसी लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	16,351,580	65.73	18,843,184	52.38
- हुडको लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	347,429	1.50	347,429	1.14
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	218,100,000	140.43	218,100,000	214.74
- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	16,000,000	-	16,000,000	-
- झाबुआ पावर लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	27,885,211	173.42	-	-
- इंड भरत एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	127	0.63	-	-
- रतन इंडिया पावर लि.	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	92,568,105	27.31	92,568,105	49.52
- आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि.	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	181,790,667	-	181,790,667	-
कुल-अन्य			409.02		317.78
(ग) उप -जोड़- इक्विटी दस्तावेज (i+ii)			409.12		317.88
अधिमान शेयर					
- विमोचन योग्य, रत्न इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी।	परिशोधित लागत	28,720,978	28.72	28,720,978	28.72
- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय, रतन इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी।	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	43,303,616	-	43,303,616	-
(घ) कुल-अधिमानी शेयर			28.72		28.72
(ङ) कुल-अन्य			-		-
कुल निवेश (च = क से ङ)			3,166.70		2,186.69
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि भत्ता (झ)			(28.72)		(28.72)
जोड़ – निवल (ट = ज – झ)			3,137.98		2,157.97

उचित मूल्य पर दर्शाए गए निवेशों की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 51.1 देखें।

* 4 नवंबर 2019 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां(एचक्यूएलए) को बनाए रखा गया है

** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में ऋण के अस्थिर हिस्से के खिलाफ प्राप्त किया गया।

10.2 अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के ब्यौरे:

(₹ करोड़ में)			
कंपनी का नाम	कारोबार का प्रमुख स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित के अनुपात के अनुसार	
		31.03.2023	31.03.2022
अनुषंगी कंपनियां			
- आरईसी पावर डेवलपमेंट एवं कंसल्टेंसी लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
(पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)			

अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को इंड एस 27 "पृथक वित्तीय विवरणों" के प्रावधानों के अनुसार लागत पर मापित किया गया ।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.3 निवेश के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ता का संचलन:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के समाप्ति पर	31-03-2022 के समाप्ति पर
प्रारम्भिक शेष	28.72	-
जोड़ें: रतन इंडिया पावर लिमिटेड के रिडीमेबल अधिमानी शेयरों के संबंध में प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ता (संदर्भ नोट 35)	-	28.72
घटाएं: ऋणों के राइट्स ऑफ की ओर से उपयोग किया जाने वाला भत्ता	-	-
अंतिम शेष	28.72	28.72

10.4 दिवाला और शोधन क्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत सेटलमेंट के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) वर्तमान वर्ष के दौरान:

- (क) झाबुआ पावर लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के अंतर्गत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में कंपनी को ₹10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के 2,78,85,211 इक्विटी शेयर तथा ₹100/- प्रत्येक अंकित मूल्य के 8.50% अपरिवर्तनीय डिबेंचर के 51,48,038 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए।
- (ख) इंड भारत एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के अंतर्गत पारित परिसमापन आदेश के अनुसरण में कंपनी को 127 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए जिनका अंकित मूल्य ₹10/- है।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान:

कंपनी को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/एकबारगी निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत समझौते के संबंध में कोई लिखत प्राप्त नहीं हुआ है।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 9.3 देखें।

10.5 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) में कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के लिए अप्रतिसंहरणीय विकल्प का चयन किया है। कंपनी के परिचालन में केवल एक कारोबारी सेगमेंट अर्थात ऊर्जा, लॉजिस्टिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण को अलग करने के लिए, प्रबंधन का विश्वास है कि यह उन्हें एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) में वर्गीकृत करने के बजाय अधिक अर्थपूर्ण प्रस्तुतीकरण प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अमान्य एफवीओसीआई निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)						
कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/(हानि)	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/(हानि)
एनएचपीसी लिमिटेड*	2,491,604	10.13	4.70	156,459,022	430.62	89.86
स्माल इज ब्यूटीफुल**				6,152,200	0.55	(5.60)

* 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने एनएचपीसी लिमिटेड के 24,91,604 इक्विटी शेयरों (पिछले वर्ष 15,64,59,022 संख्या) को बाजार परिदृश्य पर विचार करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ₹ 10.13 करोड़ में बेचा है। इस प्रकार शेयरों को अमान्य किया गया है और ऐसी बिक्री पर संचयी लाभ (कर का निवल) अन्य व्यापक आय से प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया गया है।

** 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' वेंचर कैपिटल फंड की 61,52,200 इकाइयों की मान्यता रद्द कर दी है, जो फंड के तरलता पर पूर्ण और अंतिम निपटान के परिणामस्वरूप है। परिणामस्वरूप, कंपनी ने ₹ 0.55 करोड़ की नकद वसूली को विनियोजित करने के बाद ₹ 5.60 करोड़ की राशि को बढ़े खाते में डाल दिया है।

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप ‘अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों’ के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(क) कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 11.1 के संदर्भ में)	44.56	41.95
(ख) कार्मिकों को अग्रिम	0.49	0.24
(ग) धारक / अनुषंगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम	10.24	5.26
(घ) प्रतिभूति जमा राशि	1.03	1.64
(ङ) भारत सरकार से वसूली योग्य		
- भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 20.5 के संदर्भ में)	24,318.29	24,318.29

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(च) अन्य वसूली योग्य राशि	120.39	120.24
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (टिप्पणी 11.2 के संदर्भ में)	(94.72)	(90.68)
अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	25.67	29.56
कुल (क से च)	24,400.28	24,396.94

11.1 कार्मिकों को ऋण के विवरण (शोध्‍य समझे गए)

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत विनिर्दिष्ट शर्तों और पुनर्भुगतान कार्यक्रम के साथ कर्मचारियों के ऋण को बढ़ा दिया है।

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(क) प्रतिभूत ऋण		
- मुख्य प्रबंधन कार्मिक	0.12	0.10
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	28.28	25.22
उप – जोड़ (क)	28.40	25.32
(ख) अप्रतिभूत ऋण		
-मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.10	0.08
- अन्य को	16.06	16.55
उप – जोड़ (ख)	16.16	16.63
जोड़ (क + ख)	44.56	41.95

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹9.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.45 करोड़) है, शामिल है।

11.2 अन्य वसूली योग्‍य राशियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	90.68	88.04
जोड़े : वर्ष के दौरान सृजित	9.77	10.23
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया / समायोजित किया गया	(5.73)	(7.59)
समाप्ति पर शेष	94.72	90.68

12. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	2,946.71	3,284.80
आय कर हेतु प्रावधान	(2,655.88)	(3,110.11)
उप-जोड़	290.83	174.69
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	5.20	5.20
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.25)	(0.25)
उप-जोड़	4.95	4.95
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	295.78	179.64

13. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,276.99	3,134.74

लेखा संबंधी टिप्पणियां

13.1 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)					
विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में अमान्य	ओसीआई में अमान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	3,457.90	(111.44)			3,346.46
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	6.34	0.58			6.92
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.41	(0.22)			5.19
निवेशों का उचित मूल्यांकन	8.41	6.40	(0.32)		14.49
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	65.07	75.98	305.41		446.46
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	3,543.13	(28.70)	305.09	-	3,819.52
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यहास और परिशोधन	12.93	14.00			26.93
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	151.05	67.25			218.30
परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	216.24	15.87			232.11
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	28.17	37.02			65.19
कुल आस्थगित कर देयताएं	408.39	134.14	-	-	542.53
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,134.74	(162.84)	305.09	-	3,276.99

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)					
विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में अमान्य	ओसीआई में अमान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,743.25	714.65			3,457.90
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.53	1.81			6.34
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.26	0.15			5.41
निवेशों का उचित मूल्यांकन	3.57	2.29	2.55		8.41
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	27.81	11.16	26.09		65.07
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,784.42	730.06	28.64	-	3,543.13
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यहास और परिशोधन	2.12	10.81			12.93
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	153.26	(2.21)			151.05
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	191.33	24.90			216.24
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	-	28.17			28.17
कुल आस्थगित कर देयताएं	346.71	61.67	-	-	408.39
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,437.71	668.39	28.64	-	3,134.74

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- 14.2

31 मार्च 2023 तक, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के सुरक्षित उधार के खिलाफ सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.48	3.48
निवल धारित मूल्य	2.36	2.41
- 14.3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी)

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार				जोड़	31 मार्च 2022 के अनुसार				जोड़		
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि					अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि						
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
परियोजनाएं प्रगति पर हैं												
- गुरुग्राम में आरईसी वैश्विक मुख्यालय	-	-	-	-	-	4.59	-	-	-	4.59		
- गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	1.24	0.08	-	1.40	2.72	0.08	-	1.40	-	1.48		
जोड़	1.24	0.08	-	1.40	2.72	4.67	-	1.40	-	6.07		

रिपोर्टिंग वर्ष जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया है, वहां कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

(ख)

सीडब्ल्यूआईपी पूरा करने का कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार				जोड़	31 मार्च 2022 के अनुसार				जोड़		
	पूरा किया जाना है					पूरा किया जाना है						
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
परियोजनाएं प्रगति पर हैं												
-गुरुग्राम में आरईसी वैश्विक मुख्यालय	-	-	-	-	-	4.59	-	-	-	4.59		
-गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	-	-	2.72	-	2.72	-	-	-	1.48	1.48		
जोड़	-	-	2.72	-	2.72	4.59	-	-	1.48	6.07		
- 14.4

वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।
- 14.5

प्रबंधन की राय में, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियां नहीं हैं जो इंड एस 36 “परिसंपत्तियों की क्षति” के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति को दर्शाती हो। तदनुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 14.6

यद्यपि कंपनी ने अर्हताप्राप्त परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, तथापि कंपनी ने इंड एस 23 ‘उधार लागत’ के अनुसार कंपनी के लिए 7.00% (पिछले वर्ष 7.94%) की औसत उधार दर पर सामान्य उधार लागत के कारण ₹0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.10 करोड़) की उधार लागत पूंजीकृत की है।
- 14.7

भारतीय लेखांकन मानक 38 “अमूर्त परिसंपत्तियां” के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर

20 % (100 % परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 5,000 रुपए अथवा कम है)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15.

अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
अप्रतिभूति, शोध्य समझे गए		
(क) पूंजीगत अग्रिम	7.26	8.19
(ख) अन्य अग्रिम	4.50	2.88
(ग) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	26.11	20.35
(घ) पूर्व-व्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	7.70	0.40
(ङ) पूर्वप्रदत्त व्यय	13.23	3.11
(च) आस्थगित कार्मिक लागत	10.84	11.11
(छ) अन्य परिसंपत्तियां	0.01	0.02
कुल (क से छ)	69.65	46.06
16.

बिक्री के लिए धारित के रूप में श्रेणीकृत परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
बिक्री-भवन के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति	0.34	0.86
कुल	0.34	0.86
- 16.1

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी निष्क्रिय परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के उद्देश्य से कुछ आवासीय भवन इकाइयों का ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से निपटान किया है, जिनका रखाव मूल्य ₹0.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.18 करोड़) है और इनको आईएनडी-एएस 105 के अंतर्गत “बिक्री के लिए धारित” परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार की बिक्री से चालू वर्ष के दौरान ₹ 4.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30.19 करोड़) का लाभ हुआ (टिप्पणी 30 देखें)।

इसके अलावा, “बिक्री के लिए धारित” के अंतर्गत वर्गीकृत ₹0.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.86 करोड़) मूल्य की रिहायशी बिल्डिंग इकाइयां 31 मार्च 2023 को निस्तारण के लिए लंबित हैं। इनके निपटान की प्रक्रिया ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष 2023-24 के दौरान पूरी होने की उम्मीद है।
- 17

ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ				
(i) संस्थागत बॉण्ड	1,955.00	2,029.81	1,955.00	2,065.31
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	35,866.55	37,124.32	24,146.13	25,025.49
(iii) कर मुक्त बॉण्ड	10,307.08	10,671.07	11,808.74	12,205.52
(iv) आबंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि	1,720.36	1,719.42	1,291.54	1,291.13
उप - जोड़ (क)	49,848.99	51,544.62	39,201.41	40,587.45
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	148,262.70	152,705.20	144,086.60	149,010.97
(ii) अवसंरचना बॉण्ड	3.96	8.63	3.96	8.00
(iii) विदेशी मुद्रा बॉण्ड	32,886.78	32,690.54	30,322.85	30,027.15
उप - जोड़ (ख)	181,153.44	185,404.37	174,413.41	179,046.12
कुल - ऋण प्रतिभूतियां (क+ख)	231,002.43	236,948.99	213,614.82	219,633.57
भारत में/ से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां				
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	198,115.65	204,258.45	183,291.97	189,606.42
(ii) भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	32,886.78	32,690.54	30,322.85	30,027.15
कुल- ऋण प्रतिभूतियां	231,002.43	236,948.99	213,614.82	219,633.57

अंकित मूल्य और परिशोधित लागत में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच तालमेल देखने के लिए नोट संख्या 19.2 देखें।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

17.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 18.5 का संदर्भ लें

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
123-111बी श्रृंखला – 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,029.81	1,955.00	2,065.31
कुल संस्थागत बॉण्ड	1,955.00	2,029.81	1,955.00	2,065.31

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XII (2018-19) 5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विमोचनीय	6,651.31	6,938.31	6,651.77	6,937.05
श्रृंखला XIII (2019-20) 5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विमोचनीय	6,157.82	6,419.74	6,157.72	6,417.26
श्रृंखला XIV (2020-21) 5.75% और 5 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विमोचनीय	5,312.07	5,513.14	5,312.07	5,510.93
श्रृंखला XV (2020-21) 5 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान विमोचनीय	7,312.80	7,576.90	6,024.57	6,160.25
श्रृंखला XVI (2022-23) 5 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2027-28 के दौरान विमोचनीय	10,432.55	10,676.23	-	-
कुल-54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	35,866.55	37,124.32	24,146.13	25,025.49

(iii) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5 ए	300.00	306.39	300.00	306.33
23.07.2025 को सममूल्य पर वार्षिक प्रतिदेय 7.17%				
श्रृंखला 2011-12	2,160.33	2,288.71	2,160.33	2,287.99
वार्षिक रूप से 8.12% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2ए और 2बी	245.00	251.12	500.00	512.60
वार्षिक रूप से 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	852.04	872.22	2,017.35	2,065.32
वार्षिक रूप से 7.38% से 7.88 % की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	49.71	50.86	131.06	134.06
वार्षिक रूप से 7.04% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	1,350.00	1,413.90	1,350.00	1,413.35
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोचनीय हैं और रु.1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोचनीय हैं।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4ए और 4बी	150.00	155.54	150.00	155.48
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोचनीय हैं, रु.2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोचनीय हैं और रु.55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 1	3,440.60	3,530.10	3,440.60	3,528.74
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोचनीय हैं, ₹ 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोचनीय है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.03.2034 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	1,059.40	1,087.25	1,059.40	1,086.83
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोचनीय हैं, ₹172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोचनीय है और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2015-16 भाग 1	700.00	714.98	700.00	714.82
कुल – कर मुक्त बॉण्ड	10,307.08	10,671.07	11,808.74	12,205.52

(iv) आबंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	1,720.36	1,719.42	1,291.54	1,291.13
5% आबंटन की डीमड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर प्रतिदेय				
कुल - आबंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि	1,720.36	1,719.42	1,291.54	1,291.13

17.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
179वीं श्रृंखला – 8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	-	-	1,000.00	1,065.84
107वीं श्रृंखला - 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	-	-	2,378.20	2,554.82
186वीं ए श्रृंखला – 6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	-	-	2,500.00	2,629.90
150वीं श्रृंखला – 7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	-	-	2,670.00	2,775.76
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-सी – 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय**	-	-	300.00	311.59
152वीं श्रृंखला – 7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	-	-	1,225.00	1,264.38
111-II श्रृंखला - 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	-	-	2,211.20	2,283.72
155वीं श्रृंखला – 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	-	-	1,912.00	1,959.41
185वीं श्रृंखला – 7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	-	-	2,769.00	2,827.36
187वीं श्रृंखला – 7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	-	-	2,090.00	2,127.51
159वीं श्रृंखला – 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	-	-	950.00	957.53
188वीं ए श्रृंखला – 7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	-	-	1,400.00	1,400.22
114वीं श्रृंखला - 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,667.81	4,300.00	4,667.36

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
195वीं श्रृंखला – 6.92% सममूल्य पर दिनांक 22.04.2023 को विमोचनीय	2,985.00	3,179.66	2,985.00	3,179.43
191वीं ए श्रृंखला - 6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.52	1,100.00	1,106.39
200वीं श्रृंखला पीपी-एमएलडी - 5.36% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय*	500.00	573.12	500.00	546.01
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-डी - 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय**	300.00	311.59	300.00	311.57
202वीं बी श्रृंखला – 5.69% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2023 को विमोचनीय	2,474.00	2,544.42	2,474.00	2,544.12
205वीं-ए श्रृंखला – 4.99% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2024 को विमोचनीय	2,135.00	2,151.85	2,135.00	2,151.79
209वीं श्रृंखला – 5.79% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2024 को विमोचनीय	1,550.00	1,552.48	1,550.00	1,552.38
210वीं श्रृंखला – 5.74% सममूल्य पर दिनांक 20.06.2024 को विमोचनीय	4,000.00	4,178.81	4,000.00	4,215.56
180वीं ए श्रृंखला - 8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,077.71	1,018.00	1,075.09
191वीं बी श्रृंखला - 6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.58	1,100.00	1,106.48
212वीं श्रृंखला - फ्लोटिंग (टी-बिल से जुड़ी) सममूल्य पर दिनांक 31.10.2024 को विमोचनीय	2,500.00	2,573.36	2,500.00	2,538.84
186वीं बी श्रृंखला - 7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,538.06	1,500.00	1,537.91
128वीं श्रृंखला - 8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.06	2,250.00	2,418.88
129वीं श्रृंखला - 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.05	1,925.00	2,063.71
130वीं श्रृंखला - 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,492.55	2,325.00	2,493.36
131वीं श्रृंखला - 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.28	2,285.00	2,304.25
190वीं ए श्रृंखला – 6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,514.67	2,500.00	2,514.48
201वीं ए श्रृंखला – 5.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2025 को विमोचनीय	900.00	935.42	900.00	935.39
133वीं श्रृंखला - 8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,453.74	2,396.00	2,453.50
94वीं श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.00	1,250.00	1,339.00
95वीं-II श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.49	1,800.00	1,913.49
136वीं श्रृंखला - 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,671.58	2,585.00	2,670.75
203वीं बी श्रृंखला - 5.85% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2025 को विमोचनीय	2,777.00	2,821.05	2,777.00	2,821.01
204वीं बी श्रृंखला – 5.81% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2025 को विमोचनीय	2,082.00	2,111.49	2,082.00	2,111.47
205वीं-बी श्रृंखला - 5.94% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2026 को विमोचनीय	2,000.00	2,014.64	2,000.00	2,018.82
214वीं-ए श्रृंखला – 7.32% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2026 को विमोचनीय	500.00	503.15	-	-
219वीं श्रृंखला – 7.60% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2026 को विमोचनीय	3,148.70	3,186.42	-	-
220 बी श्रृंखला -7.69% सममूल्य पर दिनांक 31.10.2033 को विमोचनीय, 31.03.2026 को प्रयोग योग्य पुट ऑप्शन के साथ	1,600.10	1,605.47	-	-
218 ए श्रृंखला – 7.56% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,048.29	-	-
211वीं-श्रृंखला – 6.23% सममूल्य पर दिनांक 31.10.2031 को विमोचनीय पुट/कॉल विकल्प के साथ 31.10.2026 को प्रयोग किया जा सकता है	1,200.00	1,230.57	1,200.00	1,232.57
140वीं श्रृंखला - 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,161.97	2,100.00	2,152.19
142वीं श्रृंखला - 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,025.73	3,000.00	3,066.06
147वीं श्रृंखला- 7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,717.93	2,745.00	2,750.60
156वीं श्रृंखला- 7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,614.40	3,533.00	3,614.30
216 ए श्रृंखला- 7.55 % सममूल्य पर दिनांक 31.03.2028 को विमोचनीय	1,701.50	1,701.13	-	-
220 ए श्रृंखला- 7.77 % सममूल्य पर दिनांक 31.03.2028 को विमोचनीय	2,000.00	2,006.58	-	-
162वीं श्रृंखला- 8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.42	2,500.00	2,637.39
163वीं श्रृंखला- 8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,628.04	2,500.00	2,628.01
168वीं श्रृंखला- 8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,625.73	2,552.40	2,625.69
169वीं श्रृंखला- 8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,621.02	2,554.00	2,620.97
176वीं- श्रृंखला- 8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.82	1,600.70	1,735.73

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
178वीं- श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,171.24	1,097.00	1,169.96
180वीं-बी श्रृंखला- 8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,173.02	2,070.90	2,169.56
184वीं-ए श्रृंखला- 8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय	1,160.80	1,209.72	870.60	907.18
192वीं श्रृंखला- 7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,396.48	2,382.00	2,396.36
188वीं बी श्रृंखला- 7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.10	1,100.00	1,100.09
189वीं श्रृंखला- 7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.97	3,054.90	3,054.91
197वीं श्रृंखला- 7.55% सममूल्य पर दिनांक 11.05.2030 को विमोचनीय	3,740.00	3,990.03	3,740.00	3,989.89
198वीं बी श्रृंखला- 7.79% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2030 को विमोचनीय	1,569.00	1,673.83	1,569.00	1,673.76
202वीं ए श्रृंखला- 7.25% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2030 को विमोचनीय	3,500.00	3,627.05	3,500.00	3,627.03
203वीं ए श्रृंखला- 6.80% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2030 को विमोचनीय	5,000.00	5,094.07	5,000.00	5,094.06
204वीं ए श्रृंखला- 6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2031 को विमोचनीय	2,500.00	2,527.79	2,500.00	2,527.79
201वीं बी श्रृंखला- 6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2031 को विमोचनीय	1,300.00	1,359.80	1,300.00	1,359.79
213वीं श्रृंखला- 6.92% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2032 को विमोचनीय	1,380.00	1,382.88	1,380.00	1,382.86
218 बी श्रृंखला- 7.69 % सममूल्य पर दिनांक 31.01.2033 को विमोचनीय	2,004.40	2,036.80	-	-
214 बी श्रृंखला- 7.50 % सममूल्य पर दिनांक 28.02.2033 को विमोचनीय	1,947.60	1,960.18	-	-
214 बी (रि इश्यू) श्रृंखला- 7.50 % सममूल्य पर दिनांक 28.02.2033 को विमोचनीय	3,000.00	2,984.49	-	-
217वीं श्रृंखला- 7.53 % सममूल्य पर दिनांक 31.03.2033 को विमोचनीय	500.00	510.86	-	-
182वीं श्रृंखला- 8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,314.68	5,063.00	5,314.67
183वीं श्रृंखला- 8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.26	3,028.00	3,163.24
207वीं श्रृंखला- 7.02% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2036 को विमोचनीय	4,589.90	4,641.76	4,589.90	4,641.75
208वीं श्रृंखला- 7.40% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2036 को विमोचनीय	3,613.80	3,625.49	3,613.80	3,625.48
215 वीं श्रृंखला -7.65% सममूल्य पर 5 समान किस्तों में दिनांक 30.11.2033, 30.11.2034,30.11.2035,30.11.2036 और 30.11.2037 को विमोचनीय	3,889.00	3,992.12	-	-
216 बी श्रृंखला- 7.67 % सममूल्य पर दिनांक 30.11.2037 को विमोचनीय	2,000.00	2,049.92	-	-
जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	148,262.70	152,705.20	144,086.60	149,010.97

* पीपी-एमएलडी- प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिक्विड डिबेंचर

** एसटीआरपीपी-अलग से हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल भाग

ii अवसरचना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला-II (2011-12) - सममूल्य पर विमोचनीय	3.96	8.63	3.96	8.00
कुल : अवसरचना बॉण्ड	3.96	8.63	3.96	8.00

जारी किए गए अवसरचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	विमोचन का विवरण
9.15% संचयी	2.83	2.83	आबंटन की तिथि से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तिथि को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	
कुल	3.96	3.96	

राशियों को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
4.75% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 19.05.2023 को विमोचनीय	4,110.85	4,181.61	3,790.36	3,848.85
5.250% यूएस \$700 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,755.18	5,858.35	5,306.50	5,387.23
3.375% यूएस \$650 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	5,344.10	5,366.61	4,927.46	4,941.02
3.50% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	4,110.85	4,148.36	3,790.36	3,822.14
2.25% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 01.09.2026 को विमोचनीय	4,110.85	4,107.36	3,790.36	3,785.82
2.75% यूएस \$400 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 13.01.2027 को विमोचनीय	3,288.68	3,302.69	3,032.28	3,045.13
3.875% यूएस \$450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,699.76	3,425.80	3,411.32	3,102.47
4.625% यूएस \$300 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,466.51	2,299.76	2,274.21	2,094.49
कुल - विदेशी मुद्रा बॉण्ड	32,886.78	32,690.54	30,322.85	30,027.15

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 7 बिलियन अमरीकी डालर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स-एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज - सिक्पोरिटीज ट्रेडिंग) एलएसई-आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज - इंटरनेशनल सिक्पोरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्पोरिटीज मार्केट (जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	शून्य*	यूएसडी 0.4 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 4.4 बिलियन	यूएसडी 4.4 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 4.0 बिलियन	यूएसडी 4.0 बिलियन

* तुलन-पत्र की तारीख के बाद, कंपनी ने अपने जीएमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। परिणामस्वरूप, तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर होने की तारीख को जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई कुल राशि 5.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधियों में से बकाया राशि 4.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग ऑफरिंग सर्कुलर में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों और उधारों के पुनर्भुगतान में बैलेंस शीट की तारीख को कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने सभी ऋण सेवा दायित्वों, चाहे मूलधन या ब्याज, को पूरा किया है। इसके अलावा, तुलन-पत्र की तिथि को ऋण करारों के अंतर्गत वित्तीय प्रसंविदाओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

18. उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियाँ के अलावा)

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)				
विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ				
(i) बैंकों से आवधिक ऋण	56,298.20	56,402.09	42,878.32	42,919.86
(ii) अन्य-वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	6,000.00	6,000.64	6,800.00	6,800.00
(iii) विदेशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा	45,553.26	45,263.52	35,634.60	35,329.87
(iv) भारत सरकार से आवधिक ऋण (एनएसएसएफ)	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
(v) पट्टा देयताएं	0.02	0.02	0.03	0.03
उप-जोड़ (क)	117,851.48	117,991.39	95,312.95	95,374.88
(ख) अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ				
(i) एफसीएनआर (बी) ऋण	15,424.22	15,427.63	9,854.92	9,861.13

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- एचएसबीसी	3,402.49	3,403.23	3,402.49	3,403.03
19.05.2025 को ₹ 565 करोड़ प्रतिदेय, 18.12.2025 को ₹ 187.49 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2026 को ₹ 900 करोड़ प्रतिदेय, 06.07.2026 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 09.07.2026 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2030 को ₹ 85 करोड़ प्रतिदेय एवं 28.03.2030 को ₹ 665 करोड़ प्रतिदेय है।				
-बैंक ऑफ इंडिया	1,499.87	1,500.18	749.87	750.00
27.09.2024 को प्रारंभ होने वाली 5 वार्षिक किस्तों में ₹749.87 करोड़ प्रतिदेय और अंतिम किस्त 27.09.2028 को देय है एवं 31.03.2030 को ₹ 750 करोड़ प्रतिदेय है।				
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,999.68	3,000.33	1,999.68	1,999.68
04.01.2026 को ₹ 1,000 करोड़ प्रतिदेय एवं 31.03.2027 को प्रारम्भ होने वाली 5 वार्षिक किस्तों में ₹ 1,999.68 करोड़ प्रतिदेय एवं 31.03.2031 को अंतिम किस्त देय है।				
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10,900.26	10,900.26	12,729.30	12,729.30
दिनांक 15.10.2023 को ₹ 699.84 करोड़ प्रतिदेय है, 05.09.2023 और 05.03.2024 को 2 वार्षिक किस्तों में ₹ 919.44 करोड़ प्रतिदेय, 15.07.2023 से शुरू होकर 5 अर्ध-वार्षिक किस्तों में ₹ 3,569.93 करोड़ प्रतिदेय होंगे और अंतिम किस्त 15.07.2025 को देय होगी, ₹ 1,711.19 करोड़ 12.12.2027 को चुकाने होंगे और ₹ 3,999.86 करोड़ संरचित किस्तों में 29.10.2023 से शुरू होंगे और अंतिम किस्त 29.10.2031 को प्रतिदेय होगी।				
-पंजाब नेशनल बैंक	4,995.97	4,996.19	4,996.98	4,996.98
दिनांक 27.08.2023 को देय पहली किस्त के साथ 3 वार्षिक किस्तों में ₹1,9996.66 करोड़ और 11.11.2026 को देय ₹1,9999.66 करोड़ और 29.03.2028 से शुरू होने वाली 10 अर्ध-वार्षिक किस्तों में ₹999.66 करोड़ प्रतिदेय और अंतिम किस्त 29.12.2031 को देय होगी				
-सेंट्रल बैंक	2,399.99	2,399.99	500.00	500.00
₹1,499.99 करोड़ 26.03.2024 को प्रतिदेय , ₹400 करोड़ की 17.10.2025 को प्रतिदेय और ₹28.02.2026 से शुरू होने वाली 7 वार्षिक किस्तों में ₹500 करोड़ प्रतिदेय और 29.02.2032 को अंतिम किस्त प्रतिदेय है।				
जोड़ – बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	56,298.20	56,402.09	42,878.32	42,919.86

(ii) अन्य वित्तीय संस्थाओं से – आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	5,500.00	5,500.53	6,800.00	6,800.00
23.02.2024 को ₹ 1,500 करोड़ प्रतिदेय एवं 14.03.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2026 को ₹ 1,000 करोड़ प्रतिदेय, 27.03.2026 को ₹ 1,000 करोड़ प्रतिदेय, 09.08.2026 को ₹ 1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 28.07.2027 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय				
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी)	500.00	500.11	-	-
31.03.2027 को प्रारम्भ होने वाली 7 वार्षिक किस्तों में ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय और अंतिम किस्त 31.03.2033 को देय है				
	6,000.00	6,000.64	6,800.00	6,800.00

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
जेआईसीए ऋण - जेआईसीए-II 20.03.2023 को प्रदत्त	-	-	23.47	23.48
केएफडब्ल्यू – iii ऋण – 30.03.2024 तक € 5.26 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय है, अगली किस्त 30.06.2023 को देय है।	141.51	142.17	222.81	223.55
उप जोड़ – (1)	141.51	142.17	246.28	247.03
(2) ओडीए ऋण - भारत सरकार गारंटीकृत के बिना				
केएफडब्ल्यू – iv ऋण – 15.11.2030 तक € 12.00 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय है, अगली किस्त 15.05.2022 को देय है।	1,578.56	1,609.90	1,637.43	1,639.80
उप जोड़ – (2)	1,578.56	1,609.90	1,637.43	1,639.80
(3) द्विपक्षीय/सिंडिकेटेड ऋण				
यूएस \$ 200 मिलियन- 28.07.2022 को प्रदत्त	-	-	1,516.14	1,516.11
यूएस \$ 150 मिलियन- 11.09.2022 को प्रदत्त	-	-	1,137.11	1,136.75
¥10,327.12 मिलियन- 08.08.2023 को प्रतिदेय	638.22	635.36	642.66	636.04
यूएस \$ 250 मिलियन- 29.08.2023 को प्रतिदेय	2,055.42	2,064.76	1,895.18	1,895.18
यूएस \$ 250 मिलियन- 27.03.2024 को प्रतिदेय	2,055.42	2,036.56	1,895.18	1,880.88
यूएस \$150 मिलियन- 29.03.2024 को प्रतिदेय एवं \$ 75 मिलियन 14.05.2024 को प्रतिदेय	1,233.25	1,224.65	1,137.11	1,125.35
यूएस \$ 100 मिलियन- 01.07.2024 को प्रतिदेय	822.17	830.83	758.07	755.34
एसजी \$72.07 मिलियन- 30.03.2025 को प्रतिदेय	445.48	440.55	403.21	396.92
यूएस \$ 75 मिलियन- 30.03.2025 को प्रतिदेय	616.63	606.46	568.55	561.90
¥ 10,519 मिलियन-25.09.2025 को प्रतिदेय	650.07	643.21	654.60	645.86
यूएस \$170 मिलियन- \$100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय एवं \$70 मिलियन- 06.10.2025 को प्रतिदेय	1,397.69	1,400.67	1,288.72	1,288.65
यूएस \$ 425 मिलियन- 16.03.2026 को प्रतिदेय	3,494.22	3,467.48	3,221.80	3,207.65
यूएस \$ 600 मिलियन- 25.08.2026 को प्रतिदेय	4,933.01	4,899.73	4,548.43	4,499.53
यूएस \$ 75 मिलियन- 07.10.2026 को प्रतिदेय	616.63	626.45	568.55	565.00
यूएस \$1175 मिलियन- 29.12.2026 को प्रतिदेय	9,660.49	9,500.21	8,907.33	8,751.96
¥ 37506.63 मिलियन- 03.03.2027 को प्रतिदेय	2,317.91	2,285.95	2,334.04	2,293.52
यूएस \$ 100 मिलियन- 13.06.2023 को प्रतिदेय	822.17	815.24	-	-
यूएस \$ 200 मिलियन- 28.07.2027 को प्रतिदेय	1,644.34	1,640.92	-	-
यूएस \$ 150 मिलियन- 13.09.2027 को प्रतिदेय	1,233.25	1,221.79	-	-
एसजीडी 213.21 मिलियन- 27.10.2027 को प्रतिदेय	1,317.80	1,306.89	-	-
€ 254.19 मिलियन- 31.10.2027 को प्रतिदेय	2,277.77	2,258.06	-	-
€ 349.83 मिलियन- 27.03.2028 को प्रतिदेय	3,134.74	3,085.56	-	-
यूएस \$ 300 मिलियन- 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,466.51	2,520.12	2,274.21	2,286.40
उप- जोड़ – (3)	43,833.19	43,511.45	33,750.89	33,443.04
कुल : विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	45,553.26	45,263.52	35,634.60	35,329.87

(iv) नेशनल स्माल सेविंग्स फंड (एनएसएएफ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
एनएसएसएफ से ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
13.12.2028 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय				
कुल - सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(i) एफसीएनआर (बी) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस \$ 200 मिलियन- 24.05.2022 को प्रदत्त	-	-	1,516.14	1,517.78
यूएस \$150 मिलियन- 27.05.2022 को प्रदत्त	-	-	1,137.11	1,137.16
यूएस \$200 मिलियन- 03.06.2022 को प्रदत्त	-	-	1,516.14	1,516.21
यूएस \$25 मिलियन- 07.06.2022 को प्रदत्त	-	-	189.52	189.72
यूएस \$150 मिलियन- 18.06.2022 को प्रदत्त	-	-	1,137.11	1,137.17
यूएस \$200 मिलियन- 10.12.2022 को प्रदत्त	-	-	1,516.14	1,517.90
यूएस \$75 मिलियन- 14.12.2022 को प्रदत्त	-	-	568.55	569.21
यूएस \$200 मिलियन- 30.12.2022 को प्रदत्त	-	-	1,516.14	1,517.91
यूएस \$100 मिलियन- 23.02.2023 को प्रदत्त	-	-	758.07	758.07
यूएस \$200 मिलियन- 24.05.2023 को प्रतिदेय	1,644.34	1,644.34	-	-
यूएस \$150 मिलियन- 26.05.2023 को प्रतिदेय	1,233.25	1,233.44	-	-
यूएस \$200 मिलियन- 03.06.2023 को प्रतिदेय	1,644.34	1,644.58	-	-
यूएस \$75 मिलियन- 07.06.2023 को प्रतिदेय	616.63	616.63	-	-
यूएस \$150 मिलियन- 21.06.2023 को प्रतिदेय	1,233.25	1,233.44	-	-
यूएस \$ 200 मिलियन- 08.12.2023 को प्रतिदेय	1,644.34	1,644.34	-	-
यूएस \$300 मिलियन- 13.12.2023 को प्रतिदेय	2,466.51	2,466.51	-	-
यूएस \$75 मिलियन- 14.12.2023 को प्रतिदेय	616.63	616.63	-	-
यूएस \$100 मिलियन- 15.12.2023 को प्रतिदेय	822.17	822.17	-	-
यूएस \$200 मिलियन- 29.12.2023 को प्रतिदेय	1,644.34	1,644.60	-	-
€ 69.77 मिलियन- 16.01.2024 को प्रतिदेय	625.17	627.48	-	-
यूएस \$ 150 मिलियन- 15.02.2024 को प्रतिदेय	1,233.25	1,233.47	-	-
जोड़ -एफसीएनआर (बी) ऋण	15,424.22	15,427.63	9,854.92	9,861.13

18.3 टिप्पणी संख्या 18.1 (i), (ii) तथा (iv) में उल्लिखित है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकार से आवधिक ऋण 5.38 % से 8.29% मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

18.4 टिप्पणी सं. 18.1 (iii) में विदेशी मुद्रा उधार को 0.65% से 1.86% प्रतिवर्ष के दायरे में स्थिर ब्याज दरों और बाह्य बैंचमार्क पर 13 आधार अंक से 210 आधार अंक के दायरे में बढ़ाया गया है, जिसमें 3/6 माह का अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक प्रस्तावित दर), 3/6 माह का ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक प्रस्तावित दर), ओवरनाइट एसओएफआर (प्रतिभूत ओवरनाइट वित्तीय दर), 3/6 माह का सावधि एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट औसत दर), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट प्रस्तावित दर), एसओएफआर (प्रतिभूत ओवरनाइट वित्तीय दर) और ऋण समायोजन स्प्रेड (सीएएस) को ऋण की नई बैंचमार्क दरों में अंतरित करने के लिए लागू किया गया है।

18.5 कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से कोई निधि उधार नहीं लिया है।

18.6 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों और उधार के सुरक्षा विवरण कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और जो तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया हैं, के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से और / या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्कलगाकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 123-I और 123-III बी को विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के ऋण परिसंपत्तियां जो अन्य ऋणदाता / ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्य के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्डों को शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई में परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्तार आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता रहा है) के पक्ष में एमएसईसीडीएल की 4,998.66 करोड़ रुपए की ऋण परिसंपत्तियों को अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड्स को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के ऋण परिसंपत्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2015-16 के दौरान जारी की गई 54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एग्रेगेशन बॉण्ड और टैक्स फ्री बॉण्ड्स की बॉण्ड सीरीज़ XII और XIII को (क) उप-प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी, ग्राम - सुभानपुरा, जिला वडोदरा स्थित परिसरों के बंधक और (ख) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एग्रेगेशन बॉण्ड की श्रृंखला XIV और XV एवं XVI को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई ऋण परिसंपत्तियों और संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) के मूल्य के लिए नोट संख्या 9 और 14.2 देखें।

18.6 संबंधित वैधानिक तिथि से परे कंपनी रजिस्ट्रार आरओसी के साथ अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है।

19. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी अधीनस्थ देयताओं को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) 115वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	2,500.00	2,668.34	2,500.00	2,668.11
(ii) 175वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,079.90	2,151.20	2,100.70
(iii) 199वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,025.06	1,999.50	2,047.66
जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	6,650.70	6,773.30	6,650.70	6,816.47
भारत के बाहर / में अधीनस्थ देयताएं				
(i) भारत में उधारियाँ	6,650.70	6,773.30	6,650.70	6,816.47
(ii) भारत के बाहर उधारियाँ	-	-	-	-
जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	6,650.70	6,773.30	6,650.70	6,816.47

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच समाधान के लिए टिप्पणी संख्या 19.2 देखें।

19.1 वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घ-अवधि उधारियां	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी-एमएलडी एएएआर, आईसीआरए, पीपी-एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बॉण्ड	क्रिसिल एएए, केयर एए+
घरेलू अल्पावधि उधारियां	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयरए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी- (फिच), बीएए3 (मूडीज़)

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

19.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया संविदा संबंधी राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2023 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	236,948.99	137,114.13	6,773.30	380,836.42
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,730.41)	(670.87)	(296.95)	(7,698.23)
जोड़ें: ईआईआर सहित भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	783.85	520.03	174.35	1,478.23
कुल बकाया उधारियां	231,002.43	136,963.29	6,650.70	374,616.42
31 मार्च 2022 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	219,633.57	106,651.59	6,816.47	333,101.63
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,737.95)	(430.69)	(296.94)	(7,465.58)
जोड़ें: ईआईआर सहित भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	719.20	357.90	131.17	1,208.27
कुल बकाया उधारियां	213,614.82	106,578.80	6,650.70	326,844.32

19.3 कंपनी बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकारी एंजेंसियों एवं बॉण्ड से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज / सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित न रही हों। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों तथा ऋण प्रतिभूतियों संबंधी प्रसंविदा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

19.4 सेबी के दिनांक 10 अगस्त 2021 के परिपत्र संख्या सेबी / एचओ/ डीडीएचएस / पी / सीआईआर /2021/613 में यथाविहित 'लार्ज एंटिटियों' द्वारा ऋण प्रतिभूतियां जारी कर निधियां जुटाने के लिए फ्रेमवर्क' के संदर्भ में कंपनी एक "लार्ज कारपोरेट" है। उक्त परिपत्र के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

(सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

विवरण	व्योरे
(1) कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड
(2) सीआईएन	L40101DL1969GOI005095
(3) 31 मार्च 2023 के अनुसार कंपनी का बकाया उधारियां*	278,784.64
(4) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ उच्चतम क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए एएए, क्रिसिल एएए, केयर एएए, आईआरआरपीएल एएए
(5) स्टॉक एक्सचेंज का नाम जिसमें जुर्माना का भुगतान करना होगा, के तहत आवश्यक उधार में कमी के मामले में उधारियों का विवरण	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
i. 3 वर्ष की ब्लॉक अवधि	
ii. वित्तीय वर्ष 2022-23 में की गई वृद्धिशील उधारियां (ए)	
iii. वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से किया जाने वाला अनिवार्य उधारियां (बी) = (ए का 25%)	
iv. वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए वास्तविक उधारियां (सी)	
v. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार में कमी, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक अग्रेषित (डी)	शून्य
vi. (डी) की मात्रा, जो (सी) (ई) से मिश्रित है।	शून्य
vii. "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में कमी, यदि कोई हो, {वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उधार में किसी भी कमी को समायोजित करने के बाद, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 (एफ) = (बी) - [(सी) - (ई)]	शून्य

* सेबी के परिपत्र के अनुसार, उपर्युक्त (3) में उल्लिखित उधार में 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सभी बकाया उधार शामिल हैं, परंतु इसमें बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं हैं।

20. अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(क) अप्रदत्त लाभांश (टिप्पणी संख्या 20.1 देखें)	6.79	6.39
(ख) अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्ड पर ब्याज (टिप्पणी संख्या 20.1 देखें)		
- परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	25.66	22.01
- बॉण्डों पर ब्याज	11.17	6.72
उप-जोड़ (ख)	36.83	28.73
(ग) सब्सिडी / अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (संचयी)	96,263.30	95,578.81
जोड़ें: ऐसी निधियों पर ब्याज (निवल का वापसी)	3.12	3.95
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(96,238.70)	(94,808.08)
सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	27.72	774.68
(घ) भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय	24,318.29	24,318.29
(च) अन्य देयताएं	784.95	447.75
जोड़ (क से च तक)	25,174.58	25,575.84

20.1 बाण्डों पर भुगतान न किए गए लाभांश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लंबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹ 2.68 करोड़ (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹ 1.22 करोड़) है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दी गई है।

20.2 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सल्लिसिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एंड एसपी सल्लिसिडी (पात्र उधारकर्ताओं को स्वितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.75 करोड़ (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.73 करोड़) की निवल राशि ब्याज सस्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं अपूर्ण कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	0.73	0.71
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.02
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	0.75	0.73

20.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य वित्तीय देयताएं" के अंतर्गत "असंवितरित सब्सिडी/ के तहत वर्गीकृत किया जाता है"।

20.4 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	3.95	2.63
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	4.21	19.82
घटाएँ: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	(5.04)	(18.50)
अंतिम शेष	3.12	3.95

20.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्क्रीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, मिमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य) राशि जुटाई गई है। दिनांक 2 दिसंबर 2020 और 3 मार्च 2021 को वित्तीय मंत्रालय (एमओएफ) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान की जाएगी। तदनुसार ब्याज के साथ-साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है। (टिप्पणी 11)

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
जीओआई –I शृंखला	8.09%	अर्द्ध- वार्षिक	3/21/2028	1,837.00	1,837.00
जीओआई –II शृंखला	8.01%	अर्द्ध- वार्षिक	3/24/2028	1,410.00	1,410.00
जीओआई –III शृंखला	8.06%	अर्द्ध- वार्षिक	3/27/2028	753.00	753.00
जीओआई –IV शृंखला	8.70%	अर्द्ध- वार्षिक	9/28/2028	3,000.00	3,000.00
जीओआई –V शृंखला	8.54%	अर्द्ध- वार्षिक	11/15/2028	3,600.00	3,600.00
जीओआई –VI शृंखला	8.80%	अर्द्ध-वार्षिक	1/22/2029	2,027.00	2,027.00
जीओआई –VII शृंखला	8.60%	अर्द्ध- वार्षिक	3/8/2029	1,200.00	1,200.00
जीओआई – VIII शृंखला	8.30%	अर्द्ध- वार्षिक	3/25/2029	4,000.00	4,000.00
जीओआई – IX शृंखला	7.14%	अर्द्ध-वार्षिक	3/2/2030	1,500.00	1,500.00
जीओआई – X शृंखला	8.25%	अर्द्ध- वार्षिक	3/26/2030	532.30	532.30
जीओआई – XI शृंखला	7.20%	अर्द्ध- वार्षिक	3/31/2030	1,750.00	1,750.00
जीओआई – XII शृंखला	6.45%	अर्द्ध- वार्षिक	1/7/2031	1,000.00	1,000.00
जीओआई – XIII शृंखला	6.63%	अर्द्ध- वार्षिक	1/28/2031	1,000.00	1,000.00
जीओआई – XIV शृंखला	6.50%	अर्द्ध- वार्षिक	3/26/2031	500.00	500.00
कुल				24,109.30	24,109.30

लेखा संबंधी टिप्पणियां

21. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
आयकर के लिए प्रावधान	-	18.01
घटाएं: अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	-	(7.76)
चालू कर देयताएं (निवल)	-	10.25

22. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
निम्न के लिए प्रावधान		
(क) कार्मिक हितलाभ		
उपदान	2.68	0.34
अर्जित अवकाश देयता	27.49	25.17
सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ	-	0.71
चिकित्सा अवकाश देयता	20.61	21.49
निपटान भत्ता	1.76	1.79
आर्थिक पुनर्वास योजना	4.17	4.15
दीर्घ सेवा अवार्ड	2.89	2.25
प्रोत्साहन	33.47	27.71
अन्य*	2.00	-
उप-जोड़ (क)	95.07	83.61
(ख) अन्य		
सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	15.87	20.90
उप-जोड़ (ख)	15.87	20.90
जोड़ (क + ख)	110.94	104.51

* अन्य सीपीएसई के समतुल्य बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों के संबंध में पहले अपनाए गए वेतन वेतनमान 1997 को नियमित करने के संबंध में विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में बनाया गया है।

22.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	20.90	9.09
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	5.48	17.18
घटाएं: वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(10.51)	(5.37)
वर्ष के समाप्ति पर शेष	15.87	20.90

22.2 बैंकों को जारी कंपनी का अधिकतम ऋण जोखिम एक्सपोजर ₹ 3,082.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,068.95 करोड़) वित्तीय गारंटी के रूप में उधारकर्ताओं की ओर से सुविधा पत्रों से संबंधित है।

23. अन्य गैर – वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(क) विविध देयताओं का खाता (निधिकृत ब्याज पूंजीकरण)	2.80	4.10
(ख) पूंजी खाते के प्रति देय देयता	48.38	26.96
(ग) असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	12.45	28.72
(घ) भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्त्य	-	0.75
(ङ) सांविधिक देय	34.94	21.11
जोड़ (क से ङ)	98.57	81.64

लेखा संबंधी टिप्पणियां

24. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	5,000,000,000	5,000.00	5,000,000,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	2,633,224,000	2,633.22	1,974,918,000	1,974.92
जोड़	2,633,224,000	2,633.22	1,974,918,000	1,974.92

24.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयर	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित बोनस शेयर	658,306,000	658.30	-	-
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों	2,633,224,000	2,633.22	1,974,918,000	1,974.92

24.2 वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वर्ष के दौरान कंपनी ने 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' की जमा राशि में से ₹658.31 करोड़ को पूंजीगत करते हुए रिकॉर्ड तारीख अर्थात 18 अगस्त 2022 को बकाया प्रत्येक 3 (तीन) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर के अनुपात में पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में प्रत्येक ₹10 के 65,83,06,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया।

24.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन-पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

24.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

24.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक:

शेयरधारक के नाम	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,385,993,662	52.63%	1,039,495,247	52.63%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	*		158,992,122	8.05%

* 31-03-2023 के अनुसार शेयर धारिता 5% से कम है।

24.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

शेयरधारक के नाम	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,385,993,662	52.63%	1,039,495,247	52.63%

24.7 प्रमोटर्स द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

कंपनी का नाम	31.03.2023 के अनुसार			31.03.2022 के अनुसार		
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	% वर्ष के दौरान परिवर्तन	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	-	-	-	-	-	-
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,385,993,662	52.63%	-	1,039,495,247	52.63%	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

25 लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
₹ 10 लाख प्रत्येक के पूर्णतया देय बेमियादी ऋण लिखत पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी है	5,584	558.40	5,584	558.40
जोड़	5,584	558.40	5,584	558.40

25.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में स्थायी बेमियादी प्रतिभूतियों की संख्या का सामंजस्य

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,584	558.40	5,584	558.40
वर्ष के दौरान जोड़ें/(घटाएं)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	5,584	558.40	5,584	558.40

25.2 लिखत धारक पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के 5% से अधिक के बेमियादी ऋण लिखतों को धारित करते हैं, तुलन पत्र की तिथि:

शेयरधारक का नाम	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	665	11.91%
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	500	8.95%

25.3 कंपनी ने प्रत्येक ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के बेमियादी ऋण लिखत जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल करने योग्य है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे: (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावे; और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद नहीं बुलाए जाने पर लिखतों में एक कदम बढ़ाने का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूंजी जोखिम संपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में बेमियादी हैं और कंपनी के पास कूपन का भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, आवधिक कूपन भुगतानों को तदनुसार प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया जाता है।

26 अन्य इक्विटी

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(क) अन्य आरक्षित निधि		
(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	24,977.89	22,302.93
(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	-	196.82
(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	8,025.15	5,814.00
(iv) प्रतिभूति प्रीमियम	1,577.53	2,236.54
(v) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतरण खाता	(790.44)	(555.29)
(vi) सामान्य आरक्षित निधि	11,978.44	11,781.62
(ख) प्रतिधारित अर्जन	9,930.77	6,915.38
(ग) अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
-अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतें	(101.47)	(37.98)
- नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा	600.05	194.21
-हेजिंग रिजर्व की लागत	(1,709.87)	(395.95)
जोड़ – अन्य इक्विटी	54,488.05	48,452.28

'अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

26.1 **आरक्षित निधि से आहरण/अंतरण:** नियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनायी गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियाँ हस्तांतरित की है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(i) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) (सी) के तहत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व बैंक से ₹196.82 करोड़ की वसूली की है, जो ऋण परिसंपत्तियों और अन्य वसूली योग्य राशियों पर वास्तविक बढ़े खाते डालने के कारण है

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) (सी) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिज़र्व बैंक से ₹ 1,931.59 करोड़ की वसूली की है, जो ऋण परिसंपत्तियों और अन्य वसूली योग्य परिसंपत्तियों पर वास्तविक बढ़े खाते डालने के कारण है।

26.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	22,302.93	19,222.23
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,674.96	3,080.70
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	24,977.89	22,302.93

26.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	196.82	2,128.41
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(196.82)	(1,931.59)
वर्ष के अंत में शेष	-	196.82

26.4 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि

कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभार्थ की घोषणा से पहले निवल लाभ के कम से कम 20% राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,814.00	3,804.00
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,211.15	2,010.00
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	8,025.15	5,814.00

26.5 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,236.54	2,236.54
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
घटाएं: इक्विटी शेयरों के बोनस निर्गम के लिए प्रयुक्त	(658.30)	-
घटाएं: इक्विटी शेयरों के बोनस निर्गम पर किया गया व्यय	(0.71)	-
वर्ष के अंत में शेष	1,577.53	2,236.54

26.6 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से नुकसान/लाभ के मोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के विमोचन (रिडेम्प्शन) की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में मोचित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(555.29)	(573.16)
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घवधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि(-)	(487.03)	(216.94)
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	251.88	234.81
वर्ष के अंत में शेष	(790.44)	(555.29)

26.7 सामान्य आरक्षित निधि (रिजर्व)

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	11,781.62	9,850.03
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
जोड़े: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से हस्तांतरित	196.82	1,931.59
वर्ष के अंत में शेष	11,978.44	11,781.62

26.8 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी लिखत

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में संचित किए जाते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो कंपनी इस आरक्षित निधि से राशियों को रखी गई प्रतिधारित आय में अंतरित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(37.98)	24.07
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	(58.48)	24.74
जोड़े: एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	(5.01)	(86.79)
वर्ष के अंत में शेष	(101.47)	(37.98)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.9 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वेप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वेप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	194.21	(165.61)
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	405.84	359.82
वर्ष के अंत में शेष	600.05	194.21

26.10 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में परिशोधित (एमोर्टाइज़) किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण :

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(395.95)	41.45
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	(1,313.92)	(437.40)
वर्ष के अंत में शेष	(1,709.87)	(395.95)

26.11 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	6,915.38	4,325.09
जोड़े: वर्ष के लिए लाभ	11,054.64	10,045.92
जोड़े: परिभाषित हितलाभ योजनाओं(करों का निवल) का पुनःमापन	(4.48)	(6.23)
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व में हस्तांतरित	(2,674.96)	(3,080.70)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	-	-
घटाएं: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक रिज़र्व में हस्तांतरित	(2,211.15)	(2,010.00)
घटाएं: डिबेंचर रिडेंप्शन रिजर्व में हस्तांतरित	-	-
घटाएं: इम्पेयरमेंट रिजर्व में हस्तांतरित	-	-
जोड़े: एफवीओसीआई इक्विटी लिखत की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	5.01	86.79
घटाएं: लिखत पर कूपन भुगतान प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी (मियादी ऋण लिखतों) (करों का निवल)	(33.30)	(34.12)
घटाएं: लिखत पर निर्गम व्यय पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी (मियादी ऋण लिखतों) (करों का निवल)	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(3,120.37)	(2,411.37)
घटाएं: लाभांश वितरण कर	-	-
वर्ष के अंत में शेष	9,930.77	6,915.38

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.12 कंपनी द्वारा प्रत्येक 10/- रुपए के इक्विटी शेयरों के लिए घोषित/ प्रस्तावित लाभांश

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि
	(₹)	(₹ करोड़ में)	(₹)	(₹ करोड़ में)
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर की संख्या	2,63,32,24,000		1,97,49,18,000	
अंतरिम लाभांश	8.25	2,172.41	10.50	2,073.66
अंतिम/प्रस्तावित लाभांश	-	-	4.80	947.96
कुल लाभांश	8.25	2,172.41	15.30	3,021.62

इंड-एएस 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम लाभांश के मामले में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदन के बाद ऐसा विनियोजन किया जाता है।

27. ब्याज आय

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष			31-03-2022 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	-	37,679.56	-	-	37,613.68	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण	-	680.35	-	-	197.16	-
उप-जोड़ (क)	-	38,359.91	-	-	37,810.84	-
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						
(i) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	152.68	31.69	-	108.06	27.15
उप-जोड़ (ख)	-	152.68	31.69	-	108.06	27.15
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) जमाओं पर ब्याज	-	111.28	-	-	84.66	-
उप-जोड़ (ग)	-	111.28	-	-	84.66	-
(घ) अन्य ब्याज आय						
(i) उधारकर्ताओं द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज	-	176.76	-	-	154.54	-
(ii) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	3.65	-	-	0.97	-
(iii) मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.27	-	-	0.24	-
उप-जोड़ (घ)	-	180.68	-	-	155.75	-
जोड़-ब्याज आय (क से घ)	-	38,804.55	31.69	-	38,159.31	27.15

28 लाभांश आय

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
- अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	27.45	22.43
- अन्य निवेशों से लाभांश	11.89	4.21
जोड़-लाभांश आय	39.34	26.64

28.1 अन्य निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
एफवीओसीआई इक्विटी निवेशों पर लाभांश		
-वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	11.81	3.20
-वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	0.08	1.01
जोड़	11.89	4.21

लेखा संबंधी टिप्पणियां

29. शुल्क एवं कमीशन आय

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	117.80	92.22
पूर्व अदायगी प्रीमियम	47.16	465.37
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	122.21	15.23
जोड़- शुल्क एवं कमीशन आय	287.17	572.82

30. अन्य आय

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
-संयुक्त उद्यम में महत्वपूर्ण प्रभाव की समाप्ति पर लाभ	-	29.01
-बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के निपटान पर निवल लाभ/(हानि)	4.08	30.19
-किराए से आय	17.16	16.32
-देयताएं/प्रावधान रिटन बैंक	-	8.93
-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से शुल्क	7.73	6.57
-आयकर वापसी से ब्याज	-	0.83
-विविध आय	15.70	6.11
जोड़ – अन्य आय	44.67	97.96

31. वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
(i) उधारियों पर ब्याज		
-भारत सरकार से ऋण (एनएसएसएफ)	822.50	822.50
-बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	3,934.76	2,788.79
-बाह्य वाणिज्यिक दस्तावेज	1,881.41	577.12
उप-जोड़ (i)	6,638.67	4,188.41
(ii) ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज		
-घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	13,316.68	14,763.99
-विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,442.43	1,294.73
-वाणिज्यिक दस्तावेज	-	14.76
उप-जोड़ (ii)	14,759.11	16,073.48
(iii) अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज		
-अधीनस्थ बॉण्ड	551.65	523.30
उप-जोड़ (iii)	551.65	523.30
(iv) अन्य ब्याज व्यय		
-स्वैप प्रीमियम	1,784.82	1,269.34
-कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	3.44	3.48
उप-जोड़ (iv)	1,788.26	1,272.82
जोड़ – वित्तीय लागत	23,737.69	22,058.01
घटाए: पूंजीकृत वित्तीय लागत	(0.03)	(5.10)
जोड़- वित्तीय लागत (निवल)	23,737.66	22,052.91

32. निवल अंतरण / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
निवल अंतरण / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)	1,114.04	799.05
जोड़	1,114.04	799.05

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹ 251.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 234.81 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल अंतरण / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का विमोचन शामिल है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

32.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दरें	यूएसडी / आईएनआर	जेपीवाई/ आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	एसजीडी / आईएनआर
31 मार्च 2023 के अनुसार	82.2169	0.6180	89.6076	61.8074
31 मार्च 2022 के अनुसार	75.8071	0.6223	84.6599	55.9438

33. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)			
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
(i) गारंटी शुल्क	2.92	4.29	
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.05	0.84	
(iii) एजेंसी शुल्क	1.76	2.01	
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	3.55	6.69	
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	8.01	2.90	
जोड़ (i से v)	16.29	16.73	

34. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल प्राप्ति लाभ/ (हानि)

(₹ करोड़ में)			
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
(क) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ / (हानि)			
(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-	
(ii) अन्य			
- व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	69.21	351.36	
- दीर्घावधि निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(25.45)	(12.78)	
- अल्पावधि म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	1.55	7.99	
उप-जोड़ (ii)	45.31	346.57	
जोड़ (क)	45.31	346.57	
उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्रेकअप			
- वसूली की गयी	336.35	365.03	
- वसूली नहीं की गयी	(291.04)	(18.46)	
जोड़ - उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ / (हानि)	45.31	346.57	

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन अर्जित ब्याज आय / व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा अन्य हैं और हेज अकाउंटिंग और अप्रभावी हेज के तहत नामित आर्थिक बचाव के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाते हैं।

35. वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)				
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष		31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) - ऋण*	-	105.14	-	3434.36
(ii) -निवेश	-	-	-	28.72
(iii) - अन्य	-	9.77	-	10.23
जोड़ (i + ii)	-	114.91	-	3473.31

*सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹ -5.03 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹ 11.81 करोड़) शामिल हैं।

36. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते*	136.33	115.03
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	8.20	18.73
-कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	5.31	3.77
- कार्मिक कल्याण व्यय	31.79	22.08
जोड़	181.63	159.61

* इसमें अन्य सीपीएसई के समतुल्य बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के संबंध में पहले अपनाए गए वेतनमान 1997 को नियमित करने के संबंध में विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में उपगत ₹ 20.54 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है।



लेखा संबंधी टिप्पणियां

37 मूल्यहास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)			
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
- संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यहास	21.45	15.09	
- अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	2.64	2.87	
जोड़	24.09	17.96	

38 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)			
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
- प्रत्यक्ष व्यय	197.01	165.20	
- ओवरहेड्स	5.64	5.47	
जोड़	202.65	170.67	

38.1 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 को समय-समय पर संशोधित किया है। इन नियमों में अपेक्षा की गई है कि चालू परियोजना को छोड़कर अन्य किसी भी व्यय न की गई सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित है तो उसे अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर देना चाहिए। तथापि, यदि तीन वित्तीय वर्षों के भीतर ऐसी राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में, तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अंतरित किया जाना अपेक्षित है। कंपनी को इस अधिनियम के तहत आवश्यकता से अधिक व्यय की जाने वाली राशि के साथ तीन उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों के भीतर समायोजित करने का अधिकार है। इसके अलावा, प्रभाव आकलन करने वाली कंपनियां उस वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर के लिए व्यय दर्ज कर सकती हैं, जो कुल सीएसआर व्यय के दो प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

38.2 कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹ 202.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 170.67 करोड़) है।

(ख) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमोदित राशि ₹ 202.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 170.67 करोड़) है।

(ग) सीएसआर से संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए टिप्पणी सं. 53 को देखें ।

(घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(₹ करोड़ में)			
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
(क) प्रारंभिक शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि	(0.40)	(3.46)	
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	202.65	170.67	
(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि*	209.95	167.61	
(घ) अंतिम शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि** (क+ख +ग)	(7.70)	(0.40)	

* आरईसी फाउंडेशन (कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा अस्थायी रूप से रखी गई निधियों पर अर्जित ब्याज से सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की गई राशि ₹ 0.98 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) को शामिल नहीं किया गया है।

* अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र

38.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)

(₹ करोड़ में)						
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष			31-03-2022 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
स्वास्थ्य/स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	73.59	-	73.59	54.75	-	54.75
शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	23.12	-	23.12	16.17	-	16.17
पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	23.79	-	23.79	8.06	-	8.06
खेल-कूद	30.50	-	30.50	15.00	-	15.00
पीएम केयर फंड में योगदान	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00
कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन का प्रावधान	-	-	-	0.26	-	0.26
अन्य	3.31	-	3.31	17.90	-	17.90
प्रभाव मूल्यांकन	0.34	-	0.34	0.23	-	0.23
प्रशिक्षण आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्च	5.30	-	5.30	5.24	-	5.24
जोड़ (i+ii)	209.95	-	209.95	167.61	-	167.61

लेखा संबंधी टिप्पणियां

43. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii) लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374
(iv) पंजीकरण संख्या	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटेरेस्ट ऑफ इंडिया (सीआईआरएसएआई)	L0012

44. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

44.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 के दौरान देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए “प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना” – सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपए था । विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

44.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना नवंबर 2014 को शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15% (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में ‘सभी के लिए 24x7 विद्युत’ हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;
- वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;
- माइक्रो-ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;
- डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

इस योजना ने संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹ 63,027 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹ 75,893 करोड़ के परिव्यय का अनुमान लगाया था। डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त इन्फ्रा को ₹ 7,069 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था, जिसमें ₹ 5302 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल थी। है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

44.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को सक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

44.4 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने डिस्कॉम को परिणाम से संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) अनुमोदित की है ताकि पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा सके। इस स्कीम के लिए 5 वर्षों में अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ₹ 3,03,758 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है, जिसमें ₹ 97,631 करोड़ की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है।

स्कीम के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय चरण पर एटी एंड सी हानियों को कम करके 12-15% तक करना।
- वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को कम करके शून्य करना।
- वित्तीय रूप से सतत और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार।

स्कीम के घटक निम्नानुसार हैं:-

भाग क - प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के स्तरोन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।

भाग ख - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थकारी और सहायक गतिविधियाँ।



लेखा संबंधी टिप्पणियां

45. पूंजी प्रबंधन

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम आय करते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। कंपनी की पूंजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तीय पोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह कंपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में समूह को अन्य बातों के साथ-साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्तीय मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनास शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए “केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन” के संबंध में दिशा-निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस कंपनी ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कंपनी का ऋण-इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

	(₹ करोड़ में)	
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
निवल ऋण	374,577.42	326,717.92
निवल मूल्य	57,679.67	50,985.60
ऋण - इक्विटी अनुपात	6.49	6.41

निवल ऋण, उपलब्ध बकाया मूलधन कम नकद एवं नकदी के समतुल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

लाभांश वितरण नीति

निदेशक मण्डल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न घटकों पर केंद्रित है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, डीआईपीएएम आदि द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अधीन कंपनी की निवल मालियत, वैकल्पिक स्रोतों से निधि जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति तथा लागू कर, यदि कोई हो, शामिल है परंतु जो वर्तमान एवं भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, तथापि, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

अन्य नीतियां

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी व्यापार के निरोध के लिए संहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

46. जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए प्रधान निदेशों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एनबीएफसी और इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात या जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (न्यूनतम 10% टियर I पूंजी के साथ) बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसकी गणना कंपनी की टियर-I और टियर-II पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्तियों द्वारा विभाजित करके की जाती है।

विवरण	31-03-2023 के अनुसार			31-03-2022 के अनुसार			% भिन्नता
	न्यूमेरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनामनेटर* (₹ करोड़ में)	%	न्यूमेरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनामनेटर* (₹ करोड़ में)	%	
(i) सीआरएआर	63,240.41	245,300.73	25.78%	57,937.08	245,436.54	23.61%	9.21%
(ii) सीआरएआर- टियर I पूंजी	56,023.45	245,300.73	22.84%	48,052.65	245,436.54	19.58%	16.65%
(iii) सीआरएआर- टियर II पूंजी**	7,216.96	245,300.73	2.94%	9,884.43	245,436.54	4.03%	-26.95%

टियर-I पूंजी के मियादी ऋण लिखत की राशि 1.00 % है (पिछले वर्ष 1.16 %)

** टियर-I और टियर-II पूंजी होने के कारण अंश में मुख्य रूप से इक्विटी (नोट संख्या 24,25 और 26 देखें) शामिल हैं और जोखिम भारित संपत्ति होने के कारण मुख्य रूप से ऋण जैसे कंपनी के क्रेडिट एक्सपोजर (ओं) की भारित राशि का प्रतिनिधित्व करता है (टिप्पणी संख्या 9 देखें) और निवेश (टिप्पणी संख्या 10 देखें), इस संबंध में समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार गणना की जाती है।*

*** सीआरएआर टियर II पूंजी में परिवर्तन एक वर्ष के भीतर मोचन हेतु देय अधीनस्थ टियर II बॉण्ड के कारण है और इस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार टियर II पूंजी से बाहर कर दिया गया है।*

वर्ष के दौरान जुटाई टियर-II पूंजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

	(₹ करोड़ में)	
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
स्थायी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	-	-



लेखा संबंधी टिप्पणियां

47. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक मण्डल के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यवाहों की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम निगरानी और आवधिक निगरानी के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित प्रणालियों और प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी और नकदी के समतुल्य, बैंक शेष (नकदी और नकदी के समतुल्य को छोड़कर), ऋण, वित्तीय परिसंपत्तियां, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, राज्य विकास ऋण, ऋण प्रतिभूतियां और अधिमान शेयर	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पाश्चिक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, अधीनस्थ देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनएआर) में न बताई गई देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर अधीनस्थ देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम - इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेन्द्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेन्द्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तदुसार किया जाता है:

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है जिससे कि इन जोखिमों की साधनानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. एनबीओआर (पीडी) सीसी. सं./099/03.10.001/2018-19 के उद्देश्य से निदेशक मण्डल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और जोखिम कम करने की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निधारित की गई है।

47.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चुक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियां होती हैं। कंपनी का ऋण जोखिम मुख्यतः नकदी और नकदी के समतुल्य, बैंक शेष (नकदी और नकदी के समतुल्य को छोड़कर), निवेश, ऋण परिसंपत्तियों, कारोबार प्राप्य राशियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर आकलित करने से प्रभावित होता है। यह समूह ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

47.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटीटी को ऋण जोखिम को दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(i) वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम		
नकदी एवं नकदी समतुल्य	39.00	126.40
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	1,948.34	2,295.30
ऋण *	412,304.47	3,35,876.99
निवेश **	2,728.86	1,840.09
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,400.28	24,396.94
(ii) मध्यम ऋण जोखिम		
ऋण *	10,913.58	36,424.23
(iii) उच्च ऋण जोखिम		
ऋण *	14,892.08	17,159.89
वरीयता शेयर में निवेश ***	28.72	28.72
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	94.72	90.68

* प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के असंवितरित राशि के साथ) दर्शाता है।

**** इसमें एफवीओसीआई/एफवीटीपीएल में इक्विटी लिखतों में किए गए निवेश और अनुषंगी में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं क्योंकि ये इंड एस 27 के तहत दी गई छूट के अनुरूप लागत पर किए गए हैं।**

*** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों में निवेश के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन का प्रतिनिधित्व करता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा बैंक जमा

नकदी एवं नकदी समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/ बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विशेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के माध्यम से संबंधकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा अनुषंगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

निवेश से संबंधित ऋण जोखिम सरकारी प्रातिभूतियां, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉण्ड्स में निवेश के साथ अच्छी वित्तीय स्थिति निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वता/क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी भी करता है।

ऋणी संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी/समाधान के समय जारी प्रतिभूतियों में निवेश

आर्इसी की कंपनी या ऋणदाताओं के सेध द्वारा यथालागू अनुमोदित निपटान/समाधान योजना के हिस्से के रूप में उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी की गई विभिन्न प्रतिभूतियां और ऋणदाताओं की समिति और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित दिवाला और अशोधन क्षमता संहिता 2016 के तहत संकल्प के मामले में प्राप्त हुई। इन प्रतिभूतियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है।

47.1.2 ऋणों एवं कारोबार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी किसी भी क्रेडिट हानि की उम्मीद के लिए व्यक्तिगत वित्तीय साधनों का आकलन करके ऋण के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है:

- **नकदी एवं नकदी समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए (नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा)** – चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकदी एवं नकदी समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।
- **सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए** - यह देखते हुए कि निवेश सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में हैं / उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) में न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटेड सरकारी कंपनियां, क्रेडिट जोखिम को कम माना जाता है।
- **ऋण निपटान / संकल्प के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए** - ऐसी प्रतिभूतियों की वसूली के आधार पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे निवेशों पर जहां कहीं मध्यम या उच्च जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, उपयुक्त हानि भत्ता प्रदान किया जाता है।
- **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए** – क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन उन पार्टियों की क्रेडिट योग्यता के बारे में कंपनी के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए हानि भत्ता मापा जाता है और क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करता है।

ऋण को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार			31-03-2022 के अनुसार		
	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि
नकदी एवं नकदी समतुल्य	39.00	-	39.00	126.40	-	126.40
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	1,948.34	-	1,948.34	2,295.30	-	2,295.30
निवेश*	2,786.30	28.72	2,757.58	1,897.53	28.72	1,868.81
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां **	24,495.00	94.72	24,400.28	24,487.62	90.68	24,396.94

* क्रेडिट-इम्पेयर्ड माने जाने वाले रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 'प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश' पर पूरी तरह से हानि भत्ता प्रदान किया गया है।

**** हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

47.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

ऋण चूक हानि: ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है; चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन-देनों पर प्रभाव डाल सकता है।

संकेंद्रण जोखिम: किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास “एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश” और “व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति” मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, आवधिक आधार पर, ऋण परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें ईसीएल पद्धति के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

- कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए “एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश” उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।
- सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच / समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय-समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को लीड ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तीय पोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई / परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी / गैर-ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख-रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन-रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

दबावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी / उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी / केश फ्लो मॉनिटरिंग एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों / एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

- कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक/कार्यकारी समिति/ ऋण समिति/निदेशक मण्डल के चरण पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।
- कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादनों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।
- ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।
- ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।
- अलग-अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यक्षीन होती है।
- कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और / या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्रवाई (कार्रवाईयों) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं है : आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी / प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं / निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोज़र की बिक्री आदि।

(ख) ऋण जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति हानि भत्ते के लिए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है , जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार / गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, तो जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाती है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांज़ीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार करता है:

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (15% भार)

ब्याज कवरेज (25% भार)

गियरिंग (ऋण / इक्विटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक

तिमाही-वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ

वास्तविक चूक तिथियां

परियोजना की स्थिति

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक “तीन चरण वाले” मॉडल की रूपरेखा दी गई है :

- एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूरित नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण “चरण 1” के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
- यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को “चरण 2” में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।
- यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ है, तो इसे “चरण 3” में ले जाया जाता है।
- चरण 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। चरण 2 या चरण 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ङ) चूक तथा हानि वाले ऋण परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(च) ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैं:

- पीडी अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र (एलओसी) शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
- एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल
प्रारंभिक शेष	335,876.99	2,790.22
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	34,393.77	(353.01)
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण	(2,798.11)	(11.28)
क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं जीवनपर्यंत ईसीएल क्रेडिट में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	715.77
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	91,644.92	684.49
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(46,813.10)	(304.38)
राइट ऑफ	-	-
अंतिम शेष	412,304.47	3,521.81

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल
प्रारंभिक शेष	358,891.11	1,282.46
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,031.94	134.62
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(35,361.06)	(40.15)
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	(1,516.73)	(214.87)
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	1,235.51
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	62,483.86	569.85
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(50,652.13)	(177.20)
राइट ऑफ	-	-
अंतिम शेष	335,876.99	2,790.22

(ठ) चरण वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	
	चरण 1	चरण 2
कुल एक्सपोजर	412,304.47	10,913.58
हानि भत्ता	3,521.81	238.30
ईसीएल%	0.85%	2.18%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

चरण 2		चरण 3		कुल	
सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
36,424.23	369.61	17,159.89	11,565.73	389,461.11	14,725.56
(34,393.77)	353.01	-	-	-	-
2,988.10	83.95	(189.99)	(72.67)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(673.24)	-	(370.93)	-	(328.40)
6,338.03	118.42	-	-	97,982.95	802.91
(443.01)	(13.45)	(1,526.74)	(51.54)	(48,782.85)	(369.37)
-	-	(551.08)	(551.08)	(551.08)	(551.08)
10,913.58	238.30	14,892.08	10,519.51	438,110.13	14,279.62

(₹ करोड़ में)

चरण 2		चरण 3		कुल	
सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
2,888.05	141.43	18,256.93	11,791.31	380,036.09	13,215.20
(1,396.55)	(139.66)	(635.39)	5.03	-	(0.01)
35,361.06	40.15	-	-	-	-
-	-	1,516.73	214.87	-	-
-	293.79	-	1,517.77	-	3,047.07
3,877.11	40.22	-	-	66,360.97	610.07
(4,305.44)	(6.32)	(54.37)	(39.24)	(55,011.94)	(222.76)
-	-	(1,924.01)	(1,924.01)	(1,924.01)	(1,924.01)
36,424.23	369.61	17,159.89	11,565.73	389,461.11	14,725.56

(₹ करोड़ में)

		31-03-2022 के अनुसार			
चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
14,892.08	438,110.13	335,876.99	36,424.23	17,159.89	389,461.11
10,519.51	14,279.62	2,790.22	369.61	11,565.73	14,725.56
70.64%	3.26%	0.83%	1.01%	67.40%	3.78%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- निम्नलिखित तालिकाएँ ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किये गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ एवं अंत के बीच तदनुरूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती है:
- (ड) **ऋण जोखिम का संकेंद्रण**
- कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।
- | विवरण | 31-03-2023 के अनुसार | | 31-03-2022 के अनुसार | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | सकल राशि | ईसीएल | सकल राशि | ईसीएल |
| उद्योग द्वारा संकेंद्रण | | | | |
| उत्पादन | 169,432.41 | 11,694.33 | 155,202.14 | 12,298.95 |
| नवीकरणीय ऊर्जा | 30,503.46 | 306.33 | 13,449.27 | 225.20 |
| ट्रांसकोज | 48,332.23 | 251.72 | 64,879.92 | 774.38 |
| डिस्कॉम्स | 185,085.13 | 2,008.12 | 152,115.74 | 1,411.67 |
| पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर | 1,453.29 | 5.85 | - | - |
| सरकारी ऋण | 3,303.61 | 13.27 | 3,814.04 | 15.36 |
| कुल | 438,110.13 | 14,279.62 | 389,461.11 | 14,725.56 |
| स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण | | | | |
| राज्य | 393,244.56 | 3,276.83 | 350,584.17 | 2,684.59 |
| निजी | 44,865.57 | 11,002.79 | 38,876.94 | 12,040.97 |
| कुल | 438,110.13 | 14,279.62 | 389,461.11 | 14,725.56 |
- (₹ करोड़ में)
- (ढ) **क्षेत्रवार हानिग्रस्त परिसंपत्तियां - उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III परिसंपत्तियों का प्रतिशत**
- | विवरण | 31-03-2023 के अनुसार | 31-03-2022 के अनुसार |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर | 3.42% | 4.45% |
| विद्युत क्षेत्र | 3.42% | 4.45% |
- (ण) **क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन**
- | विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (i) सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%) | 3.42% | 4.45% |
| (ii) सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%) | 1.01% | 1.45% |
| (iii) निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%) | 1.04% | 1.51% |
| (iv) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल) | | |
| (क) प्रारम्भिक शेष | 17,159.89 | 18,256.93 |
| (ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन | - | 1,516.73 |
| (ग) वर्ष के दौरान कटौतियां | (1,716.73) | (689.76) |
| (घ) वर्ष के दौरान राइट- ऑफ | (551.08) | (1924.01) |
| (च) अंतिम शेष | 14,892.08 | 17,159.89 |
| (iv) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल) | | |
| (क) प्रारम्भिक शेष | 5,594.16 | 6,465.62 |
| (ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन | 370.93 | (215.91) |
| (ग) वर्ष के दौरान कटौतियां | (1,592.52) | (655.55) |
| (घ) वर्ष के दौरान राइट ऑफ | - | - |
| (च) अंतिम शेष | 4,372.57 | 5,594.16 |
| (v) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन | | |
| (क) वर्ष के प्रारंभ में शेष | 11,565.73 | 11,791.31 |
| (ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | (370.93) | 1,732.64 |
| (ग) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ | (124.21) | (34.21) |
| (घ) वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों पर प्रावधान | (551.08) | (1924.01) |
| (च) अंतिम शेष | 10,519.51 | 11,565.73 |

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- (त) एनबीएफ़सी द्वारा इंड एस के कार्यान्वयन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13.03.2020 के परिपत्र के अनुसार, आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार ऋण को अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था माना जाता है, 31 मार्च 2023 को सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 4.77 % (पिछले वर्ष 4.45 %) और निवल एनपीए से निवल ऋण 2.41 % (पिछले वर्ष 1.51 %) रहा था।
- (थ) **राइट ऑफ नीति**
- कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपांशिक पर पहले ही बंद हो तथा समपांशिक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।
- (द) **बिजनेस मॉडल पॉलिसी**
- कंपनी अपने व्यापार मॉडल को उस चरण पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के व्यापार मॉडल का मूल्यांकन लिखत-दर-लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि सकल पोर्टफोलियो के उच्च चरण पर किया जाता है।
- कंपनी बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।
- अतः कंपनी का कारोबार मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए “इकट्टा करने के लिए एकत्र” के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।
- (ध) **परिशोधित लागत कारोबार से बाहर बिक्री के लिए नीति**
- कंपनी अपने सामान्य कारोबार में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं करती है। हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक फ्रेमवर्क के अनुसार ऋण-बाधित परिसंपत्तियों के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप, ऋण अशोध्य ऋण को या तो आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में पुनर्गठित/पुनर्गठित किया जा सकता है या अन्यथा निपटाया जा सकता है और इंड एस 109-वित्तीय लिखतों की आवश्यकताओं के अनुसार गैर-मान्यता के लिए मूल्यांकन किया जाता है।
- (न) 90 दिनों से अधिक के अतिदेय के साथ कोई खाता नहीं है लेकिन ऋण बाधित के रूप में नहीं माना जाता है (पिछले वर्ष शून्य)
- (प) भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का अंतरण) निदेश, 2021 दिनांक 24 सितंबर 2021 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान हस्तांतरित/प्राप्त किए गए ऋणों का कोई रिपोर्ट करने योग्य मामला नहीं है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(फ) भारतीय रिज़र्व बैंक आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और आईएनडी-एएस के अनुसार क्षति भत्ते के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि
आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां			
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रदर्शित परिसंपत्तियां			
मानक	चरण 1	403,366.73	404,567.80
	चरण 2	10,908.08	11,016.14
		414,274.81	415,583.94
उप जोड़ (1)			
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियां	चरण 1	5,839.39	5,866.14
अवमानक परिसंपत्तियां			
संदिग्ध परिसंपत्तियां			
1 वर्ष तक	चरण 3	1,512.48	1,512.48
1 से 3 वर्ष	चरण 3	594.27	594.27
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	12,780.46	12,780.46
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप जोड़		14,887.21	14,887.21
कुल हानि परिसंपत्तियां	चरण 2	5.50	5.50
	चरण 3	4.87	4.87
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		20,736.97	20,763.72
कुल ऋण परिसंपत्तियां		435,011.78	436,347.66
अन्य मदें जो इंड-एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं			
-सुविधा पत्र*	चरण 1	3,098.35	3,098.35
उप-जोड़ (3)		3,098.35	3,098.35
	चरण 3	412,304.47	413,532.29
	चरण 2	10,913.58	11,021.64
	चरण 3	14,892.08	14,892.08
जोड़	जोड़	438,110.13	439,446.01

इंड-एएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित अनावरण का प्रतिनिधित्व करती है।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि
आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां			
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रदर्शित परिसंपत्तियां			
मानक	चरण 1	331,787.14	332,586.36
	चरण 2	36,424.23	36,888.95
		368,211.37	369,475.31
उप जोड़ (1)			
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियां	चरण 3	1,512.49	1,512.49
अवमानक परिसंपत्तियां			
संदिग्ध परिसंपत्तियां			
1 वर्ष तक	चरण 3	33.28	33.28
1 से 3 वर्ष	चरण 3	4,534.01	4,534.01
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	11,062.89	11,062.89
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उपजोड़		15,630.18	15,630.18
हानि परिसंपत्तियां	चरण 3	17.22	17.22
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		17,159.89	17,159.89
कुल ऋण परिसंपत्तियां		385,371.26	386,635.20
अन्य मदें जो इंड-एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं			
-सुविधा पत्र*	चरण 1	4,089.85	4,089.85
उप-जोड़ (3)		4,089.85	4,089.85
	चरण 1	335,876.99	336,676.21
	चरण 2	36,424.23	36,888.95
	चरण 3	17,159.89	17,159.89
जोड़	जोड़	389,461.11	390,725.05

इंडएएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित एक्सपोजर को दर्शाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
3,423.13	401,144.67	2,089.93	1333.20
232.80	10,783.34	43.63	189.17
3,655.93	411,928.01	2,133.56	1522.37
82.81	5,783.33	583.94	(501.13)
754.15	758.33	350.72	403.43
452.12	142.14	344.21	107.91
9,308.37	3,472.09	9,488.51	(180.14)
10,514.64	4,372.56	10,183.44	331.20
5.50	-	5.50	-
4.87	-	4.87	-
10,607.82	10,155.89	10,777.75	(169.93)
14,263.75	422,083.90	12,911.31	1352.44
15.87	3,082.48	-	15.87
15.87	3,082.48	-	15.87
3,521.81	410,010.48	2,673.87	847.94
238.30	10,783.34	49.13	189.17
10,519.51	4,372.56	10,188.31	331.20
14,279.62	425,166.38	12,911.31	1368.31

(₹ करोड़ में)

इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
2,769.32	329,817.04	1,771.72	997.60
369.61	36,519.34	391.52	(21.91)
3,138.93	366,336.38	2,163.24	975.69
437.16	1,075.33	190.83	246.33
3.33	29.95	7.25	(3.92)
2,981.99	1,552.01	1,952.89	1029.10
8,126.03	2,936.86	8,108.58	17.45
11,111.35	4,518.82	10,068.72	1042.63
17.22	-	17.22	-
11,565.73	5,594.15	10,276.77	1,288.96
14,704.66	371,930.53	12,440.01	2264.65
20.90	4,068.95	-	20.90
20.90	4,068.95	-	20.90
2,790.22	333,885.99	1,771.72	1018.50
369.61	36,519.34	391.52	(21.91)
11,565.73	5,594.15	10,276.77	1,288.96
14,725.56	375,999.48	12,440.01	2285.55

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ब) कंपनी द्वारा रिपोर्ट की गई रिपोर्ट की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आरबीआई द्वारा किए गए पिछले वार्षिक निरीक्षण के दौरान मूल्यांकन किए गए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में कोई विचलन नहीं है (वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शून्य)

47.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। तरलता का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त तरलता हो।

47.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

नकदी वित्तीय देनदारियों की मदों का नकदी प्रवाह (भविष्य की अघोषित नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:				
रूपे उधारियाँ				
ऋण प्रतिभूतियां				
-मूलधन	-	4,300.00	2,985.00	-
-ब्याज	-	379.26	361.56	1,110.62
अन्य उधारियाँ				
- मूलधन	4,386.43	-	-	-
-ब्याज	395.00	-	150.00	392.00
अधीनस्थ देयताएं				
- मूलधन	-	-	-	2,500.00
- ब्याज				202.00
विदेशी मुद्रा उधारियाँ				
ऋण प्रतिभूतियां				
- मूलधन	-	-	-	4,110.85
- ब्याज				252.00
अन्य उधारियाँ				
- मूलधन	-	-	-	3,074.91
- ब्याज	17.00	21.00	61.00	106.00
व्युत्पन्न देयताएं:				
व्युत्पन्न ब्याज दर	-	-	-	-
व्युत्पन्न मुद्रा	-	-	-	-
अन्य -				
व्युत्पन्न रिवर्स क्रॉस मुद्रा	-	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पकालिक निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरन्तर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की निगरानी करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में परिवर्तनीय हैं।

(₹ करोड़ में)

2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1,600.00	2,774.00	11,679.49	55,952.14	39,135.88	79,689.14	198,115.65
2,715.12	2,347.00	7,051.00	23,022.00	16,309.00	24,176.16	77,471.72
3,500.14	666.56	9,451.45	11,820.15	16,672.28	29,488.81	75,985.81
685.00	1,150.00	2,437.00	8,310.00	5,703.00	3,103.00	22,325.00
-	-	-	-	-	4,150.70	6,650.70
164.00		188.00	705.00	705.00	2,646.00	4,610.00
-	-	5,755.18	9,454.94	13,565.81	-	32,886.78
72.00	310.00	536.00	1,116.00	580.00	-	2,866.00
3,588.54	2,693.64	12,341.08	7,473.44	27,958.11	3,847.77	60,977.48
503.00	571.00	1,138.00	3,441.00	2,072.00	658.00	8,588.00
-	-	0.60	50.07	71.98	178.16	300.81
-	60.38	-	-	83.52	-	143.90
-	-	-	104.61	-	427.63	532.24

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:				
रूपे उधारियाँ				
ऋण प्रतिभूतियां				
-मूलधन	-	-	-	-
-ब्याज	-	379.26	348.22	1,085.23
अन्य उधारियाँ				
- मूलधन	-	-	160.93	1,150.00
-ब्याज	272.39	-	63.24	202.90
अधीनस्थ देयताएं				
- मूलधन	-	-	-	-
- ब्याज	-	-	-	201.50
विदेशी मुद्रा उधारियाँ				
ऋण प्रतिभूतियां				
- मूलधन	-	-	-	-
- ब्याज	-	-	-	227.28
अन्य उधारियाँ				
- मूलधन	-	-	-	2,744.22
- ब्याज	8.00	7.18	22.42	67.65
व्युत्पन्न देयताएं:				
व्युत्पन्न ब्याज दर	-	-	-	0.07
व्युत्पन्न मुद्रा	-	-	-	-
अन्य -				
व्युत्पन्न रिवर्स क्रॉस मुद्रा	-	-	-	-

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न उपस्कर के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देयताओं के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तीय पोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटहीन नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक
31 मार्च 2023 के अनुसार				
-मूलधन	822.91	-	1,707.32	3,878.16
-ब्याज	1,137.01	-	926.30	2,106.65
31 मार्च 2022 के अनुसार				
-मूलधन	158.66	-	2,077.03	2,142.80
-ब्याज	611.62	-	892.06	1,559.14

चरण III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
5,878.20	2,970.00	14,058.86	53,719.87	39,133.38	67,531.66	183,291.97
2,345.40	2,433.79	6,290.73	21,667.98	14,748.20	22,337.48	71,636.29
1,000.00	1,824.29	5,163.63	17,836.77	15,155.51	18,798.15	61,089.28
496.89	671.39	1,604.83	4,949.21	3,439.46	3,027.89	14,728.20
-	-	-	2,500.00	-	4,150.70	6,650.70
114.94	-	163.60	759.35	557.08	787.73	2,584.20
-	-	-	17,814.67	6,822.64	5,685.54	30,322.85
66.15	285.65	584.79	1,691.31	769.79	171.02	3,795.99
2,887.33	2,664.98	4,506.16	8,555.57	21,129.28	3,001.98	45,489.52
124.53	263.85	447.00	1,388.28	812.26	516.82	3,657.99
-	18.82	-	42.62	-	112.01	173.52
-	-	-	13.87	-	34.50	48.37
-	-	-	22.50	-	308.74	331.24

(₹ करोड़ में)

2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
5,350.60	22,097.85	30,180.20	81,757.04	85,313.12	189,640.84	420,748.04
6,071.24	10,044.89	18,662.94	63,776.14	47,148.86	76,238.57	226,112.62
4,800.08	8,892.93	19,691.55	74,970.39	74,346.88	183,586.28	370,666.60
6,094.78	9,076.43	17,252.35	59,983.17	44,663.39	71,842.69	211,975.63

लेखा संबंधी टिप्पणियां

47.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक
ऋण परिसंपत्तियां	822.91	-	1,707.32	3,878.16
निवेश				
रूपे उधारियां				
ऋण प्रतिभूतियां	261.99	4,667.81	3,315.50	831.94
अन्य उधारियां	4,620.32	-	-	-
अधीनस्थ देयताएं	2.11	-	-	2,668.34
विदेशी मुद्रा उधारियां				
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	4,297.43
अन्य उधारियां	129.70	-	2.53	3,106.25

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार	1-7 दिनों	8-14 दिनों	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक
ऋण परिसंपत्तियां	158.66	-	2,077.03	2,142.80
निवेश	-	-	-	-
रूपे उधारियां				
ऋण प्रतिभूतियां	19.34	367.83	330.52	993.71
अन्य उधारियां	6.56	-	200.55	1,150.00
अधीनस्थ देयताएं	-	-	-	168.38
विदेशी मुद्रा उधारियां				
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	172.81
अन्य उधारियां	5.62	2.42	4.43	2,747.65

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
6,686.47	22,097.85	30,180.20	81,757.04	85,313.12	189,640.84	422,083.91
4.73	4.73	36.77	157.38	259.03	2,675.35	3,137.98
3,488.89	4,136.02	12,997.04	55,891.49	39,047.68	79,620.08	204,258.45
3,703.42	666.56	9,451.45	11,820.15	16,672.28	29,488.81	76,422.98
126.46	-	-	-	-	3,976.40	6,773.30
43.56	96.67	5,742.53	9,438.34	13,072.00	-	32,690.54
3,658.67	2,688.69	12,311.25	7,409.95	27,542.82	3,841.28	60,691.15

(₹ करोड़ में)

2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
6,181.63	8,892.93	19,691.55	74,970.39	74,346.88	183,468.67	371,930.54
2.81	2.82	55.65	80.05	180.59	1,836.05	2,157.97
7,777.02	4,636.58	15,212.32	53,696.32	39,118.89	67,453.88	189,606.42
1,000.00	2,149.40	5,165.59	17,836.77	15,155.52	18,796.19	61,460.59
126.46	-	2.11	2,499.73	-	4,019.79	6,816.47
40.17	89.14	-	17,755.78	6,805.78	5,163.48	30,027.15
2,910.57	2,680.96	4,506.16	8,499.93	20,837.27	2,995.98	45,191.00



लेखा संबंधी टिप्पणियां

47.3 बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम

कंपनी के समक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो, जेपीवाई और एसजीडी में विभिन्न विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से संबंधित है। इन ऋणों के कारण ब्याज दर का जोखिम भी सामने आया क्योंकि अधिकांश ऋणों पर एलआईबीओआर, एसओआर आदि से जुड़ी ब्याज दर लागू होती है। कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वेप और ब्याज दर स्वेप के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित्तीय एवं प्रचालन प्रभागों के निदेशक, कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और व्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन-देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन-देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सट्टा प्रयोजन के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा क्रॉस करेंसी स्वैप (मूलधन और/अथवा ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा स्थिति की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपया ₹ करोड़ में समतुल्य)

मुद्रा	31-03-2023 के अनुसार			31-03-2022 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर
अमेरिकी डॉलर \$	10,012.00	9,012.00	1,000.00	9,436.00	7,620.00	1,816.00
भारतीय रुपए के समतुल्य	82,315.60	74,093.87	8,221.73	71,531.58	57,765.01	13,766.57
जापानी येन ¥	58,352.75	58,352.75	-	58,729.87	20,846.05	37,883.82
भारतीय रुपए के समतुल्य	3,606.20	3,606.20	-	3,654.76	1,297.25	2,357.51
यूरो €	689.58	673.79	15.79	26.32	0.87	25.45
भारतीय रुपए के समतुल्य	6,179.19	6,037.68	141.51	222.82	7.37	215.45
सिंगापुर डॉलर\$	285.28	285.28	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	1,763.27	1,763.27	-	403.21	403.21	-
जोड़	93,864.26	85,501.02	8,363.24	75,812.37	59,472.84	16,339.53

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन-हेज्ड प्रकटन पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाम/(हानि)) सहित लाम एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपया	307.62	(307.62)	515.09	(515.09)
जापानी येन/ भारतीय रुपया	-	-	88.21	(88.21)
यूरो/ भारतीय रुपया	5.29	(5.29)	8.06	(8.06)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

47.4 बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएफ बॉण्ड/जी-सेक पैदावार/एलआईबीओआर जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी के कुछ उधार ब्याज दर जोखिम के संपर्क में हैं, जिसमें फ्लोटिंग ब्याज दरें एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट), ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक प्रस्तावित दर), ओवरनाइट एसओएफआर (प्रतिभूत ओवरनाइट वित्तपोषण दर), मीयादी एसओएफआर, एसओआरए

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), टी-बिल, रेपो रेट आदि से जुड़ी हैं।। कंपनी ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वेप संविदाओं, वायदा ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है। लागत में कमी की रणनीति के रूप में कंपनी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए क्रॉस-करेंसी ब्याज दर स्वेप का भी उपयोग करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2023 को फ्लोटिंग ब्याज दरों से जुड़ी देनदारियों के लिए कंपनी के समग्र जोखिम को दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपया ₹ करोड़ में समतुल्य)

मुद्रा	31-03-2023 के अनुसार			31-03-2022 के अनुसार		
	स्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर	स्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज्ड	अनहेज्ड एक्सपोजर
भारतीय रुपए उधारियाँ	62,798.20	-	62,798.20	50,178.32	-	50,178.32
अमेरिकी डॉलर \$	5,062.00	1,892.00	3,170.00	4,636.00	1,325.00	3,311.00
भारतीय रुपए के समतुल्य	41,618.19	15,555.43	26,062.76	35,144.17	10,044.44	25,099.73
जापानी येन ¥	58,352.75	10,327.17	48,025.58	58,352.72	10,327.16	48,025.56
भारतीय रुपए के समतुल्य	3,606.20	638.22	2,967.98	3,631.29	642.66	2,988.63
यूरो €	604.02	-	604.02	-	-	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	5,412.51	-	5,412.51	-	-	-
एसजीडी \$	285.28	72.07	213.21	72.08	72.08	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	1,763.27	445.47	1,317.80	403.21	403.21	-
कुल भारतीय रुपए के समतुल्य	115,198.37	16,639.12	98,559.25	89,356.99	11,090.31	78,266.68

ब्याज दर संवेदनशीलता बेमेल को कम करने के लिए कंपनी ब्याज दर आधार पर उचित मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ब्याज दर स्वेप का भी उपयोग करती है। इस प्रकार के स्वेप के माध्यम से 31 मार्च, 2023 को ₹ 15,950.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11,850.70 करोड़) की नियत दर उधारियों को माइबोर से लिंक ओवरनाइट फंडेड स्वेप के माध्यम से अस्थायी दर उधारियों में परिवर्तित किया गया है।

कंपनी के ऋणदाता पोर्टफोलियो में अर्ध-स्थिर दर अर्थात ऋणकर्ता के साथ 1/3/10 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ ब्याज की दर पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। कंपनी अपनी ऋण दरों की समय-समय पर प्रचलित बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उससे लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरीयों और संवितरण आदि के आधार पर समीक्षा करती है। ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में प्री-पेमेंट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋणकर्ताओं से प्री-पेमेंट प्रीमियम वसूलती है। ब्याज दर का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर कथनों के विश्लेषण और अचल और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध-निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
रुपे ऋण	4,31,992.47	3,75,805.76

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन-हेज्ड स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि (लाभ /हानि) पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(368.77)	368.77	(292.84)	292.84
ब्याज दर स्वेप	(59.68)	59.68	(44.34)	44.34
अस्थिर/अर्ध-निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,616.34	(1,616.34)	1,406.11	(1,406.11)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपर्युक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

47.4.1 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटन

कंपनी के पास विभिन्न बेंचमार्क से संबद्ध ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए ऐसे ब्याज दर बेंचमार्क में 3/6 माह का अमेरिकी डॉलर लाइबोर (लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर), 3/6 माह का यूरो अंतर बैंक प्रस्तावित दर, 3/6 माह का आवधिक एसओएफआर (प्रतिभूत ओवरनाइट फाइनेंसिंग दर), 3/6 माह का मीयादी एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर एक दिवसीय औसत दर), टोकियो (टोकियो एक दिवसीय औसत दर), एसओएफआर (प्रतिभूत ओवरनाइट फाइनेंसिंग दर) आदि शामिल हैं।

अनुबंधित ब्याज दर बेंचमार्क के अनुसार 31 मार्च 2023 को ऐसी उधारियों का सारांश निम्नानुसार है:

बेंचमार्क	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (अमेरिकी डॉलर मिलियन के समतुल्य)	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (अमेरिकी डॉलर मिलियन के समतुल्य)
3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	1,233.26	150.00	7,201.67	950.00
6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	29,080.13	3,537.00	27,373.94	3,611.00
3 मिलियन आवधिक एसओएफआर	6,988.44	850.00	-	-
6 मिलियन आवधिक एसओएफआर	822.17	100.00	-	-
ओ/ एन एसओएफआर	3,494.22	425.00	568.55	75.00
3 मिलियन ड्यूआरआईबीओआर	3,595.53	437.32	-	-
6 मिलियन ड्यूआरआईबीओआर	3,134.74	381.28	-	-
ओ/ एन टीओएनए	3,606.20	438.62	3,631.29	479.02
ओ/ एन एसओआरए	445.48	54.18	403.21	53.19
कुल	52,400.17	6,373.40	39,178.67	5,168.21

यूके फाइनेंशियल कंडक्ट ऑथोरिटी (एफसीए) द्वारा 5 मार्च 2021, 3 माह और 6 माह के लिए की गई घोषणा के अनुसार 30 जून 2023 के बाद लाइबोर का प्रकाशन बंद हो जाएगा।

(i) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्षतः प्रभावित एक्सपोजर

जबकि कंपनी की कुछ फ्लोटिंग रेट उधारियां पहले से ही नए बेंचमार्क के अधीन हैं, कुछ उधारियों को संबंधित ब्याज दरों अर्थात् 3-माह यूएसडी लिबोर और 6-माह यूएसडी लिबोर की समाप्ति तिथि से पहले चुका दिया जाएगा। इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 को ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कुल एक्सपोजर राशि ₹ 28,159.29 करोड़ (यूएस \$3.425 बिलियन) है (31 मार्च, 2022 को ₹ 25,963.93 करोड़ (यूएस \$3.425 बिलियन) है। इसमें से, ऐसी देयताओं से जुड़े डेरिवेटिव एक्सपोजर और हेज लेखांकन की सांकेतिक राशि ₹4,110.85 करोड़ (यूएस \$0.500 बिलियन) है [पिछले वर्ष ₹3,790.36 करोड़ (यूएस \$0.500 बिलियन)]

(ii) वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के अनुसरण में, लिबोर को वैकल्पिक जोखिम-रहितक दरों (आरएफआर) से प्रतिस्थापित दिया जाएगा। एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) को यूएसडी लिबोर के लिए प्रतिस्थापित किया होगा, जबकि टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), जेपीवाई लिबोर को प्रतिस्थापित करेगा। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वेप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), जो वैश्विक डेरिवेटिव सौदों को अभिशासित करने वाला वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त वैधानिक निकाय है, सभी लीगेसी संविदाओं को नए बेंचमार्क में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फ्रॉलबैक प्रोटोकॉल (आमतौर पर फ्रॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) लाया है। कंपनी ने फ्रॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया है जिसके तहत सभी प्रतिपक्षों के साथ मौजूदा डेरिवेटिव व्यापारों पर विभिन्न लिबोर बेंचमार्क के लिए फ्रॉलबैक स्वचालित रूप से लागू हो जाएगा।

सावधि ऋणों के संबंध में, आरईसी प्रारंभिक चरण में परिवर्तन प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऋणदाताओं के साथ सक्रिय संपर्क में रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, अमेरिकी डॉलर 3,275 मिलियन (31 मार्च 2023 को भारतीय रुपया के समतुल्य ₹ 26,926.04 करोड़) के 10 अमेरिकी डॉलर के ऋणों के लिए उधारदाता बेंचमार्क को अमेरिकी डॉलर लाइबोर से ओवरनाइट एसओएफआर/मीयादी एसओएफआर में अंतरित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने दो जेपीवाई ऋणों के लिए ₹ 20,846.12 बिलियन (31 मार्च, 2022 तक आईएनआर समतुल्य ₹ 1,297.25 करोड़) राशि के ट्रांजीशन दस्तावेजीकरण का कार्य पूरा किया है जिसमें बेंचमार्क जेपीवाई लाइबोर से बदलकर टीओएनए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के दौरान एक एसजीडी ऋण के लिए 72.08 मिलियन एसजीडी (31 मार्च 2022 को आईएनआर समतुल्य ₹403.21 करोड़) के सक्रिय अंतरण का कार्य भी पूरा किया गया है जिसमें बेंचमार्क 6 एम एसओआर (सिंगापुर स्वेप ऑफर रेट) से बदलकर एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज) कर दिया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रभावित एक्सपोजर के लिए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान

इंड एस 109 में ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रत्यक्षतः प्रभावित सभी हेजिंग संबंधों के लिए अस्थायी अपवाद का प्रावधान है। जबकि अंतर्निहित ऋण के लिए बेंचमार्क पर अभी तक ऋणदाताओं के साथ सहमति नहीं बनी है, यह कल्पना की गई है कि अंतर्निहित ऋण की वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप के रूप में डेरिवेटिव संविदा और हेज प्रभावशीलता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

47.5 हेज़ एकाउंटिंग (लेखांकन)

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज आइटम के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए आइटम और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है:

- (i) क्रॉस करेंसी स्वेप और ब्याज दर स्वेप के लिए, जो कि हेज्ड आइटम की शर्तों से पूरी तरह मेल खाता है, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण टर्म मिलान विधि का उपयोग करते हुए गुणात्मक कारकों पर आधारित है।
- (ii) अन्य ब्याज दर स्वेप्स (विलंबित पदनाम के मामलों में) के लिए, कंपनी एक कल्पित डेरिवेटिव्स का उपयोग करते हुए डॉलर ऑफसेट पद्धति का उपयोग करती है, डॉलर ऑफसेट पद्धति एक मात्रात्मक पद्धति है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में हुए परिवर्तन की तुलना हेजिंग जोखिम के कारण हेजिंग योग्य मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह के साथ की जाती है।
- (iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज किए गए आइटम के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखत के अन्तर्निहित जोखिम और आकस्मिक मात्रा समान है।

हेज लेखांकन का प्रभाव

(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 के अनुसार	कल्पित मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों के धारित राशि	
जोखिम एवं हेज़ के प्रकार		परिसंपत्तियां	देयताएं
नकदी प्रवाह हेज़			
विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम			
(i) विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं			
-सिंगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 8,387	6,970.98	2.25
	इयूआर 673.79	403.91	-
	एसजीडी 285.29	32.00	83.52
-कॉल स्प्रेड	जापानी 58,352.74	572.12	-
(ii) क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वेप	यूएसडी 250	208.14	-
	एसजीडी 800	85.92	-
	जापानी येन 10,327.12	-	0.60
(iii) केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 375	38.85	-
(iv) ब्याज दर स्वेप	यूएसडी 1992	251.77	10.87

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 के अनुसार	कल्पित मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों के धारित राशि	
जोखिम एवं हेज़ के प्रकार		परिसंपत्तियां	देयताएं
नकदी प्रवाह हेज़			
विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम			
(i) विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं			
-सिंगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 7,045	4,744.05	-
	यूएसडी 20,846.12	102.15	-
-कॉल स्प्रेड	एसजीडी 72.08	22.08	-
(ii) क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वेप	यूएसडी 250	76.73	-
	एसजीडी 1,300	22.69	43.78
	जापानी येन 10,327.12	-	1.50
(iii) केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 375	-	48.37
(iv) ब्याज दर स्वेप	यूएसडी 425	92.42	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

पूर्ण तिथि	हेज़ अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
मई 2023 – नवंबर 2030	1:1	77.03	1,594.19	(1,594.19)
दिसंबर 2023- मार्च 2028	1:1	1.03	210.89	(210.89)
मार्च 2025- अक्टूबर- 2027	1:1	0.36	(65.66)	65.66
अगस्त 2023 - मार्च 2027	1:1	0.61	(52.15)	52.15
मार्च 2024	1:1	57.52	58.14	(58.14)
मई 2023 - मार्च 2025	1:1	3.52% and 72.79	98.24	(98.24)
अगस्त 2023	1:1	4.31% and 0.62	(0.33)	0.33
मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(35.15)	35.15
मई 2023 - नवंबर 2030	1:1	0.98%	189.27	(189.27)

(₹ करोड़ में)

पूर्ण तिथि	हेज़ अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
मई 2022 - जनवरी 2027	1:1	74.31	(399.81)	399.81
अगस्त 2023 - सितम्बर 2025	1:1	0.66	(96.08)	96.08
मार्च 2025	1:1	0.01	(1.77)	1.77
मार्च 2024	1:1	57.52	(74.08)	74.08
मई 2022 - मार्च 2025	1:1	2.99% and 72.94	112.67	(112.67)
अगस्त 2023	1:1	0.42% and 0.62	0.82	(0.82)
मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(49.08)	49.08
मार्च 2024 - अक्टूबर 2026	1:1	2.23%	130.27	(130.27)



लेखा संबंधी टिप्पणियां

49 एनबीएफसी के लिए आरबीआई स्केल आधारित फ्रेमवर्क (एसबीआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और अनुमानित जोखिम के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत करते हुए 01 अक्टूबर 2022 से एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित प्रेमचक्र (एसबीआर) की शुरुआत की है। कंपनी, सरकारी स्वामित्व वाली होने के कारण, एनबीएफसी-मध्यम स्तर के रूप में वर्गीकृत की गई है और अपर्युक्त प्रेमचक्र में उल्लिखित दिशानिर्देशों/विनियमन के अधीन है।

50 एक्सपोजर संबंधी प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 17 सितंबर, 2010 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सी. सी. नं. 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आर. ई. सी. को इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। एक आईएफसी के रूप में, किसी एक उधारकर्ता के मामले में उधार देने और निवेश करने के लिए कुल अनुमत एक्सपोजर टियर-1 पूंजी का क्रमशः 30% और उधारकर्ताओं के एक समूह के मामले में 50% है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा कंपनी को 31-03-2022 तक अपने ऋण संकेन्द्रण और एक्सपोजर मानदंडों से छूट प्रदान करना जारी रहा। वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त मानदंडों के अनुपालन के बारे में सूचित किया है। इस संबंध में कंपनी ने वर्ष के अंत में आवश्यक कदम उठाए हैं, जैसे कि कुछ उधारकर्ताओं के एक्सपोजर को पुनः निर्धारित करना, स्थायी बॉण्ड जारी करना आदि। परिणामस्वरूप, आज की तारीख पर इसके उधारकर्ताओं को बकाया ऋण संबंधी एक्सपोजरजारी के निर्धारित मानदंडों के तहत है। कंपनी की प्रतिक्रिया और उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 मई 2023 के पत्र के माध्यम से कंपनी को स्थायी कारोबार संबंधी मानदंडों का पालन करने की सलाह दी है।

50.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

31 मार्च, 2023 को कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष एक्सपोजर नहीं है (31 मार्च, 2022 को शून्य)।

50.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

		(₹ करोड़ में)
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही निवेश नहीं किया जाता है (इसमें वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश शामिल है)	534.20	450.43
(ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्यूचुअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii) अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्यूचुअल फंड की यूनितों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्यूचुअल फंड की संपाश्रिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्यूचुअल फंड की यूनितों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v) स्टॉक ब्रोकर्स को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की तरफ से जारी गारंटियां;	-	-
(vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनित के प्राथमिक निर्गम के संबंध में एनबीएफसी द्वारा की गई हमीदारी प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर स्टॉकब्रोकरों को वित्तीय पोषण	-	-
(x) वैकल्पिक निवेश निधि में समस्त एक्सपोज़र	-	-
पूँजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोज़र	534.20	450.43

50.3 क्षेत्रीय एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रीय	31-03-2023 के अनुसार					31-03-2022 के अनुसार				
	मूल बकाया (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफॉल्ट पर कुल एक्सपोज़र (ईएडी)	सकल एनपीएस	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत	मूल बकाया (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफॉल्ट पर कुल एक्सपोज़र (ईएडी)	सकल एनपीएस	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत
उद्योग										
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण										
- पावर	4,38,110.13	1,497.05	4,39,607.18	14,892.08	3.39%	3,89,461.11	1,381.55	3,90,842.66	17,159.89	4.39%
कुल एक्सपोज़र	4,38,110.13	1,497.05	4,39,607.18	14,892.08	3.39%	3,89,461.11	1,381.55	3,90,842.66	17,159.89	4.39%

उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से किया गया एक्सपोजर मूल बकाया, उपचित ब्याज और बकाया चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है।



लेखा संबंधी टिप्पणियां

50.4 अंतर-समूह एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(i) अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि		
-अनुषंगी कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश	0.10	0.10
(ii) शीर्ष 20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	0.10	0.10
(iii) कुल एक्सपोजर में अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	-	-

50.5 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तीय पोषण नहीं है।

50.6 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

		(₹ करोड़ में)	
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	
(i) अग्रिमों का संकेंद्रण			
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	267,729.20	239,602.97	
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	61.55%	62.17%	
(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण			
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	268,700.56	240,580.38	
उधारकर्ताओं पर कंपनी के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	61.12%	61.55%	
(iii) क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण			
उपरोक्त चार क्रेडिट - इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	8,645.97	8,645.97	

* उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से एक्सपोजर मूल बकाया, उपचित ब्याज और बकाया चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है।

51. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और श्रेणी के अनुसार उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों की वहन लागत इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)			
विवरण	टिप्पणी संख्या	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय साधन			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	8	8,574.02	5,079.87
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	8	407.59	430.30
पर मापित निवेश			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	10	381.71	268.26
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	10	589.65	182.07
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
नकदी एवं नकदी समतुल्य	6	39.00	126.40
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	7	1,948.34	2,295.30
ऋण परिसंपत्तियां	9	422,083.91	371,930.54
निवेश*	10	2,166.52	1,707.54
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	24,400.28	24,396.94
जोड़		460,591.02	406,417.22
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं			
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों पर मापन			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	8	386.58	205.64
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	8	590.37	347.50
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं			
ऋण प्रतिभूतियाँ	17	236,948.99	219,633.57
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	18	137,114.13	106,651.59
अधीनस्थ देयताएं	19	6,773.30	6,816.47
अन्य वित्तीय देयताएं	20	25,174.58	25,575.84
जोड़		406,987.95	359,230.61

* अनुषंगी में निवेश की गणना लागत पर इंड एस-27, 'अलग वित्तीय विवरण' के अनुसार की जाती है और इसलिए, जिसे यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.3 वर्ष के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ

51.4 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकदी एवं नकदी समतुल्य	39.00	39.00	126.40	126.40
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	1,948.34	1,948.34	2,295.30	2,295.30
ऋण	422,083.91	421,931.84	371,930.54	372,175.00
निवेश	2,166.52	2,166.26	1,707.54	1,726.25
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,400.28	24,397.87	24,396.94	24,396.79
कुल	450,638.05	450,483.31	400,456.72	400,719.74
वित्तीय देयताएं				
ऋण प्रतिभूतियां	236,948.99	230,605.86	219,633.57	221,226.21
उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	137,114.13	137,862.23	106,651.59	107,306.18
अधीनस्थ देयताएं	6,773.30	6,963.79	6,816.47	7,131.25
अन्य वित्तीय देयताएं	25,174.58	25,174.58	25,575.84	25,575.84
कुल	406,011.00	400,606.47	358,677.47	361,239.47

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय लिखतों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपरोक्त वित्तीय लिखतों के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और धारणाएं नीचे दी गई हैं जिन्हें कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर दर्ज और मापा नहीं गया है। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए की गई थी। नीचे दी गई कार्यप्रणाली और धारणाएं केवल उपरोक्त तालिकाओं के उपकरणों से संबंधित हैं:

वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल हैं, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। ऐसे लिखतों में निम्नलिखित शामिल हैं: नकदी और नकदी के समतुल्य, नकदी और नकदी के समतुल्य को छोड़कर अन्य बैंक शेष, संविदा आस्तियां और संविदा देयता जिसकी कोई विशिष्ट परिपक्वता न हो।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त ऐतिहासिक अनुभव तथा अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और सहायक देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूटशुदा नकद प्रवाह ("डीसीएफ") पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च 2023 को निजी गैर-निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां को बनाए रखने के लिए कंपनी ने जी-सेक और एसडीएल में निवेश किया है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण का बाजार मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध है और अंतिम कूपन तिथि से अर्जित ब्याज की रिपोर्टिंग तिथि को बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है।

पीएसयू बॉण्ड में निवेश

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए कंपनी ने पीएसयू बॉण्ड में निवेश किया है। कंपनी ने उद्योग प्रक्रिया

लेखा संबंधी टिप्पणियां

के अनुसार बाजार के परिणामों का उपयोग करके शेष परिपक्वता के पीएसयू के लिए समान शेष परिपक्वता या क्रेडिट रेटिंग वाइज स्प्रेड अर्थात जी-सेक बॉण्ड की यील्ड के लिए उचित मूल्य की गणना की है।

ऋण निपटान/संकल्प के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश

उचित मूल्य को वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर पर भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में बदलाव को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और अधीनस्थ देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अलावा, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में बदलाव के साथ परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

52 ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिनके लिए कंपनी की देयता बकाया है, जो कि 31 मार्च 2023 (पिछले वर्ष शून्य) की स्थिति के अनुसार 45 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इस जानकारी का प्रकटन किया जाना आवश्यक है। इसका निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर चिह्नित किए गए ऐसे पक्षकारों की स्थिति के आधार पर किया गया है।

53. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

53.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री एस.के.जी रहाटे	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (10 मई 2022 तक समाप्त)
श्री रविंद्र सिंह ढिल्लों	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (10 मई 2022 से 16 मई 2022 तक)
श्री विवेक कुमार देवांगन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (17 मई 2022 से प्रभावी)
श्री अजय चौधुरी	निदेशक (वित्त)
श्री वी.के. सिंह	निदेशक (तकनीकी) (15 जुलाई 2022 से प्रभावी)
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)
श्री विशाल कपूर	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक (14 सितंबर 2022 तक समाप्त)
श्री पीयूष सिंह	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक (14 सितंबर 2022 से)
डॉ. गंभीर सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
डॉ. मनोज एम. पांडे	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
डॉं दुर्गेश नंदिनी	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री नारायणन तिरुपति	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (6 मार्च, 2023 से प्रभावी)
श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

(2) मुख्य धारक कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) अनुषंगी कंपनी

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)

(4) आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) की सहयोगी कंपनियां

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड



लेखा संबंधी टिप्पणियां

रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड (20 अप्रैल 2022 को निगमित)

ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (27 अप्रैल 2022 को निगमित)

सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड (6 मई 2022 को निगमित)

लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (28 अक्टूबर 2022 को निगमित)

मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (14 दिसंबर 2022 को निगमित)

एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (10 जनवरी 2023 को निगमित)

खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड (25 अप्रैल 2022 को निगमित और कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत)

राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (30 मई 2022 को अंतरित)

नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड (12 अप्रैल 2022 को निगमित और 24 अगस्त 2022 को अंतरित)

ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (10 अक्टूबर 2022 को अंतरित)

गडाग II-क ट्रांसमिशन लिमिटेड (08 नवंबर 2022 को अंतरित)

डब्ल्यूआरएसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (22 सितंबर 2022 को निगमित और 18 जनवरी 2023 को अंतरित)

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड (21 जनवरी 2023 को अंतरित)

खावड़ा II-ख ट्रांसमिशन लिमिटेड (निगमित 21 अप्रैल 2022 और अंतरित 21 मार्च 2023)

खावड़ा II-ग ट्रांसमिशन लिमिटेड (22 अप्रैल 2022 को निगमित और 21 मार्च 2023 को अंतरित)

केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (29 अप्रैल 2022 को निगमित और 21 मार्च 2023 को अंतरित)

खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड (02 मई 2022 को निगमित और 21 मार्च 2023 को अंतरित)

केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड (04 मई 2022 को निगमित और 21 मार्च 2023 को अंतरित)

ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (27 सितंबर 2022 को निगमित और 21 मार्च 2023 को अंतरित)

खावड़ा II-क ट्रांसमिशन लिमिटेड (19 अप्रैल 2022 को निगमित और 28 मार्च 2023 को अंतरित)

केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड (6 मई 2022 को निगमित और 20 अप्रैल 2023 को अंतरित)

(5) नियोजन हितलाभ न्यास / निधि

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास

आरईसी उपदान निधि

आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास

आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(6) सीएसआर पहल करने के लिए पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन

(7) वे कंपनियाँ जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

समर्पण अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड

नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (15 जुलाई 2022 से संबंधित पक्षकार)

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (संबंधित पार्टी 28 जुलाई 2022 से बंद है)

एनटीपीसी लिमिटेड (14 सितंबर 2022 से संबंधित पक्षकार)

जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (18 जनवरी 2023 से संबंधित पक्षकार)



लेखा संबंधी टिप्पणियां

(8) मुख्य धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते हैं:

(क) धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री रविंद्र सिंह दिल्ली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक (वित्त)
श्री राजीव रंजन झा	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री मनोज शर्मा	निदेशक (वाणिज्यिक) (29 अगस्त, 2022 से)
श्री विशाल कपूर	सरकार द्वारा नामित निदेशक (08 जून, 2022 तक समाप्त)
श्री अजय तिवारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक (09 जून, 2022 से)
श्री राम चंद्र मिश्रा	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (11 जुलाई, 2022 तक समाप्त)
अधिवक्ता भास्कर भट्टाचार्य	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती उषा संजीव नायर	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री प्रसन्ना तांत्री	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(ख) मुख्य धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

पीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड (पूर्व में कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड) अनुषंगी 30 जून 2022 से प्रभावी

(ग) मुख्य धारक कंपनी की मुख्य सहायक कंपनियां

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड

झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड

देवघर इंफ्रा लिमिटेड

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

चेयूर इंफ्रा लिमिटेड

अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड

छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड

सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.04.2022 को निगमित)

फ़तेहगढ़ III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (05.05.2022 को निगमित)

ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.05.2022 को निगमित)

फ़तेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.05.2022 को निगमित)

भाड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.05.2022 को निगमित)

फ़तेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2022 को निगमित)

खंडूखल रामपूरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.05.2022 को निगमित और 07.10.2022 को अंतरित)

धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2022 को निगमित और 28.03.2023 को अंतरित)

रायपुर पूल धमतारी ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2022 को निगमित और 28.03.2023 को अंतरित)

खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (11.05.2022 को अंतरित)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड (30.05.2022 को अंतरित)
- किस्तवार ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.12.2022 को अंतरित)
- भाड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (28.03.2023 को अंतरित)
- तटीय आंध्र मेगा पावर लिमिटेड (27.09.2022 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दिया गया)
- कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (29.09.2022 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दिया गया)
- छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (11.01.2023 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दिया गया)
- शौंगटोंग करचम/ वांगतू ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.01.2023 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दिया गया)
- टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (13.01.2023 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दिया गया)
- बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
- (घ) अन्य कंपनियां जिनमें मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं
- पीटीसी इंडिया लिमिटेड
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (29 सितंबर 2022 से संबंधित पक्षकार)
- एसजेवीएन लिमिटेड (01 दिसंबर 2022 से संबंधित पक्षकार)

53.2 संबंधित पक्षकारों से/को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3.54	-
आरईसीपीडीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियां	45.44	57.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6.70	5.98
अन्य वित्तीय देयताएं	1.43	6.10
नियोजन पश्चात हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियां	3.70	8.70
अन्य वित्तीय देयताएं-भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
प्रावधान	2.68	1.05
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	15.11	-
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियां	1.80	1.90
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.05	0.16
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.22	0.18
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी – पीएफसी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.17	0.17
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	-	1.20
जिन कंपनियों में केएमपी/केएमपी-पीएफसी निदेशक हैं		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के इक्विटी शेयरों में निवेश (उचित मूल्य पर धारित)	140.43	214.74
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां-एनटीपीसी लिमिटेड	5.24	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां -एसजेवीएन लिमिटेड	0.36	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

53.3 वर्ष के दौरान बकाया ऋण/अग्रिम/निवेश की अधिकतम राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
आरईसीपीडीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियां	57.44	57.44
अनुबंधित ऋण एवं अग्रिम	6.70	5.98
निवेश	0.10	0.10
नियोजन हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियां	8.70	8.70
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियां	1.90	4.10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.16	0.16
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.39	0.35
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी – पीएफसी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.17	0.17
जिन कंपनियों में केएमपी/केएमपी-पीएफसी निदेशक हैं		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के इक्विटी शेयरों में निवेश	175.27	247.23

53.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
प्रदत्त लाभांश	1,642.40	1,269.22
निदेशक के बैठक का शुल्क	-	0.08
सरकारी खजाने में हुए व्यय की वसूली कार्यक्रम	3.54	-
पीएफसी से मांग पर चुकोती योग्य ऋण पर वित्त लागत	-	14.47
आरईसी पीडीसीएल		
संवितरित सरकारी फंड	0.18	0.11
कंपनी के बॉण्ड का विमोचन	12.00	-
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का विभाजन	18.37	19.97
लाभांश आय	27.45	22.43
रेंटल आय	4.34	4.88
अन्य आय	2.58	-
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	4.51	4.56
अन्य व्यय	3.54	12.45
नियोजन हितलाभ योजना न्यास / निधि		
कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	31.25	18.28
कंपनी के बॉण्डों का विमोचन	5.00	-
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	3.28	3.28
मुख्य धारक कंपनी के नियोजन पश्चात हितलाभ न्यास / निधि		
कंपनी के बॉण्डों का विमोचन	0.10	2.20
वित्तीय लागत- प्रदत्त ब्याज	0.16	0.38
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
कार्मिक ऋण एवं अग्रिम की चुकोती / वसूली	0.12	0.10
ऋण प्रतिभूतियों के पुनर्भुगतान / वसूली	0.10	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	0.03	0.04
वित्तीय लागत- प्रदत्त ब्याज	0.06	0.07
कर्मचारी लाभ व्यय-प्रबंधकीय पारिश्रमिक	2.84	3.05
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.38	0.12
मुख्य धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी – पीएफसी)		
वित्तीय लागत	0.01	0.01
आरईसी फाउंडेशन		
निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) खर्चों का भुगतान	151.95	112.00
वे कंपनियाँ जिनमें केएमपी / केएमपी – पीएफसी निदेशक हैं		
एनटीपीसी लिमिटेड से किराया आय	14.58	-
सरकारी खजाने में हुए व्यय की वसूली कार्यक्रम-एनटीपीसी लिमिटेड	0.30	-
सरकारी खजाने में हुए व्यय की वसूली कार्यक्रम-एसजेवीएनएल	0.30	-
कंपनी के बॉण्डों पर वित्त लागत-एनएचपीसी लिमिटेड	-	0.35
एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय	-	4.13

53.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन बड़ी निकटता से अर्थात आर्म की लंबाई के आधार पर किए जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। बंधित पक्षों को भुगतान की गई वित्त लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों को स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में अनुषंगी कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती है, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्ति्यों पर कोई क्षतिपूर्ति दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया जाता है।

53.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
(i) अल्पावधि कार्मिक लाभांश	2.65	2.91
(ii) रोजगार के पश्चात लाभांश	0.19	0.14
जोड़	2.84	3.05

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग-अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

53.7 एक ही सरकार (सरकार से संबंधित संस्थाओं) के नियंत्रण में संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण

सरकार से संबंधित संस्थाओं की सूची

समूह की संस्थाएं/कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) हैं। समूह ने जिन सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ संव्यवहार किया है, उनकी सूची में निम्नलिखित को शामिल किया गया है परंतु उन तक सीमित नहीं है:

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
दामोदर घाटी निगम	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर सर्विसेज आईएनसी (एनआईसीएसआई)
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	एमएसटीसी लिमिटेड
एसजीवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	वैपकॉस लिमिटेड
एनएचपीसी लिमिटेड	पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया

लेखा संबंधी टिप्पणियां

सरकार से संबंधित संस्थाओं से सकल लेन-देन निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	3,857.30	2,059.64
ब्याज आय को मान्यता	1,709.48	1,829.69
अन्य व्यय-पावर फाउंडेशन में आरईसी का योगदान	8.00	5.00

सरकार से संबंधित संस्थाओं से सकल लेन-देन निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
ऋण परिसंपत्तियां	20,902.65	17,854.95
ब्याज उपचित	12.99	4.52

केंद्र सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेन-देनों के संबंध में नोट संख्या 11,18,20,31 और 44 का संदर्भ देखें ।

54 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 116 ‘पट्टे’ के संबंध में प्रकटन

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय ₹ 6.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.21 करोड़) हैं। उपयोग योग्य परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों की ओर कुल नकदी बहिर्वाह ₹ 6.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.23 करोड़) है।

वर्ष के दौरान नीचे दी गई पट्टा देयताओं की धारित राशि (उधारी के तहत शामिल) और संचलन के लिए नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	0.03	0.05
वर्ष के दौरान उपचित वित्तीय लागत	-	-
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.01)	(0.02)
अंतिम शेष	0.02	0.03

नीचे दी गई तालिका अनडिस्कॉउंटेड पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
1 वर्ष तक	0.02	0.02
1-5 वर्ष	-	0.02
5 वर्ष से अधिक	-	-

55. भारतीय लेखांकन मानक 19 “कर्मचारी लाभ” के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

55.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि के तहत पृथक पंजीकृत न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वह न्यास वर्ष के दौरान निवेशों पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि, अधिनियम में निधि के सदस्यों को दिया जाने वाला न्यूनतम ब्याज निर्धारित नहीं है, रिटर्न का निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी भी कमी का मुआवजा कंपनी द्वारा दिया जाना है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा और इसलिए, कोई और प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यास/पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तो सदस्य के खाते में जमा राशि को सदस्य के संचय और वार्षिकी के लिए विनियोजित किया जाता है, जैसा कि सदस्य द्वारा चुना गया है।

कंपनी ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त ₹ 13.4 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.18 करोड़) के व्यय को मान्यता दी है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.3 અન્ય दीर्घાવધિ કર્મચારી હિતલાભ

55.3.1 अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन है। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों की अर्जित छुट्टियों को संचित किया जा सकता है, जबकि आधा वेतन अवकाश जमा करने की कोई सीमा नहीं है। इन कर्मचारी लाभों के लिए कुल व्यय ₹ 4.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.98 करोड़) किया गया है और संचित मूल्यांकन के आधार पर लाभ-हानि विवरण में नामे किया गया है।

55.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

दीर्घ सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त ₹ 0.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में डेबिट कर दिया गया है।

55.4 इसके पूर्ण स्वामित्व वाली अनुष्णी कंपनीयों में प्रतिनियुक्ति / सेकेंडमेंट के आधार पर कार्यरत कंपनी के कर्मचारियों के संदर्भ में कर्मचारी लाभों (अर्थात उपदान, पीआरएमएफ, सीमांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभ) का आवंटन कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर किया जा रहा है।

56. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटीट्रिप्स का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटीट्रिप्स में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) - जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

- (i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनः स्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।
- (ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयीं और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संचितरण कर दिया गया है।
- (iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।
- (iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिस्पत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

57 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में संशोधन

पट्टे पर लेखांकन संबंधी नीति को जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी की प्रथाओं को और अधिक स्पष्ट तथा अनुरूप बनाने के लिए कुछ लेखांकन नीतियों को भी नया रूप दिया गया है। लेखांकन नीतियों में किए गए ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

58 प्रावधान, आकस्मिकताएं और इंपेयरमेंट हानि भत्ते को लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में डेबिट किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
(i) ऋण के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता*	105.14	3,434.36
(ii) निवेश के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	-	28.72
(iii) अन्य प्राप्य के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	9.77	10.23
(iv) आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2,684.13	2,378.98

* सुविधा पत्र पर हानि भत्ते के लिए ₹ -5.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.81 करोड़) शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

59 कंपनी के परिचालन में केवल एक कारोबारी खंड शामिल है-ऊर्जा, लॉजिस्टिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण देना। इसलिए, भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एस) 108 “परिचालन खंड” के अनुसार कोई अन्य रिपोर्टेबल खंड नहीं है। इंड एसएस 108 में यथा परिभाषित “प्रबंधन दृष्टिकोण” के आधार पर, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता किसी एक कारोबार सेगमेंट के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं।

59.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
(क) ऋण परिसंपत्तियों से आय	38,701.63	38,522.97
(ख) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	122.21	15.23
(ग) ट्रेजरी परिचालनों से आय	297.20	227.86
जोड़	39,121.04	38,766.06

59.2 इस कंपनी में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि कंपनी के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

59.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 के दौरान कंपनी के राजस्व में 10% अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

60 परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक शृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		31-03-2023 के अनुसार		30-03-2022 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
	परिसंपत्तियां				
(1)	वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	39.00	-	126.40	-
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा बैंक शेष	1,948.34	-	2,295.30	-
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	2,331.97	6,649.64	343.37	5,166.80
(घ)	ऋण	65,372.90	356,711.01	39,144.60	332,785.94
(ङ)	निवेश	46.23	3,091.75	61.28	2,096.69
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	257.00	24,143.28	255.77	24,141.17
	कुल - वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	69,995.44	390,595.68	42,226.71	364,190.61
(2)	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	295.78	-	179.64
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	3,276.99	-	3,134.74
(ग)	निवेश संपत्ति	-	-	-	-
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	638.91	-	623.67
(ङ)	चल रहे पूंजीगत कार्य	-	2.72	-	6.07
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	1.62	-	4.25
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	62.39	7.26	37.87	8.19
	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	62.39	4,223.28	37.87	3,956.56
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	0.34	-	0.86	-
(3)	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	70,058.17	394,818.96	42,265.44	368,147.17
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)				
	देयताएं				
(1)	वित्तीय देयताएं	63.11	913.84	18.89	534.25
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	39,879.40	197,069.59	29,639.43	189,994.14
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	40,338.84	96,775.29	22,529.92	84,121.67
(ग)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	2,796.90	3,976.40	296.95	6,519.52
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	1,065.28	24,109.30	1,466.54	24,109.30
(ङ)	कुल - वित्तीय देयताएं (1)	84,143.53	322,844.42	53,951.73	305,278.88

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		30-03-2022 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
अन्य वित्तीय देयताएं				
(2) गैर-वित्तीय देयताएं				
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	-	-	10.25	-
(ख) प्रावधान	60.64	50.30	57.00	47.51
(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	49.21	49.36	52.40	29.24
कुल – गैर-वित्तीय देयताएं (2)	109.85	99.66	119.65	76.75
कुल देयताएं (1+2)	84,253.38	322,944.08	54,071.38	305,355.63

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/ पुनः समूहित किया गया है।

61

इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

62

कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम/अनुषंगी कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।

63

मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन नोट संख्या 3, 8, 9, 10, 19.1, 26.1, 43, 46, 47.1.3 (एन), 47.1.3 (ओ), 47.1.3 (पी), 47.1.3 (आर), 47.1.3 (एस), 47.1.3 (टी), 47.1.3(यू), 47.1.3(वी), 47.2.2, 47.2.4, 47.3, 48, 49, 50, 53, 57, 58, 61, 62, 64, 66 में किए गए हैं।

64

31 मार्च 2023 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी विनियामक द्वारा कंपनी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है।

तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से नोटिस प्राप्त हुए हैं। (एनएसई) और बीएसई लि. स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण बोर्ड/समितियों की स्थिति/कोरम संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के लिए बीएसई द्वारा कुल ₹ 0.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.76 करोड़) (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया गया।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया है कि वे जुर्माना समाप्त करें क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है और कंपनी या कंपनी निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती है। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। कंपनी को आशा है कि इसी प्रकार के कारणों से बीएसई द्वारा पहले की गई जुर्माना माफी और एनएसई से प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यकता का अनुपालन करने के बाद छूट पर विचार करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को किए गए अनुरोध के अनुकूल परिणाम निकलेंगे।

65.

वर्ष के दौरान, कंपनी का 31-03-2023 (31-03-2022 के पांच अंकों के अनुसार) को पांच कंपनियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों को छोड़कर, बंद की गई कंपनियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं है, जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए रिपोर्ट नहीं की गई है।

66.

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान कंपनी को ग्राहकों या लोकपाल के कार्यालयों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

67.

जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रूपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रूपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखा संबंधी 1 से 67 तक टिप्पणियां स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 0000018एन/ एन500091

एस.मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

आरईसी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय - कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003, सीआईएन: L40101DL1969GOI005095
31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुलग्नक
(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)
(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- क्रमागत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा करने वाली कंपनी और जमा करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2016 के पैराग्राफ 19, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर इसे लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष:				
(1) एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम				
जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
(क) डिबेंचर/बॉण्ड्स :				
- प्रतिभूत	51,646.17	-	40,644.51	-
- अप्रतिभूत	193,034.32	-	186,655.90	-
(ख) आवधिक ऋण				
-वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
-एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,325.12		10,325.12	
-बैंकों से अप्रतिभूत ऋण	56,402.09		42,919.86	
-वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	6,000.64		6,800.00	
(ग) वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	-	-
(घ) अन्य ऋण				
- विदेशी मुद्रा उधारियां	45,783.55	-	35,687.77	-
-एफसीएनआर (बी) ऋण	15,427.63	-	9,861.13	-
-बैंक से ओवरड्राफ्ट	87.59	-	-	-
-अल्पावधि ऋण / मांग पर ऋण प्रतिदेय	3,607.52		1,415.58	
- धारक कंपनी से मांग पर प्रतिदेय ऋण	-		-	
-लीज बाध्यताएं	0.02		0.03	

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
परिसंपत्ति पक्ष:				
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का अलग- अलग ब्योरा				
(क) प्रतिभूत		223,195.81		213,512.93
(ख) अप्रतिभूत		197,552.23		157,153.67
(3) निवेश :				
चालू निवेश :				
उद्धृत:				
(i) शेयर: इक्विटी		27.31		49.52
अनुद्धृत:				
(i) शेयर: इक्विटी		174.05		-
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड		230.82		238.76
दीर्घावधि निवेश				
उद्धृत :				
(i) शेयर: इक्विटी		67.23		53.52
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड		1,066.30		226.82
(iii) सरकारी प्रतिभूतियां		1,431.74		1,374.51
अनुद्धृत:				
(i) शेयर: इक्विटी		140.53		214.84



(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निचल राशि		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
31.03.2023 के अनुसार			
1. संबंधित पक्षकार	-	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	223,195.81	197,552.23	420,748.04
कुल	223,195.81	197,552.23	420,748.04
31.03.2023 के अनुसार			
1. संबंधित पक्षकार	-	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	213,512.93	157,153.67	370,666.60
कुल	213,512.93	157,153.67	370,666.60

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10	0.10	0.10
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	3,137.62	3,137.88	2,176.58	2,157.87
कुल	3,137.72	3,137.98	2,176.68	2,157.97

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i) सकल क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	14,892.08	17,159.89
(ii) निवल क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	4,372.57	5,594.16
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ	233.85	-

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधुरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. :000018एन/ एन500091

एस.मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: मुंबई

दिनांक: 17 मई 2023



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, आरईसी लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) क विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देते हैं और कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में स्टैंडअलोन परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके स्टैंडअलोन नकद प्रवाह तथा इसके सार की स्टैंडअलोन स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 47.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा आश्वासन पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संबंध में, हमने हानि भत्ता के अनुसार निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, जहाँ तक इसका प्रबंधन ओवरले के रूप में हानि भत्ता का पता लगाने का सवाल है स्वतंत्र एजेंसी और प्रबंधन के निर्णय द्वारा विचार किए गए तकनीकी पहलुओं/मापदंडों से संबंधित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले (“केएएम”) वे मामले हैं जो हमारे कारोबारिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता – (लेखांकन नीति सं. 3.11 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 47.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/ रूपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है: क) भारतीय लेखांकन मानक 109 “वित्तीय लिखत” के उपबंधों के अनुसार, हमने बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा को सत्यापित किया है। ख) वसूली/निष्पादन पहलुओं की निगरानी के संबंध में कुल ऋण के बड़े हिस्से को शामिल करते हुए नमूना जांच के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन और उस पर प्रबंधन की धारणा पर विचार करते हुए ऋण हानि का आकलन। ग) वसूली के स्तर का पता लगाने के लिए मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए वसूली सत्यापित की जाती है। ऋण शेष की पुष्टि की जाती है और प्रमुख नियंत्रण मापदंडों के साथ उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है। क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्य निरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा क्षति प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है।	घ) ऋण परिसंपत्तियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर क्षति का आकलन हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेख पर संबंधित साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। ड) हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन गहन रूप से मूल्यांकन किया जाता है। च) हम, बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए क्षति भत्ते के अध्ययन में घटक और गणना पर विश्वास करते हैं और उसके लिए परीक्षण जांच की जाती हैं। ऐसे घटकों में उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग (विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई रेटिंग सहित), चूक/चूक दिए गए ऋण की संभाव्यता की गणना आदि शामिल हैं। बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट पर निर्भरता को देखते हुए इसमें हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया सीमित है।
	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए अर्थात् कुल परिसंपत्ति के 90.67%, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में समझा गया है।	छ) इसके अलावा, प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक कार्यप्रणाली का पालन करते हुए बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट में क्षति भत्ते की समीक्षा करता है और प्रत्येक मामले के आधार पर क्षति को बढ़ाता / घटाता है। प्रबंधन ओवरले के रूप में हमने इस तरह के बदलावों के लिए प्रबंधन से एक विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रबंधन के मूल्यांकन पर मजबूर है और हम उस पर भरोसा करते हैं।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक से भिन्न सूचना

कंपनी के निदेशक मण्डल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित अभिशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन परिचर्य एवं विश्लेषण आदि शामिल है, किंतु इसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

यदि, हमने जो कार्य किया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो यथासंशोधित कंपनी (“भारतीय लेखांकन मानक”) नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की एक पारदर्शी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने और इसका अनुरक्षण करने, जो वित्तीय दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में कार्य कर रहे हों, और जो स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में संगत हों, जो एक सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हों, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित वित्तीय रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कंपनी की वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग-अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, उसके कारण उचित रूप से उन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम कारोबारिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान कारोबारिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- खुलासों सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का वह परिमाण, जिससे एकल या सामूहिक रूप से, यह संभावना उत्पन्न होती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण होते है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी अभिविह्वित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन का उत्तरदायित्व दिए गए सभी व्यक्तियों को, अन्य मामलों के साथ-साथ, योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की अवधि और आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण खामियों जिनकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं सहित, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों की सूचना देते हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

- कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”) द्वारा यथा अपेक्षित, और हमारे द्वारा उचित समझे गई कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हमने अनुलग्नक-क में, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, यथा संभव लागू, एक विवरण प्रस्तुत किया है।
- कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमने अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों पर अनुलग्नक-ख के रूप में अपनी रिपोर्ट संलग्न की है।
- अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

- | | |
|-----|--|
| (क) | हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं। |
| (ख) | हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच प्रतीत होता है। |
| (ग) | इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी और नकद प्रवाह विवरण में परिवर्तन के विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं। |
| (घ) | हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरण, संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं। |
| (ङ) | कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है। |



- (च) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में कृपया हमारी पृथक रिपोर्ट “अनुलग्नक-ग” में देखें।
- (छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर463(ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।
- (ज) यथा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- (i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों में, अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 42 के संदर्भ में;
- (ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;
- (iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं किया गया है।
- (iv) (क) प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पण संख्या 9.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यवर्तियों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है;
- (ख) प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 9.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (“वित्तपोषक पक्षकार”) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि कंपनी, वित्तपोषक पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है;
- (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार संगत और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसने हमें यह विश्वास दिलाया हो कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत यथासंशोधित और उपरोक्त (ए) और (बी) के तहत उपलब्ध कराए गए अभ्यावेदनों में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।
- (v) इस रिपोर्ट की तारीख तक समूह द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किए गए लाभान्श (अंतरिम और अंतिम) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में हैं।
- (vi) कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान, लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के संबंध में, जिसमें कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि उपरोक्त प्रावधान में वर्णित एडिट लॉग आदि कंपनी पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, अतः कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कं.

सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजी.: 001135एन

नाम: एस. के. मित्तल

पदनाम : भागीदार
सदस्य संख्या: 072290
यूडीआईएन: 23072290BGYVDK8429

स्थान: मुंबई

दिनांक: 17 मई 2023

मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी

ਸਨਦੀ ਲੇਖਾਕਾਰ,
ਆਈਸੀਏਆਈ ਫਰਮ ਪੰਜੀ: 000018ਏਨ /ਏਨ500091

नाम : अतुल अग्रवाल

पदनाम : भागीदार
सदस्य संख्या: 092656
2656BGUFNH3625

यूडीआईएन: 23092656BGUFNH3625

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों तथा सामान्य लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा जांची गई लेखा बहियों और अभिलेखों के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि:

- i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:
- (क) (क) कंपनी के पास उचित रिकॉर्ड है जिसमें संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मात्रात्मक विवरण और स्थिति तथा उपयोग योग्य परिसंपत्ति के संबंधित विवरण सहित पूर्ण विवरण दिए गए हैं।
- (ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।
- (ख) कंपनी का संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है ताकि सभी परिसंपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा सके, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।
- (ग) कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के अंतर्गत शामिल वित्तीय विवरण में यथा-प्रकट सभी अचल संपत्तियों (ऐसी संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा करारों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

रु करोड़ में)

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर धारित है	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	जिस अवधि से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन	4.59	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताओं के कारण स्कोप (केंद्र सरकार का परिसर) में कंपनी को आबंटित कार्यालय भवन कंपनी के नाम से पंजीकृत नहीं है।

- (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के विरुद्ध बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (वर्ष 2016 में संशोधित) और इसके अधीन बनाए गए नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

- ii. (क) कंपनी की कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
(ख) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी को वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थान से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की अप्रतिभूत कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। चूंकि, सीमाओं को अप्रतिभूत के रूप में स्वीकृत किया गया है, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- iii. वर्ष के दौरान कंपनी ने, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी फर्मों या किसी अन्य पक्षकार में/को प्रतिभूत/ अप्रतिभूत, निवेश किया है, गारंटी प्रदान की है और ऋण की प्रकृति में ऋण/अग्रिम प्रदान किया है। इस संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

- (क) कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक पंजीकृत एनबीएफसी है, जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, इसलिए आदेश का खंड 3 (iii) (क) लागू नहीं है।
- (ख) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी तथा ऋण और गारंटी की प्रकृति में प्रदान किए गए सभी ऋणों और अग्रिमों की निबंधन और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।
- (ग) एक पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते, कंपनी मूलधन और ब्याज की चुकौती के लिए निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर अपने ऋण की अदायगी करती है। ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों को छोड़कर, ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज की प्राप्ति आम तौर पर नियमानुसार नियमित हैं।
- (घ) हम रिपोर्ट करते हैं कि ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के रूप में प्रावधान करने के लिए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का पालन किया गया है। निर्धारित देय तिथि से 90 दिनों से अधिक के लिए चुकौती में देरी के परिणामस्वरूप लेखा को ऋणग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष के अंत में 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय राशि निम्नानुसार है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कदम उठाती है जो हमारी राय में उचित है।

₹ करोड़ में)

मामलों की संख्या	अतिदेय मूल राशि	अतिदेय ब्याज*	कुल अतिदेय	टिप्पणी (यदि कोई हो)
19	7,839.15	20,604.63	28,443.78	-

*इसे कंपनी की लेखा नीतियों और परिपाटियों के अनुसार विवेकी मामले के रूप में आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

- (इ)

आदेश के खंड 3 (iii) (इ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी का मुख्य कारोबार के लिए ऋण प्रदान करना है।
- (च)

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम, मांग पर चुकाने योग्य या किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना प्रदान नहीं किया है। इसलिए, खंड 3(iii) (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- iv.

हमारी राय में और अधिनियम की धारा 185 के उपबंधों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 185 के तहत कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की है।
- इसके अतिरिक्त, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, एक एनबीएफसी होने के नाते, अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों तथा ऋण और गारंटी के संबंध में संगत नियमों से छूट प्राप्त है। निवेश के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 186(1) के उपबंधों का अनुपालन किया है।
- v.

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या के अन्य प्रासंगिक उपबंध और इसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं।
- vi.

एक एनबीएफसी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेख बनाए रखने के संबंध में आदेश का खंड 3 (vi) लागू नहीं होता है।
- vii.

(क)

हमारी जांच और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय, जो उपयुक्त प्राधिकरण में उस पर लागू होते हैं, सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में आम तौर पर नियमित है। 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया में कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं था।
- हमें दी गई और प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित जानकारी और स्पष्टीकरण, जिस पर हमने विश्वास किया है, के अनुसार, कुल ₹ 29.25 करोड़ के आयकर की बकाया राशि विवाद के कारण जमा नहीं की गई है / विरोध के तहत जमा नहीं की गई है और मामले उपयुक्त प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	विवादित राशि	समायोजित भुगतान की गई राशि / धनवापसी	अदत्त निवल राशि	मूल्यांकन वर्ष जिससे राशि संबंधित है	फोरम, जिसमें विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.30	0.30	-	2008-09	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.32	0.32	-	2012-13	सीआईटी (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.83	0.83	-	2012-13	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	87.68	87.68		2018-19	सीआईटी (ए) एनएफएसी दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	87.96	58.74	29.22	2019-20	सीआईटी (ए) एनएफएसी दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	20.13	20.13	-	2020-21	सीआईटी (ए) एनएफएसी दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	1.66	1.66	-	2021-22	सीआईटी (ए) एनएफएसी दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	0.03	-	0.03	2021-22	सीपीसी, टीडीएस (टीआरएसीईड्स के अनुसार)
वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017	वस्तु और सेवा कर का भुगतान	17.89	17.89	-	वित्त वर्ष 2017-18	आयुक्त (अपील), सीजीएसटी दिल्ली अपील
	कुल	216.80	187.55	29.25		

- viii.

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई विगत अलेखबद्ध आय के संबंध में कोई लेनदेन नहीं था।
- ix.

(क)

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी यह राय है कि कंपनी ने ऋण अथवा अन्य उधारियों की चुकौती अथवा किसी उधारदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है.
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (ग)

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।
- (घ)

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा समग्र आधार पर दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- (ङ)

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई निधि प्राप्त नहीं की है।
- (च)

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों के रेहन पर कोई ऋण नहीं जुटाया है।
- x.

(क)

कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है। हमें सूचित किया गया है और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी यह राय है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऋण लिखतों और मीयादी ऋणों के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए इसे जुटाया गया है।

- (ख)

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- xi.

(क)

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन परिपाटियों के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है।
- जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथानिर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी को किसी व्हिसल ब्लोअर (सूचना प्रदाता) से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii.

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) (क) से (ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xiii.

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार, अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में हैं और स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण आदि में लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा-अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।
- xiv.

(क)

हमारी राय में कंपनी में व्यापक तौर पर अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और इस तारीख तक, कंपनी को लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के लिए जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।
- xv.

हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर- नकदी संव्यवहार नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपबंध, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xvi.

(क)

हमें सूचित किया गया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी को जारी पंजीकरण संख्या 14.000011 है।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवासन वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।
- (ग)

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xvi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (घ)

हमारी राय में, समूह में कोई कोर निवेश कंपनी (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- xvii.

कंपनी को हमारी लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।
- xviii.

वर्ष के दौरान कंपनी के किसी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।
- xix.

वित्तीय अनुपात, काल प्रभावन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी तथा निदेशक मण्डल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और पूर्वानुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलनपत्र में मौजूद अपनी देनदारियों, जब वे देय हों, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो ऐसी कोई गारंटी देते हैं और न ही ऐसा कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों, जब वे देय होती हैं, को कंपनी द्वारा अदा कर दिया जाएगा।
- xx.

हमें सूचित किया गया है कि चल रही परियोजनाओं या चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- xxi.

आदेश का खंड 3 (xxi) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कं. सनदी लेखाकार, आईसीएआई फर्म पंजी.: 001135एन	मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी सनदी लेखाकार, आईसीएआई फर्म पंजी: 000018एन /एन500091
नाम: एस. मूर्ति पदनाम : भागीदार सदस्य संख्या: 072290 यूडीआईएन: 23072290BGYVDK8429	नाम : अतुल अग्रवाल पदनाम : भागीदार सदस्य संख्या: 092656 यूडीआईएन: 23092656BGUFNH3625

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

अनुलग्नक-I

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड ‘अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट’ के अंतर्गत पैराग्राफ 2 के संदर्भ में।

क्रम सं.	दिशानिर्देश	कृत कार्रवाई	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क.	दिशानिर्देश		
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देनों की प्रक्रिया करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन-देनों की प्रक्रियाओं के प्रभाव बताए जाएं।	कंपनी आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन देन ओरेकल ईआरपी आर 12 संस्करण द्वारा किया है। क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों सहित पूरा लेखांकन केंद्रीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2.	क्या ऋण का पुनर्भुगतान करने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा दिए गए मौजूदा ऋण/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्निधारण है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखाबद्ध किया जाता है? (अगर, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो क्या यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	ऐसा कोई मामला नहीं था और कंपनी लगातार अपने ऋण तथा उधार के दायित्वों को पूरा करती आ रही है। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसे मामलों को भी सही तरीके से लेखांकित किया है जहां कंपनी द्वारा दिए गए किसी भी ऋण की पुनर्रचना/माफी/ बट्टे खाते में डाला गया है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/ सस्सिडी आदि)का समुचित रूप से हिसाब रखा गया था/निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	कंपनी ने उपयोग के लिए केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं की हैं। तथापि, कंपनी को विभिन्न एजेंसियों की निर्दिष्ट योजनाओं के अनुसार इसके संवितरण के लिए सरकार से निधि प्राप्त होती है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कं. सनदी लेखाकार, आईसीएआई फर्म पंजी.: 001135एन	मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी सनदी लेखाकार, आईसीएआई फर्म पंजी: 000018एन /एन500091
---	--

नाम: एस. मूर्ति पदनाम : भागीदार सदस्य संख्या: 072290 यूडीआईएन: 23072290BGYYVDK8429	नाम : अतुल अग्रवाल पदनाम : भागीदार सदस्य संख्या: 092656 यूडीआईएन: 23092656BGUFNH3625
--	--

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

अनुलग्नक-II

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार हमने आरईसी लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कं. सनदी लेखाकार, आईसीएआई फर्म पंजी.: 001135एन	मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी सनदी लेखाकार, आईसीएआई फर्म पंजी: 000018एन /एन500091
---	--

नाम: एस. मूर्ति पदनाम : भागीदार सदस्य संख्या: 072290 यूडीआईएन: 23072290BGYYVDK8429	नाम : अतुल अग्रवाल पदनाम : भागीदार सदस्य संख्या: 092656 यूडीआईएन: 23092656BGUFNH3625
--	--

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2023 के अनुसार आरईसी लिमिटेड कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी (“मार्ग-निर्देशन टिप्पणी”) तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

- (क) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;
- (ख) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और
- (ग) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के सभी वास्तविक पहलुओं को छोड़कर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कं. सनदी लेखाकार, आईसीएआई फर्म पंजी.: 001135एन	मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी सनदी लेखाकार, आईसीएआई फर्म पंजी: 000018एन /एन500091
नाम: एस. के. मित्तल पदनाम : भागीदार सदस्य संख्या: 072290 यूडीआईएन: 23072290BGYYVDK8429	नाम : अतुल अग्रवाल पदनाम : भागीदार सदस्य संख्या: 092656 यूडीआईएन: 23092656BGUFNH3625

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल,
आरईसी लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

हमने आरईसी लिमिटेड (“कंपनी”) के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2023 के अनुसार तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (इसके बाद “स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण” के रूप में संदर्भित), की लेखापरीक्षा की है।

भारतीय रिजर्व-बैंक(आरबीआई) की दिनांक 29 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.पीपीडी. 03/66.15.001/2016-17 के तहत जारी “गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016” द्वारा यथा अपेक्षित तथा उक्त निदेश के अध्याय-11 के अनुच्छेद 3(क) और 3(ग) में निर्दिष्ट मामलों पर कंपनी के लिए यथासंभव लागू प्रावधानों और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

- कंपनी का पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आईए के तहत दिनांक 10 फरवरी, 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 14.000011 के तहत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व के प्रमाणपत्र के एवज में दिनांक 17 सितंबर, 2010 को नया प्रमाणपत्र जारी किया, जिसमें आरईसी को दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई के परिपत्र सीसी संख्या 168 में निहित अनुदेशों के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया। कंपनी का नाम रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से आरईसी लिमिटेड हो जाने के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी लिमिटेड के नाम से दिनांक 28 नवंबर, 2018 को पंजीकरण सं. 14.000011 के तहत नया प्रमाणपत्र जारी किया है।
- कंपनी, 31 मार्च, 2023 के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय प्रतिरूप के संदर्भ में ऐसे पंजीकरण को नियमित रूप से धारित करने के पात्र हैं।
- कंपनी, दिनांक 1 सितंबर, 2016 के मास्टर निदेश-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में यथा निर्धारित एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को लागू अपने स्वामित्व की निवल निधियों की अपेक्षाओं को पूरा करती है।
- कंपनी के निदेशक मण्डल ने, दिनांक 21 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किसी सार्वजनिक जमा राशि को स्वीकार न करने के संबंध में एक संकल्प पारित किया है।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
- वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और इसके तहत जारी संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के मान्य एवं माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

तदनुसार, अपनी ऋण परिसंपत्तियों और उनके वर्गीकरण के प्रावधानीकरण के समक्ष क्षति भत्ते की गणना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन कर रही है। कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कोई प्रणाली को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के नियामक अनुपालन को ध्यान में रखते हुए कंपनी 2016 के निदेश के संदर्भ में अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए आय मान्यता, लेखांकन मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी मानदंड) से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन नहीं कर सकी। फिर भी कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी) सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के तहत इस संबंध में कंपनी के आईआरएसीपी मानदंड और ईसीएल कार्यप्रणाली के बीच प्रावधान में अंतर के पालन के निर्देशों का पालन कर रही है।

- क)

हमारी राय में, फार्म एनबीएस-7 (डीएनबीएस03) में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत रिटर्न में प्रकट किया गया पूंजी पर्याप्तता अनुपात अंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर सही प्रकार से प्राप्त हुआ है और ऐसा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन करता है।

ख)

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्ति/प्रकट और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (डीएनबीएस03 रिटर्न) के वार्षिक विवरण को कंपनी द्वारा अंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर 13 अप्रैल, 2023 को जमा कर दिया गया है।

मैसर्स एस.के. मित्तल एंड कं.

सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 001135एन

नाम: एस. मूर्ति

पदनाम: भागीदार

सदस्यता संख्या : 072290

यूडीआईएन : 22072290एआईवाईकेएक्सवाई2602

मैसर्स ओ.पी.बागला एंड कं.एलएलपी.

सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण:
000018एन/एन500091

नाम: अतुल अग्रवाल

पदनाम: भागीदार

सदस्यता संख्या : 092656

यूडीआईएन : 22087537एआईवाईजेएमजी7914

स्थान : मुंबई

दिनांक : 17 मई 2023



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 17 मई 2023 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछ-ताछ तथा कुछ लेखाकरण दस्तावेजों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(संजय के. झा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (एनर्जी)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 31 जुलाई, 2023

31 मार्च 2023 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

क्र.सं. विवरण		टिप्पणी सं.	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
परिसंपत्तियां				
(1)	वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	48.70	140.99
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य बैंक शेष	7	2,346.91	2,518.96
(ग)	ट्रेड प्राप्त्य	8	113.00	94.55
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9	8,981.61	5,510.17
(च)	ऋण	10	422,083.91	371,930.54
(छ)	निवेश	11	3,170.00	2,190.44
(ज)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	24,422.54	24,415.31
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		461,166.67	406,800.96
(2)	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां(निवल)	13	305.95	191.56
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)	14	3,307.56	3,160.12
(ग)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	15	639.17	624.04
(घ)	पूंजीगत चालू- कार्य	15	2.72	6.07
(च)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	15	1.63	4.28
(छ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	16	74.40	68.68
	कुल – गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		4,331.43	4,054.75
(3)	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	17	4.65	4.38
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		465,502.75	410,860.09
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	वित्तीय देयताएं			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9	976.95	553.14
(ख)	ट्रेड प्राप्त्य			
	(i) एमएसएमई का कुल बकाया देय	18	-	-
	(ii) एमएसएमई से भिन्न ऋणकर्ताओं का कुल बकाया देय	18	41.68	36.48
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	19	236,902.33	219,574.61
(घ)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	20	137,114.13	106,651.59
(च)	अधीनस्थ देयताएं	21	6,773.30	6,816.47
(छ)	अन्य वित्तीय देयताएं	22	25,345.11	25,708.73
	कुल-गैर-वित्तीय देयताएं(1)		407,153.50	359,341.02
(2)	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	23	10.65	10.25
(ख)	प्रावधान	24	111.62	105.67
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	25	106.45	89.04
	कुल-गैर-वित्तीय देयताएं(2)		228.72	204.96
(3)	बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएँ	17	0.02	0.01
(4)	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	26	2,633.22	1,974.92
(ख)	लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है	27	558.40	558.40
(ग)	अन्य इक्विटी	28	54,928.89	48,780.78
	कुल – इक्विटी (4)		58,120.51	51,314.10
	कुल – देयताएं और इक्विटी (1+2+3+4)		465,502.75	410,860.09
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

एस.मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. :000018एन/ एन500091

राकेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. : 087537

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

31 मार्च 2023 लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)				
क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	29	38,846.34	38,194.49
(ii)	लाभान्श आय	30	11.89	4.21
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	31	287.17	572.82
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	37	45.31	346.57
(v)	सेवाओं की बिक्री	32	287.55	150.96
I.	प्रचालनों से कुल राजस्व (i से v)		39,478.26	39,269.05
II.	अन्य आय	33	41.90	70.15
III.	कुल आय (I+II)		39,520.16	39,339.20
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	34	23,733.33	22,050.96
(ii)	निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय हानि	35	1,114.04	799.05
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	36	16.29	16.73
(iv)	वित्तीय दस्तावेज संबंधी हानि	38	142.17	3470.02
(v)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	39	54.06	65.11
(vi)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	40	204.10	180.84
(vii)	मूल्यहास एवं परिशोधन	41	24.26	18.24
(viii)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	42	203.91	172.35
(ix)	अन्य व्यय	43	130.33	123.56
IV.	कुल व्यय (i से ix)		25,622.49	26,896.86
V.	कर पूर्व लाभ (III-IV)		13,897.67	12,442.34
VI.	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का हिस्सा		-	(11.81)
VII.	कर पूर्व लाभ (III-IV+V)		13,897.67	12,430.53
VIII.	कर व्यय	44		
(i)	वर्तमान कर			
	- चालू वर्ष		2,720.50	3,069.23
	- पूर्व वर्ष		(147.45)	(3.96)
(ii)	आस्थगित कर		157.64	(670.44)
	कुल कर व्यय (i+ii)		2,730.69	2,394.83
IX.	अवधि के लिए लाभ		11,166.98	10,035.70
X.	अन्य व्यापक आय/(हानि)			
(i)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(5.99)	(8.33)
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		1.51	2.10
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		(58.16)	22.19
(ख)	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		(0.32)	2.55
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		-	(0.02)
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा उप-जोड़ (i)		(62.96)	18.49
(ii)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा		542.33	480.84
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		(136.49)	(121.02)
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		(1,755.82)	(584.51)
(ख)	हेजिंग रिजर्व की लागत		441.90	147.11
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		-	1.19
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा			
(घ)	इन मदों से संबंधित आयकर			
	उप-जोड़ (ii)		(908.08)	(76.39)
	अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)		(971.04)	(57.90)
XI.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)		10,195.94	9,977.80
XII.	प्रत्येक 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन (₹ में)	45		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		42.28	37.98
(2)	बंद प्रचालनों के लिए		-	-
(3)	जारी और बंद प्रचालनों के लिए		42.28	37.98
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

एस.मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. :000018एन/ एन500091

राकेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. : 087537

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क	इक्विटी शेयर पूंजी
विवरण	
अवधि के प्रारंभ में शेष	
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन*	
अवधि के अंत में शेष	
विवरण के लिए टिप्पणी 26 देखें	
ख	लिखत पूरी तरह से इक्विटी स्वरूप के हैं
विवरण	
अवधि के प्रारंभ में शेष	
अवधि के दौरान प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी लिखतों में परिवर्तन	
अवधि के अंत में शेष	
विवरण के लिए टिप्पणी 27 देखें	

ग

अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष				
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii)क के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	पूंजीगत रिजर्व
31 मार्च 2021 के अनुसार शेष	19,222.23	2,128.41	3,804.00	2,236.54	4.70
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-
महत्वपूर्ण प्रभाव की समाप्ति (लाभ)/हानि का पुनःवर्गीकरण	-	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	3,080.70	-	2,010.00	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी लिखत (करों का निवल) की बिक्री/ उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	(1,931.59)	-	-	(4.70)
एफवीओसीआई इक्विटी लिखत (करों का निवल) की बिक्री/ उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण हानि	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान परिशोधन	-	-	-	-	-
प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी लिखत पर निर्गम व्यय (मियादी ऋण लिखत) (करों का निवल)	-	-	-	-	-
उप – जोड़	3,080.70	(1,931.59)	2,010.00	-	(4.70)
लाभांश	-	-	-	-	-
कुल – स्वामियों के साथ लेन-देन	-	-	-	-	-

	(₹ करोड़ में)
31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
1,974.92	1,974.92
658.30	-
2,633.22	1,974.92

	(₹ करोड़ में)
31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
558.40	558.40
-	-
558.40	558.40

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाता	सामान्य रिजर्व	हानि रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा	एफवीओसीआई-इक्विटी दस्तावेज	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
(573.16)	9,903.16	-	4,606.01	(1.19)	24.07	(165.61)	41.45	41,230.61
-	-	-	10,035.69	-	-	-	-	10,035.69
-	-	-	(6.23)	-	-	-	-	(6.23)
-	-	-	(0.02)	-	24.74	359.82	(437.40)	(52.86)
-	-	-	-	1.19	-	-	-	1.19
-	-	-	10,029.44	1.19	24.74	359.82	(437.40)	9,977.79
-	-	-	(5,090.70)	-	-	-	-	-
-	1,936.29	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	86.79	-	(86.79)	-	-	-
(216.94)	-	-	-	-	-	-	-	(216.94)
234.81	-	-	-	-	-	-	-	234.81
-	-	-	(34.12)	-	-	-	-	(34.12)
17.87	1,936.29	-	(5,038.03)	-	(86.79)	-	-	(16.25)
-	-	-	(2,411.37)	-	-	-	-	(2,411.37)
-	-	-	(2,411.37)	-	-	-	-	(2,411.37)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष				
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	पूंजीगत रिजर्व
31 मार्च 2022 के अनुसार शेष	22,302.93	196.82	5,814.00	2,236.54	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	2,674.96	-	2,211.15	-	-
सामान्य रिजर्व में /(से) अंतरण	-	(196.82)	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी लिखत (करों का निवल) की बिक्री/ उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण हानि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान ऋणशोधन	-	-	-	-	-
प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी लिखत पर निर्गम व्यय (मियादी ऋण लिखत) (करों का निवल)	-	-	-	-	-
उप- जोड़	2,674.96	(196.82)	2,211.15	-	-
बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रयुक्त				(658.30)	
बोनस इक्विटी शेयर जारी करने पर हुआ व्यय				(0.71)	
लाभांश	-	-	-	-	-
उप-जोड़ स्वामियों के साथ लेन-देन	-	-	-	(659.01)	-
31 मार्च 2023 के अनुसार शेष	24,977.89	-	8,025.15	1,577.53	0.00

आरक्षित से आहरण/अंतरण से संबंधित विस्तृत ब्यौरों के लिए टिप्पणी संख्या 28.1 देखें

संलग्न टिप्पणी इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

1 से 73

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001132एन

कृते ओ.पी. बाग्ला एवं कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

एस.मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

राकेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. : 087537

स्थान: मुंबई

दिनांक: 17 मई 2023

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाता	सामान्य रिजर्व	हानि रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा	एफवीओसीआई-इक्विटी दस्तावेज	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
(555.29)	11,839.45	-	7,186.05	-	(37.98)	194.21	(395.95)	48,780.78
-	-	-	11,166.98	-	-	-	-	11,166.98
-	-	-	(4.48)	-	-	-	-	(4.48)
-	-	-	-	-	(58.48)	405.84	(1,313.92)	(966.56)
-	-	-	11,162.50	-	(58.48)	405.84	(1,313.92)	10,195.94
-	-	-	(4,886.11)	-	-	-	-	-
-	196.82	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.01	-	(5.01)	-	-	-
(487.03)	-	-	-	-	-	-	-	(487.03)
251.88	-	-	-	-	-	-	-	251.88
-	-	-	(33.30)	-	-	-	-	(33.30)
(235.15)	196.82	-	(4,914.40)	-	(5.01)	-	-	(268.45)
								(658.30)
								(0.71)
-	-	-	(3,120.37)	-	-	-	-	(3,120.37)
-	-	-	(3,120.37)	-	-	-	-	(3,779.38)
(790.44)	12,036.27	-	10,313.78	-	(101.47)	600.05	(1,709.87)	54,928.89

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधुरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड (“आरईसी” या “कंपनी” या “धारक कंपनी”) की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। यह कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय से किया जाता है। कंपनी के कार्यालय देश भर में, मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों में और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है।

यह कंपनी भारत सरकार का एक उद्यम है जो विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन-डिपॉजिट एक्सेसिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है। एनबीएफसी होने के नाते कंपनी का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

कंपनी को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग द्वारा ‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटीयों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ कंपनी को यहां इसके उपरांत ‘समूह’ के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और आरबीआई द्वारा जारी किए गए अन्य लागू / दिशानिर्देशों के तहत अधिसूचित इंड एस का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा 13 मई, 2023 को अधिकृत अवन अनुमोदित किया गया।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 समेकन का आधार

अनुषंगी कंपनी

अनुषंगी कंपनी ऐसा निकाय है, जो समूह द्वारा होता है। समूह किसी निकाय अथवा इकाई को तब नियंत्रित करता है जब उसके पास निवेशकर्ता पर अधिकार (शक्ति) होती है, वह उस निकाय के साथ अपनी भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनशील (चर) लाभ रिटर्न के बारे में परिचित होता है या

उसका अधिकार उसके पास होता है और इकाई पर अपनी अधिकार के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को उस तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है जिससे उस पर उसका नियंत्रण शुरू होता है और जिससे उस पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। समूह धारक कंपनी और अपनी अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय की समान मदों को लाइन बाई लाइन जोड़ कर समेकित करता है।

इक्विटी खाते में निवेशकर्ता

इक्विटी में समूह के हितों की गणना ऐसे निवेशकर्ताओं के लिए की जाती है, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम में जिनके हित शामिल होते हैं।

एक सहयोगी कंपनी, जिसमें एक गैर-निगमित इकाई भी शामिल है, एक ऐसी इकाई अथवा निकाय है, जिसके ऊपर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है और यह न तो एक अनुषंगी कंपनी है और न ही किसी संयुक्त उद्यम में उसका कोई हित निहित होता है। सहयोगी कंपनी में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। इन हितों को शुरू में ऐसी लागत में मान्यता दी जाती है, जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी-अकाउंटेंड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि, अगर यह आकलन किया जाता है कि सहयोगी कंपनी में निवेश/हित बिक्री के लिए रखा गया है, तो ऐसे मामलों में सहयोगी कंपनी में हित की गणना भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 105 के तहत की जाएगी।

एक संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और उसे अपनी देनदारियों के लिए अपनी परिसंपत्तियों और अपनी देयताओं की बाध्यताओं के अधिकारों के बजाय व्यवस्था की निबल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है।

संयुक्त उद्यम में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उन्हें शुरू में ऐसी लागत के रूप में मान्यता दी जाती हैं जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी-अकाउंटेंड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है।

3.2 समेकन पर समाप्त किए गए संव्यवहार

समूह के भीतर (इंट्रा-ग्रुप) बकाया राशियों और लेनदेनों और समूह के भीतर लेनदेनों से होने वाली किसी भी अघोषित आय और खर्च को समाप्त कर दिया जाता है। इक्विटी अकाउंटेंड निवेशकर्ताओं के साथ लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अघोषित लाभ को निवेशकर्ता में समूह के हित की सीमा तक निवेश के विरुद्ध समाप्त कर दिया जाता है। अघोषित लाभ की तरह ही अघोषित हानि को भी उसी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केवल इस हद तक कि यहां क्षतिपूर्ति का कोई सबूत नहीं है।

3.3 तैयारी और मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर लेखांकन की प्रोद्घवन प्रणाली के बाद गोड्रेंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत रूप से लागू किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों (‘आईएनआर’), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.4 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है : (i) आरईसी की लागत और खर्चें (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित विलंबित और दंडात्मक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतान; क्रेडिट क्षतिपूरित ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात् वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तिओं का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है और अलग से मुख्य ब्याज आय पर प्रकट किय जाता है।

क्रेडिट-इंपेयर्ड ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को विवेक के मामले के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है, दवाबग्रस्त संपत्तियों के समाधान के परिणाम लंबित हैं।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो कॉर्पोरेट निकायों और म्यूचुअल फंड की यूनित्स के शेयरों पर लाभांश से आय को प्रोद्घवन के आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता ‘लाभांश आय’ शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

सेवाएं प्रदान करने (बिक्री) से राजस्व

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना बनी रहे है कि समूह को आर्थिक लाभ प्रवाहित होते रहेंगे और राजस्व को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

समूह भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 115 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उपयोग करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राजस्व को कितनी और कब मान्यता दी जानी है, राजस्व की प्रकृति, राशि, समय अनुसूची और अनिश्चितता आदि क्या है। उसी के अनुसार, राजस्व को पाँच चरण वाले दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता दी जाती है:

- ग्राहक के साथ संविदा (संविदाओं) की पहचान करना;
- संविदा में अलग-अलग कार्यनिष्पदक दायित्वों की पहचान करना;
- लेन-देन का मूल्य निर्धारित करना;
- कार्यनिष्पदक दायित्वों के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करना; तथा
- कार्यनिष्पदक दायित्व से संतुष्ट होने पर राजस्व को मान्यता देना।

राजस्वों का मापन प्राप्त या प्राप्यविचारण, छूटों और अन्य अप्रत्यक्ष करों के निबल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

कॉस्ट प्लस संविदाओं में - राजस्व को मान्यता संविदा के अनुसार व्ययों की पात्र संविदात्मक मदों और आनुपातिक मार्जिन को शामिल कर दी जाती है;

निर्धारित मूल्य संविदाओं में - राजस्व को मान्यता संविदा के पूरा होने के चरण के आधार पर दी जाती है। समूह ने आकलन किया है कि संविदा के पूरा होने के चरण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस कार्यनिष्पदक बाध्यता को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल समय के अनुपात के रूप में किया जाता है, जो भारतीय लेखांकन मानक (एस) 115 के अंतर्गत इन कार्यनिष्पदक बाध्यताओं की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति का एक उपयुक्त मापक है।

यदि हालात बदलते हैं, तो राजस्व, लागत या पूर्ण होने की दिशा में प्रगति के अनुमानों को संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागत में कोई भी परिणामी वृद्धि या कमी को उस अवधि में लाभ या हानि में दर्शाया जाता है, जिसमें संशोधन को जन्म देने वाली परिस्थितियां प्रबंधन द्वारा ज्ञात हो जाती हैं।

टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत पारेषण परियोजनाओं के लिए चयनित बोलीदाताओं / डेवलपर्स से लिए जाने वाले व्यावसायिक प्रभारों की गणना उस वर्ष में की जाती है, जिसमें यह यथोचित रूप से निश्चित होता है कि व्यावसायिक प्रभारों का अंतिम संग्रहण किया जाएगा।

प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय को संबंधित एसपीवी को क्रेडिट किया जाता है और अर्हता के लिए अनुरोध(आरएफव्यू) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय समूह द्वारा अपने



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

पास रखी जाती है और इसकी गणना समूह की आय के रूप में की जाती है।

3.5 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियों अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियों वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.6 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाईल्यूटेड आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.7 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को “विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते” में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनःअंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए संबंधित वहन की राशि को परिशोधित नहीं किया जाता है।

भूमि में वित्तीय पट्टे के तहत रखी गई भूमि भी शामिल है, जिसका पट्टे की अवधि में परिशोधित होता है।

अन्य मूर्त परिसंपत्तियों

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे समूह के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यहास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यहास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यहास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को परिसंपत्तियों के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास 5,000 / - रुपए तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यहास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को ‘पूंजीगत कार्य में प्रगति’ के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्तियों को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया हैं, को ‘अग्रिम पूंजी’ के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.9 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों का आकलन प्रारंभ में लागत पर किया जाता है। जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्तियों के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्तियों को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक ‘विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों’ के रूप में, रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं ‘उन्हें अग्रिम पूंजी’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्तियों को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्तियों के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्तियों को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.10 पट्टा लेखांकन:

समूह अल्पकालिक या कम मूल्य के पट्टे के रूप में पहचाने गए पट्टों को छोड़कर सभी पहले से प्रचालनरत पट्टों के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है।

समूह संविदा की शुरुआत के समय ही इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संविदापट्टा संविदा है या इसमें कोई पट्टा निहित है। किसी पट्टे को 'एक ऐसी संविदा, या एक संविदा के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिसंपत्तियों (अंतर्निहित परिसंपत्तियों) को विचारण राशि के बदले में अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।'

इस परिभाषा को लागू करने के लिए समूह इस बात आकलन करता है कि क्या संविदा मूल्यांकन की तीन प्रमुख शर्तों को पूरा करती है या नहीं, जो कि क्या :

- संविदा में पहचान की गई एक ऐसी परिसंपत्तियों शामिल होती है, जिसे या तो संविदा में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है या यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि समूह द्वारा परिसंपत्तियों उपलब्ध कराई गई है।

- समूह को संविदा की निर्धारित सीमा के भीतर अपने अधिकारों पर विचार करते हुए उपयोग की अवधि में पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

- समूह के पास यह अधिकार है कि वह इस्तेमाल की गई अवधि के दौरान पहचानी गई परिसंपत्तियों के उपयोग का निर्देश दे। समूह यह आकलन करता है कि क्या उसे यह निदेशित करने का अधिकार है कि उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान परिसंपत्ति का उपयोग ‘कैसे और किस उद्देश्य के लिए’ किया जाता है।

पट्टा शुरू होने की तारीख को समूह अपने तुलन पत्र में राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति और पट्टा देयता को मान्यता देता है। राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति को उस लागत पर मापा जाता है, जो पट्टे की देयता के प्रारंभिक मापन, समूह द्वारा की गई किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों, पट्टा कीवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों को डिसमेंटल करने और हटाने के लिए किसी भी लागत अनुमान और पट्टा प्रारंभ तिथि (प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निबल) के अग्रिम तौर पर किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से मिलकर बनती है।

समूह पट्टा शुरू होने की तारीख से लेकर राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि की समाप्ति तक एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों का मूल्यहास करता है। समूह ऐसे संकेतक मौजूद होने पर क्षतिपूर्ति के लिए राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति का भी आकलन करता है।

प्रारंभ तिथि को समूह उस तिथि पर पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके रियायत देते हुए करता है, बशर्ते कि वह दर आसानी से उपलब्ध दर हो या फिर समूह की वृद्धिशील उधार दर हो।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान स्थिर भुगतानों (यथार्थ रूप में स्थिर को शामिल करते हुए), किसी सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्ती भुगतानों, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि और ऐसे अपेक्षित विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना निश्चित है, से उत्पन्न भुगतानों को मिलाकर बनते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, किए गए और ब्याज के लिए बढ़ाए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी। किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए या यदि इन-यथार्थ रूप से निश्चित भुगतानों में कोई परिवर्तन होते हैं, तो इसे फिर से मापा जाता है।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो संबंधित समायोजन को राइट-ऑफ़-यूज परिसंपत्तियों में और यदि राइट-ऑफ़-यूज परिसंपत्तियों पहले से ही शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है।

3.11 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को समूह द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है; अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी परिसंपत्तियां को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अन्य परिसम्पत्तियों से इतर दर्शायी जाती है। परिसंपत्तियों का मूल्यहास तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जहां समूह किसी इकाई के नियंत्रण के नुकसान से युक्त बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह निकाय में निवेश (अर्थात उस निकाय की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों) को बिक्री के रखी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है।

3.12 वित्तीय दस्तावेज



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय दस्तावेज एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटीटी की वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य एंटीटी की वित्तीय देयता या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं हैं जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण-परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा
- ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

मूल्यहास भत्ता (अपेक्षित ऋण हानि) परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर निर्धारित किया जाता है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की, पुनर्निर्धारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्तियों

के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखत भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड लिखत का एक घटक है जिसमें एक गैर-व्युत्पन्न मेजबान अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त लिखत के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड-अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर-वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी मेजबान अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग-अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएं और जोखिम मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर मेजबान अनुबंध व्यापार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, जब तक कि प्रभावी हेजिंग लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्त्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्तियों एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्तियों को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्तियों को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है :

- हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच कोई आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
- हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रभाव हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय

अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में समूह हेज संबंधों को समूह के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

उचित मूल्य हेजेज

लाभ और हानि के विवरण में हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की मान्यता के अनुरूप, हेज की गई वस्तु के उचित मूल्य में परिवर्तन को जोखिम बचाव के कारण लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। इस तरह के परिवर्तन हेज किए गए आइटम की अग्रणीत राशि में किए जाते हैं और जब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बाहर निकलना रुक जाता है तो प्रभावी ब्याज दर में उस अवधि में समायोजित किए जाते हैं। यदि हेज किए गए आइटम की मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में बिना परिशोधित उचित मूल्य को तुरंत मान्यता दी जाती है।

3.13 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियां

यह समूह प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर अपेक्षित ऋण घाटा (ईसीएल) के रूप में हानि के लिए एक 'तीन-चरण' मॉडल का अनुसरण करता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- स्तर-1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- स्तर-2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर-3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह ईसीएल और चरण-2 के लिए लाईफटाइम ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग-काल (लाईफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वभाविक हानि अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने आप वाई डिफॉल्ट उत्पन्न होती है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस बात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंपर्ट शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी का चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाईफटाइम पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाईफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन-पत्र की तिथि से करता है। समूह उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों तुलन-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो या न्यायिक प्राधिकरण ने आदेश दिया हो।

3.14 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.15 लाभान्श और इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभान्शों और अंतरिम लाभान्शों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। लिखत धारकों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब समूह द्वारा ऐसे भुगतानों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.16 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनःप्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को

पुनःप्रस्तुत किया जाता है।

3.17 पूर्व प्रदत्त व्यय

1,00,000/- रुपए तक के पूर्व प्रदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.18 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुसूची कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

3.19 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधि या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभाषित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

समूह के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हो।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्तियों के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभाषित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लाभ के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी लाभ को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.20 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

समूह के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, समूह के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्तियों संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है।

3.21 उचित मूल्य मापन

समूह वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्तियों को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्तियों को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है:

- परिसंपत्तियों या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्तियों या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

समूह द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी के मूल्य को उन साझेदारों द्वारा उपयोग किया जाता है, जिनमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, जिनका मूल्य निर्धारण करने के समय का उपयोग किया जाता है, और यह माना जाता है कि बाजार परिसंपत्तियों या देनदारियों के बारे में धारणाएं शामिल हैं अपने



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

आर्थिक सबसे अच्छे हित में काम करते हैं। गैर-वित्तीय मठों के मूल्य अनुपात में एक बाजार में रखा जाता है, ताकि समाजों को उनके श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम उपयोग में लाया जा सके, या उन्हें किसी अन्य बाजार में उपयोग किया जा सके, जो इस समाज का उपयोग इसके लिए किया जाता है। को प्रभावित करने के लिए आर्थिक लाभ का सृजन किया जा सकता है।

समूह ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- **स्तर 1** – समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- **स्तर 2** - मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य है
- **स्तर 3** - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

समेकित वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.22 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निबल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निबल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है।

3.23 सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार कॉम्बिनेशन

एक कारोबार कॉम्बिनेशन, यदि कोई है, जिसमें सामान्य नियंत्रण में संस्थाएं या कारोबार शामिल हैं, एक कारोबार कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी कॉम्बिनेशन संस्थाओं या कारोबार को अंततः एक ही पार्टी या पार्टियों द्वारा कारोबार कॉम्बिनेशन से पहले और बाद में नियंत्रित किया जाता है और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं है।

सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या कारोबारों को शामिल करने वाले कारोबार कॉम्बिनेशन को निम्नानुसार ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है:

- संयुक्त संस्थाओं की परिसंपत्ति और देनदारियां उनकी अग्रणीत राशियों में परिलक्षित होती हैं।
- उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने, या नई परिसंपत्तियों या देनदारियों को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता

है। कॉम्बिनेशन केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए जाते हैं।

- पूर्व अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय जानकारी को इस प्रकार पुनर्कथित किया जाता है जैसे कि वित्तीय विवरणों में कारोबार कॉम्बिनेशन पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत से हुआ हो, भले ही कॉम्बिनेशन की वास्तविक तिथि कुछ भी हो।

हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली प्रतिधारित आय की शेष राशि को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली संगत शेष राशि के साथ जोड़ दिया जाता है। रिज़र्व की पहचान संरक्षित है और अंतरणकर्ता के भंडार अंतरिती के रिज़र्व बन जाते हैं।

यदि कोई अंतर हो, जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज की गई राशि के साथ-साथ नकद या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में कोई अतिरिक्त प्रतिफल और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अन्य पूंजी रिज़र्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

3.24 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

4. नए / संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड-एएस में संशोधन जारी किए हैं। समूह ने इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है, समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, एमसीए ने कंपनी पर लागू होने वाला कोई नया इंड-एएस जारी नहीं किया है।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। अनुमान और अंतर्निहित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित हैं और इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन- इस प्रकार के परिवर्तनों, यदि कोई हो, को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जब संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि और यदि यह वर्तमान और भविष्य दोनों अवधियों को प्रभावित करता है तो उसे संशोधित किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं को मान्यता – वह सीमा, जिस हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए और अनुरक्षित विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बनाए गए और रखे गए विशेष रिजर्व प्रत्यावर्तित होने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, समूह उक्त रिजर्व पर किसी भी तरह की कर देयता सृजित नहीं करता है।



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर आस्थगित कर देयता की मान्यता - वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों के लिए घोषित लाभांश की सीमा तक इक्विटी निवेशों से लाभांश आय के संबंध में लागू कर कानूनों में प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं। कंपनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लाभांश वितरण नीति को ध्यान में रखते हुए कंपनी समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई कर देयता की उम्मीद तब नहीं करती है जब इस तरह के रिजर्व वितरित कर दिए जाते हैं। इसलिए, कंपनी समूह कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

एसपीवी में निवेश - पारेषण परियोजनाओं को भारत सरकार से आदेश के अनुसार प्रबंधित किया जाता है और समूह के पास इन परियोजनाओं की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता उपलब्ध नहीं है। इसलिए समूह संबंधित एसपीवी में अपने निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले सहयोगी कंपनी के रूप में मानता है, जबकि उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कंपनी की शेयरधारिता 100% होती है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - क्रेडिट-प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि - प्रबंधन परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर

और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन - वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रूमेंट की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') - परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)।



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

6 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
- हस्तगत रोकड़ (अग्रदाय सहित)	-	0.02
- बैंको में शेष राशि		
- चालू खातों में	41.01	130.51
- 3 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां	7.69	10.46
जोड़	48.70	140.99

7 बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
-बैंकों में चिह्नित शेष		
-अप्रदत्त लामांश के लिए	6.79	6.39
-अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	170.63	880.59
- चिह्नित आवधिक जमा राशि		
- न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.62	0.59
-बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	-	0.27
-डिबेंचर रिडेंप्शन रिजर्व - आवधिक जमा	196.35	225.33
- 54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड के आवंटन के प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	1,720.36	1,291.54
-अन्य आवधिक जमा राशि	252.16	114.25
जोड़	2,346.91	2,518.96
-3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम की शेष परिपक्वता के साथ सावधि जमा	181.30	49.24
-12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	70.86	65.28

7.1 31 मार्च 2023 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) नकदी और नकदी समतुल्य एवं अन्य बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा) के संबंध में कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है।

8 ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(क) प्रतिभूति, शोध्य समझे गए	128.73	91.94
घटाएं : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भते	(25.67)	(12.48)
	103.06	79.46
(ख) ट्रेड प्राप्य जिनकी ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	37.62	30.97
घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भते	(28.07)	(15.88)
	9.55	15.09
(ग) क्रेडिट इंपेयर्ड प्राप्य	56.35	54.36
घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भते	(55.96)	(54.36)
	0.39	-
कुल ट्रेड प्राप्य (क +ख +ग)	113.00	94.55



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

8.1 ट्रेड प्राप्य एजिंग शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवादित ट्रेड प्राप्य						
- शोध्य समझे गए	97.52	31.21	-	-	-	128.73
- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	21.32	16.30	-	37.62
- क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	56.35	56.35
उप -जोड़ (i)	97.52	31.21	21.32	16.30	56.35	222.70
(ii) विवादित ट्रेड प्राप्य						
- शोध्य समझे गए	-	-	-	-	-	-
- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
- क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-
उप -जोड़ (ii)	-	-	-	-	-	-
जोड़ (i+ii)	97.52	31.21	21.32	16.30	56.35	222.70

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवादित ट्रेड प्राप्य						
- शोध्य समझे गए	65.44	26.50	-	-	-	91.94
- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	16.41	14.56	-	30.97
- क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	54.36	54.36
उप -जोड़ (i)	65.44	26.50	16.41	14.56	54.36	177.27
(ii) विवादित ट्रेड प्राप्य						
- शोध्य समझे गए	-	-	-	-	-	-
- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
- क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-
उप -जोड़ (ii)	-	-	-	-	-	-
जोड़ (i+ii)	65.44	26.50	16.41	14.56	54.36	177.27

9. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न लिखतों (व्युत्पन्न) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए डेरिवेटिव्स में ऐसे उपाय (हेजेज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए टिप्पणी 51 देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

भाग I (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार			31-03-2022 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
- मुद्रा स्वेप	3,083.13	47.50	58.13	2,850.13	1.39	48.37
- अन्य						
- कॉल स्प्रेड	2,055.42	208.14	-	1,895.18	76.73	-
- सीगुल विकल्प	80,362.47	8,007.42	87.89	54,727.54	4,868.28	-
उप -जोड़ (i)	85,501.02	8,263.06	146.02	59,472.85	4,946.40	48.37
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्न						
- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वेप	46,278.27	718.55	300.82	33,239.41	563.77	173.52
उप जोड़ (ii)	46,278.27	718.55	300.82	33,239.41	563.77	173.52
(iii) अन्य व्युत्पन्न						
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वेप	4,947.00	-	530.11	4,747.00	-	331.25
कुल- व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii + iii)	136,726.29	8,981.61	976.95	97,459.26	5,510.17	553.14

भाग - II

भाग- I में शामिल व्युत्पन्न ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं : (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार			31-03-2022 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) उचित मूल्य हेजिंग						
- ब्याज दर व्युत्पन्न						
-अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वेप	15,950.70	10.32	289.34	11,850.70	19.76	112.00
उप -जोड़ (i)	15,950.70	10.32	289.34	11,850.70	19.76	112.00
(i) नकदी प्रवाह हेजिंग						
- मुद्रा व्युत्पन्न						
-मुद्रा स्वेप	3,083.13	38.85	-	2,842.77	-	48.37
-अन्य						
-कॉल स्प्रेड	2,055.42	208.14	-	1,895.18	76.73	-
- सीगुल विकल्प	80,362.47	7,979.02	85.76	54,727.54	4,868.28	-
ब्याज दर व्युत्पन्न						
-अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वेप	23,627.57	337.69	11.48	13,313.21	115.10	45.27
उप जोड़ (ii)	109,128.59	8,563.70	97.24	72,778.70	5,060.11	93.64
(ii) गैर- नामोदिष्ट व्युत्पन्न	11,647.00	407.59	590.37	12,829.86	430.30	347.50
जोड़ - व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii+iii)	136,726.29	8,981.61	976.95	97,459.26	5,510.17	553.14

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। उचित मूल्य हेजेज के मामले में, हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ-साथ हेज की गई वस्तुओं की अग्रणीत राशि में उचित मूल्य परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। गैर-नामित व्युत्पन्न लिखत के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

10. ऋण कंपनी ने भारतीय- लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है। (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) ऋण				
(i) आवधिक ऋण	408,463.40	409,638.42	383,310.40	384,566.08
(ii) कार्यशील पूंजीगत आवधिक ऋण	26,548.39	26,709.24	2,060.86	2,069.12
जोड़ (क)- सकल ऋण	435,011.79	436,347.66	385,371.26	386,635.20
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(14,263.75)	(14,263.75)	(14,704.66)	(14,704.66)
जोड़ (क)- निवल ऋण	420,748.04	422,083.91	370,666.60	371,930.54
(ख) प्रतिभूति ब्यौरा				
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	242,310.94	242,633.17	223,793.64	224,420.98
(ii) सरकारी गारंटी के अंतर्गत	172,069.58	173,004.21	130,973.50	131,510.35
(iii) अप्रतिभूत	20,631.27	20,710.28	30,604.12	30,703.87
कुल (ख)- सकल ऋण	435,011.79	436,347.66	385,371.26	386,635.20
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(14,263.75)	(14,263.75)	(14,704.66)	(14,704.66)
कुल (ख) - निवल ऋण	420,748.04	422,083.91	370,666.60	371,930.54
(ग) (I) भारत में ऋण				
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	393,225.23	394,571.78	350,455.72	351,732.04
(ii) निजी क्षेत्र	41,786.56	41,775.88	34,915.54	34,903.16
कुल (ग) (I) - सकल ऋण	435,011.79	436,347.66	385,371.26	386,635.20
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(14,263.75)	(14,263.75)	(14,704.66)	(14,704.66)
कुल (ग) (I)- निवल ऋण	420,748.04	422,083.91	370,666.60	371,930.54
(ग) (II) भारत से बाहर ऋण	-	-	-	-
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-	-	-
कुल (ग) (II) - निवल ऋण	-	-	-	-
कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	420,748.04	422,083.91	370,666.60	371,930.54

10.1 भारतीय-लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्य: (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
निवल ऋण	422,083.91	371,930.54
घटाएं : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(60.23)	(423.59)
घटाएं : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(1,436.81)	(957.96)
जोड़ें : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	14,263.75	14,704.66
जोड़ें : प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	161.17	117.61
सकल ऋण	435,011.79	385,371.26

10.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	14,704.66	13,206.11
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 38 के संदर्भ में)*	110.17	3,422.56
घटाएं : ऋणों के राइट ऑफ प्रयुक्त भत्ता	(551.08)	(1,924.01)
अंतिम शेष	14,263.75	14,704.66

* वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हानि भत्ते में स्टेज 1 और 2 ऋण आस्तियों पर 0.40% के न्यूनतम स्तर तक भत्ते में वृद्धि और ₹ 838.06 करोड़ की राशि और अग्रणी उधारदाता के साथ संरेखित करने के लिए सृजित अतिरिक्त भत्ते को प्रबंधन ओवरले ₹ 1,408.74 करोड़ शामिल है।

10.3 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/एकबारगी समाधान (ओटीएस)/पुनर्संरचना के तहत समाधान के संदर्भ में, कंपनी ने ₹ 551.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,924.01 करोड़) के ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है। चालू वर्ष के लिए बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

- (i) चालू वर्ष के दौरान
- (क) झाबुआ पावर लिमिटेड के संबंध में दिनांक 5 सितंबर 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में कंपनी ने ₹ 310.63 करोड़ की वसूली (₹ 77.41 करोड़ की नकदी, ₹ 51.48 करोड़ की सावधि ऋण और ₹ 181.74 करोड़ की इक्विटी) के बाद ₹ 10.41 करोड़ की राशि को बट्टे खाते डाला है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- (ख)

16 सितंबर 2022 को निष्पादित दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 1,055.00 करोड़ की नकद वसूली करने के बाद ₹ 922.09 करोड़ के संपूर्ण बकाया ऋण और ₹ 132.91 करोड़ अतिदेय ब्याज की वसूली की है।
- (ग)

इंड भारत एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड के संबंध में 27 दिसंबर 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत पारित परिसमापन आदेश के अनुसरण में, कंपनी ने कुल ₹ 240.84 करोड़ की इक्विटी और नकद वसूली का समायोजन करने के बाद ₹ 536.16 करोड़ की राशि को बढ़े खाते डाला है।
- (घ)

एटीएन इंटरनेशनल लिमिटेड के संबंध में 2 दिसंबर 2022 को निष्पादित किए गए एकबारगी समझौते के अनुसार, कंपनी ने ₹6.00 करोड़ की कुल वसूली को समायोजित करने के बाद ₹3.45 करोड़ की राशि को बढ़े खाते डाला है, जिसमें से ₹4.15 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त होने हैं।
- (ङ)

सिलिकॉन वैली इंफोटेक लिमिटेड के संबंध में 2 दिसंबर 2022 को निष्पादित एकबारगी निपटान के अनुसरण में, कंपनी ने ₹1.85 करोड़ की कुल वसूली को समायोजित करने के बाद ₹1.06 करोड़ की राशि को बढ़े खाते डाला है, जिसमें से ₹1.35 करोड़ की वसूली वित्त वर्ष 2023-24 में की जानी है।
- (ii)

पिछले वर्ष के दौरान
- (क)

वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 13 मई 2021 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 14.79 करोड़ (₹ 1.30 करोड़ की नकदी और ₹ 13.49 करोड़ के सावधि ऋण) की वसूली के बाद ₹ 39.45 करोड़ की राशि को बढ़े खाते डाला है।
- (ख)

लैंको बाबांध पावर लिमिटेड के संबंध में 30 दिसंबर 2021 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत परिसमापन आदेश के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 40.39 करोड़ की नकद वसूली का समायोजन करने के बाद ₹ 1160.16 करोड़ की राशि को बढ़े खाते डाला है।
- (ग)

एस्सार पावर (एमपी) लिमिटेड (ईपीएमपीएल) के संबंध में 16 मार्च 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 620.60 करोड़ की वसूली का समायोजन करने के बाद ₹ 724.40 करोड़ की राशि को बढ़े खाते डाला है (₹ 148.94 करोड़ की नकदी तथा ₹ 471.66 करोड़ का मीयादी ऋण)।
- (घ)

23 मार्च 2022 को निष्पादित अमृत जल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने ₹ 4.63 करोड़ की नकद वसूली को समायोजित करने के बाद ₹ 4.35 करोड़ के संपूर्ण बकाया ऋण और ₹ 0.28 करोड़ अतिदेय ब्याज की वसूली की है।
- 10.4

कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
कंपनी के सकल ऋण बही		435,011.79		385,371.26
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है।	93%	406,179.64	93%	356,923.45
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है।	7%	28,832.15	7%	28,447.81
जिसमें से				
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूति ऋण	54%	15,630.88	45%	12,813.68
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण / सरकार को दिए गए ऋण।	25%	7,065.14	33%	9,295.96
अप्रतिभूति ऋण	21%	6,136.12	22%	6,338.17

- 10.5

कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यवर्तियों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित पक्षकार को ऋण देंगे या में निवेश करेंगे, किसी भी निधि का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है। कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्तपोषक पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (“अंतिम लाभार्थी”) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या इनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

11 निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्ट			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7=5+6)
31 मार्च, 2023 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,431.74	-	-	-	1,431.74	-	1,431.74
ऋण प्रतिभूतियां	766.90	-	562.34	-	1,329.24	-	1,329.24
इक्विटी लिखतें	-	381.71	27.31	-	409.02	-	409.02
अधिमान शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
अन्य	-	-	-	-	-	-	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्ट			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7=5+6)
कुल - सकल (क)	2,227.36	381.71	589.65	-	3,198.72	-	3,198.72
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	2,227.36	381.71	589.65	-	3,198.72	-	3,198.72
कुल - सकल (ख)	2,227.36	381.71	589.65	-	3,198.72	-	3,198.72
कुल निवेश	2,227.36	381.71	589.65	-	3,198.72	-	3,198.72
घटाएं: इमपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(28.72)	-	-	-	(28.72)	-	(28.72)
कुल - निवल (घ=क-ग)	2,198.64	381.71	589.65	-	3,170.00	-	3,170.00
31 मार्च, 2022 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,374.51	-	-	-	1,374.51	-	1,374.51
ऋण प्रतिभूतियां	365.60	-	132.55	-	498.15	-	498.15
इक्विटी लिखतें	-	268.26	49.52	-	317.78	-	317.78
अधिमान शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल - सकल (क)	1,768.83	268.26	182.07	-	2,219.16	-	2,219.16
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	1,768.83	268.26	182.07	-	2,219.16	-	2,219.16
कुल - सकल (ख)	1,768.83	268.26	182.07	-	2,219.16	-	2,219.16
कुल निवेश	1,768.83	268.26	182.07	-	2,219.16	-	2,219.16
घटाएं: इमपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(28.72)	-	-	-	(28.72)	-	(28.72)
कुल - निवल (घ=क-ग)	1,740.11	268.26	182.07	-	2,190.44	-	2,190.44

11.1 निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क) कुल केंद्रीय / राज्यीय सरकारी प्रतिभूतियां (एचक्यूएलएएस)*	परिशोधित लागत	137,932,800	1,431.74	133,932,800	1,374.51
ऋण प्रतिभूतियां					
(ii) कारपोरेट बॉण्ड्स (एचक्यूएलएएस)*	परिशोधित लागत		661.16		259.39
-9.95% उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) 2032	परिशोधित लागत	3,000	300.00	-	-
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) 2032 के 8% बॉण्ड	परिशोधित लागत	1,000	102.97	-	-
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 7.05% बॉण्ड	परिशोधित लागत	850	88.12	850	88.15
- भारतीय खाद्य निगम के 6.65% बॉण्ड	परिशोधित लागत	200	20.61	200	20.61
- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 7.19% बॉण्ड	परिशोधित लागत	250	26.31	250	26.32
- दामोदर घाटी निगम के 8.69% बॉण्ड	परिशोधित लागत	200	21.35	200	21.62
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 7.30% बॉण्ड	परिशोधित लागत	200	22.22	200	22.44
- चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5.78% बॉण्ड	परिशोधित लागत	150	15.62	150	15.63
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 6.11% बॉण्ड	परिशोधित लागत	100	10.49	100	10.51
- एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के 7.30% बॉण्ड	परिशोधित लागत	200	21.35	200	21.54
- आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के 15 वर्ष प्रतिभूतियोग्य गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड 7.39% कर मुक्त	परिशोधित लागत	86,798	8.81	86,798	8.81
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) का 7.35% कर मुक्त बॉण्ड	परिशोधित लागत	42,855	4.60	42,855	4.60
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) से कर मुक्त 7.39%	परिशोधित लागत	35,463	3.68	35,463	3.67
- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) के 7.49% कर मुक्त बॉण्ड	परिशोधित लागत	61,308	6.22	61,308	6.68
- भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त बॉण्ड	परिशोधित लागत	22,338	2.31	22,338	2.31

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)					
विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) के 7.35% कर मुक्त बॉण्ड	परिशोधित लागत	14,028	1.41	14,028	1.41
- आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के 8.76% कर मुक्त बॉण्ड	परिशोधित लागत	50,000	5.09	50,000	5.09
(ii) ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलए के अलावा)					
- केनरा बैंक के 7.99% मियादी बॉण्ड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	200	208.47		-
- यूको बैंक के 9.50% मियादी बॉण्ड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	228	228.79		-
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ए।	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	165,403,256	86.85	178,543,530	92.03
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला बी।	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	72,821,001	38.23	78,606,161	40.52
- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला सी **	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,635,162	-	18,635,162	-
- फेरो अलॉय कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)।	परिशोधित लागत	25,519,173	56.40	25,495,144	106.21
- झाबुआ पावर लिमिटेड के 8.50% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)।	परिशोधित लागत	4,933,536	49.34	-	-
- आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला ए। **	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	213,803,170	-	213,803,170	-
- आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला बी। **	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	6,303,032	-	6,303,032	-
- आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला एआई। **	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10,474,150	-	10,474,150	-
(ख) कुल – ऋण प्रतिभूतिया (i+ii)			1,329.24		498.15
इक्विटी दस्तावेज					
(i) कुल-अनुषंगी कंपनी			-		-
(ii) अन्य					
-एनएचपीसी लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	16,351,580	65.73	18,843,184	52.38
- हुडको लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	347,429	1.50	347,429	1.14
-एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	218,100,000	140.43	218,100,000	214.74
-यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	16,000,000	-	16,000,000	-
- झाबुआ पावर लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	27,885,211	173.42	-	-
-इंड भरत एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	127	0.63	-	-
- रतन इंडिया पावर लि.	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	92,568,105	27.31	92,568,105	49.52
- आर. के. एम. पॉवरजेन प्रा. लि.	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	181,790,667	-	181,790,667	-
कुल-अन्य			409.02		317.78
(ग) उप -जोड़- इक्विटी दस्तावेज (i+ii)			409.02		317.78
अधिमान शेयर					
- विमोचन योग्य, रत्न इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी।	परिशोधित लागत	28,720,978	28.72	28,720,978	28.72
- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय, रतन इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी।	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	43,303,616	-	43,303,616	-
(घ) कुल-अधिमान शेयर			28.72		28.72
अन्य					
(ङ) कुल-अन्य			-		-
कुल निवेश (च = क से ङ)			3,198.72		2,219.16
उचित मूल्य पर दर्शाए गए निवेशों की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 55.1 देखें।					
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि भत्ता (झ)			(28.72)		(28.72)
कुल निवेश (ज = च – छ)			3,170.00		2,190.44

उचित मूल्य पर दर्शाए गए निवेशों की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 55.1 देखें।

* 4 नवंबर 2019 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए) को बनाए रखा गया है

** दिवाला और शोधन क्षमता संहिता (आईबीसी) कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में ऋण के अस्थिर हिस्से के खिलाफ प्राप्त किया गया।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.2 निवेश के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ता का संचलन:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	28.72	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान विमोचन के लिए प्रतिदेय रतन इंडिया पावर लिमिटेड के विमोचन योग्य पीएस के संबंध में प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ता (टिप्पणी 38 देखें)	-	28.72
घटाएं : ऋणों के राइट्स ऑफ की ओर से उपयोग किया जाने वाला भत्ता	-	-
अंतिम शेष	28.72	28.72

11.3 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही / एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) **वर्तमान वर्ष के दौरान:**

(क) झाबुआ पावर लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के अंतर्गत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में कंपनी को ₹10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के 2,78,85,211 इक्विटी शेयर तथा ₹100/- प्रत्येक अंकित मूल्य के 8.50% अपरिवर्तनीय डिबेंचर के 51,48,038 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए।

(ख) इंड भारत एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के अंतर्गत पारित परिसमापन आदेश के अनुसरण में कंपनी को 127 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए जिनका अंकित मूल्य ₹10/- है।

(ii) **पिछले वर्ष के दौरान:**

कंपनी को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/एकबारगी निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत समझौते के संबंध में कोई लिखत प्राप्त नहीं हुआ है।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 10.3 देखें।

11.4 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) में कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के लिए अप्रतिसंहरणीय विकल्प का चयन किया है। कंपनी के परिचालन में केवल एक कारोबारी सेगमेंट अर्थात ऊर्जा, लॉजिस्टिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण को अलग करने के लिए, प्रबंधन का विश्वास है कि यह उन्हें एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) में वर्गीकृत करने के बजाय अधिक अर्थपूर्ण प्रस्तुतीकरण प्रदान करता है।

वर्ष के अमान्य एफवीओसीआई निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)						
कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/ (हानि)	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/ (हानि)
एनएचपीसी लिमिटेड*	2,491,604	10.13	4.70	156,459,022	430.62	89.86
स्माल इज ब्यूटीफुल**	-	-	-	6,152,200	0.55	(5.60)

* 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने एनएचपीसी लिमिटेड के 24,91,604 इक्विटी शेयरों (पिछले वर्ष 15,64,59,022 संख्या) को बाजार परिदृश्य पर विचार करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ₹ 10.13 करोड़ में बेचा है। इस प्रकार शेयरों को अमान्य किया गया है और ऐसी बिक्री पर संचयी लाभ (कर का निवल) अन्य व्यापक आय से प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया गया है।

** 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' वेंचर कैपिटल फंड की 61,52,200 इकाइयों की मान्यता रद्द कर दी है, जो फंड के तरलता पर पूर्ण और अंतिम निपटान के परिणामस्वरूप है। परिणामस्वरूप, कंपनी ने ₹ 0.55 करोड़ की नकद वसूली को विनियोजित करने के बाद ₹ 5.60 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

12. **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप ‘अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों’ के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(क) कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 12.1 के संदर्भ में)	44.56	41.95
(ख) कार्मिकों को अग्रिम	0.49	0.27
(ग) मुख्य धारक कंपनियों को ऋण और अग्रिम	3.54	-
(घ) प्रतिभूति जमा राशि	1.52	1.67
(ङ) भारत सरकार से वसूली योग्य		
भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 22.5 के संदर्भ में)	24,318.29	24,318.29
(च) अन्य वसूली योग्य राशि	149.35	144.30
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि भत्ता (टिप्पणी 12.2 के संदर्भ में)	(95.21)	(91.17)
अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	54.14	53.13
कुल (क से च)	24,422.54	24,415.31



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

12.1 कार्मिकों को ऋण के विवरण (शोध समझे गए)

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत विनिर्दिष्ट शर्तों और पुनर्भुगतान कार्यक्रम के साथ कर्मचारियों के ऋण को बढ़ा दिया है।
(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(क) प्रतिभूत ऋण		
–मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को	0.12	0.10
–मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	28.28	25.22
उप – जोड़ (क)	28.40	25.32
(ख) अप्रतिभूत ऋण		
–मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को	0.10	0.08
– अन्य को	16.06	16.55
उप – जोड़ (ख)	16.16	16.63
जोड़ (क + ख)	44.56	41.95

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹ 9.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.45 करोड़) शामिल है।

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर ड्रैपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	91.17	88.53
जोड़ें : वर्ष के दौरान सृजित	9.77	10.23
अंतिम शेष : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया / समायोजित किया गया	(5.73)	(7.59)

13 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	2,956.82	3,296.66
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	(2,655.88)	(3,110.11)
उप- जोड़ (1)	300.94	186.55
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	5.26	5.26
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.25)	(0.25)
उप- जोड़ (2)	5.01	5.01
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	305.95	191.56

14 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,307.56	3,160.12

14.1 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	3,481.30	(104.71)	-	-	3,376.59
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	6.63	0.17	-	-	6.80
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.41	(0.22)	-	-	5.19



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	1.22	(1.10)	-	-	0.12
निवेशों का उचित मूल्यांकन	8.41	6.40	(0.32)	-	14.49
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	65.07	75.98	305.41	-	446.46
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (पट्टा देयताओं का निवल)	3,568.04	(23.48)	305.09	-	3,849.65
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
आस्थगित कर देयताएं	12.46	14.03	-	-	26.49
मूल्यहास एवं परिशोधन	151.05	67.25	-	-	218.30
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	216.24	15.87	-	-	232.11
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	28.17	37.02	-	-	65.19
ऋणप्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	407.92	134.17	-	-	542.09
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,160.12	(157.65)	305.09	-	3,307.56

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,765.16	716.14	-	-	3,481.30
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.71	1.92	-	-	6.63
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.26	0.15	-	-	5.41
निवेशों का उचित मूल्यांकन	3.57	2.29	2.55	-	8.41
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	0.72	0.50	-	-	1.22
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	27.81	11.16	26.09	-	65.07
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,807.23	732.16	28.64	-	3,568.04
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यहास एवं परिशोधन	1.61	10.85	-	-	12.46
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	153.26	(2.21)	-	-	151.05
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	191.33	24.90	-	-	216.24
ऋणप्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	-	28.17	-	-	28.17
कुल आस्थगित कर देयताएं	346.20	61.71	-	-	407.92
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,461.03	670.44	28.64	-	3,160.12

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

15 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर				
	फ्रीहोल्ड भूमि	राइट-ऑफ-यूज लैंड	भवन	प्लांट एवं उपस्कर	फर्नीचर और फिक्सचर्स
सकल धारित मूल्य					
31.03.2021 के अनुसार	110.39	1.59	130.40	-	20.89
परिवर्धन	-	-	303.73	19.90	47.55
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	3.30	-	0.69
31.03.2022 के अनुसार	110.39	1.59	430.83	19.90	67.75
31.03.2022 के अनुसार	110.39	1.59	430.83	19.90	67.75
परिवर्धन	-	-	26.07	0.20	3.64
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-
निपटान/ समायोजन	-	-	-	0.04	3.70
31.03.2023 के अनुसार	110.39	1.59	456.90	20.06	67.69
संचित अवमूल्यन / परिशोधन					
31.03.2021 के अनुसार	-	0.35	9.81	-	7.68
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	4.96	0.95	3.67
निपटान के लिए समायोजन	-	-	1.26	-	0.41
31.03.2022 के अनुसार	-	0.37	13.51	0.95	10.94
31.03.2022 के अनुसार	-	0.37	13.51	0.95	10.94
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	7.10	1.28	6.05
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	1.28
31.03.2023 के अनुसार	-	0.39	20.61	2.23	15.71
31.03.2022 के अनुसार निवल ब्लॉक	110.39	1.22	417.32	18.95	56.81
31.03.2023 के अनुसार निवल ब्लॉक	110.39	1.20	436.29	17.83	51.98

15.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में टाइटल डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(क) 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का विवरण	सकल धारित मूल्य	निवल धारित मूल्य	आयोजित टाइटल डीड का नाम
भवन – कार्यालय कोर 4 में, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003	4.59	1.95	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत भूमि एवं विकास अधिकारी

(ख) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का विवरण	सकल धारित मूल्य	निवल धारित मूल्य	आयोजित टाइटल डीड का नाम
भवन – कार्यालय कोर 4 में, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003	4.59	2.01	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत भूमि एवं विकास अधिकारी

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	कुल	पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
				अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
24.33	17.86	0.40	305.86	335.67	0.77	13.80
3.34	7.16	-	381.68	32.35	-	1.02
-	-	-	-	5.10	-	-
0.96	0.87	-	5.82	367.05	0.77	0.01
26.71	24.15	0.40	681.72	6.07	-	14.81
26.71	24.15	0.40	681.72	6.07	-	14.81
5.49	7.76	0.14	43.30	22.69	-	0.01
-	-	-	-	0.03	-	-
5.62	6.39	-	15.75	26.07	-	0.10
26.58	25.52	0.54	709.27	2.72	-	14.72
16.77	10.21	0.34	45.16	-	-	7.65
3.20	2.52	0.03	15.35	-	-	2.89
0.76	0.41	-	2.84	-	-	0.01
19.21	12.32	0.37	57.67	-	-	10.53
19.22	12.32	0.37	57.68	-	-	10.53
3.62	3.51	0.02	21.60	-	-	2.66
4.14	3.75	0.01	9.18	-	-	0.10
18.70	12.08	0.38	70.10	-	-	13.09
7.49	11.83	0.03	624.04	6.07	-	4.28
7.88	13.44	0.16	639.17	2.72	-	1.63

(₹ करोड़ में)

क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या संबंधित या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति कब से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताएं, कंपनी को आवंटित कार्यालय फ्लैट स्कोप में कंपनी के नाम पर केंद्र सरकार कॉम्प्लेक्स को पंजीकृत नहीं किया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या संबंधित या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति कब से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताएं, कंपनी को आवंटित कार्यालय फ्लैट स्कोप में कंपनी के नाम पर केंद्र सरकार कॉम्प्लेक्स को पंजीकृत नहीं किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

15.2 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.48	3.48
निवल धारित मूल्य	2.36	2.41

15.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) सीडब्ल्यूआईपी एजिंग कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार					31-03-2022 के अनुसार				
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं										
- गुरुग्राम में आरईसी वैश्विक मुख्यालय	-	-	-	-	-	4.59	-	-	-	4.59
-गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	1.24	0.08	-	1.40	2.72	0.08	-	1.40	-	1.48
कुल	1.24	0.08	-	1.40	2.72	4.67	-	1.40	-	6.07

रिपोर्टिंग वर्ष जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया है, वहां कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

(ख) सीडब्ल्यूआईपी पूरा करने का कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार					31-03-2022 के अनुसार				
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर है										
गुरुग्राम में आरईसी वैश्विक मुख्यालय	-	-	-	-	-	4.59	-	-	-	4.59
-गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	-	-	2.72	-	2.72	-	-	-	1.48	1.48
कुल	-	-	2.72	-	2.72	4.59	-	-	1.48	6.07

15.4 वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

15.5 प्रबंधन की राय में, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियां नहीं हैं जो इंड एस 36 “परिसंपत्तियों की क्षति” के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति को दर्शाती हो। तदनुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

15.6 यद्यपि कंपनी ने अर्हताप्राप्त परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, तथापि कंपनी ने इंड एस 23 ‘उधार लागत’ के अनुसार कंपनी के लिए 7.00% (पिछले वर्ष 7.94%) की औसत उधार दर पर सामान्य उधार लागत के कारण ₹0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.10 करोड़) की उधार लागत पूंजीकृत की है।

15.7 भारतीय लेखांकन मानक 38 “अमूर्त परिसंपत्तियां” के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर 20 % (100 % परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 5,000 रुपए अथवा कम है)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

16. अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
अप्रतिभूति, शोध्य समझे गए		
(क) पूंजीगत अग्रिम	7.26	8.19
(ख) अन्य अग्रिम	4.50	3.56
(क) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	30.81	42.20
(ख) पूर्व-व्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	7.70	0.48
(ग) पूर्वप्रदत्त व्यय	13.28	3.12
(घ) आस्थगित कार्मिक लागत	10.84	11.11
(ङ) अन्य परिसंपत्तियां	0.01	0.02
कुल (क से छ)	74.40	68.68

17. बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 अनुसार	के	31-03-2022 अनुसार	के
(क) निपटान समूह				
(i) संबद्ध कंपनियों के लिए निवेश	0.65		0.40	
(ii) संबद्ध कंपनियों के लिए ऋण	13.39		12.83	
(iii) बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर हानि के लिए प्रावधान	(9.73)		(9.71)	
उप-जोड़ (i+ii+iii)	4.31		3.52	
(ख) भवन -बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां *	0.34		0.86	
जोड़ (ख)	0.34		0.86	
संपूर्ण जोड़ (क +ख)	4.65		4.38	
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध कंपनियों की देयताएं				
(ग) संबद्ध कंपनियों के लिए भुगतान	0.02		0.01	
जोड़ (ग)	0.02		0.01	
बिक्री के लिए धारित निवल परिसंपत्तियां (क +ख-ग)	4.63		4.37	

17.1 संबद्ध कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 अनुसार	के	31-03-2022 अनुसार	के
संबद्ध कंपनियों (पूर्णतया प्रदत्त) के इक्विटी लिखतों में निवेश				
प्रत्येक ₹10 के प्रति इक्विटी शेयर				
चंदिल ट्रांसमिशन	0.05		0.05	
दुमका ट्रांसमिशन	0.05		0.05	
कोडरमा	0.05		0.05	
मंदर ट्रांसमिशन	0.05		0.05	
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05		0.05	
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज0 लिमिटेड	-		0.05	
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-		0.05	
ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-		0.05	
ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05		-	
खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05		-	
केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05		-	
रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05		-	
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05		-	
लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05		-	
मेरठ शामली पावर टीएल	0.05		-	
एनईआरईएस XVI पावर टीएल	0.05		-	
जोड़	0.65		0.40	

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

17.2 संबद्ध कंपनियों के लिए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.54	2.54
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.48	2.48
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.23	2.22
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.28	2.28
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड	-	1.99
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.28
ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.28
एसपीवी से प्राप्य - निगमित होना बाकि है	-	0.76
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.10	-
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.67	-
केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.58	-
रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.70	-
ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.71	-
लुहरी चरण-1 एचईपी	0.48	-
मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.43	-
एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.19	-
जोड़	13.39	12.83

17.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	-
जोड़	0.02	0.01

17.4 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर हानि के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.59	2.59
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.53	2.53
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.28	2.27
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.33	2.33
जोड़	9.73	9.71

17.5 झारखंड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) ने झारखंड राज्य में पारेषण परियोजनाओं के आरएफक्यू और आरएफपी को रद्द कर दिया है। इन परियोजनाओं को 01.10.2020 से स्थगित रखा गया है। आरईसीपीडीसीएल ने पत्र दिनांक 14.10.2020, 06.11.2020 और 28.07.2021 द्वारा इन एसपीवी पर किए गए खर्च की वसूली के संबंध में जेयूएसएनएल को सूचित किया है। हालांकि, इस संबंध में जेयूएसएनएल से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि इन एसपीवी की बोली प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है और पहले से किए गए खर्चों की वसूली की संभावना कम है, इसलिए लगभग ₹ 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.71 करोड़) की इंपेयरमेंट हानि के लिए लेखांकन विवेकपूर्ण प्रावधान बनाया गया है।

17.6 प्रबंधन ने विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से, विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन कंपनियों को उन्हें बेचने की दृष्टि से निगमित किया था। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि प्रबंधन उन्हें बेचने के सिवाय उन कंपनियों से लाभ प्राप्त करेगा। अतः इन सभी निवेशों (संबद्ध परिसंपत्तियों और देयताओं सहित) को “बिक्री के लिए रखी गई” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

17.7 वर्ष के दौरान अपनी निष्क्रिय संपत्तियों का मुद्रीकरण करने की दृष्टि से, कंपनी ने ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कुछ आवासीय भवन इकाइयों का निपटान किया है, जिसका मूल्य ₹ 0.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.18 करोड़) है, जिसे इंड-एएस 105 के तहत “बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति” के तहत वर्गीकृत किया गया है। इस तरह की बिक्री से चालू वर्ष (पिछले वर्ष ₹ 30.19 करोड़) के दौरान ₹ 4.08 करोड़ का लाभ हुआ है (टिप्पणी 33 देखें)।

इसके अलावा, “बिक्री के लिए धारित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति” के तहत वर्गीकृत मूल्य ₹ 0.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.86 करोड़) के साथ आवासीय भवन इकाइयों 31 मार्च 2023 तक निपटान के लिए लंबित हैं। उनके निपटान की प्रक्रिया वर्ष 2023-24 के दौरान ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होना अपेक्षित है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

18 ट्रेड प्रतिदेय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
ट्रेड प्रतिदेय		
एमएसएमई का कुल बकाया देय	-	-
एमएसएमई से भिन्न जमाकर्ताओं का कुल बकाया देय	41.68	36.48
जोड़	41.68	36.48

18.1 ट्रेड प्रतिदेय एजिंग शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार बकाया				
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) एमएसएमई					
- विवादित	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (i)	-	-	-	-	-
(ii) एमएसएमई के अलावा					
- विवादित	-	-	-	-	-
- अन्य	16.31	12.64	0.33	12.40	41.68
उप-जोड़ (ii)	16.31	12.64	0.33	12.40	41.68
जोड़ (i+ii)	16.31	12.64	0.33	12.40	41.68

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार बकाया				
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) एमएसएमई					
- विवादित	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (i)	-	-	-	-	-
(ii) एमएसएमई के अलावा					
- विवादित	-	-	-	-	-
- अन्य	15.02	8.38	11.30	1.78	36.48
उप-जोड़ (ii)	15.02	8.38	11.30	1.78	36.48
जोड़ (i+ii)	15.02	8.38	11.30	1.78	36.48

19 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	1,955.00	2,029.81	1,955.00	2,065.31
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	35,866.55	37,124.32	24,146.13	25,025.49
(i) कर मुक्त बॉण्ड	10,261.64	10,624.41	11,763.30	12,158.86
(iv) आबंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि	1,720.36	1,719.42	1,291.54	1,291.13
उप - जोड़ (क)	49,803.55	51,497.96	39,155.97	40,540.79
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	148,262.70	152,705.20	144,074.60	148,998.67
(ii) अवसंरचना बॉण्ड	3.96	8.63	3.96	8.00
(iii) विदेशी मुद्रा बॉण्ड	32,886.78	32,690.54	30,322.85	30,027.15
उप - जोड़ (ख)	181,153.44	185,404.37	174,401.41	179,033.82



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
भारत में/ से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां	230,956.99	236,902.33	213,557.38	219,574.61
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	198,070.21	204,211.79	183,234.53	189,547.46
(ii) भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	32,886.78	32,690.54	30,322.85	30,027.15
जोड़- ऋण प्रतिभूतियां	230,956.99	236,902.33	213,557.38	219,574.61

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 21.2 देखें।

19.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 20.6 का संदर्भ लें

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
123-IIIबी श्रृंखला – 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,029.81	1,955.00	2,065.31
कुल-संस्थागत बॉण्ड	1,955.00	2,029.81	1,955.00	2,065.31

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XII (2018-19) 5.75% सममूल्य पर वित्तीयवर्ष 2023-24 के दौरान विमोचनीय	6,651.31	6,938.31	6,651.77	6,937.05
श्रृंखला XIII (2019-20) 5.75% सममूल्य पर वित्तीयवर्ष 2024-25 के दौरान विमोचनीय	6,157.82	6,419.74	6,157.72	6,417.26
श्रृंखला XIV (2020-21) 5.75% और 5 % सममूल्य पर वित्तीयवर्ष 2025-26 के दौरान विमोचनीय	5,312.07	5,513.14	5,312.07	5,510.93
श्रृंखला XV (2021-22) 5 % सममूल्य पर वित्तीयवर्ष 2026-27 के दौरान विमोचनीय	7,312.80	7,576.90	6,024.57	6,160.25
श्रृंखला XVI (2022-23) 5 % सममूल्य पर वित्तीयवर्ष 2027-28 के दौरान विमोचनीय	10,432.55	10,676.23	-	-
जोड़-54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	35,866.55	37,124.32	24,146.13	25,025.49

(iii) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5 ए	300.00	306.39	300.00	306.33
7.17% वार्षिक देय, 23.07.2025 को सममूल्य पर प्रतिदेय				
श्रृंखला 2011-12	2,160.33	2,288.71	2,160.33	2,287.99
वार्षिक रूप से 8.12% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर रु. 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2ए और 2बी	245.00	251.12	500.00	512.60
वार्षिक रूप से 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर रु. 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	842.04	861.98	2,007.35	2,055.08
वार्षिक रूप से 7.38% से 7.88 % की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर रु. 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	49.71	50.86	131.06	134.06
वार्षिक रूप से 7.04% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर रु. 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	1,350.00	1,413.90	1,350.00	1,413.35
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर रु. 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोचनीय हैं और रु. 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4ए एवं 4बी	150.00	155.54	150.00	155.48
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर रु. 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और रु. 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 1	3,410.60	3,499.26	3,410.60	3,497.90
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर रु. 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोचनीय हैं, रु. 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोचनीय हैं और रु. 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	1,057.40	1,085.19	1,057.40	1,084.77
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर रु. 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, रु. 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और रु. 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2015-16 भाग 1	696.56	711.46	696.56	711.30
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर रु. 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, रु. 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और रु. 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।				
जोड़ – कर-मुक्त बॉण्ड	10,261.64	10,624.41	11,763.30	12,158.86

(iv) आवंटन के लिए बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	1,720.36	1,719.42	1,291.54	1,291.13
5% आबंटन की डीमड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर प्रतिदेय				
जोड़: आबंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि	1,720.36	1,719.42	1,291.54	1,291.13

19.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
179वीं श्रृंखला – 8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	-	-	1,000.00	1,065.84
107वीं श्रृंखला – 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	-	-	2,378.20	2,554.82
186वीं ए श्रृंखला – 6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	-	-	2,500.00	2,629.90
150वीं श्रृंखला – 7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	-	-	2,670.00	2,775.76
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-सी – 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय**	-	-	300.00	311.59
152वीं श्रृंखला – 7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	-	-	1,225.00	1,264.38
111-II श्रृंखला – 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	-	-	2,211.20	2,283.72
155वीं श्रृंखला – 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	-	-	1,912.00	1,959.41
185वीं श्रृंखला – 7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	-	-	2,759.00	2,817.14
187वीं श्रृंखला – 7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	-	-	2,090.00	2,127.51

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
159वीं श्रृंखला – 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	-	-	950.00	957.53
188वीं ए श्रृंखला – 7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	-	-	1,400.00	1,400.22
114वीं श्रृंखला - 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,667.81	4,300.00	4,667.36
195वीं श्रृंखला – 6.92% सममूल्य पर दिनांक 22.04.2023 को विमोचनीय	2,985.00	3,179.66	2,985.00	3,179.43
191वीं ए श्रृंखला - 6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.52	1,100.00	1,106.39
200वीं श्रृंखला पीपी-एमएलडी - 5.36% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय*	500.00	573.12	500.00	546.01
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-डी - 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय**	300.00	311.59	298.00	309.49
202वीं बी श्रृंखला – 5.69% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2023 को विमोचनीय	2,474.00	2,544.42	2,474.00	2,544.12
205वीं-ए श्रृंखला – 4.99% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2024 को विमोचनीय	2,135.00	2,151.85	2,135.00	2,151.79
209वीं श्रृंखला – 5.79% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2024 को विमोचनीय	1,550.00	1,552.48	1,550.00	1,552.38
210वीं श्रृंखला – 5.74% सममूल्य पर दिनांक 20.06.2024 को विमोचनीय	4,000.00	4,178.81	4,000.00	4,215.56
180वीं ए श्रृंखला - 8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,077.71	1,018.00	1,075.09
191वीं बी श्रृंखला - 6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.58	1,100.00	1,106.48
212वीं श्रृंखला - फ्लोटिंग (टी-बिल से जुड़ी) सममूल्य पर दिनांक 31.10.2024 को विमोचनीय	2,500.00	2,573.36	2,500.00	2,538.84
186वीं बी श्रृंखला - 7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,538.06	1,500.00	1,537.91
128वीं श्रृंखला - 8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.06	2,250.00	2,418.88
129वीं श्रृंखला - 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.05	1,925.00	2,063.71
130वीं श्रृंखला - 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,492.55	2,325.00	2,493.36
131वीं श्रृंखला - 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.28	2,285.00	2,304.25
190वीं ए श्रृंखला – 6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,514.67	2,500.00	2,514.48
201वीं ए श्रृंखला – 5.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2025 को विमोचनीय	900.00	935.42	900.00	935.39
133वीं श्रृंखला - 8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,453.74	2,396.00	2,453.50
94वीं श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.00	1,250.00	1,339.00
95-II श्रृंखला - 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.49	1,800.00	1,913.49
136वीं श्रृंखला - 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,671.58	2,585.00	2,670.75
203वीं बी श्रृंखला - 5.85% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2025 को विमोचनीय	2,777.00	2,821.05	2,777.00	2,821.01
204वीं बी श्रृंखला – 5.81% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2025 को विमोचनीय	2,082.00	2,111.49	2,082.00	2,111.47
205वीं-बी श्रृंखला - 5.94% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2026 को विमोचनीय	2,000.00	2,014.64	2,000.00	2,018.82
214वीं-ए श्रृंखला – 7.32% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2026 को विमोचनीय	500.00	503.15	-	-
219वीं श्रृंखला – 7.60% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2026 को विमोचनीय	3,148.70	3,186.42	-	-
220 बी श्रृंखला -7.69% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2033 को विमोचनीय, 31.03.2026 को प्रयोग योग्य पुट ऑप्शन के साथ	1,600.10	1,605.47	-	-
218 ए श्रृंखला – 7.56% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,048.29	-	-
211वीं-श्रृंखला – 6.23% सममूल्य पर दिनांक 31.10.2031 को विमोचनीय पुट/कॉल विकल्प के साथ 31.10.2026 को प्रयोग किया जा सकता है	1,200.00	1,230.57	1,200.00	1,232.57
140वीं श्रृंखला - 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,161.97	2,100.00	2,152.19
142वीं श्रृंखला - 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,025.73	3,000.00	3,066.06
147वीं श्रृंखला- 7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,717.93	2,745.00	2,750.60
156वीं श्रृंखला- 7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,614.40	3,533.00	3,614.30
216 ए श्रृंखला- 7.55 % सममूल्य पर दिनांक 31.03.2028 को विमोचनीय	1,701.50	1,701.13	-	-
220 ए श्रृंखला- 7.77 % सममूल्य पर दिनांक 31.03.2028 को विमोचनीय	2,000.00	2,006.58	-	-
162वीं श्रृंखला- 8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.42	2,500.00	2,637.39
163वीं श्रृंखला- 8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,628.04	2,500.00	2,628.01
168वीं श्रृंखला- 8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,625.73	2,552.40	2,625.69
169वीं श्रृंखला- 8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,621.02	2,554.00	2,620.97
176वीं- श्रृंखला- 8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.82	1,600.70	1,735.73
178वीं- श्रृंखला- 8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,171.24	1,097.00	1,169.96

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
180वीं-बी श्रृंखला- 8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,173.02	2,070.90	2,169.56
184वीं-ए श्रृंखला- 8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय	1,160.80	1,209.72	870.60	907.18
192वीं श्रृंखला- 7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,396.48	2,382.00	2,396.36
188वीं बी श्रृंखला- 7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.10	1,100.00	1,100.09
189वीं श्रृंखला- 7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.97	3,054.90	3,054.91
197वीं श्रृंखला- 7.55% सममूल्य पर दिनांक 11.05.2030 को विमोचनीय	3,740.00	3,990.03	3,740.00	3,989.89
198वीं बी श्रृंखला- 7.79% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2030 को विमोचनीय	1,569.00	1,673.83	1,569.00	1,673.76
202वीं ए श्रृंखला- 7.25% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2030 को विमोचनीय	3,500.00	3,627.05	3,500.00	3,627.03
203वीं ए श्रृंखला- 6.80% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2030 को विमोचनीय	5,000.00	5,094.07	5,000.00	5,094.06
204वीं ए श्रृंखला- 6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2031 को विमोचनीय	2,500.00	2,527.79	2,500.00	2,527.79
201वीं बी श्रृंखला- 6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2031 को विमोचनीय	1,300.00	1,359.80	1,300.00	1,359.79
213वीं श्रृंखला- 6.92% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2032 को विमोचनीय	1,380.00	1,382.88	1,380.00	1,382.86
218 बी श्रृंखला- 7.69 % सममूल्य पर दिनांक 31.01.2033 को विमोचनीय	2,004.40	2,036.80	-	-
214 बी श्रृंखला- 7.50 % सममूल्य पर दिनांक 28.02.2033 को विमोचनीय	1,947.60	1,960.18	-	-
214 बी (रि इश्यू) श्रृंखला- 7.50 % सममूल्य पर दिनांक 28.02.2033 को विमोचनीय	3,000.00	2,984.49	-	-
217वीं श्रृंखला- 7.53 % सममूल्य पर दिनांक 31.03.2033 को विमोचनीय	500.00	510.86	-	-
182वीं श्रृंखला- 8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,314.68	5,063.00	5,314.67
183वीं श्रृंखला- 8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.26	3,028.00	3,163.24
207वीं श्रृंखला- 7.02% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2036 को विमोचनीय	4,589.90	4,641.76	4,589.90	4,641.75
208वीं श्रृंखला- 7.40% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2036 को विमोचनीय	3,613.80	3,625.49	3,613.80	3,625.48
215 वीं श्रृंखला -7.65% सममूल्य पर 5 समान किस्तों में दिनांक 30.11.2033,30.11.2034,30.11.2035,30.11.2036 और 30.11.2037 को विमोचनीय	3,889.00	3,992.12	-	-
216 बी श्रृंखला- 7.67 % सममूल्य पर दिनांक 30.11.2037 को विमोचनीय	2,000.00	2,049.92	-	-
जोड़ – संस्थागत बॉण्ड	148,262.70	152,705.20	144,074.60	148,998.67

* पीपी-एमएलडी- प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिक्ड डिबेंचर

** एसटीआरपीपी-सेपरेटेली ट्रांसफ़ेरेबल रिडीमेबल प्रिंसिपल पाटर्न

(ii) अवसरचना बॉण्ड

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला-II (2011-12) – सममूल्य पर विमोचनीय	3.96	8.63	3.96	8.00
कुल : अवसरचना बॉण्ड	3.96	8.63	3.96	8.00

जारी किए गए अवसरचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

ब्याज दर		31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	विमोचन का विवरण
9.15% संचयी		2.83	2.83	आवंटन की तारीख से 15 साल बाद की तारीख पर विमोचन
9.15% वार्षिक		1.13	1.13	
जोड़		3.96	3.96	

राशियों को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
4.75% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड – सममूल्य पर दिनांक 19.05.2023 को विमोचनीय	4,110.85	4,181.61	3,790.36	3,848.85
5.250% यूएस \$700 मिलियन बॉण्ड – सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,755.18	5,858.35	5,306.50	5,387.23
3.375% यूएस \$650 मिलियन बॉण्ड – सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	5,344.10	5,366.61	4,927.46	4,941.02
3.50% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड – सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	4,110.85	4,148.36	3,790.36	3,822.14
2.25% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड – सममूल्य पर दिनांक 01.09.2026 को विमोचनीय	4,110.85	4,107.36	3,790.36	3,785.82
2.75% यूएस \$400 मिलियन बॉण्ड – सममूल्य पर दिनांक 13.01.2027 को विमोचनीय	3,288.68	3,302.69	3,032.28	3,045.13
3.875% यूएस \$450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड – सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,699.76	3,425.80	3,411.32	3,102.47
4.625% यूएस \$300 मिलियन बॉण्ड – सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,466.51	2,299.76	2,274.21	2,094.49
जोड़- विदेशी मुद्रा बॉण्ड	32,886.78	32,690.54	30,322.85	30,027.15

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स-एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज – सिक्वोरिटीज ट्रेडिंग) एलएसई-आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज – इंटरनेशनल सिक्वोरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्वोरिटीज मार्केट (जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	शून्य*	यूएसडी 0.4 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 4.4 बिलियन	यूएसडी 4.4 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 4.0 बिलियन	यूएसडी 4.0 बिलियन

* तुलन-पत्र की तारीख के बाद, कंपनी ने अपने जीएमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। परिणामस्वरूप, तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर होने की तारीख को जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई कुल राशि 5.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधियों में से बकाया राशि 4.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग ऑफरिंग सर्कुलर में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों और उधारों के पुनर्भुगतान में बैलेंस शीट की तारीख को कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने सभी ऋण सेवा दायित्वों, चाहे मूलधन या ब्याज, को पूरा किया है। इसके अलावा, तुलन-पत्र की तिथि को ऋण करारों के अंतर्गत वित्तीय प्रसंविदाओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

20. उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एसए 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियां				
(i) बैंकों से आवधिक ऋण	56,298.20	56,402.09	42,878.32	42,919.86
(ii) वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	6,000.00	6,000.64	6,800.00	6,800.00
(iii) विदेशी मुद्रा में आवधिक ऋण	45,553.26	45,263.52	35,634.60	35,329.87
(iv) भारत सरकार (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
(v) पट्टा देयताएं	0.02	0.02	0.03	0.03
उप-जोड़ (क)	117,851.48	117,991.39	95,312.95	95,374.88
(ख) अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियां				
(i) एफसीएनआर (बी) ऋण	15,424.22	15,427.63	9,854.92	9,861.13
(ii) बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण / ऋण प्रतिदेय	3,600.00	3,607.52	1,410.93	1,415.58
(iii) बैंकों से मांग पर ओवरड्राफ्ट्स / नकदी ऋण प्रतिदेय	87.59	87.59	-	-
उप-जोड़ (ख)	19,111.81	19,122.74	11,265.85	11,276.71
कुल- उधारियां(ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ख)	136,963.29	137,114.13	106,578.80	106,651.59
भारत में / से बाहर उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
(i) भारत में उधारियां	91,410.03	91,850.61	70,944.20	71,321.72
(ii) भारत से बाहर उधारियां	45,553.26	45,263.52	35,634.60	35,329.87
कुल – उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)	136,963.29	137,114.13	106,578.80	106,651.59

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 21.2 देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

20.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) बैंकों से आवधिक ऋण

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- जेपी मॉर्गन चेस बैंक	-	-	1,500.00	1,500.00
23.09.2022 को ₹ 1,500 करोड़ प्रदत्त				
- मिजुहो बैंक	-	-	300.00	300.00
21.10.2022 को ₹ 300 करोड़ प्रदत्त				
- कर्नाटक बैंक	499.99	499.99	-	-
15.05.2025 को ₹ 499.99 करोड़ प्रतिदेय				
- पंजाब एंड सिंध बैंक	700.00	700.00	-	-
09.12.2025 को ₹ 700 करोड़ प्रतिदेय				
-जम्मू एवं कश्मीर बैंक	299.95	299.95	300.00	300.05
28.10.2026 को ₹ 299.95 करोड़ प्रतिदेय				
-करूर वैश्य बैंक	250.00	250.05	250.00	250.04
29.10.2026 को ₹ 250 करोड़ प्रतिदेय।				
- ड्यूश बैंक	1,000.00	1,000.22	1,000.00	1,000.15
18.12.2023 को ₹ 500 करोड़ का प्रतिदेय, 15.06.2027 को ₹ 500 करोड़ का प्रतिदेय				
-साऊथ इंडियन बैंक	500.00	500.00	300.00	300.00
08.11.2026 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय और 04.08.2027 को ₹ 200 करोड़ का प्रतिदेय			-	-
- एचडीएफसी	16,350.00	16,449.77	12,000.00	12,040.15
15.06.2023 को ₹ 2000 करोड़ प्रतिदेय एवं 19.06.2023 को ₹ 1500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय, 30.09.2023 को ₹ 1500 करोड़ प्रतिदेय, 11.10.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 05.11.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय 15.01.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 17.11.2026 को ₹ 850 करोड़ प्रतिदेय, 31.03.2027 को ₹ 2000 करोड़ प्रतिदेय, 07.09.2027 को ₹ 2,000 करोड़ प्रतिदेय, 29.12.2027 को ₹ 2,500 करोड़ प्रतिदेय एवं ₹ 27.02.2028 को 2,500 करोड़ प्रतिदेय				
-इंडियन बैंक	1,500.00	1,500.00	-	-
04.08.2024 को प्रारम्भ होने वाली 6 वार्षिक किश्तों में ₹ 1500 करोड़ प्रतिदेय और अंतिम किश्त 04.08.2029 को देय है				
-बैंक ऑफ बड़ोदा	5,000.00	5,001.08	-	-
30. 09.2024 से प्रारम्भ होने वाली 6 वार्षिक किश्तों में ₹5,000 करोड़ प्रतिदेय और अंतिम किश्त 29.09.2029 को देय है				
-आईसीआईसीआई बैंक	4,000.00	4,000.85	2,850.00	2,850.48
23.01.2030 को ₹ 4,000 करोड़ प्रतिदेय				
- एचएसबीसी	3,402.49	3,403.23	3,402.49	3,403.03
19.05.2025 को ₹ 565 करोड़ प्रतिदेय, 18.12.2025 को ₹ 187.49 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2026 को ₹ 900 करोड़ प्रतिदेय, 06.07.2026 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 09.07.2026 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2030 को ₹ 85 करोड़ प्रतिदेय एवं 28.03.2030 को ₹ 665 करोड़ प्रतिदेय है				
-बैंक ऑफ इंडिया	1,499.87	1,500.18	749.87	750.00
27.09.2024 से प्रारम्भ होने वाली 5 वार्षिक किश्तों में ₹749.87 करोड़ प्रतिदेय और अंतिम किश्त 27.09.2028 को देय है एवं 31.03.2030 को ₹750 करोड़ प्रतिदेय है				
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,999.68	3,000.33	1,999.68	1,999.68
04.01.2026 को ₹ 1,000 करोड़ प्रतिदेय एवं 31.03.2027 को प्रारम्भ होने वाली 5 वार्षिक किश्तों में ₹ 1,999.68 करोड़ प्रतिदेय एवं 31.03.2031 को अंतिम किश्त देय है				
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10,900.26	10,900.26	12,729.30	12,729.30

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
15.10.2023 को ₹ 699.84 करोड़ प्रतिदेय है, 05.09.2023 और 05.03.2024 को देय 2 वार्षिक किस्तों में ₹ 919.44 करोड़ प्रतिदेय, 15.07.2023 से शुरू होकर 5 अर्ध-वार्षिक किस्तों में ₹ 3,569.93 करोड़ प्रतिदेय होंगे और अंतिम किस्त 15.07.2025 को देय होगी, ₹ 1,711.19 करोड़ 12.12.2027 को चुकाने होंगे और ₹ 3,999.86 करोड़ संरचित किश्तों में 29.10.2023 से शुरू होंगे और अंतिम किस्त 29.10.2031 को प्रतिदेय होगी।				
-पंजाब नेशनल बैंक	4,995.97	4,996.19	4,996.98	4,996.98
दिनांक 27.08.2023 को देय पहली किस्त के साथ 3 वार्षिक किस्तों में ₹1,9996.66 करोड़ और 11.11.2026 को देय ₹1,9999.66 करोड़ और 29.03.2028 से शुरू होने वाली 10 अर्ध-वार्षिक किस्तों में ₹999.66 करोड़ प्रतिदेय और अंतिम किस्त 29.12.2031 को देय होगी				
-सेंट्रल बैंक	2,399.99	2,399.99	500.00	500.00
₹1,499.99 की 26.03.2024 को प्रतिदेय , ₹400 करोड़ की 17.10.2025 को प्रतिदेय और ₹28.02.2026 से शुरू होने वाली 7 वार्षिक किस्तों में ₹500 करोड़ प्रतिदेय और 29.02.2032 को अंतिम किस्त प्रतिदेय है।				
जोड़ – बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	56,298.20	56,402.09	42,878.32	42,919.86

(ii) अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	5,500.00	5,500.53	6,800.00	6,800.00
23.02.2024 को ₹ 1,500 करोड़ प्रतिदेय एवं 14.03.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 25.03.2026 को ₹ 1,000 करोड़ प्रतिदेय, 27.03.2026 को ₹ 1,000 करोड़ प्रतिदेय, 09.08.2026 को ₹ 1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 28.07.2027 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय				
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी)	500.00	500.11	-	-
31.03.2027 को प्रारम्भ होने वाली 7 वार्षिक किश्तों में ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय और अंतिम किश्त 31.03.2033 को देय है				
जोड़ – अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थान	6,000.00	6,000.64	6,800.00	6,800.00

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
जेआईसीए ऋण - जेआईसीए-II 20.03.2023 को प्रदत्त	-	-	23.47	23.48
केएफडब्ल्यू – IV ऋण – 30.03.2024 तक € 5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2023 को देय है।	141.51	142.17	222.81	223.55
उप जोड़ – (1)	141.51	142.17	246.28	247.03
(2) ओडीए ऋण - भारत सरकार गारंटीकृत के बिना				
केएफडब्ल्यू – IV ऋण – 15.11.2030 तक € 12.00 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 15.05.2023 को देय है।	1,578.56	1,609.90	1,637.43	1,639.80
उप जोड़ – (2)	1,578.56	1,609.90	1,637.43	1,639.80
(3) द्विपक्षीय/सिंडिकेट ऋण				
यूएस \$ 200 मिलियन- 28.07.2022 को प्रदत्त	-	-	1,516.14	1,516.11
यूएस \$ 150 मिलियन- 11.09.2022 को प्रदत्त	-	-	1,137.11	1,136.75
¥10,327.12 मिलियन- 08.08.2023 को प्रतिदेय	638.22	635.36	642.66	636.04
यूएस \$ 250 मिलियन- 29.08.2023 को प्रतिदेय	2,055.42	2,064.76	1,895.18	1,895.18
यूएस \$ 250 मिलियन- 27.03.2024 को प्रतिदेय	2,055.42	2,036.56	1,895.18	1,880.88

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस \$150 मिलियन- 29.03.2024 को प्रतिदेय एवं \$ 75 मिलियन 14.05.2024 को प्रतिदेय	1,233.25	1,224.65	1,137.11	1,125.35
यूएस \$ 100 मिलियन- 01.07.2024 को प्रतिदेय	822.17	830.83	758.07	755.34
एसजी \$72.07 मिलियन- 30.03.2025 को प्रतिदेय	445.48	440.55	403.21	396.92
यूएस \$ 75 मिलियन- 30.03.2025 को प्रतिदेय	616.63	606.46	568.55	561.90
¥ 10,519 मिलियन-25.09.2025 को प्रतिदेय	650.07	643.21	654.60	645.86
यूएस \$170 मिलियन- \$100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय एवं \$70 मिलियन- 06.10.2025 को प्रतिदेय	1,397.69	1,400.67	1,288.72	1,288.65
यूएस \$ 425 मिलियन- 16.03.2026 को प्रतिदेय	3,494.22	3,467.48	3,221.80	3,207.65
यूएस \$ 600 मिलियन- 25.08.2026 को प्रतिदेय	4,933.01	4,899.73	4,548.43	4,499.53
यूएस \$ 75 मिलियन- 07.10.2026 को प्रतिदेय	616.63	626.45	568.55	565.00
यूएस \$1175 मिलियन- 29.12.2026 को प्रतिदेय	9,660.49	9,500.21	8,907.33	8,751.96
¥ 37506.63 मिलियन- 03.03.2027 को प्रतिदेय	2,317.91	2,285.95	2,334.04	2,293.52
यूएस \$ 100 मिलियन- 13.06.2027 को प्रतिदेय	822.17	815.24	-	-
यूएस \$ 200 मिलियन- 28.07.2027 को प्रतिदेय	1,644.34	1,640.92	-	-
यूएस \$ 150 मिलियन- 13.09.2027 को प्रतिदेय	1,233.25	1,221.79	-	-
एसजीडी 213.21 मिलियन- 27.10.2027 को प्रतिदेय	1,317.80	1,306.89	-	-
€ 254.19 मिलियन- 31.10.2027 को प्रतिदेय	2,277.77	2,258.06	-	-
€ 349.83 मिलियन- 27.03.2028 को प्रतिदेय	3,134.74	3,085.56	-	-
यूएस \$ 300 मिलियन- 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,466.51	2,520.12	2,274.21	2,286.40
उप- जोड़ – (3)	43,833.19	43,511.45	33,750.89	33,443.04
जोड़- विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	45,553.26	45,263.52	35,634.60	35,329.87

(iii) भारत सरकार से आवधिक ऋण-नेशनल स्माल सेविंग फण्ड (एनएसएसएफ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
नेशनल स्माल सेविंग फण्ड(एनएसएसएफ) से ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
13.12.2028 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ – सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12

20.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियां

(i) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस \$ 200 मिलियन- 24.05.2022 को प्रदत्त	-	-	1,516.14	1,517.78
यूएस \$150 मिलियन- 27.05.2022 को प्रदत्त	-	-	1,137.11	1,137.16
यूएस \$200 मिलियन- 03.06.2022 को प्रदत्त	-	-	1,516.14	1,516.21
यूएस \$25 मिलियन- 07.06.2022 को प्रदत्त	-	-	189.52	189.72
यूएस \$150 मिलियन- 18.06.2022 को प्रदत्त	-	-	1,137.11	1,137.17
यूएस \$200 मिलियन- 10.12.2022 को प्रदत्त	-	-	1,516.14	1,517.90
यूएस \$75 मिलियन- 14.12.2022 को प्रदत्त	-	-	568.55	569.21
यूएस \$200 मिलियन- 30.12.2022 को प्रदत्त	-	-	1,516.14	1,517.91
यूएस \$100 मिलियन- 23.02.2023 को प्रदत्त	-	-	758.07	758.07
यूएस \$200 मिलियन- 24.05.2023 को प्रतिदेय	1,644.34	1,644.34	-	-
यूएस \$150 मिलियन- 26.05.2023 को प्रतिदेय	1,233.25	1,233.44	-	-
यूएस \$200 मिलियन- 03.06.2023 को प्रतिदेय	1,644.34	1,644.58	-	-
यूएस \$75 मिलियन- 07.06.2023 को प्रतिदेय	616.63	616.63	-	-
यूएस \$150 मिलियन- 21.06.2023 को प्रतिदेय	1,233.25	1,233.44	-	-
यूएस \$ 200 मिलियन- 08.12.2023 को प्रतिदेय	1,644.34	1,644.34	-	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस \$300 मिलियन- 13.12.2023 को प्रतिदेय	2,466.51	2,466.51	-	-
यूएस \$75 मिलियन- 14.12.2023 को प्रतिदेय	616.63	616.63	-	-
यूएस \$100 मिलियन- 15.12.2023 को प्रतिदेय	822.17	822.17	-	-
यूएस \$200 मिलियन- 29.12.2023 को प्रतिदेय	1,644.34	1,644.60	-	-
€ 69.77 मिलियन- 16.01.2024 को प्रतिदेय	625.17	627.48	-	-
यूएस \$ 150 मिलियन- 15.02.2024 को प्रतिदेय	1,233.25	1,233.47	-	-
जोड़ –एफसीएनआर (ख) ऋण	15,424.22	15,427.63	9,854.92	9,861.13

20.3 टिप्पणी संख्या 20.1 (i), (ii) तथा (iv) में उल्लिखित है कि बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / सरकार से आवधिक ऋण 5.38 % से 8.29% मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

20.4 टिप्पणी सं. 20.1 (iii) में विदेशी मुद्रा अधार को 0.65% से 1.86% प्रतिवर्ष के दायरे में स्थिर ब्याज दरों और बाह्य बेंचमार्क पर 13 आधार अंक से 210 आधार अंक के दायरे में बढ़ाया गया है, जिसमें 3/6 माह का अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक प्रस्तावित दर), 3/6 माह का ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक प्रस्तावित दर), ओवरनाइट एसओएफआर (प्रतिभूत ओवरनाइट वित्तीय दर), 3/6 माह का सावधि एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट औसत दर), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट प्रस्तावित दर), एसओएफआर (प्रतिभूत ओवरनाइट वित्तीय दर) और ऋण समायोजन स्प्रेड (सीएएस) को ऋण की नई बेंचमार्क दरों में अंतरित करने के लिए लागू किया गया है।

20.5 कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से कोई निधि उधार नहीं ली है।

20.6 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का सुरक्षा विवरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाया गया है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड सीरीज 123-111बी को विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के ऋण परिपत्तियां जो अन्य ऋणदाता / ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकिकृत अंकित मूल्य के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बाण्डों को शॉप नंबर 12, ग्रांड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायालापुर, चेन्नई में परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता रहा है) के पक्ष में एमएसईडीसीएल की 4,998.66 करोड़ रुपए की ऋण परिसंपत्तियों को अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड्स को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2015-16 के दौरान जारी की गई 54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एगजेम्पशन बॉण्ड और टैक्स फ्री बॉण्ड्स की बॉण्ड सीरीज़ XIA और XIAA को (क) उप-प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी, ग्राम - सुभानपुरा, जिला वडोदरा स्थित परिसरों के बंधक और (ख) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एक्सेप्शन बॉण्ड की श्रृंखला XIV और XV एवं XVI को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तिओं और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) के वहन मूल्य के लिए टिप्पणी संख्या 10 और 15.2 का संदर्भ देखें।

20.7 संबंधित वैधानिक तिथि से परे कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है।

21. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

विवरण		31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(i)	115वीं शृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स - 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	2,500.00	2,668.34	2,500.00	2,668.11
(ii)	175वीं शृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स - 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,079.90	2,151.20	2,100.70
(iii)	199वीं शृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स - 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,025.06	1,999.50	2,047.66
जोड़ - अधीनस्थ देयताएं		6,650.70	6,773.30	6,650.70	6,816.47
भारत में / बाहर अधीनस्थ देयताएं					
(i)	भारत में उधारियां	6,650.70	6,773.30	6,650.70	6,816.47
(ii)	भारत के बाहर उधारियां	-	-	-	-
जोड़ - अधीनस्थ देयताएं		6,650.70	6,773.30	6,650.70	6,816.47

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच समाधान के लिए टिप्पणी संख्या 21.2 देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

21.1 वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घ-अवधि उधारियां	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी-एमएलडी एएए, इक्रा पीपी-एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बॉण्ड	क्रिसिल एएए, केयर एए+
घरेलू अल्पावधि उधारियां	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयरए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी- (फिच), बीएए3 (मूडीज)

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

21.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया संविदात्मक राशि के बीच सामंजस्य:

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2023 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	236,902.33	137,114.13	6,773.30	380,789.76
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,729.19)	(670.87)	(296.95)	(7,697.01)
जोड़ें: ईआईआर सहित भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	783.85	520.03	174.35	1,478.23
कुल बकाया उधारियां	230,956.99	136,963.29	6,650.70	374,570.98
31 मार्च 2022 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	219,574.61	106,651.59	6,816.47	333,042.67
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,736.43)	(430.69)	(296.94)	(7,464.06)
जोड़ें: ईआईआर सहित भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	719.20	357.90	131.17	1,208.27
कुल बकाया उधारियां	213,557.38	106,578.80	6,650.70	326,786.88

21.3 कंपनी बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकारी एजेंसियों से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बाँण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव लिखत / सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्गठन में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों तथा ऋण प्रतिभूतियों संबंधी प्रसविदा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

22 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(क) अप्रदत्त लाभांश	6.79	6.39
(ख) अप्रदत्त मूल एवं बॉण्डों पर ब्याज		
-परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	25.66	22.01
-बॉण्डों पर ब्याज	11.17	6.72
उप-जोड़ (ख)	36.83	28.73
(ग) संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधि	98,232.51	97,054.28
जोड़ें: ऐसी निधियों पर ब्याज (निवल का वापसी)	24.17	20.87
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(98,095.33)	(96,182.75)
सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	161.35	892.40
(घ) भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय	24,318.29	24,318.29
(च) अन्य देयताएं	821.85	462.92
जोड़ (क से च तक)	25,345.11	25,708.73

22.1 बाँण्डों पर भुगतान न किए गए लाभोश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लंबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹ 2.68 करोड़ (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹ 1.22 करोड़) है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दी गई है।

22.2 एक्सेलरेटेड जनरेशन एंड सप्लाय प्रोग्राम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खोते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संचितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.75 करोड़ (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.73 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:–

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	0.73	0.71
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.02
घटाएँ: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	0.75	0.73

22.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और रिवैंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष “अन्य वित्तीय देयताएं” के अंतर्गत “सब्सिडी/अनुदान के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

22.4 सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	20.87	37.84
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित/समायोजित ब्याज	16.65	25.40
घटाएँ: वर्ष के दौरान सरकार को वापस/समायोजित की गई राशि	(13.35)	(42.37)
अंतिम शेष	24.17	20.87

22.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य) राशि जुटाई गई है। दिनांक 2 दिसंबर 2020 और 3 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी। तदनुसार ब्याज के साथ-साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है। (टिप्पणी 12)

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)					
विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन की तारीख	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
जीओआई –I श्रृंखला	8.09%	अर्द्ध- वार्षिक	21/3/2028	1,837.00	1,837.00
जीओआई –II श्रृंखला	8.01%	अर्द्ध- वार्षिक	24/3/2028	1,410.00	1,410.00
जीओआई –III श्रृंखला	8.06%	अर्द्ध-वार्षिक	27/3/2028	753.00	753.00
जीओआई –IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्ध- वार्षिक	28/9/2028	3,000.00	3,000.00
जीओआई –V श्रृंखला	8.54%	अर्द्ध- वार्षिक	15/11/2028	3,600.00	3,600.00
जीओआई –VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्ध-वार्षिक	22/1/2029	2,027.00	2,027.00
जीओआई –VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्ध- वार्षिक	8/3/2029	1,200.00	1,200.00
जीओआई – VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्ध- वार्षिक	25/3/2029	4,000.00	4,000.00
जीओआई – IX श्रृंखला	7.14%	अर्द्ध-वार्षिक	2/3/2030	1,500.00	1,500.00
जीओआई – X श्रृंखला	8.25%	अर्द्ध- वार्षिक	26/3/2030	532.30	532.30
जीओआई – XI श्रृंखला	7.20%	अर्द्ध- वार्षिक	31/3/2030	1,750.00	1,750.00
जीओआई – XII श्रृंखला	6.45%	अर्द्ध- वार्षिक	7/1/2031	1,000.00	1,000.00
जीओआई – XIII श्रृंखला	6.63%	अर्द्ध- वार्षिक	28/1/2031	1,000.00	1,000.00
जीओआई – XIV श्रृंखला	6.50%	अर्द्ध- वार्षिक	26/3/2031	500.00	500.00
जोड़				24,109.30	24,109.30



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

23 चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
आयकर के लिए प्रावधान	51.92	18.01
घटाएँ: अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	(41.27)	(7.76)
चालू कर देयताएं (निवल)	10.65	10.25

24 प्रावधान

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
निम्न के लिए प्रावधान		
(क) कार्मिक हितलाभ		
उपदान	2.68	0.34
अर्जित अवकाश देयता	27.75	25.57
सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ	-	0.71
चिकित्सा अवकाश देयता	20.61	21.49
निपटान भत्ता	1.76	1.79
आर्थिक पुनर्वास योजना	4.17	4.15
दीर्घ सेवा अवार्ड	2.89	2.25
प्रोत्साहन	33.89	28.47
अन्य *	2.00	-
उप-जोड़ (क)	95.75	84.77
(ख) अन्य		
सुविधा पत्रों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	15.87	20.90
उप-जोड़ (ख)	15.87	20.90
जोड़ (क + ख)	111.62	105.67

* अन्य सीपीएसई के समतुल्य बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों के संबंध में पहले अपनाए गए वेतन वेतनमान 1997 को नियमित करने के संबंध में विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में बनाया गया है।

24.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
आरंभिक शेष	20.90	9.09
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	5.48	17.18
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(10.51)	(5.37)
अंतिम शेष	15.87	20.90

24.2 बैंकों को जारी कंपनी का अधिकतम ऋण जोखिम एक्सपोजर ₹ 3,082.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,068.98 करोड़) वित्तीय गारंटी के रूप में उधारकर्ताओं की ओर से सुविधा पत्रों से संबंधित है।

25. अन्य गैर – वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(क) विविध देयताओं का खाता (निधिकृत ब्याज पूंजीकरण)	2.80	4.10
(ख) पूंजी खाते के प्रति बिल न की गई देयता	48.38	26.96
(ग) असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	12.45	28.72
(घ) भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में प्राप्त अग्रिम	0.10	1.00
(ङ) सांविधिक देय	42.72	28.25
(च) अन्य देयताएं	-	0.01
जोड़ (क से च)	106.45	89.04

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- 28.1

आरक्षित निधि से आहरण/अंतरण: नियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनायी गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियाँ हस्तांतरित की है:
- (i)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) (सी) के तहत रिज़र्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स से ₹ 196.82 करोड़ की वसूली की है, जो ऋण परिसंपत्तियों और अन्य वसूली योग्य राशियों पर वास्तविक बट्टे खाते डालने के कारण है।
- (ii)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) (सी) के तहत रिज़र्व फॉर बैड एंड हाउसफुल डेब्ट्स के लिए रिज़र्व बैंक से ₹ 1,931.59 करोड़ की वसूली की है, जो ऋण परिसंपत्तियों और अन्य वसूली योग्य परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते डालने के कारण है।
- 28.2

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।
- वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	22,302.93	19,222.23
जोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से हस्तांतरित	2,674.96	3,080.70
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	24,977.89	22,302.93
- 28.3

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।
- वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	196.82	2,128.41
जोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(196.82)	(1,931.59)
वर्ष के अंत में शेष	-	196.82
- 28.4

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि
- कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ के कम से कम 20% के बराबर की राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।
- वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,814.00	3,804.00
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,211.15	2,010.00
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	8,025.15	5,814.00

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- 28.5

प्रतिभूति प्रीमियम
- प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,236.54	2,236.54
जोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
घटाएं: इक्विटी शेयरों के बोनस निर्गम के लिए प्रयुक्त	(658.30)	-
घटाएं: इक्विटी शेयरों के बोनस निर्गम पर किया गया व्यय	(0.71)	-
वर्ष के अंत में शेष	1,577.53	2,236.54
- 28.6

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता
- कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से नुकसान/लाभ के मोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के विमोचन (रिडेम्प्शन) की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में परिशोधित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(555.29)	(573.16)
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ / हानि (-)	(487.03)	(216.94)
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	251.88	234.81
वर्ष के अंत में शेष	(790.44)	(555.29)
- 28.7

सामान्य आरक्षित निधि (रिजर्व)
- सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	11,839.45	9,903.16
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
जोड़ें: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से हस्तांतरित	196.82	1,931.59
जोड़ें: डिबेंचर रिडेम्प्शन रिजर्व से हस्तांतरित	-	-
जोड़ें: इम्पेयरमेंट रिजर्व से हस्तांतरित	-	-
जोड़ें: पूंजीगत रिजर्व से हस्तांतरित	-	4.70
वर्ष के अंत में शेष	12,036.27	11,839.45
- 28.8

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी लिखत
- कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में संचित किए जाते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो कंपनी इस आरक्षित निधि से राशियों को रखी गई प्रतिधारित आय में अंतरित करता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(37.98)	24.07
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	(58.48)	24.74
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	(5.01)	(86.79)
वर्ष के अंत में शेष	(101.47)	(37.98)

28.9 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	194.21	(165.61)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	405.84	359.82
वर्ष के अंत में शेष	600.05	194.21

28.10 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में ऋणमोचित (एमोर्टाइज़) किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(395.95)	41.45
घटाएं: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	(1,313.92)	(437.40)
वर्ष के अंत में शेष	(1,709.87)	(395.95)

28.11 वर्ष के दौरान पूंजीगत आरक्षित निधि में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	4.70
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(4.70)
वर्ष के अंत में शेष	-	-

28.12 वर्ष के दौरान इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यम लेखांकन की अन्य व्यापक आय / (हानि) के हिस्से में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	(1.19)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	1.19
वर्ष के अंत में शेष	-	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

28.13 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	7,186.05	4,606.01
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	11,166.98	10,035.69
जोड़ें: परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमापन	(4.48)	(6.23)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	(0.02)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व में हस्तांतरित	(2,674.96)	(3,080.70)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	-	-
घटाएं: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक रिज़र्व में हस्तांतरित	(2,211.15)	(2,010.00)
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी लिखत(करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	5.01	86.79
घटाएं: लिखत पर कूपन भुगतान पूर्णतया प्रकृति में इक्विटी (मियादी ऋण लिखतों) (करों का निवल)	(33.30)	(34.12)
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(3,120.37)	(2,411.37)
वर्ष के अंत में शेष	10,313.78	7,186.05

28.14 कंपनी द्वारा प्रत्येक 10/- रुपए के इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि
	(₹)	(₹ करोड़ में)	(₹)	(₹ करोड़ में)
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर की संख्या	2,63,32,24,000		1,97,49,18,000	
अंतरिम लाभांश	8.25	2,172.41	10.50	2,073.66
अंतिम / प्रस्तावित लाभांश	-	-	4.80	947.96
कुल लाभांश	8.25	2,172.41	15.30	3,021.62

इंड-एएस 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम लाभांश के मामले में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदन के बाद ऐसा विनियोजन किया जाता है।

29 ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष			31-03-2022 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	-	37,679.56	-	-	37,613.68	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण	-	680.35	-	-	197.16	-
उप-जोड़ (क)	-	38,359.91	-	-	37,810.84	-
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष			31-03-2022 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन
(i) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	154.82	31.69	-	110.44	27.15
उप-जोड़ (ख)	-	154.82	31.69	-	110.44	27.15
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) जमाओं पर ब्याज	-	118.51	-	-	89.78	-
उप-जोड़ (ग)	-	118.51	-	-	89.78	-
(घ) अन्य आय पर ब्याज						
(i) उधारकर्ताओं द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज	-	176.76	-	-	154.54	-
(ii) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	3.65	-	-	0.97	-
(iii) मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.27	-	-	0.24	-
(iv) अनविन्डिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ सिक्क्योरिटी डिपॉजिट्स	-	0.16	-	-	0.16	-
(v) एसपीवी से ब्याज	-	0.57	-	-	0.37	-
उप-जोड़ (घ)	-	181.41	-	-	156.28	-
जोड़-ब्याज आय (क से घ)	-	38,814.65	31.69	-	38,167.34	27.15

30	लाभांश आय		
		(₹ करोड़ में)	
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
-दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	11.89	4.21	
जोड़-लाभांश आय	11.89	4.21	

30.1	अन्य निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण		
		(₹ करोड़ में)	
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
एफवीओसीआई इक्विटी निवेशों पर लाभांश			
- वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	11.81	3.20	
- वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	0.08	1.01	
जोड़	11.89	4.21	

31	शुल्क एवं कमीशन आय		
		(₹ करोड़ में)	
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
शुल्क आधारित आय	117.80	92.22	
पूर्व अदायगी प्रीमियम	47.16	465.37	
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	122.21	15.23	
कुल- शुल्क एवं कमीशन आय	287.17	572.82	

32	सेवा की बिक्री		
		(₹ करोड़ में)	
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सर्विसेज	287.55	150.96	
जोड़	287.55	150.96	

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

33	अन्य आय		
		(₹ करोड़ में)	
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के निपटान पर निवल लाभ/ (हानि)	4.08	30.19	
किराए से आय	12.82	16.32	
देयताएं/प्रावधान रिटेन बैक	1.57	10.09	
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से शुल्क	7.73	6.57	
आयकर वापसी से ब्याज	-	0.84	
विविध आय	15.70	6.14	
जोड़ - अन्य आय	41.90	70.15	

34	वित्तीय लागतें		
	वित्तीय लागतों पर वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।		(₹ करोड़ में)
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
(i) उधारियों पर ब्याज			
-भारत सरकार से ऋण (एनएसएसएफ)	822.50	822.50	
-बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	3,934.76	2,788.79	
-बाह्य वाणिज्यिक उधारियां	1,881.41	577.12	
-पट्टा देयता	-	-	
उप-जोड़ (i)		4,188.41	
(ii) ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज			
-घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	13,312.17	14,759.43	
-विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,442.43	1,294.73	
-वाणिज्यिक लिखत	-	14.76	
उप-जोड़ (ii)	14,754.60	16,068.92	
(iii) अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज			
-अधीनस्थ बॉण्ड	551.65	523.30	
उप-जोड़ (iii)	551.65	523.30	
(iv) अन्य ब्याज व्यय			
-स्वैप प्रीमियम	1,784.82	1,269.34	
-अग्रिम आय कर पर ब्याज	-	0.75	
-कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	3.44	3.48	
-विविध ब्याज व्यय	0.18	1.86	
उप-जोड़ (iv)	1,788.44	1,275.43	
जोड़ - वित्तीय लागतें	23,733.36	22,056.06	
घटाएं: पूंजीकृत वित्तीय लागत	(0.03)	(5.10)	
जोड़- वित्तीय लागतें (निवल)	23,733.33	22,050.96	

35	निवल अंतरण / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)		
		(₹ करोड़ में)	
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
निवल अंतरण / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)	1,114.04	799.05	
जोड़	1,114.04	799.05	
उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹ 251.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 234.81 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल परिवर्तन / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का विमोचन शामिल है।			

35.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भित दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दरें	यूएसडी /आईएनआर	जेपीवाई/आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	एसजीडी/ आईएनआर
31 मार्च 2023 के अनुसार	82.2169	0.6180	89.6076	61.8074
31 मार्च 2022 के अनुसार	75.8071	0.6223	84.6599	55.9438



36 शुल्क एवं कमीशन व्यय

36 शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
(i) गारंटी शुल्क	2.92	4.29
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.05	0.84
(iii) एजेंसी शुल्क	1.76	2.01
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	3.55	6.69
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	8.01	2.90
जोड़ (i से v)	16.29	16.73

37 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ / (हानि)		
(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-
(ii) अन्य		
– व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	69.21	351.36
– दीर्घावधि निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(25.45)	(12.78)
– अल्पावधि म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	1.55	7.99
उप-जोड़ (ii)	45.31	346.57
जोड़ (क)	45.31	346.57
उचित मूल्य के परिवर्तनों का ब्रेकअप		
– वसूली की गयी	336.35	365.03
– वसूली नहीं की गयी	(291.04)	(18.46)
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)	45.31	346.57

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे इतर हैं, जो अपार्जित ब्याज आय / व्यय के कारण उत्पन्न होते हैं और ये ऐसी मितव्ययी हेजेज़ के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हेज अकाउंटिंग और अप्रभावी हेज के तहत नामित नहीं होते हैं।

38 वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष		31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) – ऋण*	-	105.14	-	3,434.36
(ii) -निवेश	-	-	-	28.72
(iii) – अन्य	-	37.03	-	6.94
जोड़ (i + ii)	-	142.17	-	3,470.02

*सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹ -5.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.81 करोड़) की राशि शामिल है।

39 प्रदान की गई सेवाओं की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
परियोजना व्यय	54.06	65.11
जोड	54.06	65.11

40 कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
– वेतन और भत्ते*	157.43	134.98
– भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	8.57	19.06
– कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	5.31	3.77
– कार्मिक कल्याण व्यय	32.79	23.03
जोड़	204.10	180.84

* इसमें अन्य सीपीएसई के समतुल्य बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के संबंध में पहले अपनाए गए वेतनमान 1997 को नियमित करने के संबंध में विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में उगत ₹ 20.54 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है।

41 मूल्यहास एवं परिशोधन

41 मूल्यहास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर मूल्यहास	21.60	15.35
– अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	2.66	2.89
जोड़	24.26	18.24

42 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय

(₹ करोड में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
– प्रत्यक्ष व्यय	198.27	166.88
– ओवरहेड्स	5.64	5.47
जोड़	203.91	172.35

42.1 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 को समय-समय पर संशोधित किया है। इन नियमों में अपेक्षा की गई है कि चालू परियोजना को छोड़कर अन्य किसी भी व्यय न की गई सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित है तो उसे अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर देना चाहिए। तथापि, यदि तीन वित्तीय वर्षों के भीतर ऐसी राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में, तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्रभाव आकलन करने वाली कंपनियों उस वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर के लिए व्यय दर्ज कर सकती हैं, जो कुल सीएसआर व्यय के दो प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

42.2 कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा स्वर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹ 203.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 172.35 करोड़) है।

(ख) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमोदित राशि ₹ 203.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 172.35 करोड़) है।

(ग) सीएसआर से संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए टिप्पणी सं. 57 को देखें।

(घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(₹ करोड में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
(क) प्रारंभिक शेष-स्वर्च की गई अतिरिक्त राशि	(0.48)	(4.03)
(ख) वर्ष के दौरान स्वर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	203.91	172.35
(ग) वर्ष के दौरान स्वर्च की गई राशि*	211.13	168.80
(घ) अंतिम शेष-स्वर्च की गई अतिरिक्त राशि** (क+ख -ग)	(7.70)	(0.48)

* आरईसी फाउंडेशन (कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा अस्थायी रूप से रखी गई निधियों पर अर्जित ब्याज से सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की गई राशि ₹ 0.98 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) को शामिल नहीं किया गया है।

* अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र।

42.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष			31-03-2022 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
स्वास्थ्य/स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	73.98	-	73.98	54.75	-	54.75
शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	23.12	-	23.12	16.83	-	16.83
पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	23.79	-	23.79	8.25	-	8.25
खेल-कद	30.50	-	30.50	15.00	-	15.00

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष			31-03-2022 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
पीएम केयर फंड में योगदान	50.13	-	50.13	50.00	-	50.00
कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन का प्रावधान और कोविड-19 टीके के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराना	-	-	-	0.60	-	0.60
अन्य	3.97	-	3.97	17.90	-	17.90
प्रभाव मूल्यांकन	0.34	-	0.34	0.23	-	0.23
प्रशासनिक ऊपरी खर्चें	5.30	-	5.30	5.24	-	5.24
जोड़ (ii)	211.13	-	211.13	168.80	-	168.80

43 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
- यात्रा एवं वाहन सुविधा	18.26	11.72
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	10.78	2.32
- मरम्मत और अनुरक्षण	22.93	27.45
-किराया, दरें एवं ऊर्जा लागतें	3.62	7.32
-बीमा प्रभार	0.15	0.09
-संप्रेषण लागत	2.39	2.91
-प्रिंटिंग और स्टेशनरी	1.26	0.94
-निदेशकों के बैठक शुल्क	0.42	0.21
-लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.62	1.59
-विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	16.35	11.59
-संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	6.64	0.97
- प्रशिक्षण और सम्मेलन व्यय	10.80	7.65
-सरकारी योजना की मॉनिटरिंग व्यय	8.42	18.49
- बिक्री के लिए परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत संपत्तियों पर क्षति भत्ता	0.03	9.71
-अन्य व्यय	26.66	20.60
जोड़	130.33	123.56

43.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्क:		
-लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.63	0.62
-कराधान मामलों के लिए*	0.17	0.17
-कंपनी के कानूनी मामलों के लिए / सीमित समीक्षा शुल्क	0.35	0.33
-अन्य सेवाओं के लिए	0.25	0.32
-व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.11	0.03
उप-जोड़	1.51	1.47
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	0.11	0.12
जोड़- लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	1.62	1.59

*पिछले वर्षों से संबंधित कराधान शुल्क ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है।

44 कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
- चालू कर व्यय	2,720.50	3,069.23
- पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/ (लाभ)	(147.45)	(3.96)
उप-जोड़ - चालू कर	2,573.05	3,065.27
- आस्थगित कर व्यय /(क्रेडिट)	157.64	(670.44)
जोड़	2,730.69	2,394.83

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

44.1 प्रभावी कर दर का पुनर्समाधान

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का पुनर्समाधान निम्नलिखित है:

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	13,897.67	12,430.53
सांविधिक आयकर दर	25.168%	25.168%
प्रत्याशित आय कर व्यय	3,497.77	3,128.52
आय कर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(673.23)	(775.36)
सीएसआर खर्च और अन्य समायोजन की गैर-अनुमति	51.00	42.95
गैर-कटौती योग्य अन्य कर व्यय	5.60	(1.03)
गैर कर योग्य आय	(3.00)	(2.58)
पूर्व वर्षों का कर व्यय	(147.45)	(3.96)
कर दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	(3.98)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके परिकलित संयुक्त उद्यम (जेवी) के लाभ पर कर का प्रभाव	-	2.97
इंद्रा ग्रुप रेवेन्यू रिवर्सल के कर का प्रभाव	-	7.30
कर व्यय	2,730.69	2,394.83

45 अर्जन प्रति शेयर

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
न्यूमरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	11,133.68	10,001.58
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	-	-
लाभ और हानि विवरण के अनुसार परिचालन जारी रखने और बंद करने से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	11,133.68	10,001.58
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या**	2,633,224,000	2,633,224,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत प्रचालनों के लिए)	42.28	37.98
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (बंद प्रचालनों के लिए)	-	-
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)	42.28	37.98

* यह लाभ प्राकृतिक में पुर्णतः इक्विटी स्थायी ऋण लिखतों पर ₹ 33.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 34.12 करोड़) के कर पश्चात लाभ (करों का निवल) को दर्शाता है।

** वर्ष के दौरान, कंपनी ने 18 अगस्त 2022 को बकाया प्रत्येक 3 (तीन) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर के अनुपात में पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में प्रत्येक ₹10 के 65,83,06,000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। तदनुसार, जैसाकि इंड एस-33 द्वारा अपेक्षित है, प्रति शेयर आय, वर्तमान और पिछले वर्ष के ईपीएस को बहाल कर दिया गया है।

46 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

46.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	27.49	30.21
(ख) कराधान मांग		
(i) - आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	212.70	167.69
(ii) - कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	0.90	0.90
(iii) - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में की गई मांग	17.89	17.89
(ग) गारंटी	7.50	-



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

		(₹ करोड़ में)	
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	
(घ) अन्य			
(i) - परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही (₹ 33.23 करोड़ का प्रति दावा)	315.30	-	
(ii) - सुविधा पत्र	3,082.47	4,068.95	
(iii) - बैंक गारंटी	29.79	31.06	

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त ख(i)) में उल्लिखित राशि आय कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपील प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है।

उपरोक्त ख (ii) में उल्लिखित राशि आईटीएटी चरण पर कंपनी को दी गई राहत के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील के खिलाफ है।

उपरोक्त ख (iii) में उल्लिखित राशि आरईसी द्वारा दायर जीएसटी धन वापसी अपील के खिलाफ है।

उपर्युक्त ग में उल्लिखित राशि, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड की अनुषंगी) की बोली प्रक्रिया में सहभागिता के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी के विरुद्ध है।

उपरोक्त घ (i) में संदर्भित राशि कंपनी द्वारा नियुक्त संविदाकार और पीएमसी के बीच मध्यस्थता मामलों को दर्शाती है। दावे का पीएमसी द्वारा खंडन किया जा रहा है और कंपनी का विश्वास है कि मध्यस्थता प्रक्रिया में इसकी स्थिति बरकरार रहेगी।

46.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
- पूंजीगत लेखों में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
- संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	124.73	129.13
- अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	-	-
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	254.10	400.30

47 वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii) लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलआईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374
(iv) पंजीकरण संख्या	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई)	L0012

48 सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

48.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 के दौरान देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए “प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना” – सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परियोजना पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपए था। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आइसीसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

48.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना नवंबर 2014 को शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;
- (ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;
- (iii) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;
- (iv) डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

इस योजना ने संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹ 63,027 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹ 75,893 करोड़ के परिव्यय का अनुमान लगाया था। डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त इन्फ्रा को ₹ 7,069 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था, जिसमें ₹ 5302 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात् 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

48.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 से राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेंगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण स्वीकरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, संवतंत्र मूल्यांकनों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्घिष्ट किया गया है।

48.4 संशोधित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने डिस्काॅम को परिणाम से संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) अनुमोदित की है ताकि पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा सके। इस स्कीम के लिए 5 वर्षों में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ₹ 3,03,758 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है, जिसमें ₹ 97,631 करोड़ की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है।

- (i) वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी हानियों को कम करके 12-15% तक करना।
- (ii) वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को कम करके शून्य करना।
- (iii) वित्तीय रूप से सतत और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार।

स्कीम के घटक निम्नानुसार हैं:-

भाग क - प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के स्टरोन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।

भाग ख - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थकारी और सहायक गतिविधियाँ।

48.5 जम्मू एवं कश्मीर प्रधानमंत्री विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू व कश्मीर सरकार, विद्युत विकास विभाग ने सभी सामग्री एवं सेवा कार्यों की डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, परिनिर्माण, परीक्षण और आरंभ करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से निकाली जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार नामांकन आधार पर जम्मू व कश्मीर राज्य और लद्दाख में पीएमडीपी के तहत पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईई) के रूप में आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया है।

48.6 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग योजना

विद्युत मंत्रालय ने 11 केवी फीडर मॉनिटरिंग योजना को लागू करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया है। यह स्कीम 66, 33/11 केवी सब-स्टेशनों से सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों के विभिन्न अनिवार्य मानदंडों की डाटा लॉगिंग के माध्यम से स्वचालित 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए स्व-संधारित स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली का विकास करने के लिए तथा विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग, सावधानी, मीटर के आंकड़ों का विश्लेषण, सूचना प्रसारण और ऊर्जा जांच के लिए वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक पटल सहित विभिन्न हितधारकों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने के लिए है।

49 पूंजी प्रबंधन

यह कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह हितधारकों को अधिकतम आय करते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। कंपनी की पूंजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह कंपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी को अन्य बातों के साथ-साथ निरिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्तीय मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए “केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन” के संबंध में दिशा-निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस कंपनी ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

समूह का इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
निवल ऋण	374,522.28	326,645.89
निवल मूल्य	58,120.51	51,314.10
ऋण – इक्विटी अनुपात	6.44	6.37

निवल ऋण बकाया मूल कम नकद और उपलब्ध नकद समतुल्य को दर्शाता है।



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभांश वितरण नीति

निदेशक मण्डल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न घटकों पर केंद्रित है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, डीआईपीएएम आदि द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अधीन कंपनी की निवल मालियत, वैकल्पिक स्रोतों से निधि जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति तथा लागू कर, यदि कोई हो, शामिल है परंतु जो वर्तमान एवं भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वतमान दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभान्श अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभान्श घोषित करने का प्रयास करती है, तथापि, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभान्श प्रस्तावित कर सकती है।

અન્ય નીતિયાં

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों में भीतरी व्यापार के निरोध के लिए संहिता, घोषाघड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

50 कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए प्रधान निदेशों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एनबीएफसी और इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, आईसी को 15% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात या जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (न्यूनतम 10% टियर I पूंजी के साथ) बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसकी गणना कंपनी की टियर-I और टियर-II पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्तियों द्वारा विभाजित करके की जाती है।

विवरण	31-03-2023 के अनुसार			31-03-2022 के अनुसार			% भिन्नता
	न्युमरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमनेटर* (₹ करोड़ में)	%	न्युमरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमनेटर* (₹ करोड़ में)	%	
(i) सीआरएआर	63,240.41	245,300.73	25.78%	57,937.08	245,436.54	23.61%	9.21%
(ii) सीआरएआर- टियर I पूंजी	56,023.45	245,300.73	22.84%	48,052.65	245,436.54	19.58%	16.65%
(iii) सीआरएआर- टियर II पूंजी**	7,216.96	245,300.73	2.94%	9,884.43	245,436.54	4.03%	-26.95%

टियर-। पूंजी के मियादी ऋण लिखत की राशि 1.00% (पिछले वर्ष 1.16 %) है।

* टियर- I और टियर- II पूंजी होने के कारण अंश में मुख्य रूप से इक्विटी (टिप्पणी संख्या 26, 27 और 28 देखें) शामिल हैं और जोखिम भाहित संपत्ति होने के कारण मुख्य रूप से ऋण जैसे कंपनी के क्रेडिट एक्सपोजर (ओं) की भाहित राशि का प्रतिनिधित्व करता है (टिप्पणी संख्या 10 देखें) और निवेश (टिप्पणी संख्या 11 देखें), इस संबंध में समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार गणना की जाती है।

**** सीआरएआर टियर ॥ पूंजी में परिवर्तन एक वर्ष के भीतर मोचन हेतु देय अधीनस्थ टियर ॥ बॉण्ड के कारण है और इस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार टियर ॥ पूंजी से बाहर कर दिया गया है।**

वर्ष के दौरान जूटाई टियर-॥ पूंजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	-	-

51 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक मण्डल के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यदांचे की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम निगरानी और आवाधिक निगरानी के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित प्रणालियों और प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी और नकदी के समतुल्य, बैंक शेष (नकदी और नकदी के समतुल्य को छोड़कर), ऋण, वित्तीय परिसंपत्तियां, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, राज्य विकास ऋण, ऋण प्रतिभूतियां और अधिमान शेयर	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, तरल निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्विक
तरलता जोखिम	उधारियां, ऋण प्रतिभूतियां, अधीनस्थ देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	माप	प्रबंधन
बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनएआर) में न बताई गई देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	उधारियों ऋण प्रत्यूत्तियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर अधीनस्थ देयाताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – इक्विटी कीमत	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेन्द्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेन्द्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तदुसार किया जाता है:

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र संस्थापित किया है जिससे कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./099/03।10.001/2018-19 के उद्देश्य से निदेशक मण्डल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और जोखिम कम करने की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

51.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिस प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियां होती हैं। कंपनी का ऋण जोखिम मुख्यतः नकदी और नकदी के समतुल्य, बैंक शेष (नकदी और नकदी के समतुल्य को छोड़कर), निवेश, ऋण परिसंपत्तियों, कारोबार प्राप्य राशियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर आकलित करने से प्रभावित होता है। यह कंपनी ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

51.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटीटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i) वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम		
नकदी एवं नकदी समतुल्य	48.70	140.99
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	2,346.91	2,518.96
ऋण *	412,304.47	335,876.99
ट्रेड प्राप्त्य	103.06	79.46
निवेश **	2,760.98	1,872.66
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,422.54	24,415.31
(ii) मध्यम ऋण जोखिम		
ऋण *	10,913.58	36,424.23
ट्रेड प्राप्त्य	9.55	15.09
(iii) उच्च ऋण जोखिम		
ऋण *	14,892.08	17,159.89
प्रेफरेंस शेयरों में निवेश***	28.72	28.72
ट्रेड प्राप्त्य	0.39	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	95.21	91.17

* प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के असंवितरित राशि के साथ) दर्शाता है।

**** इसमें एफवीओसीआई/एफवीटीपीएल में इक्विटी लिखतों में किए गए निवेश और अनुषंगी में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं क्योंकि ये इंड एस 27 के तहत दी गई छूट के अनुरूप लागत पर किए गए हैं।**

*** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों में निवेश के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन का प्रतिनिधित्व करता है।

नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा बैंक जमा

नकदी एवं नकदी समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/ बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ॐ नमः शिवाय

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथीकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

ट्रेड प्राप्य

प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम लेनदारों की ऋण योग्यता का मूल्यांकन करके कम किया जाता है और ऐसी धनराशि को वसूल करने योग्य स्थिति का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा अनुषंगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

निवेश से संबंधित ऋण जोखिम सरकारी प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉन्ड्स में निवेश के साथ अच्छी वित्तीय स्थिति निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वता/क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी भी करता है।

ऋणी संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी / समाधान के समय जारी प्रतिभूतियों में निवेश

आरईसी को कंपनी या ऋणदाताओं के संघ द्वारा यथालागू अनुमोदित निपटान/समाधान योजना के हिस्से के रूप में उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी की गई विभिन्न प्रतिभूतियां और ऋणदाताओं की समिति और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित दिवाला और अशोधन क्षमता संहिता 2016 के तहत संकल्प के मामले में प्राप्त हुई। इन प्रतिभूतियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है।

51.1.2 ऋणों एवं कारोबार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी किसी भी प्रकार की ऋण हानि की संभावना के लिए व्यक्तिगत वित्तीय लिखतों का आकलन करके ऋण और व्यापार प्राप्य राशियों को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

- नकदी एवं नकदी समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए (नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा)** – चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकदी एवं नकदी समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।
- सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए** - यह देखते हुए कि निवेश सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में हैं / उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) में न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटेड सरकारी कंपनियां, क्रेडिट जोखिम को कम माना जाता है।
- ऋणी संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी / समाधान के समय जारी प्रतिभूतियों में निवेश** - ऐसी प्रतिभूतियों की वसूली के आधार पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। जहां कहीं ऐसे निवेशों पर मध्यम अथवा उच्च जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, उपयुक्त ईसीएल भत्ता प्रदान किया जाता है।
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए** – क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन उन पार्टियों की क्रेडिट योग्यता के बारे में कंपनी के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए हानि भत्ता मापा जाता है और क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करता है।

ऋण को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है:

विवरण	31-03-2023 के अनुसार			31-03-2022 के अनुसार		
	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि
नकदी एवं नकदी समतुल्य	48.70	-	48.70	140.99	-	140.99
बैंक शेष(नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	2,346.91	-	2,346.91	2,518.96	-	2,518.96
निवेश*	2,818.42	28.72	2,789.70	1,930.10	28.72	1,901.38
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां **	24,517.75	95.21	24,422.54	24,506.48	91.17	24,415.31

** क्रेडिट-इंपेयर्ड माने जाने वाले रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 'प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश' पर पूरी तरह से हानि भत्ता प्रदान किया गया है।*

*** हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।*

51.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

- ऋण चूक हानि:** ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है; चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियां सहित सभी ऋण संवेदी लेन-देनों पर प्रभाव डाल सकता है।
- संकेंद्रण जोखिम:** किसी एकल प्रकटन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले प्रकटन का समूह।



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास “एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश” और “व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति” मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, आवधिक आधार पर, ऋण परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें ईसीएल पद्धति के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

- कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए “एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश” उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।
- सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक लिखतों की जांच / समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय-समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को अग्रणी ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई / परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी / गैर-ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख-रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन-रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

दबावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी / उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी / नकदी प्रवाह निगरानी एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों / एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

- कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार अवसंरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक समिति /ऋण समिति / निदेशक मण्डल के चरण पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।
- कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निपटानों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।
- ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।
- ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।
- अलग-अलग और समूह ऋण निपटानों का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।
- कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और / या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्रवाई (कार्रवाइयां) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं है, आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी / प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं / निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोज़र की बिक्री आदि।

(ख) क्रेडिट जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति हानि भत्ते के लिए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है , जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार / गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालांकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाता है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी जो़खिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (15% भार)



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

ब्याज कवरेज (25% भार)

गियरिंग (ऋण / डब्लिटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक

तिमाही-वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस - एआरआर अंतर और एलएएफ

वास्तविक चूक तिथियाँ

परियोजना की स्थिति

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 में नीचे संक्षेप में बताया गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक “तीन चरण वाले” मॉडल की रूपरेखा दी गई है :

- एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूरित नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण “चरण 1” के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
- यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को “चरण 2” में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।
- यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ है, तो इसे “चरण 3” में ले जाया जाता है।
- चरण 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। चरण 2 या चरण 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) ऋण जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ड) चूक तथा क्रेडिट-डंपेयर्ड परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय लिखत को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(च) ईसीएल का मापन - इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

अपेक्षित क्रेडिट हानि चूक की संभावना (पीडी), डिफॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी) और चूक रूप से दी गई हानि (एलजीडी) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

- पीडी अगले 12 महीनों में या लिखित के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र (एलओसी) शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
- एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि / मैच्योरिटी प्रोफाइल यानी लाइफटाइम पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स को एक्स्ट्रापोलेटेड किया गया। हालांकि, राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए, कंपनी जब भी अद्यतन होती है, विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग अपनाती है।

घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में, एलजीडी का पता लगाने के लिए परिसंपत्तियों के वार्षिक मूल्य का पता लगाने हेतु कंपनी द्वारा की गई मूल्यांकन रिपोर्टें, समाधान प्रक्रिया के परिणाम आदि सहित उचित अनुमानों का उपयोग किया गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में ऋद्धातिरिक्त किया है और यह माना कि राज्य / केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) चरण 3 परिसंपत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेखण

चरण -3 परिसंपत्तियां जहां आरईसी और पीएफसी (समूह की कंपनियां) चरण-3 ऋण खातों के लिए कंसेर्टियम में शामिल हैं, के मामले में एलजीडी निम्नलिखित आधार पर लिया जाता है:

(क) उन मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, अग्रणी ऋणदाता द्वारा परिकल्पित किए गए एलजीडी % को अपनाया जाता है।

(ख) ऐसे मामलों, जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता नहीं हैं, में आरईसी और पीएफसी द्वारा परिकल्पित किए गए एलजीडी% में से अधिक को अपनाया जाता है।



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ज) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान

- (i) कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।
- (ii) ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

(झ) ऋण जोखिम अनावरण

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम अनावरण निम्न है।

(₹ करोड़ में)

ऋण जोखिम श्रेणी (आंतरिक/मैप की गई रेटिंग)	31-03-2023 के अनुसार				31-03-2022 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
निष्पादन								
बहुत अच्छा (एएए एए ए सरकारी ऋण)	192,836.82	276.33	-	193,113.15	181,968.90	11,661.35	-	193,630.25
अच्छा (बीबीबी बीबी बी)	147,389.05	9,128.03	-	156,517.08	96,631.68	24,762.88	-	121,394.57
औसत (सी)	70,282.47	1,345.98	-	71,628.45	54,755.07	-	-	54,755.07
स्पष्ट (डी)	1,796.13	157.74	-	1,953.87	2,521.34	-	-	2,521.34
गैर-निष्पादित (डी)	-	5.50	14,892.08	14,897.58	-	-	17,159.89	17,159.89
सकल एक्सपोजर	412,304.47	10,913.58	14,892.08	438,110.13	335,876.99	36,424.23	17,159.89	389,461.12
हानि भत्ता (एलओसी सहित)	3,521.81	238.30	10,519.51	14,279.61	2,790.22	369.61	11,565.73	14,725.57
निवल एक्सपोजर	408,782.66	10,675.28	4,372.57	423,830.51	333,086.77	36,054.62	5,594.16	374,735.55

(ज) समपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक प्रकार निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा लिखतों को सौंपना
- लिखतों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ટ) હાનિ મત્તે

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- ऋण जोखिम की काफी वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय लिखतों के कारण चरण -1 और चरण -2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी “स्टेप अप” (अथवा स्टेप डाउन)।
- उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय लिखतों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में न माने गए वित्तीय लिखतों के लिए जारी राशियां।
- मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।
- उस अवधि के दौरान अमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बढ़े खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बढ़े खाते में डालना।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तद्वरूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती है।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल
प्रारंभिक शेष	335,876.99	2,790.22
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	34,393.77	(353.01)
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट हानिग्रस्त	(2,798.11)	(11.28)
जीवनपर्यंत ईसीएल क्रेडिट में अंतरण बाधित	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	715.77
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	91,644.92	684.49
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(46,813.10)	(304.38)
राइट ऑफ	-	-
अंतिम शेष	412,304.47	3,521.81

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल
प्रारंभिक शेष	358,891.11	1,282.46
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,031.94	134.62
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट हानिग्रस्त	(35,361.06)	(40.15)
जीवनपर्यंत ईसीएल क्रेडिट में अंतरण बाधित	(1,516.73)	(214.87)
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	1,235.51
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	62,483.86	569.85
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(50,652.13)	(177.20)
राइट ऑफ	-	-
अंतिम शेष	335,876.99	2,790.22

(ठ) चरण वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरण

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	
	चरण 1	चरण 2
कुल एक्सपोजर	412,304.47	10,913.58
हानि भत्ता	3,521.81	238.30
ईसीएल%	0.85%	2.18%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

चरण 2		चरण 3		कुल	
सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
36,424.23	369.61	17,159.89	11,565.73	389,461.11	14,725.56
(34,393.77)	353.01	-	-	-	-
2,988.10	83.95	(189.99)	(72.67)	(0.00)	-
-	-	-	-	-	-
-	(673.24)	-	(370.93)	-	(328.40)
6,338.03	118.42	-	-	97,982.95	802.91
(443.01)	(13.45)	(1,526.74)	(51.54)	(48,782.85)	(369.37)
-	-	(551.08)	(551.08)	(551.08)	(551.08)
10,913.58	238.30	14,892.08	10,519.51	438,110.13	14,279.62

(₹ करोड़ में)

चरण 2		चरण 3		कुल	
सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
2,888.05	141.43	18,256.93	11,791.31	380,036.09	13,215.20
(1,396.55)	(139.66)	(635.39)	5.03	-	(0.01)
35,361.06	40.15	-	-	-	-
-	-	1,516.73	214.87	-	-
-	293.79	-	1,517.77	-	3,047.07
3,877.11	40.22	-	-	66,360.97	610.07
(4,305.44)	(6.32)	(54.37)	(39.24)	(55,011.94)	(222.76)
-	-	(1,924.01)	(1,924.01)	(1,924.01)	(1,924.01)
36,424.23	369.61	17,159.89	11,565.73	389,461.11	14,725.56

(₹ करोड़ में)

		31-03-2022 के अनुसार			
चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
14,892.08	438,110.13	335,876.99	36,424.23	17,159.89	389,461.12
10,519.51	14,279.61	2,790.22	369.61	11,565.73	14,725.57
70.64%	3.26%	0.83%	1.01%	67.40%	3.78%



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ड) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह राज्यीय हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	169,432.41	11,694.33	155,202.14	12,298.95
नवीकरणीय ऊर्जा	30,503.46	306.33	13,449.27	225.20
ट्रांस्कोज	48,332.23	251.72	64,879.92	774.38
डिस्कॉम्स	185,085.13	2,008.12	152,115.74	1,411.67
पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,453.29	5.85	-	-
सरकारी ऋण	3,303.61	13.27	3,814.04	15.36
कुल	438,110.13	14,279.62	389,461.11	14,725.56
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	393,244.56	3,276.83	350,584.17	2,684.59
निजी	44,865.57	11,002.79	38,876.94	12,040.97
जोड़	438,110.13	14,279.62	389,461.11	14,725.56

(ढ) क्षेत्रवार क्रेडिट-डंपेयर्ड परिसंपत्तियां – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III परिसंपत्तियों का प्रतिशत

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर	3.42%	4.45%
-विद्युत	3.42%	4.45%

(ण) क्रेडिट-डंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
(i) सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट –डंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)	3.42%	4.45%
(ii) सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट –डंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)	1.01%	1.45%
(iii) निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट –डंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)	1.04%	1.51%
(iv) क्रेडिट –डंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)		
(क) प्रारम्भिक शेष	17,159.89	18,256.93
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	-	1,516.73
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	(1,716.73)	(689.76)
(घ) वर्ष के दौरान राइट ऑफ	(551.08)	(1924.01)
(च) अंतिम शेष	14,892.08	17,159.89
(v) क्रेडिट-डंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)		
(क) प्रारम्भिक शेष	5,594.16	6,465.62
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	370.93	(215.91)
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	(1,592.52)	(655.55)
(घ) वर्ष के दौरान राइट बैक	-	-
(च) अंतिम शेष	4,372.57	5,594.16
(v) क्रेडिट डंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन		
(क) प्रारम्भिक शेष	11,565.73	11,791.31
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(370.93)	1,732.64
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट –बैक	(124.21)	(34.21)
(घ) वर्ष के दौरान असेस्ट्स रिटेन ऑफ पर प्रावधान	(551.08)	(1924.01)
(च) अंतिम शेष	10,519.51	11,565.73



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(त) दिनांक 13.03.2020 को एनबीएफसी द्वारा इंड-एस के कार्यान्वयन पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, ऋण को क्या अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था जैसे आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार माना जाता है, 31 मार्च 2023 को सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 4.77% (पिछले वर्ष 4.45%) और निवल एनपीए से निवल ऋण 2.41 % (पिछले वर्ष 1.51%) रहा था।

(थ) राइट ऑफ नीति

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपाश्चिक पर पहले ही बंद हो तथा समपाश्चिक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

(द) बिजनेस मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने कारोबार को उस चरण पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के कारोबार मॉडल का मूल्यांकन लिखत-दर-लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च चरण पर किया जाता है।

“कंपनी विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का कारोबार मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए “इकट्टा करने के लिए एकत्र” के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ध) 90 दिनों से अधिक के अतिदेय के साथ कोई खाता नहीं है लेकिन ऋण बाधित के रूप में नहीं माना जाता है (पिछले वर्ष शून्य)

(न) परिशोधित लागत कारोबार से बाहर बिक्री के लिए नीति

कंपनी अपने सामान्य कारोबार में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं करती है। हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक फ्रेमवर्क के अनुसार ऋण-बाधित परिसंपत्तियों के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप, ऋण अशोध्य ऋण को या तो आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में पुनर्गठित/पुनर्गठित किया जा सकता है या अन्यथा निपटारा जा सकता है और इंड एस 109-वित्तीय लिखतों की आवश्यकताओं के अनुसार गैर-मान्यता के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

(प) वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 दिनांक 24 सितंबर 2021 के तहत हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों के कोई रिपोर्ट योग्य मामले नहीं हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(फ) आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शर्तों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)			
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि
आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां			
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रदर्शित परिसंपत्तियां			
मानक	चरण 1	403,366.73	404,567.80
	चरण 2	10,908.08	11,016.14
		414,274.81	415,583.94
उप जोड़ (1)			
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियां			
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 3	5,839.39	5,866.14
संदिग्ध परिसंपत्तियां			
1 वर्ष तक	चरण 3	1,512.48	1,512.48
1 से 3 वर्ष	चरण 3	594.27	594.27
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	12,780.46	12,780.46
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप जोड़		14,887.21	14,887.21
हानि परिसंपत्तियां	चरण 2	5.50	5.50
	चरण 3	4.87	4.87
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		20,736.97	20,763.72
कुल ऋण परिसंपत्तियां		435,011.78	436,347.66
अन्य मदें जो इंड-एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं			
-सुविधा पत्र*	चरण 1	3,098.35	3,098.35
उप-जोड़ (3)		3,098.35	3,098.35
	चरण 3	412,304.47	413,532.29
	चरण 2	10,913.58	11,021.64
	चरण 3	14,892.08	14,892.08
जोड़	जोड़	438,110.13	439,446.01

इंडएएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित अनावरण को दर्शाती हैं।

(₹ करोड़ में)			
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि
आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां			
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रदर्शित परिसंपत्तियां			
मानक	चरण 1	331,787.14	332,586.36
	चरण 2	36,424.23	36,888.95
		368,211.37	369,475.31
उप जोड़ (1)			
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियां			
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 3	1,512.49	1,512.49
संदिग्ध परिसंपत्तियां			
1 वर्ष तक	चरण 3	33.28	33.28
1 से 3 वर्ष	चरण 3	4,534.01	4,534.01
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	11,062.89	11,062.89
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उपजोड़		15,630.18	15,630.18
हानि परिसंपत्तियां	चरण 3	17.22	17.22
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		17,159.89	17,159.89
कुल ऋण परिसंपत्तियां		385,371.26	386,635.20
अन्य मदें जो इंड-एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं			
-सुविधा पत्र*	चरण 1	4,089.85	4,089.85
उप-जोड़ (3)		4,089.85	4,089.85
	चरण 1	335,876.99	336,676.21
	चरण 2	36,424.23	36,888.95
	चरण 3	17,159.89	17,159.89
जोड़	जोड़	389,461.11	390,725.05

इंडएएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित अनावरण को दर्शाती हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)			
इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
3,423.13	401,144.67	2,089.93	1,333.20
232.80	10,783.34	43.63	189.17
3,655.93	411,928.01	2,133.56	1,522.37
82.81	5,783.33	583.94	(501.13)
754.15	758.33	350.72	403.43
452.12	142.14	344.21	107.91
9,308.37	3,472.09	9,488.51	(180.14)
10,514.64	4,372.56	10,183.44	331.20
5.50	-	5.50	-
4.87	-	4.87	-
10,607.82	10,155.89	10,777.75	(169.93)
14,263.75	422,083.90	12,911.31	1,352.44
15.87	3,082.48	-	15.87
15.87	3,082.48	-	15.87
3,521.81	410,010.48	2,673.87	847.94
238.30	10,783.34	49.13	189.17
10,519.51	4,372.56	10,188.31	331.20
14,279.62	425,166.38	12,911.31	1,368.31

(₹ करोड़ में)			
इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
2,769.32	329,817.04	1,771.72	997.60
369.61	36,519.34	391.52	(21.91)
3,138.93	366,336.38	2,163.24	975.69
437.16	1,075.33	190.83	246.33
3.33	29.95	7.25	(3.92)
2,981.99	1,552.01	1,952.89	1,029.10
8,126.03	2,936.86	8,108.58	17.45
11,111.35	4,518.82	10,068.72	1,042.63
17.22	-	17.22	-
11,565.73	5,594.15	10,276.77	1,288.96
14,704.66	371,930.53	12,440.01	2,264.65
20.90	4,068.95	-	20.90
20.90	4,068.95	-	20.90
2,790.22	333,885.99	1,771.72	1,018.50
369.61	36,519.34	391.52	(21.91)
11,565.73	5,594.15	10,276.77	1,288.96
14,725.56	375,999.48	12,440.01	2,285.55

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ब) कंपनी द्वारा रिपोर्ट की गई रिपोर्ट की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आरबीआई द्वारा किए गए पिछले वार्षिक निरीक्षण के दौरान मूल्यांकन किए गए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में कोई विचलन नहीं है (वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शून्य)

51.1.4 ट्रेड प्राप्‍य के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

ईसीएल पद्धति के तहत सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आरईसी की अनुषंगी कंपनियों में से एक, आरईसीपीडीसीएल के कारोबार प्राप्ति्यों के संबंध में इकाई आजीवन क्रेडिट हानि प्रदान करती है।

(₹ राशि करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 वर्ष – 2 वर्ष	2 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2023 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	127.15	21.32	16.31	56.35	221.13
प्रत्याशित हानि दरें	20.19%	62.85%	89.94%	99.31%	49.61%
प्रत्याशित क्रेडिट हानि (प्रावधान)	25.67	13.40	14.67	55.96	109.70
धारित राशि (इंफेयरमेंट का निवल)	101.48	7.92	1.64	0.39	111.43
31 मार्च 2022 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	88.93	19.35	14.56	54.43	177.27
प्रत्याशित हानि दरें	14.03%	6.82%	99.52%	100.00%	46.66%
प्रत्याशित क्रेडिट हानि (प्रावधान)	12.48	1.32	14.49	54.43	82.72
धारित राशि (इंफेयरमेंट का निवल)	76.45	18.03	0.07	-	94.55

51.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपना को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरंतर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में तैयार रूप से बदले जा सकते हैं।

51.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

वित्तीय देनदारियों की मदों के लिए नकदी प्रवाह (भविष्य में बिना छूट वाले नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

[illegible]

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

मार्च 2023 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
-मूलधन	-	-	-	4,110.85	-	-	5,755.18	9,454.94	13,565.81	-	32,886.78
-ब्याज	-	-	-	252.00	72.00	310.00	536.00	1,116.00	580.00	-	2,866.00
अन्य उधारियां											
-मूलधन	-	-	-	3,074.91	3,588.54	2,693.64	12,341.08	7,473.44	27,958.11	3,847.77	60,977.48
-ब्याज	17.00	21.00	61.00	106.00	503.00	571.00	1,138.00	3,441.00	2,072.00	658.00	8,588.00
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-	0.60	50.07	71.98	178.16	300.81
मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	60.38	-	-	83.52	-	143.90
रिवर्स क्रॉस मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-	-	104.61	-	427.63	532.24

(₹ करोड़ में)

[illegible]

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बाॅण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियाचित्त की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बाकेट, संबंधित व्युत्पन्न उपस्कर के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटहीन नकद प्रवाहों (मूलधन तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:
(₹ करोड़ में)

विवरण	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2023 के अनुसार											
- मूल	822.91	-	1,707.32	3,878.16	5,350.60	22,097.85	30,180.20	81,757.04	85,313.12	189,640.84	420,748.04
- ब्याज	1,137.01	-	926.30	2,106.65	6,071.24	10,044.89	18,662.94	63,776.14	47,148.86	76,238.57	226,112.62
31 मार्च 2022 के अनुसार											
-मूलधन	158.66	-	2,077.03	2,142.80	4,800.08	8,892.93	19,691.55	74,970.39	74,346.88	183,586.28	370,666.60
- ब्याज	611.62	-	892.06	1,559.14	6,094.78	9,076.43	17,252.35	59,983.17	44,663.39	71,842.69	211,975.63

बावजूद 5 वर्ष चरण III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

51.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

												(₹ करोड़ में)
31 मार्च 2023 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल	
ऋण परिसंपत्तियां	822.91	-	1,707.32	3,878.16	6,686.47		22,097.85	30,180.20	81,757.04	85,313.12	189,640.84	422,083.91
निवेश			-	-	4.73	4.73	41.86	157.38	259.03	2,702.28	3,170.00	
रुपे उधारियां												
ऋण प्रतिभूतियां	261.99	4,667.81	3,315.50	831.94	3,488.89	4,136.02	12,997.04	55,891.49	39,037.43	79,583.68	204,211.80	
अन्य उधारियां	4,620.32	-	-	-	3,703.42	666.56	9,451.45	11,820.15	16,672.28	29,488.81	76,422.98	
अधीनस्थ देयताएं	2.11	-	-	2,668.34	126.46	-	-	-	-	3,976.40	6,773.30	
विदेशी मुद्रा उधारियां												
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	4,297.43	43.56	96.67	5,742.53	9,438.34	13,072.00	-	32,690.54	
अन्य उधारियां	129.70	-	2.53	3,106.25	3,658.67	2,688.69	12,311.25	7,409.95	27,542.82	3,841.28	60,691.15	

												(₹ करोड़ में)
31 मार्च 2022 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल	
ऋण परिसंपत्तियां	158.66	-	2,077.03	2,142.80	6,181.63	8,892.93	19,691.55	74,970.39	74,346.88	183,468.67	371,930.54	
निवेश		-	0.31	-	2.81	2.82	56.17	80.05	180.59	1,867.69	2,190.44	
रुपे उधारियां												
ऋण प्रतिभूतियां	19.34	367.83	330.52	993.71	7,777.02	4,636.58	15,210.81	53,696.32	39,118.89	67,396.43	189,547.46	
अन्य उधारियां	6.56	-	200.55	1,150.00	1,000.00	2,149.40	5,165.59	17,836.77	15,155.52	18,796.19	61,460.59	
अधीनस्थ देयताएं	-	-	-	168.38	126.46	-	2.11	2,499.73	-	4,019.79	6,816.47	
विदेशी मुद्रा उधारियां												
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	172.81	40.17	89.14	-	17,755.78	6,805.78	5,163.48	30,027.15	
अन्य उधारियां	5.62	2.42	4.43	2,747.65	2,910.57	2,680.96	4,506.16	8,499.93	20,837.27	2,995.98	45,191.00	

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.2.3 वित्तपोषण उपाय

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित आहरित ऋण सुविधाओं तक अभिगम थी:

			(₹ करोड़ में)
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	
एक वर्ष के भीतर की समाप्त हो रही अवधि			
- स्थाई दर			
- अस्थायी दर	13,364.88	8,803.05	
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि			
- स्थाई दर	-	-	
- अस्थायी दर	1,393.58	1,245.90	

51.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पावधि निवेश को बनाए रखती है जो नकदी में आसानी से परिवर्तनीय और पर्याप्त उधार योजनाएं हैं।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण (उधारियां)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	14	15
राशि (₹ करोड़ में)	178,043.46	155,352.32
कुल देयताओं का %	43.70%	43.21%

(ii) शीर्ष 10 उधारियां

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
31-03-2023 के अनुसार		
1. एचडीएफसी बैंक से आवधिक ऋण	16,350.00	4.36%
2. भारतीय स्टेट बैंक से आवधिक ऋण	10,900.26	2.91%
3. 54ईसी-सीरीज XVI (2022-23)	10,432.55	2.79%
4. भारत सरकार से मीयादी ऋण-राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ)	10,000.00	2.67%
5. विदेशी मुद्रा उधार-यूएस \$ 1175 मिलियन	9,660.49	2.58%
6. 54ईसी- श्रृंखला XV (2021-22)	7,312.80	1.95%
7. 54ईसी- श्रृंखला XII (2018-19)	6,651.31	1.78%
8. 54ईसी- श्रृंखला XIII (2019-20)	6,157.82	1.64%
9. कर मुक्त बॉण्ड (2013-14 श्रृंखला)	5,968.00	1.59%
10. विदेशी मुद्रा बॉण्ड- यूएस \$ 700 मिलियन	5,755.18	1.54%
जोड़	89,188.41	23.81%
31-03-2022 के अनुसार		
1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवधिक ऋण	12,729.30	3.90%
2. एचडीएफसी बैंक से आवधिक ऋण	12,000.00	3.67%
3. भारत सरकार-नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	3.06%
4. विदेशी मुद्रा बॉण्ड - यूएस \$1175 मिलियन बॉण्ड	8,907.33	2.73%
5. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से आवधिक ऋण	6,800.00	2.08%
6. 54 ईसी -श्रृंखला XII (2018-19)	6,651.77	2.04%
7. 54 ईसी - श्रृंखला XIII (2019-20)	6,157.72	1.88%
8. 54 ईसी -श्रृंखला XV (2021-22)	6,024.57	1.84%
9. टैक्स फ्री बॉण्ड (2013-14 श्रृंखला)	5,968.00	1.83%
10. 54 ईसी - श्रृंखला XIV (2020-21)	5,312.07	1.63%
जोड़	80,550.76	24.65%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) महत्वपूर्ण लिखतों / उत्पादों के आधार पर वित्तीयसंकेंद्रण

महत्वपूर्ण लिखतों / उत्पादों के नाम *	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1 ऋण प्रतिभूतियां				
संस्थागत बॉण्ड	150,217.70	36.87%	146,029.60	40.61%
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	32,886.78	8.07%	30,322.85	8.43%
54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एक्जंपशन बॉण्ड	37,586.91	9.23%	25,437.67	7.07%
टैक्स फ्री बॉण्ड	10,261.64	2.52%	11,763.30	3.27%
उप- जोड़ (1)	230,953.03	56.69%	213,553.42	59.40%
2 उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
बैंकों से आवधिक ऋण	56,298.20	13.82%	42,878.32	11.93%
विदेशी मुद्रा उधारियां	45,553.26	11.18%	35,634.60	9.91%
एफसीएनआर (ख) ऋण	15,424.22	3.79%	9,854.92	2.74%
भारत सरकार से आवधिक ऋण (एनएसएसएफ)	10,000.00	2.45%	10,000.00	2.78%
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	6,000.00	1.47%	6,800.00	1.89%
उप- जोड़ (2)	133,275.68	32.72%	105,167.84	29.25%
3 अधीनस्थ देयताएँ	6,650.70	1.63%	6,650.70	1.85%
जोड़ (1+2+3)	370,879.41	91.04%	325,371.96	90.50%

*महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष / महत्वपूर्ण लिखत / उत्पाद को कंपनी के कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष / एकल लिखत / उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(iv) स्टॉक अनुपात

विवरण	31-03-2023 के अनुसार				31-03-2022 के अनुसार			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	20,517.95	5.48%	5.04%	4.41%	13,027.82	3.99%	3.62%	3.17%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(v) परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 नवंबर, 2019 के परिसमापन ढांचे द्वारा 01 दिसंबर, 2020 से ₹ 10,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली जमा न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखे जाना निर्धारित किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली परिसमाप्त परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जिसे काफी गंभीर परिसमापन दबाव के परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस के क्षितिज के लिए अपनी परिसमापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है:

उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों का स्टॉक

अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह,

जहां,

- (i) कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।
- (ii) उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का अर्थ ऐसी परिसमापन परिसंपत्तियां हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा तत्काल बहुत कम अथवा बिना हानि के मूल्य पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा दबाव परिदृश्यों की एक श्रृंखला में धनराशि प्राप्त करने के लिए संपाश्विक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी है, जिसमें न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होना चाहिए, जो 1 दिसंबर, 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक चरण तक पहुंच जाना चाहिए।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक)/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और एएए/एए कॉर्पोरेट बॉन्ड के रूप में भारतीय रुपया में रखा जाता है और बैंकों में मांग जमाराशियों के रूप में रखा जाता है। प्रबंधन का विचार है कि कंपनी के पास अपनी संभावित अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि कवर है।

एचक्यूएलए का गठन:

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, सरकारी प्रतिभूतियां एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है जिसके बाद एएए/एए कॉर्पोरेट बॉण्ड और ऑटो स्वेप बैलेंस आते हैं। 31 मार्च, 2023 को एचक्यूएलए धारण की स्थिति निम्नलिखित है:

एचक्यूएलए मर्दे	समग्र का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	74%
- नकदी एवं नकदी समतुल्य	3%
- जी-सेक और एसडीएल	71%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	26%
- कारपोरेट बॉण्ड	26%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	-
जोड़	100%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

से जुड़े डेरिवेटिव एक्सपोजर और हेज लेखांकन की सांकेतिक राशि ₹4,110.85 करोड़ (यूएस \$0.500 बिलियन) है [पिछले वर्ष ₹3,790.36 करोड़ (यूएस \$0.500 बिलियन)]

(ii) वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के अनुसरण में, एलआईबीओआर को वैकल्पिक जोखिम-रहितक दरों (आरएफआर) से प्रतिस्थापित दिया जाएगा। एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) को यूएसडी एलआईबीओआर के लिए प्रतिस्थापित किया होगा, जबकि टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), जेपीवाई एलआईबीओआर को प्रतिस्थापित करेगा। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वेप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), जो वैश्विक व्युत्पन्न सौदों को अभिशासित करने वाला वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त वैधानिक एंटीटी है, सभी लीगेसी संविदाओं को नए बेंचमार्क में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल (आमतौर पर फॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) लाया है। कंपनी ने फॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया है जिसके तहत सभी प्रतिपक्षों के साथ मौजूदा व्युत्पन्न कारोबारों पर विभिन्न एलआईबीओआर बेंचमार्क के लिए फॉलबैक स्वचालित रूप से लागू हो जाएगा।

सावधि ऋणों के संबंध में, आरईसी प्रारंभिक चरण में परिवर्तन प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऋणदाताओं के साथ सक्रिय संपर्क में रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, अमेरिकी डॉलर 3,275 मिलियन (31 मार्च 2023 को भारतीय रुपया के समतुल्य ₹ 26,926.04 करोड़) के 10 अमेरिकी डॉलर के ऋणों के लिए उधारदाता बेंचमार्क को अमेरिकी डॉलर लाइबोर से ओवरनाइट एसओएफआर/मीयादी एसओएफआर में अंतरित करने के लिए सहमत हो गए हैं। पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने दो जेपीवाई ऋणों के लिए ₹ 20,846.12 बिलियन (31 मार्च, 2022 तक आईएनआर समतुल्य ₹ 1,297.25 करोड़) राशि के ट्रांजीशन दस्तावेजीकरण का कार्य पूरा किया है जिसमें बेंचमार्क जेपीवाई लाइबोर से बदलकर टीओएनए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के दौरान एक एसजीडी ऋण के लिए 72.08 मिलियन एसजीडी (31 मार्च 2022 को आईएनआर समतुल्य ₹403.21 करोड़) के सक्रिय अंतरण का कार्य भी पूरा किया गया है जिसमें बेंचमार्क 6 एम एसओआर (सिंगापुर स्वेप ऑफर रेट) से बदलकर एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज) कर दिया गया है।

(iii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रभावित एक्सपोजर के लिए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान

इंड एसए 109 में ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रत्यक्षतः प्रभावित सभी हेजिंग संबंधों के लिए अस्थायी अपवाद का प्रावधान है। जबकि अंतर्निहित ऋण के लिए बेंचमार्क पर अभी तक ऋणदाताओं के साथ सहमति नहीं बनी है, यह कल्पना की गई है कि अंतर्निहित ऋण की वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप के रूप में डेरिवेटिव संविदा और हेज प्रभावशीलता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन का प्रभाव

		(₹ करोड़ में)		
31 मार्च 2023 के अनुसार	कल्पित मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों के धारित राशि		
हेज़ एवं जोखिम के प्रकार		परिसंपत्तियां	देयताएं	
नकदी प्रवाह हेज़				
विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम				
(i) विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं				
- सिंगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 8,387	6,970.98	2.25	
	इयूआर 673.79	403.91	-	
	एसजीडी 285.29	32.00	83.52	
	जापानी 58,352.74	572.12	-	
- कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	208.14	-	
(ii) क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वेप	एसजीडी 800	85.92	-	
	जापानी येन 10,327.12	-	0.60	
(iii) केवल मूल स्वेप्स	यूएसडी 375	38.85	-	
(iv) ब्याज दर स्वेप	यूएसडी 1992	251.77	10.87	

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.6 हेज़ एकाउंटिंग (लेखांकन)

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज मद के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है:

- (i) क्रॉस करेंसी स्वेप और ब्याज दर स्वेप के लिए, जो कि हेज्ड आइटम की शर्तों से पूरी तरह मेल खाता है, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण टर्म मिलान विधि का उपयोग करते हुए गुणात्मक कारकों पर आधारित है।
- (ii) अन्य ब्याज दर स्वेप (देर से पदनामित किए जाने के मामलों में) के लिए कंपनी एक काल्पनिक व्युत्पन्न (व्युत्पन्न) का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की हेज किए गए जोखिम के कारण हेज किए गए मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ तुलना करना शामिल होता है।
- (iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज की गई मदों के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखत के अन्तर्निहित जोखिम और आकस्मिक मात्रा समान है।

हेज लेखांकन का प्रभाव

		(₹ करोड़ में)			
पूर्ण तिथि	हेज़ अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन	
मई 2023 – नवंबर 2030	1:1	77.03	1,594.19	(1,594.19)	
दिसंबर 2023- मार्च 2028	1:1	1.03	210.89	(210.89)	
मार्च 2025- अक्टूबर- 2027	1:1	0.36	(65.66)	65.66	
अगस्त 2023 - मार्च 2027	1:1	0.61	(52.15)	52.15	
मार्च 2024	1:1	57.52	58.14	(58.14)	
मई 2023 - मार्च 2025	1:1	3.52% और 72.79	98.24	(98.24)	
अगस्त 2023	1:1	4.31% और 0.62	(0.33)	0.33	
मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(35.15)	35.15	
मई 2023 - नवंबर 2030	1:1	0.98%	189.27	(189.27)	

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

₹ 167.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 111.92 करोड़) के ब्याज दर स्वेप के उचित मूल्य में हानि को संबंधित अधीनस्थ देनदारियों और ऋण प्रतिभूतियों पर समान लाभ के साथ ऑफसेट किया गया है।

51.7 बाजार जोखिम – कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों और निवेशों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के इक्विटी निवेश प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) को पर प्रभाव दर्शाती है: (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)पर प्रभाव	3.36	(3.36)	2.68	(2.68)
लाभ एवं हानि लेखा (पीएल) पर प्रभाव	1.37	(1.37)	2.48	(2.48)

52 व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

52.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वेप

विवरण		31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(i) स्वेप अनुबंधों का कल्पित मूल		46,278.27	33,239.41
(ii) हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी		718.55	563.77
(iii) स्वेप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक		शून्य	शून्य
(iv) स्वेपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण		कृपया निम्न का संदर्भ लें	कृपया निम्न का संदर्भ लें
(v) स्वेप बही का उचित मूल्य		417.73	390.25
* आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणी-1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वेप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वेप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।			

52.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों को नहीं किया है।

52.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**		अन्य व्युत्पन्न (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वेप)***	
	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
(i) हेजिंग के लिए व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
मार्केट टु मार्केट स्थितियां	85,501.02	59,472.85	46,278.27	33,239.41	4,947.00	4,747.00
(ii) परिसंपत्ति (+)						
क) देयता (-)	8,263.06	4,946.40	718.55	563.77	-	-
ख) क्रेडिट एक्सपोज़र	146.02	48.37	300.82	173.52	530.11	331.25
(iii) अनहेज्ड एक्सपोजर	6,250.55	5,131.08	608.40	490.82	692.05	662.05
(iv) अनहेज़्ड एक्सपोज़र	8,363.24	16,339.53	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वेप और कॉल स्प्रेड एवं सिंगुल ऑप्शन शामिल हैं।

**इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल है।

***इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वेप शामिल हैं।

53 एनबीएफसी के लिए आरबीआई स्केल आधारित फ्रेमवर्क (एसबीआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और अनुमानित जोखिम के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत करते हुए 01 अक्टूबर 2022 से एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित फ्रेमवर्क (एसबीआर) की शुरुआत की है। कंपनी, सरकारी स्वामित्व वाली होने के कारण, एनबीएफसी-मध्यम स्तर के रूप में वर्गीकृत की गई है और उपर्युक्त फ्रेमवर्क में उल्लिखित दिशानिर्देशों/विनियमन के अधीन है।

54 एक्सपोजर संबंधी प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 17 सितंबर, 2010 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सी. सी. नं. 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आर. ई. सी. को इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। एक आईएफसी के रूप में, किसी एक उधारकर्ता के मामले में उधार देने और निवेश करने के लिए कुल अनुमत एक्सपोजर टियर-1 पूंजी का क्रमशः 30% और उधारकर्ताओं के एक समूह के मामले में 50% है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा कंपनी को 31-03-2022 तक अपने ऋण संकेन्द्रण और एक्सपोजर मानदंडों से छूट प्रदान करना जारी रहा। वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त मानदंडों के अनुपालन के बारे में सूचित किया है। इस संबंध में कंपनी ने वर्ष के अंत में आवश्यक कदम उठाए हैं, जैसे कि कुछ उधारकर्ताओं के एक्सपोजर को पुनः निर्धारित करना, स्थायी बॉण्ड जारी करना आदि। परिणामस्वरूप, आज की तारीख पर इसके उधारकर्ताओं को बकाया ऋण संबंधी एक्सपोजर निर्धारित मानदंडों के तहत है। कंपनी की प्रतिक्रिया और उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 मई 2023 के पत्र के माध्यम से कंपनी को स्थायी कारोबार संबंधी मानदंडों का पालन करने की सलाह दी है।

54.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

31 मार्च, 2023 को कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष एक्सपोजर नहीं है (31 मार्च, 2022 को शून्य)।

54.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

विवरण		31-03-2023 के अनुसार	के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही निवेश नहीं किया जाता है (इसमें वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश शामिल है)	534.10		450.33	
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्यूच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों /बॉण्डों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-		-	
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्यूच्युअल फंड की यूनितों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-		-	
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्यूच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्यूच्युअल फंड की यूनितों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, अग्रिमों को पूर्णतया कवर नहीं करती हैं;	-		-	
(v)	स्टॉक ब्रोकर्स को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की तरफ से जारी गारंटियां;	-		-	
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-		-	
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-		-	
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में एनबीएफसी द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	-		-	
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण	-		-	
(x)	वैकल्पिक निवेश कोष में समस्त एक्सपोज़र	-		-	
पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोज़र		534.10		450.33	

54.3 क्षेत्रीय एक्सपोजर

क्षेत्रीय	31-03-2023 के अनुसार					31-03-2022 के अनुसार				
	मूल बकाया (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफ़ॉल्ट पर कुल एक्सपोज़र (ईएडी)	सकल एनपीएएस	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत	मूल बकाया (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफ़ॉल्ट पर कुल एक्सपोज़र (ईएडी)	सकल एनपीएएस	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत
उद्योग										
इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को उधार देना										
- पावर	438,110.13	1,497.05	439,607.18	14,892.08	3.39%	389,461.11	1,381.55	390,842.66	17,159.89	4.39%
कुल एक्सपोज़र	438,110.13	1,497.05	439,607.18	14,892.08	3.39%	389,461.11	1,381.55	390,842.66	17,159.89	4.39%

उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से किया गया एक्सपोजर मूल बकाया, उपचित ब्याज और बकाया चुकोती आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है।



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

54.3 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तपोषण नहीं है।

54.4 **अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट –इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण**

(₹ करोड़ में)			
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	
(i) अग्रिमों का संकेंद्रण			
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	267,729.20	239,602.97	
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	61.55%	62.17%	
(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण*			
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	268,700.56	240,580.38	
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	61.12%	61.55%	
(iii) क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण			
शीर्ष चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	8,645.97	8,645.97	

** उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से एक्सपोजर मूल बकाया, उपचित ब्याज और बकाया चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है।*

55 उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य और श्रेणी द्वारा उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय लिखतों की लागत निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)			
विवरण	टिप्पणी सं.	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय लिखत			
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	9	8,574.02	5,079.87
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	9	407.59	430.30
पर मापित निवेश*			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	11	381.71	268.26
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	11	589.65	182.07
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
नकदी एवं नकदी समतुल्य	6	48.70	140.99
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	7	2,346.91	2,518.96
ट्रेड प्राप्त्य	8	113.00	94.55
ऋण परिसंपत्तियां	10	422,083.91	371,930.54
निवेश	11	2,198.64	1,740.10
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	24,422.54	24,415.31
जोड़		461,166.67	406,800.95
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय लिखत			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	9	386.58	205.64
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	9	590.37	347.50
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
ट्रेड प्राप्त्य	18	41.68	36.48
ऋण प्रतिभूतियाँ	19	236,902.33	219,574.61
उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	20	137,114.13	106,651.59
अधीनस्थ देयताएं	21	6,773.30	6,816.47
अन्य वित्तीय देयताएं	22	25,345.11	25,708.73
जोड़		407,153.50	359,341.02



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं (चरण-1 मापने) के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट (चरण-3 मापने) को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान लिखतों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण-1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार इनपुट

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)								
विवरण	31-03-2023 के अनुसार				31-03-2022 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश *	67.23	-	314.48	381.71	53.52	-	214.74	268.26
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	27.31	-	-	27.31	49.52	-	-	49.52
मियादी बॉण्ड	-	-	437.26	437.26	-	-	-	-
डिबेंचर	-	-	125.08	125.08	-	-	132.55	132.55
अधिमान शेयर**	-	-	-	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	8,574.02	-	8,574.02	-	5,079.87	-	5,079.87
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	407.59	-	407.59	-	430.30	-	430.30
एफवीओसीआई पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	386.58	-	386.58	-	205.64	-	205.64
एफवीटीपीएल पर देयताएं								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	590.37	-	590.37	-	347.50	-	347.50

**इसमें यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड में ₹ 16.00 करोड़ के निवेश, उचित मूल्य शून्य पर किए गए निवेश शामिल हैं।*

*** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के ₹ 43.30 करोड़ के 'रीडेमेबल प्रीफरेंस शेयरों' में निवेश को दर्शाता है, जिसका उचित मूल्य शून्य है।*

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

(क) उद्धृत इक्विटी निवेशों में निवेश – चरण 1 – सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।

(ख) व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों– चरण 2 – बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के लिए उचित मूल्य के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया है जो अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंधित है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना बाजार में दिखाई देने वाले आदानों (इनपुट्स) के जरिए की जाती है, जिसमें वायदा निविमय दरें, संविदा की परिपक्वता अवधि के हिसाब से ब्याज दरें और अन्तर्निहित उतार-चढ़ाव शामिल हैं।

(ग) मियादी बॉण्ड में निवेश – चरण 3 – कंपनी ने केनरा बैंक और यूको बैंक के स्थायी बॉण्डों में निवेश किया है, जो एनएसई/बीएसई पर उद्धृत है। कंपनी ने इन बॉण्डों के लिए सक्रिय बाजार लेनदेन की जांच की थी। हालांकि, कंपनी द्वारा धारित इन बॉण्डों में किसी भी बाजार गतिविधि का कोई इतिहास नहीं है, और इसलिए, ऐसे



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

बाण्डों के लिए उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं था। कंपनी ने निवेशक बैंकों की क्रेडिट रेटिंग में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की जांच की थी, और यदि कोई परिवर्तन नोट नहीं किया जाता है, तो, रियायती नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना के लिए कूपन दर पर विचार किया जाता है।

- (घ) **यूनिवर्सल क्मोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) की अनुधृत इक्विटी में निवेश - स्तर 3 - चरण 3 - यूसीएक्स के गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।** कंपनी द्वारा विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर लिया गया है। 2014 में यूसीएक्स को बंद कर दिया गया था, जिससे कार्यशील संस्था के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो गया।
- (ङ) **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की अनुधृत इक्विटी में निवेश-स्तर 3-ईईएसएल के अनकोट इक्विटी शेयरों में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।** ईईएसएल 01 सितंबर 2021 से एक संयुक्त उद्यम (जेवी) नहीं रहेगा। उचित मूल्य की गणना निवेशक कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण में उल्लिखित निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर की गई है।
- (च) **झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल) और इंड भारत एनर्जी उत्कल लिमिटेड (आईबीईयूएल) की अनकोट इक्विटी में निवेश-स्तर 3-जेपीएल और आईबीईयूएल के अनकोट इक्विटी शेयरों में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।** कंपनी को संबंधित समाधान योजनाओं के अनुसार उधारकर्ता कंपनियों के इक्विटी शेयर आबंटित किए गए हैं। उनके संबंधित उचित मूल्य की गणना इन निवेशक कंपनियों के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों में उल्लिखित निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर की गई है।
- (छ) **अनुद्धृत अधिमान शेयरों में निवेश - स्तर 3 - रतन इंडिया पावर लिमिटेड के उद्धृत न किए गए वैकल्पिक परिवर्तनीय संचयी छुड़ाने योग्य अधिमान शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में निवेश।** (आरआईपीएल) को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित एकबारगी निपटान व्यवस्था के अनुसार कंपनी को उधारकर्ता कंपनी का ओसीसीआरपीएस आवंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य माना गया है क्योंकि ऐसे लिखतों में भविष्य में नकदी प्रवाह अनिश्चित है। भावी नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में कोई भी परिवर्तन निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।
- (ज) **एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश-स्तर 3 - एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गैर उद्धृत वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे कंपनी को उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के बाद आबंटित किया गया है।** उचित मूल्य को उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर पर भावी नकदी प्रवाह को भुनाकर वर्तमान मूल्य तकनीक से निकाला गया है। भावी नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में कोई भी परिवर्तन निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।
- (झ) **आर. के. एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश-स्तर 3 - आर. के. एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड के उद्धृत न किए गए वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे कंपनी को उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर आबंटित किया गया है।** उचित मूल्य को शून्य माना गया है क्योंकि इस प्रकार के डिबेंचर प्रकृति में टिकाऊ नहीं हैं और भविष्य में नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भावी नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में कोई भी परिवर्तन निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

55.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय लिखते के उचित मूल्य का पुनर्समाधान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का पुनर्समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए					कुल
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई		
	मियादी बॉण्ड में निवेश	अधिमान शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	अनुधृत इक्विटी शेयर में निवेश	अनुधृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	-	-	132.55		214.74	347.29
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)	-	-	-		182.36	182.36
निवेश / समायोजन	428.00	-	(26.66)		-	401.34
चरण 3 में अंतरण	-	-	-		-	-
चरण 3 से अंतरण	-	-	-		-	-
आय पर ब्याज (i)	9.26	3.24	19.19		-	31.69
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(3.24)	-		(82.62)	(85.86)
अंतिम शेष	437.26	-	125.08		314.48	876.82
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ(हानि)	9.26	-	11.46		(98.62)	(77.90)



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए					कुल
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई		
	मियादी बॉण्ड में निवेश	अधिमान शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	अनुधृत इक्विटी शेयर में निवेश	अनुधृत डेब्टी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	-	42.99	143.06	-	-	186.05
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)	-	-	-	-	-	-
निवेश / समायोजन	-	-	(41.95)	-	-	(41.95)
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	218.10	218.10
आय पर ब्याज (I)	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन	-	6.02	21.13	-	-	27.15
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(49.01)	10.31	-	(3.36)	(42.06)
अंतिम शेष	-	-	132.55	-	214.74	347.29
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	-	(32.42)	12.49	-	(19.36)	(39.29)

वर्ष के दौरान गैर-मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 11.4 देखें।

* रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 'रीडेमेबल प्रीफर्नेस शेयरों' में ₹ 43.30 करोड़ के निवेश को दर्शाता है, जिसका उचित मूल्य शून्य है।

(i) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'ब्याज आय' का हिस्सा है।

(ii) एफवीटीपीएल में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)' का हिस्सा है।

(iii) एफवीओसीआई में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट में लाइन मद 'एफवीओसीआई इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्त' का हिस्सा है।

55.3 वर्ष के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ

55.4 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य

परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और श्रेणी के अनुसार उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों की वहन लागत इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकदी एवं नकदी समतुल्य	48.70	48.70	140.99	140.99
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	2,346.91	2,346.91	2,518.96	2,518.96
ट्रेड प्राप्त्य	113.00	113.00	94.55	94.55
ऋण	422,083.91	421,931.84	371,930.54	372,175.00
निवेश	2,198.64	2,209.90	1,740.10	1,778.29
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,422.54	24,420.13	24,415.31	24,415.16
जोड़	451,213.70	451,070.48	400,840.45	401,122.95
वित्तीय देयताएं				
ट्रेड प्रतिदेय	41.68	41.68	36.48	36.48
ऋण प्रतिभूतियां	236,902.33	230,559.20	219,574.61	221,167.25
उधारियां(ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	137,114.13	137,862.23	106,651.59	107,306.18
अधीनस्थ देयताएं	6,773.30	6,963.79	6,816.47	7,131.25
अन्य वित्तीय देयताएं	25,345.11	25,345.13	25,708.73	25,708.73
जोड़	406,176.55	400,772.04	358,787.88	361,349.88



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- आरईसी उपदान निधि

आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास

आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास
- (5)

सीएसआर पहल करने के लिए पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन
- (6)

वे कंपनियाँ जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

समर्पण अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड

नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (15 जुलाई 2022 से संबंधित पक्षकार)

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (संबंधित पार्टी 28 जुलाई 2022 से बंद है)

एनटीपीसी लिमिटेड (14 सितंबर 2022 से संबंधित पक्षकार)

जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (18 जनवरी 2023 से संबंधित पक्षकार)
- (7)

मुख्य धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते हैं:
- (क)

धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री रविंद्र सिंह ढिल्लों

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा

श्री राजीव रंजन झा

श्री मनोज शर्मा

श्री विशाल कपूर

श्री अजय तिवारी

श्री राम चंद्र मिश्रा

सलाहकार भास्कर भट्टाचार्य

श्रीमती उषा संजीव नायर

श्री प्रसन्ना तांत्री

श्री मनोहर बलवानी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक (वित्त)

निदेशक (परियोजनाएं)

निदेशक (वाणिज्यिक) (29 अगस्त, 2022 से)

सरकार द्वारा नामित निदेशक (08 जून, 2022 तक समाप्त)

सरकार द्वारा नामित निदेशक (09 जून, 2022 से)

अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (11 जुलाई, 2022 तक समाप्त)

अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

कंपनी सचिव
- (ख)

मुख्य धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

पीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड (पूर्व में कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड)

अनुषंगी 30 जून 2022 से प्रभावी
- (ग)

मुख्य धारक कंपनी की मुख्य अनुषंगी कंपनियां

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड

झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड

देवघर इंफ्रा लिमिटेड

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

चेयूर इंफ्रा लिमिटेड

अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड

छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड

सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.04.2022 को निगमित)

फ़तेहगढ़ III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (05.05.2022 को निगमित)

ब्यावर दोसा ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.05.2022 को निगमित)

फ़तेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.05.2022 को निगमित)

भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.05.2022 को निगमित)

फ़तेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2022 को निगमित)



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- खंडूखल रामपूरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.05.2022 को निगमित और 07.10.2022 को अंतरित)

धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2022 को निगमित और 28.03.2023 को अंतरित)

रायपुर पूल धमतारी ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2022 को निगमित और 28.03.2023 को अंतरित)

खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (11.05.2022 को अंतरित)

मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड (30.05.2022 को अंतरित)

किस्तवार ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.12.2022 को अंतरित)

भडला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (28.03.2023 को अंतरित)

तटीय आंध्र मेगा पावर लिमिटेड (27.09.2022 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दिया गया)

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (29.09.2022 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दिया गया)

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (11.01.2023 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दिया गया)

शाँगटोंग करचाम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.01.2023 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दिया गया)

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (13.01.2023 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दिया गया)

बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया में)
- (घ)

मुख्य धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना

पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास

पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007

पीएफसी लिमिटेड अधिवर्षिता चिकित्सा निधि
- (ङ)

अन्य कंपनियां जिनमें मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

पीटीसी इंडिया लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (29 सितंबर 2022 से संबंधित पक्षकार)

एसजेवीएन लिमिटेड (01 दिसंबर 2022 से संबंधित पक्षकार)
- 57.2

संबंधित पक्षकारों से / को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3.54	-
संबद्ध कंपनी		
संबद्ध कंपनी से ऋण	13.39	12.83
प्रतिदेय	0.02	0.01
नियोजन पश्चात हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियां	3.70	8.70
अन्य वित्तीय देयताएं-भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
प्रावधान	2.68	1.05
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	15.11	-
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियां	1.80	1.90
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.05	0.16
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.22	0.18
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी – पीएफसी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.17	0.17
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर -वित्तीय परिसंपत्तियां	-	1.20
जिन कंपनियों में केएमपी/केएमपी-पीएफसी निदेशक हैं		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के इक्विटी शेयरों में निवेश (उचित मूल्य पर धारित)	140.43	214.74
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां-एनटीपीसी लिमिटेड	5.24	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां -एसजेवीएन लिमिटेड	0.36	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

57.3 वर्ष के दौरान बकाया ऋण/अग्रिम/निवेश की अधिकतम राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
नियोजन पश्चात हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियां	8.70	8.70
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियां	1.90	4.10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.16	0.16
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.39	0.35
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी – पीएफसी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.17	0.17
जिन कंपनियों में केएमपी/केएमपी-पीएफसी निदेशक हैं		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के इक्विटी शेयरों में निवेश	175.27	247.23

57.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
प्रदत्त लाभांश	1,642.40	1,269.22
निदेशक के बैठक का शुल्क	-	0.08
सरकारी खजाने में हुए व्यय की वसूली कार्यक्रम	3.54	-
पीएफसी से मांग पर चुकौती योग्य ऋण पर वित्त लागत	-	14.47
नियोजन हितलाभ योजना न्यास / निधि		
कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	31.25	18.28
कंपनी के बॉण्डों का विमोचन	5.00	-
वित्तीय लागत – प्रदत्त ब्याज	3.28	3.28
मुख्य धारक कंपनी के नियोजन पश्चात हितलाभ न्यास / निधि		
कंपनी के बॉण्डों का विमोचन	0.10	2.20
वित्तीय लागत- प्रदत्त ब्याज	0.16	0.38
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
कार्मिक ऋण एवं अग्रिम की चुकौती / वसूली	0.12	0.10
ऋण प्रतिभूतियों के पुनर्भुगतान / वसूली	0.10	-
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	0.03	0.04
वित्तीय लागत- प्रदत्त ब्याज	0.06	0.07
कर्मचारी लाभ व्यय-प्रबंधकीय पारिश्रमिक	2.84	3.05
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.38	0.12
मुख्य धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी – पीएफसी)		
वित्तीय लागत	0.01	0.01
आरईसी फाउंडेशन		
निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) खर्चों का भुगतान	151.95	112.00
वे कंपनियाँ जिनमें केएमपी / केएमपी – पीएफसी निदेशक हैं		
एनटीपीसी लिमिटेड से किराया आय	14.58	-
सरकारी खजाने में हुए व्यय की वसूली कार्यक्रम-एनटीपीसी लिमिटेड	0.30	-
सरकारी खजाने में हुए व्यय की वसूली कार्यक्रम-एसजेवीएनएल	0.30	-
कंपनी के बॉण्डों पर वित्त लागत-एनएचपीसी लिमिटेड	-	0.35
एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय	-	4.13

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

57.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन बड़ी निकटता से अर्थात आर्म की लंबाई के आधार पर किए जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। संबंधित पक्षों को भुगतान की गई वित्त लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों को स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में अनुषंगी कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती है, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्ति पर कोई क्षतिपूर्ति दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया जाता है।

57.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
(i) अल्पावधि कार्मिक लाभांश	2.65	2.91
(ii) रोजगार पश्चात लाभांश	0.19	0.14
जोड़	2.84	3.05

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग-अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

57.7 उसी सरकार (कंपनियों से संबंधित सरकार) के नियंत्रणाधीन एंटीटियों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित एंटीटियों की सूची

समूह की संस्थाएं/कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) हैं। समूह ने जिन सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ संव्यवहार किया है, उनकी सूची में निम्नलिखित को शामिल किया गया है परंतु उन तक सीमित नहीं है:

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
दामोदर घाटी निगम	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर सर्विसेज इन. (एनआईसीएसआई)
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	एमएसटीसी लिमिटेड
एसजीवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	वाक्कोस लिमिटेड
एनएचपीसी लिमिटेड	पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया

सरकार से संबंधित एंटीटियों से सकल लेन-देन निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	3,857.30	2,059.64
ब्याज आय को मान्यता	1,709.48	1,829.69
अन्य व्यय-पावर फाउंडेशन में आरईसी का योगदान	8.00	5.00

सरकार से संबंधित एंटीटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियां	20,902.65	17,854.95
उपचित ब्याज	12.99	4.52

केंद्र सरकार के साथ वास्तविक लेन-देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 12, 20, 22, 34 और 48 देखें।

सरकार से संबंधित एंटीटी के साथ उपर्युक्त लेनदेन में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन शामिल हैं। समूह ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेनदेन जैसे प्रशासनिक व्यय, सरकारी कार्यक्रमों पर खर्च आदि भी किए हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ये नगण्य हैं और इसलिए इनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी संव्यवहार बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

58 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

कंपनी को कार्यालय भवन, गोदाम, कार्यालय उपस्कर और संबंधित सुविधाओं के लिए पट्टे हैं। कम मूल्य की अंतर्निहित परिसंपत्तियों के अल्पावधि पट्टों और पट्टों को छोड़कर, प्रत्येक पट्टा उपयोग योग्य परिसंपत्ति और पट्टा देयता के रूप में तुलन-पत्र में परिलक्षित होता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें पट्टा दायित्व और संपत्ति के उपयोग के अधिकार के प्रारंभिक माप से बाहर रखा जाता है। कंपनी अपनी उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों को अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुरूप वर्गीकृत करती है। प्रत्येक पट्टा आम तौर पर कोई न कोई प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि कंपनी के लिए किसी अन्य पक्षकार को परिसंपत्ति को प्रस्तुत करने का अनुबंधात्मक अधिकार नहीं दिया जाता है, सही-उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति केवल कंपनी द्वारा ही उपयोग में लाई जा सकती है। कुछ पट्टों में पट्टे को आगे के लिए विस्तारित करने का विकल्प होता है। कंपनी को अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को सुरक्षा के रूप में बेचे या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों में पट्टों के लिए कंपनी को उन परिसंपत्तियों की मरम्मत कर उन्हें अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और पट्टे के अंत में अपनी मूल स्थिति में परिसंपत्तियों को वापस करना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को पट्टे के संविदाओं के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय ₹6.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.21करोड़) हैं। राइट-ऑफ-यूज़ परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹ 6.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.23 करोड़) है।

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की वहन राशि (उधार के अंतर्गत शामिल) और गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	0.03	0.05
वर्ष के दौरान उपचित वित्तीय लागत	-	-
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.01)	(0.02)
अंतिम शेष	0.02	0.03

नीचे दी गई तालिका अनडिस्कॉउंटेड पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
1 वर्ष तक	0.02	0.02
1-5 वर्ष	-	0.02
5 वर्ष से अधिक	-	-

59 भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

59.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि के तहत पृथक पंजीकृत न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वह न्यास वर्ष के दौरान निवेशों पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि, अधिनियम में निधि के सदस्यों को दिया जाने वाला न्यूनतम ब्याज निर्धारित नहीं है, रिटर्न का निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी भी कमी का मुआवजा कंपनी द्वारा दिया जाना है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा और इसलिए, कोई और प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कोई पृथक न्यास नहीं है और कंपनी परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि अंशदान करती है।

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमूल्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यास/पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब सदस्य को पेंशन देय होती है तो सदस्य के खाते में रही राशि का विनियोजन सदस्य के संचय के निमित्त किया जाता है और सदस्य द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वार्षिकी आबंटित की जाती है।

समूह ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त ₹ 13.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.60 करोड़) के व्यय को मान्यता दी है।

59.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपए के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

निव्वल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	29.23	30.43
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	26.55	30.09
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	2.68	0.34

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	30.43	32.44	30.09	30.25	0.34	2.19
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.42	1.79	-	-	1.42	1.79
पूर्व सेवा लागत	2.16	-	-	-	2.16	-
ब्याज लागत/आय	2.07	2.17	2.22	2.11	(0.15)	0.06
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	5.65	3.96	2.22	2.11	3.43	1.85
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.10	(0.65)	-	-	0.10	(0.65)
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(1.09)	(0.29)	-	-	(1.09)	(0.29)
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-	(0.29)	(0.18)	0.29	0.18
ओसीआई में मान्य कुल राशि	(0.99)	(0.94)	(0.29)	(0.18)	(0.70)	(0.76)
नियोक्ताओं द्वारा योगदान	-	-	0.39	2.94	(0.39)	(2.94)
प्रदत्त हितलाभ	(5.86)	(5.03)	(5.86)	(5.03)	-	-
अंतिम शेष	29.23	30.43	26.55	30.09	2.68	0.34

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवृत्त परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	164.67	165.51
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	179.78	164.80
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	(15.11)	0.71

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	165.51	151.69	164.80	144.06	0.71	7.63
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	3.64	3.29	-	-	3.64	3.29
पूर्व सेवा लागत	-	2.50	-	-	-	2.50
ब्याज लागत/आय	11.83	10.31	12.15	10.07	(0.32)	0.24
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	15.47	16.10	12.15	10.07	3.32	6.03
ओसीआई में शामिल						
पुनःभापन हानि (लाभ)						
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	1.45	(4.08)	-	-	1.45	(4.08)
- जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	3.75	-	-	-	3.75
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(5.71)	10.58	-	-	(5.70)	10.59
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-	2.04	2.90	(2.04)	(2.90)
ओसीआई में मान्य कुल राशि	(4.26)	10.25	2.04	2.90	(6.29)	7.36
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	0.11	0.15	0.10	0.06	0.01	0.09
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	-	-	0.69	7.71	(0.70)	(7.72)
प्रदत्त हितलाभ	(12.16)	(12.68)	-	-	(12.16)	(12.68)
अंतिम शेष	164.67	165.51	179.78	164.80	(15.11)	0.71

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
-ईआरएस	4.17	4.15

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
आरंभिक शेष	4.15	4.13
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.25	0.20
ब्याज लागत/आय	0.28	0.26
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	0.53	0.46
ओसीआई में शामिल		
पुनःभापन हानि (लाभ)		
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.07	(0.06)
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.33	0.89
ओसीआई में मान्य कुल राशि	0.40	0.83
प्रदत्त हितलाभ	(0.91)	(1.27)
अंतिम शेष	4.17	4.15

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

59.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्यूच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य नियोजन के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(v) कर्मचारी के टर्नओवर/आहरण जोखिम

परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में अपेक्षित आहरण दर के संदर्भ में की जाती है। इस प्रकार, यदि भविष्य में वास्तविक आहरण दर अपेक्षा से अधिक या कम हो जाती है तो इससे योजना की देयता बढ़ सकती है।

59.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.06	0.38	0.20	0.11
उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
इक्विटी लिखत	0.99	-	-	-
राज्य सरकार की ऋण प्रतिभूतियां	10.28	-	40.80	22.58
कारपोरेट बॉण्ड/ डिबेंचर	9.35	-	138.78	142.11
उप - जोड़ - उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	20.62	-	179.58	164.69
अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
अन्य - बीमाकर्ता प्रबंधित फंड और टी-बिल	5.87	29.71	-	-
उप - जोड़ - अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	5.87	29.71	-	-
जोड़	26.55	30.09	179.78	164.80

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न ₹ 16.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14.90 करोड़) है।

59.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2023 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
पद्धति का उपयोग	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित रिटर्न, यदि वित्तीयपोषित है	7.31%	7.37%	7.31%	7.37%	7.31%	7.37%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	17.72	17.35	17.72	17.35	17.72	17.35



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

मुख्य अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बाण्डों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फूर्ति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

59.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शाई गई राशि तक परिभाषित हितलाभ दायित्व प्रभावित होता है।

(₹ करोड़ में)				
विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
-उपदान	(0.84)	0.91	(0.80)	0.85
-पीआरएमएस	(12.10)	12.60	(12.16)	12.66
-ईआरएस	(0.15)	0.17	(0.15)	0.17
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
-उपदान	0.21	(0.18)	0.19	(0.21)
-पीआरएमएस	-	-	-	-
-ईआरएस	0.15	(0.14)	0.15	(0.14)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
-पीआरएमएस	11.62	(10.52)	11.68	(10.57)
चिकित्सा लागत (0.10% संचलन)				
-पीआरएमएस	16.89	(16.19)	16.98	(16.28)

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक-दूसरे के अलग होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएं सह-संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविधिभूत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिस्परितियों के समग्र चरण पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

59.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
एक वर्ष से कम	6.43	4.71	13.98	14.02	1.12	1.11
1 से 5 वर्ष तक	16.12	17.61	78.64	83.46	2.33	3.60
5 वर्ष से परे	35.29	32.92	306.56	327.63	3.11	4.74
जोड़	57.84	55.24	399.18	425.11	6.56	9.45

59.2.6 वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष
प्रत्याशित अंशदान	3.77	1.76	-	4.35	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 11.18 वर्ष है (31.03.2022 को - 12.20 वर्ष)।

59.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

59.3.1 अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लगता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारी केवल एक वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद अवकाश नकदीकरण के पात्र हैं और अलग होने के समय पूरी राशि दी जाती है। इसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल ₹ 5.04 करोड़ की व्यय राशि (पिछली अवधि ₹ 9.37 करोड़) दी गई है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हाता विवरण में नामे डाली गई है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

59.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

दीर्घ सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त ₹ 0.47 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में डेबिट कर दिया गया है।

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारियों को वफादारी प्रोत्साहन मृत्यु के कारण अलग होने के मामले को छोड़कर केवल निरंतर सेवा के तीन वर्ष पूरा करने के बाद देय होता है। कंपनी से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को भुगतान उनके अलग होने के समय जारी किया जाता है। व्यय की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाला गया है।

59.4 कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी में प्रतिनियुक्ति/द्वितीयक आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में ग्रेज्युटी, पीआरएमएफ, टर्मिनल लाभ, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों सहित कर्मचारी लाभों को प्रतिनियुक्ति/द्वितीयक आधार पर कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया जाता है।

60 राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पूर्व में नए एंटीट्रिप्स का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटीट्रिप्सों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्गठन किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

- (i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएससीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनः स्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।
- (ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।
- (iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।
- (iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिस्पत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलभूत के भुगतान हेतु मांगे यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रहा है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

61 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में संशोधन

पट्टे पर लेखांकन संबंधी नीति को जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी की प्रथाओं को और अधिक स्पष्ट तथा अनुरूप बनाने के लिए कुछ लेखांकन नीतियों को भी नया रूप दिया गया है। लेखांकन नीतियों में किए गए ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

62 प्रावधान, आकस्मिकताएं और इंपेयरमेंट हानि भत्ते को लाभ और हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
(i) ऋण के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता*	105.14	3,434.36
(ii) निवेश के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	-	28.72
(iii) अन्य प्राप्य के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	37.03	6.94
(iv) आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2,730.69	2,394.83

* सुविधा पत्र पर हानि भत्ते के लिए ₹ -5.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.81 करोड़) शामिल हैं।



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

63 कंपनी के परिचालन में केवल एक कोरोबारी खंड शामिल है-ऊर्जा, लॉजिस्टिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण देना। इसलिए, भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एस) 108 “परिचालन खंड” के अनुसार कोई अन्य रिपोर्टेबल खंड नहीं है। इंड एस 108 में यथा परिभाषित “प्रबंधन दृष्टिकोण” के आधार पर, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता किसी एक व्यवसाय सेगमेंट के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं।

63.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

		(₹ करोड़ में)	
विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
(क) ऋण परिसंपत्तियों से आय	38,701.63	38,522.97	
(ख) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	122.21	15.23	
(ग) ट्रेजरी प्रचालनों से आय	306.57	235.36	
(घ) सेवाओं की बिक्री से राजस्व	287.55	150.96	
जोड़	39,417.96	38,924.52	

63.2 इस समूह में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

63.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 के दौरान समूह के राजस्व में 10% अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

64 समेकन के लिए अनुषंगी कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों हेतु विचारार्थ :

क. कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां

एंटिटी का नाम	कारोबार का स्थल/ निगमनो का देश भारत	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	भारत	100%	100%

ख. संयुक्त उद्यम - शून्य

ग. संबद्ध कंपनियाँ

एंटिटी का नाम	कारोबार का स्थल/ निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31-03-2023 के अनुसार	31-03-2022 के अनुसार
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड *	भारत	100.00%	-
लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन) *	भारत	-	100.00%
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1 लिमिटेड *	भारत	-	100.00%
ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड *	भारत	-	100.00%

*उपरोक्त एसपीवी को वर्ष के दौरान बेच दिया गया है।

** उपर्युक्त एसपीवी बंद होने की प्रक्रिया में है।

टिप्पणी: उपर्युक्त निवेश भारत सरकार (जीओआई) के अधिदेश के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं और कंपनी के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकरतर्फा (संपाश्रिक) रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। इसलिए, कंपनी संबंधित कंपनियों में अपने निवेश पर विचार करती है क्योंकि कंपनी उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 100% भाग अपने पास रखने के बावजूद भी सहयोगी कंपनियां महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

65 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के तहत अपेक्षित समेकित कंपनियों के संबंध में प्रकटन

65.1 निवल परिसंपत्तियों अर्थात् कुल परिसंपत्तियों माइनस कुल देयताओं में हिस्सा

एंटीटी का नाम	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	99.24%	57,679.67	99.36%	50,985.60
अनुषंगी कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	0.76%	440.93	0.64%	328.59
संबद्ध कंपनियां – भारतीय				
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	-
केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	-
रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	-
ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	-
खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	-
एलयूएचआरआई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	-
मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	-
एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	-
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन)	-	-	-	0.05
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1 लिमिटेड	-	-	-	0.05
ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	0.05
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	0.00%	(0.73)	0.00%	(0.49)
जोड़	100.00%	58,120.51	100.00%	51,314.10

लाभ एवं हानि में शेयर

एंटिटी का नाम	31-03-2023 को समाप्त वर्ष		31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	98.99%	11,054.64	100.10%	10,045.92
अनुषंगी कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	1.25%	139.79	0.53%	53.03
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-	-	(0.12%)	(11.81)
संबद्ध कंपनियां – भारतीय	-	-	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	(0.25%)	(27.45)	(0.51%)	(51.44)
जोड़	100.00%	11,166.98	100.00%	10,035.70

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

अन्य व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31-03-2023 को समाप्त वर्ष		31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
	समेकित अन्य व्यापक आय % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	100.00%	(971.04)	102.02%	(59.07)
अनुषंगी कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-	-	(2.02%)	1.17
संबद्ध कंपनियां – भारतीय	-	-	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-	-	-	-
जोड़	100.00%	(971.04)	100.00%	(57.90)

कुल व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31-03-2023 को समाप्त वर्ष		31-03-2022 को समाप्त वर्ष	
	समेकित कुल व्यापक आय % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	98.90%	10,083.60	100.09%	9,986.85
अनुषंगी कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	1.37%	139.79	0.53%	53.03
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-	-	(0.11%)	(10.64)
संबद्ध कंपनियां – भारतीय	-	-	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	(0.27%)	(27.45)	(0.52%)	(51.44)
जोड़	100.00%	10,195.94	100.00%	9,977.80

66 परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
परिसंपत्तियां				
(1) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य	48.70	-	140.99	-
(ख) उपरोक्त (ए) के अलावा बैंक शेष	2,276.05	70.86	2,453.95	65.01
(ग) ट्रेड प्राप्य	113.00	-	94.55	-
(घ) व्युत्पन्न वित्तीय लिखत	2,331.97	6,649.64	343.37	5,166.80
(ङ) ऋण	65,372.90	356,711.01	39,144.60	332,785.94
(छ) निवेश	53.28	3,116.72	62.11	2,128.33
(झ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	279.26	24,143.28	274.14	24,141.17
कुल – वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	70,475.16	390,691.51	42,513.70	364,287.26
(2) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां				

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2023 के अनुसार		31-03-2022 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
(क) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	0.06	305.89	-	191.56
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	3,307.56	-	3,160.12
(ग) निवेश संपत्ति	-	-	-	-
(घ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	-	639.17	-	624.04
(ङ) चल रहे पूंजीगत कार्य	-	2.72	-	6.07
(च) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	1.63	-	4.28
(छ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	67.11	7.29	60.49	8.19
कुल – गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	67.17	4,264.26	60.49	3,994.26
(3) बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां	4.65	-	4.38	-
कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	70,546.98	394,955.77	42,578.58	368,281.52
देयताएं				
(1) वित्तीय देयताएं				
(क) व्युत्पन्न वित्तीय लिखत	63.11	913.84	18.89	534.25
(ख) ट्रेड देय				
(i) ट्रेड देय				
(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	-	-	-	-
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	41.68	-	36.48	-
(ii) अन्य देय				
(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	-	-	-	-
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	-	-	-
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	39,878.18	197,024.15	29,637.91	189,936.70
(घ) उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	40,338.84	96,775.29	22,529.92	84,121.67
(च) अधीनस्थ देयताएं	2,796.90	3,976.40	296.95	6,519.52
(छ) अन्य वित्तीय देयताएं	1,235.81	24,109.30	1,598.10	24,110.63
कुल – वित्तीय देयताएं (1)	84,354.52	322,798.98	54,118.25	305,222.77
(2) गैर-वित्तीय देयताएं				
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	10.65	-	10.25	-
(ख) प्रावधान	60.91	50.71	57.60	48.07
(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	57.09	49.36	59.54	29.50
कुल – गैर-वित्तीय देयताएं (2)	128.65	100.07	127.39	77.57
(3) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे तौर पर जुड़ी देयताएं	0.02	-	0.01	-
कुल देयताएं (1+2+3)	84,483.19	322,899.05	54,245.65	305,300.34

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/ पुनः समूहित किया गया है।

- 67

इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।
- 68

कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम/अनुषंगी कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।
- 69

मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन टिप्पणी संख्या 3, 9, 10, 11, 21.1, 28.1, 47, 50, 51.1.3 (एन), 51.1.3(ओ), 51.1.3 (पी), 51.1.3 (आर), 51.1.3 (एस), 51.1.3 (टी), 51.1.3(यू), 51.1.3(वी), 51.2.2, 51.2.4, 51.3, 52, 54, 57, 61, 62, 67, 68, 70,72 में किए गए हैं।
- 70

31 मार्च 2023 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी विनियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।
- तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से नोटिस प्राप्त हुए हैं। (एनएसई) और बीएसई लि. स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या ना होने के कारण बोर्ड/समितियों की स्थिति/कोरम संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के लिए बीएसई द्वारा कुल ₹ 0.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.76 करोड़) (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया गया।
- कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया है कि वे जुर्माना समाप्त करें क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है और कंपनी या कंपनी निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती है। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। कंपनी को आशा है कि इसी प्रकार के कारणों से बीएसई द्वारा पहले की गई जुर्माना माफी और एनएसई से प्राप्त सूचना के अनुसार आवश्यकता का अनुपालन करने के बाद छूट पर विचार करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को किए गए अनुरोध के अनुकूल परिणाम निकलेंगे।
- 71

वर्ष के दौरान, कंपनी का 31-03-2023 (31-03-2022 के पांच अंकों के अनुसार) को पांच कंपनियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों को छोड़कर, बंद की गई कंपनियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं है, जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए रिपोर्ट नहीं की गई है ।
- 72

कंपनी को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान ग्राहकों या लोकपाल कार्यालयों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- 73

जब तक कि स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो, रूपए में आंकड़ों को दो दशमलवों के साथ निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।
- लेखा टिप्पणी 1 से 73 तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण का एक अभिन्न भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से		
जे.एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	अजय चौधरी निदेशक (वित्त) डीआईएन-06629871	विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन-01377212
हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार		
कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 001135एन	कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी. सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. :000018एन/ एन500091	
एस.मूर्ति भागीदार सदस्यता सं. : 072290	राकेश कुमार भागीदार सदस्यता सं. : 087537	

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

आरईसी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय - कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003, सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुलग्नक
(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा ग्राही कंपनी और जमा ग्राही कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के पैराग्राफ 19, जहां तक ये आरईसी लिमिटेड पर लागू हैं, के अनुसार अपेक्षित विवरण)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
परिसंपत्ति पक्ष:				
(1) एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण एवं अग्रिम				
इसमें उस पर अर्जित ब्याज भी शामिल है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है:				
(क) डिबेंचर/बांड:				
प्रतिभूत	51,599.51	-	40,597.85	-
अप्रतिभूत	193,034.32	-	186,643.60	-
(ख) सावधि ऋण				
- वित्तीय संस्थानों से प्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
- एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,325.12	-	10,325.12	-
- बैंकों से असुरक्षित ऋण	56,402.09	-	42,919.86	-
- वित्तीय संस्थानों से अप्रतिभूत ऋण	6,000.64	-	6,800.00	-
(ग) वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-
(घ) अन्य ऋण	-	-	-	-
- विदेशी मुद्रा उधार	45,783.55	-	35,687.77	-
- एफसीएनआर (बी) ऋण	15,427.63	-	9,861.13	-
- बैंक से ओवरड्राफ्ट	87.59	-	-	-
- अल्पावधि ऋण/मांग पर चुकाए जाने योग्य ऋण	3,607.52	-	1,415.58	-
- होल्डिंग कंपनी से अप्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
- पट्टा दायित्व	0.02	-	0.03	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
परिसंपत्ति पक्ष:		
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का ब्योरा		
(क) प्रतिभूत	223,195.81	213,512.93
(ख) अप्रतिभूत	197,552.23	157,153.67
(3) निवेश :		
चालू निवेश :		
उद्धृत:		
(i) शेयर: इक्विटी	27.31	49.52
अनुद्धृत:		
(i) शेयर: इक्विटी	174.05	-
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	230.82	238.76
दीर्घावधि निवेश		
उद्धृत:		
(i) शेयर: इक्विटी	67.23	53.52
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	1,098.42	259.39
(iii) सरकारी प्रतिभूतियां	1,431.74	1,374.51
अनुद्धृत:		
(i) शेयर : इक्विटी	140.43	214.74

(₹ करोड़ में)

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार :

(₹ करोड़ में)

(6) અન્ય સૂચના

(₹ करोड़ में)

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

राकेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. : 087537

भारत की ऊर्जा क्रान्ति का संकल्प

(₹ करोड़ में)

(1) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं- शून्य

(2) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है- शून्य

भाग ख: संबद्ध कंपनी एवं संयुक्त उद्यम

संबद्ध कंपनियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

* संबद्ध कंपनियों के लिए उपलब्ध नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र इंड-एस के आधार पर तैयार की गई है।

संबद्ध कंपनियों को बिक्री के लिए धारित के तहत वर्गीकृत किया गया है और लागत या उचित बाजार मूल्य (बिक्री की लागत कम) पर मूल्यांकित किया गया है, जो भी कम हो, इसलिए लाभ पर विचार नहीं किया जाता है।

*संबद्ध कंपनियों (एसोसिएट्स) को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लागत या उचित बाजार मूल्य बिक्री (बिक्री की तुलना में कम लागत) जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है, इसलिए लाभ पर विचार नहीं किया जाता है।

टिप्पणी: 1. समूह के पास 100% शेयर पूंजी है लेकिन इन निवेशों का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार किया जाता है और समूह के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिकता नहीं है, अतः इन कंपनियों को सहयोगी कंपनियों के रूप में माना गया है।

टिप्पणी: 2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तेरह सहयोगियों का स्थानांतरित कर दिया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

संयुक्त उपक्रम का विवरण: लागू नहीं

- (1)संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं - शून्य
- (2)संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है – शून्य

वर्ष के दौरान कारोबार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित सहयोगियों को बेचा गया है:

एसपीवी का नाम	बिक्री की तिथि
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	30/05/2022
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1 लिमिटेड	21/01/2023
ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	10/10/2022
नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड	24/08/2022
गडग II ए ट्रांसमिशन लिमिटेड	08/11/2022
डब्ल्यूआरएसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18/01/2023
खावड़ा II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड	28/03/2023
खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	21/03/2023
खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	21/03/2023
केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	21/03/2023
केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड	21/03/2023
खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	21/03/2023
ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	21/03/2023

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से		
जे.एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	अजय चौधरी निदेशक (वित्त) डीआईएन-06629871	विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन-01377212
हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार		
कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 001135एन	कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी. सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. :000018एन/ एन500091	
एस.मूर्ति भागीदार सदस्यता सं. : 072290	राकेश कुमार भागीदार सदस्यता सं. : 087537	
स्थान: मुंबई दिनांक: 17 मई 2023		

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

आरईसी लिमिटेड के सदस्य

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड (इसके पश्चात “धारक कंपनी” के रूप में संदर्भित) (धारक कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों को मिलाकर “समूह” के रूप में संदर्भित) कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को संलग्न किया है जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरणों (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की समेकित विवरणों और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणों और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार (इसके पश्चात “समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों” के रूप में संदर्भित) शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देती है और कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके समेकित नकद प्रवाह तथा इसके सार की समेकित स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

- 1.हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 51.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा आश्वासन पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संबंध में, हमने हानि भत्ता के अनुसार निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, जहाँ तक इसका प्रबंधन ओवरले के रूप में हानि भत्ता का पता लगाने का सवाल है यह स्वतंत्र एजेंसी और प्रबंधन के निर्णय द्वारा विचार किए गए तकनीकी पहलुओं/मापदंडों से संबंधित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले (“केएएम”) वे मामले हैं जो हमारे कारोबारिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता – (लेखांकन नीति सं. 3.13 के साथ पठित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 51.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/ रुपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है: क) भारतीय लेखांकन मानक 109 “वित्तीय लिखत” के उपबंधों के अनुसार, हमने बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/ रुपरेखा को सत्यापित किया है। ख) वसूली/निष्पादन पहलुओं की निगरानी के संबंध में कुल ऋण के बड़े हिस्से को शामिल करते हुए नमूना जांच के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन और उस पर प्रबंधन की धारणा पर विचार करते हुए ऋण हानि का आकलन।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्य निरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा क्षति प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए अर्थात् कुल परिसंपत्ति के 90.67%, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में समझा गया है।	ग) वसूली के स्तर का पता लगाने के लिए मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए वसूली सत्यापित की जाती है। ऋण शेष की पुष्टि की जाती है और प्रमुख नियंत्रण मापदंडों के साथ उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है। घ) ऋण परिसंपत्तियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर क्षति का आकलन हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेख पर संबंधित साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। ङ) हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है। च) हम, बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए क्षति भत्ते के अध्ययन में घटक और गणना पर विश्वास करते हैं और उसके लिए परीक्षण जांच की जाती हैं। ऐसे घटकों में उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग (विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई रेटिंग सहित), चूक/चूक दिए गए ऋण की संभाव्यता की गणना आदि शामिल हैं। बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट पर निर्भरता को देखते हुए इसमें हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया सीमित है। छ) इसके अलावा, प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक कार्यप्रणाली का पालन करते हुए बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट में क्षति भत्ते की समीक्षा करता है और प्रत्येक मामले के आधार पर क्षति को बढ़ाता / घटाता है। प्रबंधन ओवरले के रूप में हमने इस तरह के बदलावों के लिए प्रबंधन से एक विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रबंधन के मूल्यांकन पर मजबूर है और हम उस पर भरोसा करते हैं।
2.	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन (नोट संख्या 9 को लेखांकन नीति संख्या 3.13 के साथ पढ़ें) गए स्टैंडअलोन इंड एसस वित्तीय विवरण देखें) कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, गैर-आईएनआर नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किए जाते हैं। कंपनी ने इंडस्ट्रीज़ एसस 109 'फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स' के अनुसार हेज अकाउंटिंग आवश्यकताओं को लागू किया है, जिसमें कुछ व्युत्पन्न अनुबंधों को 'कैश फ्लो हेज' संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित किया गया है। ये व्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और विदेशी मुद्रा में नामित कुछ ऋण उपकरणों से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए की गई हैं। डेरिवेटिव को इंडस्ट्रीज़ एसस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन डेरिवेटिव पर मार्क टू मार्केट लाभ/हानि को नकदी प्रवाह हेजेज के लिए अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। वित्तीय विवरणों के महत्व और प्रभाव को देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।	हमने इस संबंध में निम्नलिखित ऑडिट प्रक्रिया लागू की है क) प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना और समझना और जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की नीति का अध्ययन करना। डेरिवेटिव लेनदेन के उद्देश्य का अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है कि अंतर्निहित जोखिम डेरिवेटिव की मात्रा से अधिक नहीं है। ख) इंडस्ट्रीज़ एसस 109 के संदर्भ में डेरिवेटिव के उचित मूल्य का सत्यापन। ग) डेरिवेटिव लेनदेन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण करना। घ) व्युत्पन्न उपकरणों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन मॉडल पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। ङ) 31 मार्च 2022 तक बकाया विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों का विवरण प्राप्त किया। च) उन वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में अंतर्निहित धारणाओं का सत्यापन। छ) हमने उन बैंकों से भी पुष्टि प्राप्त की जिनके साथ ऐसे वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंध किए गए हैं और अनुबंध करने वाले बैंकों द्वारा निकाले गए मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से तुलना की गई है। ज) इसके अतिरिक्त, हमने नकदी प्रवाह हेजेज के लिए अन्य व्यापक आय में मार्क टू मार्केट आधार पर लाभ/हानि के लेखांकन को सत्यापित किया है। झ) यह आकलन करना कि क्या वित्तीय विवरण प्रकटीकरण प्रचलित लेखांकन मानकों और भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में डेरिवेटिव मूल्यांकन जोखिमों के प्रति कंपनी के जोखिम को उचित रूप से दर्शाता है।

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड), जो एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, के वित्तीय विवरण पर संघटक लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 15.05.2023 की उनकी रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा की राय के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले संसूचित किए गए और हमारे द्वारा निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

क्रम सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	क्रेडिट हानि के जोखिम को देखते हुए प्राप्य लेखा का मूल्यांकन (टिप्पणी संख्या 46 “वित्तीय लिखत” और टिप्पणी संख्या 12 “व्यापार प्राप्य” देखें) लेखा प्राप्य, 31 मार्च, 2023 तक के कंपनी के वित्तीय विवरणों में एक महत्वपूर्ण मद है और प्राप्य पर क्रेडिट हानि का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पूर्वांनुमान एक ऐसा क्षेत्र है, जो प्रबंधन के निर्णय से प्रभावित होता है। कंपनी क्रेडिट जोखिम, परियोजना की स्थिति, विगत वृत्तांत, ग्राहक के साथ नवीनतम चर्चा/पत्राचार के आधार पर अनुमानित क्रेडिट हानि का आकलन करती है। वित्तीय विवरणों के लिए इन प्राप्य के सापेक्षिक महत्व को देखते हुए और प्राप्य राशियों की वसूली का आकलन करने में शामिल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति और सीमा को देखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया।	प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमारी लेखापरीक्षा में प्राप्य राशियों के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया को शामिल किया गया: - कंपनी की लेखांकन नीति को समझा और उसका मूल्यांकन किया। - हमने अनुमानित क्रेडिट हानि के निर्धारण के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। - प्राप्य राशियों की संग्रहणीयता की स्थिति के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधन से पूछताछ की। - महत्वपूर्ण शेष राशियों के लिए, प्रबंधन के साथ प्रावधान के आधार के बारे में चर्चा की गई थी। ग्राहक के क्रेडिट जोखिम, नकदी संग्रह, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के सापेक्ष प्रदर्शन और समय-समय पर क्रेडिट हानि शुल्क के स्तर पर विचार करके अपेक्षित क्रेडिट हानियों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई जानकारी का आकलन किया और चुनौती दी गई।

क्रम सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
2.	इंड एसस 115 “ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व” को अपनाने के मद्देनजर राजस्व और अन्य संबंधित शेष की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की सटीकता नए राजस्व लेखा मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों का अभिचिह्नन, अभिचिह्नित प्रदर्शन दायित्वों के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, एक अवधि में स्वीकृत राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 3.3 और 41 देखें।	हमने नए राजस्व लेखा मानक को अपनाने के प्रभाव के अभिनिर्धारण के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया। हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित कीं: - नए राजस्व लेखा मानक के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन को समझना। - चालू और नई संविदाओं का एक नमूना चुना, और विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के अभिचिह्न और लेन-देन मूल्य के निर्धारण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने इन नियंत्रणों के प्रचालन के संबंध में साक्ष्य की जांच और प्रेक्षण, पुनः प्रदर्शन और निरीक्षण से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का निष्पादन किया। - चल रही परियोजनाओं के संबंध में निष्पत्ति चरण और राजस्व के संबंध में, हमने कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है क्योंकि हमारे पास वह तकनीकी विशेषज्ञता नहीं थी। - चालू और नई संविदाओं का एक नमूना चुना और निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया: - इन संविदाओं में अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों को पढ़ना, विश्लेषण करना और अभिचिह्नित करना। - कंपनी द्वारा अभिचिह्नित और लेखबद्ध किए गए इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना की गई। - राजस्व की गणना करने के लिए उपयोग किए गए लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने और परिवर्तनीय विचार के अनुमान के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी परिवर्तनीय विचारण सहित लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए संविदाओं की शर्तों पर विचार किया। - पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के संबंध में परियोजना विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टों का उपयोग करके अनर्जित राजस्व के संबंध में परिकलन की नमूना-जांच की गई। - नियत मूल्य संविदाओं से संबंधित नमूनों के संबंध में, लेखबद्ध किए गए राजस्व के परिकलन के लिए प्रयुक्त प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि की दिशा में प्रगति को संविदा की शर्तों और कंपनी के परियोजना विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई कार्य की स्थिति के साथ सत्यापित किया गया था। - प्रकार और सेवा पेशकशों के आधार पर अलग किए गए राजस्व नमूनों का मूल संविदाओं में निर्दिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के साथ परीक्षण किया गया। - प्रकार और सेवा पेशकशों के आधार पर प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को छोड़कर सूचना

कंपनी के निदेशक मण्डल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल है, किंतु इसमें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

यदि, हमने जो कार्य किया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

धारक कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के संबंध में, इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और यथासंशोधित (“भारतीय लेखांकन मानक”) कंपनी नियमावली (भारतीय लेखांकन मानक), 2015 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इस समूह के समेकित नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हो। कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड, जो इस

समूह और जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने तथा इस समूह की परिसंपत्तियों की रक्षा करने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता हो तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हो, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो और जिसका उपयोग ऊपर में उल्लेख किए गए अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो, को प्रस्तुत करने तथा तैयार करने से संबंधित लेखांकन रिकार्डों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, इस समूह में शामिल किए गए कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड, वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

इस समूह और इसकी कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड इस समूह और इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में अन्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त है, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग-अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, आशा है कि उसके कारण उचित रूप से उन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम कारोबारिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान कारोबारिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- खुलासों सहित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।
- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए इस समूह में इन कंपनियों की वित्तीय सूचना अथवा व्यापार संबंधी क्रियाकलाप के बारे में सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई इस प्रकार की कंपनियों की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा जो स्वतंत्र लेखापरीक्षक हों, की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अन्य कंपनियों जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, के लिए इस प्रकार के अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम मुख्य रूप से अपनी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए जिम्मेदार होते हैं।

वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का वह परिमाण, जिससे एकल या सामूहिक रूप से, यह संभावना उत्पन्न होती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण होता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी अभिचिह्नित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई धारक कंपनी और इस प्रकार की अन्य कंपनियों का शासन का उत्तरदायित्व दिए गए व्यक्तियों को सूचित करते हैं जिसके अन्य मामलों के साथ-साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण स्वामियां जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, शामिल हैं, के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य मामले

हमने अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को ₹680.50 करोड़ (31 मार्च, 2022 को ₹518.61 करोड़) की कुल आस्तियां, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹307.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹177.20 करोड़) का कुल राजस्व और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹4.89 करोड़ (पिछले वर्ष ₹24.16 करोड़) का निवल नकदी प्रवाह दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित इंड एसस वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। समेकित इंड एसस वित्तीय विवरणियों में कर पश्चात निवल लाभ में अनुषंगी का अंश ₹ 139.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 53.03 करोड़) और समेकित इंड एसस वित्तीय विवरणियों में कुल समग्र आय ₹ 139.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 53.03 करोड़) शामिल है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित इंड-एसस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11), जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी से संबंधित है, के अनुसार हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गयी हमारी विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें तथा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों में, संशोधित नहीं की गयी है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

- | | |
|-----|--|
| (क) | हमने उन समस्त जानकारीयों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं। |
| (ख) | हमारी राय में, विधि द्वारा यथार्पेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है। |
| (ग) | इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण, और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं। |
| (घ) | हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं। |
| (च) | कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है। |
| (छ) | कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, “अनुलग्नक-क” में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; तथा |
| (ज) | अधिसूचना संख्या के अनुसार। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनियों के रूप में होल्डिंग/सहायक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। |
| (झ) | कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक वित्तीय विवरणों कि रिपोर्ट और अनुषंगी कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर भी विचार करने के आधार पर: |

- | | |
|-------|---|
| (i) | समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति की लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 46 के संदर्भ में; |
| (ii) | हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसमे कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों; |
| (iii) | धारक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और भारत में निगमित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित, अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है। |
| iv) | (क) समूह के प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 10.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यवर्तियों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, समूह (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है; |



- (ख)

समूह के प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पण संख्या 10.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा विदेशी संस्थाओं (“वित्तपोषक पक्षकार”) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि समूह, वित्तपोषक पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है;
- (ग)

लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार संगत और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 (ड) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत और उपरोक्त (क) और (ख) के तहत उपबंधित अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- (व)

वर्ष के दौरान समूह द्वारा इस रिपोर्ट की तिथि तक घोषित और प्रदत्त अंतरिम लाभार्श कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।
- (vi)

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है जो अपनी लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के उपयोग से संबंधित है, जिसमें इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, एडिट लॉग आदि जैसा कि पूर्वोक्त परंतुक में बताया गया है। अतः कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 (जी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
2.

अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”/“सीएआरओ”) के अनुच्छेद 3 के खंड (xxi) में निर्दिष्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले, मामलों के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित इसकी सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर, ऐसी रिपोर्टों में कोई शर्तें या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कं. सनदी लेखाकार आईसीएआई फर्म पंजी. सं. :001135एन	मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं. सनदी लेखाकार आईसीएआई फर्म पंजी. 000018एन /एन500091
नाम: एस. मूर्ति पदनाम : भागीदार सदस्य सं. 072290 यूडीआईएन: 23072290BGYVDL7158	नाम : राकेश कुमार पदनाम : भागीदार सदस्य सं. : 087537 यूडीआईएन: 23087537BGXEFAQ8986
स्थान: मुंबई दिनांक: 17 मई 2023	

आरईसी लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2023 के अनुसार तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, आरईसी लिमिटेड (यहां इसके उपरांत इसे “धारक कंपनी” के रूप में संदर्भित किया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों जो कि उक्त तिथि को, भारत में निगमित की गयी कंपनियां हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों जो कि भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मण्डल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी (“मार्ग-निर्देशन टिप्पणी”) तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है और लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जिसे भारत में निगमित सहायक कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त किया गया था, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाईन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

- (क)

ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;
- (ख)

उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और
- (ग)

समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे विचार से, धारक कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियां जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी वास्तविक पहलुओं से एक समुचित आंतरिक वित्तीय प्रणाली है तथा अत्यधिक वित्तीय संसूचना पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त करना जो 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए इस समूह द्वारा तय किए गए वित्तीय संसूचना मानदंडों के बारे में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2023 के समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, समूह तथा इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह ऐसी अनुषंगी कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की प्रचालन प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों के आधार पर है।

इसके अतिरिक्त, हमने समूह के वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय एवं सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताए गए प्रकटीकरण पर विचार किया है, और उपरोक्त प्रकटीकरण समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परिचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करता है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कं. सनदी लेखाकार आईसीएआई फर्म पंजी. सं. :001135एन	मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं. सनदी लेखाकार आईसीएआई फर्म पंजी. 000018एन /एन500091
नाम: एस. मूर्ति पदनाम : भागीदार सदस्य सं. 072290 यूडीआईएन: 23072290BGYVDL7158	नाम : राकेश कुमार पदनाम : भागीदार सदस्य सं. : 087537 यूडीआईएन: 23087537BGXEFAQ8986

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17 मई 2023

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143(6) (ख) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129(4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 13 मई, 2022 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने आरईसी लिमिटेड, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड तथा बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अनुबंध में सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(दीपक कपूर)

लेखापरीक्षा के महानिदेशक (एनजी), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई 2022

अनुलग्नक		
आरईसी लिमिटेड की सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी		
क्र.सं.	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	कंपनी के प्रकार
1.	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी
2.	दुमका ट्रांसमिसन लिमिटेड	सहायक कंपनी
3.	ईआर एनईआर ट्रांसमिसन लिमिटेड	सहायक कंपनी
4.	कोडरमा ट्रांसमिसन लिमिटेड	सहायक कंपनी
5.	मंदर ट्रांसमिसन लिमिटेड	सहायक कंपनी
6.	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1 लिमिटेड	सहायक कंपनी
7.	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी
8.	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी
9.	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी
10.	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी
11.	एनईआरएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी
12.	केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी

आरईसी के कार्यालयों का विवरण

पंजीकृत कार्यालय	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 ☎ +91-11-4309 1500 / 1501 ✉ contactus@recl.in		
कारपोरेट कार्यालय	प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 ☎ +91-124-444 1300 ✉ contactus@recl.in		
प्रशिक्षण केंद्र	आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉवर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग आरईसीआईपीएमटी कैंपस, एनपीए पोस्ट, शिवरामपल्ली, अरामघर चौराहे के पास, हैदराबाद – 500052 ☎ +91-40-2988 5851 / 5852; +91-40-2955 5901 ✉ recipmt@recl.in		
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	बे नं. 7-8,सेक्टर-2, पंचकुला – 134112 ☎ +91-172-2563 863 / 864 ☎ +91-172-2580 476 ✉ popanchkula@recl.in	क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश	हाल नं. 3, पश्चिमी ब्लॉक, द्वितीय तल, मेट्रो वाक, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462016 ☎ +91-755-2460 006 ✉ recbhopal@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व) पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	आई बी-186, सेक्टर-III साल्ट लेक सिटी, कोलकाता – 700106 ☎ +91-33-2335 6989 / 6994 / 6998 ✉ zmkolkata@recl.in	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व) असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश	श्रद्धा, एम. जी. पथ, जी. एस. रोड क्रॉसिंग सोहम/एसबीआई प्वाइंट, क्रिश्चियन बस्ती गुवाहटी – 781005 ☎ +91-361-2343 713 ✉ poguwahati@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम) महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	51-बी, मित्तल टॉवर, 5वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई – 400021 ☎ +91-22-2283 0985 / 3068 / 3055 ✉ zmmumbai@recl.in	क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़	एफ-6 एवं एफ-7, ब्लॉक बी-1, प्रथम तल पुजारी चैंबर्स, कमर्शियल कांप्लेक्स, पंचपेडी नाका, रायपुर – 492001 ☎ +91-771-2241 055 ✉ recraipur@recl.in
राज्य कार्यालय हिमाचल प्रदेश	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेज-II, प्रथम तल, द रिज, शिमला – 171001 ☎ +91-177-2653 411 ✉ poshimla@recl.in	क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड	101 एवं 102, ओम श्री इक्लेव, लोयला स्कूल के बगल में, एयरपोर्ट रोड हिन्, रांची – 834002 ☎ +91-651-2253 123 ✉ poranchi@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू – 180004 ☎ +91-191-2450 800 ✉ pojammu@recl.in	क्षेत्रीय कार्यालय ओडिशा	दीनदयाल भवन, पंचम तल, अशोक नगर जनपथ, भुवनेश्वर – 751009 ☎ +91-674-2393 206 ☎ +91-674-2536 649 ✉ pobhubaneswar@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश	19/8 इंदिरा नगर एक्सटेंशन रिंग रोड, लखनऊ – 226016 ☎ +91-522-271 6324 / 7376 ☎ +91-522-407 4944 ✉ zmlucknow@recl.in	क्षेत्रीय कार्यालय कर्नाटक	1/5, हलासूरु रोड, बंगलुरु – 560042 ☎ +91-80-2559 8244 ☎ +91-80-2555 0240 ✉ pobangalore@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड	7, न्यू रोड, एमकेपी कॉलेज के सामने, देहरादून – 248001 ☎ +91-135-2650 799 ✉ sodehradun@recl.in	क्षेत्रीय कार्यालय तेलंगाना	आरईसीआईपीएमटी कैंपस, एनपीए पोस्ट, शिवरामपल्ली अरमघर क्रॉस रोड के पास हैदराबाद – 500052 ☎ +91-40-2980 5034 / 4520 / 6745 ☎ +91-40-2988 6745 ✉ zmhyderabad@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय बिहार	मौर्य लोक कांप्लेक्स, ब्लॉक- सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना – 800001 ☎ +91-612-222 4596 / 1131 ✉ popatna@recl.in	क्षेत्रीय कार्यालय आंध्र प्रदेश	54-15-13, बीएसआर हिल व्यू, द्वितीय तल श्रीनिवास नगर बैंक कालोनी, विजयवाड़ा – 520008 ☎ +91-866-2973 405 ✉ recro-vijay@recl.in
क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान	जे-4-ए झालाना जूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर – 302004 ☎ +91-141-270 7840 / 0161 ✉ pojaipur@recl.in	क्षेत्रीय कार्यालय केरल, लक्षद्वीप	ओ-5, चतुर्थ तल, सफालयम, कमर्शियल कांप्लेक्स, टीआरआईडीए भवन, पलायम, तिरुवनंतपुरम – 695034 ☎ +91-471-2328 662 ✉ potrivandrum@recl.in
राज्य कार्यालय गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	प्लॉट नंबर 585, टी.पी. स्कीम सं. नं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे, आत्म ज्योति आश्रम रोड सुभानपुरा, वडोदरा – 390023 ☎ +91-265-2397 487 ✉ povadodara@recl.in	क्षेत्रीय कार्यालय तमिलनाडु, पुडुचेरी	12 एवं 13, टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, 180 लूज चर्च रोड, मयलापुर, चेन्नई – 600004 ☎ +91-44-2467 2376 ☎ +91-44-2498 7960 ✉ pochennai@recl.in

आरईसी लिमिटेड की 54वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का परिशिष्ट

आरईसी लिमिटेड की चौवनवीं (54वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना का परिशिष्ट बुधवार, 6 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यमों से होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के साथ पठित कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 13 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, आरईसी लिमिटेड के सदस्यों को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी को आरईसी लिमिटेड के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए श्री शशांक मिश्रा (डीआईएन: 08364288) की उम्मीदवारी के लिए एक नोटिस प्राप्त हुआ है। तदनुसार, अपेक्षित सांविधिक अनुपालनों के बाद, यह परिशिष्ट सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिचालित किया जा रहा है और यह सभी उद्देश्यों के लिए कंपनी की 54वीं एजीएम की 11 अगस्त 2023 की मूल सूचना और उसमें उपलब्ध कराए गए नोट्स का एक अभिन्न भाग होगा।

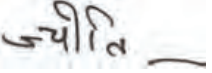
विशेष कार्य:

मद संख्या 10: सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री शशांक मिश्रा (डीआईएन: 08364288) की नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा बिना साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 152, 161 और अन्य लागू उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1ग) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू उपबंधों और/या किसी भी अन्य लागू कानून (तत्समय प्रवृत्त किसी भी सांविधिक संशोधन, आशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के अंतर्नियम और दिनांक 21 अगस्त, 2023 के विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के आदेश के अनुसरण में, श्री शशांक मिश्रा (डीआईएन: 08364288), जिन्हें निदेशक मण्डल द्वारा 21 अगस्त, 2023 से अगले आदेश तक कंपनी के निदेशक मण्डल में सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, वे इसके द्वारा सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त होंगे और वे बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

निदेशक मण्डल के आदेश से कृते आरईसी लिमिटेड


ह./-
जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

दिनांक: 25 अगस्त, 2023

स्थान: आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स

प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001

टिप्पणी:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में एजीएम में किए जाने वाले उपरोक्त विशेष कारोबार के संबंध में एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
- एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग से संबंधित सभी प्रक्रियाएं, नोट तथा अनुदेश, जैसा कि कंपनी की 54वीं एजीएम की नोटिस में निर्धारित किया गया है, आवश्यक परिवर्तनों सहित नोटिस के इस परिशिष्ट में प्रस्तावित संकल्प पर लागू होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

निम्नलिखित विवरण में नोटिस में निर्धारित विशेष कारोबार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक तथा अन्य निदेशकों को अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार है।

तथापि, 17 जनवरी 2023 से प्रभावी सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 17 (1सी) के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अगली सामान्य बैठक में निदेशक मण्डल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन सुनिश्चित करेगी।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 21 अगस्त, 2023 के अपने कार्यालय आदेश के तहत, श्री शशांक मिश्रा (डीआईएन: 08364288), संयुक्त सचिव, एमओपी को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आरईसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में पीयूष सिंह (07492389) को नियुक्त किया है। इसके अलावा, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर कंपनी के निदेशक मण्डल ने शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यक्षीन 23 अगस्त 2023 को पारित संचलन संकल्प के माध्यम से श्री शशांक मिश्र की कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा एजीएम की नोटिस की मद संख्या 10 पर प्रस्तावित साधारण संकल्प पारित करने की सिफारिश की है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और अन्य नियामक प्रावधानों के संदर्भ में श्री शशांक मिश्रा की एक संक्षिप्त प्रोफ़ाइल इस नोटिस के साथ संलग्न है।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, श्री शशांक मिश्रा रोडेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें एमओपी के कार्यालय आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2023 और/या इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगी। यह भी सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से किसी प्रकार का बैठक शुल्क प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। हालांकि, उनके द्वारा भाग ली जाने वाली बोर्ड या समिति की बैठकों के संबंध में टीए/डीए, अपनी जेब से खर्च आदि का भुगतान/प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

श्री शशांक मिश्रा ने घोषणा की है कि उन्हें सेबी या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने से नहीं रोका गया है, और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वह कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। साथ ही, उनका कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है। कंपनी को



लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव किया गया है।

इस कारोबार प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज़ इस नोटिस के प्रसारित होने की तारीख से और एजीएम की तारीख तक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। श्री शशांक मिश्रा को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधित का, कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी होल्डिंग की सीमा, यदि कोई हो, को छोड़कर, उक्त सामान्य संकल्प को पारित करने में कोई सरोकार नहीं है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव किया गया है कि श्री शशांक मिश्रा को कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कंपनी की 54वीं एजीएम की सूचना के परिशिष्ट में मद संख्या 10 में निर्धारित सामान्य संकल्प पारित किया जाए।

सेबी एलओडीआर विनियमों और अन्य विनियामक प्रावधान के संदर्भ में, इस नोटिस में निर्धारित नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक (निदेशकों) का संक्षिप्त प्रोफाइल।

निदेशकों के नाम	श्री शशांक मिश्रा
डीआईएन	08364288
जन्मतिथि	16 मार्च, 1983
उम्र	40 वर्ष
नियुक्ति की तारीख	21 अगस्त, 2023
योग्यता	आईएस (एमपी: 2007), आईआईटी दिल्ली से बी. टेक (इलेक्ट्रिकल)
कौशल और क्षमताओं सहित विस्तृत प्रोफाइल	श्री शशांक मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक, वर्तमान में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। विद्युत मंत्रालय में शामिल होने से पहले, उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में कार्य किया है। आपने मध्य प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है, जिसमें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना शामिल है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	श्री शशांक मिश्रा को वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र की विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, कॉर्पोरेट आयोजना एवं कार्यनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, बोर्ड प्रथाओं एवं गवर्नेंस, पर्यावरण एवं सामाजिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है।
नियुक्ति के नियम और शर्तें और भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक	उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें एमओपी के कार्यालय आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2023 और/या इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगी। सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कंपनी से किसी प्रकार का बैठक शुल्क प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। हालांकि, उनके द्वारा भाग ली जाने वाली बोर्ड या समिति की बैठकों के संबंध में टीए/डीए, अपनी जेब से खर्च आदि का भुगतान/प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।
लाभप्रद स्वामित्व सहित कंपनी में शेयरधारिता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उपस्थित निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या	लागू नहीं
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की बैठकों में भाग लेने की संख्या	लागू नहीं
अन्य कंपनियों / सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक पद	मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं से त्यागपत्र दिया गया है, उनका विवरण	शून्य
आरईसी के अलावा अन्य सभी सार्वजनिक कंपनियों के लिए समिति की सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
निदेशकों और केएमपी के मध्य संबंध	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।



आरईसी के प्रचार प्रसार एवं ब्रांड लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए को-ब्रांडिंग



आरईसी लिमिटेड

(एक महारत्न कंपनी एवं भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष: +91-11-43091500
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 दूरभाष: +91-124-4441300
ई-मेल: contactus@recl.in वेबसाइट: www.recindia.nic.in सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

हमें फॉलो करें: [f](#) [X](#) [i](#) [in](#) @reclindia

contactus@recl.in



www.recindia.nic.in